

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2020 की संख्या 18  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)



# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2020 की संख्या 18  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)



## विषय वस्तु

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		vii
	कार्यकारी सार		ix
<b>अध्याय I</b>	<b>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</b>		
1.1	निष्पादन सम्बन्धी वेतन के भुगतान पर डीपीई दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन	राष्ट्रीय केमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1
<b>अध्याय II</b>	<b>नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>		
2.1	'बेल कर्व एप्रोच'की शर्तों का पालन न करने के कारण प्रदर्शन संबंधी वेतन का भुगतान	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	4
2.2	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक ठेकेदार से निर्णीत हर्जानेकी कमवसूली	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	6
2.3	एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रभारित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रति एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अनियमित अवशोषण	एयर इंडिया लिमिटेड	8
2.4	देयताओं के लंबित अंतिम भुगतान की वसूली कार्यवाहियों के प्रत्याहार द्वारा मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुचित लाभ	एयर इंडिया लिमिटेड	11
<b>अध्याय III</b>	<b>कोयला मंत्रालय</b>		
3.1	खनन अनुबंध के तहत ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	14

3.2	खदान-II के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में उत्खनन आउटसोर्सिंग उत्खनन पर परिहार्य व्यय	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	16
3.3	विलम्ब-शुल्क का परिहार्य भुगतान	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	18
<b>अध्याय IV वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>			
4.1	गवर्नमैन्ट ई-मार्केटप्लेस की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा	गवर्नमैन्ट ई-मार्केटप्लेस	21
<b>अध्याय V वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)</b>			
5.1	सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	68
5.2	समाप्त परियोजनाओं में ऋण के विस्तारण के कारण होने वाली परिहार्य हानि	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	95
5.3	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड	97
5.4	ग्रुप मेडिकलेम बीमा पॉलिसियों के अंडरराईटिंग की समीक्षा	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	115
5.5	कार्यालयों के स्थानांतरण में देरी के कारण किराए पर होने वाला परिहार्य व्यय	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	126
5.6	डीलर आउटलेट, जिन्होंने कार्य बंद कर दिया था, से मोटर बीमा प्रीमियम एकत्र करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	128
5.7	अविवेकपूर्ण जोखिम अंकन तथा अविवेकी पुनर्बीमा कवर की व्यवस्था के कारण हानि	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	130

5.8	प्रारंभिक रूगणता के स्पष्ट संकेतो के बावजूद एक ग्राहक को फैक्ट्रिंग सुविधा का परिसमापन न करने के कारण वसूली नहीं होना	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	133
5.9	प्रीमियर के कम चार्ज के कारण राजस्व में आई कमी	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	138
5.10	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा फैक्ट्रिंग और ऋण सेवाएं	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	141
<b>अध्याय VI भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>			
6.1	एक संविदा के अन्तर्गत गैर-निष्पादन के कारण हानि	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	181
6.2	सीवरेज उपकर का परिहार्य भुगतान	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	183
6.3	टाउनशिप एंड लैंड मैनेजमेंट	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)	186
6.4	आयकर का परिहार्य भुगतान	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	198
<b>अध्याय VII आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय</b>			
7.1	कर्मचारियों को अनधिकृत भुगतान	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	202
<b>अध्याय VIII खनन मंत्रालय</b>			
8.1	गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट के अधिग्रहण में अप्रभावी निवेश व संचालन में हानि	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	204
<b>अध्याय IX पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>			
9.1	निष्पादन से संबंधित वेतन का अनियमित भुगतान	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलिमेर लिमिटेड	207

9.2	वित्तीय और नियंत्रण एफआईसीओ) मॉड्यूलों की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा का पालन	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	209
9.3	बिक्री करार के अनुसार मानकों के ऊपर तल अवसाद एवं पानी युक्त कच्चे तेल की बिक्री के कारण राजस्व की हानि	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	226
9.4	प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण के अविनियमन का क्रियान्वयन	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	229
9.5	ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	240
<b>अध्याय X</b>			
<b>विद्युत मंत्रालय</b>			
10.1	क्षमता प्रभारों की कम वसूली के कारण हुई परिहार्य हानि	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड	244
10.2	एनएसपीसीएल द्वारा नामांकन आधार पर संविदाएं देने में प्रदत्त अनुचित लाभ	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड	246
<b>अध्याय XI</b>			
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>			
11.1	एनएचएआई द्वारा अनुचित संविदा प्रबंधन के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	250
11.2	संविदाकारों को अनुचित लाभ	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	253
11.3	उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण में विलम्ब के कारण भारत की समेकित निधि की कम प्राप्ति	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	256
11.4	अतिरिक्त रिआयत फीस का कम प्रेषण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	258



<b>अध्याय XII</b>		<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b>	
12.1	ट्रेजिंग संविदा के तहत वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं होना	ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	260
<b>अध्याय XIII</b>		<b>इस्पात मंत्रालय</b>	
13.1	ग्राहक द्वारा संविदा को समाप्त करने और बैंक गारंटी के भुगतान के कारण हानि	मेकॉन लिमिटेड	265
13.2	ऊर्जा प्रबंधन	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	268
13.3	सेल की आबद्ध खदानों का निष्पादन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	292
13.4	सेल में सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रबंधन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	323
13.5	सेल/ आरएसपी द्वारा परिहार्य व्यय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	350
<b>अध्याय XIV</b>		<b>लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज़ द्वारा वसूलियां और सुधार/ संसोधन</b>	
14.1	लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में वसूलियां	एयर इंडिया लिमिटेड, नॉर्डन कोलफील्ड लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	353

14.2	लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में सुधार/ परिशोधन	राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	353
<b>अध्याय XV</b>			
	<b>लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (वाणिज्यिक)</b>		<b>354</b>
	परिशिष्ट I		359
	परिशिष्ट II		361
	परिशिष्ट III		362
	अनुलग्नक		364

## प्राक्कथन

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों के लेखाओं को (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी मानी जाने वाली कंपनियों सहित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियां वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हैं। इसके अलावा, ये कंपनियां सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियाँ उनके लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने को आवश्यक बनानी है। ऐसे पाँच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में, सीएजी को उनका एकल लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया है। एक निगम अर्थात् केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में, सीएजी के पास निगम को शासित करने वाली संविधि के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद पूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, जैसा कि 1984 में संशोधित किया गया था, सरकार को किसी सरकारी कंपनी या निगम के लेखों के संबंध में प्रतिवेदन सीएजी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
4. वर्ष 31 मार्च 2019 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/ विभागों के नियंत्रण में 31 सीपीएसई से संबंधित 42 अलग लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उन में से हैं जो 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए थे साथ ही साथ जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2019 के बाद लेनदेन के लेखापरीक्षा परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।
5. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/ निगमों या सीपीएसई' के लिए सभी संदर्भ 'केंद्र सरकार की कंपनियों/ निगमों' के लिए संदर्भ माना जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षित मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।



## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) तथा संदर्भित निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/ विभागों के अन्तर्गत 31 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 42 पृथक टिप्पणियां शामिल हैं। मसौदा टिप्पणियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में उनके जवाब/ टिप्पणियों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों को भेज दिया गया था, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई कार्य कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक 34 टिप्पणियों के प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जबकि जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है। इससे पहले, मसौदा टिप्पणियों को संबंधित सीपीएसई के प्रबंधनों को भेजा गया था, जिनके उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई से संबंधित हैं:

मंत्रालय/ विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं
1. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय केमिकलस एण्ड फर्टिलाइजरस लिमिटेड)	1	1
2. नागर विमानन (एएआई, एयर इंडिया)	4	4
3. कोयला (महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी तमिल नाडु पावर लिमिटेड)	3	2

4.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (गॉवरनमेंट ई-मार्केट प्लेस)	1	1
5.	वित्त (आईआईएफसीएल, एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फेक्टरस लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई फेक्टरस लिमिटेड)	10	6
6.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (बीएचईएल, एचईसी लिमिटेड, तुंगभद्र स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड)	4	4
7.	आवासन और शहरी कार्य (एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड)	1	1
8.	माईन्स (हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड)	1	1
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (बीसीपीएल, ओएनजीसी आईओसीएल, बीपीसीएल एचपीसीएल)	5	1
10.	उर्जा (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड)	2	2
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई)	4	4
12.	शिपिंग (ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	1	0
13.	इस्पात (मेकोन लिमिटेड, आरआईएनएल, सेल)	5	5
<b>योग</b>		<b>42</b>	<b>34</b>

4. पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹1,243.20 करोड़ है।

5. इस प्रतिवेदन में पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:

- 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में शामिल ₹462.13 करोड़ के नियमों, निर्देशों, क्रियाविधि, निविदा के निबंधन और शर्तों आदि का अनुपालन नहीं करना।
- 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में संगठनों के ₹227.41 करोड़ के वित्तीय हित की गैर-सुरक्षा।
- तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹440.80 करोड़ का दोषपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण नियोजन।
- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹112.86 करोड़ का अपर्याप्त/ त्रुटिपूर्ण नियोजन।

6. प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसई द्वारा "वसूली और सुधार/ संशोधन" पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफों अर्थात् (क) 9 सीपीएसईज द्वारा लेखापरीक्षा के बताने पर ₹51.43 करोड़ की वसूली, और (ख) लेखापरीक्षा के बताने पर 3 सीपीएसईज द्वारा किए गए सुधार/ संशोधन शामिल हैं

**II प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:**

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 26 नवंबर 2008 को अपने कार्यालय जापन (ओएम) द्वारा, यह प्रावधान किया कि निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान सीधे सीपीएसई के मुनाफे और कार्यकारियों के निष्पादन से जुड़ा होगा। सीपीएसई को अधिकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व एप्रोच' को अपनाने की आवश्यकता थी ताकि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक कार्यकारी 'आउटस्टैंडिंग/ उत्कृष्ट' न हों और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को 'सामान्य से कम' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और कोई भी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, एएआई ने तीन उप-श्रेणियों अर्थात्, बहुत अच्छा, अच्छा और अच्छा से कम में कर्मचारियों की श्रेणी को 'सामान्य से कम' के अंतिम 10 प्रतिशत की ग्रेडिंग में संशोधित किया, और पीआरपी लाभ का क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और शून्य की दर से भुगतान किया। इस प्रकार, कर्मचारियों की केवल सीमित संख्या, अच्छे से कम के रूप में उपश्रेणीकृत की गई जिन्होंने 'सामान्य से कम' के अंतिम 10 प्रतिशत की श्रेणी के तहत सभी कर्मचारियों के बजाय पीआरपी प्राप्त नहीं किया था। 'बेल कर्व एप्रोच' की शर्त के अननुपालन के परिणामस्वरूप,

2010-11 से 2016-17 के दौरान अपात्र कर्मचारियों को ₹38.78 करोड़ की राशि का पीआरपी का भुगतान, जो कि डीपीई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

**(पैरा 2.1)**

दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और मंगलोर में एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस), एआईएल की सहायक कंपनी एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएसएल) सहित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि संशोधित कम दर, अध्यक्ष एआईएसएटीएस द्वारा अनुमोदित थी, एआईएल ने एएसएल द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए ₹44.88 करोड़ के जीएच प्रभारों की विभेदक राशि वहन की। एआईएल द्वारा अवशोषित विभेदक प्रभारों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) के तहत आवश्यक एआईएल की लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी नहीं है

**(पैरा 2.3)**

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने खान II के संबंध में लिग्नाइट उत्खनन के लिए एक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया, जबकि लिग्नाइट का शुरुआती स्टॉक, खान II से उत्खनित लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा और खान I ए से ट्रांसपोर्ट किया गए लिग्नाइट खान II से जुड़े दोनों थर्मल पावर स्टेशन की वर्ष 2015-16 और 2016-17 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। आउटसोर्सिंग उत्खनन अनुबंध के परिणामस्वरूप ₹28.74 करोड़ का व्यय हुआ जो परिहार्य था। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग अनुबंध के माध्यम से खुदाई की गई मात्रा के कारण इन्वेंट्री ओवरस्टॉकिंग हो गई और अंततः लिग्नाइट की गुणवत्ता में गिरावट आई।

**(पैरा 3.2)**

सरकारी ई-बाजार (विशेष उद्देश्य वाहन) को सामान्य उपयोग के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू और एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थाओं और सांविधिक और संवैधानिक निकाय के लिए शुरु से अंत तक ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए जीईएम प्लेटफार्म के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ



17 मई 2017 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया था। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद को अधिकृत किया गया था और सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम (संख्या 149), के द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किया गया था। जीईएम एप्लिकेशन (नया संस्करण) (जिसे जीईएम संस्करण 3.0 भी कहा जाता है) 26 जनवरी 2018 से परिचालन में है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारी अधिप्राप्ति के लिए ऑन लाइन समाधान को लागू करने में जीईएम सफल रहा है। हालांकि, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के अनुपालन के लिए भारत सरकार एमईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को नहीं किया गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा जीईएम की ई-बिडिंग मोड (मैनुअल 'सीलबंद बोली' प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक के समतुल्य) की मजबूती, गोपनीयता और अखंडता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ था। खरीदार और विक्रेता पंजीकरण के लिए इनपुट नियंत्रण में कमियां थीं और उपयोगकर्ताओं की पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को लीगेसी डेटा और गलत डेटा के नियमित रूप से क्लीनिंग और अपडेशन के साथ-साथ और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शीघ्र अधिप्राप्ति, दक्षता और गति का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त किया गया, क्योंकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, खासकर भुगतान में कई प्रकार से देरी हुई। इसी प्रकार, पारदर्शिता के उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण थे और मितव्ययता और उचित कीमत के उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में कमियां थीं। सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य होने के बावजूद, अधिक संख्या में निष्क्रिय या निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं ने दर्शाया की सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। जीएफआर और अन्य भारत सरकार के नियमों और विनियमों और व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेजों की मैपिंग में कमियां थीं। इन्सीडेंट समाधान तंत्र में भी महत्वपूर्ण विलंब थे। यद्यपि जीईएम के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति शुरू करने का इरादा किया था, हालांकि, विभिन्न सेवाओं को अभी भी जीईएम पर शुरू किया जाना था। मितव्ययता के संबंध में लेखापरीक्षा ने महसूस किया कि बचत को इंगित करने के लिए जीईएम द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली को सही नहीं दिखाया गया। एप्लिकेशन में कार्यात्मकता और

सहायता के अभाव के कारण उपयोग में आसानी नहीं थी। एप्लिकेशन को धीमी करते हुए और निरंतर ब्रेकडाउन में उपयोगकर्ताओं की अपेक्षित संख्या के अनुसार एप्लिकेशन को बेंचमार्क भी नहीं किया गया था।

(पैरा 4.1)

सड़क क्षेत्र में, परियोजनाओं में ऋण के प्रति प्रतिभूति के रूप में प्रदान करने के लिए भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है। ऋण परिसंपत्ति की गुणवत्ता हासिल करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता ही एकमात्र आश्वासन है। उसी रूप में आम ऋण समझौते (सीएलए) पर हस्ताक्षर करने से पहले परियोजना पर उचित सतर्कता, ऋण के संवितरण से पहले सीएलए में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए परियोजना कार्य प्रगति की निगरानी को सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं।

आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने परियोजनाओं के लिए आरओडब्ल्यू उपलब्धता के आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने परियोजनाओं को आरओडब्ल्यू की उपलब्धता के प्रमुख जोखिम के कारणों का संज्ञान नहीं लिया। नौ एनपीए मामलों में से सात में, आवश्यक आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता परियोजनाओं के गैर-पूरा होने और एनपीए में ऋण को चालू करने के लिए प्रमुख कारण था। एनपीए के एक मामले में, अवास्तविक यातायात प्रक्षेपण ने परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रभावित किया।

एनपीए सहित कई मामलों में, पर्यावरण/ वन/ वृक्षों की कटाई की मंजूरी से संबंधित सीएलए शर्तों, एस्करो खाते के माध्यम से आवश्यक इक्विटी के वित्तपोषण और प्रमोटरों द्वारा लागत से अधिक कीमत/ आईडीसी के वित्तपोषण के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ऋण वितरित किए गए थे। इससे कार्य प्रगति में देरी हुई, प्रमोटरों द्वारा फंड के दुरुपयोग किया गया और बुरी तरह से कुप्रबंधित परियोजनाओं परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण संवितरित हुआ।

ऋणदाताओं द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में अपर्याप्तता के कारण परियोजना की प्रगति की निगरानी कमजोर थी, विशेष रूप से अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण जानकारी जो आरओडब्ल्यू की उपलब्धता, प्रमोटरों द्वारा इक्विटी इन्फ्यूजन, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव, भौतिक कार्य प्रगति से संबंधित एलआईई रिपोर्टों और सीए प्रमाणपत्रों में दी

गयी थी जो परियोजना के साथ उपलब्ध निधियों और अग्रिमों की तुलना में थी जो बिना किसी प्रतिभूति के ईपीसी ठेकेदार को जारी किए गए थे/ अनुचित थे/ अप्राप्य अग्रिम थे और ऐसे अग्रिमों का दुरुपयोग हुआ था। निगरानी में त्रुटि के कारण प्रमोटर ने परियोजना की कार्य प्रगति की कीमत पर परियोजना निधि से अनुचित लाभ लिया।

उपरोक्त कमियों के कारण लेखा परीक्षा में जांच की गई 32 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं जिनमें ₹1,895.50 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, एनपीए हुए। इस से पता चलता है कि आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और मुख्य दक्षताओं को विकसित करने के अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

**(पैरा 5.1)**

आईआईएफसीएल ने रियायत प्राधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के अनुपालन और उधारकर्ताओं की आवश्यक ऋण सेवा क्षमता को सुनिश्चित किए बिना टेकआउट वित्त योजना के तहत दो ऋण स्वीकृत और संवितरित किए। इसके परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल ने पहले ही प्रतिबंधित परियोजनाओं में ₹26.20 करोड़ के ऋण को समाप्त कर दिया।

**(पैरा 5.2)**

एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड का गठन कृषि और सूक्ष्म वित्त के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। कंपनी तीन प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों अर्थात् द्वितीय स्तरीय संस्थाओं (एसएलआई), कारोबार और विकास संपर्ककर्ता (बी एण्ड डीसी) और उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष उधार देने (डीएल) में ऋण संवितरण का संचालन करती है। एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- कंपनी ने द्वितीय स्तरीय संस्थाओं (एसएलआई) की ऋण पात्रता का निर्धारण करते समय उनके नेट वर्थ की गणना में उनके सदस्यों की बचत को गलत तरीके से शामिल किया। इसके फलस्वरूप, ₹299.80 लाख तक के ऋणों को छह एसएलआई के लिए मंजूर किया गया था, जबकी उनमें से पांच किसी भी ऋण के

लिए पात्र नहीं थे और एक ₹50 लाख की मंजूरी के प्रति केवल ₹0.15 लाख के ऋण के लिए पात्र था।

- ऋणों के मूल्यांकन में कमियां थीं क्योंकि एसएलआई द्वारा प्रदान किए गए बुक ऋणों की सूची को लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और तीसरे पक्ष की गारंटी या प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
- कारोबार और विकास संपर्ककर्ताओं (बी एंड डीसी) की लेखापरीक्षा जांच के निष्कर्षों को ठीक से दर्ज नहीं किया गया था। संवितरित ऋणों के संबंध में पश्च संवितरण दौरों को कंपनी के परिचालन नियमावली के अनुसार नहीं किया गया था।
- एनपीए लेखाओं के संबंध में अनुवर्ती तंत्र कमजोर था और इसे मजबूत करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 5.3)

1972 में राष्ट्रीयकृत एनआईसीएल, सामान्य बीमा उद्योग में सेवा कर रहा है। विषयगत लेखापरीक्षा को जीएमपी के अंडरराइटिंग के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए किया गया था क्योंकि जीएमपी के तहत किया गया दावा अनुपात (आईसीआर) वर्षों से लगातार प्रतिकूल था।

पैरा आईआरडीए के निर्देशों और अपने स्वयं के निर्धारित मानकों के विचलन/ उल्लंघनों पर प्रकाश डालता है। लेखापरीक्षा ने देखा की:-

- एचओ के अनुमोदन के बिना नीतियों को जारी करना
- प्रतिकूल आईसीआर के बावजूद आईआरडीए दिशानिर्देशों का पालन न करना और अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन न करना
- एचओ द्वारा अनुमोदित प्रीमियम का कम संग्रहण
- जीएमपी के लिए जोखिम अंकन दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण प्रीमियम का कम प्रभारित करना
- ब्रोकरेज/ कमीशन के अनधिकृत और अधिक भुगतान के मामले

आईआरडीए के परिपत्र/ निर्देशों और अपने स्वयं के निर्धारित मानकों के निर्देशों का अननुपालन संगठन में निगरानी और नियंत्रण तंत्र की कमियों को दर्शाता है।

**(पैरा 5.4)**

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड ने मैसर्ज फैबटेक प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (एफपीईएल) को ₹35 करोड़ मूल्य की घरेलू फैक्ट्रिंग सुविधा की मंजूरी दी थी। इस सुविधा में स्ट्रेस के प्रारंभिक चेतावनी संकेत जैसे कि भुगतान में देरी, प्रत्यक्ष भुगतान, क्रेडिट रेटिंग का कम होना, लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी आदि दिखाई दिए थे। कंपनी ने एफपीईएल द्वारा प्रस्तुत बीजकों को फैक्टर करना जारी रखा तथा सुविधाओं को कम करने तथा छोड़ने की सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय भुगतान करते रहें। परिसंपत्ति मार्च 2019 में एनपीए बन गई और ₹28.37 करोड़ बकाया की वसूली नहीं हुई।

**(पैरा 5.8)**

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मूल्य निर्धारण के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹112.28 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

**(पैरा 5.9)**

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकृत है और मुख्य रूप से फैक्ट्रिंग और अल्पावधि कॉर्पोरेट ऋण के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

चूंकि कंपनी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता पिछले पांच वर्षों में खराब हो गई थी, इसलिए कंपनी की वार्षिक क्रेडिट नीति और कारोबार योजना के अनुपालन की जांच करने, क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र की समीक्षा करने और यह जांच करने कि क्या ऋण की मंजूरी और संवितरण में उचित सतर्कता बरती गयी है, और क्रेडिट निगरानी तंत्र की दक्षता की जांच करने के उद्देश्यों के साथ 2014-15 से 2018-19 की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित थीं:

- लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए मंजूरी और संवितरण के 26 मामलों में से 20 को एक से सात विचलन के साथ अनुमोदित किया गया था।
- कॉर्पोरेट ऋणों के आठ मामलों में, कंपनी ने समर्थक प्रतिभूति के कॉर्पोरेट ऋणों की मंजूरी के लिए बुनियादी और आवश्यक पात्रता मानदंड होते हुए भी प्रतिभूति के आश्वासन के आधार पर दो बिंदुओं तक ग्राहकों की रेटिंग को अनुचित रूप से उन्नयन किया/ बढ़ाया।
- लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए एनपीए और बट्टे खाते के 25 मामलों (17 एनपीए और 8 बट्टे खाते के मामले) में से 21 मामलों में सुविधा की स्वीकृति और मानीटरिंग संबंधी क्रेडिट पॉलिसी का अननुपालन देखा गया, जिसके कारण इन लेखाओं को एनपीए में बदला या बंद किया जा रहा है। 25 (सैंपल) में से, 15 मामलों में ₹212.31 करोड़ की वसूली संदिग्ध थी।
- कंपनी ने ग्राहकों को इनवॉइस उपाश्रय में होते हुए (देय भुगतान तिथि से 30 दिन ऊपर) के बावजूद डेबिट नोट फंडिंग के माध्यम से फंडिंग जारी रखी। डेबिट नोट फंडिंग की इस प्रथा के कारण पुराने अतिदेय/ उपाश्रित इनवॉइस बंद हो जाते हैं/ निपटारा हो जाता है और प्राप्त नए इनवॉइस के प्रति निधियन की अनुमति मिलती है जिससे एनपीए के रूप में किसी लेखा के वर्गीकरण में देरी होती है और ऐसे लेखा हमेशा चालू रहते हैं।
- कंपनी ने 16 मामलों में लेखाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जहां आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अतिदेय निर्धारित अवधि से ऊपर के थे।
- कंपनी ने चार मामलों में ग्राहक/ देनदारों द्वारा की गई धोखाधड़ी की सूचना दी जिससे कंपनी को ₹50.33 करोड़ की हानि (संदिग्ध वसूली) उठानी पड़ी। कंपनी की ओर से प्रमुख चूके थीं (i) पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ग्राहक को क्रेडिट सुविधा स्वीकृत करना (ii) नए देनदार को मंजूरी देने और जोड़ने के समय उचित सतर्कता का अभाव (iii) क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार

लेखा की निगरानी नहीं करना (iv) इनवॉइस के पुनः समनुदेशन और डेबिट नोट फंडिंग द्वारा लेखा को एनपीए के रूप में घोषित करने में देरी और (v) मंजूरी पत्र, संवितरण शर्त और महत्वपूर्ण पूर्व संवितरण शर्तों की छूट के अनुसार मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न करना।

**(पैरा 5.10)**

संविदात्मक प्रावधानों और ग्राहक द्वारा बैंक गारंटी के परिणामी आह्वान के अनुसार निष्पादन को विफल करने के कारण भेल को 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की हानि हुई।

**(पैरा 6.1)**

भेल का हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद जल प्रभारों पर सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने में विफल रहा, जैसा कि हैदराबाद जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक, ₹21.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(पैरा 6.2)**

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 के बही खातों में भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज की छूट का गलत उपचार किया। नतीजतन, कंपनी ने ₹41.18 करोड़ की कर देयता के साथ ₹55.38 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान किया।

**(पैरा 6.4)**

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई (एआरसीआईएल) ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से सम्पर्क किया कि कंपनी अपनी इच्छा से झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात (जेसीएल) संयंत्र, जो कार्यशील पूंजी के अभाव में सितम्बर 2009 से बंद था, के अधीग्रहण करने में दिखाये। यद्यपि प्रचालन पहलू के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता में कमी के संबंध की सूचना के बावजूद, एचसीएल ने एकमात्र बोलीकर्ता के रूप में एआरसीआईएल से ₹210 करोड़ के मूल्य पर जेसीएल प्लांट (फरवरी 2015) में खरीदा तथा इसे गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट (जीसीएल) का नाम दिया। मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान जीसीपी की कुल क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा सका। परिणामस्वरूप, जीसीपी के परिचालन के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान एचसीएल को

₹102.49 करोड़ का नुकसान हुआ। इस बीच, कंपनी ने अर्थात् मार्च 2019 तक जीसीपी (अधिग्रहण लागत सहित) में कुल ₹303.18 करोड़ का निवेश किया।

**(पैरा 8.1)**

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अक्टूबर 2003 में इनफॉर्मेशन कनसालिडेशन फॉर ऐफिशिएंसी (आईसीई) नाम की एक परियोजना शुरू की, जो वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध एकीकृत सूचना के लिए व्यवसाय प्रक्रियाओं के अनुकूलन और मानकीकरण के उद्देश्य से एक सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के तहत अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने और स्रोत बिंदु पर डेटा कैचर करके दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गतिविधियों के दोहराव को समाप्त करने के लिए है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मास्टर रिकॉर्ड में परिसंपत्ति के स्थान और अभिरक्षक पर डेटा ठीक से नहीं डाला गया था और 571 पूर्व कर्मचारियों को ₹87.43 करोड़ मूल्य की परिसंपत्ति के अभिरक्षक के रूप में सिस्टम में निरूपित किया जाता रहा। वेंडर मास्टर में गलत बैंक कुंजी और डुप्लिकेट वेंडर रिकॉर्डों की पहचान की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एक बार के वेंडर के रूप में वर्गीकृत वेंडरों के लिए बार-बार भुगतान किए गए और भुगतान ब्लॉक कुंजी (1096 दिनों तक) में बिना किसी कारण के अतिदेय भुगतान जारी रहा। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ड्रिलिंग लागत के आवंटन को अपनाने के लिए कंपनी में समान व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है।

**(पैरा 9.2)**

ओएनजीसी ने कच्चे तेल की बिक्री के लिए आईओसीएल और बीपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया (अप्रैल 2002)। विक्रय मूल्य स्लैब दरों पर छूट के अधीन था यदि कच्चे तेल में बेसिक सेडिमेंट और पानी (बीएसएण्डडब्ल्यू) का तत्व मात्रा से 0.2 प्रतिशत अधिक था। ओएनजीसी के असम क्षेत्रों से उत्पादित तेल में उच्च बीएसएण्डडब्ल्यू घटक अधिक होती है, जिसके कारण रिफाइनरियों को आपूर्ति करने से पहले बीएसएण्डडब्ल्यू की मात्रा के स्तर को 0.2 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए कच्चे तेल के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि असम नवीकरण योजना की परिकल्पना काफी पहले दिसंबर 2005 में ₹2,465.15 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ की गई थी। परियोजना के प्रमुख डिलिवरेबल्स में से एक



बीएसएंडडब्ल्यू स्तर को 0.2 प्रतिशत से नीचे नियंत्रित करना था। हालांकि यह परियोजना मार्च 2013 में पूरी होने वाली थी, किंतु अभी भी कार्य जारी है। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2019 के दौरान कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू 0.164 से 0.417 प्रतिशत थे, जिसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी को ₹27.06 करोड़ की राशि की मूल्य छूट/ राजस्व की हानि हुई थी।

### (पैरा 9.3)

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का प्रमुख हिस्सा बनने वाले पेट्रोल (एमएस) और डीजल (एचएसडी) की कीमतें क्रमशः जून 2010 और अक्टूबर 2014 में जीओआई द्वारा अविनियमित की गई थीं। ओएमसी ने एमएस और एचएसडी के खुदरा बिक्री कीमत में दैनिक परिवर्तन को 16 जून 2017 से प्रभावी किया, जो की तब तक पखवाड़े में संशोधित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने दैनिक मूल्य निर्धारण के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 188 रिटेल आउटलेट्स (आरओ) की नमूना जाँच की और आरओ के स्वचालन और ओएमसी में निरंतर कनेक्टिविटी के प्रावधान के संदर्भ में दैनिक मूल्य संशोधन के क्रियान्वयन के समय ओएमसी की तैयारी की अपर्याप्तता को देखा। कुछ स्वचालित आरओ में, डीलरों को दैनिक कीमतों को मैन्युअल रूप से बदलते पाया गया। डीलरों ने कीमतों को बदलने में भी शीघ्रता नहीं की जिससे ग्राहकों से अधिप्रभार/ न्यून प्रभार से कीमतें वसूल की गईं। लेखापरीक्षा ने मूल्य परिवर्तनों की अपर्याप्त निगरानी, ओएमसी के फील्ड अधिकारियों द्वारा आरओ के निरीक्षण में कमी और फील्ड अधिकारियों द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अपर्याप्त रिपोर्टिंग को देखा।

### (पैरा 9.4)

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 25 वर्षों की अवधि के लिए रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन-1 (आरटीपीएस-1) से 150 मेगावाट की आपूर्ति के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ एक पीपीए किया। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण, डीवीसी और केएसईबीएल ने उपरोक्त पीपीए के संबंध में 150 मेगावाट से 50 मेगावाट तक आरटीपीएस-1 से विद्युत की मात्रा को कम करने के लिए आपसी सहमति (जुलाई 2015) की। लेकिन केएसईबीएल के साथ 100 मेगावाट की आपूर्ति के लिए कोई पीपीए नहीं किया गया था। आरटीपीएस-1 से विद्युत के शेड्यूल को मई 2016 से शुरू किया गया था। इस प्रकार, निगम केएसईबीएल से 100 मेगावाट

विद्युत के लिए तदनुसूची आरटीपीएस-I के संबंध में मई 2016 से मार्च 2019 तक ₹78.15 करोड़ ₹78.15 करोड़ की क्षमता प्रभार वसूलने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, निगम को प्रति माह ₹3.53 करोड़ की हानि को अवशोषित करना पड़ा है जब तक कि 100 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए नए उपभोक्ता ना आ जाएं।

(पैरा 10.1)

हालांकि टीएनएसटीसी बसों से टोल बकाया की वसूली की जिम्मेदारी रियायतग्रही की थी, एनएचएआई ने रियायतग्रही के ₹28.92 करोड़ दावे को के स्वीकार किया, जो रियायत समझौते के अनुच्छेद 22.8 के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। परियोजना राजमार्ग के स्टैच को बनाए रखने में एनएचएआई की विफलता के कारण एक जनहित याचिका और उसके बाद माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण टोल दरों को आधे से कम कर दिया गया। इससे ₹20.38 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है।

(पैरा 11.1)

एनटीपीसी लिमिटेड ने मेकॉन को उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बाहरी कोयला हैंडलिंग प्लांट का कार्य दिया (फरवरी 2017)। मेकॉन लिमिटेड द्वारा काम शुरू करने में देरी और एनटीपीसी द्वारा प्रदान की गई बाहरी कोयला हैंडलिंग संयंत्र परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपने विदेशी सहयोगी द्वारा बैंक गारंटी जमा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा संविदा को समाप्त करना पड़ा और बीजी का नकदीकरण हुआ और मेकॉन को ₹42.26 करोड़ का नुकसान हुआ।

(पैरा 13.1)

आरआईएनएल के पास पांच टर्बो जेनरेटर (टीजी) और सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों सहित एक थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) था जिसकी 31 मार्च 2019 तक कुल स्थापित क्षमता 542.48 मेगावाट थी। आरआईएनएल में ऊर्जा प्रबंधन की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

- मुख्य टीपीपी द्वारा प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक से कम था। टीपीपी के संचालन को 80 प्रतिशत की पीएलएफ पर मानते हुए, कंपनी को एपीईपीडीसीएल से आयातित विद्युत की लागत के प्रति ₹85.48 करोड़ तक की बचत हो सकती थी।

- बॉयलर कोयले की अधिप्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत की परिकल्पना के बिना बॉयलर कोयले के साथ उच्च लागत वाले मध्यम कोकिंग कोल के मिश्रण और बॉयलर कोयले की कमी के कारण आरआईएनएल ने टीपीपी उत्पादन पर अंकुश लगाया जिसके कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। देशी बॉयलर कोल के साथ एमसीसी के अनुचित सम्मिश्रण के कारण कंपनी द्वारा ₹145.21 करोड़ तक की बचत समाप्त हो गई।
- अनुषंगी विद्युत उत्पादन इकाइयों का उपयोग दोषपूर्ण डिजाइन/ सिंटर मशीन से अपर्याप्त ताप लाभ/ अपर्याप्त शीर्ष गैस दबाव के कारण खराब था, जिसके परिणामस्वरूप एपीईपीडीसीएल से विद्युत की परिणामी अधिप्राप्ति के साथ विद्युत उत्पादन में कमी आई थी।
- सहायक विद्युत की खपत, सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹230.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप की अतिरिक्त खपत, निर्धारित मानकों से अधिक होने से 29.91 लाख टन थी जिसे जब मौद्रिक संदर्भ में बदला गया तो कीमत ₹382.48 करोड़ थी।

## (पैरा 13.2)

लेखापरीक्षा ने आंतरिक खानों के प्रबंधन और सुरक्षा तथा पर्यावरण कानूनों का अनुपालन निर्धारित करने के लिए 2014-19 की अवधि के लिए सेल की सभी आंतरिक खानों के रिकॉर्ड की जांच की। यह पाया गया कि सेल ने पर्वतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के आवंटन से पहले व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए तकनीकी यथोचित सतर्कता लागू नहीं की और तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया, जिसे बाद में इसे छोड़ना पड़ा। इस तरह से इन कोयला खदानों के विकास पर खर्च की गई राशि निष्फल हो गई। दल्ली, राजहारा और बरसूआ खानों में नियोजित स्तरों से कम उत्पादन के कारण माल ढुलाई के अंतर पर अतिरिक्त व्यय के साथ बीएसपी और आरएसपी द्वारा दूर स्थित खदानों से लौह अयस्क का स्थानांतरण किया गया। बरसूआ खदानों में बिना अनुमोदन के गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का अनुपालन न करने के कारण एनपीवी और सीए शास्ति का भुगतान किया गया। बोलानी माइंस द्वारा ओडिशा मिनरल्स नियम, 2007 का अनुपालन न करने के कारण रॉयल्टी अंतर पर अतिरिक्त व्यय हुआ। मनोहरपुर खदान

में अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, क्योंकि लौह अयस्क को उच्चतम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और नंदिनी खानों में अस्वीकृत चूना पत्थर के चिप्स पर जो लोहे के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं थे अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। जीओओ और जीओजे ने लौह अयस्क और चूना पत्थर की कच्ची सामग्री प्रभाग के तहत खदानों के संचालन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी/ सहमति के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनन के कारण मुआवजे की मांग की। मेघाहातुबुरु एवं बोलानी खदानों में रेलवे की अतिरिक्त भूमि को छोड़ने में देरी से परिहार्य व्यय हुआ। खदानों में आवश्यकता के प्रति वैधानिक श्रमबल में 41 प्रतिशत की कमी थी।

**(पैरा 13.3)**

लेखापरीक्षा ने निर्धारित अधिनियम/ नियमों/ विनियमों और मानक संचालन प्रथाओं (एसओपी) का अनुपालन निर्धारित करने और पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा मानकों से संबंधित सामाजिक जिम्मेदारियों तथा सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं के अनुप्रयोगों का पालन किया गया, के लिए 2014-19 की अवधि के लिए सेल की सुरक्षा नीति और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। यह ध्यान दिया गया कि सेल सुरक्षा संगठन ने अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई योजना विकसित नहीं की या समय सीमा तैयार नहीं की। 686 सिफारिशों में से 258 का अनुपालन करना बाकी था। बीएसपी के पंप हाउस में पाइपलाइन के टूटने से पानी के दबाव में गिरावट आयी और बीएफ गैस के पीएच में फैलने के कारण छह व्यक्तियों की मौत हो गई। सुरक्षा उपायों को करने में शिथिलता और चार्ज पाइपलाइनों पर सीओ गैस लाइन के डी-ब्लैकिंग कार्य करने की असुरक्षित प्रथा के कारण बीएसपी में दुर्घटना हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। वैधानिक आवश्यकता की तुलना में संयंत्र में कम संख्या में सुरक्षा अधिकारी तैनात थे। फ्लाई ऐश और स्लैग डंप का निपटान न करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होने के कारण इसी जारी होने में देरी हुई जिसके अभाव में बीएसएल में सेंटर प्लांट और एसएमएस-1 पैकेजों के लिए काम रोक दिया गया था। सेल में सीओ<sup>2</sup> उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ टाटा स्टील से अधिक था। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के पूरा होने में देरी से पर्यावरण में गैसों का प्रवाह हुआ। सेल में औसत विशिष्ट ऊर्जा की खपत विश्व औसत के साथ-साथ टाटा स्टील और आरआईएनएल से अधिक थी।

**(पैरा 13.4)**

## अध्याय I: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

### राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

#### 1.1 निष्पादन सम्बन्धी वेतन के भुगतान पर डीपीई दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सीपीएसई के मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को ध्यान में रख कर ही कर्मचारियों को निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) का वितरण किया जाना था। लेकिन राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने गैर- मुख्य गतिविधियों से प्राप्त आय को भी पीआरपी वितरित करने के लिए माना।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर के कार्यकारियों और गैर-संघटित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को मंजूरी देते समय (26 नवम्बर 2008) निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखी। सीपीएसई को अधिकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व' प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता थी ताकि 10 से 15 प्रतिशत तक से अधिक को उत्कृष्ट ग्रेड न दिया जाए और 10 प्रतिशत को सामान्य से नीचे ग्रेड दिया जाना है जिन्हें किसी भी पीआरपी<sup>1</sup> का भुगतान नहीं किया जाना है। इसके अलावा, डीपीई ने स्पष्ट किया<sup>2</sup> कि पीआरपी को केवल सीपीएसई के मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) ने 2013-14 से 2017-18 वर्षों के लिए अपने कार्यकारियों को पीआरपी के रूप में ₹52.53 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- उर्वरक और रसायनों का विनिर्माण और विपणन कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य है और इसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के मुख्य व्यवसाय के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए पीआरपी की गणना करते समय, कंपनी ने प्राप्त किराए (₹126.47 करोड़), ब्याज आय (₹38.28 करोड़), लाभांश आय (₹0.78 करोड़), स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (₹2.44 करोड़), सरकारी अनुदान (₹0.90 करोड़) और विविध आय<sup>3</sup> (₹25 करोड़) जो कि कुल मिलाकर ₹193.87 करोड़ बनता था, को आय में शामिल किया था जबकि ये गैर-मुख्य

<sup>1</sup> दिनांक 6 जुलाई 2011 के डीपीई के स्पष्टीकरण के अनुसार

<sup>2</sup> 2 नवंबर 2010, 18 सितंबर 2013 और 02 सितंबर 2014

<sup>3</sup> विविध आय-प्रतिभूति जमा/ अग्रिम धन जमा - ₹13.23 करोड़, बिजली के बिलों के जल्दी भुगतान पर नकद छूट - ₹11.55 करोड़, फैक्ट्री परिसर से एकत्र किए गए फलों/ नारियल/ लकड़ी की बिक्री के कारण बागवानी आय - ₹0.22 करोड़

कार्यकलापों से अर्जित आय हैं। इस तरह के गैर-मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से आय को शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹5.05 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ है।

- हालांकि पीआरपी के प्रयोजन के लिए मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से केवल लाभ को शामिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण डीपीई द्वारा 2010 के बाद से तीन बार जारी किया गया था, कंपनी के निदेशक मंडल ने केवल 2017-18 के लिए पीआरपी को मंजूरी देते समय स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। शेष वर्षों के लिए, पीआरपी के भुगतान को अंतिम रूप देते समय मुख्य गतिविधियों सम्बन्धी पहलू पर विचार नहीं किया गया था। यहां तक कि 2017-18 के लिए, केवल एक मद अर्थात् टीडीआर<sup>4</sup> से आय को पीआरपी की गणना के लिए कर पूर्व लाभ से कम कर दिया गया था, हालांकि आय के अन्य शीर्ष थे, जो स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यकलापों से नहीं थे, जैसा कि ऊपर पैरा में दर्शाया गया है।

- कंपनी ने 'सामान्य से नीचे' कर्मचारियों (बेल कर्व के नीचे वाले 10 प्रतिशत) को पीआरपी का भुगतान न करने के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इन कर्मचारियों को ₹2.58 करोड़ की राशि का पीआरपी प्रदान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (12 नवंबर 2019) कि

- कंपनी द्वारा अर्जित की गई कुछ आय जैसे प्राप्त किराया, वसूलियां, ब्याज, लाभांश आदि को व्यावसायिक गतिविधियों का ऑफशूट बताया गया है। इसके अलावा, इन्हें अलग से 'अन्य आय' के अन्तर्गत रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि लेखाकरण मानकों के अनुसार अनिवार्य है और इन्हें कुल खर्च घटाकर से बाहर नहीं किया जा सकता है।

- भारत सरकार (जीओआई) लागत डेटा के आधार पर यूरिया पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें स्थायी लागत, निवल अन्य आय शामिल है। तदनुसार ऐसी आय कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है।

- सीपीएसई के लाभप्रदता निष्पादन की निगरानी सरकार द्वारा समग्र स्तर पर की जा रही है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया है और केवल मुख्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है।

उपरोक्त उत्तर को निम्नलिखित के विरुद्ध देखा जाना है:

- डीपीई ने इस बात पर जोर दिया है कि पीआरपी के उद्देश्य के लिए केवल मुख्य गतिविधियों पर विचार किया जाना है और इसलिए ऑफशूट गतिविधियों या गैर-मुख्य गतिविधियों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

---

<sup>4</sup> टीडीआर का अर्थ है हस्तांतरणीय विकास अधिकार जो प्रमाणपत्र के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका मालिक बाद में उपयोग कर सकता है अथवा बाजार में इसका ट्रेड कर सकता है

- यूरिया पर आर्थिक सहायता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया आधार पीआरपी की गणना के लिए मानदंड नहीं हो सकता है। जबकि सरकार द्वारा नीति के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, पीआरपी कर्मचारी लाभ का एक हिस्सा है।
- यद्यपि सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन एक समग्र स्तर पर किया जाता है, लेकिन पीआरपी के भुगतान के लिए डीपीई द्वारा अलग-अलग दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को ₹5.05 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान किया है।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय II: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

#### 2.1 'बेल कर्व एप्रोच' की शर्तों का पालन न करने के कारण निष्पादन संबंधी वेतन का भुगतान

डीपीई दिशानिर्देशों के 'बेल कर्व एप्रोच' की शर्तों का पालन न करने के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 से 2016-17 हेतु अयोग्य कर्मचारियों को ₹38.78 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के माध्यम से, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के अधिकारियों और गैर-संघी पर्यवेक्षकों को परिवर्तनीय वेतन/ निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के निर्धारण हेतु स्वीकार्यता, मात्रा और प्रक्रिया को निर्धारित किया। ओएम के अनुसार, पीआरपी का भुगतान सीपीएसई के मुनाफे और अधिकारियों के प्रदर्शन से सीधा जुड़ा होगा, जिसके लिए प्रत्येक सीपीएसई को एक सुदृढ और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) विकसित करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, सीपीएसई, अधिकारियों की ग्रेडिंग हेतु (बेल कर्व एप्रोच) को अपनाएगा ताकि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक अधिकारी 'उत्कृष्ट' न हों। इसी प्रकार, 10 प्रतिशत अधिकारियों को औसत से कम पर वर्गीकृत किया जाएगा। इस संबंध में, डीपीई ने अपने ओएम, दिनांक 06 जुलाई 2011 को यह स्पष्ट किया था कि 'बेल कर्व एप्रोच' का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना था कि सीपीएसई में 10 प्रतिशत अधिकारियों और गैर-संघी पर्यवेक्षकों को औसत से कम के रूप में ग्रेड दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वर्ष 2010-11 से 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः 27 अक्टूबर 2016, 16 अक्टूबर 2017 तथा 23 अक्टूबर 2018 को पीआरपी के भुगतान को मंजूरी दे दी। पीआरपी के भुगतान हेतु एएआई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि अंतिम 10 प्रतिशत को कोई पीआरपी नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि, एएआई ने 'बिलो-पार' श्रेणी के अंतिम 10 प्रतिशत कर्मचारियों को तीन उप-श्रेणियों अर्थात्, बहुत अच्छा, अच्छा, कम अच्छा के रूप में संशोधित किया और पीआरपी लाभों का क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा शून्य की दर से भुगतान किया गया। इस प्रकार केवल सीमित संख्या के कर्मचारी, जिन्हें उप-श्रेणी के 'कम अच्छे' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें



‘बिलो-पार’ श्रेणी के अंतिम 10 प्रतिशत के तहत आए सभी कर्मचारियों के बजाय पीआरपी प्राप्त नहीं हुआ।

‘बेल कर्व एप्रोच’ की शर्त का पालन न करने के परिणामस्वरूप, वर्ष 2010-11 से 2016-17<sup>1</sup> के बीच अपात्र कर्मचारियों को ₹38.78 करोड़ की राशि का पीआरपी भुगतान किया गया, जो डीपीई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था।

प्रबंधन ने इसके उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि:

- अधिकारियों में हौसला बनाए रखने और संगठन में सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने हेतु ‘श्रमबल सलाहकार बोर्ड’ ने यह निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त पीएमएस के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के दौरान, कुछ मामलों में वह अधिकारी जिन्हें पीएमएस में ‘बहुत अच्छा’ ग्रेड दिया गया था बेलकर्व के अंतिम 10 प्रतिशत में आते थे इसलिए, 10 प्रतिशत श्रेणी के भीतर आने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा, अच्छा और कम अच्छा का उप वर्गीकरण सार्वजनिक उपक्रमों जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, एमएमटीसी आदि के समान प्रस्तावित किया गया था।
- इसके अलावा, डीपीई ने 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन के अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से कम/ खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में 10 प्रतिशत की बलपूर्वक रेटिंग को बंद करने का फैसला लिया है।
- यहां कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा क्योंकि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीआरपी के रूप में भुगतान की तुलना में उक्त अवधि के लिए धन की उपलब्धता और पीआरपी के लिए पात्रता, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप थी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- चूंकि डीपीई ने विशेष रूप से अपने ओएम दिनांक 06 जुलाई 2011 के माध्यम से स्पष्ट किया कि ‘बेल कर्व एप्रोच’ का कड़ाई से पालन किया जाना था और सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना था कि सीपीएसई में 10 प्रतिशत अधिकारियों और गैर-संघटित पर्यवेक्षकों को औसत से कम ग्रेड दिया जाना था और किसी भी पीआरपी का भुगतान नहीं करना था।
- प्रबंधन का यह तर्क दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अनियमित भुगतान करने का औचित्य नहीं हो सकता है कि अन्य सीपीएसयू भी इस प्रथा का पालन कर रही थी। वास्तव में, डीपीई दिशानिर्देशों के ‘बेल कर्व एप्रोच’ की शर्तों का पालन न करने से संबंधित मुद्दा ओएनजीसी, मेकॉन इत्यादि जैसे सीपीएसयू के संबंध में सीएंडएजी की अनुपालन

<sup>1</sup> बेल कर्व एप्रोच को डीपीई द्वारा बंद कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2017-18 से नया पीआरपी मॉडल लागू किया गया था

लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2014 की संख्या 13, 2015 की 21 और 2018 की 11 आदि में दर्शाया गया था।

- मसौदा पैरा का ध्यान केंद्रण 10 प्रतिशत 'बेलो-पार' रेटिंग वाले अयोग्य अधिकारियों को पीआरपी के अनुचित भुगतान पर है, जो डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। इसलिए प्रबंधन का यह तर्क कि कोई वित्तीय बोझ नहीं था, उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अवलोकन 01 जनवरी 2017 से पहले की अवधि तक सीमित है।

इस प्रकार, पीआरपी के भुगतान के संबंध में डीपीई द्वारा जारी 'बेल कर्व एप्रोच' की शर्त का पालन न करने के परिणामस्वरूप, एएआई ने ₹38.78 करोड़<sup>2</sup> का अनियमित भुगतान किया था। यह सिफारिश की गई कि अयोग्य कर्मचारियों को किए गए अनियमित भुगतान की वसूली की जाए।

पैरा मंत्रालय को दिसम्बर 2019 में प्रेषित किया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

## 2.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक ठेकेदार से निर्णीत हर्जाने की कम वसूली

बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर न्यू इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में ठेकेदार द्वारा देरी के कारण ₹9.53 करोड़ की राशि निर्णीत हर्जाने की कम वसूली के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रांची द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड, (एएआई) रांची ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में न्यू इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग (एनआईपीटीबी) के निर्माण कार्य को ₹109.95 करोड़ की अनुबंध कीमत पर एम एस अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (एसीआईएल) को प्रदान किया गया (21 जनवरी, 2009)। एएआई और एसीआईएल के बीच 2 फरवरी 2009 को एक करार किया गया जिसमें पूर्णता की तिथि 30 जनवरी 2010 निर्धारित की गई थी करार के खंड 32 के अनुसार काम पूरा होने में देरी के मामले में, निर्णीत हर्जाना (एलडी) का उद्ग्रहण प्रति सप्ताह विलंब के लिए अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से किया जाएगा जो अनुबंध के मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकता है।

ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सका और एएआई ने दिसंबर 2010 अर्थात निर्धारित समय सीमा पूरा होने के 10 महीने बाद में ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 1238 दिनों की देरी के बाद आखिरकार 21 जून 2013 को काम पूरा कर लिया गया।

<sup>2</sup> 2010-11 - ₹3.03 करोड़; 2011-12 - ₹2.57 करोड़; 2012-13 - ₹2.71 करोड़; 2013-14 - ₹5.73 करोड़; 2014-15 - ₹5.27 करोड़; 2015-16 - ₹7.16 करोड़; और 2016-17 - ₹12.31 करोड़

ठेकेदार ने एलडी उद्ग्रहण के बिना 21 जून 2013 तक समय के विस्तार (ईओटी) देने के लिए, इस दलील पर अनुरोध किया (अक्टूबर 2015) कि एएआई को कोई नुकसान नहीं हुआ था और उन बाधाओं के कारण देरी हुई थी जो उनके नियंत्रण से परे थी। हालांकि एएआई ने 826 दिनों (31 जनवरी 2010 से 5 मई 2012) के लिए बाधा की उचित अवधि के रूप में समय के विस्तार को एलडी की लेवी के बिना मंजूरी देने और बाधा के अनुचित अवधि 412 दिन (6 मई 2012 से 21 जून 2013) के लिए ठेकेदार से ₹1.46 करोड़ का मुआवजा वसूल करने का फैसला किया (नवंबर 2015)। एसीआईएल ने एलडी की कटौती को विवादित कर दिया और मामले को एएआई द्वारा गठित विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) को (30 अगस्त 2016) भेज दिया। डीआरबी ने सिफारिश की (जुलाई 2017) कि ईओटी मामले पर एएआई द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है। एएआई ने ईओटी का पुनः विश्लेषण किया और पहले से अनुमोदित ईओटी में कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश (सितंबर 2018) की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध के खंड 32 के प्रावधानों के अनुसार, चूंकि एसीआईएल काम पूरा करने में 58 सप्ताह (412 दिन) से अधिक की देरी के लिए जिम्मेदार था, अतः ₹10.99 करोड़ की राशि (₹109.95 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) ठेकेदार से एलडी के रूप में वसूली योग्य थी। हालांकि, एएआई ने अनुचित तरीके से देरी के साथ ईओटी के मामलों में लागत निहितार्थ की गणना के लिए (मई 2013) जारी किए गए एक तकनीकी परिपत्र के आधार पर गणना करके केवल ₹1.46 करोड़ वसूल किए। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹9.53 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि अनुबंध समझौते के अनुसार ईओटी के अनुदान हेतु सक्षम प्राधिकारी सदस्य (योजना) था और उसी प्राधिकारी ने तकनीकी परिपत्र जारी किया था ताकि ऐसे मामलों में लागत निहितार्थ/ हानि के लिए एकरूपता हो सके। निर्माण कार्य नियम पुस्तक में भी परिपत्र को शामिल किया गया था। इसलिए यह कहा गया कि अनुचित अवधि के लिए ₹1.46 करोड़ की हानि, अनुबंध समझौते, प्रचलित तकनीकी परिपत्र और एएआई निर्माण कार्य नियम पुस्तक के प्रावधान के अनुरूप संगणित की गई थी और ठेकेदार से न तो एलडी की कम वसूली की गई थी और न ही अनुचित लाभ दिया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि इस मामले पर एक मध्यस्थता, एसीआईएल और एएआई के बीच चल रही है, जहां एक दावा, ₹1.46 करोड़ के प्रतिदाय के लिए है।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है:

- अनुबंध के खंड 32 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि ठेकेदार अनुबंध के मूल्य के प्रतिशत के रूप में एलडी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अनुबंध की शर्तों पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और इसलिए वे ठेकेदार पर

बाध्यकारी थी। खण्ड में एएआई की निर्माण कार्य नियम पुस्तक का कोई संदर्भ नहीं था और इस प्रकार, प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जाता था, जब तक कि किसी भी मामले के स्पष्टीकरण की आवश्यकता न हो।

- हालांकि, अनुबंध समझौता के अनुसार ईओटी के अनुदान के लिए सक्षम प्राधिकारी और तकनीकी परिपत्र को मंजूरी देने वाले एक ही थे, तथापि, अनुबंध के अनुसार सहमति के विपरीत ठेकेदार से एलडी की कम राशि की वसूली करके ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था। इसके अलावा, उत्तर में उद्धृत तकनीकी परिपत्र एसीआईएल के साथ फरवरी 2009 में अनुबंध करने की तारीख से बहुत बाद मई 2013 में जारी किया गया था, और इसलिए स्वचालित रूप से एक समझौते की शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकता था।
- प्रबंधन के उत्तर में निर्दिष्ट मध्यस्थता ठेकेदार के कुछ दावों पर थी, जिसमें एलडी के रूप में वसूले गए ₹1.46 करोड़ के रिफंड के लिए दावा भी शामिल था। यह तथ्य कि मामला मध्यस्थता के तहत है, समझौते के अनुसार एलडी की वसूली करने के लिए एएआई के अधिकार को कम नहीं करता है।

इस प्रकार, एएआई, रांची द्वारा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डे, रांची में न्यू इंडीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग (एनआईपीटीबी) के निर्माण हेतु एक ठेकेदार की तरफ से हुई देरी के लिए ₹9.53 करोड़ की एलडी राशि की कम वसूली, अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध थी और इससे एएआई द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

पैरा मंत्रालय को दिसम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### एयर इंडिया लिमिटेड

#### **2.3 एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रभारित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रति एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अनियमित अवशोषण**

एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस), एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और मंगलोर में एआईएल की एक सहायक कंपनी एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएसएल) सहित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि अध्यक्ष, एआईएसएटीएस द्वारा संशोधित कम दर को अनुमोदित कर दिया गया था, एआईएल ने एएसएल द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए ₹44.88 करोड़ तक के जीएच प्रभारों की विभेदक राशि वहन करी।

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनियों की ऐसी अन्य श्रेणी या श्रेणियों जैसा कि निर्धारित किया गया हो, के निदेशक मंडल

द्वारा लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की उप-धारा 177 (4) के अनुसार, प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट संदर्भ शर्तों के अनुसार कार्य करेगी और संदर्भ शर्तों में शामिल किए जाने हेतु कतिपय मर्दों को निर्दिष्ट किया। अधिनियम की अपेक्षा के अनुपालन में, एआईएल ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था और निदेशक मंडल ने इसकी संदर्भ शर्तों को अनुमोदित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के अनुमोदन या अन्य अनुवर्ती आशोधन शामिल थे।

अप्रैल 2010 में निगमित एआईएसएटीएस, एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और मंगलोर स्टेशनों पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइनों को जीएच सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

एआईएसएटीएस इन पांच स्टेशनों पर एआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एएसएल को भी जीएच सेवाएं प्रदान कर रही है। एएसएल उड़ानों के लिए 2011-2018 की अवधि हेतु एआईएसएटीएस द्वारा प्रभारित प्रति उड़ान जीएच दर ₹9,258 और ₹34,000 के बीच थी। एएसएल को ये दरें बहुत ज्यादा लगी और उसने अध्यक्ष, एआईएसएटीएस को जीएच दर को ₹5,000 प्रति उड़ान तक कम करने के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2016) जैसे कि एआईएल द्वारा पहले प्रभारित की जाती थी और छोटे स्टेशनों पर जीएच सेवाएं प्रदान करने वाली एआईएल की अन्य सहायक कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) द्वारा प्रभारित की जा रही थी। अध्यक्ष, एआईएसएटीएस ने एएसएल से एआईएसएटीएस द्वारा प्रभारित की जाने वाली संशोधित जीएच दर को ₹5,000 प्रति उड़ान प्रस्थान पर अनुमोदित (फरवरी 2016) कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि संशोधित कम दर के लिए एएसएल के अनुरोध को एआईएसएटीएस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था, फिर भी एएसएल द्वारा 2011-12 से 2017-18 की अवधि (दिसम्बर 2017 तक) के दौरान प्राप्त सेवाओं के लिए संशोधित जीएच दर और पूर्व जीएच दर के बीच के अंतर को एआईएसएटीएस द्वारा 2017-18 में एआईएल को प्रभारित किया था। यह भी देखा गया कि एएसएल को दी गई जीएच सेवाओं को अध्यक्ष, एआईएसएटीएस द्वारा निम्न दरों के अनुमोदन के पश्चात की अवधि के लिए भी वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान उच्च दरों पर प्रभारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एआईएल ने संशोधित दरों का निवल प्रभाव वहन किया था जो एआईएल द्वारा प्राप्त नहीं की गई जीएच सेवाओं के लिए 2011-12 से 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) की अवधि के लिए ₹44.88 करोड़ था। इसमें एएसएल को दी गई जीएच सेवाओं के लिए कम दरें लागू करने हेतु अध्यक्ष, एआईएसएटीएस के अनुमोदन के बाद की अवधि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए ₹23.29 करोड़ का विभेदक प्रभार

शामिल था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि ₹44.88 करोड़ की विभेदक राशि के समावेश का निर्णय एयर इंडिया प्रबंधन ने लिया था। एयर इंडिया बोर्ड द्वारा यथावत अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पार्टियों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के अनुमोदन या किसी अनुवर्ती आशोधन के लिए लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक था, जिसका पालन नहीं किया गया।

यह स्वीकार करते हुए कि एआईएल ने संशोधित जीएच दर से सृजित विभेदक प्रभारों का समावेश किया था, प्रबंधन ने बताया (25 सितम्बर, 2019) कि:

- एएसएल द्वारा 5 फरवरी 2016 को किए गए अनुरोध के मद्देनजर, तत्कालीन सीएमडी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से ₹5,000 प्रति उड़ान की दर के आधार पर बिलिंग हेतु एलायंस एयर के लिए अपना अनुमोदन दिया था।
- तथापि, चूंकि एआईएसएटीएस ने ये सभी व्यय किए थे, अतः उपर्युक्त अनुमोदन से सृजित विभेदक राशि को एआईएल द्वारा आवश्यक रूप से समावेशित किया जाना था क्योंकि एएसएल उड़ानों के अभाव में ये लागतें किसी भी स्थिति में एआईएल पर आरोपित होंगी।

निम्नलिखित के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- एआईएल ने उन जीएच सेवाओं की लागत वहन की जो इसने प्राप्त ही नहीं की थी। इसके अलावा, जीएच की ₹5,000 प्रति उड़ान की दर अध्यक्ष, एआईएसएटीएस द्वारा अनुमोदित थी। इस राशि में अध्यक्ष, एआईएसएटीएस द्वारा अनुमोदन के बाद की अवधि के लिए ₹23.29 करोड़ के विभेदक प्रभार शामिल हैं। इसके अलावा, एआईएल द्वारा समावेशित विभेदक राशि पर एआईएल की लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन नहीं है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) के अंतर्गत आवश्यक था।
- प्रबंधन का यह तर्क उचित नहीं है कि अनुमोदन से सृजित विभेदक राशि को एआईएल द्वारा समावेशित किया जाना था क्योंकि एएसएल और एआईएल दोनों दो भिन्न सत्व हैं और एलायंस एयर उड़ाने पूर्णतः प्रचालन में है।

इस प्रकार, एआईएल ने एआईएसएटीएस से इसके द्वारा प्राप्त न ही गई सेवाओं के लिए विभेदक जीएच प्रभारों के प्रति उचित अधिकार के बिना ₹44.88 करोड़ समावेशित करके एआईएसएटीएस को अनुचित लाभ दिया।

पैरा अक्टूबर 2019 में मंत्रालय को जारी किया गया था; और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## 2.4 देयताओं के लंबित अंतिम भुगतान की वसूली कार्यवाहियों के प्रत्याहार द्वारा मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुचित लाभ

मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एयर इंडिया बिल्डिंग में अधिकृत परिसर के बकाया किराए का भुगतान करने में विफल रहा। एयर इंडिया के अनुरोध पर, कलेक्टर के कार्यालय ने वसूली कार्यवाही शुरू की तथा किराएदार की निजी संपत्ति की जब्ती शुरू कर दी। तथापि, एयर इंडिया ने बिना किसी न्यायालय के बाहर समझौता करार के और देयताओं के लंबित अंतिम भुगतान के बिना कलेक्टर के कार्यालय द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाहियों को वापस ले लिया जिससे किराएदार को अनुचित लाभ मिला। ₹7.77 करोड़ की राशि अभी तक बकाया है, जिसकी वसूली संदेहास्पद है।

मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (किराएदार) ने नरीमन पॉइंट मुम्बई पर एयर इंडिया बिल्डिंग में 2,632.39 वर्गफुट क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। किराएदार का लीव एंड लाईसेंस एग्जीमैन्ट फरवरी 1995 में समाप्त हो गया था और किराएदार को 31 मार्च, 1995 को या इससे पूर्व परिसर को खाली करके सौंपने के लिए कहा गया था। चूंकि, किराएदार समापन नोटिस के अनुसार परिसर खाली करने में विफल रहा, अतः उन्हें 1 अप्रैल 1995 से अनधिकृत अधिभोगी माना गया।

सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अनुसार नियुक्त सम्पदा अधिकारी ने 20 मई 1996 को निष्कासन आदेश पारित कर दिया। किराएदार ने निष्कासन आदेश के विरुद्ध सिटी सिविल न्यायालय, मुम्बई में अपील दायर की थी, जिसे जून 2000 में खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, किराएदार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी अपील की थी, जो दिसम्बर, 2000 में खारिज कर दी गई थी। किराएदार ने 30 जून, 2001 को परिसर खाली कर दिया। सम्पदा अधिकारी ने क्षतिपूर्ति कार्यवाही की थी और 01 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2008 की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज (₹6.36 करोड़) सहित 1 अप्रैल, 1995 से 30 जून 2001 की अवधि के लिए ₹300 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर पर (₹5.38 करोड़) जो कुल ₹11.74 करोड़ बनता है और उसके बाद भुगतान की तिथि तक क्षतिपूर्ति/ मध्यवर्ती लाभ देने हेतु आदेश पारित किया था (सितम्बर, 2008)।

किराएदार ने मध्यवर्ती लाभों के विरुद्ध सिटी सिविल न्यायालय में अपील की और न्यायालय ने वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ अप्रैल 1995 से जून 2001 तक ₹175 प्रति वर्ग फुट की दर पर मध्यवर्ती लाभ प्रदान किया (अगस्त, 2010)। किराएदार ने डिविजन बैंच, बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने इस मामले में अंतरिम राहत देने से मना कर दिया (जुलाई 2011)।

सम्पदा अधिकारी ने कंपनी से देयताओं की वसूली के लिए कलेक्टर कार्यालय, मुंबई में अनुरोध किया (मार्च/ जून 2014)। कलेक्टर के कार्यालय ने किराएदार को मांग का नोटिस

भेजा (जुलाई 2014)। किराएदार ने कलेक्टर के जब्ती नोटिस को खारिज करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया (अगस्त, 2014)। किराएदार ने इस प्रभाव के साथ एक हलफनामा/ शपथपत्र भी दायर किया कि वे सुनवाई लंबित रहने और रिट याचिका के अंतिम निपटान तक उनके परिसर (1720 वर्ग फुट माप वाला फ्लैट, प्रभादेवी, मुम्बई में स्थित जिसका मूल्य ₹10 करोड़ से अधिक है) को हस्तांतरित नहीं करेंगे। अपील निरस्त कर दी गई (सितम्बर, 2014) और न्यायालय ने भुगतान के लिए अक्टूबर 2014 के अंत तक का समय दिया जिसे 9 जनवरी 2015 तक आगे बढ़ा दिया गया। किराएदार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जिसे 27 जनवरी, 2015 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद किराएदार ने कलेक्टर के कार्यालय, मुम्बई में ₹1.25 करोड़ जमा (मार्च 2015) कर दिए।

हालांकि, एयर इंडिया ने कलेक्टर कार्यालय से किरायेदार के प्रति वसूली/ कुर्की की कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2015) और बकाया राशि की वसूली करने हेतु जून 2014 में जारी राजस्व वसूली प्रमाणपत्र यह कहते हुए वापस ले लिया, कि मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा रहा था। तदनुसार, कलेक्टर कार्यालय ने वसूली की कार्रवाई वापस ले ली। हालांकि किरायेदार ने मई 2016 में ₹1.50 करोड़ के एकमुश्त प्रेषण को छोड़कर अपने बकायों का निपटान नहीं किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम राहत देने/ स्टे लगाने से इनकार कर दिया था (जुलाई 2011), यद्यपि, एयर इंडिया ने मार्च 2014 में ही कलेक्टर कार्यालय के साथ वसूली की कार्यवाही शुरू की, इससे कार्यवाही में लगभग तीन वर्ष का विलंब हुआ। एयर इंडिया ने किराएदार के साथ किसी भी प्रकार का अदालत के बाहर समझौता करार किए बिना वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए कलेक्टर कार्यालय को सूचित करके भूल की थी और जबकि किराएदार की निजी संपत्ति पहले की कलेक्टर कार्यालय द्वारा सील कर दी गई थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2018) कि:

- वसूली की कार्यवाही रोकने और कलेक्टर कार्यालय को दिए गए नोटिस को वापस लेने का निर्णय किराएदार के ई-मेल (दिनांक 5 अगस्त, 2015) के आधार पर लिया गया था, जिसमें 6 प्रतिशत साधारण ब्याज एवं तहसीलदार को जारी किए गए नोटिस को वापस लेने के साथ ₹175 प्रति वर्ग फुट के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था।

- यह मामला 23 नवम्बर 2015 को आयोजित 70<sup>वीं</sup> बैठक में बोर्ड के सामने रखा गया और बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया। इससे पूर्व, बोर्ड ने 4 फरवरी 2014 को आयोजित



अपनी 57<sup>वीं</sup> बैठक में, एयर इंडिया को बेदखल किए गए किराएदारों के साथ विवादों के संबंध में अदालत के बाहर समझौते करने के लिए निर्देशित किया था।

- उक्त परिस्थितियों में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज के साथ अदालत के बाहर समझौता किया गया लगता है।

निम्नलिखित परिदृश्य में प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- किराएदार ने कंपनी के पास लंबित बकाया जमा नहीं किया था। इसलिए एक ई-मेल अनुरोध पर वसूली की कार्यवाही को रोकने का निर्णय एयर इंडिया के वित्तीय हित के विपरीत था।

- एयर इंडिया ने 23 नवम्बर 2015 को आयोजित बैठक में अदालत के बाहर निपटान हेतु किराएदार के प्रस्ताव को बोर्ड के सामने रखा। हालांकि, बोर्ड को एयर इंडिया द्वारा वसूली की कार्यवाही को रोकने के निर्णय के विषय में सूचित नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने कलेक्टर कार्यालय को अक्टूबर 2015 में किराएदार के प्रति वसूली कार्यवाही निरस्त करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, अदालत के बाहर निपटारे से संबंधित मामले में बोर्ड को अवगत कराने से पहले प्रबंधन ने यह निर्णय लिया था।

- वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए कलेक्टर कार्यालय को निर्देशित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति न तो अभिलेख में मिली और न ही कंपनी द्वारा इसे स्पष्ट किया गया।

इस प्रकार, एयर इंडिया किराएदार से ₹7.77 करोड़ की शेष बकाया राशि नहीं वसूल सकी (दिसम्बर 2019), जिसकी उगाही संदिग्ध है। किराएदार से बकाया राशि प्राप्त किए बिना वसूली/ कुर्की की कार्यवाही वापस लेने का एयर इंडिया का निर्णय कंपनी के बेहतर वित्तीय हित में नहीं था तथा किराएदार का अनुचित पक्ष लेने के समान था।

पैरा दिसम्बर 2019 में मंत्रालय को जारी किया गया था; और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय III: कोयला मंत्रालय

### महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

#### 3.1 खनन अनुबंध के तहत ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खनन अनुबंध के तहत, जनवरी 2013 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान, अनुबंध की शर्तों के अनुसार खनन शुल्क में शामिल बिजली लागत और बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर ठेकेदार से वसूली गई राशि के बीच के अंतर के कारण ठेकेदार को ₹45.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), कोयले के उत्पादन के लिए खनन गतिविधियों में लगी हुई है। एमसीएल ने जगन्नाथ क्षेत्र की भुवनेश्वरी ओपनकास्ट परियोजना के संबंध में अधिभार हटाने तथा कोयले के निष्कर्षण, परिवहन तथा अन्य संबंधित कार्यों की आउटसोर्सिंग हेतु सफल बोली दाताओं के लिए देय खनन शुल्क की दर का अनुमान लगाने हेतु एक समिति का गठन (फरवरी 2008 में) किया था। समिति ने कार्य में शास्ति लागत के विभिन्न घटकों (जैसे, संयंत्र और मशीनरी के पुर्जों, पेट्रोल, तेल और स्नेहक, श्रम, विस्फोटक और विद्युत) पर विचार करते हुए कार्य की अनुमानित लागत के रूप में ₹132.97 प्रति टन खनन शुल्क निर्धारित (मई 2008) किया।

एमसीएल ने मैसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कंसोर्टियम (ठेकेदार), को ₹128.70 प्रति टन के खनन शुल्क सहित कार्य के लिए आमंत्रित निविदा (दिसम्बर 2008) के लिए एल 1 बोलीदाता होने के कारण कार्य आदेश दिया (जुलाई 2010)। अनुबंध में 15 साल (2011-12 से 2025-26) की अवधि में 193.40 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार को हटाने और 269.50 मिलियन टन कोयले का निष्कर्षण शामिल था। अनुबंध का मूल्य ₹3,468.47 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्व में एमसीएल द्वारा किए गए खनन ठेकों में विद्युत घटक को खनन शुल्क में शामिल नहीं किया गया था। एमसीएल द्वारा ठेकेदार को बिजली उपलब्ध कराई गई थी और वास्तविक उपभोग के आधार पर इसका भुगतान ठेकेदार से वसूल किया गया था। हालांकि, इस अनुबंध में, बिजली घटक खनन शुल्क में शामिल किया गया था। एमसीएल ने ठेकेदार द्वारा खपत की गई बिजली के लिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय यूटिलिटी ऑफ ओडिशा (सीईएसयूओ) द्वारा दिए गए बिजली बिलों का निपटारा किया और ठेकेदार से इसकी वसूली की। इस प्रकार खनन शुल्क में बिजली

घटक की राशि और बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर ठेकेदार से वसूली गई राशि के बीच भारी अंतर था। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान, खनन शुल्क में बिजली घटक के लिए ठेकेदार को कुल ₹53.39 करोड़ के भुगतान के मुकाबले, एमसीएल ने वास्तविक बिजली खपत के लिए ठेकेदार से केवल ₹8.22 करोड़ की वसूली की और इस प्रकार ठेकेदार को ₹45.17 करोड़<sup>1</sup> (*अनुलग्नक-1*) का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि, विभिन्न मुद्दों जैसे भूमि, बेंचों के स्वरूप आदि के कारण बिजली के उपकरणों की अनुपस्थिति में बेल्ट कन्वेयर की दो स्ट्रीम्स के माध्यम से कोयले के परिवहन के लिए ठेकेदार को विद्युतीय रूप से संचालित कन्वेयर बेल्ट के एवज में डीजल-संचालित उपकरणों के उपयोग पर खर्च करना पड़ा। विद्युत द्वारा संचालित उपकरणों के स्थान पर डीजल से संचालित उपकरणों के उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को नहीं की गई थी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदार से अतिरिक्त लागत के बिना आकस्मिक घटनाओं पर ध्यान न देते हुए एक पारस्परिक रूप से सहमत स्थान/स्टॉकयार्ड पर कोयले की सुपुर्दगी करना अपेक्षित था। इसके अलावा, अनुबंध के तहत विवेकहीन प्रावधानों के कारण, बिजली की खपत के लिए ठेकेदार से वसूली की गई वास्तविक राशि, खनन शुल्क के तहत बिजली घटक के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि से काफी कम थी। ठेकेदार को अनुबंध के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2020) में प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि निविदा में समग्र आधार पर पेश की गई सबसे कम लागत को निविदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। अनुमान के अन्य सभी इनपुट लागत मापदण्डों को छोड़कर एकल इनपुट लागत पैरामीटर यानि अनुमान के विद्युत घटक पर विश्लेषण सही नहीं है क्योंकि ठेकेदार इनपुट संसाधनों के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर ऑडिट ऑब्सर्वेशन से संबंधित नहीं है क्योंकि इस में सबसे कम लागत देने वाले ठेकेदार के चयन को चुनौती नहीं दी गई है। चूंकि अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार एमसीएल बिजली व्यवस्था और इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार है, तथा खनन शुल्क में विद्युत लागत घटक को शामिल करना विवेकपूर्ण नहीं था। इसमें बिजली की लागत की राशि खनन शुल्क में शामिल है और वास्तव में बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर ठेकेदार से वसूली राशि में महत्वपूर्ण अंतर हुआ। कंपनी को खनन शुल्क में

<sup>1</sup> खनन शुल्क में शामिल बिजली लागत घटक के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान निकाले गए कोयले को शामिल नहीं किया गया

शामिल किए जाने वाले लागत घटक की समीक्षा करनी चाहिए ताकि ठेकेदार को अनुबंध के तहत कोई अतिरिक्त लाभ न मिल सके।

इस प्रकार, खनन अनुबंध के तहत अनुचित प्रावधानों से ठेकेदार को ₹45.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

### एनएलसी इंडिया लिमिटेड

#### 3.2 खदान-II के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में आउटसोर्सिंग उत्खनन पर परिहार्य व्यय

आवश्यकता के सही आकलन के बिना, खदान-II के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में लिग्नाइट उत्खनन के आउटसोर्सिंग अनुबंध के परिणामस्वरूप ₹28.74 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के दो थर्मल पावर स्टेशनों (टीपीएस) अर्थात् टीपीएस-II और टीपीएस-II विस्तार के लिए लिग्नाइट की आवश्यकता, दो खदानों अर्थात् खदान-II और खदान-II विस्तार से पूरी की जाती थी। दोनों टीपीएस द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए कुल लिग्नाइट आवश्यकता 13.24 मिलियन टन (एमटी) थी। खदान-II और विस्तार प्रभाग (एमआईआईडी) ने उक्त वर्ष के लिए दोनों खदानों से 13.3 एमटी लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान लगाया। इसके अलावा, माइन II में उपलब्ध लिग्नाइट का शुरुआती स्टॉक 0.83 एमटी था। इस प्रकार, 2015-16 के दौरान दोनों टीपीएस के संचालन के लिए उपलब्ध लिग्नाइट की कुल अनुमानित मात्रा 14.13 एमटी थी।

मार्च 2015 के दौरान, एमआईआईडी ने अनुमान लगाया कि, लिग्नाइट की आवश्यकता 14.7 एमटी होगी और कमी को पूरा करने के लिए खदान-II के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में लिग्नाइट उत्खनन को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, कंपनी के औद्योगिक इंजीनियरिंग विंग (आईई) ने उक्त प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया, (जुलाई 2015) कि दोनों टीपीएस की अनुमानित आवश्यकता केवल 13.91 एमटी होगी और एमआईआईडी द्वारा अनुमानित 14.7 एमटी नहीं होगी। आईई विंग ने यह भी सुझाव दिया कि आउटसोर्सिंग के बजाय विभागीय मशीनरी का उपयोग करके कमी को पूरा किया जा सकता है।

एमआईआईडी ने समान मात्रा की आवश्यकता वाले आउटसोर्सिंग प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत (29 जुलाई 2015) किया और 08 सितंबर 2015 को निदेशक (खदान) की स्वीकृति प्राप्त की क्योंकि वर्तमान उपकरणों को अन्य खदानों में स्थानांतरित करना था। तदनुसार, कंपनी ने खुली निविदा आमंत्रित की (अक्टूबर 2015) और मैसर्स महालक्ष्मी इंफ्राकंस्ट्रैक्ट प्राइवेट लि. को ₹26.29 करोड़ की लागत पर खदान-II के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र

में 1.5 एमटी लिग्नाइट की खुदाई के लिए और इसके डंप स्थलों तक परिवहन हेतु आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट (दिसंबर 2015) प्रदान किया। मार्च 2017 में, अनुबंध ₹28.74 करोड़ के वास्तविक व्यय के साथ पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के लिए, लिग्नाइट का शुरुआत स्टॉक (0.83 एमटी), खदान-II से उत्खनित लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा (12.15 एमटी) और माइन I ए से परिवहन की गई मात्रा (0.9 एमटी<sup>2</sup>) से कुल 13.88 एमटी थी जो दोनों टीपीएस की लिग्नाइट की आवश्यकता (एएपी के अनुसार 13.24 एमटी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। यह देखा गया कि इन दोनों टीपीएस द्वारा 2015-16 के दौरान इस्तेमाल किए गए लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा केवल 12.52 एमटी थी। इसके अलावा, वर्ष<sup>3</sup> 2016-17 के लिए भी स्वयं की खुदाई और खदान-Iए से परिवहन के माध्यम से उपलब्ध लिग्नाइट, दोनों टीपीएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग उत्खनन के बिना भी दोनों टीपीएस को संचालित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध था। उपरोक्त तथ्यों को जानने के बावजूद, लिग्नाइट उत्खनन के लिए आउटसोर्सिंग अनुबंध किया गया था, जो परिहार्य था। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग अनुबंध के माध्यम से खुदाई की गई मात्रा के कारण इन्वेंट्री की ओवरस्टॉकिंग हो गई और अंततः लिग्नाइट की गुणवत्ता में गिरावट आई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2018) कि विभागीय मशीनों की अनुपलब्धता का लिग्नाइट एक्सपोजर पर प्रभाव पड़ा, कुछ विभागीय मशीनों के प्रदर्शन में कमी आई और निवेश से बचने हेतु आउटसोर्सिंग शुरू की गई। इसके अलावा, उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु माइन-Iए में लिग्नाइट उत्पादन को बनाए रखना था क्योंकि कम उत्पादन से लागत में वृद्धि हो सकती थी। इसके अलावा, खदान-Iए में उपलब्ध लिग्नाइट स्टॉक का अन्य खदानों में उपयोग किया जाना था। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग अनुबंध देने से काफी राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप खदान-II के लाभ में वृद्धि हुई।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता है क्योंकि आवश्यक उत्पादन को विभागीय मशीनों के साथ प्राप्त किया जा सकता था। लेखा परीक्षा टिप्पणी, खदान-II के संबंध में परिहार्य आउटसोर्सिंग के विषय में थी, न कि खदान-Iए में उत्पादन के विषय में। हालाँकि, यदि कंपनी को खदान-Iए में लिग्नाइट उत्पादन को बनाए रखने की आवश्यकता तो, थी उसे पूरी कंपनी के लिग्नाइट के लक्ष्यों और आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए था,

<sup>2</sup> सितंबर 2015 में, कंपनी ने खदान-Iए से खदान-II तक 0.7 एमटी लिग्नाइट परिवहन करने के लिए एक अनुबंध का निर्णय किया, जिसे बाद के वर्ष में नवीनीकृत किया गया। जुलाई 2015 में खदान-Iए से खदान-II तक 0.2 एमटी लिग्नाइट के परिवहन के लिए एक और अनुबंध प्रदान किया गया था

<sup>3</sup> 2016-17- एएपी के अनुसार लिग्नाइट की आवश्यकता - 13.87 एमटी; लिग्नाइट वास्तव में इस्तेमाल किया - 13.63 एमटी, लिग्नाइट उपलब्ध- 14.93 एमटी

और दूसरी खदान में लिग्नाइट की आउटसोर्सिंग उत्खनन से बचना चाहिए था। राजस्व सृजन और लाभ में वृद्धि पर दिया गया उत्तर भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यह केवल खदान-II की सूचक स्थिति है। खदान-II में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिग्नाइट को अधिक उत्पादन भले ही खदान-II को बेहतर वित्तीय स्थिति प्रदान करता हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक स्टोर करने के कारण लिग्नाइट की गुणवत्ता में कमी आयी, जैसा कि कंपनी के आंतरिक नोट में वर्णित है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन समय और टीपीएस के उपयोग क्षमता के आधार पर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने 'एनएलसी खदानों हेतु स्थानांतरण कीमत निर्धारण पर दिशानिर्देश' में यह कहा है कि कार्यशील पूंजी की गणना के लिए, खदानों में लिग्नाइट की माल सूची को 20 दिनों के उत्पादन के लिए, सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा इसकी भी अनदेखी की गई है।

इस प्रकार, 2015-16 और 2016-17 के दौरान दोनों टीपीएस की लिग्नाइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल उपलब्ध मात्रा पर्याप्त थी। इसलिए आउटसोर्सिंग उत्खनन अनुबंध अनुपयुक्त और अनुचित था। इससे ₹28.74 करोड़ का व्यय हुआ जो परिहार्य था। मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### एनएलसी तमिल नाडु पावर लिमिटेड

#### 3.3 विलम्ब-शुल्क का परिहार्य भुगतान

समझौते के उल्लंघन में मैसर्स एसआईसीएल लाजिस्टिक लिमिटेड को ₹8.97 करोड़ के विलम्ब-शुल्क का परिहार्य भुगतान।

एनएलसी तमिल नाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ने तमिल नाडु के तूतीकोरिन में कोयले पर आधारित 500 मेगावाट बिजली संयंत्र की दो इकाइयाँ चालू की (जून 2015 और अगस्त 2015)। एनटीपीएल ने देशी और आयातित कोयले के माध्यम से बिजली संयंत्रों की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एनटीपीएल ने भुवनेश्वरी कोल माइंस, ओडिशा से तूतीकोरिन पोर्ट (पोर्ट) तक स्वदेशी कोयले के परिवहन के लिए मैसर्स एसआईसीएल लाजिस्टिक लिमिटेड (एसआईसीएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए (जुलाई 2013), जो अक्टूबर 2018 तक वैध था।

समझौते के खंड 2.30 में प्रावधान था कि पोर्ट पर स्वदेशी कोयले की सुपुर्दगी के लिए एसआईसीएल जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, समझौते के खंड 2.43 में परिकल्पना की

गई थी कि ठेकेदार द्वारा स्टीयरिंग, हैंडलिंग और परिवहन संचालन के संबंध में आयोजित परिवहन/ उपकरण, श्रम और अन्य सक्षम सुविधाओं के लिए किसी भी क्षति/ विलम्ब-शुल्क/ डिटेंशन/ निष्क्रिय प्रभारों का दावा किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को देय नहीं होगा। समझौते के अनुसार (खंड 8.1), एसआईसीएएल को एनटीपीएल की ओर से अग्रिम रूप से तिमाही-वार निर्धारित लोडिंग कार्यक्रम तैयार करना था। इसके अलावा, एनटीपीएल के पास 15 दिनों की पूर्व सूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित करने का विकल्प था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसआईसीएएल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की तैयारी न करने और निर्धारित कार्यक्रम के विपरीत कोयले का आयात करने वाले अन्य ठेकेदारों द्वारा अधिक मात्रा में कोयले की आपूर्ति, के परिणामस्वरूप पोर्ट पर दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान जहाजों का समूहीकरण और जहाजों की पूर्व- बर्थिंग हो गई। एसआईसीएएल ने जहाजों की पूर्व बर्थिंग के लिए पोर्ट पर विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया और एनटीपीएल से इसका दावा (जुलाई 2017) किया। एनटीपीएल ने समझौते के खंड के विपरीत इन प्रभारों के लिए एसआईसीएएल को ₹8.97 करोड़ की प्रतिपूर्ति की (जनवरी 2018)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि बिजली कंपनियों को कोयले की आपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा उनके उत्पादन स्तर, कोयले की उपलब्धता के आधार पर हुए नियंत्रित होती है न कि उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए निर्धारित कार्यक्रम पर। इसके अलावा, हर बिजली उत्पादक कंपनी आगामी बरसात के मौसम के अधिकतम उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान कोयले के स्टॉक को अधिकतम करने की कोशिश करती है। इसके अलावा, समझौता खंड में संशोधन किया गया था (दिसंबर 2015 में) और तूतीकोरिन पोर्ट पर जहाजों से माल उतारने में देरी से संबंधित विलम्ब-शुल्क के भुगतान के लिए एक नया खंड<sup>4</sup> जोड़ा गया था और इसलिए, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर को इन तथ्यों के प्रति देखा जाना चाहिए कि:

- समझौते के मूल खंड 2.43 के अनुसार, एनटीपीएल द्वारा ठेकेदार को किसी भी विलंब शुल्क के लिए किसी दावों का भुगतान नहीं किया जाना था। उपर वर्जित जोड़ा गया नए खंड, केवल पश्चात बर्थिंग विलंब के लिए था और जहाजों के पूर्व-बर्थिंग विलंब/ अवरोधन के लिए लागू नहीं था। इस प्रकार, पूर्व-बर्थिंग के लिए था अर्थात् संपादन प्रक्रिया से पूर्व विलंब के लिए विलम्ब-शुल्क का भुगतान करना समझौते के उल्लंघन में था।

<sup>4</sup> संशोधन संख्या 1 दिनांक 14 दिसम्बर 2015 खंड सं-1.0 xxxi समझौते की धारा IV में

- कोयला आपूर्ति को मैसर्स महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) और एनटीपीएल के बीच किए गए कोयला आपूर्ति समझौते द्वारा विनियमित किया गया था। इस प्रकार, एमसीएल स्वतः आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को बदल नहीं सकता।
- एनटीपीएल ने दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान एसआईसीएल या एमसीएल को कोयले की अधिक/ अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।
- एसआईसीएल द्वारा शेड्यूल की तैयारी न करने और कोयले का आयात करने वाले अन्य ठेकेदारों द्वारा कोयले की अधिक मात्रा में आपूर्ति करने, के परिणामस्वरूप पोर्ट पर जहाजों का समूहीकरण हुआ और जिसके कारण विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, एनटीपीएल ने समझौते के उल्लंघन में एसआईसीएल को ₹8.97 करोड़ के विलम्ब-शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

मंत्रालय को मामला मई 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।



## अध्याय IV: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

### गवर्नमैन्ट ई-मार्केटप्लेस

#### 4.1 गवर्नमैन्ट ई-मार्केटप्लेस की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

##### 4.1.1 प्रस्तावना

1951 से, भारत सरकार (जीओआई) के आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी), केंद्रीय खरीद संगठन ने आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले माल की अधिप्राप्ति के लिए सरकारी उपयोगकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए संपर्क का एक बिंदु प्रदान किया। डीजीएसएंडडी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप कार्यरत है।

परिचालनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, फरवरी 2016 में सरकारी क्रेताओं के लिए एक ऑन लाइन शुरू से अंत तक अधिप्राप्ति प्रणाली के रूप में एक वन-स्टॉप दुकान की परिकल्पना की गई थी। सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकारी संगठनों/ विभागों/ पीएसयू द्वारा विभिन्न माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने का निर्णय लिया था। बाद में, गवर्नमैन्ट ई-मार्केटप्लेस (जैम) को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 17 मई 2017 को निगमित किया गया था और बदले में डीजीएसएंडडी को 31 अक्टूबर 2017 को परिसमाप्त किया गया था। जैम विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) जैम प्लेटफॉर्म के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जो आमतौर पर उपयोग के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रालय/ विभागों, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू एंड एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थाओं और सांविधिक और संवैधानिक निकायों के लिए एक शुरू से अंत तक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रदान करता है।

जैम अनुप्रयोग (नया संस्करण) (जिसे जैम संस्करण 3.0 भी कहा जाता है) का 26 जनवरी 2018 से परिचालन किया गया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जैम के माध्यम से खरीद को और सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम (सं. 149) के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है और अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के रूप में जैम एसपीवी एक पारदर्शी और कुशल तरीके में आमतौर पर प्रयुक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभाग, केंद्रीय एवं राज्य पीएसयू, स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक शुरू से अंत तक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रदान करेगा। जैम एक प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के साथ व्यवसायिक रूप से प्रबंधित होगा, जो मार्केट


प्लेस के विकास, प्रबंधन और परिचालन के लिए जिम्मेदार होगा और एसपीवी के समग्र नियंत्रणाधीन होगा।

जैम एसपीवी के औचित्य में डीजीएसएंडडी के दर ठेका प्रणाली (जैसे कोई मांग समुच्चयन नहीं, व्यवसायी समूहन को प्रोत्साहित करना, केवल उत्पादों तक ही सीमित रहना, डीजीएसएंडडी या एनएसआईसी<sup>1</sup> के साथ पंजीकृत फर्मों तक सीमित, भुगतान प्रक्रिया का गैर-एकत्रीकरण, भुगतानों में देरी, गैर-गतिशील कीमतें, दर ठेको के संचालन की सीमित पैमाना) में कमियां शामिल थी।

राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के रूप में जैम एसपीवी की स्थापना और निधीयन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन (अप्रैल 2017) के अनुसार, जैम एक मापनीय प्रणाली है और पूर्णरूप से ऑनलाइन, पारदर्शी और प्रणाली चलित होने के कारण, दर ठेका प्रणाली के साथ आने वाली समस्याओं पर ध्यान देती है। जैम विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया श्रृंखला को ठीक विक्रेता पंजीकरण से लेकर, क्रेता द्वारा मद का चयन, आपूर्ति ऑर्डर तैयार करना और परेषिती द्वारा माल/ सेवाओं की प्राप्ति को कवर करता है।

बड़े आर्डरों के लिए, प्रणाली क्रेताओं को स्वचालित रूप से बोली लगाने/ प्रति नीलामी के लिए निर्देशित करता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में पूरी होगी। कीमत पारदर्शिता लाने के लिए जैम द्वारा प्रमुख ई-कामर्स पोर्टलों के साथ कीमत तुलना भी उपलब्ध कराई जाती है।

जैम पर मांग एकत्रीकरण का विकल्प सरकारी उपयोगकर्ताओं को बाजार में सर्वोत्तम कीमत निकालने की अनुमति देता है जिससे सार्वजनिक अधिप्राप्ति अधिक प्रभावी हो जाती है।



चित्र 4.1.1: जैम पर दिए गए ऑर्डर


मार्च 2019 तक जैम संस्करण 3.0 के माध्यम से कारोबार संबंध में, ₹16286.99 करोड़<sup>2</sup> मूल्य के कुल 13.81 लाख ऑर्डर विभिन्न क्रेता संगठनों<sup>3</sup> द्वारा जैम के माध्यम से दिए गए थे।

<sup>1</sup> एनएसआईसी: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

<sup>2</sup> उन आदेशों को छोड़कर जो मांग निर्माण चरण के तहत थे

<sup>3</sup> 30 मार्च 2020 तक, यह संचयी मूल्य ₹51,467 करोड़ मूल्य के 38.38 लाख ऑर्डर (मांग सृजन चरण के तहत ऑर्डरों सहित) तब बढ़ गया था, जो मार्च 2019 तक स्थिति से काफी वृद्धि को दर्शाता है

इसके अलावा, इस समय तक, लगभग 8.85 लाख उत्पादों और 0.07 लाख सेवाएं अधिप्राप्ति<sup>4</sup> के लिए उपलब्ध थी।



चित्र 4.1.2: उत्पादों और सेवाओं की संख्या

#### 4.1.2 संगठनात्मक संरचना

जैम की अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है जिसका सात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, एक मुख्य तकनीकी अधिकारी और बारह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। इन अधिकारियों की आगे कार्यकारियों और स्टाफ द्वारा सहायता की जाती है जो सभी मॉड्यूलों और जैम अनुप्रयोग के परिचालन को देखता है।

#### 4.1.3 जैम अनुप्रयोग का विकास और कार्यान्वयन

जैम का प्रायोगिक चरण राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) की तकनीकी सहायता से डीजीएसएंडडी द्वारा विकसित किया गया था। एनईजीडी को जैम प्रायोगिक चरण के परिचालनात्मक पहलुओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के भाग के रूप में शामिल किया गया था। पायलेट, जब तक कि पूर्ण-विकसित जैम को क्रियात्मक नहीं किया जाता, तब तक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिसे केवल 120 उत्पादन श्रेणियों और एक सेवा श्रेणी में कैटरिंग देते हुए, जैम समाधान की कार्यात्मकताओं के सीमित सेट के साथ 09 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था।


इसके बाद, जैम अनुप्रयोग के पूर्ण-विकसित संस्करण के लिए, डीजीएसएंडडी ने सीमित निविदा के माध्यम से, एक उपयुक्त प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के चयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) तैयार करने के लिए ₹49.36 लाख (मार्च 2016) की लागतपर मैसर्स पीडब्ल्यूसी को लगाया गया। डीपीआर और मसौदा आरएफपी को क्रमशः जुलाई 2016 और जनवरी 2017 में मैसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। खुली निविदाओं के आधार पर मैसर्स इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड (मैसर्स इंफीबीम इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड साझेदार के साथ) मैसर्स टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ नेटवर्क सेवा प्रदाता के रूप में, एक संघ को प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के रूप में चयनित किया गया था और जैम अनुप्रयोग के डिजाइन, विकास कार्यान्वयन, परिचालन और अनुरक्षा के लिए 31 अगस्त 2017 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

<sup>4</sup> 30 मार्च 2020 तक, यह बढ़कर 22.00 लाख उत्पाद एवं 0.25 लाख सेवाएं हो गई थी

आरएफपी की शर्तों के अनुसार, परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया था - चरण 1 और 2 जिस को करारों पर हस्ताक्षर करने के क्रमशः छह और दस महीने के अन्दर प्राप्त किया जाना था, जिसके बाद पांच वर्षों के लिए एमएसपी द्वारा अनुप्रयोग का परिचालन और अनुरक्षण किया गया। चरण 1 में ई-कामर्स मार्केट प्लेस, ई-अनुबंध, ई-निविदा, सीआरएम कार्यान्वयन, तकनीकी हेल्पडेस्क एवं संपर्क केन्द्र और सीमित क्रेता, विक्रेता, उत्पादों और सेवा प्रबंधन के लिए अनुप्रयोग विकास को कवर किया गया है जबकि चरण-॥ में शेष क्रियात्मकता और कार्यक्षेत्र को कवर किया गया।


चरण-॥ का कार्यान्वयन 26 जनवरी 2018 (यानि निर्धारिततिथि से एक महीने पहले) को ही शुरू हो गया जबकि चरण-2 गो लाइव को दिसम्बर 2018 में प्राप्त किया गया था।

**4.1.3.1 जैम में कार्यान्वित माइयूलस:** ई-अधिप्राप्ति में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए, अन्य सहायक माइयूल<sup>5</sup> के अलावा, निम्नलिखित माइयूल कार्यान्वित किए गए हैं जो जैम के माध्यम से सीधे अधिप्राप्ति में संबंधित हैं:



चित्र 4.1.3: जैम में कार्यान्वित माइयूलस

**4.1.3.2 जैम में शामिल प्रक्रिया:** जैम में अधिप्राप्ति प्रक्रिया क्रेता/ विक्रेताओं के पंजीकरण के साथ शुरू होती है और विक्रेताओं को भुगतान पर समाप्त होती है, यदि कोई घटना उक्त आदेश के प्रति नहीं उठाई जाती है।



चित्र 4.1.4: जैम पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया

<sup>5</sup> जैसे कि खरीदारों और विक्रेताओं/सेवा प्रदाता की रेटिंग 'और GeM विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

प्रक्रिया में चरणों को चित्र 4.1.4 में रेखाचित्र से दर्शाया गया है।

जैम प्लेटफार्म तीन मुख्य खरीदतरी के प्रदानकरता है - ₹50,000 (अब ₹25,000) तक के आदेशों के लिए सीधी खरीद, ₹50,000 से ₹30,00,000 (अब ₹25,000 से ₹500,000) तक के बीच के आदेशों के लिए एल<sub>1</sub> के साथ सीधी खरीद और ई-बोली/ रिजर्व नीलामी (आरए) जो ₹30,00,000 (अब ₹5,00,000) के ऊपर के आदेश मूल्यों के लिए अनिवार्य प्लेटफार्म पर माल और सेवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोली के लिए क्रेताओं को अनुमति देता है।

#### 4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को यह निर्धारण करना था:

- क्या सरकारी अधिप्राप्ति और उपयोगकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं के संबंध में भारत सरकार के नियमों विनियमों और क्रियाविधियों का निर्धारण किया गया था और जैम के विकास और कार्यान्वयन में विधिवत शामिल किया गया था;
- क्या उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था;
- क्या ई-अधिप्राप्ति प्रणाली के लिए कार्यात्मक, गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं जैसा कि आरएफपी, भारत सरकार के दिशानिर्देश, जीएफआर में निर्दिष्ट था, को कार्यान्वित किया गया था;
- क्या कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य अनुप्रयोग नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जैम के मुख्य मॉड्यूल<sup>6</sup> के डेटा का विश्लेषण किया, जो कि जैम संस्करण 3.0 अर्थात् 26 जनवरी 2018, के गो-लाइव के चरण-1 से 31 मार्च 2019 तक (माइग्रेट डेटा सहित) की अवधि के लिए है। डेटा के नमूनों का विश्लेषण आवश्यकता के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने जैम अनुप्रयोग संस्करण 3.0 के विकास, कार्यान्वयन और परिचालन से संबंधित रिकॉर्डों की जांच की। लेखापरीक्षा ने जैम पर पंजीकृत क्रेताओं और विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के “उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण” भी किया। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में एमएसपी के चयन के लिए संविदा प्रक्रिया को कवर नहीं किया गया था।

<sup>6</sup> पंजीकरण, कैटलॉग प्रबंधन प्रणाली, मार्केटप्लेस, ऑर्डर पूर्ति, भुगतान एकीकरण, घटना प्रबंधन

#### 4.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से तैयार किए गए थे:

- जैम एसपीवी के अनुमोदन (अप्रैल 2017) हेतु सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित बैठक की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त।
- ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (अगस्त 2011) की गुणवत्ता आवश्यकताओं की अनुपालना के लिए भारत सरकार, एमईआईटीवाई के दिशानिर्देश; सूचना प्रौद्योगिकी, सावर्जनिक अधिप्राप्ति और तृतीय पक्ष सूचना के संबंध में निर्धारित अन्य निर्देशों, अनुदेशों, नीतियों, नियमों और क्रियाविधियां।
- जैम दस्तावेजों जैसे प्रस्ताव के लिए अनुरोध, एमएसपी करार, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशन आदि।
- विभिन्न माइयूल्स के लिए कारोबार आवश्यकता दस्तावेज और अन्य तकनीकी दस्तावेजों जैसे नियपुस्तिका, नीतियां आदि।

#### 4.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इन आवश्यकताओं की प्राप्ति के निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराओं में उल्लेखित किया गया है।

##### 4.1.6.1 प्रमाणपत्रों, बेंचमार्किंग और आपदा राहत ड्रिल से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों और आरएफपी का अननुपालन

- i) *इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की "अधिप्राप्ति प्रणाली की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश" के अनुपालन के लिए एसटीक्यूसी लेखापरीक्षा का आवेदन न होना*

आरएफपी के पैरा 5.3.1.1 ने यह अनुबंधित किया कि एमएसपी 'अधिप्राप्ति प्रणाली की गुणवत्ता आवश्यकता के अनुपालन' पर मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)<sup>7</sup> के प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुपालन में ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन का प्रावधान करेगा।

एसटीक्यूसी निदेशालय द्वारा 31 अगस्त 2011 को जारी अधिप्राप्ति प्रणाली की गुणवत्ता आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन के प्रमाणन हेतु लेखापरीक्षा इसके नियोजन के पश्चात तथा इसके उपयोग से पूर्व की जाएगी। इस बात को सीवीसी द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 के अपने परिपत्र में भी दोहराया गया। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने अपने 3 सितम्बर 2012 के ओएम

<sup>7</sup> तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

में दोहराया कि ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन इन दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आगे अनुबद्ध किया कि ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन की जांच एसटीक्यूसी द्वारा की जाएगी। दिशानिर्देशों का फोकस प्रमुख रूप से ई-निविदाकरण है (अर्थात् एन्क्रिप्टेड बोली के साथ निविदाकरण जिसमें मैनुअल संदर्भ के बराबर 'सील्ड बिड्स' होगी)।

तथापि, लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि अगस्त 2011 के (सीवीसी तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संलग्न) उपरोक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु कोई ऐसी एसटीक्यूसी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। जैम एसपीवी ने एसटीक्यूसी की ओर से अगस्त 2018 तथा दिसम्बर 2018 को दो लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र/ रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई, हालाँकि, जिसका क्षेत्र भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसरण में नहीं था। इसके अलावा, प्रबंधन ने कहा (मई 2020) कि एसटीक्यूसी ने एक सीवीसी तथा आईटी एक्ट कम्प्लायन्स तथा जैम का सुरक्षा प्रणाली लेखापरीक्षा अगस्त 2019 में पूर्ण की तथा इसका क्षेत्र सीवीसी परिपत्र दिनांक 29 नवम्बर 2009, 17 नवम्बर 2009 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2010, दिनांक 26 अप्रैल 2010 तथा आईटीएक्ट 2000 (आईटीए 2008) के अनुसरण में था। तथापि, कुछ क्षेत्रों को संबोधित करने हेतु जैम से अपेक्षित रिपोर्ट तथा उत्तर के प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त, अन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से जैम का एसटीक्यूसी के साथ विचार-विमर्श जारी है। प्रबंधन ने कहा (मई 2020) के जैम द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसटीक्यूसी के साथ कई अनुबंधन किए गए थे। एसटीक्यूसी ने अगस्त 2019 में सीवीसी, आईटी अधिनियम अनुपालन, जैम पोर्टल की सिक्योरिटी प्रोसेस लेखापरीक्षा की और इसका कार्यक्षेत्र सीवीसी परिपत्र संख्या 29 सितम्बर 2009, दिनांक 17 सितम्बर 2009 और 18 अप्रैल 2010 दिनांक 26 अप्रैल 2010 और आईटी अधिनियम 2000 (आईटीए 2008) के अनुसार था। तथापि, जैम को रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों को संबोधित करने की आवश्यकता थी तथा प्रतिक्रिया देने के पश्चात्, जैम अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एसटीक्यूसी के साथ चर्चा कर रहा है।

प्रबंधन की प्रति क्रिया स्वीकार्य नहीं है। एमईआईटीवाई के "ईप्रोक्योरमेंट सिस्टम की गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश", और जनवरी 2012 में सीवीसी द्वारा अनिवार्य और सितंबर 2012 में एमओएफ द्वारा पूर्ण अनुपालन का प्रदर्शन करते हुए, एसटीक्यूसी ऑडिट नहीं था। यहां तक कि अगस्त 2019 की एसटीक्यूसी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा संदर्भित (जो गुंजाइश को कवर नहीं करता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) प्रमुख क्षेत्रों में कई कमियों को इंगित करता है, और इसका अनुपालन नहीं कहा जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुपालन के अभाव में, जैसा कि संतोषजनक एसटीक्यूसी रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है, जैम प्लेटफॉर्म अनुपालन योग्य नहीं है, और ऑडिट जैम के ई-बिडिंग मॉड्यूल की प्रामाणिकता, गैर-शोधन क्षमता और अखंडता के

बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि जैम के ई-बिडिंग मोड के माध्यम से खरीद में जैमसे खरीद के कुल मूल्य का 37 प्रतिशत से अधिक शामिल है।

(ii) **उपयोगकर्ताओं की अपेक्षित संख्या के अनुसार ऐप्लिकेशन की बेंचमार्किंग न होना जिसके परिणामस्वरूप जैम ऐप्लिकेशन का बार-बार ब्रेकडाउन हुआ**

आरएफपी के खण्ड 5.3.2.7 में अपेक्षित है कि सिस्टम को अनुमानित क्रेताओं तथा विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के अनुसार प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ऐप्लिकेशन के गो-लाइव के समय क्रमशः 2 लाख तथा 4 लाख तक बेंचमार्क किया जाए। आरएफपी ने यह ब्यौरा भी दिया कि पीक लोड पर अनुमानित समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत वर्षानुवर्ष वृद्धि सहित 7500 होगी इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि थर्ड पार्टी द्वारा की जाने वाली बेंचमार्किंग उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या सहित नहीं की गई। इसके बजाय, आरएफपी के खण्ड 5.3.2.5<sup>8</sup> की आवश्यकता के अनुसार निष्पादन तथा लोड जांच थर्ड पार्टी के माध्यम से ही गई थी (जनवरी 2019)। विपथन निम्नानुसार था:

**तालिका 4.1.1 : एमएसपी द्वारा वास्तव में की गई जांच के प्रति जांच किए जाने वाले उपयोगकर्ता लोड के विवरण**

विवरण	आरएफपी के अनुसार जांच किया जाने वाला उपयोगकर्ता लोड	वास्तव में जांच किया गया उपयोगकर्ता लोड
चरण-2 के गो-लाइव के समय	15,000 उपयोगकर्ता	600-900 उपयोगकर्ता
चरण-2 के पश्चात् प्रति वर्ष	वास्तविक समवर्ती उपयोगकर्ता का 5 गुना	अभी होना है

यह वर्णित करना उचित है कि मार्च 2019 तक जैम में 2.37 लाख पंजीकृत क्रेता तथा 2.32 लाख विक्रेता/ सेवा प्रदाता थे जिनमें से 1.85 लाख क्रेता और 2.23 लाख विक्रेता/ सेवा प्रदाता सक्रिय है (जैम प्रबंधन द्वारा प्रदत्त डेटा के अनुसार)। इसके अलावा, जैम ऐप्लिकेशन का उपयोग करने वाले समवर्ती उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या 1500 से 1750 के बीच थी। तथापि, निष्पादन की जांच केवल 600 से 900 समवर्ती उपयोगकर्ताओं पर की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पोर्टल का उपयोग करते समय जैम ऐप्लिकेशन बार-बार ब्रेक डाउन हुई तथा “वेबसाइट पर भारी लोड है हमें खेद है कि कई

<sup>8</sup> एमएसपी ट्रेसिबिलिटी मेट्रिक्स तथा संगत जांच मामलों सहित जांच रणनीति प्रदान करेगा तथा पूर्ण रूप से साल्यूशन के साथ विकसित/कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के विभिन्न घटकों की जांच भी करेगा। जांच व्यापक होनी चाहिए तथा विकास के साथ-साथ क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण पर की जानी चाहिए



लोग एक ही समय पर वेबसाइट पर अभिगम कर रहे हैं”, “502 खराब गेटवे”, “हमें खेद है परन्तु कुछ गलत हो रहा है” जैसे मैसेज प्रदर्शित किए गए। चूंकि ऐप्लिकेशन को अपेक्षित स्तर के अनुसार बेंचमार्क नहीं किया गया था तथा लोड जांच समवर्ती उपयोगकर्ताओं की वास्तविक संख्या से कम पर की गई थी अतः जैम प्रबंधन ऐप्लिकेशन में उन ब्रेकडाउन मामलों के प्रति प्री-एम्पटिव कार्रवाई करने में असक्षम होगा जो बाध्यकारी है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में यह कहा कि थर्ड पार्टी द्वारा एक व्यापक बेंचमार्किंग कार्यकलाप किया जाएगा और आगे यह आश्वासन दिया गया कि केपीएमजी का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा, सुरक्षा लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा तथा ऐप्लिकेशन लेखापरीक्षा करने के लिए किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रबंधन की इस प्रतिक्रिया को नोट करता है लेकिन यह दोहराता है कि यह लेखापरीक्षा भारत सरकार के अधिप्राप्ति दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन लेखापरीक्षा का विकल्प नहीं हो सकती जिसे केवल एसटीक्यूसी के माध्यम से किया जाना है।

### **(iii) आपदा राहत ड्रिल का संचालन न करना**

क्लाउड सेवा एसएलए से संबंधित आरएफपी के खण्ड 10.8.9.3 को वर्ष में कम से कम दो बार आपदा राहत ड्रिल (प्रत्येक छः माह में एक बार) करने के लिए एमएसपी की आवश्यकता थी। इसे प्रत्येक छः माह में मॉनीटर किया जाना था तथा निर्णीत हर्जाने का उद्ग्रहण छः माह की अवधि समाप्त होने पर अगली तिमाही में किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जैम संस्करण 3.0 के कार्यान्वयन से लेखापरीक्षा तक कोई ड्रिल नहीं की गई तथा एमएसपी से कोई निर्णीत हर्जाना संग्रहित नहीं किया गया। आपदा राहत ड्रिल न करने के परिणामस्वरूप ऐप्लिकेशन की एक अप्रत्याशित स्थिति तथा डेटा हानि हो सकती थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जुलाई, अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में यह कहा कि डीसी-डीआर ड्रिल अगस्त 2019 में की गई थी तथा दूसरी ड्रिल जनवरी 2020 में की गई थी। प्रबंधन ने आगे कहा कि इसके लिए एमएसपी पर उचित निर्णीत हर्जाना लागू होगा।

#### 4.1.6.2 पंजीकरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया

जैम की पंजीकरण प्रक्रिया के (क्रेताओं एवं विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं की) आसान, सहज और न्यूनतम डेटा एन्ट्री के सिद्धांतों द्वारा संचालित होने की उम्मीद थी।


31 मार्च 2019 तक कुल 2.37 लाख क्रेता जैम पर पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 1.85 लाख को 'सक्रिय' के तौर पर

लिया गया था, जबकि इनमें से केवल 24.32 प्रतिशत<sup>9</sup> क्रेताओं को जैम के माध्यम में खरीद का आदेश दिया गया था। इसी प्रकार, कुल 2.32 लाख विक्रेता/ सेवा प्रदाता जैम पर पंजीकृत थे जिनमें से 2.23 लाख को प्रणाली द्वारा "सक्रिय"<sup>10</sup> के रूप में लिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान, केवल 17.04 प्रतिशत<sup>11</sup> विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं ने आदेशों/ बोलियों में भाग लिया और 13.45 प्रतिशत<sup>12</sup> विक्रेताओं को आदेश प्राप्त हुए।

#### क) क्रेता पंजीकरण

उपयोगकर्ता का सत्यापन जैम क्रेता पंजीकरण नियमपुस्तिका के अनुसार, आधार के माध्यम से होता है। प्राथमिक उपयोगकर्ता (विभागाध्यक्ष-एचओडी), पंजीकरण के बाद, एक विशेष संगठन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं<sup>13</sup> को प्राधिकृत करेगा।

प्राथमिक उपयोगकर्ता के पंजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदमों को शामिल किया गया:



चित्र 4.1.5: पंजीकरण एवं क्रेताओं की भागीदारी (लाख में)


<sup>9</sup> 0.45 लाख

<sup>10</sup> सभी सफलतापूर्वक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को 'सक्रिय' स्थिति के रूप में चिन्हित किया जाता है

<sup>11</sup> 0.38 लाख

<sup>12</sup> 0.30 लाख

<sup>13</sup> क्रेता, परेषिती और पीएओ/डीडीओ



चित्र 4.1.6: प्राथमिक उपयोगकर्ता पंजीकरण में कदम

(i) 'सत्यापनकर्ता' और सक्षम 'प्राधिकारी' की गैर-मैपिंग के परिणामस्वरूप सरकारी उपयोगकर्ता के पंजीकरण पर नियंत्रण का अभाव

जैम की क्रेता पंजीकरण नियमपुस्तिका में एस संगठन के लिए जैम पर निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं और भूमिकाओं का होना अपेक्षित था:

तालिका 4.1.2: जैम में उपयोगकर्ता-वार भूमिका

उपयोगकर्ता	पदनाम	उत्तरदायित्व/ भूमिका
सक्षम प्राधिकारी	सचिव/ प्रधान सचिव/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अध्यक्ष/ डीजी/ निदेशक और जेएस (केंद्रीय मंत्रालय हेतु) या प्रधान सचिव (राज्य के लिए)।	जब सत्यापनकर्ता प्राधिकारी और प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जाता है तो अधिसूचित किया जाएगा (ई-मेल के माध्यम से)।
सत्यापनकर्ता प्राधिकारी	अवर सचिव/ समतुल्य या ऊपर/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित।	सभी प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण को अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी।
प्राथमिक उपयोगकर्ता	उप सचिव या ऊपर, कार्यालयाध्यक्ष, उपकेन्द्र/ इकाई सरकारी संगठन की शाखा/ पीएसयू/ स्वायत्त निकाय/ स्थानीय निकाय/ संवैधानिक निकाय/ सांविधिक निकाय/ निदेशक/ समतुल्य अधिकारी	सभी द्वितीयक उपयोगकर्ताओं का सृजन करता है और व्यवस्था करता है।
द्वितीयक उपयोगकर्ता; क्रेता परेषिती एवं भुगतान करने वाला प्राधिकारी	जैसा कि प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा परिभाषित किया गया है	क्या प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा सौंपी गई भूमिका के अनुसार तलाश करना, कैटलॉग देखना, ऑर्डर देना, बोली लगाना, प्रेषण प्राप्त/ अस्वीकार करना और भुगतान जारी कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह प्रक्रिया सुभेद्य थी क्योंकि इसमें नियंत्रण कमजोर था। पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रणी की जांच करने के लिए, एक लेखापरीक्षा टीम के सदस्य ने “सरकारी आईडी” के साथ जैम पोर्टल पर एक प्राथमिक क्रेता के रूप में पंजीकरण करने की कोशिश की। मूल विवरणों जैसे आधार संख्या, नाम आदि भरने के बाद, उसने “सत्यापनकर्ता ई-मेल” के रूप में उसके समकक्ष की ‘सरकारी’ ई-मेल आईडी (समान पदनाम वाली) भरी। पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसार, एक ई-मेल सूचना के लिए “सत्यापनकर्ता प्राधिकारी” को भेजा गया था और 48 घंटों के बाद पंजीकरण को “स्वीकृत समझा गया” (यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है या निष्क्रिय नहीं की जाती है) के रूप में माना गया था। अतः लेखापरीक्षा टीम सदस्य स्वयं को जैम पोर्टल पर एक “प्राथमिक उपयोगकर्ता” के रूप में पंजीकरण करने में सफल हो गया था। इसके अलावा, ‘क्रेता’, ‘परेषिती’ और ‘पीएओ/ डीडीओ’ की भूमिका को लेखापरीक्षा टीम सदस्य द्वारा आसानी से जोड़ा गया था।

#### **इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया कि:**

- पंजीकरण नियमपुस्तिका के अनुसार, केवल एक अधिकारी ‘अवर सचिव’ या ‘कार्यालय अध्यक्ष’ से नीचे की रैंक का नहीं, सत्यापनकर्ता प्राधिकारी की भूमिका निभा सकता है। हालांकि, ‘सत्यापनकर्ता प्राधिकारी’ के संबंध में मंत्रालय-वार/ विभाग-वार मैपिंग अनुप्रयोग में उपलब्ध नहीं थी, अनुप्रयोग स्वीकार करने वाले उपयोगकर्ताओं का जोखिम हो सकता था जो ‘सत्यापनकर्ता प्राधिकार्य’ के रूप में ‘अवर सचिव’ या ‘कार्यालय अध्यक्ष’ के पद से नीचे के पद के न हों।
- केवल ‘मंत्रालयों’ और ‘राज्यों’ के मामले में ‘सक्षम प्राधिकारी’ को पुष्टिकरण ई-मेल भेजे जा रहे थे क्योंकि अन्य संगठनों (केन्द्रीय/ राज्य पीएसयू और स्वायत्त निकायों) को अभी तक मैप नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उन अधिकारियों को प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में जैम पर पंजीकृत किया गया जो सार्वजनिक अधिप्राप्ति करने के लिए प्राधिकृत थे, पर्याप्त नहीं थे और उन्हें और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। किसी भी पदनाम का कोई भी जांच अधिकारी, भले ही निकाला गया या सेवानिवृत्त हो एक ‘सरकारी’ आईडी होने पर वह जैम पोर्टल पर पंजीकृत हो सकता है और अधिप्राप्ति कर सकता है। सरकारी (सरकार) ई-मेल आईडी के माध्यम से जांच के अलावा, कोई अन्य जांच/ नियंत्रण एक अधिकृत सरकारी कर्मचारी की अनन्य भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं था, और इसलिए, जब कोई उपयोगकर्ता जैम पर सफलता पूर्ण पंजीकृत होता है तो प्रणाली अधिप्राप्ति करने वाले उपयोगकर्ता को रोकने के लिए अक्षम होगी। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कार्यान्वित अतिरिक्त जांचों को ऐसे तरीके से और

अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि 'सत्यापनकर्ता प्राधिकारी' और 'सक्षम प्राधिकारी' को भेजे गए ई-मेल, केवल तभी पंजीकरण की अनुमति दे जब यह वास्तव में उनके द्वारा अनुमोदित या 'स्वीकृत किया गया और 'माने गए अनुमोदन' के आधार पर नहीं।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) आश्वस्त किया कि मेकर्स चेकर की प्रक्रिया को जैम पर कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें विभागाध्यक्ष के पंजीकरण को सत्यापनकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सक्षम किया जाएगा, जैसाकि सीजीडीए उपयोगकर्ताओं के मामले में।

**(ii) आगत नियंत्रणों के अभाव के कारण आवश्यकताओं के उल्लंघन में सरकारी ई-मेल आईडी के बिना पंजीकरण**

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कुल क्रेताओं<sup>14</sup> में से, 16.87 प्रतिशत (40,196 क्रेता) ने क्रेता पंजीकरण नियमपुस्तिका में अपेक्षित सरकारी ई-मेल आईडी के साथ पंजीकरण नहीं किया। इसके बजाय, प्रणाली ने इन क्रेताओं को जीमेल, याहू या रेडिफमेल आईडी के साथ पंजीकरण करने दिया गया। यह उल्लेख करना उचित है कि इन उपयोगकर्ताओं ने ₹4349.18 करोड़ की राशि के आदेश दिए जिनमें से शीर्ष तीन मंत्रालयों (मानव संसाधन विकास मंत्रालय<sup>15</sup>, रक्षा मंत्रालय<sup>16</sup> और गृह मंत्रालय<sup>17</sup>) की अधिप्राप्ति ₹446.81 करोड़ की थी।

इस प्रकार, पर्याप्त आगत नियंत्रण के अभाव के कारण, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश दिए जाने का जोखिम था, जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। इस अलावा, उपयोगकर्ताओं के लेखाओं की नियमित रूप से निगरानी और पुनः सत्यापन के लिए 'पंजीकरण नियमपुस्तिका' की आवश्यकताओं के प्रति, आदेश दिए जाने से पहले इन क्रेताओं को अपनी ई-मेल आईडी को सरकारी मेल के साथ अद्यतन करने के लिए अनुप्रयोग द्वारा पुनः सत्यापित या बाध्य नहीं किया गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि जैम को एनआईसी की सेवा एलडीएपी<sup>18</sup> के साथ जोड़ा गया था, जो रियल टाइम में एनआईसी के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई ई-मेल की पुष्टि करने के लिए जैम को अनुमति देगा और सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि को पकड़ेगा। प्रबंधन ने आगे आश्वस्त किया

<sup>14</sup> 2.37 लाख नग

<sup>15</sup> सरकारी या जैमक्रेता ईमेल आईडी के बिना उपयोगकर्ता ने ₹205.71 करोड़ मूल्य के 431 नगों के आदेश दिए

<sup>16</sup> सरकारी या जैमक्रेता ईमेल आईडी के बिना उपयोगकर्ता ने ₹127.42 करोड़ मूल्य के 982 नगों के आदेश दिए

<sup>17</sup> सरकारी या जैमक्रेता ईमेल आईडी के बिना उपयोगकर्ता ने ₹113.68 करोड़ मूल्य के 375 नगों के आदेश दिए

<sup>18</sup> एलएडीपी: लाइटवेट डायरेक्ट्री एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) नेटवर्क पर वितरित निर्देशिका सूचना सेवाओं तक पहुंचने एवं बनाए रखने की एक विधि है

कि सरकारी एचओडी द्वारा न तो “gov.in” (“गव.इन”) और न ही सार्वजनिक क्षेत्र डोमेन-आधारित ई-मेल को शुरू करने वाले उपयोगकर्ताओं की एक स्वचालित प्रक्रिया को परिभाषित और विकसित किया जाएगा ताकि एनआईसी द्वारा बनाई गई जैम क्रेता डोमेन आधारित ई-मेल आईडी को उन्हें सौंपा जा सके।

**(iii) वैधीकरण नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति की आयु से बाद उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करना**

सरकारी मंत्रालय और विभागों में, एक कर्मचारी की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 60<sup>19</sup> वर्ष है। लेखापरीक्षा समीक्षा में दर्शाया गया कि क्रेताओं की जन्म तिथि को भरने के संबंध में वैधीकरण नियंत्रणों की कमी के कारण, 426 उपयोगकर्ताओं की आयु 60 से 65 वर्षों से अधिक पाई गई थी। इसी प्रकार, ‘33’ क्रेताओं की आयु 66 से 75 वर्षों से अधिक पाई गई थी, 2 क्रेता 75 से 95 की आयु के थे और 21 क्रेताओं की आयु 95 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार, जैम पर पंजीकृत होने के लिए ‘सेवानिवृत्त कर्मचारी<sup>20</sup> को अनुप्रयोग ने अनुमती दी और अधिप्राप्ति की और सेवानिवृत्ति के बाद पहुँच अधिकारों को रद्द नहीं किया गया। केस स्टडी 1 इस मुद्दे से जुड़ी समस्याओं का उदाहरण है और यह कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भी किसी अधिकारी के अनुप्रयोग को कैसे ब्लॉक नहीं किया गया।

**केस स्टडी 1**

एक्स संगठन में, प्राथमिक उपयोगकर्ता 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हुआ, हालांकि, उसे जैम से संदेश और अधिसूचना लगातार प्राप्त हो रहे हैं। उसका उपयोगकर्ता पहुँच अधिकार सितम्बर 2019 तक स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया गया था, जब संगठन ने हस्तक्षेप किया और प्राथमिक उपयोगकर्ता का परिवर्तन/अद्यतन किया है।

जैम सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए एक अनन्य अधिप्राप्ति पोर्टल है, इसलिए, यह जरूरी है कि जैम यह सुनिश्चित करे कि एक उपयोगकर्ता की पात्रता की जांच करने के लिए प्रासंगिक शर्तों को प्रणाली में मैप किया जाए क्योंकि इस तरह के नियंत्रणों में कमजोरी ऐसे जोखिम को बढ़ाती है जो अनुप्रयोग की कार्य प्रणाली में समझौते के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में आश्वासन दिया कि जैम एनआईसी के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की ईमेल को वैधीकृत करने के लिए, रियल टाइम में एकीकृत करेगा और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को लेगा। जैम ने यह भी आश्वस्त किया कि अधिप्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी उपयोगकर्ताओं को यह अनुमति

<sup>19</sup> केंद्रीय सरकार के डाक्टरों और केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को छोड़कर

<sup>20</sup> 60 वर्षों के आयु के बाद भी 92 उपयोगकर्ताओं ने जैम के माध्यम से ऑर्डर दिए थे

नहीं देगा और सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले या ईमेल वैधीकरण की समाप्ति तिथि पर कर्मचारी के खाते के हस्तांतरण की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सरकारी संगठन को नियमित रूप से अधिसूचनाएं भेजने के लिए कार्यप्रणाली (एनआईसी के साथ एकीकरण में) शुरू करेगा।

**(iv) वैधीकरण जांचों के अभाव के कारण गलत मोबाइल नम्बरों की फीडिंग**

जैम अनुप्रयोग तक पहुंचने के लिए एक वैध आधार नम्बर पूर्व-अपक्षित है। इसके फलस्वरूप, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का सत्यापन और प्रणामीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आधार का वैधीकरण इस नम्बर पर ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजकर किया जाता है। इसलिए, उपयोगकर्ता द्वारा भरा गया मोबाइल नम्बर, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, सही होना चाहिए।

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने नम्बरों की पात्रता और/ या उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कुल 'सक्रिय उपयोगकर्ताओं'<sup>21</sup> पर विभिन्न जांचें की। यह देखते हुए कि यह निर्धारण संपूर्ण नहीं था और अस्वीकार्य नम्बरों के अलग-अलग क्रमपरिवर्तन संभव है, नमूना जांच से पता चला:

- 75 उपयोगकर्ताओं के मामले में, मोबाइल नम्बर अभी तक प्रणाली में नहीं जोड़ा/ डाला गया था<sup>22</sup> ।
- 11 मामलों में, मोबाइल नम्बर 10 डिजिटों से कम का था<sup>23</sup>;
- 652 उपयोगकर्ताओं के मामले में एक ही मोबाइल नम्बर अर्थात् '9999999999' डाला गया था<sup>24</sup>;
- अन्य यादृच्छिक मामलों में, गलत मोबाइल नम्बरों जैसे '111111111' या '1111112222' आदि वाले 28 रिकॉर्डों पाए गए थे।

उपयोगकर्ताओं द्वारा मोबाइल नम्बरों को भरने के संबंध में आगत और वैधीकरण नियंत्रणों की कमी के अलावा सही मोबाइल नम्बरों के अभाव ने यह संकेत दिया कि ऐसे मामलों में, सत्यापन प्रक्रिया अपूर्ण रही होगी, कोई भी ओटीपी नहीं भेजा गया/ भेजा जा सका।

प्रबंधन ने अपने पहले के जबाव (अक्टूबर 2019) के तारतम्य में, जिसमें यह कहा गया कि ये उदाहरण ज्यादातर तब हुए जब ई-साइन या आधार सेवाएं बाधित हो गई थी और

<sup>21</sup> 1.86 लाख

<sup>22</sup> जैम के माध्यम से 75 में से 6 उपयोगकर्ताओं ने ऑर्डर दिए

<sup>23</sup> जैम के माध्यम से 11 में से 1 उपयोगकर्ता ने ऑर्डर दिए

<sup>24</sup> जैम के माध्यम से 652 में से 57 उपयोगकर्ताओं ने ऑर्डर दिए

कुछ प्रविष्टियां माइग्रेट किए गए डेटा की थी, पुष्टि (फरवरी 2020) की कि मौजूदा उपयोगकर्ताओं को (पहले के संस्करण से) जैम के माध्यम से लेन-देन करने से पहले किसी भी गलत मोबाइल नम्बर को सही करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और विवरण दिया (डेटा के माध्यम से) कि ऐसे उपयोगकर्ताओं की संख्या कम हो रही है। प्रबंधन ने आगे कहा कि आधार से जुड़े मोबाइल नम्बर को ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है और कि मोबाइल नम्बर की लम्बाई से संबंधित बुनियादी जांचे सही होगी।

**(v) उपयोगकर्ता संगठन के संबंध में आगत नियंत्रण के अभाव के कारण 'मंत्रालय का नाम', 'राज्य' और 'संगठन के नाम' की गैर-फीडिंग**

पर्याप्त आगत नियंत्रणों के अभाव में, क्रेता संगठन मूल विवरणों जैसे मंत्रालय/ राज्य का नाम, संगठन का नाम, कार्यालय का नाम भरे बिना ही पंजीकरण करने के लिए सक्षम थे क्योंकि इन क्षेत्रों को अनुप्रयोग में भरना अनिवार्य नहीं था। हालांकि इसके परिणामस्वरूप मंत्रालय-वार/ राज्य-वार डेटा/ आदेशों का अधूरा वर्गीकरण किया गया, उदाहरण के लिए ₹14,145.46 करोड़<sup>25</sup> की राशि के आदेशों को किसी मंत्रालय/ राज्य के लिए मैप नहीं किया जा सका, अधिक सुमेद्यता इस तथ्य में है कि पंजीकृत क्रेताओं द्वारा गैर-सरकारी अधिप्राप्तियों के लिए जैम अनुप्रयोग का उपयोग किया जा सकता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में आश्वस्त किया है कि जैम अनुप्रयोग उन सभी उपयोगकर्ताओं को, जिन्होंने संगठनात्मक पदानुक्रम का गलत विवरण दिया है, को जैम पर लेन-देन करने से पहले सही करने के लिए आगाह कर रहा है। इसने आगे आश्वस्त किया कि जैम पदानुक्रम के सभी चार स्तरों को भरने के लिए सभी संगठनों के लिए इसे अनिवार्य बनाएगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि 30 अप्रैल 2019 तक ₹1.78 करोड़ की वैल्यू वाले केवल 118 ऑर्डर्स हैं जिसमें 24 उपयोगकर्ता सम्मिलित करते हैं, जहाँ कि मंत्रालय/ राज्य/ डिपो/ संगठन/ कार्यालय शून्य है।

ऑडिट प्रबंधन का जवाब स्वीकार करता है। हालांकि ऑडिट अवलोकन उन मामलों से संबंधित है जहां मंत्रालय/ राज्यों से संबंधित क्षेत्र रिक्त है, जबकि जैम में उन मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें चार स्तरीय पदानुक्रम का एक स्तर भी भरा हुआ है। इसलिए आंकड़े तुलनात्मक नहीं हो सकते हैं, विशेषकर क्योंकि इस दौरान नल प्रविष्टि के मामले अपडेट किए गए हैं। इसलिए, वे आगे सत्यापन के अधीन होंगे।

<sup>25</sup> रिक्त प्रविष्टियां: ₹7,080.54 करोड़, 'एन/ ए' के साथ प्रविष्टियां - ₹7,064.91 करोड़<sup>26</sup>


2.41 लाख में से



इस प्रकार, क्रेता विवरणों से संबंधित आगत नियंत्रणों में कुछ कमियां थी जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, क्रेताओं की विरासत/ माइग्रेट किए गए डेटा को साफ करने की आवश्यकता है।

## ब. विक्रेता पंजीकरण

विक्रेता पंजीकरण के संबंध में, कारोबार आवश्यकता दस्तावेज (बीआरडी) में अपेक्षित था कि प्राथमिक विक्रेता को जैम पोर्टल पर आधार या पैन का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम होना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदमों को शामिल किया है:



चित्र 4.1.7: विक्रेता पंजीकरण के कदम

### (i) वैधीकरण जांच के अभाव में अनेक विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता द्वारा एक ही ईमेल आईडी का प्रयोग जाना

विक्रेता पंजीकरण बीआरडी के पैरा 3.1 में कहा गया है कि, 'प्राथमिक विक्रेता के लिए अकाउंट बनाते समय प्राथमिक विक्रेता के लिए यूनिक ईमेल आईडी जांच लागू थी जिसका अर्थ है कि एक ईमेल आईडी का उपयोग केवल एक प्राथमिक विक्रेता द्वारा पंजीकरण के लिए किया जाना है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस नियम के उल्लंघन में, 841 ईमेल आईडी को एक साथ अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया था और इनमें से 32 ईमेल आईडी को एक साथ चार से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त जैम पर परिचालन के लिए इसके अनिवार्य होने के बावजूद, छः विक्रेताओं के मामलों में ईमेल आईडी रिक्त पाई गई थी। इस प्रकार, ईमेल पर 'विशिष्ट जांच' से संबंधित नियम को अनुप्रयोग में मैप नहीं किया गया और उपयोगकर्ताओं के लिए ईमेल फील्ड को भरना अनिवार्य नहीं किया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि जैम का अनुप्रयोग उन सभी उपयोगकर्ताओं, जिन्होंने डुप्लिकेट ईमेल भरी है, को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जब वे लॉगिन करते हैं तो एक ईमेल आईडी का चयन करें और उन्हें लेन-देन करने की अनुमति नहीं है जब तक वे इसे सही नहीं करते हैं। इसने यह भी विवरण दिया है कि जैम पर ऐसे उपयोगकर्ताओं की संख्या कम होने लगी है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल एक ईमेल आईडी का ही एक प्राथमिक विक्रेता द्वारा पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाना है। प्रबंधन ने अक्टूबर 2019 तथा दिसम्बर 2019 तक तुलनात्मक स्थिति वाले वस्तु आंकड़े दिए और ऑडिट द्वारा वताए आकड़ों को स्वीकार किया। प्रबंधन के आगे कहा कि यदि ऐसे उपयोगकर्ता 841 (अक्टूबर 2019 तक) से घटकर 194 (दिसम्बर 2019 तक) और 4 (अक्टूबर 2019 तक) से 0 (दिसम्बर 2019 तक) दो गए तथा यह भी कहा गया कि इन 194 उपयोगकर्ताओं में से 70 माध्यमिक उपयोगकर्ता थो।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य है, हालाँकि, दूसरे उपयोगकर्ताओं के संबंध में, यह उल्लेख करना उचित हो ताकि 2.32 लाख कुल विक्रेताओं में से केवल 4834 द्वितीयक उपयोगकर्ता हैं तथा जैम द्वारा उल्लिखित इन मामलों में से, केवल 36 प्रतिशत (लगभग) मामले द्वितीयक विक्रेता होने के पाए गए जिसका अर्थ है कि आवेदन ने अन्य प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को उसी ई-मेल आईडी का उपयोग करने से नहीं रोका।

**(ii) विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता के 'अनुभव' के संबंध में आगत वैधीकरण के अभाव के कारण अवास्तविक जानकारी का भरन**

'अनुभव' से संबंधित विक्रेता पंजीकरण बीआरडी के पैरा सं.4.8 में अपेक्षित है कि 'विक्रेता' को कुल अनुभव के साथ सरकार के साथ अनुभव को भी दर्ज करना चाहिए और कि जैम पर कैंटलॉग खोजते समय अनुभव का विक्रेताओं द्वारा फिल्टर मानदंडों के रूप में उपयोग किया जाएगा। बीआरडी ने आगे कहा कि अनुभव के कुल वर्ष को निगमन की तारीख से वासित किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस संबंध में अनुप्रयोग में कोई आगत वैधीकरण कार्यान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनुचित अवधि को अनुभव डेटा रहा जैसे '1 करोड़ वर्ष', '15 लाख वर्ष' आदि। 16 मामलों में, 100 वर्षों से अधिक का अनुभव पाया गया था, जिसमें से 10 मामलों में 1000 वर्षों से अधिक का अनुभव था।


इस प्रकार, अनुभव निगमन की तारीख के साथ वासित नहीं था और वैधीकरण जांच के अभाव के कारण भ्रामक जानकारी वाले विक्रेता/ सेवा प्रदाता जैम पर परिचालन कर रहे थे। यह तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया से भी समझौता करेगा, यदि अनुभव एक चयन का मापदंड है।

प्रबंधन ने अपने पहले के उत्तर (अक्टूबर 2019) जिसमें इसका संकेत दिया था कि माइग्रेट/ मौजूदा विक्रेताओं के लिए 'अनुभव' के संबंध में वैधीकरण के लिए आवश्यक जांचे

थीं, के तात्पर्य में आगे बताया (फरवरी 2020) है कि विक्रेता अनुभव के 'फिल्टर' को मार्केट प्लेस से हटा दिया गया है इसलिए यह चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसे भविष्य के ऑडिट में सत्यापित किया जाएगा।

(iii) आगत नियंत्रण के अभाव के कारण संगठन के प्रकार का गैर-वर्गीकरण

विक्रेता पंजीकरण बीआरडी में अपेक्षित है कि एक प्राथमिक विक्रेता को या तो प्रोपराइटर, साझेदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या सोसायटी राज्य या केंद्र सरकार के रूप में पंजीकृत किया जाए।



चित्र 4.1.8: जैम पर संगठनों के प्रकार

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,154 मामलों<sup>26</sup> में 'संवैधानिक प्रकार' रिक्त था, 981 मामलों में, फिल्ड को '0' के साथ भरा गया था और 676 केसों के मामले में फिल्ड को 'एन' के साथ भरा गया था। इस प्रकार, कुल 2811 विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता ने 'संवैधानिक प्रकार' नहीं भरा क्योंकि फिल्ड को भरना अनिवार्य नहीं किया गया था। इसके

केस स्टडी - 2

लेखापरीक्षा ने एक प्रतिपुष्टि प्राप्त की जिसमें एक क्रेता संगठन ने 13 यूपीएस की अधिप्राप्ति के लिए सीधी खरीद के माध्यम से एक ऑर्डर दिया था। ऑर्डर को विक्रेता द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, 15 दिन में ऑर्डर के प्रति कोई डिलीवरी प्राप्त नहीं हुई थी। विक्रेता के संपर्क नंबर के अभाव में और स्थानीय पता होने के कारण, क्रेता विक्रेता के कार्यालय के पते पर पहुँच गया। यहां यह पता लगा कि विक्रेता के पंजीकृत नाम में 'कंस्ट्रक्शन कंपनी' शामिल है जबकि जैम पर विक्रेता को आईटी हार्डवेयर बेचने के लिए पंजीकृत किया गया था।

परिणामस्वरूप संबंधित संवैधानिक प्रकार में सत्यापन और विभिन्न जांचें (सीआईएन सत्यापन, पैन सत्यापन और अन्य थर्ड पार्टी सत्यापन आदि) को दरकिनारा कर दिया गया। केस अध्ययन 2 में इस मुद्दे से संबंधित समस्याओं को दर्शाया है और इसके कारण प्रतिष्ठित जोखिम के लिए जैम का निष्पादन कैसे उजागर होता है।

<sup>26</sup> 2.41 लाख में से

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में कहा कि एमएसपी को अधूरी प्रोफाइल के साथ ऐसे डेटा और विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता की नियमित सफाई का कार्य सौंपा गया, जो लेन-देन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

केस स्टडी-2 के संबंध में इसने बताया कि कंपनी का नाम वास्तव में विक्रेता के सम्पूर्ण कारोबार स्पेक्ट्रम को प्रतिबिम्बित नहीं करता है और यह कि किसी के लिए उत्पादों को बेचने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है, जहां कि कंपनी के नाम से सहज बोध नहीं हो सकता है, बशर्ते कि कंपनी की गतिविधियां अन्यथा मौजूदा कानूनों और नियमों और विनियमों के अनुरूप हों। हालांकि, प्रबंधन का उत्तर नोट किया जाता है, यह जरूरी है कि प्रणाली को इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कि फोलो-अप और विक्रेता की जांच के लिए डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट के माध्यम से भ्रामक या गलत जानकारी वाले विक्रेताओं को विधिवत चिन्हित किया जाए।

**(iv) विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता के प्रमाण-पत्रों का अपर्याप्त सत्यापन और थर्ड पार्टियों के साथ अपूर्ण एकीकरण**

- आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कर विभाग के पास 'व्यक्ति' के लिए एक पहचानकर्ता है और करदाताओं के लिए अनिवार्य है और निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन के लिए उद्घृत किया जाना है। विक्रेता पंजीकरण बीआरडी के पैरा सं.4.2 जो 'पैन' सत्यापन से संबंधित है इसमें अपेक्षित है कि एक बार आयकर डेटाबेस के साथ एकीकृत जैम, उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए पैन संख्या और 'नाम' का प्रति-सत्यापन करेगा। हालांकि, यह पाया गया था कि 'पैन संख्या' के 42.79 प्रतिशत<sup>27</sup> रिकॉर्डों में गलत पैन संख्या या पैन संख्या न भरने के कारण प्रणाली द्वारा 'पैन संख्या' असत्यापित रही। इसके अलावा, 36.96 प्रतिशत<sup>28</sup> रिकॉर्डों में पैन कार्ड के माध्यम से पैन 'नाम' प्रणाली द्वारा नहीं भरा गया था। इसके अलावा, जैम ने विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता द्वारा भरी गई जानकारी को भी सत्यापित नहीं किया और अधूरी प्रोफाइल के बावजूद जैम के माध्यम से परिचालन और संव्यवहार करने के लिए विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता को अनुमति दी गई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में कहा कि प्रणाली में मौजूद किसी पुराने डेटा के लिए पैन प्रारूप और पैन नाम की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जांचों को जोड़ा गया है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से और विशेष रूप से स्वचालित है केवल ऐसे उपयोगकर्ताओं को संव्यवहार करने की अनुमति दी जाती है यदि पैन की जानकारी पैन डेटाबेस के माध्यम से पूरी और सत्यापित है कि और उन सभी

<sup>27</sup> 2.25 लाख विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता में से 96,106

<sup>28</sup> 2.15 लाख विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता में से 79,417

विक्रेताओं को जिनके द्वारा पैन संख्या भरी नहीं गई है, उन्हें जैम पर लेन-देन करने में पहले सुधार के लिए जैम द्वारा प्रेरित किया जाता है।

- 'की पर्सन' सत्यापन से संबंधित विक्रेता पंजीकरण बीआरडी के पैरा 4.3 में अपेक्षित था कि जैम, जो आयकर डेटाबेस के साथ एकीकृत था, पैन संख्या, अधिकृत व्यक्ति का नाम आईटीआर टाइप, पावती संख्या और निर्धारण वर्ष के आधार पर 'की पर्सन' को प्रति-सत्यापित करेगा। हालांकि, यह पाया गया था कि रिकार्डों के 81.34 प्रतिशत<sup>29</sup> में, 'अधिकृत व्यक्ति' का नाम रिक्त पाया गया था। इस प्रकार, प्रणाली ने न तो ऑटो-कैप्चर किया न ही विवरणों को सत्यापित किया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में कहा कि जब कभी यह डेटाबेस के सालिक आधार के साथ सिक्रॉनाइज करेंगे तो यह समय अंतराल के साथ प्लग हो जाएगा। आधार और आईटीआर डेटाबेस के बीच नामों के एकीकरण और गैर-सिंक्रनाइजेशन से संबंधित सीमाओं के कारण, की पर्सन सत्यापन विशेषता यद्यपि मौजूदा थी, अनिवार्य आवश्यकता के रूप में शिथिल किया जाना था। इसने आगे एमसीए21 या आयकर डेटाबेस से की पर्सन का ई-मेल डेटा प्राप्त करने का आश्वासन दिया जिसमें की पर्सन को जैम पोर्टल पर उनकी कंपनी के पंजीकरण के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

- विक्रेता पंजीकरण बीआरडी के पैरा 4 में अपेक्षित था कि कंपनी के मामले में, प्रणाली कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) के लिए प्रेरित करेगी और उसके बाद, प्रणाली स्वचालित रूप से सीआईएन को एमसीए21<sup>30</sup> के साथ वैद्य करेगा और एमसीए21 डेटाबेस से निगमन की तारीख भी प्राप्त करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी के रूप में पंजीकृत विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के 36.12 प्रतिशत<sup>31</sup> मामलों में सीआईएन संख्या को प्रणाली में यह कहते हुए फीड नहीं किया गया कि यह क्षेत्र उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं था। इसके अलावा, केवल 56.27 प्रतिशत<sup>32</sup> विक्रेताओं/ सेवाप्रदाताओं के सीआईएन संख्या को सत्यापित किया गया था। साथ ही, 697 विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के मामले में, निगमन की तारीख को सीआईएन के भरने के बाद भी नहीं लिया गया था यद्यपि प्रणाली को सीआईएन संख्या की प्राप्ति के बाद निगमन की तारीख को स्वतः प्राप्त करना चाहिए था।

<sup>29</sup> 2.19 लाख विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता में से 1,78,285

<sup>30</sup> एमसीए21 भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की एक ई-गवर्नेंस पहल है जो कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और भारत के नागरिकों द्वारा एमसीए सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुँच को सक्षम बनाता है।

<sup>31</sup> कुल 37819 कंपनियों में से कम्पनियों की संख्या 13,659

<sup>32</sup> 21279 कंपनियां

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जैम अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त 'निगमन की तारीख (वर्ष)' के साथ सीआईएन संख्या<sup>33</sup> में प्रदर्शित होने वाले वर्ष की तुलना की और पाया कि 211 विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के मामले में, एमसीए21 से प्राप्त की गई 'निगमन की तारीख (वर्ष)' सीआईएन संख्या में वर्णित निगमन के 'वर्ष' से मेल नहीं खा रही थी। इसके अलावा, 117 मामलों में प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया निगमन का वर्ष 'सीआईएन संख्या के अनुसार निगमन के वर्ष' से अधिक था।

इस प्रकार, एमसीए21 के साथ एकीकरण पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, अनुप्रयोग में इस तरह के बेमेल और असंगति को इंगित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। सीआईएन संख्या के माध्यम से सफल सत्यापन के बिना जैम पर कंपनियों का पंजीकरण, इन कंपनियों की औचित्यपूर्णता/ वैधता के बारे में चिंता पैदा करता है।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कि ये मामले प्रारंभिक संस्करणों से संबंधित हैं प्लेटफॉर्म स्थिर हो रहा था। प्रबंधन ने आगे आश्वासन दिया है कि जुलाई 2019 के बाद, उपयोगकर्ताओं को केवल तभी लेन-देन करने की अनुमति दी गई है यदि सीआईएन जानकारी एमसीए डेटाबेस के माध्यम से पूर्ण और सत्यापित है और निगमन की तारीख प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा, जैम में कंपनियों के लिए सीआईएन अनिवार्य है और प्रणाली में मौजूद किसी भी पुराने डेटा के लिए सीआईएन प्रारूप की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जांच जोड़ी गई है।

पूर्व से चले आ रहे डेटा को न तो अद्यतन किया गया और न ही उसे स्वच्छ (त्रुटिरहित) किया गया था। इस प्रकार, अनुप्रयोग में अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण या दोषमुक्त सत्यापन प्रक्रिया नहीं हैं और एक बेईमान उपयोगकर्ता द्वारा अनुप्रयोग के दुरुपयोग का खतरा मौजूद था। विक्रेताओं की जीएसटी संख्या, यदि विक्रेताओं का टर्नओवर एक मिश्रित सीमा से अधिक है, तो उन्हें पंजीकरण के लिए एक प्रमाण के रूप में भी शामिल किया जा सकता है।

#### 4.1.6.3 अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में देरी

सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी तथा आरएफपी के अनुमोदन (अप्रैल 2017) के अनुसार, जैम पोर्टल से अधिप्राप्ति की शुरु से अंत तक की प्रक्रिया को तेज करने, दक्षता लाने और गति प्रदान करने की उम्मीद थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में काफी देरी हुई थी। जो ऑर्डर देने से लेकर विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता को भुगतान तक है जिनका आगामी पैराओं में विवरण दिया है।

<sup>33</sup> सीआईएन एक 21 डिजिटों की अल्फा नयुमेरिक संख्या है जिसमें निगमन वर्ष के अंक भी होते हैं

### क) ऑर्डर देने में देरी

सीधी खरीद के लिए ऑर्डर देने की प्रक्रिया के अनुसार, एक संगठन अपना चयन करने के बाद, एक विशेष विक्रेता को ऑर्डर देता है। ऑर्डर से संबंधित बीआरडी में प्रावधान है कि एक विक्रेता के पास सीधी खरीद ऑर्डर को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पांच कैलेंडर दिन होंगे। पांच दिनों की समाप्ति के बाद विक्रेता से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने के मामले में ऑर्डर स्वतः रद्द हो जाएगा। अन्यथा, क्रेता तब आदेश या उसे प्रदान करने की पुष्टि करता है। आदर्श रूप से, यह विक्रेता द्वारा स्वीकृति के तुरन्त या कम से कम एक दिन के भीतर हो सकता है।

**केस स्टडी 3**  
 एक संगठन ने टाटा मोटर्स के एलपीटी 1613 काँउल चेंसिस4x2 बीएस IV के 03 नगों की अधिप्राप्ति के लिए ₹4,847,259 की राशि का आदेश दिया। यह आदेश 22 सितम्बर 2018 को सृजित किया गया था लेकिन 15 फरवरी 2019 को प्रदान किया गया अर्थात् 146 दिनों की चूक के साथ और सामान की डिलिवरी की।

हालांकि, यह देखा गया है कि क्रेता द्वारा ऑर्डर देने की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय-सीमा का कोई नियंत्रण या मैपिंग नहीं है। फलस्वरूप लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹792.41 करोड़ मूल्य के कुल 12.33 प्रतिशत<sup>34</sup> ऑर्डर को अधिकतम 312 दिनों तक ऑर्डर को तैयार करने की तारीख में 5 दिनों से अधिक की देरी के बाद प्रदान किए गए थे। इसके अलावा 90 दिनों के बाद 18 ऑर्डर प्रदान किए गए जबकि जैम पर पूरा बोली चक्र केवल 90 दिनों का था। यह देखा गया था कि ऑर्डर देने में देरी के इन मामलों में से ₹172.40 करोड़ मूल्य के 88.66 प्रतिशत<sup>35</sup> ऑर्डर के मामले में दिए गए ऑर्डर ₹50,000 से नीचे थे जिसका अर्थ है कि विक्रेता का चयन क्रेता के विवेक पर था, तब भी ऑर्डर समय पर नहीं दिए गए थे। इस प्रकार निर्दिष्ट समय अवधि के अन्दर ऑर्डर देना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण अर्याप्त था। केस स्टडी 3 बताता है कि कैसे इस नियंत्रण के अभाव ने अधिप्राप्ति की प्रक्रिया असक्षम बना दिया और अनावश्यक देरी की संभावना रही।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि इन मामलों में विक्रेता द्वारा सहमति के अधीन ऑर्डर देने के बाद क्रेता द्वारा ऑर्डर में संशोधन के कारण है। सृजित संशोधन ऑर्डर मूल आदेश के कार्टिंग समय को वहन करता है और इसलिए ऑर्डर की पुष्टि समय और कार्टिंग समय के बीच अधिक समय अंतराल दिखा सकता है और मूल डिलीवरी अवधि की समाप्ति तक किया जा सकता है। हालांकि, प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में कार्टिंग की मूल तारीख के साथ-साथ संशोधन संख्या के साथ ऑर्डर की

<sup>34</sup> 11,25,392 ऑर्डरों में से 1,38,837 ऑर्डर

<sup>35</sup> 1,38,837 ऑर्डरों में से 1,23,096 ऑर्डर

संशोधित तारीख को संशोधित आदेश से जोड़ दिया जाएगा ताकि डिलीवरी की तारीख और संशोधित ऑर्डर की तारीख के बीच का अंतर लेकर डिलीवरी समय की गणना की जा सके। प्रबंधन का दावा, है कि ये मामले संशोधन के कारण हैं, को विवरणों के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा प्रबंधन का उत्तर तथ्यों से वहन नहीं किया जाता है कि ऑर्डर में एकबार संशोधन किया जा सकता है और विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी उस विलम्ब से संबंधित है जो कॉर्ट से प्लेसमेंट तक आर्डर जाने के बाद और केवल प्लेसमेंट से प्रदान करने तक लिए गए समय के कारण थी।

### ख) उत्पादों के वितरण में देरी

सीधी खरीद (मार्केट प्लेट) से संबंधित कारोबार आवश्यकता दस्तावेज में अपेक्षित है कि क्रेता को खरीद के लिए वितरण के दिनों में प्रवेश करने का विकल्प मिलना चाहिए और सीधी खरीद के लिए अधिकतम वितरण दिन 15 दिन होने चाहिए जब तक एक अलग मूल्य को श्रेणी अर्थात ऑटोमोबाइल के लिए कॉन्फिगर न किया जाए।

हालांकि आंकड़े के विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2019 तक दिए गए कुल ऑर्डर का 39.64 प्रतिशत<sup>36</sup> में डिलीवरी या तो शुरू नहीं की गई थी या निर्धारित समय से अधिक की देरी हुई थी। अधिकतम देरी 418 दिनों की थी। केस स्टडी-4 दर्शाता है कि एक विक्रेता ने एक वर्ष से अधिक समय के बाद स्टेशनरी की एक छोटी सी सामग्री की आपूर्ति की थी। चूंकि सरकारी खरीद के लिए जैम अनिवार्य है, इसलिए डिलीवरी में सुनिश्चित विश्वसनीयता का उच्च स्तर होना चाहिए अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग की सुविधा अलग हो जाएगी, विशेषकर छोटी मर्दों/ नियमित कामकाज के लिए अपेक्षित मर्दों के मामले में।

#### केस स्टडी 4

एक्स संगठन ने 9 मार्च 2018 को ₹860 के लिए 'टेप 2 इंच पारदर्शी' के 20 टुकड़ों के लिए ऑर्डर दिया। ऑर्डर को 9 मार्च 2018 को विक्रेता द्वारा स्वीकार किया गया था, हालांकि, मद का वितरण 1 मई 2019 (418 दिनों) को किया गया था जिसे क्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

प्रबंधन ने (मई 2019, अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कहा कि अब तक 71 प्रतिशत से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 78 प्रतिशत ऑर्डर समय पर डिलीवर किए गए थे। प्रबंधन ने इसमें और सुधार करने का आश्वासन दिया है।

#### केस स्टडी 5

लेखापरीक्षा ने एक क्रेता संगठन से प्रतिपुष्टि प्राप्त की, जिसमें कहा गया कि 'प्रत्यक्ष खरीद' के माध्यम से 'डेस्कटॉप' की अधिप्राप्ति करते समय प्रणाली ने एल, का चयन किया, जिसकी रेटिंग 1.37 अंक (5 में से) की थी और उसे एक बार निलंबित कर दिया गया था और दो बार अक्षम किया गया था।

<sup>36</sup> माल के लिए कुल 11,25,392 ऑर्डर में से क्रमशः 1,93,850 एवं 2,52,161 ऑर्डर की देरी और गैर-वितरित ऑर्डर



प्रबंधन ने आगे दोहराया है कि जैम अनुप्रयोग क्रेता को अधिप्राप्ति के प्रत्यक्ष खरीद मोड में कम रेटिंग वाले विक्रेताओं को बाहर करने के लिए मार्केट प्लेस में “विक्रेता रेटिंग” फिल्टर लागू करने की अनुमति देता है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार किया जाता है, हालांकि, रेटिंग के संबंध में प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को नजर अंदाज करता है कि जैम अनुप्रयोग के माध्यम से एल<sub>1</sub> का चयन ‘विक्रेता रेटिंग’ पर फिल्टर के उपयोग द्वारा प्रभावित नहीं होता है क्योंकि विशिष्ट रेटिंग के बाद भी, उसे अनुप्रयोग द्वारा अनदेखा किया जाता है और अनुप्रयोग द्वारा चयनित एल<sub>1</sub> को निर्दिष्ट रेटिंग में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार, विक्रेता रेटिंग अपने महत्व को खो देता है जैसाकि केस स्टडी-5 में इंगित किया गया है। इसके विपरीत, विक्रेताओं को क्रेताओं की रेटिंग पर आधारित ऑर्डर को अस्वीकार करने की अनुमति है।

#### ग) विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं को भुगतान में देरी

‘सरकारी ई-मार्केट प्लेस में विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने की क्रियाविधि’ शीर्षक के वित्त मंत्रालय के ओएम (दिनांक 20.09.2016) में अपेक्षित था कि भुगतान करने के लिए लगने वाला समय छुट्टियों सहित 10 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी), अधिनियम 2006 प्रावधान किया गया कि एमएसएमई इकाइयों द्वारा माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए, क्रेता को 45 दिनों के अन्दर भुगतान करना है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक, ₹6780.36 करोड़ मूल्य के कुल 10.29 लाख सीआरएसी<sup>37</sup> जारी किए गए थे, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में कोई भुगतान नहीं किया गया था। भुगतान ‘समय पर’<sup>38</sup> केवल 3.79<sup>39</sup> प्रतिशत सीआरएसी के ₹298.12 करोड़ के मूल्य के मामले में किया गया था और बाकि मामले में या तो भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया गया था या नीचे दिए गए अनुचित समय के बाद देरी से किए गए थे:

तालिका 4.1.3: भुगतानों में देरी के मामले

ऐसे मामले जिनमें विलंबित भुगतान सहित भुगतान किया गया था		ऐसे मामले जिनमें निर्धारित समय के बाद भुगतान किया गया था		ऐसे मामले जिनमें कोई भुगतान नहीं किया गया था		एमएसई विक्रेता को भुगतान में देरी के मामले
प्रतिशत	करोड़ में मूल्य	प्रतिशत	करोड़ में मूल्य	प्रतिशत	करोड़ में मूल्य	प्रतिशत
49.08 <sup>40</sup>	3308.18	45.29 <sup>41</sup>	3,010.05	50.92 <sup>42</sup>	3,785.04	69.11 <sup>43</sup>

<sup>37</sup> जैम पर मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, जैम पर भुगतान की सलाह क्रेता द्वारा परेषिती रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र (सीआरएसी) के उत्पादन के बाद तैयार की जाएगी

<sup>38</sup> 10 दिनों के भीतर

<sup>39</sup> 10.29 लाख में से 38506 सीआरएसी

<sup>40</sup> 5.05 लाख सीआरएसी

<sup>41</sup> 10.29 लाख में से 4.66 लाख सीआरएसी

भुगतान में देरी 439 दिनों की अनुचित अवधि तक हुई (जैसा कि केस स्टडी 6 में दर्शाया है) और ऐसे मामलों में जिनमें कोई भुगतान नहीं किया गया था लंबन 415<sup>44</sup> दिनों तक था। इसके अलावा, एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, एमएसई विक्रेता को 436 दिनों की देरी हुई। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि क्रेताओं द्वारा भुगतान की स्थिति का गैर-अद्यतन इन आंकड़ों के लिए एक कारण हो सकता है।

विक्रेताओं को समय पर भुगतान की कमी के मुद्दे को जैम द्वारा अपनी जैम गुणवत्ता रिपोर्टों में विशेष रूप से जनवरी-मार्च 2019 के लिए और अप्रैल-जून 2019 के लिए रिपोर्टों में ध्वजांकित किया गया। जैम पर सचिवों की समिति की सिफारिशों में (मई 2018<sup>1</sup>) में भी संकेत दिया गया है कि क्रेता मंत्रालयों/विभागों की जैम की स्थायी समिति (एससीओजैम) को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खरीदें जैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई हैं और समय पर भुगतान किया गया है।

#### केस स्टडी 6

एक्स संगठन ने 'जेकेकोपियर ए475 जीएसएम (ए4 साइज पेपर)' के 250 नगो की अधिप्राप्ति के लिए '46000 की राशि का एक ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर को 16 फरवरी 2018 को विक्रेता को दिया गया था, उत्पाद की डिलीवरी 25 फरवरी 2018 को गई थी, हालांकि, भुगतान 11 मई 2019 को 439 दिनों की देरी के बाद किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 व फरवरी 2020) में कहा कि भुगतान क्रेता एजेंसी की सेवा स्तर की प्रतिबद्धता है और यह विशेष रूप से उनकी आन्तरिक प्रक्रियाओं का एक कार्य है और पूरी तरह से जैम एसपीवी के दायरे से बाहर है; एएस/ जेएस व एफए के नेतृत्व वाली एससीओजैमएस को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है क्रेता सेवा स्तरों का पालन कर रहे हैं। यह समग्र सरकारी प्रणालियों का एक परिवर्तन प्रबंधन मुद्दा हैं और इसमें समय लगेगा; सितम्बर 2019 तक समय पर भुगतान का प्रतिशत बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। व्यय विभाग ने जैम पर भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में नए निर्देश (23 जनवरी 2020) भी जारी किए हैं। प्रबंधन ने आगे कहा कि जैम गैर-पीएफएमएस संस्थाओं के लिए ऑटो डेबिट 80-20 सुविधा जारी करने जा रहा है, जिसमें सम्पूर्ण बिल को दो भागों में 45 दिनों के अन्दर जारी किया जाएगा और अपनी ईआरपी प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए केंद्रीय पीएसयू के साथ भी काम कर रहा हैं। इसके अलावा, प्रणाली अब भुगतान को बंद कर देगा जो 60 दिनों से अधिक के लिए पोस्ट सीआरएसी को देय है क्योंकि क्रेताओं ने जैम पोर्टल पर ऑफलाइन भुगतान स्थिति को अद्यतन नहीं किया है। प्रबंधन ने आगे दोहराया कि जैम ने एक गतिशील जैम रेटिंग

<sup>42</sup> 5.24 लाख सीआरएसी

<sup>43</sup> 1.36 लाख में से 0.94 लाख सीआरएसी

<sup>44</sup> ऐसे मामले जिनमें सीआरएसी को जारी किया गया लेकिन भुगतान लंबित है (31.03.2019 के बाद जारी किए गए सीआरएसी को छोड़कर)

प्रणाली को शुरू किया है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के निष्पादन को मापा जाता है।

लेखापरीक्षा की राय में, क्रेताओं के लिए कम रेटिंग, अपने आप में, भुगतानों में तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

इस प्रकार, ऑर्डर देने से माल की डिलीवरी तक भुगतान में देरी के लिए काफी देरी हुई थी। जैम अनुप्रयोग पर औसत अधिप्राप्ति समय (ऑर्डरों को तैयार करने से लेकर भुगतानों तक लगने वाला समय) 136.31 दिनों का था और ऐसे मामलों में जिनमें भुगतान प्रारम्भ भी नहीं किया गया था, औसत समय 118 दिनों (31 मार्च 2019 तक लंबित) का रहा था। इस प्रकार, अधिप्राप्ति के लिए एक दक्ष और तेज प्लेटफॉर्म प्रदान करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 व फरवरी 2020) में कहा कि 'प्रत्यक्ष खरीद' के मामले में, कार्ट से ऑर्डर देने तक लिया गया औसत समय एक दिन में भी कम है, ऑर्डर देने से डिलीवरी तक का औसत समय 8 दिनों का है और डिलीवरी से सीआरएसी तैयार करने तक का औसत समय 4 दिन है। बोली के मामलों में, बोली प्रस्तुतिकरण से ऑर्डर देने तक का औसत समय 12 दिन है, बोली/ आरए में ऑर्डर देने के बाद औसत डिलीवरी समय 18 दिन है और बोली/ आरए में डिलीवरी में सीआरएसी तैयार करने तक औसत समय 8 दिन का है।

लेखापरीक्षा की राय में, भुगतान में देरी एक गम्भीर प्रक्रियाबद्ध मामला है जोकि जैम के उद्देश्यों की प्राप्तियों का प्रभावित करता है। जबकि जैम एसपीवी को क्रेताओं तथा विक्रेताओं की ओर से ऐसी देरी को फौलो अप करने के लिए निरन्तर तथा सक्रीय कार्यवाही करने की आवश्यकता है, दियों के समय पर भुगतान को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु सभी सरकारी संस्थाओं को निर्देश जारी करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ लिया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराओ में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, जैम के निष्पादन में और सुधार की आवश्यकता है। जबकि हमने नोट किया कि निष्पादन में इस तरह के सुधार के लिए सभी हितधारकों (क्रेता विभागों/ संस्थाओं और विक्रेता सहित) के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैम एसपीवी को क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ इस तरह की देरी पर अनुर्वतन के लिए निरंतर, सक्रीय कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

#### 4.1.6.4 यथा उल्लिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण

सरकारी ई-मार्केट प्लेस में पारदर्शी और कुशल तरीके में आमतौर पर उपयोग में आने वाले माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए शुरू से अंत तक ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, एमएसपी के चयन के लिए जारी आरएफपी के अनुसार, जैम को आपूर्तिकर्ताओं और क्रेताओं के बीच एक सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्लेटफार्म के रूप में कार्य कराना था, जिसने जैम के साथ पंजीकृत माल और सेवाओं की आपूर्ति और अधिप्राप्ति के लिए एक सामान्य, एकीकृत और पारदर्शी सरकार कारोबार (जी2बी) के लिए उनको उपलब्ध कराना था। हालांकि, अनुप्रयोग में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी जो इन उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति के कारण थे:

##### क) एक ही विक्रेता को बार-बार ऑर्डर देना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹1,206.45 करोड़ के मूल्य के ऑर्डर<sup>45</sup> को जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एक ही क्रेता संगठन ने बार-बार एक ही आपूर्तिकर्ता को 20 बार से अधिक दिया था। इसके अलावा, क्रेताओं ने एक ही विक्रेता को 100 बार से अधिक ₹117.41 करोड़ मूल्य के ऑर्डर<sup>46</sup> दिए और 30 क्रेता संगठनों ने एक ही विक्रेता (जैसा कि केस स्टडी 7 के माध्यम से बताया गया) को 200 बार से अधिक ऑर्डर दिए थे। इस प्रकार, प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पक्षपात को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण नहीं थे।

##### केस स्टडी 7

एक्स संगठन ने 'कार्टिज'या 'टोनर' की अधिप्राप्ति के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक एक ही विक्रेता को बार-बार ₹2.81 करोड़ मूल्य के 558 ऑर्डर दिए गए। ऑर्डर का अधिकतम मूल्य 12.78 लाख था और न्यूनतम मूल्य 569 था। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के दौरान उक्त क्रेता द्वारा दिए गए कुल ऑर्डर 687 थे।

इसलिए, जीएफआर में निर्दिष्ट सीमा के नीचे के ऑर्डरों के विभाजन से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करने हेतु अनुप्रयोग में इन-बिल्ट नियंत्रण विकसित किया जा सकता है कि सीलिंग जिसके ऊपर एक ही विक्रेता को बार-बार दिए जाने वाले ऑर्डरों के मूल्य को लागू किया जा सकता है।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में कहा कि यह जैम पर पारदर्शिता का एक निशान है कि यह सूचना पहली बार केन्द्रीय रूप से उपलब्ध है। प्रबंधन ने आगे आश्वासन दिया कि विक्रेता की पहचान के मास्किंग, पक्षपात को नियंत्रित करने के लिए क्रेताओं के सक्षम प्राधिकरण के डैशबोर्ड का प्रावधान, ऐसे क्रेताओं को पाक्षिक चेतावनी और दिनांक

<sup>45</sup> 3,25,925 मामलें

<sup>46</sup> 37,572 मामलें

2 अप्रैल 2019 के जीएफआर में संशोधन के माध्यम से ₹50,000 से ₹25,000 तक सीधी खरीद की सीमा में कमी जैसे नियंत्रण थे। प्रबंधन ने आगे कहा कि कारोबार नियम जिसमें क्रेता प्रत्यक्ष खरीद में एक ही विक्रेता से उसी सप्ताह में एक ही उत्पाद का ऑर्डर नहीं दे सकता, को अनुप्रयोग में कार्यान्वित किया गया है।

#### ख) एकल विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता को बोलियों में भागीदारी के लिए निमंत्रण

आरएफपी के अनुसार, जैम प्रणाली की मानकीकृत उत्पादों और सेवाओं की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कल्पना की गई थी जो उत्पाद के विनिर्देशों को बहुत 'विशिष्ट' बनाने जैसे बोली में हेराफेरी सहित अधिप्राप्ति प्रक्रिया से कदाचारों का कम/ समाप्त कर देगा। हालांकि, भागीदारी के लिए विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता को भेजी गई बोली अधिसूचनाओं से संबंधित डेटा के परीक्षण जांच से पता चला कि 31,993 बोलियों में से, 256 बोलियों में, अधिसूचनाएं 'केवल एक विक्रेता' को भेजी गई थी जबकि इन बोलियों के माध्यम से

#### केस स्टडी 8

एक्सवार्डजेड संगठन ने ₹10.51 लाख मूल्य की 100 ओवर विस्तर टेबलों (अस्पताल बेड़ों) की अधिप्राप्ति के लिए एक बोली प्रकाशित की गई। समान मर्दों को बेचने वाले सभी विक्रेताओं के बजाय केवल एक विक्रेता को अधिसूचना भेजी गई थी। बोली के प्रति एकल भागीदारी केवल एक विक्रेता से प्राप्त हुई थी जिसे अधिसूचना प्राप्त हुई थी और ऑर्डर फलस्वरूप उस विक्रेता को प्रदान कर दिया गया था।

अधिप्राप्त मद जैसे डेस्कटॉप, राइटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर्स, बैटरी सेल, चेयर, कम्प्यूटर सर्वर, ड्रिंकिंग वाटर कूलर, नोटबुक-लैपटॉप, आदि मदे शामिल हैं जिनके लिए जैम पर अनेक विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं हो सकते हैं।

यह इंगित करता है कि क्रेता इस तरह से मापदंडों का चयन करने में सक्षम थे कि कई विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता की उपलब्ध के बावजूद जैम प्रणाली ने एकल विक्रेता को अधिसूचना भेजी (जैसा कि केस स्टडी 8 में इंगित किया)।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कि जैम ने पुनः विक्रेताओं के लिए पहले से ही टर्नओवर की आवश्यकता पर सीमाएं लगा दी हैं और समय-समय पर अतिरिक्त निबंधन और शर्तों के पुस्तकालय की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोलियों के लिए कोई प्रतिबंधात्मक शर्तों में कोई छूट नहीं दी है। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त निबंधन और शर्तों को शामिल करने का अनुरोध केवल क्रेता के संगठन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ शामिल किया जाता है। बोलियों के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को जैम की कानूनी टीम के माध्यम में जांचा जाता है। इसके अलावा, प्रक्रिया में सुधार किया गया है ताकि अधिसूचना विक्रेताओं के बड़े समूह को जाती है; विक्रेता की पात्रता निर्धारित करने के लिए टर्नओवर के फिल्टर में छूट दी गई है।

### ग) सेवा प्रदाताओं के नामों की गैर मास्किंग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवाओं का चयन करते समय 'सेवा प्रदाताओं के नाम छिपाए' नहीं गए थे और इसलिए क्रेता सेवा प्रदाता के नामों को देखने में सक्षम थे और आसानी में उसी सेवा प्रदाता का चयन बार-बार कर सकते थे जिससे पारदर्शिता का उद्देश्य विफल हो गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और मार्केट प्लेस में सेवा प्रदाताओं के नामों को छिपाने के लिए आश्वस्त दिया।

#### 4.1.6.5 मितव्ययिता और कीमत तर्कसंगतता के संबंध में कमियां

लेखापरीक्षा ने कीमत तर्कसंगतता और मितव्ययिता के संबंध में कुछ कमियां देखी हैं जैसा कि नीचे विवरण दिया है।

#### क. असामान्य रूप से कम कीमतों पर उत्पादों की बिक्री

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ उत्पाद बेहद कम दर पर उपलब्ध थे जो प्रस्तावित उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के बारे में चिंता बढ़ा रहे थे। इसके अलावा बेहद कम कीमतों के कारण, इस तरह के उत्पादों को अनुप्रयोग द्वारा एल<sub>1</sub> के रूप में चयनित किए जाने की संभावना थी। एक नमूना जांच से पता चला कि 'सुसंगत कार्टिज' ₹30 (₹9,000 के बाजार मूल्य है) में उपलब्ध थी; इसी प्रकार, एक ट्रॉली बैग ₹67 (इसकी बाजार कीमत ₹1,455 है) में उपलब्ध था।

इस प्रकार, इन अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए अनुप्रयोग में निहित-तंत्र में एक प्रभावी और रियल-टाइम को इस तरह विकसित करने की आवश्यकता है कि विक्रेता द्वारा एल<sub>1</sub> बनने के लिए असामान्य परिवर्तनों का रियल-टाइम में पता लगाया जा सके और उनकी जांच की जा सके।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में आश्वासन दिया कि जैम अन्य उपायों के अलावा, ऐसे रियल टाइम नियंत्रणों की विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, जैम श्रेणी/ उत्पाद स्तर पर और प्रतिशत छूट पर मूल्य सीमा निर्धारण, बोली लगाने के दौरान कीमत परिवर्तन की निगरानी सुनिश्चित करेगा, अधिकृत पुनर्विक्रेता/ ओईएम का टैग प्रदर्शित करेगा, मामले के आधार क्यू 3 से क्यू 2 तक श्रेणियों की आवाजाही को जांचेगा, विक्रेताओं/ ओईएम/ श्रेणियों और उत्पादों पर आवधिक स्वास्थ्य रिपोर्ट की प्रणाली विकसित करेगा और उपकरण के उपयोग से असामान्य रूप से कम या उच्च कीमतों के उत्पाद के साथ उत्पादों की पहचान करेगा। प्रबंधन ने आगे कहा कि जैम बाजार समझदारी को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कार्यात्मकताएं विकसित करने और मूल्यांकन कराने हेतु ओईएम के लिए इसे आवश्यक बना देता है।

**ख) अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा एल<sub>1</sub> के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उच्च दरों पर वस्तुओं की अधिप्राप्ति (प्रत्यक्ष खरीद)**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मर्दों के चयन के समय पर, एल<sub>1</sub> दरों को एल<sub>1</sub> के पास उपलब्ध स्टॉक के साथ क्रेता को दर्शाया गया था। यदि, क्रेता द्वारा अपेक्षित मात्रा एल<sub>1</sub> के पास उपलब्ध स्टॉक से अधिक थी, तो एल<sub>1</sub> परिवर्तित हो जाता है और नया एल<sub>1</sub> विभिन्न दरों पर समान/ एक ही उत्पादों की उपलब्धता के कारण पहले एल<sub>1</sub> से उच्च दरों पर उपलब्ध होगा। यहां कोई विकल्प नहीं है या तो (1) पुराने एल<sub>1</sub> से कम मात्रा प्राप्त करे और अन्य विक्रेता से अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करे या (2) एल<sub>2</sub> से कहे कि यदि वह एल<sub>1</sub> की कीमतों पर मर्दों की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति कर सकता है। यद्यपि, यह कार्यात्मकता बीआरडी/ आरएफपी द्वारा कार्यान्वित होने के लिए अपेक्षित नहीं थी, हालांकि, जैम अनुप्रयोग में इस विकल्प की कमी के परिणामस्वरूप उच्च दरों पर मर्दों की अधिप्राप्ति की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का खंडन किए बिना प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कि जैम कीमत तर्कसंगतता सुनिश्चित करने पर अधिक जोर देता हैं और इसने प्लेटफॉर्म पर कई उपकरणों का प्रावधान किया है। एक क्रेता पिछले रूझान और उत्पाद का मूल्य देख सकता है जो अन्य ई-वाणिज्यिक पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रबंधन ने आगे कहा कि टॉप-10 श्रेणियों (ऑटोमोबाइल को छोड़कर) के लिए पोर्टल से बचत लगातार 25 प्रतिशत से अधिक रही है।

प्रबंधन का उत्तर प्रशासनीय है, हालांकि, क्रेताओं को अधिप्राप्ति में मितव्ययिता को प्राप्त करने के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं क्योंकि मौजूदा मामले में एक ही उत्पाद की कीमते भिन्न और अलग-अलग पाई गई थी जिसके कारण यद्यपि एल<sub>2</sub> की कीमते एल<sub>1</sub> से अधिक थी परंतु उसके पास अपेक्षित मात्रा थी। इसके अलावा, अन्य ई-वाणिज्यिक वेबसाइटों के साथ पिछले रूझान और कीमत तुलना भी जैम पर सभी उत्पादों के लिए उपलब्ध हो सकती है क्योंकि यह वर्तमान में सभी उत्पादों के लिए उपलब्ध नहीं है।

**ग) समान उत्पाद की कीमतों में भिन्नता**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उसी दिन समान मद के लिए जैम पर प्रस्तुत कीमत में भिन्नता थी। एक ही विभाग ने एक ही तारीख को समान मद के लिए विभिन्न कीमतों पर ऑर्डर दिए थे। 'प्रस्तावित कीमत' में समान मद के लिए भिन्नता ₹139 से लेकर ₹6,000 से अधिक थी (केस स्टडी 9 में दर्शाया गया)।

**केस स्टर्ड 9**

एक विभाग ने एक ही दिन ₹23181 और ₹17181 में 'मीटिंग टेबल' का ऑर्डर दिया। इसी प्रकार, 'स्टील क्लोथ लॉकर' उसी विभाग के द्वारा उसी दिन पर ₹24000 और ₹21159 के लिए ऑर्डर दिए थे।

प्रबंधन ने तर्क दिया कि ये वस्तुएं बड़े आकार की/ भारी वजन वाली फर्नीचर वस्तुएं थीं और भाड़ा अधिक होने के कारण, इसलिए कीमते परेषिती के स्थान के लिए भी बहुत सुग्राही थी। इसलिए, बहुत अधिक संभावना थी कि बिल्कुल समान विनिर्देश के साथ समान वस्तु की दर भी परेषिती के स्थान आदि के आधार पर काफी भिन्न हो सकती हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा समीक्षा में दर्शाया गया कि प्रणाली ने क्रेता को उसी या आस-पास के स्थान से विक्रेता का चयन करने की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप दूरी के लिए लदान की अतिरिक्त लागत आई। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, अनुप्रयोग ने कीमतों में मितव्ययिता और छूट प्राप्त करने के लिए ऑर्डर में उनके ऑर्डरों को जोड़ने के लिए क्रेताओं को प्रेरित/ प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्तर ने उन मामलों समाधान नहीं किया जहां एक ही विभाग को एक ही परेषिती के स्थान के लिए एक ही दिन अलग-अलग कीमतें मिली हैं।

प्रबंधन में आगे अपने उत्तर (फरवरी 2020) में आश्वस्त दिया कि जैम वर्तमान में मार्केट प्लेस में अंतिम अधिप्राप्ति कीमत पर जानकारी प्रदान करता है और लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए क्रेताओं को अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यात्मकता बढ़ाएगा।

#### घ) बाजार और प्रस्तावित कीमतों में भिन्नता और 'बचत' में परिणामी वृद्धि

जैम मार्केटप्लेस में दर्शाई गई 'बाजार कीमत' में और बोली के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्तावित कीमत में भी भिन्नता देखी गई थी। उनके उच्च मूल्य (20 करोड़ रुपये से अधिक) के कारण जैम द्वारा "डिमांड एग्रीगेशन" के रूप में माने जाने वाले 131 मामलों की एक परीक्षण समीक्षा से ज्ञात हुआ कि बाजार मूल्य और प्रस्तुत मूल्य के मध्य 1.72 करोड़<sup>47</sup> रुपये जितनी भिन्नता थी जिसकी उच्चतम दर 93.07 प्रतिशत थी। 131 मामलों में से 22 मामलों<sup>48</sup> में भिन्नता ₹2 लाख से अधिक थी। इसी प्रकार, 12 मामलों में, भिन्नता ₹10 लाख से अधिक थी।

इस तरह के भारी बदलाव के परिणामस्वरूप 'बचत' में वृद्धि हुई, जिसे जैम ने अपनी तिमाही जैम गुणवत्ता रिपोर्ट (इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित) में संस्करण 3.0 के कार्यान्वयन के बाद प्राप्त करने का दावा किया गया क्योंकि 'बचत' की गणना बाजार कीमत और प्रस्तावित कीमत के बीच अंतर के आधार पर की जाती है। चूंकि सरकारी संगठनों के लिए विशेष अधिप्राप्ति पोर्टल होने के कारण जैम एक लाभप्रद स्थिति में है, इसलिए क्रेता संगठनों द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक मितव्ययिताएं और बचत को दिनांकित आंकड़ों के आधार पर आनुमानिक बचतों के बजाय दर्शाई जानी चाहिए। इस प्रकार, ये आंकड़े प्लेटफॉर्म की दक्षता और प्रभावशीलता का बेहतर ढंग से मूल्यांकन करेंगे।

<sup>47</sup> आइटम-पूर्ण एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली

<sup>48</sup> यूपीएस, राउटर, डीजल जनरेटर, सर्वर, फ़ायरवॉल आदि जैसे आइटम



अतः जैम पर 'बचत' की गणना के लिए पद्धति मजबूत प्रतीत नहीं होती है और इसे आगे समीक्षा की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि जैम ने आईआईएम लखनऊ से जैम पर बचत की गणना करने के लिए और जैम से अधिप्राप्ति के कारण होने वाली बचत के निर्धारण के लिए एक ढांचा विकसित करने का अनुरोध किया है और कार्य प्रगति पर हैं।

इससे पेश किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में भी चिंता पैदा होती है खासकर ऐसे मामलों में जहां उत्पाद की पेशकश बाजार मूल्य पर 93 प्रतिशत से अधिक की कमी के बाद की जाती है।

मूल्य देयता तथा संबंधित गुणवत्ता (पैरा क, ख तथा घ) के विषय में उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर, जैम प्रबंधन इस तरह के लेनदेन की पहचान कर सकता है और ऐसे मामलों को उत्पन्न करने वाले कारकों का विस्तृत विश्लेषण कर सकता है, अनियमितताओं तथा वास्तविक समय में सम्बद्ध विक्रेताओं की पहचान करने हेतु परिस्थिति उत्पन्न करना तथा ऐसी परिस्थितियों में परिणामों की समीक्षा भी एवं यदि आवश्यकता हो तो उचित कार्यवाही भी कर सकता है। इस लेनदेन को खरीदार के संगठन के लिए भी चिन्हित किया जा सकता है ताकि वे अपने स्तर पर कमियों का ठीक कर सकें।

#### 4.1.6.6 कैटलॉग प्रबंधन की शर्तों की मैपिंग न करना

जैम में कैटलॉग प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस), नए 'उत्पाद श्रेणी' की प्रक्रिया का विवरण, तकनीकी मापदंडों की परिभाषा, उत्पाद कैटलॉग का अनुमोदन/ अस्वीकृति के ब्यौरे प्रदान करती है। यह विक्रेता के प्रमाणीकरण जैसे 'मूल उपकरण निर्माता' (ओईएम) या 'अधिकृत पुनर्विक्रेता' की प्रक्रिया का विवरण देती है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैटलॉग प्रबंधन की निम्नलिखित शर्तें अनुप्रयोग में मैप नहीं की गई थी।

**क) ओईएम प्राधिकार की वैधता के साथ गैर-एकीकरण के कारण वैधता की समाप्ति के बावजूद उत्पाद/ ब्रांड की स्थिति 'सक्रिय' बनी रही**

ओईएम प्राधिकार से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने से पता चला कि जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक, कुल 65,234 ब्रांडों/ उत्पादों के लिए अनुरोध किया गया या ओईएम प्राधिकरण के लिए अनुमोदित किया गया जिसमें से 51,557 'सक्रिय' थे और 13,672 'निष्क्रिय' थे। यह भी पाया गया था कि 5,669 उत्पाद/ ब्रांडों के संबंध में प्राधिकार की वैधता 'समाप्त' हो चुकी थी हालांकि, बीआरडी की शर्तों की गैर-मैपिंग और अपर्याप्त एकीकरण के कारण, इन उत्पादों/ ब्रांडों की स्थिति 'सक्रिय' के रूप में प्रकट हो रही थी, जो यह दर्शाता है कि उत्पाद संबंधित ओईएम से अपने प्राधिकार की समाप्ति के बावजूद जैम पर 'बिक्री' के लिए उपलब्ध थे। इस प्रकार, ओईएम के पास उत्पाद/ ब्रांड प्राधिकार की

वैधता अवधि के साथ अपर्याप्त एकीकरण हैं और जैम के माध्यम से अनधिकृत उत्पाद की बिक्री या अवाधिकृत विक्रेता के माध्यम से हो सकती है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कहा कि जैम समाप्त/ समाप्त होने वाले सभी प्राधिकारों के ओईएम अधिसूचित कार्यात्मकता को कार्यान्वित करेगा ताकि ओईएम आवश्यकता अनुसार जरूरी कार्रवाई कर सकें, जिसमें ओईएम ऐसे विक्रेताओं के प्राधिकार को नवीनीकृत/ हटाने का विकल्प रखेगा और सभी बिक्रेताओं जिनके प्राधिकार को समाप्त हो चुके हैं ओईएम के पैनल पर विशिष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकृत पुनर्विक्रेताओं के लिए अपील तंत्र अस्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें ओईएम द्वारा जैम पर ऑनबोर्ड की अनुमति नहीं दी जा रही है।

#### ख) 'ब्रांड'के अनुमोदन से संबंधित शर्तों की मैपिंग न करना

कैटलॉग प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यक है कि विक्रेताओं /सेवाप्रदाताओं द्वारा अपलोड किए गए पूरे कैटलॉग को मार्केटप्लेस पर प्रकाशित होने से पहले सीएमएसटीएम द्वारा मान्य किया जाता है। ब्रांड अनुमोदन के संबंध में, उपयोगकर्ता 15 दिनों के भीतर आवेदित ब्रांड को 'अनुमोदन', 'अस्वीकार', 'होल्ड पर रख' सकता है।

इस संबंध में, डेटा के नमूना जांच से पता चला कि 1,146 ब्रांडों को अनुमोदन के लिए 'आवेदित' किया गया था; हालांकि, 15 दिनों के भीतर ब्रांड के अनुमोदन से संबंधित शर्त को मैप नहीं किया गया था जिसके कारण ब्रांडों के अनुमोदन में अनुचित देरी हुई। ब्रांड अनुमोदन के संबंध में अनुमोदन, अस्वीकरण और लंबन में देरी का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 4.1.4: ब्रांडों के अनुमोदन और अनुमोदन में देरी का विवरण


अनुमोदन की स्थिति	ब्रांडों की संख्या	विलंबित ब्रांडों की संख्या	विलंब की सीमा
अनुमोदित	636	398	85 दिनों तक
लंबित	502	370	80 दिनों में अधिक
अस्वीकृत	8	1	23 दिनों तक

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (जून, अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कहा कि कभी-कभी विक्रेता/ सेवा प्रदाता अपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देते हैं जिसके लिए जैम टीम को आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकृति से पहले सही दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में, विक्रेता के साथ पत्राचार कई पुनरावृत्तियों में चला जाता है क्योंकि विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं ने सही दस्तावेजों की व्यवस्था करने में लंबा लिया। हालांकि, प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि परिवर्तन जैसे दस्तावेज को अपलोड करना, ब्रांड आवेदन के समय पर वेबसाइट

लिंग, अनुमोदन पैनल/ विक्रेता पैनल के माध्यम से अतिरिक्त सहायक दस्तावेजों की मांग करना और प्रस्तुत करना, तीन बार तक श्रेणी में ब्रांड के प्रस्तुतिकरण पर प्रतिबंध और सदस्यों द्वारा एक के बाद एक का अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित कतार प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने, कार्यान्वित किया जाएगा।


#### ग) स्थितियों की मैपिंग न करने के कारण घटना प्रबंधन प्रणाली का अप्रभावी उपयोग

‘घटना प्रबंधन’ (आईएम) से संबंधित बीआरडी, उन घटनाओं<sup>49</sup> की पहचान और व्यवस्था के लिए समग्र ढांचे का विवरण देती है जो पूर्व-आदेश<sup>50</sup> और पश्च-आदेश चरणों दोनों में जैम पोर्टल पर विचलन से हुई हैं। घटनाओं के समाधान के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:



चित्र: 4.1.9 घटनाओं के समाधान में शामिल चरण

विचलनों को विकरता के आधार पर ‘मध्यम’<sup>51</sup>, ‘गंभीर’<sup>52</sup> और ‘विकर’<sup>53</sup> घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2019 तक, 55,984<sup>54</sup> आदेशों के प्रति सृजित 93,222 घटनाएं, ‘घटना प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से रिपोर्ट की गई थी। कुल घटनाओं में से, 39,460 घटनाएं क्रेताओं के प्रति उत्पन्न हुई थी जबकि 49,948 घटनाएं विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के प्रति उत्पन्न हुई थी।



चित्र 4.1.10: उत्पन्न घटनाओं के प्रति

<sup>49</sup> सामान्य निबंधन एवं शर्तों, विशेष निबंधन एवं शर्तों सहित, जैम पर अधिप्राप्ति की निबंधन और शर्तों से विचलन

<sup>50</sup> पंजीकरण, उत्पाद सूची, अधिप्राप्ति प्रक्रिया आदि

<sup>51</sup> मध्यम घटनाएं जैसे अपूर्ण या अनजाने में गलत जानकारी प्रस्तुत करना

<sup>52</sup> गंभीर घटनाएं जैसे प्रत्यक्ष/ एल, खरीद के लिए डिलीवरी न करना, सरकारी लेन-देन के अनुभव या वित्तीय जानकारी की गलत घोषणा, घटिया/ अनमानक गुणवत्ता की आपूर्ति, गलत, झूठा, भ्रामक या जाली दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

<sup>53</sup> विकट घटनाएं जैसे सफलतापूर्ण बोली के बाद उत्पाद/ सेवाओं की डिलीवरी न करना, विक्रेता द्वारा किसी भी संबंध में बोली को वापस लेना/ संशोधित करना/ बिगाडना/ अप्रतिष्ठा, अपेक्षित पीबीजी प्रस्तुत करने में असफल, झूठी पहचान के साथ पंजीकरण, किसी भी विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार या कार्टेल जानकारी में लिप्तता, क्षुब्ध प्रभाव, एमआरपी की गलत घोषणा

<sup>54</sup> बिना किसी क्रम संख्या संदर्भ के घटनाओं को छोड़कर

• घटनाओं के समाधान में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि घटनाओं के समाधान में असामान्य देरी हुई थी। 31 मार्च 2019 तक सूचित कुल घटनाओं में से, केवल 51.92 प्रतिशत<sup>55</sup> घटनाओं को 'बंद' किया गया था और शेष 48.08 प्रतिशत घटनाएं अंतिम समाधान के लिए (अप्रैल 2019 तक) लंबित थीं। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.1.5: घटनाओं के समाधान का विवरण

घटना का प्रकार	कुल सूचित घटनाएं	निर्धारित अवधि के बाद कुल घटनाओं का समाधान	निर्धारित समय <sup>2</sup> के बाद समाधान की गई घटनाओं की प्रतिशतता <sup>56</sup>	एक घटना में सबसे लंबा समाधान समय
मध्यम	2,232	1,645	73.70	283 दिन
गंभीर	65,320	35,369	54.15	338 दिन
विकट	21,772	13,475	61.89	336 दिन

इस प्रकार, स्थितियों की मैपिंग के अभाव में, अनुप्रयोग ने निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई करने हेतु उपयोगकर्ताओं/ हितधारकों को न तो प्रचार किया और ना ही सचेत किया। घटनाओं के समाधान में इस तरह की लंबी देर के कारण, घटना प्रबंधन तंत्र ने एक निवारक के रूप में अपनी प्रभावशीलता खो दी। समाधान में ऐसी देरी मान्सीय हस्तक्षेप की ओर भी इशारा करती हैं। इसके अलावा, यह चूककर्ता क्रेताओं/ विक्रेताओं को घटना के विचार की अवधि के दौरान भी जैम पर परिचालन करने की अनुमति देता है जो 6-10 महीनों तक चलती हैं।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में कहा कि प्रत्यक्ष खरीद के लिए उत्पादों और सेवाओं की डिलीवरी न करने के मामले में स्वतः-प्रचार और स्वतः-कारण बताओं नोटिस, उत्पाद/ सेवा की गुणवत्ता में संबंधित मुद्दे और जैम के लिए जाली दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण को कार्यान्वित किया जा रहा है और गतिविधियों जैसे प्रचार हेतु देय अप्रचारित घटनाओं को स्वतः बंद, प्रणाली पहचाने योग्य विचलनों के लिए स्वतः शास्ति का आरोपण भी आईएम पोर्टल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विकास के अधीन है।

जैम हस्तपुस्तिका (जुलाई 2018) में कहा गया है कि यद्यपि जैम विवाद समाधान और घटना प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैम आखिरकार केवल एक प्लेटफॉर्म है।

<sup>55</sup> 93,222 में से 48,399

<sup>56</sup> मध्यम, गंभीर और विकट घटनाओं के मामले में क्रमशः 25, 24 एवं 22 दिन

इस प्रकार, जैम प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए, विक्रेता/ क्रेता के प्रति दर्ज विचलनों से लेकर चूककर्ता क्रेता/ विक्रेता के खाते को अवरूद्ध करने या निलंबित करने और बोर्ड/ वाणिज्यिक मंत्रालय के समक्ष ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश करने तक सीमित है। फिर भी, लेखापरीक्षा का मानना है कि जैम एसपीवी को इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह से संभव करने की आवश्यकता है।

- **घटनाओं की विकटता के स्तर का वर्गीकरण न करना**

प्रक्रिया के अनुसार, घटनाओं के प्रकार को विकटता के स्तर के आधार पर 'मध्यम', गंभीर या 'विकट' में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि घटना के 'विकटता स्तर' के संदर्भित फील्ड को उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं के प्रकार के आधार पर स्वचालित रूप से नहीं भरा जाता था, इसने 58 घटनाओं के विकटता स्तर पर 'रिक्त' अर्थात् प्रणाली द्वारा अपरिभाषित छोड़ दिया था। किसी घटना के समाधान के लिए अनुसरण किए जाने वाले समाधान समय और प्रक्रिया घटनाओं की 'विकटता' पर निर्भर करती है, इसलिए, ऐसे वर्गीकरण के अभाव में, समाधान समय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि प्रणाली को अब विकसित और स्थिर कर लिया गया है और एक कारण का चयन के बिना कोई भी घटना सृजित नहीं जा सकती हैं और ये कारण तालिका में घटना की विकटता को दर्ज करते हैं; इसलिए अब ऐसे मामलें नहीं आते।

- घ) **भारत सरकार, जीएफआर और आरएफपी की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यात्मकताओं की मैपिंग न करना**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार, जीएफआर और आरएफपी की निम्नलिखित आवश्यकताओं को जैम अनुप्रयोग में विकसित और कार्यान्वित नहीं किया गया था।

- **सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए आरक्षित मदों की विशेष अधिप्राप्ति:** यद्यपि, अपने संबंधित उत्पादों के साथ एमएसई विक्रेताओं की जैम पोर्टल पर पहचान की गई हैं, हालांकि, 358 मदों को एमएसई से विशेष अधिप्राप्ति (वार्षिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत) के लिए आरक्षित किया गया है, जैसेकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के तहत आवश्यकता अनुसार प्रणाली में गैप या जोड़ा नहीं गया था।

- **सामग्री की अधिप्राप्ति 2017 नियमपुस्तक का 'विकल्प खंड' (वित्त मंत्रालय):** सामग्री की अधिप्राप्ति 2017 की नियमपुस्तक का 'विकल्प खंड' निर्दिष्ट करता है कि क्रेता ठेके की अवधि के दौरान ठेके की समान दर और शर्तों पर मूल रूप से अनुबंधित

मात्रा के एक निर्दिष्ट प्रतिशत (25 से 30 प्रतिशत) तक की एक अतिरिक्त मात्रा (वृद्धि/कमी) के लिए आदेश देने का अधिकार रखता है। यह आगे प्रावधान करता है कि यह खंड और प्रतिशतता बोली दस्तावेज का हिस्सा होना चाहिए और नियमित और साल-दर-साल की आवर्तक आवश्यकताओं के कच्चे/ उपभोज्य सामग्रियों के लिए संविदा और 50 लाख से ऊपर के मूल्य की सभी निविदाओं में अनिवार्य रूप से यह खंड शामिल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 'विकल्प खंड' की अपेक्षित शर्तें बोली प्रक्रिया की निबंधन एवं शर्तों में उल्लेखित थी, हालांकि, इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को बोली के माध्यम से अधिप्राप्ति के लिए अनुप्रयोग में मैप नहीं किया गया था। इसलिए क्रेता बोली के समय पर चयनित उत्पाद की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके लिए विकल्प अनुप्रयोग में उपलब्ध ही नहीं था।

- **वापसी खरीद के लिए कार्यात्मकता:** वापसी खरीद मोड के माध्यम से मौजूदा पुरानी मर्दों को नई अधिप्राप्ति के साथ बदलने के लिए वापसी खरीद प्रस्ताव का प्रावधान, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मर्दों, ई-कचरे या खतरनाक मर्दों के मामले में, जैसाकि जीएफआर के नियम 176 के तहत अपेक्षित था, मैप नहीं किया गया था।

- **अग्रणीत नीलामी:** प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में आवश्यकता अनुसार उपयोगकर्ताओं के लिए 'अग्रणीत नीलामी' कार्यात्मकता को अभी तक विकसित नहीं किया था।

- **मांग का एकत्रीकरण:** मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आरएफपी में मांग एकत्रीकरण को जैम के लक्ष्यों में से एक के रूप पेश किया गया था, जिससे मांग एकत्रीकरण के चक्र में भाग लेने के लिए क्रेता को अनुमति द्वारा थोक अधिप्राप्ति के लिए समक्ष किया जा रहा है और अपनी मांग आवश्यकताओं को विक्रेताओं को पोर्टल में उत्पादों के ऑफर देने और सर्वश्रेष्ठ कीमतों ऑफर देने के लिए पोर्टल में डाल दिया जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें होंगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मांग एकत्रीकरण से संबंधित कार्यात्मकता को जैम पोर्टल पर कार्यान्वित नहीं किया गया था और क्रेता द्वारा मांग एकत्रीकरण के चक्र में भाग लेने के लिए आवेदन करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था।

- **क्यूआर कोड से संबंधित प्रावधान:** आरएफपी के लिए आवश्यक है कि जैम प्रणाली के भीतर सामग्री की प्रभावी ट्रैकिंग की सुविधा के लिए प्रणाली में जैम प्लेटफार्म के माध्यम से लेन-देन की गई विभिन्न सामग्री के लिए जैम विशिष्ट क्यूआर कोड सृजित करने की कार्यात्मकता होगी। यह आगे कहा गया कि विक्रेताओं को जैम क्यूआर कोड प्रिंट करना और उसे आपूर्ति की जाने वाली सामग्री पर चस्पा करना आवश्यक होगा और विक्रेता अपने स्वयं के क्यूआर कोड/ बार कोड रख सकते हैं जो आपूर्ति किए जाने वाली

सामग्री पर अतिरिक्त रूप से चिपकाया जा सकता है। हालांकि, उक्त कार्यात्मकता उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसमें आदेशित वस्तु को ट्रेक करने में उपयोगकर्ता को अक्षमता होगी।

- **ई-ईएमडी और ई-पीबीजी का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जीएफआर 170 और 171 में विक्रेता से ईएमडी और पीबीजी प्राप्त करने में आदेश के मूल्य पर किसी भी मौद्रिक प्रतिबंध के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जैम अनुप्रयोग पर ईएमडी के लिए विकल्प 25 लाख से कम मूल्य वाले आदेशों के लिए उपलब्ध नहीं था और पीबीजी के लिए विकल्प 30 लाख से कम मूल्य वाले आदेशों के लिए उपलब्ध नहीं था। यह भी पाया गया था कि ईएमडी स्वचालित नहीं था।

- **जैम आईओएस अनुप्रयोग:** आरएफपी के लिए आवश्यक है कि एमएसपी फेज-2 में एक जैम मोबाइल ऐप्प (एन्ड्रोयड और आईओएस दोनों के लिए) बनाएगा जिसमें प्लेन बाय, प्लेन एल<sub>1</sub> बाय, रिवर्स ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शन, डिमांड एग्रीगेशन आदि तक पहुँच शामिल होगी। हालांकि, आईओएस समर्थित फोनों के लिए मोबाइल ऐप्प को अभी तक रोल आउट नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई, अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) से आश्वस्त किया है कि उपरोक्त सभी प्रकार की कार्यात्मकता/ अनुपालन को कार्यान्वित करने/ सक्षम करने के लिए आवश्यक उपाय ई-ईएमडी और ई-पीबीजी के मामले को छोड़कर पहले ही प्रक्रिया में है जिसमें यह उत्तर दिया गया है कि जीएफआर के नियम 170 (iii)<sup>57</sup> के अनुपालन में, सभी विक्रेताओं की बोली प्रतिभूति घोषणा प्राप्त करने के लिए 'जैम सामान्य निबंधन एवं शर्तें' में प्रावधान किया गया है।

ई-ईएमडी और ई-पीबीजी के संबंध में प्रबंधन का उत्तर इस लक्ष्य की अनदेखी करता है कि जीएफआर आदेश के मूल्य पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके अलावा, नियम 170 (iii) में उल्लिखित प्रावधान 'बोली प्रतिभूति' के स्थान पर उपलब्ध एक 'विकल्प' है और यह कहते हुए बोली प्रतिभूति प्राप्त करने का अधिकार नहीं छीनता है कि क्रेताओं को दोनों विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं।

<sup>57</sup> बोली प्रतिभूति के स्थान पर, मंत्रालयों/ विभागों में बोलीदाताओं के लिए एक बोली प्रतिभूति घोषणा पर हस्ताक्षर आवश्यक किया जाए जिसमें स्वीकार किया गया हो कि यदि वे वैधता अवधि के दौरान उनकी बोली को वापस या संशोधित करते हैं या यदि उन्हें ठेका दिया जाता है और वे ठेका हस्ताक्षरित करने में विफल होते हैं या बोली दस्तावेजों के लिए आवेदन में समय-सीमा से पहले निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होते हैं तो उन्हें बोली आमंत्रित करने वाले सत्त्व के साथ ठेकों के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए अर्हक होने से बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए लंबित किया जाएगा

**ड) 'मार्केटप्लेस' में कार्यात्मकता का अभाव और कमी**

जैम एक शुरु से अंत तक प्रणाली, निर्वाध प्रक्रिया प्रवाह और मानकीकृत विनिर्देशन प्रदान करना चाहता था; हालांकि, लेखापरीक्षा में कुछ कमियां पाई गईं:

**(i) 'कीमत तुलना' और 'कीमत प्रवृत्ति' की कार्यात्मकता का सीमित विकास**

कीमत तर्कसंगतता से संबंधित 'मार्केट प्लेस' पर बीआरडी के पैरा 3.2 में कहा गया है कि क्रेता को जैम पर कीमत प्रवृत्ति आधार, एक उत्पाद की खरीद का इतिहास और श्रेणी को देखने का प्रावधान होना चाहिए। यह आगे बताता है कि क्रेता को विभिन्न मार्केट प्लेस पर उसी या समान उत्पाद के मूल्यों को देखने का प्रावधान भी होना चाहिए।

हालांकि, एक नमूना जांच से पता चला कि जैम पर उपलब्ध सभी मर्दों के लिए प्रवृत्तियों और तुलनाओं के लिए लिंक संपूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था और यह सीमित उत्पादों के लिए उपलब्ध था। मूल्य तुलना गुण कार्यालय फर्नीचर (अलमारी) ओपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि जैसे श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, 'पृथक' मर्दों<sup>58</sup> की प्रवृत्ति के बजाय सम्पूर्ण 'श्रेणी' की प्रवृत्ति को दिखाया गया, जिससे तुलना अवैध और सीमित उपयोग के लिए हो गई थी। एक नमूना जांच से यह भी पता चला कि तुलना लिंक की उपलब्धता के बावजूद, एसी, टेलीविजन, डेस्कटॉप और प्रोजेक्टर जैसे मर्दों के संबंध में 'तुलना लिंक' पर क्लिक करते हुए कोई तुलना नहीं दिखायी गई थी। इस प्रकार, प्रवृत्तियों और तुलनाओं की कार्यात्मकता सम्पूर्ण नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (मई, अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) आश्वस्त किया कि इसने 32 श्रेणियों के लिए मूल्य तुलना को कार्यान्वित किया है और चरणों में अन्य सबसे प्रासंगिक श्रेणियों के लिए कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन ने आगे कहा कि समान मेल वाले उत्पादों के आधार पर कीमत प्रवृत्ति उन्नत संस्करण 72 श्रेणियों के लिए उपलब्ध है और इसे शेष श्रेणियों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।

**(ii) संस्थापन तथा चालू करने के प्रभारों के ब्यौरे प्रदर्शित न करना**

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थापन तथा चालू करने के लिए अपेक्षित कुछ माल की कीमतों को संस्थापन एवं चालू करने के प्रभारों को मिलाकर दर्शाया गया था जबकि इसी प्रकार के अन्य माल की कीमतों को इन प्रभारों से अलग दर्शाया गया। चूंकि मर्दों की अधिप्राप्ति काफी हद तक 'कीमत' से प्रभावित होती है अतः ऐसी मर्दों जो संस्थापन एवं चालू करने के प्रभारों को अलग से दर्शाती है, के मामले में क्रेता को इन प्रभारों की संभावित राशि का पता लगाना कठिन होगा। इसलिए, लेखापरीक्षा का मत है कि संस्थापन एवं चालू करने के प्रभार चाहे मिलाकर हो या न हो, इनका उत्पाद की लागत के साथ विशेष रूप उल्लेख

<sup>58</sup> एक स्कूटी की बुलेट जैसी बाइकों के साथ तुलना की गई थी



किया जाएं क्योंकि यदि ऐसे उत्पादों को जैम आवेदन द्वारा एल<sub>1</sub> के रूप में चयनित किया जाता है तो यह क्रेताओं के लिए असुविधा उत्पन्न करता है।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में यह कहा कि संस्थापन तथा चालू करने की लागत के ब्यौरे प्रदान करने के संदर्भ में वृद्धि पहले की आरंभ हो चुकी है।

**(iii) अंग्रेजी को छोड़कर अन्य किसी भाषा में आवेदन का उपलब्ध न होना**

आरएफपी के खण्ड 10.2.4 के उप-पैरा 2 के अनुसार, पोर्टल में क्षेत्रीय, स्थानीयकरण तथा यूनिकोड समर्थन के साथ बहु-भाषी क्षमताएं होनी चाहिए तथा प्रमुख विशेषताओं में से एक विषय-वस्तु को कई भाषाओं में दिखाने की क्षमता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि होम पेज के टॉप बार में एक भाषा ड्राप डाउन मेनु है तथापि, 'हिन्दी' भाषा विकल्प चुनने पर हिन्दी भाषा में केवल 'लॉगइन पेज' उपलब्ध था तथा एक बार उपयोगकर्ता द्वारा एप्लिकेशन में लॉग इन करने पर अगले पृष्ठ की विषय-वस्तु हिन्दी की बजाय अंग्रेजी भाषा में दिखाई दी। इस प्रकार, विभिन्न भाषाओं में पोर्टल प्रदान करने की आवश्यकता को जैम पर लागू नहीं किया गया तथा एप्लिकेशन क्षेत्रीय उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरा नहीं कर रही है। इसलिए, उपयोगकर्ताओं के पास 'अंग्रेजी' भाषा में एप्लिकेशन का उपयोग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई एवं अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कि इस कार्यात्मकता के विकास को अप्रैल 2020 में करने के लिए प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इस वृद्धि के लिए चार से छः सप्ताह हेतु स्रोत कोड को स्थिर रखना अपेक्षित है।

**(iv) जैम ऐप्लिकेशन के माध्यम से शुद्धिपत्र को लागू करने के लिए कार्यात्मकता का उपलब्ध न होना**

बोली निबंधन एवं शर्तों के खण्ड 7.1 का उप-खण्ड 4 वर्णित करता है कि क्रेता बोली बंद होने के न्यूनतम शेष 03 दिनों में आरंभ किसी भागीदारी से पूर्व तक चालू बोली के लिए क्रेता विशिष्ट अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तों (एटीसी) को बदल सकता है तथा उसे बोली में शुद्धिपत्र के रूप में प्रकाशित करेगा तथा यह मौजूदा भागीदारों को अधिसूचना के साथ क्रेताओं, विक्रेताओं/ सेवा प्रदाता तथा जनता द्वारा देखा जा सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि शुद्धिपत्र जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विक्रेता के डेशबोर्ड पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था तथा यदि एक क्रेता शुद्धिपत्र जारी करना चाहे तो क्रेता को इसके लिए अनुमोदन हेतु जैम को एक ईमेल भेजना पड़ता है। मानवीय हस्तक्षेप की वजह से प्रक्रिया उपयोगकर्ता के लिए असुविधा उत्पन्न करती है। मानवीय हस्तक्षेप, पूर्वाग्रहों तथा व्यक्तिवाद को समाप्त करने तथा पूर्ण ऑडिट ट्रेल की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि प्रक्रिया को क्रेता के डेशबोर्ड पर स्वयं ऐप्लिकेशन में मैप किया जाए।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में यह पुष्टि की कि लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुसार, पूर्व में उपयोग किए गए ईमेल आधारित अनुमोदन के स्थापन पर, अनुरोध एवं अनुमोदन भाग को अब स्वयं अनुरोध प्रबंधन मॉड्यूल ऐप्लिकेशन में ही उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, शुद्धिपत्र अनुरोध प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित है।

**(v) निर्माण का बैच/ वर्ष न दर्शाना**

जैम पोर्टल पर अधिप्राप्ति करते समय, एक क्रेता मद की सभी सभी विशेषताओं के साथ उत्पादन की विशिष्टताओं को देख सकता है। तथापि, मद के विनिर्माण का बैच अथवा वर्ष नहीं दर्शाया गया है जो उत्पाद, विशेष रूप से उन उत्पादों जो खराब होने वाले होते हैं तथा जिनकी शैल्फ लाइफ सीमित है, की गुणवत्ता/ उपयोग काल को सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है। सीआरएसी चरण पर माल के अस्वीकरण की वजह से विलंब से बचने तथा क्रेताओं को पहले ही पर्याप्त गुणवत्ता का आश्वासन जिसे पैकिंग/ विनिर्माण तिथि से सुनिश्चित किया जा सकता है, देने के लिए शिपमेंट का प्रेषण करते समय क्रेता को विनिर्माण की बैच संख्या/ वर्ष सूचित किए जाएं।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में यह कहा (जून एवं अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) कि चूंकि जैम पर विक्रेता मालसूची सूचना का अनुरक्षण नहीं किया गया है अतः पोर्टल पर दर्शाने के लिए स्टॉक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्रबंधन ने यह आश्वासन भी दिया कि जैम क्यूआरकोड के कार्यान्वयन पर कार्य कर रहा है जो शिपमेंट का प्रेषण करते समय क्रेता को विनिर्माण की बैच संख्या/ वर्ष उपलब्ध कराने में लेखापरीक्षा की सिफारिश को पूरा करेगा।

**(vi) विभिन्न 'फिल्टर्स' तथा 'सोर्टिंग' से संबंधित कार्यात्मकता का अपर्याप्त विकास**

लेखापरीक्षा ने पाया कि जैम द्वारा 'आर्डर काउंट की संख्या' तथा 'उत्पाद/ सेवा रेटिंग' के आधार पर सोर्टिंग लागू नहीं की गई तथा उत्पाद विवरण पेज (पीडीपी) ने बीआरडी के तहत अपेक्षित अनुसार श्रेणी तथा पीएमए मूल्य<sup>59</sup> के रूप में एमएसई प्रदर्शित नहीं किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) द्वारा यह आश्वासन दिया कि संशोधित करोबार आवश्यकता दस्तावेज (बीआरडी) को नियंत्रक मंत्रालयों अर्थात् एमएसएमई मंत्रालय तथा डीपीआईआईटी के परामर्श से नवीनतम नीतियों के आधार पर एमएसई तथा मैक इन इंडिया (तत्कालीन पीएमए) के एकसाथ क्रियान्वयन हेतु तैयार किया जा रहा है तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि सोर्टिंग विशेषता को बढ़ाया जा रहा है।

<sup>59</sup> देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक माल के लिए प्राथमिकता

## (vii) ऐप्लिकेशन के माध्यम से नेविगेट करते समय कठिनाइयाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐप्लिकेशन में 'स्विचिंग टू प्रिवियस पेज' जैसी कार्यात्मता में कमियों की वजह से ऐप्लिकेशन के माध्यम से नेविगेट करते समय सुगमता की कमी थी क्योंकि ऐप्लिकेशन सीधे उपयोगकर्ता को लॉग आउट करती थी, ऐप्लिकेशन ने कीबोर्ड के 'एन्टर' बटन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐप्लिकेशन ने यह नहीं दर्शाया कि सेवा को अपलोड करते समय सेवा के अनुमोदन में कितना समय लगेगा। इस प्रकार, सेवा के लिए अनुमोदन तथा इसमें लिए गए समय हेतु अनिश्चितता बनी रही। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित सेवाओं में विसंगतियाँ पाई जिसके फलस्वरूप उपयोग की सुगमता में असुविधा तथा कमी हुई:

तालिका 4.1.6

सेवा का नाम	पाई गई कमी
'परामशी सेवाएं' तथा 'ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट सेवाएं'	इन सेवाओं को जोड़ने के लिए कार्यात्मकता ड्राप डाउन मेनु में उनके 'नाम' होने के बावजूद नहीं थी।
'फ्लोरिस्ट', 'क्लिनिंग एवं सेनिटाइजेशन' तथा 'डेटा एंव वॉयस सेवा'	फिलिंग लोकेशन के प्रकार हेतु टूल टीप उपलब्ध नहीं था जो इसे स्थान का चयन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कठिन बनाता है।
'बेक अप सर्विस'	'आकलक' में मात्रा फील्ड की सूचना भरते समय टूल टीप का अभाव जिसकी वजह से यह समझा नहीं जा सकता था कि 'आकलन' फील्ड में क्या सूचना भरी जानी थी।
'क्लिनिंग एवं सेनिटाइजेशन 2.0'	'क्लिनिंग एवं सेनिटाइजेशन 2.0' के संबंध में लोकेशन टेब/ फिल्टर्स उपलब्ध नहीं थे।

चूंकि उपयोगकर्ता अनुभव भिन्न होते हैं इसलिए ऐप्लिकेशन को आगे समर्थन तथा सुगम कार्यात्मकता के लिए पर्याप्त टूल टीप के साथ आसान तथा समझने योग्य शब्दों की समावेश सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में यूआई/ यूएक्स (उपयोगकर्ता इंटरफेस/ उपयोगकर्ता अनुभव) वृद्धि कार्य में इन सभी पर विचार करने का आश्वासन दिया जो वर्तमान में जैम में डिजाइन चरण में है तथा जैम पोर्टल की पुनः डिजाइनिंग का कार्य चल रहा है।

## च) 'सेवाओं की अधिप्राप्ति तथा अपलोड से संबंधित कार्यात्मकता में अपर्याप्तताएं'

जैम की परिकल्पना सेवाओं की अधिप्राप्ति की कार्यात्मकता को प्रस्तुत करने के लिए की गई थी क्योंकि डीजीएसएंडडी से अधिप्राप्ति को केवल उत्पादों तक प्रतिबंधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने सेवा अधिप्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियां पाई:

**(i) सेवाओं का अपर्याप्त विकास**

ऐल्पिकेशन डिजाइन, विकास तथा क्रियान्वयन से संबंधित खण्ड 5.3.2 आरएफपी के अनुसार, जैम पोर्टल पर कुल 79 सेवाओं को लागू किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएफपी में अपेक्षित अनुसार 'निरीक्षण सेवा', 'सर्वेक्षण', 'ऊर्जा संरक्षण', 'कस्टोडियल', 'भूमि रिकॉर्ड सेवा', 'परियोजना प्रबंधन सेवा', 'राजमार्ग सेवा', 'पुल और सुरंगे', 'सिंचाई और अन्य जल कार्य' आदि जैसी सेवाओं को अभी तक जैम पोर्टल पर आरंभ नहीं किया गया है, इसके बजाए सेवाओं को क्रेताओं की मांग से जोड़ा गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019 एवं फरवरी 2020) में यह कहा कि आरएफपी में सेवाओं को केवल फ्लैट रूप में परिभाषित किया गया है। सेवा ऑन-बोर्डिंग जैम पर एक चालू कार्य है, वर्तमान में इसमें 105 सेवाएं हैं। तथापि, प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि जैम आवधिक समीक्षा तथा सेवा श्रेणी की उपयुक्तता के आधार पर आरएफपी में वर्णित सेवा के क्रियान्वयन पर विचार करेगा। तथापि, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि 105 सेवाओं को इस तथ्य को नजरअदाज करते हुए क्रियान्वित किया गया है कि जैम पर सेवाएं एक पृथक पूर्ण सेवा के रूप में उप-सेवा/ मुख्य सेवा की श्रेणी आरंभ करने की वजह से बढ़ी हुई हैं।

**(ii) वित्त मंत्रालय और सीवीसी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की प्रकृति का सत्यापन न होना**

सरकारी कार्यालयों को वाहन किराए पर रखने के लिए ठेके देने में भ्रष्ट/ अवांछनीय पद्धतियों को रोकने के लिए, वित्त मंत्रालय के दिनांक 23 सितम्बर 2016 के परिपत्र में यह अपेक्षा की गयी है कि टैक्सी अथवा सार्वजनिक परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को ही किराए पर लिया जाए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जैम पोर्टल पर, इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि सरकारी कार्यालयों को प्रदान किए जा रहे वाहन निजी वाहन है या टैक्सी वाहनों के रूप में पंजीकृत है। इसके अलावा, वाहन परमिट आदि जैसी अन्य संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं को भी जैम द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में यह कहा कि जैम क्रेताओं द्वारा सत्यापन के लिए बोली में सभी सांविधिक दस्तावेजों को संलग्न करने की विक्रेताओं को अनुमति देने की योजना बना रहा है और कि दस्तावेज सेवा संविदा ठेका अवधि की समय-सीमा के दौरान समयबाधित हो सकते हैं जिन्हें केवल क्रेता द्वारा सत्यापित करना होगा। इसलिए यह क्रेता संगठनों के लिए है कि वे वित्त मंत्रालय तथा सीवीसी के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

**(iii) पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए विकल्प की अनुपलब्धता**

‘डेटा एण्ड वॉइस सर्विस’ के एसएलए के खण्ड 4.1 के अनुसार, विक्रेता का समय-समय पर डीओटी/ टीआरएआई द्वारा निर्धारित सभी नियमों तथा विनियमों के अनुसार पंजीकृत होने तथा उनका अनुपालन करने की आवश्यकता है। तथापि, विक्रेता द्वारा इस सेवा के विस्तार के समय ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ देने का कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार, सिस्टम ने जैम पर परिचालन के लिए टीआरएआई के साथ ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ के बिना भी क्रेताओं को अनुमति दी। ये प्रारंभिक सत्यापन है और पंजीकरण के समय जैम द्वारा किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सत्यापित साखवाले सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में डेटा और वॉइस सेवा के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए प्रावधान करने का आश्वासन दिया।

**(iv) मानव संसाधन सेवाओं की आउटसोर्सिंग के मामले में संसाधनों के अनुभव मापदंडों में कमी**

मानव संसाधन सेवा की आउटसोर्सिंग के लिए मापदंडों का चयन करते समय, यह पाया गया कि संसाधनों के ‘अनुभव’ के चयन के मामलों में दिए गए विकल्प ‘0-3 वर्ष’, ‘3-7 वर्ष’ तथा ‘7 वर्ष से अधिक वर्ष’ थे। इस प्रकार, प्रथम स्लैब (0-3 वर्ष के अनुभव) में, गैर-अनुभवी (शून्य अनुभव) संसाधनों के साथ-साथ अनुभवी (शून्य अनुभव से ऊपर) संसाधन एक ही श्रेणी में हैं। इसकी वजह से, विशेष रूप से कुशल सेवाओं के मामलों में एक गैर-अनुभवी संसाधन प्राप्त करने की संभावना समान है भले ही यह वांछित न हो।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जुलाई तथा अक्टूबर 2019) में यह आश्वासन दिया है कि जैम ‘अनुभवहीन’, ‘> 0 वर्ष तथा < 3 वर्ष’, ‘> 3 तथा < 7 वर्ष’ तथा ‘>7 वर्ष’ के स्लैब में मानव संसाधन सेवाओं की आउटसोर्सिंग के मामले में अनुभव को पुनः परिभाषित करेगा।

**4.1.7 निष्कर्ष**

जैम की परिकल्पना पारदर्शिता, गति, दक्षता तथा करोबार करने में आसानी, भुगतान में विलंब पर अंकुश लगाने, मितव्ययिता तथा कीमत औचित्य के लिए की गई थी। सरकारी अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन समाधान लागू करने में जैम सफल रहा है। तथापि, अधिप्राप्ति प्रणाली की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए भारत सरकार के एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों (अगस्त 2011) का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसटीक्यूसी लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा जैम के ई-बोली मोड (मैनुअल ‘सील्ड बोली’ प्रक्रिया के समतुल्य

इलेक्ट्रॉनिक) की मजबूती, गोपनीयता और अखंडता के विषय में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन (अप्रैल 2017) के अनुसार जैम के उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हुए क्योंकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों विशेष रूप से भुगतान में विलंब के संबंध में कई विलंब है। क्रेता तथा विक्रेता पंजीकरण हेतु इनपुट नियंत्रण में भी कमियां थी। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए अनिवार्य होने के बावजूद सुस्त अथवा निष्क्रिय उपयोगकर्ता की अधिक संख्या यह दर्शाती है कि सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई होगी। जीएफआर तथा भारत सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों तथा करोबार आवश्यकता दस्तावेजों की मैपिंग में कमियां थी। मामला समाधान तंत्र में भी अत्यधिक विलंब थे। यद्यपि, जैम ने जैम के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति आरंभ करने विचार किया था तथापि, जैम पर विभिन्न सेवाएं अभी आरंभ करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए एमएसपी समझौते (31 अगस्त 2017) पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने की समय सीमा चुनौती पूर्ण थी, जिसके बावजूद जैम 3.0 के पहले चरण गो-लाइव को समय से पूर्व किया हुआ घोषित किया गया था। इस रिपोर्ट में कमियाँ देखी गईं, अर्थात् अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करने में तथा विभिन्न सामान्य एवं अनुप्रयोग नियंत्रणों में और अधिक से अधिक परिश्रम की आवश्यकता प्रतीत होती है।

मितव्ययिता के संबंध में, लेखापरीक्षा ने अनुभव किया कि जैम द्वारा बचत को दर्शाने में उपयोग की गई कार्यप्रणाली ने यथार्थ स्थिति प्रस्तुत नहीं की। ऐप्लिकेशन में कार्यात्मकता तथा सहायता के अभाव की वजह से उपयोग में सुगमता का अभाव था। ऐप्लिकेशन को धीमा तथा निरन्तर ब्रेकडाउन में छोड़ते हुए ऐप्लिकेशन को उपयोगकर्ताओं की अपेक्षित संख्या के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था।

#### 4.1.8 सिफारिशें

- ई-अधिप्राप्ति प्रणालियों की गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए भारत सरकार के एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन की एसटीक्यूसी लेखापरीक्षा हेतु आवश्यकता का तुरन्त उच्च प्राथमिकता पर अनुपालन किया जाना चाहिए। ऐसी लेखापरीक्षाओं को नई/ संशोधित कार्यात्मकताओं के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए कि ऐप्लिकेशन रिलीज को उत्पादन वातावरण में केवल तभी रिलीज किया जाए जब दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु एसटीक्यूसी लेखापरीक्षा की जाए।

- विक्रेता विश्वसनीयता तथा बाजार संतुलन का चालू अनुरक्षण जैम के लिए ध्यान देने का एक प्रमुख क्षेत्र होना चाहिए जो विक्रेता दुर्व्यवहार को संबोधित करने तथा विक्रेता

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग की जा रही ब्लैकलिस्ट करने के साथ इस रिपोर्ट में निर्धारित अनुसार आउटलेट/ विसंगितियों के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्टों (अर्थात् आसामान्य रूप से कम कीमतों, कीमतों में असामान्य अंतर/ वृद्धि, वितरण न होना/ अधिक विलंब से वितरण होना; अन्य विक्रेता मामले आदि) का उपयोग करके तथा मजबूत विक्रेता प्रबंधन टीमों के माध्यम हो।

- क्रेता की ओर से विलंबित भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जैम प्लेटफॉर्म के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। जैम एसपीवी को सामयिक भुगतान पर एमओएफ निर्देशों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए तथा अनुचित विलंब के मामलों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के सचिव/ संगठन प्रमुख के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए।
- क्रेताओं तथा विक्रेताओं के अपूर्ण/ गलत डेटा के मामलों को संबोधित करने के लिए एक कठोर डेटा क्लिनिंग प्रक्रिया (पूर्व से चले आ रहे डेटा सहित) को स्पष्ट समय सीमा के साथ लागू करने की आवश्यकता है जिससे क्रेताओं तथा विक्रेताओं को गलत डेटा को सही न करने के लिए निष्क्रिय/ बंद किया जाना चाहिए ।
- खरीद में अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से थोक खरीद में, जिसे माँग के एकत्रीकरण की आवश्यकता होती है और वास्तविक गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ओईएमएस एवं अधिकृत विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह समय पर डिलीवरी भी सुनिश्चित करेगा तथा उत्पाद की अस्वीकृति एवं भुगतान न करने के मामलों को और कम करेगा।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय V: वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

### इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

#### 5.1 सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा

##### 5.1.1 प्रस्तावना

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारत सरकार के पूर्ण-स्वामित्व की कंपनी, की स्थापना (जनवरी 2006) एसआईएफटीआई के रूप में व्यापक रूप से संदर्भित विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित हेतु योजना के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घावधि वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता हेतु पात्र क्षेत्रों में व्यापक रूप से यातायात, ऊर्जा, जल, सफाई, संचार, सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना शामिल है। ऋण कार्यकलापों को करने हेतु संसाधनों को आईआईएफसीएल द्वारा घरेलू स्रोतों से बॉण्ड एवं ऋण तका एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक आदि जैसे बाह्य स्रोतों से लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सृजित किया जाता है।

आईआईएफसीएल, रियायतग्राही (विकासक) और रियायत प्रदाता प्राधिकरण<sup>1</sup> के बीच हस्ताक्षरित रियायत करार (सीए) के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराता है। आईआईएफसीएल के वित्तपोषण कार्यकलाप मार्च 2019 तक 44 प्रतिशत (₹31,051 करोड़) मुख्यतः सड़क क्षेत्र पर केंद्रित थे। सड़क क्षेत्र में सकल एनपीए 31 मार्च 2019 को बकाया राशि के 37.25 प्रतिशत (₹5,187 करोड़) के रूप में महत्वपूर्ण था और सड़क क्षेत्र में निवल एनपीए सभी क्षेत्रों में कुल ऋण बकाया के 2.75 प्रतिशत पर निवल एनपीए हेतु आंतरिक रूप से अनुमोदित समग्र सीमा के प्रति 17.4 प्रतिशत पर काफी अधिक था।

सड़क परियोजनाओं के ऋण लेखाओं से संबंधित एनपीए की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान आईआईएफसीएल द्वारा सड़क क्षेत्र के ऋणों की संस्वीकृति, संवितरण, पुनः संरचना और निगरानी हेतु प्रचलित तंत्र की समीक्षा करने का चयन किया गया। लेखापरीक्षा नमूना का चयन कुल सृजित निधियों और किए गए संवितरणों से आईडीईए का उपयोग करते समय स्तरीकृत यादृच्छ

<sup>1</sup> भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/ राज्य सरकार की एजेंसियों



नमूनाचयन पद्धति के आधार पर किया गया था जैसे तालिका 1 में दर्शाया गया है (ऋण के ब्यौरों *अनुलग्नक II* में दिए गए हैं)।

तालिका 5.1.1 : चयनित नमूने के विवरण

2016-17 से 2018-19 के दौरान ऋण मामलों की श्रेणियाँ	ऋण मामलों की कुल संख्या	चयनित ऋण मामलों की संख्या	प्रतिशतता
एनपीए मामले	49	9	18
केवल संवितरण	33	9 <sup>2</sup>	27
संवितरण वाली संस्वीकृति	12	3	25
पूर्व-भुगतान	32	4	12
पुनः संरचना	4	3	75
केवल संस्वीकृति	18	4	22
<b>कुल</b>	<b>148</b>	<b>32</b>	<b>21</b>

### 5.1.2 लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम

लेखापरीक्षा में 32 मामलों में से 24 मामलों में टिप्पणियाँ की गई हैं क्योंकि 4 मामलों में, उधारकर्ताओं ने ऋण पूर्णतः चुका दिया है और संस्वीकृत ऋण के 4 मामलों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरी होने तक कोई लैंडिंग कन्फर्मेशन नोटिस (एलसीएन) प्राप्त नहीं हुआ था। 24 ऋण मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं:

#### 5.1.2.1 रियायतग्राही को भूमि/ अधिकृत रास्ते (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता

सड़क वित्तपोषण में, ऋणदाताओं के पास ऋण देयताओं के प्रति नगण्य प्रत्यक्ष प्रतिभूति होती है क्योंकि परियोजनाओं की मुख्य परिसंपत्तियाँ अर्थात् भूमि, सड़क और रियायतग्राहियों (उधारकर्ता) द्वारा उस पर बनाई गई संरचनाओं पर रियायत प्रदाता प्राधिकरण का अधिकार होता है। ऋण को मुख्यतः बीओटी मॉडल के अंतर्गत पूरे किए गए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सड़क परियोजना के परिचालनों से सृजित टोल राजस्व से चुकाया जाता है। यदि किसी कारण से परियोजना अपूर्ण रह जाती है, तो निष्पादित कार्य हेतु उधारकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए सीए में अन्य बातों के साथ-साथ तंत्र मौजूद है ताकि ऋणदाताओं को उनकी देयताओं का भुगतान किया जा सके जिनपर नीचे चर्चा की गई है:

<sup>2</sup> लोकआउट फाइनेंस प्रणाली के अंतर्गत एक मामला शामिल है। अन्य सभी चयनित मामले डायरेक्ट लैंडिंग योजना के तहत हैं

- यदि रियायतग्राही की चूक के कारण रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा सीए समाप्त कर दिया जाता है तो रियायत प्रदाता द्वारा रियायतग्राही को समापन भुगतान (देय ऋण के 90 प्रतिशत के बराबर) देय होगा बशर्ते की परियोजना को रियायतदाता प्राधिकरण द्वारा परियोजना समापन प्रमाणपत्र<sup>3</sup> अनंतिम परियोजना समापन प्रमाणपत्र अर्थात् अनंतिम वाणिज्यिक परिचालन तिथि (पीसीओडी) का प्रमाणपत्र जारी किया गया है। रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा परियोजना के कम से कम 75 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बाद ही पीसीओडी जारी किया जाता है जिससे रियायतग्राही को लंबित पूर्णता वाली परिचालनों से टोल राजस्व एकत्र करने हेतु अनुमति मिल जाती है।
- निर्धारित तिथि, जिसे रियायत अवधि शुरू होने की तिथि भी माना जाएगा, परियोजना के कुल क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत की सीमा तक रियायतग्राही को भूमि तक भारित अधिकृत रास्ते (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता सहित सीए की प्रत्येक पूर्ववर्ती शर्त के पूरा होने या रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा छोड़ने पर या उसके पश्चात नियत की जाएगी।

सीए में उपयुक्त प्रावधान सड़क परियोजना के जोखिम स्तर को बढ़ा देते हैं यदि रियायतग्राही अपेक्षित अधिकृत रास्ते के अधिग्रहण के पहले परियोजना में कार्य शुरू कर देता है और परियोजना पीसीओडी प्राप्त करने में अक्षम हो जाती है।

लेखापरीक्षा में जांच किए गए 14 (58 प्रतिशत) मामलों में पहले संवितरण से पूर्व न्यूनतम 80 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की उपलब्धता की शर्त का प्रावधान किया गया था, जबकि निर्धारित तिथि के बाद ऋण संवितरण के लिए 100 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की शर्त केवल दो मामलों (8 प्रतिशत) में शामिल पाई गई थी। सामान्य ऋण करारों (सीएलए) में पाई गई त्रुटियों और उपर्युक्त मामलों में अनुबंधित शर्तों के अननुपालन से संबंधित अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

छह मामलों में, सीएलए में संवितरण पूर्व शर्त के रूप में 'अधिकृत रास्ते की उचित उपलब्धता' का ही प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पहली ऋण किस्त के संवितरण से पहले निर्धारित तिथि पर परियोजना के कम-से-कम 80 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के जोखिम को कम किए बिना ऋण संस्वीकृत किया गया था और यह मुख्य कारणों में से एक था कि कि छह ऋणों में से तीन ऋण<sup>4</sup> राशि ₹674.35 करोड़

<sup>3</sup> चार से छः लेनिंग के मामले में, परियोजना समापन प्रमाणपत्र परियोजना की 100 प्रतिशत पूर्णता पर जारी किया जाता है और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) नियत तिथि यह वित्तीय क्लोजर तिथि, जो भी बाद में हो, से शुरू की जाती है

<sup>4</sup> आईआईजीटीएल (₹299.72 करोड़), बीकेईएल (₹121.18 करोड़), और बीएचपीएल (₹253.45 करोड़)

एनपीए में बदल गए और एक ऋण (एनजेबीपीएल) का पुनर्गठन किया गया। इन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1.2

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	सड़क की लंबाई कि.मी में	निर्धारित तिथि को सीए में अधिकृत रास्ते की उपलब्धता का प्रावधान प्रतिशत में	आईआईएफ सीएल द्वारा पहले संवितरण के समय अधिकृत रास्ते की वास्तविक उपलब्धता प्रतिशत में	पहले संवितरण की तिथि एवं राशि	
						तिथि	राशि (₹ करोड़ में)
1	आईआईजीटीएल <sup>5</sup>	इंदोर से गुजरात चार लेनिंग	155.15	80	51.43	जनवरी 2011	18.2
2	बीकेईएल <sup>6</sup>	बरासत-कृष्णानगर पर चार लेन का राजमार्ग	84.317	80	14.73	दिसम्बर 2011	21.54
3	बीएचपीएल <sup>7</sup>	बरेली से सीतापुर एनएच 24 पर 2 लेन की सड़क	151	80	72	जून 2011	16.92
4	एनजेबीपीएल <sup>8</sup>	एनएच-31 को जोड़ते हुए ग्रीनफील्ड संरक्षण का विकास	50.943	80	23.55	अगस्त 2012	7.69

आईआईएफसीएल ने एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि के छः माह के अंदर शेष भूमि उपलब्ध न कराने या अनुपलब्ध भूमि पर कार्य की डी स्कोपिंग के बावजूद आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं के ऋण के संवितरण से पहले अपने हित की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि एनएचएआई अधिकृत रास्ता उपलब्ध कराने की परस्पर सहमति दी गई शर्तों का पालन किए बिना नियत तिथि घोषित कर रहा है। इसके अलावा, एनएचएआई प्रायः 3सी/ 3डी<sup>9</sup> स्टेज पर अधिकृत रास्ते

<sup>5</sup> आईवीआरसीएल इंदोर गुजरात टोलवे लिमिटेड

<sup>6</sup> बरासत-कृष्णानगर एक्सप्रेसवे लिमिटेड

<sup>7</sup> बरेली हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड

<sup>8</sup> नवयुगा जानवी टोल ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड

<sup>9</sup> 3सी आपत्तियों की सुनवाई का घातक है, 3डी भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना के चरण का द्योतक है

की उपलब्धता की अक्सर घोषणा करता है जबकि अधिकृत रास्ता 3जी/ 3एच<sup>10</sup> स्टेज पर घोषित किया जाना होता है। बीएचपीएल के मामले में आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया कि एनएचएआई ने न तो नियत तिथि के छः माह के अंदर शेष अधिकृत रास्ता उपलब्ध कराया था और न ही उस अधिकृत को डी-स्कोप कराया था जो उपलब्ध नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप सड़क परियोजना की व्यवहार्यता में कमी आई। एनएचएआई ने आईआईजीटीएल के मामले में अधिकृत रास्ते को सौपने में विलंब किया जबकि एनजेटीबीपीएल के मामले में यह निर्धारित अवधि में अधिकृत रास्ता उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में विफल रहा जिसने परियोजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित रखा। आईआईएफसीएल ने आगे कहा कि एसआईएफटीआई के अनुसार इसे निष्पादित मूल्यांकन और अग्रणी बैंक द्वारा किए गए संवितरणों का पालन करना अपेक्षित था, जिसका आईआईएफसीएल द्वारा पालन किया गया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि एसआईएफटीआई के अनुसार, आईआईएफसीएल को केवल व्यवहार्य परियोजनाओं को ही वित्तपोषित करना है। सड़क निर्माण हेतु अपेक्षित भार-रहित अधिकृत रास्ते के बिना, परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जा सकती और यह स्वयं में एक जोखिम है। आईआईएफसीएल से अधिकृत रास्ते की पूर्व उपलब्धता पर सीएलए में उचित पूर्व-संवितरण खंड के सम्मिलित करने और जोखिम को कम करने हेतु इसके अनुपालन को सुनिश्चित करके अपने हित को सुरक्षित करना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसके अलावा, अंतर क्रेडिटर करार<sup>11</sup> में ऋणदाताओं से किसी अन्य ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किए बिना अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर ऋण संस्वीकृति/ संवितरण पर निर्णय लेना भी अपेक्षित था। यह आवश्यकता भी पूरी नहीं की गई।

(ii) सीए के अनुसार, रियायतग्राही चूक के मामले में भुगतान के लिए पात्र है बशर्ते कि चार से छः लेन के सड़क चौड़ीकरण से संबंधित कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया हो। जैसे कि सीएलए में आवश्यक वन मंजूरी के साथ भार-रहित अधिकृत रास्ते की 100 प्रतिशत पूर्व उपलब्धता की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि कार्य की योजना बनाई जा सके और इसे सुगमता से कार्यान्वित किया जा सके।

चार मामलों {एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाइवे लिमिटेड (एसएलएचएल), बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड (बीईएल), पुणे सतारा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (पीएसटीपीएल) और

<sup>10</sup> 3जी भूमि की मुआवजा राशि के निर्धारण का घटक है, 3एच संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के मुआवजे की राशि जमा करने का घटक है

<sup>11</sup> ऋण संघ के मध्य हस्ताक्षरित

डीए टोल रोड लिमिटेड (डीएटीआरएल) में सीएलए में ऋण की पहली किस्त के संवितरण हेतु न्यूनतम 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की शर्त का प्रावधान किया गया था परन्तु नियत तिथि से 90 दिनों के अंदर ऋण के अगले संवितरणों के लिए 100 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की शर्त का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप मुख्यतः साफ अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के कारण दो<sup>12</sup> ऋण मामलों अर्थात् एसएलएचएल और बीएईएल में कार्य पूरा नहीं हुआ। ये परियोजनाएं वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से पूर्व होने वाली रियायतग्राही की चूक के कारण समापन भुगतानों के लिए भी पात्र नहीं थी। दोनों ऋण मामले एनपीए में बदल गए जिनका बकाया मूलधन ₹439.42 करोड़ था।

इसके अलावा, अन्य दो ऋण मामलों अर्थात् पीएसटीपीएल और डीएटीआरएल में अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं में विलंब हुआ और डीएटीआरएल और पीएसटीपीएल के संबंध में ऋणों को क्रमशः जनवरी और अप्रैल 2016 से जनवरी और अप्रैल 2019 तक मूल निर्धारित सीओडी (सीएलए के अनुसार) के लिए समय विस्तारण के साथ तीन बार पुनः संरचित किया गया। कार्य अभी तक (जनवरी 2020) प्रगति पर है और परियोजनाओं में आईआईएफसीएल के ₹591.78 करोड़ का ऋण (डीएटीआरएल: ₹400 करोड़, पीएसटीपीएल: ₹191.78 करोड़) उच्च जोखिम पर है।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि:

- एसएलएचएल और बीएईएल के मामले में उत्तर दिया कि एनएचआई प्रायः अधिकृत रास्ते की उपलब्धता को घोषणा 3सी/ 3डी चरण (अधिसूचना/ गजट जारी होना) पर करता है जबकि अधिकृत रास्ते की घोषणा 3जी/ 3एच (मुआवजा जमा करना और प्रवेश का अधिकार) चरण पर करना अपेक्षित है। एसएलएचएल के मामले में, उधारकर्ता के अनुसार भूमि 95.67 प्रतिशत तक उपलब्ध थी। बीएईएल के मामले में, संस्वीकृति/ संवितरण के समय रियायत ग्राही के पास 80 प्रतिशत से अधिक अधिकृत रास्ता उपलब्ध था और इस प्रकार यह सीएलए के प्रावधानों का पालन करता था।
- पीएसटीपीएल के मामले में, पहले संवितरण (अप्रैल 2018) के तीन वर्ष के बाद बाधा-रहित भूमि की उपलब्धता 96 प्रतिशत थी और चूंकि परियोजना की टोलिंग 100 प्रतिशत क्षेत्र के लिए है अतः कोई राजस्व जोखिम नहीं है।
- डीएटीआरएल के मामले में, अनंतिम समापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी किया जा सकता है, यदि निर्माण कार्य सारी भूमि पर पूरा हो जाता है

<sup>12</sup> एसएलएचएल और बीएईएल

जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा नियत तिथि के 90 दिनों में अधिकृत रास्ता दिया गया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन (जून 2020) किया ।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि, अधूरी सड़क के लिए पीसीसी जारी करने के लिए सीए में कोई प्रावधान नहीं है और परियोजना के पूरा होने से पहले रियायत समझौता समाप्ति के मामले में, मौजूदा चार लेन से 100 प्रतिशत तक टोल लगाने से ऋण की वसूली नहीं होने का जोखिम कम नहीं होगा।

(iii) कनकास्ट पाथ बमीठा सतना रोड़ प्रोजेक्टस प्रा. लि. (सीपीबीएसआरपीएल) के मामले में, सीएलए में किसी ऋण के संवितरण से पूर्व अधिकृत रास्ते की 100 प्रतिशत उपलब्धता की शर्त का प्रावधान (मई 2013) किया गया था। फिर भी, ऋण का संवितरण 64 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की उपलब्धता पर ही कर दिया गया। आवश्यक अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त नहीं हुई, सीए समाप्त हो गया (जनवरी 2018) और आईआईएफसीएल की ₹43.20 करोड़ की ऋण राशि 30 सितम्बर 2017 को एनपीए में बदल गई।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि रियायत प्रदाता प्राधिकरण की सूचना के अनुसार, रियायतग्राही को 100 प्रतिशत अधिकृत रास्ता सौंप दिया गया था और अग्रणी बैंक द्वारा संस्वीकृति पूर्व निरीक्षण किया गया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि दूसरी किस्त (दिसम्बर 2013) के संवितरण से पूर्व आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं को परियोजना हेतु 100 प्रतिशत अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के बारे में ज्ञान था क्योंकि एलआईई की रिपोर्ट (दिसम्बर 2013) में उल्लेख था कि एमपीआरडीसी<sup>13</sup> ने 12 कि.मी के आरक्षित वन के पूरे क्षेत्र में निर्माण को अनुमति नहीं दी है और कुछ भूमि अधिग्रहण कुछ स्थानों में अपेक्षित था जहां निरीक्षण चल रहा था।

#### 5.1.2.2 आवश्यक मंजूरीयां/ अनुमोदनों की उपलब्धता सुनिश्चित न करना

सभी सीएलए में ऋण संवितरण की शर्तों में से एक यह थी कि रियायतग्राही संवितरण शुरू करने से पूर्व वन, पर्यावरणीय और प्रदूषण मंजूरीयां/ अनुमोदन सहित सभी आवश्यक संविधिक और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

<sup>13</sup> मध्य प्रदेश रेड डेवलेपमेंट कांफॉरिशन लि.(एमपीआरडीसी)

चयनित मामलों में ऋण के पहले संवितरण से पूर्व संवितरण-पूर्व शर्तों के अनुपालन की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1.3 : मंजूरीयों/ अनुमोदनों के शर्तों के अनुपालन के विवरण

ऋण की श्रेणी	नमूना आकार	सभी मंजूरीयों/ अनुमोदनों की संवितरण-पूर्व शर्त का अनुपालन	
		हाँ	नहीं
एनपीए	9	3	6
नई संस्वीकृति एवं संवितरण	3	3	0
पुरानी संस्वीकृति एवं संवितरण	9	8*	0
पुनः संरचना	3	2	1
<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
*एक ऋण जो की टेकआउट फाइनेंस से संबंधित था जहां निकासी समस्या लागू नहीं थी			

जैसाकि, 29 प्रतिशत मामलों (24 में से 7) में, प्रथम संवितरण से पूर्व पर्यावरण/ वन मंजूरी और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की संवितरण-पूर्व शर्त के अनुपालन के बावजूद ऋणों का संवितरण किया गया था। सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में 13 माह से 95 माह के विलंब के परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने में विलंब हुआ है और इसके परिणामस्वरूप छः<sup>14</sup> ऋण के मामले एनपीए में बदल गए और एक<sup>15</sup> ऋण मामले की पुनर्संरचना की गई।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि रियायतग्राही ने यह पुष्टि करते हुए आहरण द्वारा कमी करने का नोटिस जारी किया था कि सीएलए में सभी संवितरण-पूर्व शर्तें पूरी की गई थी और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे। एसआईएफटीआई के अनुसार, आईआईएफसीएल ने परियोजना में अग्रणी बैंको के संवितरण के अनुरूप राशि का संवितरण किया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि अंतर क्रेडिटर करार में ऋणदाता से किसी अन्य ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किए बिना अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर सुविधा की संस्वीकृति/ संवितरण पर निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

<sup>14</sup> (i) बीएचपीएल, (ii) सायन-पनवेल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीटीपीएल), (iii) एसएलएचएल, (iv) एसएसआरपीएल, (v) एचएचपीएल, और (vi) आईआईजीटीएल

<sup>15</sup> एनजेबीटीपीएल

### 5.1.2.3 अतिदेय आईडीसी का समयोजन/ वित्तपोषण

परियोजना के लिए ऋण को परियोजना की वित्त आवश्यकता के आधार पर संस्वीकृत किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना लागत में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) का अनुपात शामिल होता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऋणों के संवितरण के दौरान, आईआईएफसीएल ने ऋण संस्वीकृति के दौरान अनुमोदित ऋण की अपेक्षा आईडीसी के प्रति ऋण के उच्च अनुपात को समायोजित किया था। इन समायोजनों के साथ ऋण राशि 'मानक' रही यद्यपि उधारकर्ता द्वारा ऋण सेवा अनुसूची के अनुसार कोई राशि नहीं चुकाई गई थी। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षित नमूना में ऐसे छः मामले देखे गए जिसमें ₹124.89 करोड़ की अनुमन्य सीमा के प्रति ₹284.47 करोड़ समायोजित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप आईडीसी का ₹159.58 करोड़ तक अधिक समायोजन और 4 माह से 43 माह तक एनपीए का स्थगन हुआ जिसके ब्यौरे नीचे दर्शाया गया है।

#### तालिका 5.1.4

चयनित ऋणों का दर्शाता विवरण जहां आईडीसी का अधिक समायोजन हुआ था

(आकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण में आईडीसी का निहित हिस्सा (आईआईएफसीएल)	आईआईएफसीएल द्वारा वास्तव में समायोजित आईडीसी	अधिक समायोजन	स्वयं संवितरण के माध्यम से आईडीसी समायोजन	एनपीए का स्थगन
1	बीकेईएल	14.89	44.00	29.11	--	मार्च 2016 से मार्च 2017
2	बीएचपीएल	56.82	71	14.18	--	
3	आईआईजीटीएल	23.98	87.42	63.44	--	जुलाई 2013 से जनवरी 2017
4	एसएलएचएल	9.66	29.7	20.04	5.88	नवम्बर 2015 से सितम्बर 2016
5	सीपीबीएसआरपीएल	4.52	10.71	6.19	--	--
6	एसएसआरपीएल <sup>16</sup>	15.02	41.64	26.62	4.02	मई 2018 से दिसम्बर 2018
	<b>कुल</b>	<b>124.89</b>	<b>284.47</b>	<b>159.58</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

आईआईएफसीएल ने बताया (मई 2020) कि उन्होंने मौलिक संघ भावना का अनुरक्षण करने हेतु अग्रणी बैंक द्वारा जारी एलसीएन के अनुसार संवितरण किया है। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य सभी संघ सदस्यों ने भी अग्रणी बैंक द्वारा जारी एलसीएन

<sup>16</sup> सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड



के आधार पर निधि का संवितरण किया था। आबंटित आईडीसी के समाप्त होने पर वित्त के साधनों में अंतर को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया गया था। उसके पश्चात, आईडीसी के हिस्से को प्रमोटर द्वारा अब तक लेखा मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर वित्तपोषित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

आईआईएफसीएल के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि प्रमोटर ने सीमा समाप्त होने के बाद आईडीसी को वित्तपोषित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹159.58 करोड़ तक आईडीसी का अधिक समायोजन और एनपीए का 4 माह से 43 माह तक स्थगन हुआ।

#### 5.1.2.4 रियायत प्रदाता प्राधिकरण से प्राप्त किए बिना अधिक लागत हेतु ऋण की संस्वीकृति

सीए में प्रावधान था कि समापन के मामले में रियायत प्रदाता प्राधिकरण इस शर्त के अध्यक्षीन वरिष्ठ ऋणदाताओं को 'ऋण देयो' के प्रति समापन भुगतान करेगा कि देय ऋण की राशि वित्तीय करारों (सीएलए सहित) की शर्तों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। सीएलए में प्रावधान किया गया कि 'रियायत ग्राही कंपनी के प्रमोटर/ स्पोसर कमी की वचनबद्धता देंगे कि वे किसी भी कारण से किसी अधिक लागत/ वित्त पोषण के साधनों में कमी की स्थिति में परियोजना में अतिरिक्त निधि निवेश करेंगे।' जैसे कि, रियायत प्रदाता प्राधिकरण से परियोजना की लागत को संशोधित कराए बिना अधिक लागत के प्रति किसी ऋण संवितरण (रियायत ग्राही के साथ पूरक करार पर हस्ताक्षर करके) में समापन भुगतान के उद्देश्य हेतु 'ऋण देय' शामिल नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएफसीएल ने चार मामलों में रियायतप्रदाता प्राधिकरण से संशोधित परियोजना लागत का पूर्व अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त आईडीसी सहित अधिक लागत के प्रति ₹356.88 करोड़ और ₹347.85 करोड़ के ऋण संस्वीकृत और संवितरित किए थे जिसके ब्यौरे नीचे नीचे दर्शाया गया है।

## तालिका 5.1.5

ऋणों के ब्यौरे जहां अधिक लागत को रियायत प्रदाता के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत किया गया था

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	अधिक लागत की संस्वीकृति	संवितरण	टिप्पणियाँ
बीएचपीएल	58.69	53.45	प्रमोटर कंपनी को भी काफी परिचालन हानि उठानी पड़ी और प्रमोटर कंपनी के एक निदेशक की कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी हेतु जुलाई 2015 में गिरफ्तारी के कारण उसके साथ कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) चल रही थी।
एचएचपीएल	51.96	51.96	आईआईएफसीएल द्वारा उपर्युक्त दोनों अधिक लागतों की संस्वीकृति के समय, प्रमोटर कंपनी को 31.03.2014 तक ₹773.09 करोड़ की हानि हुई और इसमें कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) चल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त निधि जारी करना उच्च जोखिम का कार्य था।
आईआईजीटीएल	108.64	108.64	प्रमोटर की लाभप्रदता 2012-13 में घाटे में बदल गई और इसकी क्रेडिट रेटिंग 2013-14 में गिरकट 'डी' हो गई थी।
आरईपीएल <sup>17</sup>	137.59	133.80	-
<b>कुल</b>	<b>356.88</b>	<b>347.85</b>	

आईआईएफसीएल ने बताया (मई 2020) कि आरंभिक संवितरण के बाद सीएलए के अननुपालन जो नियमित/ नवीकरण की प्रकृति के हैं, के आधार पर अगले संवितरण को रोकना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि निर्माण चरण के दौरान निधि की उपलब्धता रोकने से ऋणदाताओं हेतु वसूली शून्य हो सकती थी चूंकि रियायत करार की शर्तों के अनुसार पीसीओडी/ डीसीसीओ की प्राप्ति के पश्चात ही परियोजना समापन भुगतान के योग्य होगी।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

<sup>17</sup> रायलसीमा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि चूंकि ऋणदाताओं द्वारा अधिक लागत का वित्तपोषण रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा संशोधित परियोजना लागत का अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना और रियायतग्राही/ प्रमोटर की वित्तीय स्थिति के बिगडने के बावजूद किया गया था, अतः आईआईएफसीएल ने बीएचपीएल (₹253.46 करोड़) और एचएचपीएल (₹156.96 करोड़) के मामले में ₹410.42 करोड़ की ऋण राशि बढ़े खाते में डाल दी थी क्योंकि रियायत प्रदाता प्राधिकरण ने रियायत करार समाप्त कर दिया था। आईआईजीटीएल को दिया गया ऋण एनपीए में बदल गया।

### 5.1.2.5 रियायतग्राहियों द्वारा संवितरित अग्रिम

सीएलए में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि ऋणदाता ऋण की पहली किस्त के संवितरण से पहले ईपीसी संविदा की समीक्षा करेगा। सभी चयनित परियोजनाओं के मामले में रियायत ग्राहियों द्वारा ईपीसी संविदाएं उनकी प्रमोटर कंपनियों को दी गई थी और इन संविदाओं में एक मामले (बीकेईएल) को छोड़कर, जहां बीजी हेतु प्रावधान शामिल किया गया था, किसी प्रतिभूति और वसूली हेतु किसी समय-सीमा के बिना ब्याज मुक्त अग्रिम की अनुमति का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में अग्रिमों के भुगतान/ समायोजन/ वसूली में कमियाँ थी:

(i) एसएलएचएल ने एसईडब्ल्यू इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अर्थात् एसपीवी के मुख्य प्रमोटर को ईपीसी संविदा प्रदान की थी। एसएलएचएल ने अपने ईपीसी संविदाकार को ₹359.19 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया था जो मुख्य प्रमोटर के इक्विटी अंशदान अर्थात् ₹384.74 करोड़ के लगभग बराबर था। यह अग्रिम किसी प्रतिभूति के बिना दिया गया था। रियायतप्रदाता प्राधिकरण ने रियायत करार (सीए) समाप्त कर दिया क्योंकि केवल 13.61 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था जो निर्धारित पूर्णता से काफी पीछे था। परिणामतः एसएलएचएल द्वारा ईपीसी संविदाकार को दी गई मोबिलाइजेशन अग्रिम की ₹359.19 करोड़ की बकाया राशि असमायोजित/ बिना वसूली के रह गई। अततः, आईआईएफसीएल ने ₹89.07 करोड़ के अपने ऋण के हिस्से को बढ़े खाते में डाल दिया।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि परियोजना में विलंब रियायत प्रदाता प्राधिकरण की चूक के कारण हुआ था जिससे कार्य की प्रगति और मोबिलाइजेशन अग्रिमों की वसूली में बाधा आई। आईआईएफसीएल ने यह भी प्रतिक्रिया दी कि ₹935 करोड़ का मध्यस्थता अधिनिर्णय रियायत प्रदाता प्राधिकरण के विरुद्ध रियायतग्राही के पक्ष में दिया गया है जिसमें अपनी देयताओं की वसूली करने का पहला अधिकार ऋणदाताओं को है। तथापि, रियायत प्रदाता प्राधिकरण ने अधिनिर्णय को अभी तक लागू नहीं किया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन (जून 2020) किया।

तथ्य यह है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम की अभी तक वसूली नहीं हुई है और प्रमोटर ने एसपीवी में बहुत कम राशि का निवेश किया है। प्रमोटर का मुख्य निवेश मोबिलाइजेशन अग्रिम से था।

(ii) सीपीबीएसआरपीएल ने मैसर्स कंकास्ट इन्फ्रा टैक लिमिटेड अर्थात् एसपीवी के मुख्य प्रमोटर को अपनी ईपीसी संविदा दी थी। ईपीसी संविदाकार को सीपीबीएसआरपीएल द्वारा ₹58.54 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था जो मुख्य प्रमोटर के इक्विटी अंशदान अर्थात् ₹58.03 करोड़ के बराबर था। एलआईई रिपोर्ट के अनुसार (फरवरी 2017), परियोजना की 51.66 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष प्रगति पूरी हो चुकी थी। तदनुसार, 50 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम (अर्थात् ₹20.86 करोड़) समायोजन के लिए देय था। तथापि, केवल ₹3.73 करोड़ ही समायोजित हो सके थे जिससे प्रमोटर कंपनी के पास ₹54.81 करोड़ का अग्रिम असमायोजित रह गया (मार्च 2017)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रदत्त/ समायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिमों के ब्यौरें न तो सीए प्रमाणपत्रों में और न ही एलआईई की रिपोर्टों में निर्दिष्ट थे। इसके अलावा, आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने अग्रिम के उपयोग/ समायोजन की निगरानी नहीं की थी। अंततः परियोजना में विलंब हुआ और रियायतप्रदाता प्राधिकरण ने जनवरी 2018 में सीए को समाप्त कर दिया। आईएफएफसीएल ने परियोजना में अपनी ₹43.20 करोड़ की ऋण राशि को बड़े खाते में डाल दिया।

प्रतिभूति के प्रति अग्रिम पर मौन रहते हुए, आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि आईआईएफसीएल की निधि का संवितरण एसआईएफटीआई द्वारा शासित है, जिसमें अग्रणी बैंक परस्पर सहमत माइलस्टोन के साथ परियोजना के अनुपालन की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। आईआईएफसीएल ने आगे बताया कि ईपीसी करार रियायतग्राही और ईपीसी संविदाकार के बीच है, तदनुसार ऋणदाताओं ने इस विषय में गतिशीलता सीमित कर दी है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि सीएलए के अनुसार आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं को ईपीसी संविदा की जाँच करने का अधिकार और ऋणदाता ईपीसी संविदाकार से अग्रिमों की सुरक्षित वसूली सुनिश्चित करने के लिए खंड शामिल करने पर बल दे सकते थे। इसके अलावा, एसआईएफटीआई ने उपर्युक्त विषय को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अग्रणी बैंक को भेजने तथा स्वतंत्र निगरानी तंत्र रखने से आईआईएफसीएल को रोका नहीं था। अंतर क्रेडिटर करार में ऋणदाताओं से किसी अन्य ऋणदाता द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास किए बिना अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर सुविधा के संवितरण पर निर्णय लेना अपेक्षित था।

(iii) बीकेईएल ने मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अर्थात एसपीवी की नियंत्रक कंपनी को ईपीसी संविदा प्रदान की थी। ईपीसी संविदाकार को मोबिलाइजेशन (₹170.21 करोड़) और सामग्री (₹68.22 करोड़) के लिए ₹238.42 करोड़ का अग्रिम संवितरित किया गया था जबकि प्रमोटर्स ने ₹184.15 करोड़ का इक्विटी अंशदान दिया था। रियायत प्रदाता प्राधिकरण ने सीए समाप्त कर दिया क्योंकि केवल 29.88 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ था जो निर्धारित पूर्णता से काफी पीछे था। इस अग्रिम ₹238.43 करोड़ में से ₹209.91 करोड़ की राशि असमायोजित रह गई। यद्यपि, ईपीसी संविदा में बीजी हेतु प्रावधान किया गया था, फिर भी बीजी की उपलब्धता लागू करने का पता नहीं लगाया जा सका था।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि ईपीसी संविदाकार को प्रारंभिक व्ययों को पूरा करने और प्रत्यक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम प्रदान किया जाता है। तथापि, रियायत प्रदाता प्राधिकरण से अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता के कारण परियोजना में विलंब हुआ और अधिक लागत आई जिसके परिणामस्वरूप रियायत ग्राही ने परियोजना समाप्त कर दी। चूंकि ईपीसी करार रियायतग्राही और ईपीसी संविदाकार के बीच हुआ था, अतः ऋणदाताओं ने इस विषय में गतिशीलता कम कर दी। आईआईएफसीएल ने आगे कहा कि मामले को अग्रणी बैंक के पास भेज दिया गया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि चूंकि उपर्युक्त स्थिति ऋणदाताओं के कब्जे में किसी भुनाने योग्य प्रतिभूति के बिना ईपीसी संविदाकार को दिए गए अग्रिमों हेतु उसकी सहमति से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा, ऋणदाताओं की निधि भी दांव पर लगी थी क्योंकि ईपीसी संविदा संबंधित पार्टी को दी गई थी।

(iv) एसएसआरपीएल के मामले में, ईपीसी संविदा को संविदा मूल्य जो ₹146.25 करोड़ संगणित था के 15 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए प्रावधान किया गया था। तथापि, ईपीसी संविदाकार को बिना प्रतिभूति के अग्रिम के रूप में ₹163.10 करोड़ का भुगतान किया गया था। न तो सीए प्रमाणपत्रों में और न ही एलआईई रिपोर्टों में प्रदत्त और/ या समायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिम के ब्यौरे दिए गए थे। ऐसे ब्यौरे के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने ईपीसी संविदाकारों को प्रदत्त अग्रिम के निर्गमन/ समायोजन/ वसूली की निगरानी कैसे की थी।

आईआईएफसीएल ने परस्पर सहमत राशि से अधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने के मामले और सीए प्रमाणपत्रों और एलआईई रिपोर्टों में अग्रिम के निर्गमन/ समायोजन/ वसूली के ब्यौरों के सूचना न देने पर कोई टिप्पणी नहीं की (अप्रैल/ मई 2020)।

(v) एचएचपीएल के मामले में, ईपीसी संविदा में ₹146.23 करोड़ के 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम और अनुरोध/ उचित आधार पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अग्रिम के

लिए प्रावधान किया गया था। अग्रिम का समायोजन 20 प्रतिशत प्रमाणित कार्य पूर्णता के बाद शुरू करना था और उक्त समायोजन कार्य की 80 प्रतिशत पूर्णता के पहले समाप्त हो जाना चाहिए। इस मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹1272.54 करोड़ की संशोधित संविदा लागत के आधार पर ₹190.88 करोड़ का अग्रिम जारी किया गया था जबकि प्रमोटरों से इक्विटी अंशदान ₹215.20 करोड़ था। हालांकि, अग्रिम वसूली अनुसूची को आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं के अनुमोदन के बिना 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की बजाय संविदा मूल्य के 28 प्रतिशत से 90 प्रतिशत पर आशोधित किया गया था। इसके कारण संविदाकार ने ब्याज रहित अग्रिम लंबी अवधि तक रखा। इसके अलावा, 43.12 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रगति की सूचना के बाद अधिक लागत के प्रति मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹44.66 करोड़ के अतिरिक्त अग्रिम का भुगतान भी किया गया था। यह वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था क्योंकि संसाधनों का मोबिलाइजेशन कार्य शुरू होने के बाद अपेक्षित था।

सीए की समाप्ति के पश्चात, असमायोजित/ वसूली न किया गया ₹51.03 करोड़ का अग्रिम ईपीसी संविदाकार के पास रह गया, जिसकी प्रतिभूति के अभाव में वसूली नहीं की जा सकी।

(vi) बीएचपीएल के मामले में, दिसम्बर 2011 तक ईपीसी संविदाकार को ₹172.36 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था। परियोजना में अक्टूबर 2017 तक 75 प्रतिशत प्रगति हो चुकी थी, जब संविदागत रूप से अग्रिम का असमायोजित शेष ₹14.36 करोड़ होना चाहिए था जिसके प्रति असमायोजित अग्रिम की वास्तविक राशि ₹56.24 करोड़ थी।

आईआईएफसीएल ने एचएचपीएल और बीएचपीएल के संबंध में उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा की गई चूकों के कारण परियोजना की प्रगति अवरूद्ध हो गई तथा अग्रिम की वसूली नहीं हो सकी। आईआईएफसीएल ने आगे कहा कि यह एसआईएफटीआई द्वारा शासित होती है जिसके अंतर्गत, आईआईएफसीएल अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि एसआईएफटीआई ने आईआईएफसीएल को मोबिलाइजेशन अग्रिम के असमायोजन/ वसूली न करने के स्पष्ट मुद्दे का उठाने और किसी नए संवितरण से पूर्व मुख्य ऋणदाता के साथ संविदा के मध्य में मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान हेतु सहमति देने से नहीं रोका।

(vii) एनजेटीपीएल के मामले में, आरंभिक ईपीसी संविदा (अक्टूबर 2010) में मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तथापि, इसे अनुपूरक ईपीसी करार

(सितम्बर 2013) में शामिल किया गया था, जिसमें ईपीसी संविदाकार को कुल संविदा मूल्य के 20 प्रतिशत से अनधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम की रिवॉल्व करने की अनुमति थी। मोबिलाइजेशन अग्रिम से समंजन राशि का निर्णय रियायत ग्राही द्वारा लिया जाना था जो प्रत्येक ईपीसी बिल से 25 प्रतिशत के न्यूनतम समंजन के अध्यक्षीन था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान कार्य शुरू करने के लिए संसाधनों के मोबिलाइजेशन हेतु किया जाता है। इसलिए, संविदा के दौरान मोबिलाइजेशन अग्रिम को लगातार जारी करना तर्क संगत नहीं था। इसके अलावा, सीए प्रमाणपत्रों में ईपीसी संविदाकार के पास पड़े मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि को दर्शाया गया था, परंतु न तो सीए प्रमाणपत्रों में और न ही एलआईई रिपोर्टों में समय-समय पर जारी और समायोजित/ वसूले गए मोबिलाइजेशन अग्रिमों के कोई ब्यौरे दिए गए थे। ऐसे ब्यौरे के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं द्वारा अग्रिमों की निगरानी कैसे की जा रही थी।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि ईपीसी संविदाकार को दिए गए ईपीसी अग्रिम एक आवश्यक पहल है जो सामग्री तथा श्रमबल सहित संसाधनों के मोबिलाइजेशन के लिए अपेक्षित है। आईआईएफसीएल ने आगे बताया कि संघ बैंकिंग की भावना के अनुसार, अग्रणी बैंक आरए बिलों के प्रमाणन के साथ-साथ ईपीसी संविदाकार को दिए जाने वाले/ वसूले जाने मोबिलाइजेशन अग्रिम के संबंध में निगरानी/ निर्णय करता है। तथापि, उत्तर में सीए प्रमाणपत्रों/ एलआईई रिपोर्टों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उल्लेख नहीं था। आईआईएफसीएल ने आगे बताया कि इस परियोजना में मोबिलाइजेशन अग्रिम की सुविधा की संस्वीकृति संघ द्वारा साइट पर कार्य में गति लाने के लिए बाद के चरण में दी गई थी। इस परियोजना में एक तरफ तो ईपीसी संविदाकार को पर्याप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया था जबकि दूसरी तरफ प्रमोटर भी अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता के अतिरिक्त सहायक ऋण के रूप में निधि डाल रहे थे जिसे संघ द्वारा देखा गया और 22 मार्च 2018 को आयोजित संघ की बैठक में कंपनी को सहायक ऋण के साथ एसपीवी को दिए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम में निवल छूट का निर्देश दिया गया। यह किया गया और इसे दिनांक 1 मार्च 2018 और 31 मार्च 2018 के सीए प्रमाणपत्रों में देखा जा सकता है जिसमें बकाया मोबिलाइजेशन अग्रिम (ईपीसी संविदाकार को दिया गया अग्रिम) को ₹143.90 करोड़ से घटाकर ₹33.31 करोड़ कर दिया गया। अतः, मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न करने संबंधी अभ्युक्ति का समाधान कर दिया गया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे ईपीसी संविदाकार को रिवोल्विंग मोबिलाइजेशन अग्रिम रखने देने की लेखापरीक्षा की चिंता का समाधान नहीं हुआ क्योंकि ईपीसी

संविदाकार द्वारा संसाधनों के आरंभिक मोबिलाइजेशन के लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम देने की भावना विफल हुई और इस मामले में रियायत ग्राही/ ईपीसी संविदाकार को रिवोल्विंग मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति देकर लाभ पहुंचाया गया है। परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है और ईपीसी संविदा की मौजूदा शर्तों के संदर्भ में ईपीसी संविदाकार को किसी अन्य मोबिलाइजेशन अग्रिम को खारिज नहीं किया जा सकता।

(viii) डीएटीआरएल के मामलों में, ईपीसी संविदा 28 मार्च 2011 को आरईएल यूटिलिटी इंजीनियर्स लिमिटेड (प्रमोटर कंपनी) के साथ हस्ताक्षरित की गई थी जिसने ईपीसी संविदा की उप-संविदा आर-इंफ्रा को दी। आगे आर-इंफ्रा ने इसकी उप-संविदा 21 अगस्त 2012 को एलएण्डटी को दे दी। ईपीसी संविदा के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत राशि ₹267.30 करोड़ (₹2,673 करोड़ का 10 प्रतिशत) देय थी जबकि एलएण्डटी के साथ उप-संविदा के अनुसार अग्रिम कुल संविदा मूल्य को केवल 5 प्रतिशत (₹2,040 करोड़ के 5 प्रतिशत की दर पर ₹102 करोड़) था। इस प्रकार, प्रमोटर कंपनी को ₹65.30 करोड़ (₹267.30 करोड़ - ₹102 करोड़) का ब्याज मुक्त अग्रिम दिया गया था। इससे रियायत ग्राही को अनुचित लाभ मिला, परंतु आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं द्वारा न तो ईपीसी लागत न ही विभेदक अग्रिम पर में आपत्ति उठाई गई।

आईआईएफसीएल के उत्तर में (अप्रैल/ मई 2020) मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ईपीसी संविदाकार को दिए गए अनुचित लाभ के मुद्दे पर उल्लेख नहीं था जो वास्तव में कार्य करने वाले संविदाकार को वास्तविक रूप नहीं दिया गया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त मामलों में, आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने रियायत ग्राहियों द्वारा उनके ईपीसी संविदाकारों, जो संबंधित पार्टियाँ हैं, को भुगतान किए गए अग्रिमों के निर्गमन/ समायोजन/ वसूली की निगरानी नहीं की जिसके कारण संविदाकारों को परियोजनाओं और ऋणदाताओं की लागत पर अनुचित लाभ मिला। इसके अलावा, बोर्ड में सीए और/ या एलआईई द्वारा उनके प्रमाणपत्र (ओं)/ रिपोर्ट (ओं) में भुगतान एवं समायोजित किए गए अग्रिमों के ब्यौरों की सूचना न देना भी अग्रिमों के भुगतान और उपयोग की निगरानी में कमी का सूचक था।

#### 5.1.2.6 वित्तीय और प्रत्यक्ष प्रगति की समीक्षा में अपर्याप्तताएं

आरबीआई के दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, बैंको/ वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण रूपेण सीए के प्रमाणपत्रों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपने ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक नियंत्रणों और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।



कार्य की प्रगति पर एलआईई की रिपोर्टों की लेखापरीक्षा जांच से प्रत्यक्ष प्रगति की तुलना में वित्तीय प्रगति के बीच बड़े अंतर का पता चला जो दर्शाता है कि परियोजना निधियों को परियोजना कार्य के लिए कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं किया गया था।

(i) बीएचपीएल के मामले में, ₹2,601.89 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत के प्रति जुलाई 2017 तक रियायत ग्राही को प्रदत्त कुल निधि (अर्थात, ऋण संवितरण, प्रमोटर द्वारा इक्विटी अंशदान और एनएचएआई का अनुदान) ₹2,417.95 करोड़ (93 प्रतिशत) थी, जबकि, एलआईई की अगस्त 2017 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति क्रमशः केवल 73.50 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत थी। तथापि, रियायत ग्राही के पास अप्रयुक्त निधि का संज्ञान दिए बिना ऋणदाताओं के संघ ने अधिक लागत के प्रति दो और किस्तों में ₹160 करोड़ का संवितरण किया (नवम्बर और दिसम्बर 2017) जिसमें आईआईएफसीएल का ₹23.70 करोड़ का हिस्सा शामिल था। आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि ऋणदाताओं ने परियोजना में संवितरण किया क्योंकि परियोजना 70 प्रतिशत से अधिक पूरी हो गई और पीसीओडी के करीब थी। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीसीओडी प्राप्त करने हेतु पिछले संवितरणों के प्रति प्रगति की जांच किए बिना ऋण का संवितरण विवेकपूर्ण नहीं था।

(ii) सीपीबीएसआरपीएल के मामले में, सीए प्रमाणपत्र (फरवरी 2017) के अनुसार, ₹208.61 करोड़ के ईपीसी कार्य के प्रति रियायतग्राही ने ₹161.98 करोड़ (77.74 प्रतिशत) दिए। तथापि, रियायत प्रदाता प्राधिकरण के स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) ने सूचना दी (अप्रैल 2017) कि 50 प्रतिशत कार्य प्रत्यक्ष रूप से पूरा हो गया था। वित्तीय प्रगति और प्रत्यक्ष कार्य के बीच 27 प्रतिशत का अंतर कार्य प्रगति पर आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं की खराब निगरानी को दर्शाता है।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति के मापन हेतु एलआईई, आईई जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न पद्धतियां लागू की गई थी। इसलिए, विवरणों के दो पृथक सेट हैं जो सामान्यतः तुलनीय नहीं हैं। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतर काफी था और उक्त का रियायत ग्राही/ एलआईई से समायोजन किया जाना चाहिए।

(iii) एचएचपीएल के मामले में ₹1,645.25 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत के प्रति फरवरी 2018 तक रियायतग्राही को उपलब्ध कराई गई कुल निधि (अर्थात ऋण संवितरण, प्रमोटर द्वारा इक्विटी अंशदान तथा एनएचएआई के अनुदान) ₹1,525.03

करोड़ (92.69 प्रतिशत) थी, जबकि एलआईई की फरवरी 2018 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति केवल 73.73 प्रतिशत थी। निधियों की उपलब्धता के बावजूद कार्य की धीमी प्रगति के कारण आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि ऋणदाताओं ने परियोजना में संवितरण किया क्योंकि परियोजना 70 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी थी और पीसीओडी के करीब थी। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीसीओडी प्राप्त करने हेतु पिछले संवितरणों के प्रति प्रगति की जांच किए बिना ऋण का संवितरण विवेकपूर्ण नहीं था।

#### 5.1.2.7 पिछले संवितरण के उपयोग की जांच किए बिना ऋण का संवितरण

सीएलए के प्रावधानों के अनुसार, उधारकर्ताओं को ऋण के आहरण हेतु अनुरोध करते समय यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि पिछले ड्रॉडाउन की प्राप्तियों को केवल अनुमानित परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया गया है और प्रस्तावित ड्रॉडाउन की प्राप्तियों का उपयोग, इस लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि उधारकर्ताओं ने केवल सामान्य विवरण ही प्रस्तुत किए थे, जैसे (i) प्रस्तावित संवितरण का उपयोग केवल अनुमानित परियोजना लागत के प्रति किया जाएगा, (ii) प्राप्तियों का उपयोग सीएलए के अनुसार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों में सड़क स्ट्रेच/ कार्यकलापों के उचित ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए जिन पर प्रस्तावित ऋण खर्च किया जाएगा। ऐसे ब्यौरे ड्रॉडाउन नोटिसों के साथ संलग्न एलआईई के ड्रॉडाउन प्रमाणपत्रों में भी नहीं दिए गए थे और एलआईई में सामान्यतः यह प्रमाणित किया गया था कि परियोजना समापन अनुसूची के अनुसार परियोजना लागतों के लिए भुगतान करने हेतु प्रस्तावित संवितरण की उचित रूप से और समय पर आवश्यकता थी। सड़क स्टैच/ कार्यकलाप जहां निधि का उपयोग किया जाएगा, जैसे ब्यौरे उधारकर्ता से निधि आवश्यकता की सत्यता सुनिश्चित करने और अगले संवितरण के समय पिछले संवितरण के प्रति वास्तव में हुई कार्य प्रगति की जांच करने के लिए भी आहरण नोटिस में आवश्यक है। ऐसे ब्यौरों के अभाव में, मौजूदा आंतरिक नियंत्रण परियोजना निधि के उपयोग पर यथावत आश्वासन देने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹656.58 करोड़ के काम के खिलाफ ₹1,182.58 करोड़ के ऋण का संवितरण बीकेईएल (₹563.32 करोड़) और एसएलएचएल (₹619.26 करोड़) को किया। चूंकि, निष्पादित कार्य के संदर्भ में ₹526 करोड़ की राशि के ऋण का अधिक संवितरण हुआ था, अतः ऋण एनपीए में बदल गया। आईआईएफसीएल ने अपने ऋण के हिस्से (₹210.24 करोड़) को बड़े खाते में डाल दिया क्योंकि एनएचएआई ने रियायत प्रदाता करार समाप्त कर दिए थे।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि निधियों का संवितरण एलआईई द्वारा प्रमाणित बिलों के प्रति प्रतिपूर्ति आधार पर किया गया था। किसी भी समय पर परियोजना की प्रगति विविध चेनेज है और इस प्रकार अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि किस चेन पर निधियों का उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

यह उत्तर परियोजना व्यय को प्रभावपूर्ण तरीके से निगरानी करने हेतु ऋणदाताओं की विफलता को दर्शाता है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस चेन पर निधियों का उपयोग किया गया था।

### 5.1.2.8 कार्य स्थल दौरों में अपर्याप्तता

रियायतग्राही के सह-समन्वय से ऋणदाता कार्य की प्रगति की निगरानी हेतु कार्यस्थल के दौरे करता है। इस प्रकार के दौरे भी एलआईई, सीए और रियायत ग्राही द्वारा सुचित कार्य प्रगति की जांच में ऋणदाताओं के सहायता करते हैं।

आईआईएफसीएल की 2012 की क्रेडिट पॉलिसी (2015 में संशोधित) के अनुसार कार्य स्थल के दौरों की व्यवस्था अग्रणी बैंक या उधारकर्ता द्वारा की जाएगी तथा कोई संवितरण शुरू करने से पूर्व पहले दौरे में जाना आईआईएफसीएल के लिए वांछनीय था। बाद में आईआईएफसीएल को प्रत्येक परियोजना हेतु वर्ष में कम से कम एक दौरा सुनिश्चित करना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

(i) चार मामलों (साई मातारिनी टोलवेज लिमिटेड (एसएमटीएल), बीपीएमसीपीएल, एईटीपीएल और वाइएटीएल) में, अग्रणी बैंकों ने पहले ऋण संवितरण से पूर्व पहला कार्य स्थल दौरा किया था। हालांकि, आईआईएफसीएल ने इसमें भाग नहीं लिया। एईटीपीएल के मामले में, आईआईएफसीएल ने 2016 से 2019 की अवधि के दौरान केवल एक कार्यस्थल दौरे में भाग लिया (फरवरी 2017)।

(ii) पांच मामलों (एसएसआरपीएल, एचएचपीएल, एनजेटीबीपीएल और पीएसटीपीएल) में, ऋणदाताओं द्वारा पहले संवितरण से पूर्व कोई कार्यस्थल दौरा नहीं किया गया था। कार्यस्थल का पहला दौरा भी पहले संवितरण की तिथि से 2-18 माह बीत जाने के बाद किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि आईआईएफसीएल ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में प्रावधान के बावजूद कार्यस्थल के दौरे को परियोजना की निगरानी का महत्वपूर्ण साधन नहीं माना था।

एचएचपीएल, वाइएटीएल, एईटीपीएल, केटीपीएल, और पीएसटीपीएल के मामले में भावी अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को दर्ज करते समय, आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि एसएमटीएल, बीएटीएल बीपीएमसीपीएल, एसएसआरपीएल

और एनजेबीटीपीएल के मामले में श्रमबल के अभाव और कार्यालय की अनिवार्यताओं के कारण कुछ कार्य स्थल के दौरे करना संभव नहीं था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि परियोजना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित और ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रभावी निगरानी हेतु स्थापित तत्वों में से एक कार्यस्थल का दौरा था। अतः, संगठन के साथ-साथ परियोजना के व्यापक हित में अपेक्षित संसाधन स्थापित किए जाने चाहिए।

### 5.1.2.9 विविध मामलें

#### (i) यातायात/ टोल राजस्व के अवास्तविक अनुमानों के आधार पर ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण

यद्यपि, उपर्युक्त चर्चा के अनुसार सड़क परियोजनाओं की पूर्णता/ परिचालन व्यवहार्यता के लिए अधिकृत रास्ते की उपलब्धता आवश्यक है, फिर भी यातायात और टोल संग्रहण के वास्तविक अनुमानों का भी परियोजना की वाणिज्यिक/ वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ता है। यदि परियोजना वाणिज्यिक रूप से/ वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है तो रियायतग्राही द्वारा ऋण चुकाने में सक्षम न होने का जोखिम अधिक हो जाता है।

एसएमटीएल (एनपीए) के मामले में, ऑडिट ने देखा कि ट्रैफिक कंसल्टेंट की रिपोर्ट (नवंबर 2011) ने टोल राजस्व पर उड़ीसा राज्य में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के प्रभाव की अनदेखी की थी। हालांकि, अवैध खनन पर प्रतिबंध को देखते हुए सितंबर 2012 की परिशिष्ट यातायात रिपोर्ट में, ट्रकों की संख्या प्रति दिन 3,600 (2 एक्सल की संख्या - 1980 और 3 एक्सल की संख्या - 1620) और अन्य वाहनों की संख्या के रूप में मानी गई थी। पहले की ट्रैफिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। आईडीबीआई बैंक (प्रमुख ऋणदाता) ने अनुमानित यातायात के लिए अपने ऋण मूल्यांकन (नवंबर 2012) में, हालांकि, काल्पनिक अनुमानों के साथ यातायात प्रवाह को 29,154 (2 और 3 एक्सल) ट्रकों तक बढ़ा दिया है, जिससे लौह अयस्क की मांग में भविष्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा, डुबूरी में प्रस्तावित टाटा इस्पात संयंत्र के कारण लौह अयस्क की मांग में भावी वृद्धि, 2016 तक लौह अयस्क निर्यात में सुधार और सड़क की हालत में सुधार, जिससे यातायात आदि में और अधिक वृद्धि होगी, पर 29,154 (2 एवं 3 एक्सल) ट्रकों की औसत दैनिक यातायात मात्रा के साथ परिकल्पित रूप से स्वीकृत आधार पर विचार किया गया था। परियोजना अगस्त 2017 में पूरी हुई थी। एलआईई ने सात दिनों की अवधि में दिसम्बर 2017 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 1,069 (2 एवं 3 एक्सल) वास्तविक औसत दैनिक यातायात की सूचना दी थी। चूंकि, टोल राजस्व अनुमानित से कम था, अतः रियायत ग्राही ऋण चुकाने में विफल रहा जिसके कारण आईआईएफसीएल का ₹278.66 करोड़ का ऋण 31 दिसम्बर 2017 को एनपीए में बदल गया। बाद में,

रियायतग्राही ने अप्रत्याशित घटना<sup>18</sup> खंड के आधार पर 27 मार्च 2019 को समापन नोटिस जारी कर दिया।

आईआईएफसीएल ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि परियोजना की व्यवहार्यता अन्य कारकों कलिंगा नगर क्षेत्र में मौजूदा उद्योगों और डूबरी में प्रस्तावित टाटा इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की मांग में वृद्धि, लौह अयस्क निर्यातों में सुधार, पारादीप पोर्ट पर कार्गो प्रहस्तन क्षमता में प्रत्याशित विकास आदि के आधार पर व्यवहार्य पाया गया था। आईआईएफसीएल ने आगे कहा कि उन्होंने एसआईएफटीआई के अनुसार अग्रणी बैंक मूल्यांकन/ संस्वीकृति का पालन किया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि आईआईएफसीएल को एसआईएफटीआई के अंतर्गत केवल व्यवहार्य परियोजनाओं के वित्तपोषण का अधिदेश है और मूल्यांकन के समय अनुमोदित और विचार किया गया टोल राजस्व वास्तववादी यातायात पर आधारित नहीं था।

**(ii) टेकआउट फाइनेंस के अंतर्गत ऋण संस्वीकृत करते समय प्रत्यक्ष जोखिम पर ध्यान न देना**

सिओन पनवेल टोलवेंज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीटीवीएल) के मामले में, रियायत प्रदाता प्राधिकरण (पीडब्ल्यूडी, जीओएम) ने 01 जनवरी 2015 से टोल संग्रहण की अनुमति दी परन्तु स्थानीय वाहनों की कुछ श्रेणियों को टोल भुगतान से छूट दी, यद्यपि रियायत करार में ऐसी किसी छूट पर सहमति नहीं दी गई थी। पीडब्ल्यूडी ने 30 जून 2015 को 12 यात्रियों की क्षमता वाले कार, जीप आदि जैसे हल्के मोटर वाहनों को टोल भुगतान से छूट दे दी। इससे एसपीटीपीएल का टोल संग्रहण प्रभावित हुआ और फलस्वरूप, परियोजना में आईआईएफसीएल का ₹160 करोड़ का ऋण 30 सितम्बर 2016 को एनपीए में बदल गया है। एसपीटीपीएल ने रियायत प्रदाता प्राधिकरण को 28 नवम्बर 2017 को रियायत करार समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया और पीडब्ल्यूडी ने परियोजना को अपने अधिकार में ले लिया है। रियायत करार के अंतर्गत समापन भुगतान के मामले पर मध्यस्थता चल रही है (जनवरी 2020)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईआईएफसीएल ने उसी राज्य (महाराष्ट्र) में दूसरी परियोजना (एमईपीआईपीएल) में समान जोखिम का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें आईआईएफसीएल ने मुम्बई में एक परिचालन परियोजना के लिए ₹269.90 करोड़ के अतिरिक्त टेकआउट फाइनेंस की संस्वीकृति दी थी (फरवरी 2016)। इस प्रकार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कई श्रेणी के वाहनों से टोल संग्रहण छूट देने के ज्ञात जोखिम पर इस टेकआउट फाइनेंस में उचित ध्यान नहीं दिया गया।

<sup>18</sup> अनपेक्षित परिस्थितियों जो किसी को संविदा पूरी करने से रोकती हैं।

आईआईएफसीएल का यह उत्तर (जनवरी/ अप्रैल/ मई 2020), कि पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई टोल अधिसूचना एमईपी इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा. लि. पर लागू नहीं है और एमईपीआईपीएल सभी ऋणदाताओं को ऋण देयताओं (ब्याज सहित मूलधन भुगतान) को चुकाने के लिए टोल संग्रहण कर रही है। अतः, एसपीटीपीएल का जोखिम एमईपीआईपीएल पर लागू नहीं होता। इसलिए, दो परियोजनाओं के बीच तुलना उचित नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा वाहनों को दी गई छूट अप्रत्याशित घटना थी जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रियायतग्राही को स्वीकार्य मुआवजा दिए बिना मनमाने ढंग से टोल छूट दी गई थी जिसके कारण रियायत ग्राही द्वारा संविदा समाप्त कर दी गई। मौजूदा मामलों में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा टोल संग्रहण से कुछ श्रेणियों के वाहनों को छूट देने के कथित जोखिम और उसके निष्कर्षों के बारे में आईआईएफसीएल को पहले ही अनुभव था और इसलिए, आईआईएफसीएल द्वारा टेकआउट फाइनेंस के अंतर्गत ऋण संस्वीकृति से पूर्व से जोखिम पर विचार और इसे कम किया जाना चाहिए था।

### (iii) रियायतग्राही की क्रेडिट रेटिंग

सीएलए के अंतर्गत, ऋणदाताओं को दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु अधिदेश दिया गया था यदि क्रेडिट रेटिंग<sup>19</sup> प्रस्तुत नहीं की जाती या निर्धारित रेटिंग से कम हो।

बीएटीएल के मामले में, सीएलए में अपेक्षित था कि 'उधारकर्ता पहले ड्रॉडाउन नोटिस की तिथि से छः माह के अंदर तथा इसके पश्चात प्रत्येक 12 माह में और/ या ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसे मुख्य ऋणदाताओं द्वारा अपेक्षित हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनी रेटिंग कराने पर बिना शर्त सहमति और वचन देगा। यदि, उधारकर्ता ने समय पर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की है और/ या बीबीबी से कम की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है, तो ऋणदाताओं को एक प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित करने का अधिकार है। बीएटीएल की पहली बाह्य रेटिंग बीबी+ के रूप में 03 दिसम्बर 2013 को की गई थी, जिसे घटाकर 06 मई 2016 को बी+ कर दिया गया।

आईआईएफसीएल ने रियायतग्राही द्वारा क्रेडिट रेटिंग की समय पर प्रस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना प्रति वर्ष एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किए बिना लगातार ऋण संवितरण किया जिसके परिणामस्वरूप, ₹3.12 करोड़<sup>20</sup> की राजस्व हानि हुई (जुलाई 2017 तक)।

<sup>19</sup> क्रेडिट रेटिंग रियायतग्राही की तरफ से ऋण परिसंपत्ति चुकाने में चूक की संभावना पर एक चेतावनी तंत्र है

<sup>20</sup> दिसम्बर 2014 से जनवरी 2017 के दौरान संवितरित ऋण राशि पर एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि अतिरिक्त ब्याज प्रभारित करने के लिए मामले पर अग्रणी बैंक के साथ चर्चा की गई है। अग्रणी बैंक ने भी पुष्टि की है (नवम्बर 2019) कि वे अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं कर रहे थे। उधारकर्ता और अन्य संघ सदस्यों के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा है। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

**(iv) इक्विटी डालना और शेयरधारिता स्वरूप**

आरबीआई के दिशानिर्देशों (जुलाई 2009) के अनुसार, वित्तपोषण एजेंसियों को पूर्ण रूप से सनदी लेखाकारों के प्रमाणपत्रों (सीए प्रमाणपत्रों) पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय, अपने ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें अपने आंतरिक नियंत्रणों और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए। इस संबंध में आरबीआई द्वारा सुझाव दिए गए उपायों में से एक उधारकर्ता की लेखा बहियों और 'नो-लीन' बैंक लेखाओं की आवधिक संवीक्षा करना था।

सभी सीएलए में अपेक्षित था कि (i) प्रमोटर ऋण के संवितरण से पूर्व निलंब खाते लेखा में अप्रॉफ इक्विटी लाएगा, और (ii) रियायतग्राही का प्रबंधन और इसका नियंत्रण ऋणदाताओं की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं बदलेगा। रियायत करारों में यह भी अपेक्षित था कि रियायतग्राही रियायत प्रदाता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अलावा स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं करेगा या इसकी अनुमति नहीं देगा। लेखापरीक्षा में चयनित मामलों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

क) सीपीबीएसआरपीएल के मामले में, सीएलए में प्रावधान किया गया था कि प्रमोटर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो अग्रणी बैंक भी था, में खोले गए निलंब खाते में इक्विटी अंशदान डालेगा। प्रमोटर ने इलाहाबाद बैंक में खोले गए गैर-निलंब बैंक खाते में शेयर एप्लिकेशन राशि के रूप में 21 से 30 मई 2015 के दौरान 16 अंशों, ₹0.50 करोड़ प्रत्येक, में जमा कराए थे। प्रत्येक अंश में इस जमा कराई गई निधि को उसी दिन आहरित कर लिया गया था। रियायतग्राही के ड्रॉडाउन नोटिसों के साथ संलग्न सीए के प्रमाणपत्रों दिनांक 06 जनवरी 2015 और 15 जून 2015 में, जमा कराए गए उपर्युक्त 16 अंशों की कुल राशि को प्रमोटर द्वारा परियोजना में ₹8 करोड़ का इक्विटी सम्मिश्रण माना था। इक्विटी सम्मिश्रण के रूप में गैर-निलंब बैंक खाते में प्रमोटर द्वारा कराए गए किसी जमा पर विचार करना अनियमित था।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि एसआईएफटी के अनुसार अग्रणी बैंक का प्राथमिक उत्तरदायित्व निगरानी करना है। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईआईएफसीएल ने आरबीआई ने दिशानिर्देशों और अंतर क्रेडिटर करार के प्रावधानों के अनुरूप समयक तत्परता नहीं दिखाई जो जिसमें स्वतंत्र

निर्णय लेने के लिए अपेक्षा की गयी थी। इसके अलावा, गैर-निलंब खाता में किया गया कोई जमा परियोजना में इक्विटी सम्मिश्रण नहीं माना जा सकता जैसा कि सीए द्वारा प्रमाणित था।

**ख)** सीपीबीएसआरपीएल के 2013-14 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, सीपीबीएसआरपीएल में दो प्रमोटरों में से एक पीएटीएच की शेयरधारिता को 0.02 प्रतिशत तक कम कर दिया गया जबकि कंकास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की शेयरधारिता 99.98 प्रतिशत बढ़ गई जो 31 मार्च 2016 तक इसी प्रकार रही। आईआईएफसीएल के अभिलेखों में रियायतग्राही द्वारा शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए कोई अनुमोदन नहीं दर्शाया गया। फिर भी, आईआईएफसीएल ने सीएलए में अनुबंधित संवितरण-पूर्व शर्त के उल्लंघन में शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के बावजूद ऋण संवितरण किया।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/ मई 2020) कि रियायत प्रदाता प्राधिकरण के साथ आयोजित की गई बैठक में पीएटीएच परियोजना में सक्रियता से भागीदारी करने पर सहमत हो गया। तथापि, पीएटीएच ने अपनी वचनबद्धता का मान नहीं रखा और ऋणदाताओं ने एनसीएलटी में पीएटीएच के विरुद्ध आवेदन दायर किया है। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर समर्थन किया (जून 2020)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईआईएफसीएल के अभिलेखों में यह नहीं दर्शाया गया कि आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने रियायत करार की अवधि के दौरान रियायतग्राही के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। इसके अलावा, रियायतग्राही के वित्त से पता चला कि शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव किया गया था जिसकी या तो अनदेखी की गई या इसे उचित महत्व नहीं दिया गया जिसके कारण सीएलए में अनुबंधित संवितरण पूर्व शर्त के अननुपालन के बावजूद ऋण का संवितरण हुआ।

### 5.1.3 निष्कर्ष

सड़क रूप में, परियोजनाओं के पास ऋण के प्रति प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराने हेतु प्रत्यक्ष परिसंपत्ति नहीं होती। ऋण परिसंपत्ति की गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए परियोजना की व्यवहार्यता ही आश्वासन प्रदान करती है। उसी दक्ष में सामान्य ऋण करार (सीएलए) पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परियोजना पर सम्यक तत्परता, ऋण के संवितरण से पूर्व सामान्य ऋण करार (सीएलए) में दी गई शर्तों के अनुपालन और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए परियोजना की कार्य प्रगति की निगरानी सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यकलाप हैं।

आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने अधिकृत रास्ते की उपलब्धता के जोखिम, प्रमोटर कंपनी को दी जा रही ईपीसी संविदाओं और रियायतग्राही कंपनी में शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन पर प्रतिबंधों पर उचित संज्ञान नहीं लिया। नौ एनपीए मामलों में से सात में



अपेक्षित अधिकृत रास्ते की अनुपलब्धता परियोजनाओं के पूरा न होने और ऋणों के एनपीए में बदलने हेतु मुख्य कारण था। एक एनपीए मामले में, अवास्तविक यातायात अनुमान ने परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रभावित किया जबकि अन्य एनपीए मामले में उच्च ईपीसी लागत और कम यातायात राजस्व के कारण परियोजना अव्यवहार्य हो गई।

कई मामलों में महत्वपूर्ण जोखिमों को भी उचित संवितरण-पूर्व शर्त के समावेशन द्वारा कम नहीं किया गया था। हालांकि, सीएलए में परियोजना की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अन्य वैध संवितरण-पूर्व शर्तें निर्दिष्ट थीं फिर भी पर्यावरण/ वन/ पेड़ काटने की मंजूरी, निलंब खाता के माध्यम से अपेक्षित इक्विटी सम्मिक्षण और प्रमोटर द्वारा अधिक लागत/ आईडीसी के वित्तपोषण से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना एनपीए मामलों सहित कई मामलों में ऋणों का संवितरण किया गया था। इसके कारण कार्य की प्रगति में विलंब, प्रमोटरों द्वारा निधि के दुरुपयोग का जोखिम और बुरी तरह से प्रबंधित परियोजनाओं में परिहार्य अतिरिक्त ऋण दिया गया।

परियोजना प्रगति की निगरानी ऋणदाताओं द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अपर्याप्तताओं के कारण कमजोर थी जिसमें विशेष रूप से अधिकृत रास्ते की उपलब्धता, प्रमोटरों द्वारा इक्विटी सम्मिश्रण, शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव, परियोजना के पास उपलब्ध निधि की तुलना में प्रत्यक्ष कार्य प्रगति और निगमन/ असामायोजित/ वसूले न गए अग्रिमों के संबंध में एलआईई की रिपोर्टों और सीए के प्रमाणपत्रों में निर्दिष्ट अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण जानकारी है। निगरानी में कमी के कारण प्रमोटर ने परियोजना कार्य प्रगति की लागत पर परियोजना निधि से अनुचित लाभ लिए।

कुल आरंभिक परियोजना लागत में वृद्धि हेतु सहमति देने के अलावा, आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने कुल परियोजना लागत में वृद्धि के लिए रियायत प्रदाता प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹3,47.85 करोड़ की अधिक लागत के वित्तपोषण हेतु भी सहमति दी जो न केवल अनियमित था अपितु अविवेकपूर्ण भी था, क्योंकि इससे परियोजना चालू रखने के लिए अक्षम प्रमोटरों को बढ़ावा मिला, बुरे तरीके से प्रबंधित परियोजनाओं में बढ़ा हुआ ऋण जोखिम रहा, विलंबित सुधारात्मक कार्रवाई हुई और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ऋणदाताओं को रियायत करार के प्रावधानों के मद्देनजर रियायत करार के समापन पर अधिक लागत/ आईडीसी के आधार पर दिए गए ऋण की वसूली न होने के जोखिम में डाल दिया।

ऋण की पुनःसंरचना में अविवेक, टेकआउट फाइनेंस, संवितरण पूर्व शर्तों से छूट और शिकायतों पर कार्रवाई करने के पृथक मामले भी देखे गए थे।

एनएचएआई द्वारा अधिकृत रास्ता उपलब्ध न कराने और अधिकृत रास्ते की उपलब्धता और मंजूरीयों सुनिश्चित किए बिना आईआईएफसीएल के ₹1,895.50 करोड़ के ऋण सहित परियोजनाओं को संवितरित बड़ी ऋण राशि के कारण न केवल ऋण एनपीए में बदल गए, अपितु देश भी सड़कों के पूरा न हाने के कारण इन सड़क परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सका।

#### 5.1.4 सिफारिशें

लेखापरीक्षा में इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए मामलों के समाधान हेतु निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया गया:

1. रियायत करारों में अनुबंधित प्रगति की प्राप्ति के बावजूद रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा पीसीओडी (अंतिम वाणिज्यिक परिचालन तिथि) जारी न करने से संबंधित मुद्दों को रियायत प्रदाता प्राधिकरण/ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान कराने के लिए वित्त मंत्रालय के स्तर पर प्रयास किए जाए।
2. क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के सफल समापन के हित में बेहतर सूचना सुनिश्चित करने और ऋणदाताओं सहित सभी पणधारकों के वित्तीय हितों को सुरक्षित करने के मद्देनजर रियायत प्रदाता प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के संघ के मध्य एक पृथक त्रिपक्षीय करार भी किया जाए।
3. आईआईएफसीएल को अपने वित्तीय हित की सुरक्षा के लिए कड़ी शर्तों या रियायत करार में समापन भुगतान शर्तों जैसे निषेधात्मक खंडों से होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए अधिकृत रास्ते की उपलब्धता पर संस्वीकृति पत्र/ सीएलए में ऋण संवितरण शर्तें शामिल करनी चाहिए।
4. ईवीसी संविदाकार को मोबिलाइजेशन अग्रिम, वह भी पर्याप्त भुनाने योग्य प्रतिभूति द्वारा समर्थित होगा जो ऋणदाताओं के अधिकार में होगी और ऐसे अग्रिमों की वसूली समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए, के अलावा किसी अग्रिम की अनुमति देने से रियायतग्राही को रोकने के लिए तंत्र विकसित किया जाए।
5. पैरा में वर्णित लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित नमूने पर आधारित हैं, परन्तु मंत्रालय/ प्रबंधन से अनुरोध है कि समस्या के प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु समस्त मामलों की जाँच/ परीक्षा करवाई जाए तथा जिम्मेदारी तय की जाए जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो। वह मामले जहाँ बदनीयती के संकेत हो पेशेवर एजेन्सियों को अधिक जाँच हेतु सौंप दिए जाएं।

## इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

### 5.2 समाप्त परियोजनाओं में ऋण के विस्तारण के कारण होने वाली परिहार्य हानि

आईआईएफसीएल ने, रियायतग्राही प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता का पालन सुनिश्चित किए बिना, और अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों से उधारकर्ताओं की अपेक्षित ऋण सेवा क्षमता सुनिश्चित किए बिना टेकआउट फाइनेंस स्कीम के तहत दो ऋणों को स्वीकृति दी और संवितरित किया। इसके अलावा, एक मामले में, परियोजना को आईआईएफसीएल और मूल ऋणदाता बैंकों के बीच टेकआउट वित्तपोषण दस्तावेजों के निष्पादन से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, जबकि अन्य मामले में, परियोजना की समाप्ति की सूचना आईआईएफसीएल द्वारा ऋण के संवितरण से पहले हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹26.20 करोड़ के ऋण अवसूली योग्य हो गए।

रायपुर नगर निगम (आरएमसी) और भिलाई और दुर्ग नगर निगम (बीएमसी) के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के संचालन हेतु क्रमशः रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरएसडब्ल्यूपीएल) और भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूपीएल), छत्तीसगढ़ राज्य में दो रियायतकर्ता विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) थे। आरएसडब्ल्यूपीएल और आरएमसी के बीच 03 सितंबर 2012 को तथा बीडीडब्ल्यूपीएल और बीएमसी के बीच 17 जुलाई 2012 को 30 साल की अवधि प्रत्येक के लिए रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। रियायत समझौतों के तहत परियोजना व्यवहार्यता आरएमसी/ बीएमसी से एसपीवी द्वारा सृजित/ प्राप्त किए जाने वाले राजस्व पर पूर्णतः निर्भर थी।

आईआईएफसीएल ने एसपीबी को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि को आंशिक रूप से अधिग्रहित करके अपनी 'टेक आउट फाइनेंस स्कीम'<sup>21</sup> के तहत आरएसडब्ल्यूपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल को क्रमशः दो ऋण संस्वीकृत किए थे (22 सितम्बर 2014)। यह ऋण (₹13.71 करोड़ और ₹12.74 करोड़) 3 दिसम्बर 2014 को संवितरित किए गए।

दोनों रियायत ग्राहियों (आरएसडब्ल्यूपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल) के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, रियायत अथॉरिटीज (आरएमसी और बीएमसी) ने 24 दिसंबर 2013 और 21 अक्टूबर 2014 को रियायत समझौते को समाप्त करने के नोटिस भेज दिए और अंततः रियायत समझौतों को क्रमशः 25 नवंबर 2014 और 24 नवम्बर 2014 को

<sup>21</sup> टेकआउट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत, आईआईएफसीएल द्वारा बैंकों से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिए गए लोन को उनकी लेखाबहियों से निकाल लिया गया है। यह बैंकों को परिसंपत्ति-देयता बेमेल से बचने में मदद करता है और नई परियोजनाओं के लिए अपने फंड को मुक्त करने में भी मदद करता है।

समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 2015 से इन एसपीवी द्वारा ऋणों की सर्विसिंग नहीं की जा रही थी, और अंततः 30 जून 2015 (अर्थात् संवितरण के सात महीने के भीतर) को दोनों ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गए और अंत में क्रमशः आरएसडब्ल्यूपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल से देय ₹26.20 करोड़ (₹13.59 करोड़ और ₹12.61 करोड़) बढ़े खाते में डाल दिए गए (मार्च 2016)।

उपर्युक्त ऋणों के अनुमोदन और संवितरण के संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को देखा:

- टेकआउट फाइनेंस के लिए आईआईएफसीएल की क्रेडिट पॉलिसी (2012) के अनुसार, रियायतग्राही प्राधिकरण, ऋणदाताओं और ऋणदाताओं के संघ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), को टेकआउट होने की निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त करना आवश्यक था। हालाँकि, रियायत ग्राही प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त नहीं की गई थी।
- आईआईएफसीएल को केवल उन प्रस्तावों पर विचार करने की आवश्यकता थी, जिनमें ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1:00 था। हालाँकि, ऋण की मंजूरी के समय आईआईएफसीएल द्वारा निर्धारित डीएससीआर की पर्याप्तता भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- आरएसडब्ल्यूपीएल के मामले में, रियायत समझौते को समाप्त करने की सूचना आईआईएफसीएल (22 सितंबर 2014) द्वारा ऋण की मंजूरी की तारीख से काफी पहले (24 दिसंबर 2013) दी गई थी, और बीडीडब्ल्यूपीबीएल के मामले में, आईआईएफसीएल के वित्तपोषण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर रियायत समझौते (24 नवंबर 2014) की समाप्ति के बाद (27 नवंबर 2014) हुए। इसके अलावा, दोनों मामलों में निधियों का संवितरण इसके रियायत समझौतों को समाप्त करने के बाद किया गया था, जो एसपीवी को ऋण के अतार्किक संवितरण को इंगित करता है।

आईआईएफसीएल ने उत्तर (नवंबर 2019) दिया कि एनओसी 28 अक्टूबर 2014, 29 अक्टूबर 2014 और 26 नवंबर 2014 को ली गई थी और टेकआउट को प्रभावित करने से पहले सभी ऋणदाताओं से प्राप्त की गई थी। आगे यह उत्तर दिया गया था कि ऋण, जो कि डीएससीआर के आधार पर जुलाई 2013 से जून 2014 की अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित था, को वितरित किया गया था।

निम्नलिखित के कारण आईआईएफसीएल के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं:

- कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, रियायतग्राही प्राधिकरण से प्राप्त करने के लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त नहीं की गई थी।
- प्राप्त की गई चार एनओसी में से तीन की वैधता (दिनांक 28 अक्टूबर 2014 और 29 अक्टूबर 2014) स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि ये दिनांकित नहीं थीं और इसमें भविष्य की तारीख का संदर्भ शामिल था {अर्थात्, 'संशोधित और बहाल सुविधा समझौते' की तारीख 27 नवंबर 2014 पर हस्ताक्षर करना}।
- डीएससीआर के संबंध में, वर्ष 2013-14 के लिए उधारकर्ताओं के वार्षिक खातों से देखा गया था कि आरएसडब्ल्यूपीएल के लिए डीएससीआर केवल 0.13 और बीडीडब्ल्यूपीएल के लिए 0.48 अर्थात् 1.00 के निर्धारित अनुपात से कम है।
- इसके अलावा, तथ्य यह है कि दोनों मामलों में निधियों का संवितरण इसके रियायत समझौतों की समाप्ति के बाद किया गया था।

इस प्रकार, अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, आईआईएफसीएल ने उन परियोजनाओं में ऋण दिया, जिन्हें पहले ही समाप्त कर दिया गया था और परिणामस्वरूप ₹26.20 करोड़ (₹13.59 करोड़ तथा बढ़े खाते में डाले गए ₹12.61 करोड़) की हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गई कमियों के लिए जिम्मेदारी तय करने की अनुशंसा की जाती है।

पैरा को मंत्रालय की जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड

## 5.3 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

### 5.3.1 प्रस्तावना

एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड, जिसे पहले नाबार्ड वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (कंपनी) के नाम से जाना जाता था, का गठन कृषि तथा सूक्ष्म वित्त के दो व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है। यह एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है तथा इसने लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि अर्थात् 2015-16 से 2018-19 के दौरान 11 राज्यों<sup>22</sup> में अपनी गतिविधियों का संचालन किया। भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार, कंपनी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) है।

कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

<sup>22</sup> आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा त्रिपुरा

- कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के प्रोत्साहन, विस्तार, वाणिज्यिकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करना, तथा
- ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में समाज के जरूरतमंदों व वंचित वर्गों की समृद्धि हेतु सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करना।

### 5.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या:

- कंपनी ने अपने वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य हासिल किए;
- ऋण की मंजूरी के लिए एक प्रभावी तंत्र था; तथा
- देयों के संग्रहण के लिए एक मजबूत तंत्र था।

### 5.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश
- एनएबीएआरडी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- कंपनी के ऋण पर परिचालन नियमपुस्तिका के प्रावधान
- कंपनी द्वारा जारी आंतरिक कार्य निर्देश
- कंपनी की बोर्ड बैठकों का एजेंडा तथा कार्यवृत्त
- वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम के लिए दिशानिर्देश

### 5.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

5 अक्टूबर 2018 को कंपनी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके बाद लेखापरीक्षा की गई तथा मार्च 2019 में प्रबंधन को ड्राफ्ट पैरा जारी किया गया था। प्रबंधन का उत्तर मई 2019 में प्राप्त हुआ। 13 सितम्बर 2019 को प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए एक निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसके बाद दिसम्बर 2019 में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को ड्राफ्ट पैरा जारी किया गया। मंत्रालय का उत्तर जनवरी 2020 में प्राप्त हुआ जिस पर ड्राफ्ट आडिट पैरा को अंतिम रूप देते समय विधिवत रूप से विचार किया गया है।

31 मार्च 2018 तक सबसे अधिक अतिदेय वाले पांच राज्यों से ऋण लेखाओं का चयन किया गया था। चयनित राज्यों में, सबसे अधिक अतिदेय वाले जिलो/ शाखाओं का चयन किया गया। चयनित जिलो/ शाखाओं का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.3.1

राज्य	चयनित/ जिले शाखाएं
कर्नाटक	सिरसी, विजयपुरा, तुमकुर
तमिलनाडु	कुड्डालोर, डिंडिगुल, मदुरै, इरोड
महाराष्ट्र	गोंदिया, यवतमाल, नांदेड़, अमरावती
आंध्र प्रदेश	चित्तूर
तेलंगाना	वारंगल

चयनित लेखाओं का विवरण अनुलग्नक -III में दिया गया है। लेखापरीक्षा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए की गई तथा 2018-19 तक लेखापरीक्षा निष्कर्ष अद्यतन किए गए थे।

### 5.3.5 एनएबीएफआईएनएस के कारोबार मॉडल

कंपनी तीन प्रमुख कारोबार कार्यक्षेत्रों में ऋण संवितरण का संचालन करती है यथा दूसरे स्तर के संस्थान (एसएलआई), कारोबार तथा विकास संपर्ककर्ता (बीएंडडीसी) तथा ऋणदाताओं को प्रत्यक्ष उधार (डीएल)।

- (i) **दूसरे स्तर के संस्थान (एसएलआई):** यह एक पंजीकृत निकाय है, जिसकी एक अलग कानूनी पहचान होती है जिसमें पहले स्तर के संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह<sup>23</sup> (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह<sup>24</sup> (जेएलजी) तथा किसान समूह/ सोसायटी शामिल हैं। प्रत्याशित एसएलआई की पहचान कंपनी के क्षेत्रीय (शाखा/ जिला) कार्यालयों द्वारा की जाती है तथा कंपनी के मुख्यालय (बेंगलोर) से नामित टीमों परियोजना का निर्धारण करने<sup>25</sup> तथा उचित सर्तकता के लिए दौरा करती है। कंपनी द्वारा संवितरित ऋणों में से एसएलआई पहले स्तरों के संगठनों को आगे ऋण देता है। एसएलआई ब्याज अंतर से उत्पन्न अधिशेष के हकदार है, अर्थात् कंपनी को एसएलआई द्वारा देय ब्याज तथा आगे की उधार गतिविधि से प्राप्त ब्याज में अंतर।

<sup>23</sup> स्वयं सहायता समूह 10-20 व्यक्तियों के छोटे अनौपचारिक समूह हैं, जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में समरूपी हैं तथा सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने व समूह के सदस्यों के लाभ के लिए संसाधनों को जुटाने व प्रबंधन के एक समान उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से साथ आते हैं

<sup>24</sup> एक संयुक्त देयता समूह एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 4-10 व्यक्ति पारस्परिक गारंटी के प्रति व्यक्तिगत आधार पर या समूह तंत्र के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्यों से शामिल होते हैं

<sup>25</sup> कंपनी को पहले स्तर की संस्थाओं द्वारा एसएलआई से प्राप्त किए जाने वाले ऋणों में से अभिप्रेत परियोजनाओं का मूल्यांकन निर्धारण करना है

- (ii) **कारोबार तथा विकास संपर्ककर्ता (बीएंडडीसी):** ये कंपनी तथा एसएचजी के बीच के मध्यवर्ती हैं। ये एसएचजी की पहचान करने, ऋणों का प्रसंस्करण करने, किशतों के संग्रहण तथा उसे कंपनी को प्रेषण के लिए उत्तरदायी है। इन सेवाओं के लिए, वे संवितरित किए गए ऋण के 2 प्रतिशत (ऋण के संवितरण पर 0.5 प्रतिशत तथा संग्रहण व प्रेषण पूरा करने के लिए 1.5 प्रतिशत) की दर से कमीशन के हकदार है।
- (iii) **ऋणदाताओं को प्रत्यक्ष उधार (डीएल):** डीएल के अधीन कंपनी के कर्मचारी सीधे उधार देने तथा संग्रहण की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हैं। इस कारोबार ने वर्ष 2016-17 के दौरान अपने परिचालन को शुरू किया तथा 2017-18 व 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹88.38 करोड़ तथा ₹193.35 करोड़ का कारोबार किया।

कम्पनी के उपरोक्त तीन प्रमुख कारोबार कार्यक्षेत्र के अधीन 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋण तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां नीचे दिए अनुसार थी:

तालिका 5.3.2

(₹ करोड़ में)

विवरण	एसएलआई	बीएंडडीसी	डीएल
बकाया ऋण	141.59	1101.41	196.31
एनपीए	3.01	47.45	0.86

तीन मुख्य कारोबार कार्यक्षेत्रों में से 31 मार्च 2019 को (₹52.94 करोड़) कुल एनपीए का 95.31 प्रतिशत बीएंडडीसी तथा एसएलआई के अधीन जमा हुआ था।

### 5.3.6 लेखापरीक्षा आपत्तियां

#### 5.3.6.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण *अनुलग्नक-IV* में दिखाया गया है। कंपनी सभी चार वर्षों के दौरान वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में वृद्धि के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने में सक्षम थी। समग्र ऋण संवितरण के संदर्भ में वित्तीय उपलब्धि में वृद्धि 2015-16 से 2018-19 की चार वर्षों की अवधि में 56 प्रतिशत थी। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), कवर किए गए राज्यों, जिलों व कारोबार और विकास संपर्ककर्ताओं की संख्या के संदर्भ में भौतिक उपलब्धि में वृद्धि क्रमशः 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 87 प्रतिशत हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए तथ्यों के साथ कंपनी ने सहमति दी (मई 2019)।



### 5.3.6.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) कोई भी खाता है, जिसमें या तो मूलधन या ब्याज या दोनों 90 दिनों या अधिक की अवधि से देय है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए चार वर्षों के लिए कंपनी के एनपीए का विवरण *अनुलग्नक-V* में दिया गया है।

यह पाया गया कि:

- कंपनी का एनपीए ₹36.53 करोड़ से बढ़कर ₹85.11 करोड़ हो गया (वर्ष 2016-17 व 2017-18 में किए गए विवेकपूर्ण बड़े खाते<sup>26</sup> में डाले गए सहित) जिसने 31 मार्च 2019 को समाप्त पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान 133.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- कंपनी ने ₹32.17 करोड़ को विवेकपूर्ण बड़े खाते में डाला।
- 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, बकाया ऋण पोर्टफोलियों में 67.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एनपीए में 133.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनपीए कुल बकाया ऋण पोर्टफोलियों का 4.24 प्रतिशत (2015-16), 6.17 प्रतिशत (2016-17), 6.12 प्रतिशत (2017-18) तथा 5.89 प्रतिशत (2018-19) बनता था (*अनुलग्नक-VI*)।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए तथ्यों के साथ कंपनी ने सहमति दी (मई 2019)। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि प्रबंधन ने अतिदेय ग्राहकों के साथ कार्रवाई करने और ऋण के एनपीए बनने के मुद्दे को उठाने के लिए अपने स्ट्रैटिजिक असेट्स मैनेजमेंट सेक्शन को मजबूत बनाया। क्षेत्र का दौरा तथा अतिदेय की वसूली करने के लिए विशेष रिकवरी टीम (एसआरटी) का गठन किया गया था। आगे की लेखापरीक्षाओं में एसआरटी के निष्पादन की समीक्षा लेखापरीक्षा करेगी।

### 5.3.6.3 ऋणों की स्वीकृति

#### (i) एसएलआई के द्वारा ऋणों की स्वीकृति

39 ऋण लेखाओं को कवर करने वाले 36 एसएलआई थे, जिनका एनपीए 31 मार्च 2018 तक ₹3.83 करोड़ था। इन 36 एसएलआई में से, लेखापरीक्षा ने चयनित शाखाओं के 19 एसएलआई को शामिल किया, जिनका एनपीए ₹2.23 करोड़ था। परिभाषा के अनुसार, एसएलआई पहले स्तर की संस्थाओं को ऋण देने वाले थे।

<sup>26</sup> विवेकपूर्ण बड़ेखाते में उन गैर-निष्पादित ऋणों की राशि होती है जो शाखाओं की पुस्तकों में बकाया होते हैं परन्तु मुख्य कार्यालय स्तर पर बड़े खाते (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) में डाल दिए गए हैं।

आपरेशन्स मैनुअल ऑन लोन्स (सितम्बर 2015) के पैरा 5.5 के अनुसार, एक एसएलआई ऋण की स्वीकृति के लिए पात्र होगा, यदि यह पंजीकरण के बाद एक वर्ष के न्यूनतम परिचालन अवधि के लिए अस्तित्व में था। ऋण पात्रता निम्नलिखित में सबसे कम होगी:

- भूमि की लागत को छोड़कर परियोजना परिव्यय का 85 प्रतिशत;
- 10:1 का ऋण-इक्विटी अनुपात (निवल मूल्य का दस गुना);
- संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का 100 प्रतिशत तक।

ऐसे प्रत्येक ऋण में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होगी:

- ऋण राशि में से अधिप्राप्त माल/ परिसंपत्ति का हाइपोथिकेशन;
- ऋण राशि से खरीदे जाने पर भूमि तथा इमारतों का बंधक रखना;
- एसएलआई या इसके प्रवर्तकों की संपत्तियों के बंधक के माध्यम से संपार्श्विक, जहां भी उपलब्ध हो; तथा
- प्रवर्तकों या निदेशकों की गारण्टी, जहां भी उपलब्ध हो।

इसके अलावा, आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स के पैरा 5.8 के अनुसार, ऋण राशि के उचित अंत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पश्च संवितरण दौरे (पीडीवी) किए जाने थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋण स्वीकृत करते समय एसएलआई के लिए ऋण पात्रता मानदंड तथा मूल्यांकन आवश्यकताओं का विधिवत पालन नहीं किया गया था, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### **(क) प्रगति सेवा समिति, वारांगल द्वारा प्रोन्नत छह एसएलआई**

कंपनी ने प्रगति सेवा समिति, वारांगल द्वारा प्रोन्नत छह एसएलआई को कुल ₹299.80 लाख तक ऋण प्रदान किए (मार्च 2015) । स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि के संदर्भ में ऋण पात्रता की अवधारणा एसएलआई के निवल मूल्य के 10 गुना में से एसएलआई के मौजूदा ऋणों को कम करके किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि गणना में त्रुटियों के कारण ऋण पात्रता सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके कारण ऋण स्वीकृत किए गए थे, जबकि या तो एसएलआई इसके लिए पात्र नहीं थे, या स्वीकृत की गई राशि की अपेक्षा बहुत कम राशि के लिए पात्र थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है-

## तालिका 5.3.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एसएलआई का नाम	स्वीकृत राशि	निवल मूल्य	मौजूदा ऋण	ऋण पात्रता	टिप्पणी
1.	झाँसीलक्ष्मी महिला परस्पर सहायका सहकार परिमिथा संघम	50.00	(0.52)	14.78	शून्य	निवल मूल्य ऋणात्मक है, इसलिए ऋण के लिए पात्र नहीं है।
2.	मदर टेरेसा महिला परस्पर सहायका सहकार परिमिथा संघम	50.00	0.15	20.97	शून्य	मौजूदा ऋण निवल मूल्य के 10 गुना से अधिक है, इसलिए ऋण के लिए पात्र नहीं है।
3.	मुननेरु पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी ऋण एवं विपणन सोसायटी लिमिटेड	50.00	6.15	62.97	शून्य	मौजूदा ऋण निवल मूल्य के 10 गुना से अधिक है, इसलिए ऋण के लिए पात्र नहीं है।
4.	प्रियदर्शनी महिला परस्पर सहायक सहकार परिमिथा संघम	49.80	(0.03)	13.95	शून्य	निवल मूल्य ऋणात्मक है, इसलिए ऋण के लिए पात्र नहीं है।
5.	सरोजिनी नायडू महिला परस्पर सहकार परिमिथा संघम	50.00	2.30	22.85	0.15	निवल मूल्य का 10 गुना घटा मौजूदा कर्ज
6.	स्वर्ण भारती महिला परस्पर सहायका सहकार परिमिथा संघम	50.00	0.38	22.85	शून्य	मौजूदा ऋण निवल मूल्य के 10 गुना से अधिक है इसलिए ऋण के लिए पात्र नहीं है
	<b>जोड़</b>	<b>299.80</b>			<b>0.15</b>	

ऋण पात्रता के गलत आवधारण का प्राथमिक कारण यह था कि कंपनी ने एसएलआई के सदस्यों की बचत को उनकी निवल संपत्ति का हिस्सा माना था। सदस्यों की बचत

एसएलआई की एक बकाया देयता थी क्योंकि यह राशि सदस्यों से मांग पर ब्याज के साथ चुकायी जानी थी। इस प्रकार, एसएलआई के निवल मूल्य की गणना में बचत को बाहर रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा, ऋण की स्वीकृति/ मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- एसएलआई द्वारा व्यक्तियों को सीधे ऋण दिया गया था, तथा न कि प्रथम स्तर की संस्थाओं को। इस प्रकार, सामूहिक समूह उत्तरदायित्व का सिद्धांत सुनिश्चित नहीं किया गया था और उपरोक्त छह उधारकर्ताओं ने एसएलआई की परिभाषा को पूरा नहीं किया था।
- केवल बुक ऋणों के संपार्श्विक के साथ ऋण विस्तारित किए गए थे तथा एसएलआई की बुक ऋणों की सूची को लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया था, जैसा कि आवश्यक था।
- एसएलआई के मौजूदा एनपीए को ध्यान में रखे बिना ही ऋण स्वीकृत किए गए थे।
- प्रवर्तकों की तीसरे पक्ष की गारंटी/ व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
- मंजूर किए गए ऋणों के अभिप्रेत उपयोग को सत्यापित किए बिना ऋण के पुर्नभुगतान का पुर्ननिर्धारण किया गया था।

31 मार्च 2019 तक, इन छह: एसएलआई से एनपीए ₹62.24 लाख था तथा 30 सितम्बर 2019 तक इसी स्तर पर रहा।

प्रबंधन ने बताया (मई 2019) कि उपरोक्त छह: उधारकर्ताओं को एसएलआई के रूप में माना जा सकता है। वे आंध्रप्रदेश सरकार के साथ पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति (एमएसीएस) के रूप में पंजीकृत है तथा कंपनी की ऋण नीति के अनुसार एमएसीएस एसएलआई की श्रेणी में आते हैं। उधार लेने वाले सदस्यों द्वारा भुगतान न करने के कारण, एसएलआई ने ऋणों के पुर्ननिर्धारण के लिए अनुरोध किया था तथा उसे मान लिया गया था।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि ये एमएसीएस एसएचजी से जुड़े ऋणों का विस्तार करते हैं तथा उधारकर्ता-वार बकाया ऋणों को अलग रखते हैं तथा उसे खाता ऋणों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। खातों का नियमित रूप से अनुवर्तन किया जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलआई के खाता ऋणों की सूची में समूह/ सोसायटी की बजाय केवल व्यक्तिगत लाभार्थी शामिल थे। कंपनी के आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स के खंड 5.3 के अनुसार, किसी संगठन को एसएलआई के रूप में माना जाएगा यदि इसका गठन एसएचजी, जेएलजी, किसानों/ कारीगरों के समूह/ सोसाइटी जैसे पहले स्तर के

संगठनों के ग्रुप द्वारा किया जाता है तथा इसमें फेडरेशन शामिल हो सकते हैं। इसलिए, ये छह संगठन केवल प्राथमिक स्तर की संस्थाएं थीं परन्तु एसएलआई नहीं। इसके अलावा, ऋणों के पुर्ननिर्धारण से पहले, कंपनी को ऋण के उद्देश्यों के बारे में सत्यापित व स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए था तथा कि ऋणों की वसूली की पर्याप्त संभावना थी।

#### **(ख) नवजीवन पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी बचत सोसायटी, नेल्लोर**

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त एसएलआई द्वारा ऋणों को प्राथमिक स्तर की संस्थाओं की बजाय, सीधे व्यक्तियों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार, सामूहिक समूह उत्तरदायित्व का सिद्धांत सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा उधारकर्ता एसएलआई की परिभाषा को पूरा नहीं करता था। ऋण पात्रता को निवल मूल्य के हिस्से के रूप में सदस्यों की बचत राशि पर विचार करके बढ़ाया गया था। कंपनी ने केवल खाता ऋणों के साथ संपार्श्विक के रूप में ऋण स्वीकृत किया तथा यह पाया गया कि दिसम्बर 2013 में वितरित ₹30 लाख के प्रारंभिक ऋण में से, एसएलआई के सदस्यों को ऋण के संवितरण की संभावना संदिग्ध थी क्योंकि ₹25 लाख अकेले एक व्यक्ति को प्रदत्त किए गए।

मार्च 2015 में संवितरित ₹50 लाख की अन्य ऋण राशि में से, ₹2.42 लाख की राशि नवजीवन संगठन (एसएलआई के एनजीओ) को हस्तांतरित की गई तथा ₹11.25 लाख की राशि इसके बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी को प्रदत्त की गयी जो स्वीकृत ऋण के विचलन के समान थी।

एसएलआई को मार्च 2015 में किए गए ₹50 लाख के ऋण के संबंध में, कंपनी ने 1 मार्च 2015 में बकाया ऋण राशि ₹42.98 लाख (अगस्त 2014 में स्वीकृत ₹50 लाख के ऋण में से) की बजाय ₹0.00 दर्ज की थी और ₹50 लाख का और ऋण स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि न तो खाता ऋणों की सूची को लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था जैसाकि अपेक्षित था तथा न ही कोई तृतीय पक्ष गारंटी/प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त की गई थी। 31 मार्च 2019 तक ₹44.81 लाख की ऋण राशि बकाया थी तथा यही राशि 30 सितम्बर 2019 तक बकाया थी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2019) कि निवल मूल्य की गणना के लिए सदस्यों की बचत का समावेश ऋण मूल्यांकन की ओर से जानकारी के अभाव के कारण था तथा बताया कि कंपनी कानूनी माध्यम से वसूली के लिए कार्रवाई कर रही थी। आगे यह कहा गया कि सोसायटी के सचिव द्वारा अपने सदस्यों को संवितरण के लिए ₹25 लाख निकाले गए थे। खाता ऋणों के गैर-प्रमाणीकरण के संबंध में, यह कहा गया कि इसमें कुछ उधारकर्ताओं का विवरण नमूना आधार पर प्राप्त किया गया था तथा संवितरण किए गए थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कोई भी दर्ज साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि एसएलआई के उक्त सचिव ने वास्तव में अभिप्रेत लाभार्थियों को ऋण राशि संवितरित की थी। कंपनी को किसी तीसरे पक्षकार की गारंटी/ प्रोमोटर की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, प्रबंधन ने पहले ऋण के पुर्नभुगतान के लिए एसएलआई द्वारा ऋण निधि के विचलन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि खाता ऋण विवरण प्राप्त करके ऋण की आवधिक रूप से मानीटरिंग की गई थी। इसलिए निधि का कोई विचलन नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलआई ने पिछले बकाया ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए ₹11.25 लाख प्रयोग किए, जोकि ऋण निधि के विचलन के अलावा कुछ और नहीं है।

कंपनी द्वारा श्री सौन्दर्य महिला पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी बचत सोसायटी, चित्तूर (आंध्र प्रदेश) तथा कोंगनाडु विवासीगल संगम, इरोड (तमिलनाडू) को ऋणों की मंजूरी में इसी तरह की कमियां देखी गईं। इन मामलों की चर्चा *अनुलग्नक-VII* में की गई है।

#### (ii) बीएंडडीसी के माध्यम से ऋणों की स्वीकृति

31 मार्च 2019 तक, बीएंडडीसी के माध्यम से संवितरित ऋण की बकाया राशि ₹1101.41 करोड़ थी। इसमें से, लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई शाखाओं में 53 बीएंडडीसी थे, जिनके प्रति एनपीए ₹37.27 करोड़ था। चयनित शाखाओं/ जिलों में बीएंडडीसी की कारोबार गतिविधियों की समीक्षा से पता चला कि:

- 31 मार्च 2015 तक, बीएंडडीसी का एनपीए ₹7.77 करोड़ था जो 30 सितम्बर 2019 तक बढ़कर ₹40.34 करोड़ हो गया, जो 5 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।
- 31 मार्च 2019 तक शीर्ष 10 बीएंडडीसी का एनपीए ₹28.23 करोड़ था जो 31 मार्च 2019 तक कुल एनपीए का 76 प्रतिशत बनता था।
- भले ही बीएंडडीसी के माडल करार में कंपनी के विवेक के अनुसार, जांच लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि भले ही जांच की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है, बीएंडडीसी के अन्तर्गत उच्च एनपीए मामलों को नियमित लेखापरीक्षा के अधीन कवर किया गया था तथा ऐसी संस्थाओं के साथ कारोबार को रोक दिया गया था।

### क) बीएंडडीसी, चित्तूर द्वारा ₹12.10 करोड़ का प्रतिधारण

कंपनी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक पंजीकृत सोसायटी, सोसायटी ऑफ नोबल ओथ एण्ड वेलफेयर (स्नो) नामक एक बीएंडडीसी के साथ एक करार किया (मार्च 2013)। स्नों की सिफारिश पर, कंपनी ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान 442 एसएचजी को नकद में ₹19.62 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी। अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- स्नो केवल चित्तूर जिले के सोमला मंडल में संचालित था तथा 2006-07 से 2009-10 के दौरान इसके द्वारा पहचाने गए 36 एसएचजी के लिए अधिकतम ऋण राशि ₹20.40 लाख स्वीकृत की गई थी। तथापि, 2013-14 से 2015-16 के तीन वर्षों के दौरान, ₹19.62 करोड़ की बड़ी राशि, जो पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋणों का 95 गुना था, कंपनी द्वारा स्नो को मंजूर किया गया था।
- ₹19.62 करोड़ के ऋण के संवितरण के बाद, स्नों ने एसएचजी से ऋण का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। कंपनी ऋण के एनपीए बनने तक, इस गतिविधि से अनजान थी।
- कंपनी द्वारा ऋणों के संवितरण के बाद कोई आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, ₹12.10 करोड़ की राशि एनपीए बन गई तथा उसकी अभी वसूली की जानी थी (सितम्बर 2019)।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि यह एक धोखाधड़ी थी, जहां एजेंसी ने सावधानीपूर्वक कंपनी तथा उधारकर्ताओं को धोखा देने की एक प्रक्रिया तैयार की थी। यद्यपि, ऋण व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को संवितरित किए गए थे, एजेन्सी धोखे के माध्यम से ऋण (या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से) प्राप्त करने में सफल रही। एजेंसी ने सुनिश्चित किया था कि कंपनी धोखाधड़ी का पता नहीं लगा सके। प्रबंधन ने स्वीकार किया कि कंपनी को अधिक सतर्क होना चाहिए था तथा कहा कि उसके बाद से दिए गए ऋण के संबंध में निगरानी तंत्र मजबूत किया गया था। चित्तूर में दर्ज तीन आपराधिक मामलों की जांच पुलिस ने पूरी की थी तथा मामला कोर्ट में लंबित था। आपराधिक मामलों के अलावा, कंपनी ने बेंगलुरु सिटी कोर्ट में एनजीओ तथा इसके निदेशक मंडल के विरुद्ध सिविल केस दायर किया था तथा वसूली के लिए चित्तूर के तीन एसएचजी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि बीएंडडीसी के पिछले संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर क्रेडिट बढ़ाया गया था। इसने आश्वासन दिया कि अब कंपनी कोई नकद संवितरण नहीं कर रही थी तथा लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से ऋण का संवितरण किया जा रहा था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि ऋणों की मंजूरी तथा संवितरण के दौरान मूल्यांकन प्रणालियों व अन्य संबद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में पूर्ण विफलता थी, जिसके कारण ऋणों की वसूली नहीं हुई।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि अनुभव के आधार पर, कंपनी ने एक मजबूत निगरानी तंत्र बना रखा था तथा प्रारंभिक चेतावनी संकेत देने के लिए लेखापरीक्षा की अवधि बढ़ाई गई थी।

#### 5.3.6.4 अपर्याप्त पश्च संवितरण दौरे

आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स के अध्याय 3 के पैरा 3.13.1 ने निर्धारित किया कि पश्च संवितरण दौरे (पीडीवी) समय-समय पर किए जाने थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया गया था तथा वह एनपीए में तब्दील नहीं हो रहा था। तथापि, यह पाया गया कि पीडीवी को 2015-16 से 2018-19 तक पिछले चार वर्षों के दौरान केवल 35.26 प्रतिशत मामलों में आयोजित किया गया था, जैसेकि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.3.4

वर्ष	स्वीकृत ऋणों की संख्या	आपरेशन्स मैनुअल के अनुसार की जाने वाली पीडीवी की संख्या	वास्तव में आयोजित की गयी पीडीवी की संख्या	आयोजित की जाने वाली पीडीवी के मुकाबले किए गए वास्तविक पीडीवी की संख्या प्रतिशतता
2015-16	36,367	1,45,468	41,585	28.58
2016-17	39,633	1,58,532	52,336	33.01
2017-18	41,576	1,66,304	1,31,875	79.29
2018-19	2,26,661	7,52,192	2,05,231	27.28
<b>जोड़</b>	<b>3,44,237</b>	<b>12,22,496</b>	<b>4,31,027</b>	<b>35.26</b>

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डेटा

कंपनी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की तथा कहा कि पीडीवी की प्रमात्रा बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। यह भी कहा गया (सितम्बर 2019) कि 2019-20 की I व II तिमाहियों में क्रमश 90 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत पीडीवी किए गए।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि कंपनी ने पीडीवी के करने की सीमा की उपलब्धि के साथ प्रोत्साहन नीति को जोड़ा था।



### 5.3.6.5 ऋण संग्रहण तंत्र

ऋण खातों से बकाया राशि की समय पर वसूली तथा उन्हें एनपीए बनने से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए संग्रहण तंत्र को मजबूत तथा प्रभावी होना चाहिए। तंत्र को संभावित एनपीए का शीघ्र पता लगाने/ पहचान के लिए भी संकेत प्रदान करना चाहिए ताकि समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके लिए, कंपनी के आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स में विस्तृत क्रिया विधि का प्रावधान किया गया।

#### (क) जोखिम पोर्टफोलियों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए मॉनीटरिंग सिस्टम

आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स के अध्याय 9 में निर्धारित किया गया कि 30 दिनों या उससे अधिक के लिए अतिदेय किसी भी ऋण लेखा को जोखिम पोर्टफोलियों (पीएआर) के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। पीएआर श्रेणी में आने वाला कोई भी ऋण लेखा अनिर्णायक एनपीए का चेतावनी संकेत था। इन ऋण लेखाओं की बारीकी से निगरानी की जानी थी तथा एनपीए श्रेणी में किसी भी लेखा को आने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में, 30 दिनों के कम, 30-60 दिन तथा 60-90 दिनों के अतिदेय वाले लेखाओं की संख्या के साथ कम्पनी द्वारा संपर्क किए गए ऐसे लेखाओं की संख्या *अनुलग्नक-VIII* में है। तथापि, किसी भी दस्तावेजी सबूत के अभाव में, लेखापरीक्षा किसी भी ऐसे तंत्र के अस्तित्व को सत्यापित नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि दौरे के संचालन के संबंध में सूचना एकत्र करने के तंत्र को टेलिफोन द्वारा नियमित आधार पर मुख्य कार्यालय से स्ट्रैन्ड एसेट्स टीम द्वारा किया जाता है।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि कंपनी ने अपने स्ट्रैन्ड एसेट मैनेजमेंट सेक्शन को मजबूत किया था ताकि अतिदेय ग्राहकों के साथ कार्रवाई की जा सके तथा ऋण के एनपीए बनने का मुद्दा संबोधित किया जा सके। क्षेत्र का दौरा तथा बकाया राशि को वसूलने के लिए विशेष वसूली दल का गठन किया गया था।

शुरुआती चेतावनी के संकेत मिलते ही तीव्र कार्रवाई करने के लिए कंपनी को अपने मॉनीटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है।

#### (ख) एनपीए प्रबंधन

आपरेशन्स मैनुअल आन लोन्स के अध्याय 10 में एनपीए प्रबंधन के बारे में क्रियाविधि निर्धारित की गई। अन्य बातों के साथ, यह निर्धारित किया गया कि:

- किसी भी खाते के एनपीए बनने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर, स्थानीय भाषा में लिखित मांग नोटिस जिला कार्यालय द्वारा उधारकर्ता समूहों को भेजा जाएगा।

जिला कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिए जाने थे। अगर इन नोटिस का कोई उत्तर नहीं आता है, तो मुख्य कार्यालय द्वारा खाते के एनपीए बनने के 60 दिनों के अन्दर एक दूसरा अनुस्मारक भेजा जाएगा। इन दो चरणों के बाद भी वसूली में कोई प्रगति न होने पर, कंपनी के प्रमुख कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

- उन मामलों में विस्तृत जांच लेखापरीक्षा की जाएगी जहाँ ₹1,000 प्रति खाते से अधिक बकाया राशि वाले खातों की संख्या बीएंडडीसी के माध्यम से जुड़े कुल खातों के 20 प्रतिशत तक पहुँच गयी है।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चयनित जिलों में *(अनुलग्नक-IX)* 31 मार्च 2018 तक ₹33.32 करोड़ के एनपीए के साथ 2,360 ऋण लेखाओं में से, ₹29.20 करोड़ (88 प्रतिशत) के एनपीए राशि वाले 71 प्रतिशत मामलों में जिला कार्यालयों द्वारा मांग नोटिस (पहला अनुस्मारक) जारी किया गया था। इसके अलावा कंपनी ने ₹18.09 करोड़ (54 प्रतिशत) की एनपीए राशि वाले 683 ऋण लेखाओं के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाए।

जांच लेखापरीक्षा के संबंध में, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि उन्होंने कुल खातों के 20 प्रतिशत से अधिक एनपीए बनने वाले बीएंडडीसी का फील्ड दौरा किया था, परन्तु जांच लेखापरीक्षा में कोई विशेष रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। तथापि, यह लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि यह जांच लेखापरीक्षा के अधीन सभी बीएंडडीसी मामलों (जहाँ एनपीए 20 प्रतिशत की सीमा तक पहुँच गया था) को कवर करने में सक्षम नहीं था। तथापि कुछ महत्वपूर्ण मामलों जैसे सोसायटी ऑफ नोबेल ओथ एंड वेलफेयर (स्नो), महात्मा गांधी ट्रस्ट (एमजीटी), मनुविकास तथा ग्रामीण शिक्षा और पर्यावरण विकास सेवा (आरईडीएस) के संबंध में जांच लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, प्रबंधन ने बताई गई जांच लेखापरीक्षा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कुछ जांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत किया (जनवरी 2020)। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा जांच रिपोर्टों में पाया गया कि (i) अधिकतम ऋण का लाभ एकल सदस्य द्वारा लिया गया था, (ii) सदस्यों द्वारा ऋण उनकी पुर्नभुगतान क्षमता से परे लिया गया था, (iii) क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दी गई खराब ग्रेडिंग के बावजूद ऋण स्वीकृत किए गए थे, आदि। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रबंधन द्वारा ऋणों की मंजूरी में तथा ऋणों की मंजूरी के बाद उचित सतर्कता नहीं बरती गयी, जिसके कारण ऋण राशि एनपीए बन गई।

**(ग) लोक अदालत द्वारा निर्णीत मामलों में डिक्री राशि की गैर-वसूली**

एनपीए खातों से वसूली को तेज करने के लिए, कंपनी ने उधारकर्ताओं के साथ बकाया ऋणों का सौहार्दपूर्वक निपटारा करने के लिए लोक अदालत<sup>27</sup> जाने के लिए एक नीति बनाई। लोक अदालत के सामने निपटान के संबंध में कंपनी के दिशा-निर्देशों में कहा गया कि:

- कंपनी एनपीए राशि के आधार पर संचित ब्याज को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से माफ करने के लिए अधिकृत थी;
- कंपनी के प्रबंध-निदेशक को कारण दर्ज करते हुए मामलों में बकाया कुल मूल राशि का 50 प्रतिशत तक माफ करने के लिए अधिकृत किया गया था;
- लोक अदालत से डिक्री प्राप्त होने पर, कंपनी द्वारा छोड़ी जाने वाली राशि निकाली जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- यदि दो माह बाद भी पुर्नभुगतान नियमित नहीं किया जाता, तो स्ट्रेस एसेट्स टीम को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए तथा उधारकर्ता को दिए गए निपटान लाभों को वापिस लेना चाहिए।

तदनुसार, लोक अदालत को 108 मामलों में संपर्क किया गया तथा 30 सितम्बर 2018 तक ₹1.42 करोड़ की राशि के लिए लोक अदालत के डिक्री के माध्यम से निपटान हुआ। इसके प्रति, उधारकर्ताओं द्वारा केवल ₹0.19 करोड़ का प्रेषण किया गया तथा शेष राशि ₹1.23 करोड़ की अभी वसूली की जानी थी (सितम्बर 2019)।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि एसएचजी के खिलाफ नमूना आधार पर निष्पादन याचिका (ईपी) दायर की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि महिला उधारकर्ताओं के पास पर्याप्त परिसंपत्ति नहीं थी, जिसके आधार पर ईपी का फैसला कंपनी के पक्ष में आने के बाद भी वसूली की जा सकती थी। इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाई करने में संगठन के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का जोखिम तथा राजनीतिक जोखिम था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डिक्री के रूप में न्यायिक निर्णय के मामले में कंपनी के पास उनके कार्यान्वयन के लिए निष्पादन याचिका दायर करने के अलावा कोई कानूनी सहारा नहीं था। इस प्रकार, सभी मामलों में प्रतिष्ठा/ राजनीतिक जोखिम के आधार पर ऐसी कार्रवाई न करना सही नहीं था तथा इसके परिणामस्वरूप एनपीए में और वृद्धि होगी।

<sup>27</sup> लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र प्रणालियों में से एक है; यह एक ऐसा मंच है, जहां विवाद/ न्यायालय में लंबित या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है/ आपसी सहमति से निपटाया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि ₹1.42 करोड़ की डिक्री राशि के प्रति, कंपनी ने 30 दिसम्बर 2019 तक 0.26 करोड़ की राशि वसूल की।

तथापि, ₹1.42 करोड़ की डिक्री राशि के प्रति, ₹1.16 करोड़ की राशि वसूली के लिए लंबित थी, जिस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

#### **(घ) वन टाईम सेटलमेंट के अधीन देयों की गैर-वसूली**

पुराने एनपीए खातों से वसूली में तेजी लाने के लिए, कंपनी ने उधारकर्ताओं के साथ वन-टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) शुरू करने का फैसला लिया (सितम्बर 2018)। ओटीएस योजना 15 दिसम्बर 2015 से 14 जून 2016 तक वैध थी। इस अवधि के दौरान, कंपनी ने एसएचजी के 938 एनपीए खातों के संबंध में ₹10.16 करोड़ की बकाया मूल राशि के साथ ओटीएस का अनुसरण किया, जिससे यह ₹1.24 करोड़ की सीमा तक बकाया ब्याज को माफ करने के लिए सहमत हुई।

यह पाया गया कि उधारकर्ताओं ने ओटीएस की सहमत समयसीमा का पालन नहीं किया। स्वीकृत राशि को प्रेषित करने में चूक हुई क्योंकि केवल ₹0.05 करोड़ ही उधारकर्ताओं द्वारा प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार, ₹10.11 करोड़ की शेष राशि की वसूली नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि ओटीएस करार या मौखिक समझ कंपनी तथा एसएचजी के बीच थी। यदि उधारकर्ता करार के अनुसार नहीं जाते, तो कंपनी ने भी किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया, जैसी कि सहमति हुई थी। शुरू की गई कानूनी कार्रवाई में वसूली के मामले में कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें ऐसे मामले शामिल थे जहां निष्पादन याचिकाएं दायर तथा बरकरार रखी गई थी। प्रबंधन ने आगे कहा कि लाभार्थियों की परिसम्पतियां जैसे मवेशी, मुर्गी आदि ऋण की वसूली के योग्य नहीं थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2020) में प्रबंधन के विचारों को दोहराया।

उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट है कि ओटीएस तंत्र अप्रभावी था तथा इससे कोई परिणाम नहीं निकला।

#### **(ङ) बीएंडडीसी द्वारा एकत्रित राशियों का गैर-प्रेषण**

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान बीएंडडीसी द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों के 10 मामले (स्नों के अलावा) थे, जिसमें उन्होंने उधारकर्ताओं से मासिक किस्तों के रूप में ₹1.85 करोड़ एकत्र किए थे परन्तु कंपनी को प्रेषित नहीं किए। विवरण निम्न प्रकार है:

## तालिका 5.3.5

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	बीएंडडीसी का नाम	शामिल राशि
1.	तमिलनाडु	क्रुपालाया, विल्लुपुरम	42.41
2.	कर्नाटक	ग्रामीण बाल स्वास्थ्य विकास सोसायटी के लिए सामाजिक शिक्षा गतिविधि, बागलकोट	37.29
3.	कर्नाटक	कर्नाटक एकीकृत विकास सेवाएं, तुमकुर	26.74
4.	कर्नाटक	महात्मा गांधी ट्रस्ट, कोडागू	19.09
5.	कर्नाटक	समाज कल्याण तथा ग्रामीण विकास सोसायटी, तुमकुर	17.64
6.	कर्नाटक	सामाजिक विकास के लिए अभिवृद्धि सोसायटी, तुमकुर	14.53
7.	कर्नाटक	स्नेहा सम्पन्नमुला समस्ती, कोलार	8.41
8.	कर्नाटक	श्री सुगोresh्वर सेवा संघ, विजयपुरा	7.59
9.	महाराष्ट्र	स्वयं शासन बहुदेशिया महिला संस्था, वाशिम	6.82
10.	कर्नाटक	साधना शिक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, मैसूर	4.87
		<b>कुल</b>	<b>185.39</b>

प्रबंधन ने कहा (मई 2019) कि कंपनी निष्ठा बीमा दावों के दायर करने की समय लेने वाली प्रक्रिया से बचने के लिए दुर्विनियोजित निधियों की वसूली के लिए बीएंडडीसी के साथ लगातार अनुसरण कर रही थी। वे 31 मार्च 2019 तक ₹0.95 करोड़ की राशि वसूल कर सके थे। हालांकि, ₹0.90 करोड़ की वसूली अभी की जानी थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2020) में प्रबंधन के दृष्टिकोण को दोहराया है।

### 5.3.7 निष्कर्ष

कंपनी ने द्वितीय स्तरीय संस्थाओं (एसएलआई) की ऋण अर्हता को निर्धारित करते हुए उनकी निवल सम्पत्ति की गणना में सदस्यों की बचत को गलती से शामिल किया। फलस्वरूप, ₹299.80 लाख के सकल ऋण छह एसएलआई के लिए मंजूर किए गए थे, यद्यपि उनमें से पांच किसी भी ऋण के लिए अर्हक नहीं थे और एक मंजूर किए गए ₹50 लाख के प्रति केवल ₹0.15 लाख के ऋण के लिए अर्हक थी। ऋण के मूल्यांकन में कमियां थी क्योंकि एसएलआई द्वारा प्रदान की गईं बुक ऋणों की सूची लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं थी और तृतीय पक्ष गारन्टी या प्रोमोटर्स की व्यक्तिगत गारन्टी प्राप्त नहीं की गई थी। कारोबार तथा विकास संपर्ककर्ता (बीएंडडीसी) की जांच लेखापरीक्षा

के निष्कर्षों को ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। संवितरित ऋणों के संबंध में पश्च संवितरण दौरें कंपनी के परिचालन नियमावली के अनुसार नहीं किए गए थे। एनपीए लेखाओं के संबंध में अनुवर्ती तंत्र कमजोर था और इसे मजबूत करने की आवश्यकता थी।

### 5.3.8 सिफारिशें

- 1) कंपनी द्वारा अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋणों की मंजूरी से बचने के लिए और एनपीए में ऋणों के परिवर्तित होने को रोकने के लिए भावी उधारकर्ताओं की कर्ज पात्रता का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जाए।
- 2) कंपनी द्वारा जांच लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जाए।
- 3) सभी संवितरित ऋणों के संबंध में पश्च संवितरण दौरें यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएं कि ऋणों को अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।
- 4) क्षेत्रीय परिचालनों को एनपीए में ऋणों के परिवर्तित होने की पूर्व चेतावनी संकेतकों की पहचान पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और ऐसे मामलों में तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्रीय दौरों के दौरान एकत्रित सूचनाओं और उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्तन को उचित भंडारण, विश्लेषण और पुनः प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- 5) कंपनी को शीघ्रता से वसूली के लिए एनपीए लेखाओं के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए।
- 6) कम्पनी को लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की सभी शाखाओं/ जिला कार्यालयों में स्थिति का पुनरावलोकन करना चाहिए।

## नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

### 5.4 ग्रुप मेडिकलेम बीमा पॉलिसियों के अंडरराइटिंग की समीक्षा

#### 5.4.1 प्रस्तावना

1972 में राष्ट्रीयकृत नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) सामान्य बीमा उद्योग में कार्यरत है। एनआईसीएल कोलकाता में अपने प्रधान कार्यालय (एचओ) के साथ देश भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), 377 डिविजनल कार्यालयों (डीओ), 584 शाखा कार्यालयों (बीओ) तथा 740 व्यावसायिक केन्द्रों (बीसी) के माध्यम से संचालन करता है तथा सामान्य बीमा के अग्नि, समुद्री, मोटर, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य तथा विविध क्षेत्रों में अपने पॉलिसीधारकों को सेवा प्रदान करता है।

एनआईसीएल के स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियों को व्यापक रूप से “व्यक्तिगत मेडिकलेम” तथा “ग्रुप मेडिकलेम” पॉलिसियों (जीएमपी) में वर्गीकृत किया गया है। जीएमपी को आगे टेलर-मेड<sup>28</sup> पॉलिसी तथा स्टैंडर्ड ग्रुप मेडिकलेम<sup>29</sup> पॉलिसी में उप-विभाजित किया गया है। कॉर्पोरेट संस्थाएँ, बैंक, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संगठन अपने कर्मचारियों, सदस्यों, ग्राहकों आदि के स्वास्थ्य कवरेज के लिए जीएमपी स्वीकार करते हैं।

बीमा कंपनियाँ सहमत, पॉलिसी शर्तों को पूरा करने के आधार पर, प्रीमियम के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति को वित्तीय हानि से बचाने के लिए जोखिम उठाती है। बीमा क्षेत्र में, दावा अनुपात (आईसीआर)<sup>30</sup> किसी पोर्टफोलियों के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है क्योंकि कम आईसीआर, पोर्टफोलियों के अधिक लाभप्रदता का सूचक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान, एनआईसीएल ने स्वास्थ्य बीमा कारोबार (मोटर बीमा कारोबार के बाद) में अधिकतम प्रीमियम आय अर्जित की जो ₹3,388.41 करोड़ तथा ₹3,893.45 करोड़ के बीच थी। तथापि, इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य पोर्टफोलियों का प्रदर्शन 104 प्रतिशत से 128 प्रतिशत की आईसीआर बीच होते हुए प्रतिकूल था।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान आईआरडीए डेटा के अनुसार निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की तुलना में एनआईसीएल के जीएमपी (सरकारी प्रयोजित योजनाओं को छोड़कर) की प्रीमियम आय तथा आईसीआर का तुलनात्मक विश्लेषण किया जो निम्नानुसार है:

<sup>28</sup> एक पॉलिसी जहां कवरेज, निबंधन एवं शर्तों को पॉलिसीधारक की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया गया है तथा तदनुसार लिए गए प्रीमियम।

<sup>29</sup> एक पॉलिसी जहां कवरेज, निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित किया जाता है तथा यह सभी पॉलिसीधारकों के लिए लागू है।

<sup>30</sup> प्रदत्त दावा वर्ष के अंत में बकाया दावा + अर्जित प्रीमियम पर वर्ष की शुरुआत में बकाया दावा

## तालिका 5.4.1

(प्रीमियम ₹ करोड़ में तथा आईसीआर प्रतिशत में)

वर्ष	एनआईसीएल			निजी बीमा कंपनियों		
	स्वास्थ्य पोर्टफोलियों के लिए कुल प्रीमियम	सरकारी प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर गुप बीमा योजनाओं का प्रीमियम तथा आईसीआर		स्वास्थ्य पोर्टफोलियों के लिए कुल प्रीमियम	सरकारी प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर गुप बीमा योजनाओं का प्रीमियम तथा आईसीआर	
		प्रीमियम	आईसीआर		प्रीमियम	आईसीआर
2014-15	3,589.09	1,649.27	128.00	5,485.56	2,123.53	96.12
2015-16	3,893.45	1,680.97	127.50	6,675.20	2,484.25	88.86
2016-17	3,746.73	1,702.40	150.00	8,122.04	3,042.11	87.76
2017-18	3,743.53	1,695.06	125.00	10,401.24	4,053.63	85.39
2018-19	3,388.41	1,704.40	115.00	14,652.10	6,462.81	87.88

स्रोत: आईआरडीए वेबसाइट

तालिका 5.4.1 से यह स्पष्ट है कि 2014-19 के दौरान एनआईसीएल के स्वास्थ्य पोर्टफोलियों की कुल प्रीमियम आय में जीएमपी की (सरकारी प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर) प्रीमियम आय 43.17 प्रतिशत तथा 50.30 प्रतिशत के बीच थी। तथा आईसीआर पिछले कुछ वर्षों से निरंतर प्रतिकूल थी तथा 115 प्रतिशत और 150 प्रतिशत के बीच था।

इसलिए, 2014-19 के दौरान एनआईसीएल में जीएमपी (सरकारी प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर) के अंडरराइटिंग के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक विषयगत लेखापरीक्षा की गई थी।

## 5.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

जीएमपी की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या एनआईसीएल ने:

- उत्पादों की कीमत निर्धारण के लिए प्रभावी तंत्र/ आईआरडीए के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया;
- सुसंगत नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग पद्धतियों का अनुसरण किया; तथा,
- स्वास्थ्य पोर्टफोलियों की स्थिरता के लिए जीएमपी की अंडरराइटिंग पद्धतियों की मॉनीटरिंग के लिए एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित किया।

लेखापरीक्षा ने एचओ, कोलकाता तथा देश भर के एनआईसीएल के आठ आरओ पर 2018-19 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि में किए गए जीएमपी की नमूना जांच की।



आरओ का चयन ₹3 करोड़ या इससे अधिक की प्रीमियम आय वाली पॉलिसियों की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया। आरओ के तहत नमूना चयन स्ट्रटीफाइड रैंडम सैम्पलिंग विधि को अपनाकर ₹3 करोड़ अथवा इससे अधिक राशि, ₹50 लाख से अधिक परन्तु ₹3 करोड़ से कम तथा ₹50 लाख से कम प्रीमियम राशि के आधार पर क्रमशः 100 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा एक प्रतिशत पर किया गया था।

#### 5.4.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

##### 5.4.3.1 उत्पाद की कीमत निर्धारण

आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन 2013 के अनुसार कंपनी द्वारा, किसी भी उत्पाद के सभी विवरणों की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी। यदि उत्पाद वित्तीय रूप से अलाभकारी पाया जाए अथवा किसी विशेष पहलू में कमी हो तो कंपनी उत्पाद को उचित रूप से संशोधित कर सकती है।

स्वास्थ्य पोर्टफोलियों के उच्च आईसीआर के मद्देनजर, एनआईसीएल की लेखापरीक्षा समिति ने अपने स्वास्थ्य विभाग को आईसीआर की कमी हेतु एक केन्द्रित कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया (फरवरी 2014)। समिति ने कार्य योजना (मई 2014 तथा फरवरी 2015) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बर्निंग लागत<sup>31</sup> और अन्य व्ययों पर विचार करते हुए सभी पॉलिसियों (बैंक टाई-अप सहित) की कीमतों को संशोधित करना सम्मिलित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएमपी की आईसीआर के 2014 से 2019 तक निरंतर प्रतिकूल होते हुए भी उत्पाद की कीमत निर्धारण का संशोधन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (मार्च 2020) कि जीएमपी का संशोधन काफी समय से लंबित था। उन्होंने यह भी कहा कि जीएमपी उत्पादों में कुछ संशोधन आईआरडीए निर्देशों का अनुसरण करते हुए किया जाएगा तथा ऐसे बदलावों के साथ उत्पाद की कीमत की समीक्षा तथा संशोधित करने का प्रस्ताव भी दिया गया।

##### 5.4.3.2 अंडरराइटिंग

###### (i) एचओ की स्वीकृति के बिना पॉलिसियाँ जारी करना

एनआईसीएल के आदेश (फरवरी 2013) के अनुसार पॉलिसी नवीकरण के सभी प्रस्तावों के लिए एचओ का अनुमोदन जरूरी है जहां पॉलिसी में क्लेम अनुभव 70 प्रतिशत से अधिक था। ऐसी पॉलिसियाँ अनुमोदन के लिए एचओ को भेजी जानी थीं।

<sup>31</sup> पिछले वर्ष के अनुभव से संगणित आगामी बीमा अवधि में दावों की अनुमानित लागत, कवर करने की प्रकृति तथा चिकित्सा महंगाई से बीमाकृत व्यक्ति की संख्या में परिवर्तनों हेतु समायोजित

820 पॉलिसियों की नमूना जांच से यह पता चला कि एचओ का अनुमोदन प्राप्त किए बिना संबंधित परिचालन कार्यालयों द्वारा 344 पॉलिसियों (41.95 प्रतिशत) का नवीकरण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नवीकरण के लिए देय तथा एचओ अनुमोदन के लिए अपेक्षित पॉलिसियों को पता लगाने हेतु एनआईसीएल के एचओ में कोई मॉनीटरिंग प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, यह जांच करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं था कि क्या संचालन कार्यालयों ने एचओ द्वारा अनुमोदन निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पॉलिसियां जारी की थी तथा प्रीमियम की अनुमोदित राशि संग्रहित की थी।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि सभी आरओ को बार-बार कहा गया है कि एचओ के अनुमोदन के बिना कोई जीएमपी स्वीकार नहीं किया जाए। परन्तु परिचालन मामलों की वजह से, कई बार आरओ, एचओ को समय पर प्रस्ताव भेजने में विफल हुआ तथा इस प्रकार प्रस्ताव न भेजना सामान्य तौर पर आरओ और परिचालन कार्यालयों की ओर से क्रियाविधिक का चूक थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि “अनुमोदन प्रक्रिया अब अधिक कारगर हो गई है”। तदनुकूल गुप स्वास्थ्य पॉलिसियों का अंडरराइटिंग करते समय सिस्टम में एचओ अनुमोदन संख्या की प्रविष्टि को दिसम्बर 2018 से अनिवार्य बना दिया गया है। एनआईसीएल ने यह भी कहा कि उन्होंने एचओ अनुमोदन संख्या के बिना अंडरराइटिंग पॉलिसियों को मॉनीटर करने के लिए अपने सिस्टम में चेतावनी मेल का आरंभ किया है।

तथापि, लागू सिस्टम के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। एनआईसीएल को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परिचालन कार्यालयों द्वारा जारी पॉलिसियों का एचओ द्वारा तथा अनुमोदित दर, निबंधन तथा शर्तों के साथ अनुपालन किया गया।

## (ii) प्रीमियम की कम वसूली

एचओ ने निर्देश दिया (अप्रैल 2011) कि एचओ के अनुमोदन के बिना, परिचालन कार्यालयों/ आरओ द्वारा, नवीकृत पॉलिसियों को एचओ को भेजा जाए। यदि एकत्रित किए गए प्रीमियम की राशि अपर्याप्त पाई जाएं अथवा पॉलिसी की अनुमोदित निबंधन तथा शर्तों से कोई अतिक्रम किया गया हो तो संबंधित कार्यालय को निश्चित समय सीमा के अन्दर अतिरिक्त प्रीमियम संग्रहित करना था जिसमें विफल होने पर अधिसूचना के पश्चात् पॉलिसी को रद्द करना था।

लेखापरीक्षा में 820 पॉलिसियों की नमूना जांच से यह पता चला कि 111 मामलों (13.54 प्रतिशत) में, परिचालन कार्यालयों ने एचओ द्वारा अनुमोदित राशि से कम प्रीमियम राशि एकत्रित की। इन पॉलिसियों को निर्देशों के अनुसार रद्द भी नहीं किया गया

था। अनुमोदित शर्तों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹42.35 करोड़ (*अनुलग्नक-X*) की प्रीमियम राशि की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी/ मार्च 2020) कि एचओ दिशा-निर्देशों का आमतौर पर आरओ द्वारा अनुसरण किया गया था लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण, आरओ अपने नवीकरण को बनाए रखने के लिए कम प्रीमियम एकत्रित करने को बाध्य हुए। तथापि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया है तथा आरओ को सूचित किया गया है ताकि एचओ द्वारा अनुमोदित प्रीमियम एकत्र किया जाए।

### (iii) अपेक्षित लोडिंग न होने के कारण प्रीमियम का कम प्रभारित होना

एचओ ने निर्देश दिया (फरवरी 2012) कि 70 प्रतिशत से अधिक आईएलआर<sup>32</sup> वाली पॉलिसियों के नवीकरण हेतु देय प्रीमियम को आउटगो आधार<sup>33</sup> पर संगणित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य पोर्टफोलियों में अधिक आईसीआर को कम करने हेतु एनआईसीएल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी (मई 2014) ने दावा बहिर्गमन, चिकित्सा महंगाई, टीपीए प्रभारों, मध्यस्थों का कमीशन तथा जीएमपी के नवीकरण के अंडरराइटिंग में प्रबंधन व्ययों जैसे कारको पर विचार किया। इसके अलावा, एनआईसीएल के स्वास्थ्य बीमा अंडरराइटिंग नीति, 2016 ने यह भी अनुबंधित किया कि बर्निंग लागत को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिकूल दावे का अनुभव करने वाले जीएमपी के नवीकरण के दौरान आवश्यक लोडिंग लगाई जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने निर्देश दिया (जून 2017) कि समूह के दावों की मात्रा अधिक होने के कारण नवीनीकरण के दौरान उपरोक्त के अलावा संभावित वृद्धि, समूह की आयु, समूह के आकार में वृद्धि जैसे कारणों पर विचार किया जाना शामिल था।

लेखापरीक्षा ने 820 पॉलिसियों की नमूना जांच की तथा यह पाया कि 238 पॉलिसियों (29 प्रतिशत) में, समाप्त होने वाली पॉलिसियों में अधिक दावा अनुभव होने के बावजूद नवीकरण के दौरान अपेक्षित लोडिंग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹372.27 करोड़ (*अनुलग्नक-XI*) के प्रीमियम आय की हानि हुई।

एचओ के निर्देशों (फरवरी 2013) के अनुसार, प्रीमियम को परिवार फ्लोटर, पूर्व-मौजूद बीमारियों, मातृत्व लाभ, निगम बफर आदि की कवरेज हेतु निर्धारित प्रतिशत पर लोड किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 के दौरान, एक नई जीएमपी<sup>34</sup> पॉलिसी अतिरिक्त लाभ अर्थात् परिवार फ्लोटर कवरेज, पूर्व-मौजूद बीमारियों, मातृत्व लाभ

<sup>32</sup> वहन की गई हानि अनुपात

<sup>33</sup> एक समाप्त होने वाली पॉलिसी का अनुमानित दावा जिसमें किए गए परन्तु रिपोर्ट न हुए दावे (आईबीएनआर) भी शामिल हैं

<sup>34</sup> पॉलिसी संख्या 1006004615850000254

आदि के लिए अपेक्षित लोडिंग लगाए बिना जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹0.68 करोड़ की प्रीमियम आय की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने कहा (फरवरी/ मार्च 2020) की वे वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिकतर पॉलिसियों में कीमत निर्धारण हेतु अनिवार्य कार्रवाई कर रहे हैं तथा 21 फरवरी 2020 को जीएमपी को सुचारू रूप से रखने के महत्व पर फोकस करते हुए एक परिपत्र जारी किया।

इस संदर्भ में, सीएजी की 2017 की प्रतिवेदन संख्या 9 (वाणिज्यिक) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कोलकाता पुलिस को जारी जीएमपी के सम्बन्ध में 2011-12 से 2015-16 के दौरान 181 प्रतिशत तथा 398 प्रतिशत के बीच प्रतिकूल दावा अनुपात के कारण लोडिंग के कम प्रभारित होने तथा अतिरिक्त प्रीमियम (₹89.29 करोड़) के संग्रहण न होने के मामलों को दर्शाया गया था। यद्यपि, एनआईसीएल ने 2018-19 से पॉलिसी को बंद कर दिया, हालांकि, प्रतिकूल दावा अनुभव वाले जीएमपी के नवीकरण के दौरान लोडिंग को लागू करने को सुव्यवस्थित करने के लिए संगठन में केंद्रित कार्रवाई की कमी पाई गई, जिसके लिए एनआईसीएल को वर्षों से नुकसान उठाना पड़ रहा है।

**(iv) बैंक टाई-अप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का संशोधन न होने की वजह से परिहार्य हानि**

आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन 2013 के अनुसार, किसी भी उत्पाद के शुरू होने के बाद कंपनी द्वारा सभी विवरणों की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी। यदि उत्पाद वित्तीय रूप से अलाभकारी पाया जाए अथवा किसी विशेष पहलू में कमी हो तो कंपनी उत्पाद को उचित रूप से संशोधित कर सकती है।

एनआईसीएल ने विभिन्न बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, नैनीताल बैंक आदि के साथ करार किया तथा खाता धारकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य पॉलिसी शुरू की। इन पॉलिसियों के तहत प्रीमियम दर को पृथक खाता धारकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बीमाकृत राशि के आधार पर निर्धारित किया गया। तथापि, 65 वर्ष से अधिक आयु के खाता धारकों के लिए प्रीमियम पर 25 प्रतिशत की लोडिंग लागू थी।

निरंतर प्रतिकूल आईसीआर के कारण, एनआईसीएल ने कार्यवाही टिप्पणी (मई 2014) में बैंक टाई अप सहित सभी पॉलिसियों के कीमत सुधार पर विचार किया। इसके अलावा, उत्पाद प्रदर्शन समीक्षा बैठक में आईआरडीए ने बताया (जुलाई 2014) कि बैंक पॉलिसियां एनआईसीएल हेतु घाटे का प्रस्ताव थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईसीएल द्वारा बैंको के साथ टाई-अप करोबार में 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिक हानि उठाई गई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

### तालिका 5.4.2

(प्रीमियम, किए गए दावे तथा हानि - ₹ करोड़ में/ आईसीआर प्रतिशत में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
प्रीमियम आय (ए)	98.83	118.47	130.96	147.28	103.70	599.24
किए गए दावे (बी)	197.74	246.37	275.40	309.78	397.12	1426.41
आईसीआर [(बी) / (ए) x 100]	200.08	207.96	210.29	210.33	382.95	238.04
हानि (सी) = (बी) - (ए)	98.91	127.90	144.44	162.50	293.42	827.17

(उक्त हानि को प्रबंधन व्यय, चिकित्सा महंगाई, कमीशन आदि पर विचार किए बिना संगणित किया गया है)

तथापि, एनआईसीएल ने कीमत सुधार हेतु कोई कार्यवाही किए बिना लम्बी अवधि हेतु टाई-अप करोबार जारी रखा तथा अन्ततः एनआईसीएल ने आईसीआर के अधिक मामले दर्शाते हुए अक्टूबर 2018 से दो टाई-अप स्वास्थ्य पॉलिसी (बड़ोदा स्वास्थ्य पॉलिसी और बैंक ऑफ इंडिया नेशनल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी) को रद्द करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2018)।

इस प्रकार, बैंक टाई-अप पॉलिसियों का समय पर संशोधन न होने तथा अधिक आईसीआर होने के बावजूद उसे जारी रखने की वजह से, एनआईसीएल ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹827.17 करोड़ की हानि उठाई।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि उन्हें कम दरों तथा हानियों का पता था इसीलिए 03 अक्टूबर 2018 से दो घाटे की को-ब्रांडेड स्वास्थ्य पॉलिसियों को बंद कर दिया। एनआईसीएल ने दोनों बैंक पॉलिसियों के मौजूदा ग्राहकों को वैकल्पिक प्रोडक्ट नेशनल परिवार मेडिकलेम पॉलिसी (परिवार के लिए) तथा नेशनल मेडिकलेम पॉलिसी (व्यक्ति विशिष्ट के लिए) मौजूदा पॉलिसी धारकों के हित की रक्षा करने के लिए निरन्तरता लाभ दिए थे।

तथापि तथ्य यह है कि बैंक टाई-अप स्वास्थ्य पॉलिसियों का संशोधन न होने/ रद्द होने में विलंब की वजह से, एनआईसीएल ने ₹827.17 करोड़ की हानि उठाई थी।

(v) पॉलिसियों के अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग की वजह से प्रीमियम की हानि

लेखापरीक्षा ने जीएमपी हेतु अंडरराइटिंग दिशा-निर्देश का अनुपालन न होने की वजह से समूह स्वास्थ्य पॉलिसियों के अंडरराइटिंग की अविवेकपूर्ण पद्धति के मामले देखें जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- एचओ द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 2010) के अनुसार, कम अथवा युवा आयु प्रोफाइल हेतु छूट, तकनीकी छूट आदि का विस्तार निषिद्ध है।

820 पॉलिसियों की नमूना जांच से यह पता चला कि 15 मामलों (1.8 प्रतिशत) में, कम/ युवा आयु प्रोफाइल के कारण छूट अथवा विशेष छूट के रूप में ₹7.61 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी जोकि स्वीकार्य नहीं थी (अनुलग्नक-XII)।

- बीमाकृत की आयु प्रीमियम की संगणना करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। एनआईसीएल ने कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के कर्मचारियों तथा परिवार के सदस्यों के जोखिम को कवर करने के लिए एक जीएमपी<sup>35</sup> जारी की (जनवरी 2016)। बीमाकृत की वास्तविक आयु की बजाय, एनआईसीएल ने केएमडीए द्वारा घोषित 45 वर्ष की औसत आयु पर विचार करते हुए प्रीमियम की संगणना की। इस प्रकार, प्रीमियम की संगणना हेतु कर्मचारियों की वास्तविक आयु के बजाय उनकी औसत आयु पर विचार करने के परिणामस्वरूप ₹0.82 करोड़ की प्रीमियम राशि का कम प्राप्त हुआ।
- नवीकरण के दौरान प्रीमियम की संगणना टीपीए से प्राप्त समाप्त होने वाली पॉलिसी में किए गए दावे विवरण के आधार पर की जाती है। नवीकरण की प्रक्रिया सामान्यता पॉलिसी की समाप्ति से 30 दिन पहले प्रारम्भ होती है। एनआईसीएल के निर्देशों (फरवरी 2013) के अनुसार, परिचालन कार्यालयों को वर्तमान पॉलिसी समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर टीपीए द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रति जांच करना अपेक्षित है। इस प्रकार, वास्तव में किए गए दावे के डेटा के साथ टीपीए डेटा के मिलान के फलस्वरूप यदि प्रीमियम की संगणना कम पाई जाती है तो शेष प्रीमियम को दी गई समयसीमा में संग्रहित किया जाना होता है।

820 पॉलिसियों की नमूना जांच से पता चला कि 10 मामलों (1.2 प्रतिशत) में, पॉलिसियों के समाप्त होने से पूर्व टीपीए द्वारा प्रस्तुत दावे के डेटा का संचालन कार्यालयों द्वारा पॉलिसियों की समाप्ति के 30 दिनों की अवधि के अन्दर मिलान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹21.95 करोड़ (अनुलग्नक-XIII) की

<sup>35</sup> पॉलिसी संख्या 103000/ 46/ 15/ 850000170

प्रीमियम आय की कम वसूली हुई। कम प्रीमियम को संग्रहित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने अपने उत्तर में विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग पद्धति से संबंधित निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया तथा इस संबंध में 21 फरवरी 2020 को एक परिपत्र जारी किया।

#### (vi) ब्रोकरेज तथा कमीशन का अधिक भुगतान

बीमा कंपनियों के लिए करोबार प्राप्त करने हेतु दलालों और एजेंटों जैसे मध्यस्थों को ब्रोकरेज और कमीशन का भुगतान किया जाता है। एनआईसीएल ने स्वास्थ्य कारोबार के तहत देय एजेंसी कमीशन तथा ब्रोकरेज का प्रतिशत निर्धारित किया। इसके अलावा, आईआरडीए (बीमा एजेंटों तथा बीमा मध्यस्थों के लिए कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा इनाम का भुगतान) विनियमावली, 2016 के अनुसार यदि कोई पॉलिसी सीधे प्राप्त की जाती है तो बीमा एजेंटों अथवा मध्यस्थों को कोई भी कमीशन अथवा पारिश्रमिक देय नहीं होता।

लेखापरीक्षा में 820 मामलों की नमूना जांच से यह पता चला कि 10 मामलों (1.2 प्रतिशत) में, एनआईसीएल ने सीधे सरकारी संगठनों से कारोबार की अधिप्राप्ति की। इसके बावजूद, दिशा निर्देशों के उल्लंघन में एजेंटों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक के प्रति ₹0.27 करोड़ का भुगतान किया गया था (अनुलग्नक-XIV)।

इसके अलावा 14 मामलों (1.7 प्रतिशत) में एनआईसीएल ने दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए ब्रोकरेज/ कमीशन के प्रति ₹2.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (अनुलग्नक-XV)।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2020) कि दिनांक 21 फरवरी 2020 के अपने परिपत्र में, उन्होंने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मद्देनजर ब्रोकरेज/ कमीशन के भुगतान के विषय में विस्तार से निर्देश दिए हैं। प्रबंधन ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यालय एचओ दिशा-निर्देशों और निर्देशों का कठोरता से पालन करें।

#### (vii) नियंत्रण और निगरानी

##### (क) निर्देशों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का अननुपालन

बीमा कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित तथा निगरानी रखने के लिए, वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), एमओएफ तथा एनआईसीएल के एचओ ने समय-समय पर निर्देश, विनियम, परिपत्र आदि जारी किए। लेखापरीक्षा ने उक्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाईं:

- डीएफएस, एमओएफ ने निर्देश दिया (सितम्बर 2012) कि सभी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों (चाहे वह स्टैण्डअलोन हो या किसी कंपनी/ कारोबार के अन्य लाभदायक सेगमेंट वाले निगम के समग्र बीमा पोर्टफोलियों का भाग हो) के पूर्ण विवरण को अनिवार्य रूप से प्रत्येक तिमाही में कंपनी के निदेशक मंडल के संज्ञान में लाने तथा इस मामले की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- एनआईसीएल की स्वास्थ्य बीमा अंडरराइटिंग नीति (एचआईयूपी) 2016 तथा 2017 ने अनुबंधित किया कि एक अंडरराइटिंग प्रक्रियात्मक मैनुअल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2020) कि एनआईसीएल ने निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित सभी सूचना प्रस्तुत की तथा बोर्ड की ओर से उनको पॉलिसी वार विवरण प्रदान करने की कोई हाल ही में आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, एनआईसीएल ने समय-समय पर ग्रुप स्वास्थ्य पॉलिसी के अंडरराइटिंग के लिए आन्तरिक परिपत्र जारी किया था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर ग्रुप स्वास्थ्य पॉलिसियों का पूर्ण विवरण प्रदान नहीं करना तथा इसकी समीक्षा न करना मंत्रालय के निर्देशों के त्रुटिपूर्ण अनुपालन के समान है। इसके अलावा, जीएमपी के अधिक आईसीआर के संदर्भ में, अंडरराइटिंग प्रक्रियात्मक मैनुअल न होने से स्वास्थ्य पॉलिसियों की बेहतर अंडरराइटिंग पद्धतियों तथा सभी परिचालन कार्यालयों द्वारा एचओ के निर्देशों का सहज अनुपालन कम होता है।

#### **(ख) कार्य योजना का कार्यान्वयन न होना**

वर्षों से स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियों के लगातार प्रतिकूल निष्पादन की वजह से, लेखापरीक्षा समिति (मई 2014/ फरवरी 2015) के समक्ष आईसीआर की कमी के लिए उपायों को दर्शाने वाली एक कार्य योजना प्रस्तुत की गयी जिसमें एचओ में केन्द्रीकृत अनुमोदन के माध्यम से अंडरराइटिंग पद्धतियों को ठीक करना, दावा आउटगो, चिकित्सा महंगाई, मध्यस्थ तथा प्रबंधन व्यय, उच्च आईसीआर सहित आरओ के निष्पादन की मासिक समीक्षा तथा उपचारात्मक उपायों को अपनाने, बैंक टाई-अप पॉलिसी सहित सभी पॉलिसियों के कीमत सुधार आदि जैसे कारकों पर विचार करना शामिल है।

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में कमियां देखीं। उत्पादों की कीमतों में संशोधन न किए जाने, एचओ की मंजूरी के बिना उच्च आईसीआर वाली पॉलिसियों के नवीकरण, प्रीमियम के कम प्रभारित किए जाने के मामले पाए गए जिन्हें उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य पोर्टफोलियों में समग्र हानि अनुपात को कम करने के लिए कार्य योजना बनाई गई थी तथापि, कार्य योजना में परिकल्पित लाभ फलीभूत नहीं हुए।



प्रबंधन ने कहा (मार्च 2020) कि वर्षों से एनआईसीएल ने घाटे में चल रहे सेगमेंट पर काफी ध्यान दिया था और कंपनी स्तर की नीतियां विकसित की गई थी। उच्च आईसीआर को अवरूद्ध करने और स्वास्थ्य पोर्टफोलियो तथा स्वास्थ्य को दूरस्त बनाने के सभी प्रयास किए गए। हानि नियंत्रण उपायों ने 2016-17 से 2018-19 तक गुप सेगमेंट में शुद्ध आईसीआर में प्रगामी कमी प्राप्त करने में सहायता की।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों में गुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का निष्पादन निरंतर प्रतिकूल था। आईसीआर 2018-19 में अभी भी 115 प्रतिशत था जो ब्रेकईवन प्राप्त करने के लिए कार्य योजना के सख्ती से अनुपालन की मांग करता है।

#### 5.4.4 निष्कर्ष

स्वास्थ्य पोर्टफोलियो के कारोबार की मात्रा में वृद्धि के बावजूद, वर्षों से स्वास्थ्य पोर्टफोलियो के तहत निरंतर प्रतिकूल निष्पादन देखा गया है। एचओ की मंजूरी के बिना पॉलिसियां जारी करना, अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन न करना, प्रीमियम का कम प्रभारित करना, ब्रोकरेज/ कमीशन का अधिक भुगतान तथा आईआरडीए के परिपत्रों तथा इसमें वर्णित मानदण्ड और दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना जैसे मामलें पाए गए जो संगठन में निगरानी तथा नियंत्रण में कमियों को दर्शाते हैं।

#### 5.4.5 सिफारिशें

एनआईसीएल को चाहिए कि:

1. जीएमपी में ब्रेक-ईवन प्राप्त करने के लिए उत्पादन कीमत निर्धारण, पॉलिसियों के अंडरराइटिंग तथा उत्पाद की कीमत निर्धारण की पर्याप्तता की समीक्षा के संबंध में विनियामक अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. पॉलिसियों के अंडरराइटिंग में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य बीमा डेटा बेस बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें;
3. एनआईसीएल के विभिन्न परिचालन कार्यालयों द्वारा जीएमपी के अंडरराइटिंग निष्पादन की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करें।
4. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए जीएमपी के सभी मामलों का पुनरावलोकन करे तथा जहाँ भी आवश्यकता हो जिम्मेदारी तय करे।

पैरा मंत्रालय को अप्रैल 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)

नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

**5.5 कार्यालयों के स्थानांतरण में देरी के कारण किराए पर होने वाला परिहार्य व्यय**

जुलाई 2016 में स्कोप मीनार बिल्डिंग, दिल्ली में खरीदे गए कार्यालय परिसर का अधिकार प्राप्त करने के बावजूद, नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड मार्च 2019 तक किराए के परिसर में चल रहे अपने कार्यालयों को स्थानांतरित करने में विफल रहा। अपने कार्यालयों को किराये के परिसर से, खरीदे गए परिसर में, स्थानांतरित करने में देरी के परिणामस्वरूप किराये पर ₹8.53 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों के अधिक किरायों के खर्चों को कम करने के लिए, नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ने ₹31.50 करोड़ में भारतीय पर्यटन वित्त निगम से स्कोप मीनार दिल्ली में 24,576 वर्ग फुट<sup>36</sup> के सुपर बिल्ट एरिया, का कार्यालय परिसर खरीदा (जून 2016)। एनआईसीएल द्वारा इस परिसर का अधिकार जुलाई 2016 में प्राप्त कर लिया गया था। एनआईसीएल का स्कोप मीनार में दिल्ली के अपने तीन कार्यालयों अर्थात् दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-III (डीआरओ-III), ओडी क्लेम हब (ओडीसीएच) और नेशनल लीगल वर्टिकल (एनएलवी) को स्थानांतरण का विचार था। साथ ही दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-I (डीआरओ-I) को डीआरओ-III के खाली परिसर (जिसका किराया कम था) में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। एनआईसीएल ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त स्थानांतरण से किराया व्यय में ₹5.87 करोड़ की वार्षिक बचत होगी।

खरीदे गए परिसर में आंतरिक साज-सज्जा का काम कराने के लिए, एनआईसीएल ने दिसंबर 2016 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने आंतरिक साज-सज्जा की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, परियोजना सलाहकार के रूप में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव (फरवरी 2017) दिया। बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति जुलाई 2017 में दी गई। एनआईसीएल और एनबीसीसी के बीच अगस्त 2017 में एक एमओयू (करार) किया गया, जिसके प्रावधानों के अनुसार सभी कार्यों को छह महीने की अवधि के भीतर (एनबीसीसी द्वारा ठेकेदार की नियुक्ति हेतु दो महीने सहित) पूरा करना था।

नवंबर 2017 में, यह देखा गया कि रिक्त स्थान का क्षेत्र सभी तीन कार्यालयों को, जैसा इसकी मूल योजना में परिकल्पित था, समायोजित करने के लिए अपर्याप्त था और तदनुसार दिसंबर 2017 में केवल दो कार्यालयों – डीआरओ-III तथा एनएलवी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, दिसंबर 2018 में, एनआईसीएल ने

<sup>36</sup> एनआईसीएल के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-II द्वारा किराये पर पहले से अधिकार वाले 10,800 वर्ग फीट सहित

निर्णय बदल दिया और एनएलवी के स्थान पर ओडीसीएच को डीआरओ-III के साथ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, एनबीसीसी को स्थानांतरण योजना में संशोधन के कारण आवश्यक परिवर्तनों को निष्पादित करना पड़ा। अंतः अप्रैल 2019 में एनआईसीएल ने अपने कार्यालयों (डीआरओ-III और ओडीसीएच) को स्कोप मीनार में स्थानांतरित कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2016 में अधिग्रहण के बावजूद, एनआईसीएल, मार्च 2019 तक अपने कार्यालयों को किराए के परिसरों से स्कोप मीनार में स्थानांतरित करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में योजना की कमी, अनिश्चितता तथा प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यों को देखने हेतु समिति के गठन, सलाहकार की नियुक्ति और बोर्ड के अनुमोदनों में विलंब देखे गये।

करार के अनुसार, एनबीसीसी को छह महीने की अवधि के भीतर सभी कार्य पूरा करने थे। अंतः रूढ़िवादी आधार पर, काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छह महीने की अनुमति देने के बाद, एनआईसीएल को जुलाई 2017 तक (खरीदे गए परिसर के अधिग्रहण से एक वर्ष के भीतर) कार्यालयों का स्थानांतरण पूरा करना चाहिए था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (नवंबर 2019) कि एनआईसीएल के पास आंतरिक साज-सज्जा से संबंधित कार्यों का कोई अनुभव नहीं था और इस बात पर सहमत था कि इस संबंध में बेहतर योजना बनाई जा सकती थी। उसने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य के सभी कार्यों में पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी।

इस प्रकार, कार्यालयों के स्थानांतरण में योजना की कमी तथा निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप अगस्त 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए किराए पर ₹8.53 करोड़<sup>37</sup> राशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जून 2020)।

<sup>37</sup> वार्षिक किराया खर्च डीआरओ-III (₹1,61,36,784) + ओडीसीएच (₹19,05,000) = ₹3,31,63,216, (डीआरओ-III को डीआरओ-III के खाली परिसर में स्थानांतरित करने के लिए डीआरओ-I (₹4,93,00,000) और डीआरओ-III (₹1,61,36,784) के वार्षिक किराया व्यय में अंतर) के कारण = ₹5,12,05,000 का किराया खर्च (अगस्त 2017 से मार्च 2019) तक 20 माह का किराया खर्च = ₹5,12,05,000 / 12 X 20 = ₹8,53,41,667

नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

**5.6 डीलर आउटलेट, जिन्होंने कार्य बंद कर दिया था, से मोटर बीमा प्रीमियम एकत्र करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि**

टाई-अप करार में हीरो कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डीलर आउटलेट से मोटर बीमा प्रीमियम के दैनिक संग्रहण के लिए, प्रावधान होने के बावजूद, नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड समय पर प्रीमियम एकत्र करने में विफल रही। इससे ₹16.58 करोड़ की हानि हुई, जिसे उन डीलर आउटलेट से वसूल किया जाना था, जिन्होंने एनआईसीएल के साथ व्यापारिक सौदेबाजी बंद कर दी थी।

नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार विस्तार के तहत पैन इंडिया ऑटो टाई-अप व्यवस्था में हीरो कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एचसीपीएल) को कॉर्पोरेट एजेंसी देने के लिए एक सर्विस कवर एग्रीमेंट (समझौता) (जनवरी 2004) किया। करार शुरूआत में तीन साल के लिए किया गया जिसे बाद में समय-समय पर नवीनीकृत किया गया।

करार में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया:

- एचसीपीएल को, एनआईसीएल की इन्शोरेंस पॉलिसी को बढ़ावा देने, बेचने तथा वितरित करने के लिए एनआईसीएल के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करना था ये पॉलिसी आउटलेट और/ या पारस्परिक सहमति के साथ दूसरे अन्य स्थानों से वितरित की जानी थी।
- एचसीपीएल द्वारा सृजित व्यवसाय के लिए, एनआईसीएल को एचसीपीएल को मासिक आधार पर समय-समय पर पारस्परिक सहमति से कमिशन का भुगतान करना था।
- एनआईसीएल द्वारा उचित प्रौद्योगिकी लागू की जानी थी जिससे एचसीपीएल आउटलेट पर ऑनलाइन पॉलिसी जारी कर सके तथा प्रीमियम और आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने पर ग्राहक को तुरंत पूरी पॉलिसी सौंपी जा सके।
- एनआईसीएल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्दिष्ट एचसीपीएल आउटलेट से व्यवसाय के संबंधित भुगतान के सभी दस्तावेजों को संग्रह करने की व्यवस्था करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि करार के तहत, नामित एचसीपीएल डीलर आउटलेट ने एनआईसीएल की तरफ से समय-समय पर बीमा पॉलिसी जारी की है तथा ग्राहकों से पॉलिसी प्रीमियम एकत्र किया। करार में प्रावधान होने के बाद भी, बीमा पॉलिसी बेचने पर, डीलर आउटलेट द्वारा ग्राहकों से प्राप्त किया गया प्रीमियम एनआईसीएल द्वारा दैनिक

आधार पर इकट्ठा नहीं किया गया। परिणामतः, मार्च 2019 में डीलर आउटलेट के पास ₹131.94 करोड़ की प्रीमियम बकाया राशि संचित हो गई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ₹32.95 करोड़<sup>38</sup> की राशि, जो मार्च 2018 तक बकाया थी, उसमें ₹17.10 करोड़ उन डीलर आउटलेट से वसूली योग्य थे जिन्होंने एनआईसीएल से व्यावसायिक लेनदेन बन्द कर दिया था। एनआईसीएल ने 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान ₹0.52 करोड़ वसूल किए, उसके बाद ₹16.58 करोड़ की राशि वसूली के लिए लंबित थी (अगस्त 2019)।

एनआईसीएल के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए डीलर से प्रतिभूति राशि/ बैंक गारण्टी प्राप्त करने के लिए करार में कोई प्रावधान नहीं था जो आन्तरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि प्रीमियम की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए, एनआईसीएल बोर्ड ने टाई-अप बिजनेस के तहत अग्रिम प्रीमियम को इकट्ठा करने के लिए निलंब खाते खोलने का अनुमोदन किया था (सितम्बर 2012) ताकि डीलर्स निलंब खातों में उपलब्ध अग्रिम राशि की सीमा में ही पॉलिसी जारी करने के लिए सक्षम हो। परंतु, एनआईसीएल ने अक्टूबर 2018 में निलंब खाता खोलने की पहल की, इस प्रणाली को अगस्त 2019 तक कार्यान्वित नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2019) कि:

- एचसीएसपीएल के डीलर आउटलेट पूरे देश में फैले हुए हैं तथा प्रणाली को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए अवसंरचना की कमी के कारण प्रीमियम का संग्रह सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कि प्राप्य राशि ₹17.10 करोड़ में से ₹7.64 करोड़ उन डीलर आउटलेट से प्राप्य थे जो अभी भी टाई-अप में काम कर रहे थे परन्तु एनआईसीएल के साथ व्यवसाय नहीं कर रहे थे तथा एनआईसीएल इन डीलर आउटलेटों से राशि की वसूली के लिए अनुसरण कर रहा था।
- उन डीलर आउटलेट के संबंध में नकद जमा (₹2.37 करोड़) और अज्ञात क्रेडिट (₹12.79 करोड़) के रूप में ₹15.16 करोड़ की राशि मौजूद थी, जिसका उपयोग प्राप्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है और जो क्रमशः पे-इनस्ट्रिप और सुलह में राशि के बंटवारे के लिए असामान्य बने रहे। प्रबंधन ने आगे बताया कि एनआईसीएल ने जून 2019 से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डीलर आउटलेट द्वारा प्रीमियम भुगतान की प्रणाली को लागू किया ताकि भविष्य में डीलर आउटलेट से बकाया प्राप्य राशियों को खत्म किया जा सके।

<sup>38</sup> 2012-13 के बाद से मार्च 2018 तक

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलरो के बड़े नेटवर्क का मुद्दा जैसा कि प्रबंधन ने उत्तर में कहा गया है, डीलर आउटलेट से प्रीमियम के संग्रह की आवधिकता को दैनिक आधार पर तय करते समय पहले ही बता दिया गया था। इसके अलावा, डीलर आउटलेट से प्राप्त राशि के संबंध में प्रबंधन का दावा जो अभी भी टाई-अप में काम कर रहे थे, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर आउटलेट अपने व्यावसायिक सौदों में एनआईसीएल को संरक्षण नहीं दे रहे थे और एनआईसीएल के साथ कोई व्यवसाय नहीं कर रहे थे नकद जमा व अज्ञात क्रेडिट में राशि के संबंध में, उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एनआईसीएल के पास मार्च 2019 तक डीलर आउटलेट से कुल ₹131.94 करोड़ कुल बकाया है तथा प्रबंधन नकदी जमा व अज्ञात क्रेडिट में रखी राशि को अगस्त 2019 तक भी मिलान करने में विफल रहा है।

कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, समय पर प्रीमियम संग्रह न होने से तथा करार में अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधानों के अभाव में, एनआईसीएल को ₹16.58 करोड़ की हानि हुई।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)

#### ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### 5.7 अविवेकपूर्ण जोखिम अंकन तथा अविवेकी पुनर्बीमा कवर की व्यवस्था के कारण हानि

कम्पनी ने निवल प्रतिधारण क्षमता के बिना सह-बीमा हिस्सेदारी स्वीकार की तथा अतिरिक्त हानि (एक्सओएल) आधार पर पुनर्बीमा कवर का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.60 करोड़ की निवल हानि हुई।

वर्ष 2017-18 के लिए ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ओआईसीएल) के पुनर्बीमा (आरआई) कार्यक्रम के अनुसार, 5 प्रतिशत के अनिवार्य सेस के बाद, इवेंट बीमा (खेल) के लिए अधिकतम निवल प्रतिधारण क्षमता ₹15 करोड़ थी तथा इससे आगे वैकल्पिक पुनर्बीमा<sup>39</sup> की व्यवस्था की जाए। कंपनी ने मैसर्स ओपो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ओपो) को 7 जून 2017 से 6 जून 2018 तक की अवधि के लिए 51 मेचों के लिए इवेंट रद्द होने के कारण प्रायोजन राजस्व की हानि के जोखिम को कवर करने के लिए चार पॉलिसी सं. 111700/ 48/ 2018/ 238 से 241 जारी की (जून 2017)। इन नीतियों के तहत कुल हानि सीमा ₹50 करोड़ थी तथा ओआईसीएल की निवल क्षमता में ₹15 करोड़ रखने के बाद ₹35 करोड़ पुनर्बीमा व्यवस्था में रखे गए।

<sup>39</sup> एक पुनर्बीमा अनुबंध जिसके तहत सीडिंग बीमाकर्ता के पास सुर्पद करने का विकल्प होता है और पुनर्बीमाकर्ता के पास विशिष्ट बीमाधारक के विशिष्ट जोखिम को स्वीकर करने का विकल्प होता है

एक अन्य बीमा कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक विशेष आकस्मिक पॉलिसी जारी की (सितम्बर 2017)। जिसमें ₹543.52 करोड़ की बीमा राशि के साथ 29 सितम्बर 2017 से 28 सितम्बर 2018 तक की अवधि में होने वाले क्रिकेट मैच के आयोजन के रद्द होने के कारण प्रसारण राजस्व की हानि का जोखिम शामिल है। इस पॉलिसी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-न्यूजीलैंड और भारत-श्री लंका के बीच भारत के विभिन्न शहरों में खेले जाने वाली टी-20/ वन-डे/ टेस्ट के 23 मैचों वाली तीन क्रिकेट मैच श्रृंखलाओं को कवर किया। जैसाकि ऊपर बताया गया, ओपो को जारी की गई पॉलिसी के तहत पहले से ही ये मैच कवर किए गए थे।

इसके अलावा, एनआईएसीएल ने सह-बीमा व्यवस्था के तहत ओआईसीएल को ₹6.10 करोड़ के प्रीमियम के ₹138.68 करोड़ की बीमा राशि की पेशकश की। पॉलिसी के तहत देयता की अधिकतम सीमा ₹45 करोड़ प्रति मैच (ओआईसीएल शेयर ₹12 करोड़ @ 26.67 प्रतिशत) तथा पॉलिसी हानि सीमा ₹150 करोड़ (ओआईसीएल शेयर ₹40 करोड़) थी। चूंकि ओपो को पॉलिसी जारी करने पर जून 2017 में ओआईसीएल की निवल प्रतिधारण क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (जीआईसी) और जेएलटी ब्रोकर (एक प्राइवेट फर्म) से आनुपातिक वैकल्पिक पुनर्बीमा व्यवस्था के लिए उद्धरण मांगे गए। जीआईसी ने उद्धरण देने से इनकार कर दिया तथा जेएलटी ब्रोकर ने बीमित राशि के 6 प्रतिशत दर से प्रीमियम की मांग की। सह बीमा व्यवस्था के तहत एनआईएसीएल<sup>40</sup> द्वारा प्रस्तावित 4.4 प्रतिशत<sup>41</sup> के प्रीमियम की दर पर विचार करते हुए जेएलटी की पेशकश व्यवहार्य नहीं पाई गई। इसीलिए कंपनी ने ₹40 करोड़ के सहबीमा शेयर के लिए अतिरिक्त हानि (एक्सओएल)<sup>42</sup> आधार पर समर्थन प्रदान करने के लिए जीआईएस से संपर्क किया (सितम्बर 2017)। हालांकि जीआईसी ₹2.6 करोड़ के प्रीमियम के लिए ₹10 करोड़ के अधिक्य में ₹30 करोड़ तक कवर प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। कंपनी के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ जीआईसी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उसके अनुसार, कम्पनी ने एनआईएसीएल के प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹6.10 करोड़ के प्रीमियम पर 29 सितम्बर 2017 से सितम्बर 2018 तक की अवधि के लिए एक पॉलिसी सं. 530000/ 48/ 2018/ 256 जारी की।

<sup>40</sup> एक प्रकार का पुनर्बीमा कवर जिसमें बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमाकर्ता के बीच प्रारंभिक हानि के बिना पूर्वनिर्धारित अनुपात के साथ दावा हानि को साझा किया जाता है

<sup>41</sup>  $6.10 / 138.68 * 100 = 4.4$  प्रतिशत

<sup>42</sup> एक प्रकार का पुनर्बीमा कवर जिसमें पुनर्बीमाकर्ता एक पूर्व निर्धारित सीमा से परे एक निर्दिष्ट अधिकतम अंतिम सीमा तक दावे के नुकसान को साझा करने के लिए सहमत होता है। इस मामले में ₹10 करोड़ से अधिक्य में ₹30 करोड़ के एक्सओएल कवर का तात्पर्य है कि पुनर्बीमाकर्ता केवल ₹10 करोड़ से अधिक तथा अधिकतम ₹30 करोड़ तक की दावे के दायित्व का वहन करेगा

तत्काल पॉलिसी में, पांच दावों की राशि ₹10.32 करोड़ (₹10.02 करोड़ भुगतान व ₹0.30 करोड़ बकाया) की सूचना दी गई तथा जीआईसी से 5 प्रतिशत अनिवार्य सेस (अर्थात ₹0.52 करोड़) की वसूली के पश्चात, निवल दावा ₹9.80 करोड़ (कुल दावा ₹10.32 करोड़ में से ₹0.52 करोड़ की अनिवार्य वसूली कम की गई) बचा जोकि ₹10 करोड़ से कम था, इसीलिए ₹9.80 करोड़ का पूर्ण निवल दावा कंपनी द्वारा वहन किया गया। जैसे कि कंपनी ने 5 प्रतिशत अनिवार्य सेस व एक्सओएल पर आधारित आरआई वैकल्पिक कवर के पश्चात नेट प्रीमियम ₹3.20 करोड़<sup>43</sup> अर्जित किया, जिससे ₹6.60 करोड़ का नेट नुकसान हुआ (कंपनी द्वारा नेट दावा ₹9.80 करोड़ में से नेट प्रीमियम अर्जित ₹3.20 करोड़ कम करने के बाद वहन किया गया)।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- एनआईसीएल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, 23 मैचों के प्रति जोखिम को दो बार कवर किया गया क्योंकि इन 23 मैचों को पहले ही मैसर्स ओपो मोबाईल प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई पॉलिसी में कवर किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी शुद्ध प्रतिधारण क्षमता से परे पॉलिसी को कम कर दिया गया था।
- एक्सओएल के आधार पर जोखिम का पुनर्बीमा करके, कंपनी ने अपने निवल प्रतिधारण को ₹10 करोड़ तक बढ़ा दिया जिससे घाटे का जोखिम बढ़ गया। इसके अलावा सभी दावे ओआईसीएल द्वारा वहन किए गए जो आनुपातिक वैकल्पिक कवर के संबंध में पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किए जा सकते थे। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त पुनर्बीमा कवर की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है तथा यदि कंपनी को एक उपयुक्त व सुरक्षित पुनर्बीमा कवर नहीं मिलता है तो इस तरह के जोखिमों को स्वीकार न करना निःसन्देह विवेकपूर्ण निर्णय है ताकि कंपनी के व्यावसायिक हितों की सुरक्षा की जा सके। इसीलिए, आनुपातिक वैकल्पिक कवर की अनुपस्थिति में कंपनी को एक्सओएल आधार पर मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में जोखिम कम करने के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहिए था।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2019) कि जोखिम की स्वीकृति योग्यता विवेकपूर्ण जोखिम अंकन प्रथाओं तथा लाभप्रदता के साथ खेल पोर्टफोलियों में समग्र वृद्धि लाने के लिए एक वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित थी। इसके अलावा, प्रस्ताव को पुनर्बीमाकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं से आनुपातिक समर्थन के लिए भेजा गया था जो अपने स्वयं के अनुभव पर विचार करते हुए इसे नियत करने में सक्षम थे हालांकि वे जेएलटी ब्रोकर

<sup>43</sup> नेट प्रीमियम ₹3.20 करोड़ = सकल प्रीमियम ₹6.10 करोड़-(घटाकर) जीआईसी के लिए 5 प्रतिशत अनिवार्य सेस के लिए ₹0.30 करोड़ सुपुर्द -(घटाकर) एक्सओएल आधार पर जीआईसी आरआई के वैकल्पिक कवर के लिए सुपुर्द ₹2.60 करोड़ प्रीमियम



द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव से अधिक थे स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव उचित तथा बीमित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई शर्तों के योग्य है। प्रबंधन ने आगे कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए पॉलिसी के अन्तर्गत यह अनुभव लाभदायक था तथा प्रचुर सावधानी के उपाय के रूप में ₹10 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त हानि से बचाव किया जा सकता था, हानि व्यवस्था की अधिकता पर विचार किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के अनुसार तर्कसंगत नहीं है कि आनुपातिक कवर के लिए जेएलटी द्वारा उद्धृत वैकल्पिक दरें उच्च थी तथा जीआईसी ने आनुपातिक आधार पर उद्धरण देने से मना कर दिया, यह इस लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है कि तत्काल मामले के तहत जोखिम अधिक था तथा एक्सओएल पर आधारित वैकल्पिक कवर के माध्यम से पुनर्बीमा करना एक विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय नहीं था। यह उल्लेख करना भी उचित है कि यह दोहरे बीमा का मामला है अर्थात् समान इवेंट के लिए प्रसारण जोखिम के साथ-साथ प्रायोजन की कवरेज। आनुपातिक आधार पर जोखिम का पुनर्बीमा करना उचित होता ताकि कंपनी के वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा की जा सके।

इस प्रकार निवल प्रतिधारण क्षमता के बिना जोखिम का अंकन तथा एक्सओएल आधार पर जोखिम का पुनर्बीमा एक अविवेकी निर्णय था जिससे ₹6.60 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

#### एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड

#### 5.8 प्रारंभिक रूग्णता के स्पष्ट संकेतों के बावजूद एक ग्राहक को फैक्ट्रिंग सुविधा का परिसमापन न करने के कारण वसूली नहीं होना

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड ने एक ग्राहक को ₹35 करोड़ की फैक्ट्रिंग सुविधा को मंजूरी दी तथा परिसंपत्ति में स्ट्रेस के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के बावजूद सुविधा को कम करने तथा परिसमाप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण ₹28.37 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (कंपनी) ने मैसर्स फैबटेक प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (एफपीईएल) को घरेलू फैक्ट्रिंग सुविधा<sup>44</sup> में उपयोग की अधिकतम निधि

<sup>44</sup> घरेलू फैक्ट्रिंग सुविधा एक वित्तीय सेवा है जिसके तहत ग्राहक को भारत के भीतर स्थित घरेलू खरीदारों से ऑर्डर मिलते हैं, माल की आपूर्ति/ निष्पादित कार्यों के लिए बीजक उठाता है, कंपनी को बीजक प्रदान करता है और बीजक के 80-90 प्रतिशत (या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) मूल्य तक पूर्व भुगतान प्राप्त करता है। कम्पनी ग्राहक द्वारा क्रेता को दी गई क्रेडिट अवधि (60 दिन) के अंत में घरेलू खरीदार (जिसे 'ऋणी' कहा जाता है) से बीजक के पूर्ण मूल्य के लिए भुगतान एकत्र करती है।

(एफआईयू)<sup>45</sup> सीमा ₹15 करोड़ की मंजूरी दी (मार्च 2014)। छह स्वीकृत देनदारों<sup>46</sup> जो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ हैं के लिए एफआईयू की सीमा बढ़ाकर (अक्टूबर 2014) ₹35 करोड़ कर दी गई थी। इस सुविधा के तहत एफपीईएल के प्रदर्शन में अगस्त 2015 से गिरावट आई तथा कंपनी ने सितम्बर 2017 में एफआईयू की सीमा घटाकर ₹30 करोड़ तथा जनवरी 2018 में ₹25 करोड़ कर दी। तथापि, कंपनी ने बीजकों की फैक्ट्रिंग जारी रखी तथा 31 मार्च 2019 तक कंपनी के बही खाते में ₹25 करोड़ की राशि गैर निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गई। अगस्त 2019 तक एफपीईएल से कुल बकाया राशि ₹28.37 करोड़ है (मूलधन- ₹25 करोड़ तथा ब्याज ₹3.37 करोड़)। कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही में ₹28.37 करोड़ की राशि का दावा किया है (अक्टूबर 2019) तथा निर्णय प्रतीक्षित है। कंपनी द्वारा एफपीईएल से प्राप्त पोस्ट डेटेड चेक बाउंस हो गए (अप्रैल 2019) तथा इससे संबंधित मामला मुंबई के उच्च न्यायालय में लंबित है।

एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लिमिटेड की अनुपालना लेखापरीक्षा फरवरी-मार्च 2019 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा में पता चला कि कंपनी की क्रेडिट नियमपुस्तक ने स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए 'पूर्व चेतावनी संकेत' निर्धारित किए थे तथा जब ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो कंपनी द्वारा परिसंपत्ति के लिए एक क्रमिक कटौती-सह-परिसमापन योजना लाना अपेक्षित था। पूर्व चेतावनी संकेतों में 'प्रत्यक्ष भुगतान' (जिसमें ग्राहक कंपनी से पहले बीजक की फैक्ट्रिंग द्वारा भुगतान प्राप्त करता है तथा बाद में देनदारों से भी भुगतान एकत्र करता है और अततः कंपनी को 'सेलर कैश' नामक प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से भुगतान करता है), क्रेडिट रेटिंग की डाउनग्रेडिंग, भुगतान में देरी, लेखापरीक्षक रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी आदि शामिल हैं। अगस्त 2015 से इस संबंध में पूर्व चेतावनी संकेत दिखाई देने लगे, परन्तु परिसंपत्ति में पहली कमी (₹5 करोड़ की) सितम्बर 2017 में ही हुई, अर्थात् दो साल से अधिक समय के बाद तथा इस के साथ-साथ बीजक की फैक्ट्रिंग अधिकतम सीमा राशि तक जारी रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

---

<sup>45</sup> किसी भी समय बिन्दू पर फेक्टरड बिलों के विरुद्ध फेक्टर द्वारा ग्राहक को दी गई धनराशि उपयोग किए जाने वाली निधि (एफआईयू) कहलाती है

<sup>46</sup> स्वीकृत देनदार का अर्थ है कोई ऋणी जो ग्राहक को आपूर्ति अनुबंध/ खरीद आदेश के लिए प्राप्तियों के संबंध में ऋणी है।

तालिका 5.8.1

चेतावनी संकेत की प्रकृति (विद्यमान क्रेडिट नियम पुस्तक के अनुसार)	प्रारंभिक तिथि	इस तिथि के पश्चात फैक्टर्स बीज़क (दिसम्बर 2018 तक)		वर्तमान क्रेडिट नियम पुस्तक का उल्लंघन		
		संख्या	राशि (₹करोड़ में)	अध्याय संख्या	पैरा संख्या	खण्ड संख्या
प्रत्यक्ष भुगतान/ विक्रेता नकद	03.08.2015	656	436.91	6	1	2रा बूलेट
				12	-	-
भुगतान में देरी						
31 से 60 दिनों तक	15.08.2016	423	276.25	8	सी	ए एवं ई
61 से 80 दिनों तक	12.02.2017	326	224.90	8	सी	ए एवं ई
ग्राहक द्वारा प्रस्तुत चालान पर जाली हस्ताक्षर	11.05.2017	241	166.14	12	1	1
सांविधिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी/ ग्राहक की बाहरी क्रेडिट रेटिंग की ऋणात्मक 'सी' के लिए डाऊनग्रेडिंग	06.02.2018	112	73.18	12	तालिका 1	5

लेखापरीक्षा द्वारा आगे के विश्लेषण में पता चला कि प्रबंधन परिसंपत्ति को कम करने व परिसमापन में विफल रहा तथा इसमें गैर अनुपालन थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- एफपीईएल पर कंपनी की ऋण प्रबंधन टीम की आचरण रिपोर्ट (जुलाई 2016) ने पिछले एक वर्ष के लिए विक्रेता के नकद से राशि ₹24.79 करोड़ का भुगतान, पिछले छह महीने में भुगतान की प्राप्ति में 15-25 दिनों की देरी तथा अतिदेय बीज़कों के भुगतान के लिए अनुवर्ती कार्यवाई पर प्रतिक्रिया न देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तथापि, एक कठौती सह परिसमापन योजना को लागू करने के बजाय, कंपनी की कॉर्पोरेट क्रेडिट कमेटी (सीसीसी) ने एफपीईएल के सम्मुख नकदी की कमी का हवाला देते हुए देनदारों में से एक (बीपीसीएल) के लिए ₹25 करोड़ से ₹30 करोड़ की सीमा में 31 मार्च 2017 तक वैध अस्थायी वृद्धि की अनुमति दी (दिसम्बर 2016)। इस प्रकार कंपनी ने ₹25 करोड़ की सीमा, जो देनदार के लिए लागू है, से अधिक अतिरिक्त बीज़कों की फैक्टरिंग करते हुए एफपीईएल को अनुचित लाभ दिया एवं बीज़क के प्रति धन के माध्यम से ₹3.50 करोड़ तथा शेष राशि गैर-फैक्टरड नकद के माध्यम से जारी की।
- इससे पहले भी, कंपनी ने एफपीईएल को छूट प्रदान की थी, जब अक्टूबर 2014 में एफआईयू की सीमा ₹15 करोड़ से बढ़ाकर ₹35 करोड़ कर दी गई थी, अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करने की बजाय, चालु सुरक्षा को अचल परिसंपत्तियों के दूसरे प्रभार को अवशिष्ट प्रभार से कम कर दिया गया था। इसके अलावा, जब तक एफपीईएल ने 21 अगस्त 2015 (यद्यपि यह दिसम्बर 2014 तक देय था) को प्रभार विलेख को

निष्पादित किया, तब प्रत्यक्ष भुगतान का प्रारंभिक चेतावनी संकेत (3 अगस्त 2015) शुरू हो गया था।

- छह देनदारों के संबंध में अगस्त 2015 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष भुगतान/ विक्रेता नकद नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5.8.2

(₹ करोड़ में)

देनदार का नाम	फैक्टर्ड बीज़क		प्रत्यक्ष भुगतान		प्रतिशत	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बीपीसीएल	283	193.99	80	66.10	28.27	34.07
केरन इंडिया लिमिटेड	1	0.52	0	0.00	0.00	0.00
आईओसीएल	94	45.40	71	35.34	75.53	77.84
एनपीसीएल	5	0.99	5	0.99	100.00	100.00
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	42	18.74	15	9.74	35.71	51.97
ऑयल इंडिया लिमिटेड	231	177.27	54	66.70	23.38	37.63
<b>कुल</b>	<b>656</b>	<b>436.91</b>	<b>225</b>	<b>178.87</b>	<b>34.30</b>	<b>40.94</b>

तीन देनदारों के संबंध में 50 प्रतिशत से अधिक के प्रत्यक्ष भुगतान के उच्च स्तर से संकेत मिलता है कि यह सुविधा एक फैक्ट्रिंग सुविधा की बजाय एक ऋण देने वाला व्यवसाय अधिक बन रही थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि देनदारों को कंपनी को भुगतान करना अपेक्षित था और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी ग्राहकों से भुगतान को एक वसूली अधिकार या फॉल बैक के विकल्प के रूप में एकत्र कर सकती है। लेकिन कंपनी को अधिकतर वसूली अधिकार का सहारा लेना पड़ा।

- ग्राहक को कंपनी से भुगतान का दावा करने के लिए देनदारों से बीजक प्रमाणित करवा कर प्राप्त करना आवश्यक था। देनदारों में से एक (आईओसीएल) ने कंपनी को सूचित किया (मई 2017) कि बीजकों पर उनके अभियंता प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं थे और हस्ताक्षर जाली थे। कंपनी ने प्रतिक्रिया में संबंधित तीन स्थानों के अनुमोदन को समाप्त किया और आईओसीएल के देनदार खाते की फैक्ट्रिंग को बंद कर दिया। कंपनी ने न तो अन्य देनदारों के साथ उसके बीजकों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए पत्राचार किया और न ही ग्राहक के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई की, जो ग्राहक द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघन के लिए मौन प्रतिक्रिया का संकेत था।

- कंपनी ने सुविधा के तहत खराब प्रदर्शन के बावजूद एफपीईएल को ₹2.63 करोड़<sup>47</sup> की राशि के प्रभार शुल्क के स्थगन के माध्यम से रियायत/ छूट की अनुमति दी।
- इस सुविधा के वार्षिक नवीनीकरण के समय प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का यथावत संज्ञान नहीं लिया गया था तथा सितंबर 2017 तक अधिकतम सीमा राशि को बरकरार रखा गया।
- इस सुविधा के तहत सभी भुगतान इस प्रयोजन के लिए खोले गए एस्करो खाते के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता थी। एस्करो एजेंट ने (भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के जनक) सितंबर से अक्टूबर 2017 के दौरान एस्करो खाते से ₹1.90 करोड़ की निधि को अपने द्वारा अनुरक्षित एफपीईएल के दूसरे खाते में डाल दिया। कंपनी ने एस्करो एजेंट के साथ मामला उठाया (नवंबर 2017) परंतु विपथन जारी रहा तथा अप्रैल से दिसंबर 2018 के दौरान एफपीईएल के अन्य खातों की अनियमितताओं जैसे पैरेंट बैंक के अशोध्य ऋणों को कम करने के लिए एस्करो खाते से ₹19.39 करोड़ की राशि को दूसरे खाते में विपथित किया गया। इसी कारण एस्करो प्रणाली भी कंपनी के हितों की रक्षा करने में विफल रही।
- निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति (ईसीबी) ने अपनी मीटिंग (मार्च 2018) में कंपनी द्वारा बकाया देयताओं की वसूली के लिए एफपीईएल के विरुद्ध मध्यस्थता, सिविल मुकदमा, एनसीएलटी दायर करने तथा किसी भी अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए मंजूरी दे दी थी। यद्यपि, कंपनी ने एफपीईएल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बजाय दिसम्बर 2018 तक बीजकों की फैक्टरिंग जारी रखी। कंपनी को यह भी पता था कि देनदारों ने सीधे तौर पर ही एफपीईएल/ इसके विक्रेताओं को बीजकों का भुगतान जारी किया था परन्तु एफपीईएल नकदी की कमी का हवाला देते हुए भुगतान नहीं कर रही थी। कंपनी ने परिसंपत्तियों को एनपीए बनने से रोकने के लिए एफपीईएल को विक्रेता नकद के माध्यम से इसकी देयताओं को पूरा करने का निर्देश दिया (फरवरी व मार्च 2019)। फिर भी परिसंपत्ति 31 मार्च 2019 से एनपीए बन गई तथा एफपीईएल के पोस्ट डेटेड चेक के बाउंस होने के पश्चात ही कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कंपनी ने अपने हितों की अवहेलना कर ग्राहक को अधिक लाभ दिया गया।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों को बचाने में विफल रही तथा अब अपने बकाया की वसूली के लिए कानूनी उपायों पर निर्भर है, जिसकी संभावना कम प्रतीत होती है।

प्रबंधन ने कहा (जून, नवंबर व दिसंबर 2019 तथा जून 2020) कि उन्होंने खाते से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए/ पहल की है तथा अक्टूबर 2014 में स्वीकृत ₹35 करोड़ की एफआईयू सीमा को सफलतापूर्वक कम करके जनवरी 2018 में ₹24.27 करोड़ करने

<sup>47</sup> छूट प्रभार (₹1.50 करोड़), फैक्टरिंग प्रभार (₹0.80 करोड़) तथा सुविधा निरंतरता फीस (₹0.33 करोड़)

में सक्षम हुए। प्रबंधन ने आगे बताया कि उन्होंने ₹20 करोड़ की डाउनवार्ड कैपिंग को लागू करने की योजना बनाई थी परंतु इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि एफपीईएल अपनी कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कटौती के लिए योजना प्रस्तुत करने में विफल रहा। प्रबंधन ने तर्क दिया कि यदि उन्होंने शुरुआती चरणों में ही बीज़कों की फैक्टरिंग को रोका होता तो ₹35 करोड़ की पूरी राशि एनपीए बन गई होती और कहा कि कंपनी का मुख्य फोकस क्रमिक तरीके से अधिकतम परिसंपत्ति की वसूली करना था। प्रबंधन ने आशा जताई कि वे चल रहे कानूनी उपायों के माध्यम से वसूली कर लेंगे।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि कंपनी अगस्त 2015 से प्रारंभिक चेतावनी संकेत दिखाई देने पर भी सुविधा से बाहर निकलने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही। यद्यपि कंपनी ने ₹10 करोड़ की कमी हासिल की तथापि, ₹3.37 करोड़ के ब्याज सहित अधिकांश राशि ₹25 करोड़, मार्च 2019 में एनपीए बन गई। यह तथ्य भलीभांति जाहिर था कि ग्राहक चल निधि की समस्या का सामना कर रहा था, इन परिस्थितियों में कंपनी की तरफ से यह विश्वास रखना यथार्थवादी नहीं था कि ग्राहक कटौती योजना प्रस्तुत करेगा। बल्कि, एफआईयू की अधिकतम सीमा यदि पहले नहीं तो कम से कम वार्षिक नवीनीकरण के दौरान कम कर दी जानी चाहिए थी, जिसके कारण निश्चित समय सीमा में परिसमापन हो पाता तथा तब तक जोखिम के लिए पर्याप्त व प्रभावी आनुषंगिक प्रतिभूतियाँ अपनानी चाहिए थीं।

इस प्रकार, अगस्त 2015 से एफपीईएल की प्रारंभिक रूग्णता का पता चलने के बावजूद, फैक्टरिंग सुविधा के प्रबंधन में कंपनी द्वारा समय पर कार्रवाई करने में देरी से परिहार्य मुकदमेबाजी हुई तथा कानूनी प्रक्रिया में अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण बकाया की वसूली की संभावना भी कम है।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

#### यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

#### 5.9 प्रीमियम के कम चार्ज के कारण राजस्व में आई कमी

यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) ने कीमत निर्धारण तथा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के रेखांकन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी को 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹112.28 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

समूह स्वास्थ्य इश्योरेंस पोर्टफोलियों में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को लगातार हो रहे घाटे के मद्देनजर, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत

सरकार (जीओआई) ने स्वास्थ्य इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत निर्धारण के लिए दिशानिर्देश (जुलाई 2012/ सितंबर 2012) जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (जीएचआईपी) का उचित कीमत निर्धारण होना चाहिए, जिसमें बर्निंग लागत<sup>48</sup>, प्रबंधन व्यय (एमई), मेडिकल इन्फ्लेशन (एमआई) आदि पर विचार किया गया हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त अनुपात (सीआर)<sup>49</sup> प्रभारित प्रीमियम के 95 प्रतिशत से कम होना चाहिए। जो पॉलिसी इस अनुपात के अनुरूप नहीं है उनका नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उपरलिखित दिशानिर्देशों में (जुलाई-2012/ सितंबर 2012) में सशक्त रूप से निर्धारित किया गया था कि जहां सीआर 100 प्रतिशत से अधिक है, वहां स्टैंडअलोन जीएचआईपी में कोई छूट नहीं दी जाएगी तथा ये दिशानिर्देश अनिवार्य थे और इस संबंध में पीएसजीआईसी को कोई विवेकाधिकार नहीं था।

एमओएफ, भारत सरकार ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संदर्भ का उल्लेख करते हुए, जीएचआईपी को उचित मूल्य देने के लिए तथा पीएसजीआईसी की वित्तीय स्वास्थ्य पर अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली अपव्ययी तथा अनावश्यक छूट से बचने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के सख्त पालन को दोहराया (जून 2017) और इस पर बल दिया।

एमओएफ के उपरोक्त दिशानिर्देशों (जुलाई 2012/ सितम्बर 2012) के अनुसरण में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय ने 24 जुलाई, 2012 को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंकन के लिए एक परिपत्र जारी किया (जिसे 26 अक्टूबर 2012 को संशोधित किया गया) जो निर्धारित करता है कि “स्टैंडअलोन” समूह स्वास्थ्य इंश्योरेंस पॉलिसी का कीमत निर्धारण ऐसी होनी चाहिए, कि संयुक्त अनुपात अर्थात् आपेक्षित दावा व्यय, अधिग्रहण लागत टीपीए प्रभार व प्रीमियम के लिए प्रबंधन व्यय 95 प्रतिशत से कम हो।

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि से संबंधित दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ-I), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ-II) तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) को बड़े कॉर्पोरेट शाखा कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा ₹50 लाख या उससे अधिक के बीमा किए गए या नवीकृत स्टैंडअलोन जीएमपी की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 61 जीएचआईपी के संबंध में, जहां दावा अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था (*अनुलग्नक-XVI*), वहां सीआर को 95 प्रतिशत तक सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम की गणना नहीं की गई थी। कंपनी ने केवल पिछले वर्ष के वार्षिक दावा खर्च

<sup>48</sup> पिछले वर्ष के अनुभव से संगणित आगामी बीमा अवधि में दावों की अनुमानित लागत, कवर करने की प्रकृति तथा चिकित्सा महंगाई से बीमाकृत व्यक्ति की संख्या में परिवर्तनों हेतु समायोजित

<sup>49</sup> संयुक्त अनुपात (सीआर) वार्षिक दावों के बर्हिगमन (यानि किए गए दावे) की राशि है जो पिछले वर्ष में लगाए गए प्रीमियम द्वारा विभाजित जीवन के प्रस्तावित संख्या, टीपीए शुल्क, कमीशन/ ब्रोकरेज, चिकित्सा इनफ्लेशन तथा प्रबंधन व्यय के साथ समायोजित किया गया है

जिसमें कवर व्यक्तियों की प्रस्तावित संख्या, टीपीए प्रभारों और ब्रोकरेज समायोजित है, पर विचार किया परंतु सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार प्रबंधन व्यय (एमई) व चिकित्सा इनफ्लेशन (एमआई) पर विचार नहीं किया जो 4.57 प्रतिशत (2016-17), 4.37 प्रतिशत (2017-18) तथा 7.14 प्रतिशत (2018-19) था।

जीएचआईपी प्रस्तावों का उचित कीमत निर्धारण करते समय लेखापरीक्षा ने किसी बेंचमार्क के अभाव में प्रबंधन के व्ययों (एमई) के अलावा एमओएल और यूआईआईसीएल के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कीमत निर्धारण कारकों पर विचार किया है और लेखापरीक्षा समीक्षा के तहत जीएचआईपी के लिए एकत्र किए गए वास्तविक प्रीमियम के साथ तुलना की है। इस प्रकार कुल 61 जीएचआईपी (*अनुलग्नक-XVII*) के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा संगणित न्यूनतम प्रीमियम ₹527.80 करोड़ है जो प्रस्तावित जीवन, टीपीए प्रभारों, ब्रोकरेज/ कमीशन तथा एमआई<sup>50</sup> के साथ केवल एमई (जैसे कि कोई बेंचमार्क उपलब्ध नहीं था) के साथ समायोजित वार्षिक दावा व्यय पर विचार करते हुए किया गया। इसके प्रति यूआईआईसीएल के डीआरओ-I, डीआरओ-II व एलसीबीओ ने वित्त मंत्रालय/ यूआईआईसीएल के विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके ₹415.52 करोड़ का प्रीमियम वसूल किया, जिससे ₹112.28 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2019) कि एक निश्चित दर/ फार्मूले के आधार पर प्रीमियम नहीं लिया जा सकता है तथा बाजार की स्थितियों और एक ही स्रोत से अन्य प्रीमियम सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने 'कम से कम प्रीमियम वसूलने' के लिए ऐसे कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए रिपोर्ट किए गए ₹112.28 करोड़ के प्रीमियम की कथित हानि वास्तविक नहीं है। प्रीमियम को कंपनी की स्वास्थ्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार प्रभारित किया गया है जिसे एमओएफ के दिशानिर्देशों सहित सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 61 खातों में से वर्तमान में केवल 24 खाते उनकी लेखा बहियों में हैं तथा शेष 37 खातों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

प्रबंधन का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि निश्चित दर/ फार्मूले के आधार पर प्रीमियम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के कीमत निर्धारण के लिए एमओएफ द्वारा जारी दिशानिर्देश (जुलाई 2012/ सितम्बर 2012) अंडरराइटिंग पद्धति का प्रावधान करते हैं तथा यह अनुवेष्टित करते हैं कि ये दिशानिर्देश अनिवार्य हैं तथा कंपनी को कोई विवेकाधिकार नहीं दिए हैं। इसके अलावा कंपनी का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है

<sup>50</sup> भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन (एमओएसपीआई) के उपभोक्ता कीमत सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार



कि एमओएफ के दिशानिर्देशों का संज्ञान करते हुए कंपनी ने अपनी स्वास्थ्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार प्रीमियम लिया है, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई सभी 61 जीएचआईपी में कंपनी ने अपनी स्वास्थ्य अंडरराइटिंग पॉलिसी का उल्लंघन करके प्रीमियम प्रभारित किया है। वास्तव में यदि प्रबंधन व्यय को भी शामिल किया गया होता, तो हानि का आंकड़ा अधिक होता। इसके अलावा, प्रबंधन का यह उत्तर, तर्कसंगत नहीं है कि जीएचआईपी की अंडरराइटिंग के समय समान स्रोत से दूसरे प्रीमियम को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संकेतिक मामले स्टैडअलोन मामले थे जिसमें कंपनी द्वारा केवल स्वास्थ्य खंड के प्रीमियम को एकत्र किया गया था। प्रबंधन का प्रस्तुतीकरण कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 61 मामलों में से 37 खातों का कंपनी द्वारा नवीनीकरण नहीं किया गया है, लेखापरीक्षा तर्क के अनुरूप व मान्य है।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड

#### 5.10 आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा फैक्ट्रिंग और ऋण सेवाएं

##### 5.10.1 प्रस्तावना

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एनबीएफसी-फैक्टर्स के रूप में पंजीकृत है और मुख्य रूप से फैक्ट्रिंग<sup>51</sup> और अल्पावधि कॉर्पोरेट ऋण के कार्य में संलग्न है। यह आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

फैक्ट्रिंग किसी व्यवसायिक संस्था के परिचालन को निरंतर वित्त पोषित करने के लिए तत्काल नगदी प्रदान करने की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक व्यवसायिक संस्था (ग्राहक) किसी तीसरे पक्ष, जिसे फैक्टर कहा जाता है, को सहमत रियायत दर और फैक्ट्रिंग सेवा शुल्क पर अपने लेखा प्राप्य (देनदार) नियुक्त करता है। एक प्राप्यों सहित संव्यवहार के संबंध में कार्यशील पूंजी वित्त की आवश्यकता वाले सत्व फैक्ट्रिंग का लाभ उठा सकते हैं।

एक फैक्ट्रिंग व्यवस्था में आमतौर पर तीन पक्ष शामिल होते हैं:-


- ग्राहक, जो मूल रूप से लेखों की प्राप्यों का हकदार है और उसे तत्काल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है;

<sup>51</sup> फैक्टरी विनियम अधिनियम, 2011 के अनुसार, फैक्ट्रिंग कारोबार को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि "एसे प्राप्यों और वित्तपोषित के समनुदेशन को स्वीकार करके समनुदेशक के प्राप्यों के अधिग्रहण का व्यवसाय चाहे ऋणों या अग्रिमों से उपार्जित धन के माध्यम से या किसी भी प्राप्यों पर प्रतिभूति ब्याज के प्रति किसी भी अन्य माध्यम से

- ऋणी, जो ग्राहक ऐसे लेखों प्राप्तियों के लिए के प्रति आभारी होता है; तथा
- फैक्टर, जो ग्राहक के लिए प्राप्त लेखों को ऋणमुक्त करने के लिए सहमत होता है।

### चार्ट संख्या 5.10.1

#### फैक्टरिंग तंत्र



### 5.10.2 भारत में अन्य फैक्टरिंग कंपनियों की तुलना में कंपनी का वित्तीय निष्पादन


#### उपयोग में निधि

उपयोग में निधि (एफआईयू) ग्राहक द्वारा कुल स्वीकृत शीमा में से उपयोग की जाने वाली सुविधा की रकम है। इसमें मूलधन एवं ब्याज दोनों शामिल हैं। कंपनी की आईटी प्रणाली<sup>52</sup> में, महीने के अंत में (बैंक की तरह) ब्याज लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने आईएफएल के निष्पादन की तुलना करने के लिए दो सरकारी स्वामित्व वाले/ नियंत्रण वाले सत्वों अर्थात् एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड और कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड और एक निजी सत्व अर्थात् इंडिया फैक्टरिंग एंड फाइनेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया और इन कंपनियों में एफआईयू की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

<sup>52</sup> जिसका नाम आईएफएल ट्रेड फ्री सिस्टम है

## चार्ट संख्या 5.10.2




आंकड़ों के स्रोत: संबंधित कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कंपनी का एफआईयू घटा है। कैन बैंक का एफआईयू भी 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान कम हुआ परंतु 2018-19 में इसमें वृद्धि हुई, जबकि एसबीआई ग्लोबल का एफआईयू 2018-19 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में बढ़ा है। 2015-16 में इंडिया फैक्ट्रिंग (प्राइवेट कंपनी) का एफआईयू घट गया परंतु 2018-19 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई।

यह देखा गया कि कंपनी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता पिछले पांच वर्षों में खराब हो गई है क्योंकि सकल एनपीए अनुपात में 2018-19 में मामूली कमी के साथ चार वर्ष तक लगातार वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, कैन बैंक के मामले में, सकल एनपीए अनुपात 2018-19 में कमी के साथ चार वर्ष तक लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, एसबीआई ग्लोबल के सकल एनपीए अनुपात में 2018-19 को समाप्त पिछले पांच वर्ष के दौरान लगातार गिरावट हुई। इंडिया फैक्ट्रिंग में 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान सकल एनपीए अनुपात में कमी हुई परंतु 2017-18 और 2018-19 में वृद्धि हुई जैसा नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

## चार्ट संख्या 5.10.3

**5.10.3 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, उद्देश्य एवं मानदंड**

लेखापरीक्षा ने कंपनी के मुख्य कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय (दिल्ली) और दो क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों (चैन्नई एवं कोलकाता) के पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15 से 2018-19 तक के अभिलेखों का निरीक्षण किया, जिसमें फैक्ट्रिंग और ऋण सेवाओं की संस्वीकृति एवं संवितरणों के मामले, गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और बड़े खाते के मामले निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ संवीक्षित किए गए थे:

- कंपनी की वार्षिक क्रेडिट नीति और कारोबार योजना के अनुपालन की जांच करना,
- क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र की समीक्षा और यह जांच करना कि क्या ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण में यथोचित प्रयास किया गया है, और
- क्रेडिट मॉनिटरिंग तंत्र की दक्षता की जांच करना।

लेखापरीक्षा मानदंड में कंपनी की कारोबार योजना, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, कंपनी का आंतरिक जोखिम रेटिंग मॉडल, ग्राहक के साथ किए गए समझौते और एनबीएफसी के संबंध में प्रावधान हेतु आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड शामिल हैं।

**5.10.4 नमूना चयन पद्धति**

लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान फैक्ट्रिंग और ऋण सेवाओं की संस्वीकृति एवं संवितरण के मामले, 2014-15 से 2018-19 के दौरान बड़े खाते के मामले और एनपीए मामलों (31 मार्च 2019 तक) की समीक्षा की। नमूना चयन, जैसा तालिका

में दर्शाया गया है, एमएस एक्सेल का उपयोग करते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर किया गया है:

तालिका 5.10.1

विवरण	कुल जनसंख्या	चयनित नमूना
संस्वीकृति एवं संवितरण	49	26 (53 प्रतिशत)
एनपीए मामले	44	23 (52 प्रतिशत)
बड़े खाते में डाले गए मामले	21	11 (52 प्रतिशत)
<b>कुल</b>	<b>114</b>	<b>60<sup>53</sup></b>

### 5.10.5 कंपनी की वार्षिक क्रेडिट पॉलिसी और कारोबार योजना का अनुपालन

#### 5.10.5.1 कारोबार योजना

कंपनी आगामी वर्ष के लिए संस्वीकृति, संवितरण, वसूली आदि हेतु लक्ष्यों को निर्दिष्ट करते हुए एक वार्षिक कारोबार योजना तैयार करती है, जिसे फिर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। योजना पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कंपनी के वास्तविक निष्पादन की भी व्याख्या करती है और इसके विभिन्नताओं एवं कारणों पर चर्चा करती है।

#### 5.10.5.2 लक्ष्य और उपलब्धियां

एफआईयू और वसूली के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 5.10.2

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>निधि के उपयोग हेतु लक्ष्य</b>					
लक्ष्य	850	1150	1000	1100	865
उपलब्धि	820	893.76	754.93	705.41	632.95
कमी	(-) 30	(-) 256.24	(-) 245.07	(-)394.59	(-) 232.05
प्रतिशत में भिन्नता	(-)3.53	(-)22.28	(-)24.50	(-)35.87	(-)26.83

<sup>53</sup> कुल 60 मामलों में से, 09 एनपीए/ बड़े खाते के मामले अप्रैल 2014 से पूर्व एनपीए घोषित किए गए और रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए

वसूली लक्ष्य					
लक्ष्य	25	62	30	32	50
उपलब्धि	11.01	58.57	27	41.25	39.11
कमी	(-)13.99	(-)3.43	(-)3	9.25	(-)10.89
प्रतिशता में भिन्नता	(-)55.96	(-)5.53	(-)10	28.90	(-)21.78

जैसा कि उक्त से देखा जा सकता है, कंपनी 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एफआईयू हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। 2014-15 में यह कमी 3.53 प्रतिशत थी, जो बाद में 2015-16 से 2017-18 के दौरान 22.28 प्रतिशत से बढ़कर 35.87 प्रतिशत हो गई और 2018-19 में घटकर 26.83 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के दौरान कंपनी वसूली लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया था, हालांकि, यह भी देखा गया कि एनपीए अधिक<sup>54</sup> होने के बावजूद 2015-16 की तुलना में 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में वसूली के लक्ष्य कम थे।

#### 5.10.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

##### 5.10.6.1 कंपनी की वार्षिक क्रेडिट पॉलिसी का अनुपालन

कंपनी के निदेशक मंडल प्रत्येक वर्ष के लिए क्रेडिट नीति को मंजूरी देते हैं जिसके आधार पर उधारकर्ताओं को सहायता संस्वीकृत की जाती है। सहायता के अनुमोदन से पूर्व, प्रस्ताव की समीक्षा क्रेडिट दल द्वारा की जाती है और इसको अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। ₹5 करोड़ तक के सभी मामलों पर क्रेडिट समिति<sup>55</sup> (सीसी) द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है और ₹5 करोड़ से अधिक को सीसी द्वारा विधिवत अनुशंसित निदेशकों<sup>56</sup> की समिति (सीओडी) के समक्ष रखा जाता है। मूल्य निर्धारण और सुरक्षा (क्रेडिट पॉलिसी 2018-19) से संबंधित परिशोधनों को छोड़कर निदेशकों की समिति द्वारा संस्वीकृति प्रस्तावों में परिशोधनों को अनुमोदित करने के लिए भी क्रेडिट समिति को सशक्त बनाया गया है।

लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान अनुमोदित संस्वीकृति और संवितरण के 49 मामलों में से 26 मामलों की समीक्षा की। अनुमोदित 26 मामलों में से, 20 प्रस्ताव (अनुलग्नक XVIII) अर्थात् 77 प्रतिशत प्रस्ताव, एक से सात भिन्नताओं के साथ

<sup>54</sup> 2014-15 से 2018-19 के दौरान एनपीए क्रमशः ₹219.25 करोड़, ₹319.08 करोड़, ₹353.59 करोड़, ₹381.96 करोड़ और ₹335.51 करोड़ थे।

<sup>55</sup> क्रेडिट समिति (सीसी) में प्रबंधन निदेशक (एमडी), विपणन/ परिचालन/ जोखिम/ ऋण विभागों के प्रमुख और आईएफसीआई का एक नामांकित व्यक्ति शामिल है एमडी सीसी का प्रमुख होता है।

<sup>56</sup> निदेशक समिति (सीओडी) में एमडी सहित आईएफएल के निदेशक मंडल के चार सदस्य शामिल हैं समिति का अध्यक्ष एमडी के अलावा बैठक में मौजूद बोर्ड का कोई भी सदस्य होगा।

अनुमोदित किये गए थे और 10 मामलों में क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार मॉनिटरिंग का अनुपालन नहीं किया गया था। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी (प्रबंध निदेशक/ क्रेडिट समिति/ निदेशक समिति/ निदेशक मंडल) को अंतरों को मंजूरी देने का अधिकार है, परन्तु इसे असाधारण परिस्थितियों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडिट नीति अंतरों की संख्या और अंतर की सीमा के विषय में मौन है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। समीक्षा के लिए चयनित 26 मामलों में से चार<sup>57</sup> मामले एनपीए बन गए थे।

#### 5.10.6.2 एक अयोग्य ग्राहक को निगम ऋण की संस्वीकृति

क्रेडिट नीति के अनुसार क्रेडिट समिति/ निदेशक समिति के समक्ष प्रस्ताव रखने से पहले क्रेडिट जोखिम की रेटिंग की जानी चाहिए। घरेलू बिक्री बिल फैक्टरिंग (डीएसबीएफ)<sup>58</sup>, एक्सपोर्ट बिल फैक्टरिंग (ईबीएफ), रिवर्स फैक्टरिंग<sup>59</sup> (आरएफ) और एडवांस अगेन्सट फ्यूचर रिसीवेबल्स (एएफआर)<sup>60</sup> जैसे विभिन्न फैक्टरिंग ऋणों के लिए आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईएमएसीएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए (दिसम्बर 2014) मॉडल के आधार पर कंपनी अंतिम जोखिम स्कोर प्रदान करती है। उसी मॉडल का उपयोग कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट रेटिंग हेतु किया गया था। आईएफएल, कॉर्पोरेट ऋणों की संस्वीकृति के मामले में अंतिम रेटिंग प्राप्त करने के लिए एएफआर विकल्प का उपयोग करता है। क्रेडिट प्रस्ताव हेतु न्यूनतम अंतिम जोखिम ग्रेड आईएफएल 5 के रूप में संस्वीकृति हेतु पात्रता के लिए निर्धारित किया गया है जो संयमित सुरक्षा का प्रतीक है। जोखिम रेटिंग के मामले में, एएफआर सुविधा के अनुसार ग्राहक रेटिंग की संगणना की जाती है और फिर प्रतिभूति की सुविधा के आधार पर इसे अंतिम रेटिंग तक पहुंचाने के लिए अपग्रेड नॉच अप कर दिया जाता है। सुरक्षा के इस रेटिंग मॉडल प्रावधान को शुरू करते समय (दिसम्बर 2014), एएफआर सुविधा की

<sup>57</sup> वीएनआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रेंड फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जीएचवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नवरंग रोडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड

<sup>58</sup> यह एक क्रेडिट सुविधा है जिसके तहत ग्राहक भारत के भीतर स्थित घरेलू खरीदार को वस्तुओं का चालान निर्मित करता है, कंपनी को चालान प्रदान करता है और तत्काल चालान मूल्य के 80-90 प्रतिशत (या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) तक पूर्व-भुगतान प्राप्त करता है। डीएसबीएफ या तो प्रकटीकरण या मॉन रूप में/ गैर प्रकटीकरण सुविधा प्रस्तुत करता है

<sup>59</sup> यह ग्राहक को प्रदान की जाने वाली एक क्रेडिट सुविधा है, जिसमें ग्राहक द्वारा की गई कच्चे माल आदि की अधिप्राप्ति को आईएफएल द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्तियों हेतु आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान की सुविधा मिलती है। यह सुविधा केवल शीर्ष मूल्यांकित ग्राहकों के लिए अभिप्रेत है और मूर्त संपर्शिक संपत्ति द्वारा समर्थित है एवं इसे आमतौर पर एक स्टैंडअलोन आधार पर प्रदान नहीं किया जाता अर्थात् सामान्यतः बिक्री बिल फैक्टरिंग सुविधा के साथ

<sup>60</sup> क्रेडिट सुविधा/ अग्रिम मासिक/ त्रैमासिक किस्तों में नकद प्रवाह के माध्यम से ग्राहक के लिए पूर्व भुगतान के लिए प्रदान किया जाता है जो ग्राहक के पहचान योग्य भावी प्राप्त्तों से निर्गत होता है निर्दिष्ट निलंब खाते या गोपनीय फैक्टरिंग के तहत भुगतान करने के लिए समनुदेशन सूचना देनदार की पुष्टि की सूचना द्वारा समर्थित है

संस्वीकृति हेतु यह एक आवश्यक पात्रता मानदंड नहीं था। हालांकि वर्ष 2015-16 के बाद से प्रतिभूति के प्रावधान को एएफआर सुविधा की संस्वीकृति हेतु एक आवश्यक पात्रता मानदंड बनाया गया था। कॉर्पोरेट ऋण की संस्वीकृति के मामले में प्रतिभूति का प्रावधान क्रेडिट उत्पाद के रूप में इसके प्रारंभ (जुलाई 2010) के बाद से ही हमेशा से एक आवश्यक पात्रता मानदंड रहा है, संक्षेप में, कंपनी ने कॉर्पोरेट ऋणों की संस्वीकृति हेतु आवश्यक रूप से समर्थक प्रतिभूति प्राप्त करती थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ मामलों में ऋण की संस्वीकृति देते समय (अनुलग्नक XIX) कंपनी ने ग्राहकों की रेटिंग को दो बिंदुओं से अपग्रेड/ नाँच अप किया (सात मामलों में आईएफएल 7 से जो कि 'अपर्याप्त सुरक्षा' को दर्शाता है आईएफएल 5 के लिए जो कि 'मध्य श्रेणी सुरक्षा' को दर्शाता है और एक मामले में आईएफएल 8 जो कि 'जोखिम प्रवृत्त' से आईएफएल 6 जो कि 'अपर्याप्त सुरक्षा को' दर्शाता है)। यह नाँचिंग अप/ अपग्रेड प्रतिभूति की सुविधा (बन्धक समर्थक प्रतिभूति) के आधार पर किया गया यद्यपि संकट कालीन बिक्री मूल्य के आधार पर ऋण की कम से कम दो गुना रकमकी प्रतिभूति कारपोरेट ऋण को संस्वीकृति के लिए एक बुनियादी एवं आवश्यक पात्रता मानदण्ड थी। यहां तक कि, कंपनी की क्रेडिट नीति ने पर्याप्त सुरक्षा कवर प्राप्त किए बिना कॉर्पोरेट ऋण को संस्वीकृति देने का प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार कॉर्पोरेट ऋण की संस्वीकृति की प्रक्रिया में समर्थक प्रतिभूति की सुविधा पर आधारित नाँच अप/ अपग्रेड करना अनुचित था क्योंकि यह न तो क्रेडिट पॉलिसी के प्रावधानों के और न ही जोखिम रेटिंग मॉडल के अनुरूप था।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2019) कि फैक्टरिंग के साथ-साथ फ्यूचर रिसीवेबल्स के प्रति अग्रिम तथा कॉर्पोरेट ऋण के संबंध में वैधता सुनिश्चित करने के लिए आईएमएसीएस की सहायता से जोखिम मॉडल पर पुनः विचार तथा इसे अद्यतित किया जाएगा। इसके अलावा, रेटिंग मॉडल मुख्य रूप से फैक्टरिंग सुविधाओं के लिए बनाया गया है, जहां सुरक्षा अनिवार्य नहीं है। प्रतिभूति के मामले में रेटिंग को नाँच अप करने का जोखिम मॉडल में एक प्रावधान है, चाहे यह घरेलू फैक्टरिंग, एएफआर या कॉर्पोरेट ऋण हो।

प्रबंधन ने आगे बताया (जनवरी 2020) कि डीएसबीएफ पर प्राथमिक फोकस के साथ विभिन्न सरंचनाओं को अधिकृत करने के लिए जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किया गया था। एएफआर और कॉर्पोरेट ऋण के मामले में, मॉडल के विकास के दौरान नाँच अप करने के प्रावधान को समझाया गया और सहमति व्यक्त की गई। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिभूति के सामर्थ्य (एएफआर और सीएल/ टीएल के मामलों में) के आधार पर नाँच अप किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के प्रावधान की प्रणाली में अनुमति दी गई है। अंतरों के साथ संस्वीकृति वाणिज्यिक निर्णय लेने का एक भाग है। सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला ग्राहक एक आदर्श स्थिति होती है। परंतु, आईएफएल



की निधि लागत को ध्यान में रखते हुए, इसे आदर्श ग्राहक और जोखिम कम करने के उचित उपायों के साथ एक विश्वसनीय ग्राहक के बीच एक समझौताकारी समन्वयन कराना होता है। इस प्रक्रिया में, कभी-कभी गलत निर्णय और कभी-कभी किसी विशेष उद्योग/ अर्थव्यवस्था के लिए बाहरी परिवेश के कारण कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं।

प्रबंधन ने आईएमएसीएस की सहायता से कॉर्पोरेट ऋण के उत्पादों पर वैधीकरण हेतु पुनः विचार करना और उद्यतन करना स्वीकार किया। रेटिंग में सुधार के संबंध में प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2015-16 के बाद की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, प्रतिभूति जमा करना एएफआर की संस्वीकृति हेतु एक बुनियादी एवं आवश्यक पात्रता मानदंड था और इसलिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति पर विचार करते हुए रेटिंग में सुधार करना क्रेडिट पॉलिसी के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, पात्रता मानदंड को परिवर्तित कर ऋण की संस्वीकृति देना कंपनी के वित्तीय हित से समझौता किए बिना सचेत व्यापार निर्णय हो सकता है परंतु क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए और इस कारण से प्रस्तुत की गई प्रतिभूति पर विचार करते हुए रेटिंग को अपग्रेड करना उचित नहीं था।

26 नमूना मामलों की समीक्षा से पता चला कि ऋण की संस्वीकृति हेतु मानदंड परिवर्तित किए गए/ छूट दी गई और समय पर इनकी निगरानी नहीं की गई। पात्रता मानदंड से छूट/ अंतर, खराब निगरानी एवं परिचालन के कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(i) मैसर्स वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीएनआरआईएल)**

कंपनी ने मैसर्स वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीएनआरआईएल-ग्राहक) को ₹18 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2014) जिसे तेलगांवा में भूमि के दो खंडों के बराबर गिरवी भूमि और दो प्रमोटरों/ निदेशक की निष्पादन गारंटी (पीजी) के द्वारा सुरक्षित किया गया था। यह ऋण आठ समान तिमाही किश्तों (30 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2018) में चुकाना था। ग्राहक ने केवल जनवरी 2015 से अगस्त 2015 की अवधि के ब्याज का भुगतान किया और सभी मूलधन किश्तों की वापसी में चूक हुई। मार्च 2016 में खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया ₹33.85 करोड़ (₹18 करोड़ का मूलधन बकाया और ₹15.85 करोड़ का ब्याज) था। कम्पनी ने एनआई एक्ट की सैक्शन 138 से 141 के अन्तर्गत एक शिकायत दर्ज की (फरवरी 2016)। ग्राहक के लिक्विडेशन की प्रक्रिया एनसीएलटी हैदराबाद में चल रही थी जिसमें कम्पनी के दावे को अनतिम रूप ही स्वीकार किया गया (नवम्बर 2017)। आईएफसीआई मूल कम्पनी ने ग्राहक के खिलाफ सीबीआई के सम्मुख शिकायत दर्ज की है जिसमें कम्पनी का दावा भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग सीएआरई ए-3<sup>61</sup> थी जो सीआरआईएसआईएल पी2<sup>62</sup> की निर्धारित क्रेडिट रेटिंग से कम थी। क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, संस्वीकृति के लिए पात्र होने के प्रस्ताव हेतु न्यूनतम अंतिम जोखिम ग्रेड आईएफएल 5 (मध्य श्रेणी सुरक्षा) के रूप में निर्धारित किया गया है। तत्कालिक मामले में ग्राहक की रेटिंग एलसी07 थी (यह आईएफएल 7 के समान है और अपर्याप्त सुरक्षा को इंगित करता है) जिसे समर्थक प्रतिभूति गिरवी रखने के आधार पर आईएफएल 5 (मध्य श्रेणी सुरक्षा) के लिए दो रेटिंग ग्रेडों द्वारा अपग्रेड किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि दो गुना सुरक्षा कवर प्रदान करने वाली संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता कॉर्पोरेट ऋण हेतु पात्र होने के प्रस्ताव के लिए मूल एवं आवश्यक पात्रता मानदंडों में से एक थी।

प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (जनवरी 2015) के अनुसार, दो समर्थक संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) ₹52.92 करोड़ (क्रमशः ₹33.77 करोड़ और ₹19.15 करोड़) था जिसे क्रमशः ₹2,750 और ₹2,500 करोड़ के प्रति वर्ग गज मूल्य को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। संकट बिक्री मूल्य (डीएसवी) को ₹38.23 करोड़ माना गया था। कंपनी द्वारा इस मूल्यांकन को इस तथ्य के बावजूद स्वीकार किया कि इन संपत्तियों की भूमि का सरकारी मूल्य केवल ₹300/ प्रति वर्ग गज था। तदनुसार ₹38.23 करोड़ के संकट बिक्री मूल्य के प्रति सरकारी दर को ध्यान में रखते हुए गिरवी रखी गई संपत्ति का कुल मूल्य ₹5.97 करोड़ था।

चूक के मद्देनजर, कंपनी ने एसएआरएफआईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई शुरू की (अगस्त 2016)। कंपनी द्वारा एक नया मूल्यांकन किया गया (मार्च 2017) और उचित बाजार मूल्य का निर्धारण ₹21.08 करोड़ और संकट बिक्री मूल्य का निर्धारण ₹18.02 करोड़ के रूप में किया गया था। इस प्रकार, नया मूल्यांकन संस्वीकृति के समय के मूल्यांकन से क्रमशः 60.16 प्रतिशत तथा 52.86 प्रतिशत कम था। बकाया राशि की वसूली के लिए दोनों संपत्तियों को अक्टूबर 2017 और मार्च 2019 में दो बार बिक्री के लिए रखा गया था। हालांकि, आरक्षित मूल्य में कटौती होने के बावजूद गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी सफल नहीं हुई और इस प्रकार कंपनी अपनी ₹33.85 करोड़ की बकाया राशि की वसूली को प्रबंधित नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2019) कि संस्वीकृति के समय ग्राहक की दीर्घकालिक ऋण रेटिंग 'बीबीबी+' थी, जो निवेश योग्य ग्रेड है। एएफआर के मामले में मूर्त प्रतिभूति हेतु

<sup>61</sup> इस रेटिंग वाले दस्तावेज को वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के संबंध में सुरक्षा की मध्यम डिग्री माना जाता है

<sup>62</sup> इस रेटिंग वाले दस्तावेजों को वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के संबंध में सुरक्षा की मजबूत डिग्री माना जाता है। इस प्रकार के दस्तावेज कम ऋण जोखिम रखते हैं

नांच अप रेटिंग दिया जाता है और इसी प्रकार कॉर्पोरेट ऋण के लिए मूर्त प्रतिभूति के लिए समान तरीके से नांच अप किया जाता है।

प्रबंधन ने आगे बताया (जनवरी 2020) कि प्रचलित क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निर्धारित रेटिंग सीआरआईएसआईएल के बराबर न्यूनतम बीबीबी और पी3 (लघु अवधि) थी। तदनुसार कोई अंतर नहीं था क्योंकि ग्राहक की दीर्घकालिक/ अल्पकालिक रेटिंग 'बीबीबी+' / ए3' थी। आईएफएल का रेटिंग मॉडल विवेकपूर्णता स्वरूप में रूढ़िवादी है और इसलिए यह अनेक अन्य समान स्वीकृतियों में समर्थक प्रतिभूति के साथ यह रेटिंग अपग्रेड की एक सामान्य घटना है। आईएफएल पूरी तरह से मूल्यकार की रिपोर्ट पर निर्भर करता है क्योंकि इसके पास मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है और संपूर्ण मूल्यांकन कार्य एपीआईटीसीओ (आईएफसीआई सूची में सम्मिलित मूल्य निर्धारणकर्ता) द्वारा किया गया था। आईएफएल ने बड़े कड़े तरीके से मैसर्स एपीआईटीसीओ के साथ मूल्य निवर्तन के मामले को उठाया था और आईएफसीआई लि. द्वारा इसे ब्लैक लिस्ट किया है और इसे पैनल से हटा दिया गया था। आईएफएल अभी भी, एसएआरएफआईएसआई के माध्यम से वसूली हेतु अचल संपत्ति क्षेत्र में बाजार की धारणा में कुछ बढ़त के साथ निकट भविष्य में अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आशावादी है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना भी है, जिसमें हमारी एक गिरवी भूमि को कवर करते हुए भूमि खंड का अधिग्रहण भी किया जा रहा है जो प्रक्रिया में है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी (2014-15) में पी2 की न्यूनतम लघु क्रेडिट रेटिंग निर्धारित की गई थी और पी3 की नहीं जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया गया था। कॉर्पोरेट ऋण की संस्वीकृति हेतु मूर्त प्रतिभूति सुरक्षा के आधार पर नाँच अप करना अनुचित था क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मूर्त प्रतिभूति कॉर्पोरेट ऋण हेतु पात्र होने के प्रस्ताव के लिए पूर्व-अपेक्षित है। कंपनी को भूमि की सरकारी दर और मूल्य निर्धारणकर्ता द्वारा मानी गई दर के बीच अधिक अंतर पर विचार करना चाहिए था और क्रेडिट मूल्यांकन के समय मूल्य निर्धारणकर्ता द्वारा परामर्शित उच्च दर को स्वीकार करने का उचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था।

#### (ii) मैसर्स ट्रेड फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने प्राप्यों की प्रतिभूति, दो निदेशको की पीजी तथा एक देनदार अर्थात् वरिष्ठ एजेंसिज प्राइवेट लिमिटेड (देनदार) द्वारा समनुदंशन सूचना (एनओए) पर एक व्यापारी अर्थात् मैसर्स ट्रेड फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड (ग्राहक) को ₹1 करोड़ की घरेलू बिक्री बिल फैक्ट्रिंग (डीएसबीएफ) सुविधा की संस्वीकृति दी थी (दिसम्बर 2017), कंपनी ने वर्ष 2014-15 हेतु ऋणी के वित्तीय विवरणों के आधार पर देनदार के लिए क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित विभिन्न मानदंडों (न्यूनतम निवल मूल्य, निवल बिक्री, पिछले दो वर्षों के लिए

लाभ अर्जन, क्रेडिट रेटिंग आदि) का मूल्यांकन (दिसम्बर 2017) और निर्धारण किया। ऋणी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता क्योंकि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार आवश्यक ₹2 करोड़ की निवल संपत्ति और ₹25 करोड़ के राजस्व के प्रति इनकी निवल संपत्ति ₹1.82 करोड़ और निवल राजस्व ₹6 करोड़ था। इसके अलावा, ऋणी भी एक अनरेटिड ट्रेडर था और न्यूनतम बीबीबी और न्यूनतम ए2 की लघु अवधि रेटिंग की सीआरआईएसआईएल के समकक्ष निवेश क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता के प्रति रेटिंग उपलब्ध नहीं थी। ग्राहक की पूर्वभुगतान सीमा ₹0.50 करोड़ तक सीमित थी। ग्राहक ने दिसम्बर 2018 तक विलंब से आंशिक भुगतान किया। आईएफएल ने अतिदेय बिलों के प्रति भुगतान न करने के लिए ग्राहक द्वारा दिए गए सामान्य कारणों (जीएसटी से संबंधित मुद्दे और अन्य उद्योग संबंधी कारण) को स्वीकार करते हुए अतिदेय चालान को आईएफएल कर दिया। (दिसम्बर 2018)। रिअसाइन<sup>63</sup> किए जाने के बावजूद बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई और अंत में 30 जून 2019 को खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 31 मार्च 2019 तक बकाया राशि ₹48.08 लाख (मूलधन ₹45.55 लाख और ब्याज ₹2.53 लाख) थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले दो वर्षों अर्थात् 2015-16 और 2016-17 हेतु नवीनतम वित्तीय विवरणों पर जोर देने के बजाय 2014-15 के वित्तों के आधार पर क्रेडिट मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, बिना रेटिंग वाले ऋणी के मामले में मूर्त प्रतिभूति आवश्यक होती है जो प्राप्त नहीं हुई थी। ग्राहक की क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट (एफएसआर) (1 नवम्बर 2017) में अनेक प्रतिकूल टिप्पणियों<sup>64</sup> के बावजूद सुविधा को संस्वीकृत/ संवितरित किया गया। एफएसआर में, ऋणी को 4 का रेटिंग स्कोर दिया गया था। और यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि जहां स्कोर 3 से ऊपर है वहां देनदारों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। कंपनी ने अपने जोखिम विभाग द्वारा उच्च एकाग्रता जोखिम और 0.75 के ग्राहक के कम ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) को दर्शाते हुए देनदार (कुल बिक्री का 57.7 प्रतिशत होने के कारण) के लिए बिक्रीयों पर ग्राहक की महत्वपूर्ण निर्भरता से संबंधित चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा, कंपनी ने ऋणी के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय (वित्तीय वर्ष

<sup>63</sup> जब ग्राहक/ देनदार से फैक्टर किए गए चालानों के प्रति भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो ग्राहक पहले से ही फैक्टर किए गए पुराने चालानों के प्रति चालानों का नया/ नवीनतम तैयार सेट प्रदान करता है। इसके कारण नए सिरे से फैक्टरिंग नहीं हो पाती परंतु पुराने चालान के भुगतान की नियत तिथि को बदल देता है और इसे चालान के पुनः समनुदेशन के रूप में जाना जाता है

<sup>64</sup> ग्राहक और देनदार के बीच कोई निर्धारित क्रेडिट शर्त नहीं है, ग्राहक द्वारा प्रदान की गई देनदारों की अवधि, खरीददार के खाता बही के साथ मेल नहीं खाती थी और अवधि और खाता बही शेष के अनुसार भारी भिन्नता थी। अधिप्राप्ति आदेश, चालान प्रति विस्तृत ट्रायल संतुलन, शीर्ष आपूर्तिकर्ता खाता बही और संबंधित विवरण सर्वेक्षणकर्ता को प्रदान नहीं किए गए थे

2015-16 और 2016-17) विवरण और इसके जोखिम विभाग द्वारा सख्ती से परामर्शित अनुसार, संवितरण से पहले कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) को उसको दाखिल करने की स्थिति प्राप्त नहीं की थी। एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण करने से बचने के लिए तथा बिक्री बही खाता/ वित्तीय विवरणों की स्थिति अच्छी बनाए रखना बीजकों को पुनः निर्धारण का अभीष्ट था।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2019) कि 2014-15 हेतु वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध थे, इसलिए उपलब्ध वित्तीय विवरण विश्लेषण हेतु विचाराधीन थे। देनदार के बिना रेटिंग होने वाले सहित सभी अंतर सीसी द्वारा अनमोदित किए गए। बीजकों को पुनः निर्धारित किया गया था क्योंकि आने वाले दिनों में शेष भुगतान प्रत्याशित था और प्रमोटर के स्वास्थ्य मुद्दों के कारण बीजक के नए सेट के प्रति सुविधा की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन ने आगे बताया (7 जनवरी 2020) कि क्रेडिट पॉलिसी में ही अंतरों की अनुमति एवं उल्लेख किया गया है। इस सुविधा को ग्राहक और देनदार के मध्य लंबे समय से व्यापार सहयोगिता को देखते हुए और देनदार के पश्य दिनांकित चेक (पीडीसी के) द्वारा समर्थित संव्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए संस्वीकृति दी गई थी। एफएसआर में उल्लिखित अनुसार देनदार वशिष्ठ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को 4 का स्कोर देना मानक प्रथाओं से भिन्नता का एक प्रतिबिंब है, परंतु इसका तात्पर्य ग्राहक देनदार संबंध के विषय में नकारात्मक नहीं है। स्वीकार्य 3 के स्कोर के प्रति 4 का कम स्कोर ग्राहक एवं देनदार के बीच विशिष्ट व्यापार का परिणाम था। प्रमोटर का स्वास्थ्य खराब होने पर ही बाते गलत दिशा में चली गई, जो मस्तिक में रक्त स्राव होने के बाद विकलांगता के साथ समाप्त हुई।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में बताया गया है कि “प्रस्ताव की बैंक योग्यता का निर्धारण करने के लिए क्रेडिट प्रस्ताव क्रेडिट पॉलिसी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। वह प्रस्ताव जो मानदंडों को पूरा नहीं करते उसे बिना किसी विलंब के विनिर्दिष्ट कारण बताते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा”। आईएफएल के निदेशक मंडल की बैठक (30 अप्रैल 2015) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कंपनी ने अपने पूर्व अनुभव से यह सीखा कि विशुद्ध रूप से ट्रेडिंग कंपनियों को संस्वीकृत फैक्ट्रिंग सुविधाओं के मामले में बड़ी समस्याएं देखी गई हैं। इस सीख के बावजूद, सुविधा को संस्वीकृति दी गई थी हालांकि ग्राहक और देनदार दोनों ट्रेडिंग कंपनियाँ थीं। क्रेडिट मूल्यांकन के समय देनदार की वर्तमान वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए देनदार जो कंपनी को भुगतान करता है, की पिछले दो वर्षों की वित्तीय स्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए। देनदार से पश्य दिनांकित चेक प्राप्त करना, उस पॉलिसी के मद्देनजर एक वैध और सुरक्षित वसूली-अधिकार नहीं था, जिसमें जहां देनदार बिना रेटिंग वाला है मूर्त प्रतिभूति लेना निर्धारित किया गया था। क्षेत्र सर्वेक्षण एक सूचीबद्ध बाहरी एजेंसी द्वारा

किया गया था जिसने स्पष्ट रूप से देनदार को अस्वीकृत करने को कहा था, जिसे अंततः अनुमोदित किया गया था। पुनः निर्धारण अनुचित था क्योंकि इसके लिए कोई विशेष कारण बताए बिना इसे भुगतान की देय तिथि से लगभग पाँच महीने के अंतराल के बाद किया गया था।

### 5.10.6.3 क्रेडिट निगरानी तंत्र की दक्षता जांच

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रक्रिया की परिकल्पना करती है जिसमें क्षेत्र लेखापरीक्षा का अति महत्वपूर्ण उपयोग, देनदार के साथ आवधिक बातचीत के माध्यम से बीजकों और देनदारों के खाते शेष की जांच, ग्राहकों के साथ-साथ देनदारों (वर्ष में कम से कम एक बार) के लिए अनिर्धारित/ निर्धारित दौरा और ₹10 करोड़ या उससे अधिक की संस्वीकृति सीमा के मामले में प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार ग्राहक का दौरा करना, आवधिक समनुदेशन/ निलंब संपत्ति स्वीकृति पत्र का नोटिस आदि शामिल है।

लेखापरीक्षा ने 25 मामलों (17 एनपीए और 8 बड़े खाते में डाले गए मामले) की समीक्षा की और ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जिसमें क्षेत्र लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए खातों की निगरानी के संबंध में क्रेडिट पॉलिसी का अनुपालन, ग्राहकों और देनदारों का अनिर्धारित/ निर्धारित दौरा, देनदारों की वार्षिक समीक्षा, आदि दर्शाया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप 21 मामलों में (*अनुलग्नक XX*) में इन खातों को एनपीए/ बड़ा खाते में बदल दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट कुछ मुद्दों पर नीचे विस्तृत चर्चा की गई है:

#### (i) डेबिट नोट फंडिंग

ग्राहक से प्राप्त बीजकों की प्रति पर निधियों के संवितरण हेतु कंपनी द्वारा स्थापित आईटी प्रणाली तब तक निधियों के संवितरण की अनुमति दी जाती है जब तक कि बीजक वसूली-अधिकार<sup>65</sup> के अंतर्गत नहीं आते (भुगतान की नियत तिथि के 30 दिन के बाद) और/ या ग्राहक ने संस्वीकृत पूर्ण पूर्वभुगतान सीमा का लाभ नहीं लिया है। जब पहले से फैक्टर किए गए बीजक वसूली-अधिकार में लिए जाते हैं या ग्राहक पूर्ण पूर्व-भुगतान सीमा का उपयोग करते हैं, तो एमडी के विशेष अनुमोदन के बिना आईटी प्रणाली के माध्यम से चालान के प्रति कोई भी फैक्टरिंग/ संवितरण नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने सक्षम प्राधिकारी (एमडी) की मंजूरी के साथ डेबिट नोट फंडिंग के माध्यम से बीजकों के वसूली अधिकार में रहने के बावजूद, ग्राहकों को फंड देना जारी रखा। डेबिट नोट फंडिंग की इस प्रक्रिया में, ग्राहक पहले कंपनी को अतिदेय

<sup>65</sup> एक डीएसबीएफ सुविधा में, यदि एक भुगतान देनदारों से निर्धारित अवधि (नियत तिथि से 30 दिन) के भीतर नहीं किया जाता है, तो देनदार के बजाय आगे की वसूली की कार्रवाई ग्राहक को हस्तांतरित की जाती है और कहा जाता है कि चालान वसूली अधिकार में चला गया

बीजकों के लिए आंशिक भुगतान करता है और आगामी वित्तपोषण के लिए नए बीजकों भी जमा करता है। ग्राहक से प्राप्त इस भुगतान को ग्राहक से प्राप्त राशि से एक निश्चित *प्रतिशत* की कटौती के बाद छोटी अवधि (0 से 6 दिन) में ग्राहक को वापिस किया जाता है। इस प्रकार, यह प्रक्रिया पुराने अतिदेय/ पुनः प्राप्त बीजकों को समाप्त करने/ निपटान करके नए प्राप्त किए गए बीजकों के प्रति वित्त पोषण की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया से ग्राहक और कंपनी के बीच धन का रोटेशन होता है और इसके परिणामस्वरूप खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने में विलम्ब होता है कम्पनी सामान्यतया किसी लेखा के एनपीए घोषित हो जाने के बाद ही कानूनी कदम उठाती है। चूंकि एनपीए की पहचान करने में देरी होती है जिसके कारण कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने में विलंब होता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आईएफएल ने 13 मामलों (*अनुलग्नक XXI*) में डेबिट नोट के परिचालन के माध्यम से वित्तपोषण का सहारा लिया।

#### (ii) एनपीए वर्गीकरण में आरबीआई दिशानिर्देशों का अननुपालन

एक एनबीएफसी-फैक्टर के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, फैक्टरिंग के तहत अधिग्रहित प्राप्यों जिसका नियत तिथि के छः महीने के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, को एनपीए माना जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई परिपत्र में निर्धारित किया गया है कि "उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कटौती के कारण वसूली के संभावित जोखिम हैं और अन्य कारक जैसे उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी संभव है वहां ऐसे खातों को यथा उपयुक्त सीधे संदिग्ध परिसंपत्तियों या क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, बिना उस अवधि को विचार किए जिसके लिए यह एनपीए था"।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने 16 मामलों (*अनुलग्नक XXII*) में खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जहां अतिदेय छः महीने से अधिक था। इसके अतिरिक्त, यह प्रमाणित होने (जुलाई 2019) कि ग्राहक द्वारा धोखाधड़ी की गई थी, के बाद भी मैसर्स नवरंग रोडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया कि वह लेखांकन अवधि (त्रैमासिक) के अंत में एनपीए के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। हालांकि, आरबीआई की सलाह के अनुसार, कंपनी अब उस तिथि पर खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर रही है जब वह 180 दिन पूर्ण करता है, परंतु यदि खाता पुस्तकों के बंद होने से पहले उसको नियमित कर दिया जाता है, तो खाते को मानक परिसंपत्ति माना जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनबीएफसी फैक्टर के लिए आरबीआई मास्टर निर्देशों (सितम्बर 2016 यथा समय समय पर अद्यतित) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

फैक्टरिंग के तहत अधिग्रहित प्राप्य जिनका नियत तिथि के छः महीने के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, को एनपीए माना जाएगा; और एक बार किसी खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो ब्याज या मूलधन, जो भी बाद में हो, का प्रथम भुगतान शुरू होने के एक वर्ष की अवधि के बाद ही इसे मानक माना जा सकता है।

#### 5.10.6.4 धोखाधड़ी के मामलों के परिणामस्वरूप हानि/ संदिग्ध वसूली

51 नमूना मामलों में से (नौ मामलों को छोड़कर, जहां सुविधा को मार्च 2014 से पूर्व एनपीए घोषित किया गया था), चार मामलों में कंपनी ने ग्राहक/ देनदार द्वारा की गई धोखाधड़ी की सूचना दी, जिससे कंपनी को ₹50.33<sup>66</sup> करोड़ की हानि (संदिग्ध वसूली) वहन करनी पड़ी। कंपनी की ओर से बड़ी चूकों जिनके परिणामस्वरूप निम्नलिखित धोखाधड़ी हुई हैं निम्नलिखित हैं:-

- उस ग्राहक को ऋण सुविधा की संस्वीकृति देना जो पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता जैसा कि ग्राहक और देनदार के लिए क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित किया गया था।
- नए देनदार को संस्वीकृति देने और शामिल करते समय उचित सावधानी का अभाव।
- क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाते की निगरानी न करना।
- बीजकों के पुनः समनुदेशन एवं डेबिट नोट फंडिंग द्वारा खाते को एनपीए घोषित करने में देरी।
- संस्वीकृति पत्र, संवितरण शर्त और महत्वपूर्ण पूर्व संवितरण शर्त में छूट के अनुसार संस्वीकृति की शर्तों का अननुपालन।

तीन मामलों जहां प्रबंधन की ओर से बड़ी कमी देखी गई ग्राहक जिसके कारण धोखाधड़ी कर पाए की नीचे चर्चा की गई है और इस प्रकार के एक मामले को *अनुलग्नक XXIII* में शामिल किया गया है।

#### (i) मैसर्स लीवे लॉजिस्टिक लिमिटेड

कंपनी ने (जनवरी 2011) ₹5 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा लीवे लॉजिस्टिक्स लि. (एलएलएल-ग्राहक) को संस्वीकृति दी, जिसे पात्रता मानदंड में छूट देते हुए ₹18 करोड़ तक बढ़ाया गया (मई 2013)। 6:1 के अधिकतम टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात के बजाय कुल बकाया देयताएं/ कुल निवल संपत्ति (टीओएल/ टीएनडब्ल्यू) अनुपात 9.33:1 था

<sup>66</sup> (i) मैसर्स नवरंग रोडलाइंस प्रा. लि. - ₹9.11 करोड़ (ii) मैसर्स लेवे लॉजिस्टिक लि. - ₹21.61 करोड़ (iii) मैसर्स कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स - ₹6.73 करोड़ और (iv) मैसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड - ₹12.88 करोड़



न्यूनतम तीन वर्षों की उपस्थिति तथा दो वर्षों से लाभार्जन की अपेक्षा ग्राहक की मौजूदगी केवल एक वर्ष थी। संस्वीकृति पत्र के अनुसार, ऋण की सुपुर्दगी का नोटिस (एनओए), अनुमोदित देनदारों द्वारा विधिवत स्वीकृत एलएलएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह सहमति व्यक्त की गई थी कि एलएलएल द्वारा बनाए गए बीजकों के प्रति सभी भुगतान कंपनी के पक्ष में जाएगा। प्रारंभ में खाते का संचालन संतोषजनक रहा। हालांकि, जब फैक्टर किए गए बीजक निर्धारित क्रेडिट अवधि के अतिरिक्त अदत्त बने रहे और सितम्बर 2016 में खाता एनपीए हो गया, तो ग्राहक और देनदारों को बकाया राशि के भुगतान के लिए अनेक बार संपर्क किया गया था परंतु कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी ने ग्राहक और देनदारों के प्रति दिल्ली पुलिस में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज करके और मध्यस्थता खंड लागू करके कानूनी कार्यवाही की।

जब कंपनी ने बकाया राशि के भुगतान के लिए देनदारों से संपर्क किया, तो सभी देनदारों ने आरोप लगाया कि बकाया बीजक नकली, जाली और निर्मित किए गए थे। देनदारों में से एक अर्थात् मैसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने उत्तर दिया कि मांगे गए सभी बकाया बीजक कभी भी मांगे नहीं गए हैं, बीजकों में उपयोग किए गए टिकटें और हस्ताक्षर का उपयोग उनके द्वारा कभी भी नहीं किया गया था, बिल में दिखाया गया बिलिंग पता उस कार्यालय का था जो 2012 में बंद कर दिया गया था। आगे, एलएलएल ने 30 दिसम्बर 2013 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय का पता बदल दिया है परंतु बीजकों में दिया गया पता 2016 तक कंपनी का पुराना पता था।

वसूली विवरण की संवीक्षा से आगे पता चला कि देनदारों से भुगतान या तो क्रेडिट अवधि के अंतर्गत या जनवरी 2011 से मई 2013 तक विलंब से प्राप्त हुए थे परंतु मई 2013 के बाद अधिकांश भुगतान ग्राहक से प्राप्त हुए जो फैक्टरिंग सुविधा (डीएसबीएफ) में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के विपरीत है और जो दर्शाता है कि या तो देनदार एनओए का उल्लंघन कर सीधे ग्राहक को भुगतान कर रहा था या कंपनी द्वारा जाली चालान बनाए गए थे। यह स्पष्ट है कि बीजकों की यादृच्छिक जांच, देनदारों/ ग्राहकों का व्यक्तिगत दौरा और क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निगरानी नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹21.61 करोड़ (मूलधन ₹12.85 करोड़ + ब्याज ₹8.76 करोड़) की धोखाधड़ी हुई।

प्रबंधन ने बताया (7 जनवरी 2020) कि व्यापार मॉडल, प्रबंधन क्षमता, एलएलएल और देनदारों के मध्य संव्यवहार की सुदृढ़ता को देखते हुए अंतर स्वीकृत किए गए, जो कि 'ए' मूल्यांकन की गई कंपनियों और एमएनसी थी जो लंबे समय से बाजार में प्रतिष्ठापित हैं। चूंकि संबंधित संस्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा क्रेडिट पॉलिसी में अंतरों की अनुमति दी गई थी, अतः यह क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन नहीं था। देनदारों का आवधिक दौरा पॉलिसी में निर्धारित नहीं किया गया था। विचाराधीन ग्राहक के मामले में, चूंकि

निलंब खाते में देनदारों से भुगतान प्राप्त हो रहे थे जैसा निलंब विवरण से देखा गया था, इसलिए देनदारों की आवधिक प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई। अतिदेय स्थिति और खाते में समग्र जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ग्राहक का दौरा नहीं किया जा सका। निलंब विवरण वित्त वर्ष 2016 में देनदारों से नियमित भुगतान को दर्शाता है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि क्रेडिट पॉलिसी में अंतरों की अनुमति असाधारण मामलों में लेनी चाहिए थी परंतु यह नियमित रूप में किया गया था क्योंकि चयनित अधिकांश मामलों में क्रेडिट पॉलिसी के अंतरों को संस्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार देनदारों/ ग्राहकों के आवधिक दौरे करना आवश्यक था। ग्राहकों/ देनदारों का दौरा नहीं करना, फैक्ट्रिंग खाते की निगरानी में कंपनी द्वारा अभावग्रस्त दृष्टिकोण का संकेत देता है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए वसूली विवरण के अनुसार, वर्ष 2016 में अधिकांश<sup>67</sup> भुगतान ग्राहक द्वारा किए गए थे न कि देनदार द्वारा किए गए।

**(ii) मैसर्स नवरंग रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड**

कंपनी ने नवरंग रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल-ग्राहक) को ₹1.5 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा की संस्वीकृति दी (जनवरी 2013) जिसे (नवंबर 2017) बढ़ाकर ₹9 करोड़ कर दिया गया था। संस्वीकृति पत्र के अनुसार, ग्राहक, कंपनी और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच एक निलंब समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यह सहमति हुई थी कि ग्राहक द्वारा अनुमोदित देनदारों या अन्य किसी देनदार को बिक्री से प्राप्त सभी प्राप्य राशि केवल निलंब खाते में जमा की जाएगी तथा कंपनी उक्त निलंब खाते की एकमात्र लाभार्थी थी। इसके अनुपालन में उसमें सभी अनुमोदित देनदारों द्वारा विधिवत स्वीकृत निलंब पत्र ग्राहक द्वारा कंपनी को प्रस्तुत किए गए थे। ग्राहक दिसम्बर 2018 तक फैक्टर किए गए बीजकों के प्रति भुगतान कर रहा था, परंतु उसके बाद जनवरी-मार्च 2019 के दौरान फैक्टर किए हुए ₹9.11 करोड़ के बीजकों के प्रति कोई और भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। जब कंपनी ने लंबित चालानों के भुगतान के संबंध में देनदारों से पूछताछ/ संपर्क किया, तब देनदारों ने बताया कि लंबित बीजक नकली और जाली थे और उनके द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं गए थे। कंपनी ने ग्राहक और उनके निदेशकों के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी की शिकायत दर्ज की (जुलाई 2019)। ग्राहक के खिलाफ एनसीएल में कार्यवाही शुरू की गई थी जिसमें आईएफएल ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था (मार्च 2020)।

<sup>67</sup> 2016 के दौरान कुल 252 चालान जिनमें भुगतान प्राप्त हुआ, देनदारों द्वारा केवल 9 बीजकों का भुगतान किया गया था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹9 करोड़ की ऋण सीमा को बढ़ाते समय ग्राहक की वाह्य रेटिंग उपलब्ध नहीं थी और ग्राहक की आंतरिक रेटिंग आईएफएल 7 थी जो क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार स्वीकार करने योग्य नहीं थी, तथापि आईएफएल 4 की आंतरिक रेटिंग ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग और स्वीकृत देनदारों के आधार पर देदी गई। इसके अतिरिक्त देनदारों की रेटिंग को ग्राहक के साथ उसके वास्तविक कारोबार की उचित जांच किए बिना मान लिया गया था जैसे कि फाइन टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को माना गया था।

यह भी देखा गया कि क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निगरानी का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि दो देनदारों<sup>68</sup> ने मना कर दिया कि उनके द्वारा एनओए/ निलंब संपत्ति खाते पर कभी भी हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, 2014 से 2019 की अवधि के दौरान देनदारों का कोई भी आवधिक दौरा नहीं किया गया और न ही कोई क्षेत्रीय लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। मैसर्स कैरियर एयर कंडिशनिंग और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के अभिलेखों के अनुसार ₹2.94 करोड़ बकाया के संबंध में कंपनी के अनुसार केवल ₹7 लाख ग्राहक के पास बकाया था।

इसके अलावा, कंपनी ने (30 सितम्बर 2019) आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए इस खाते को एनपीए घोषित किया, यद्यपि इसके पास 2 मई 2019 और 17 जून 2019 के देनदारों के उत्तर थे जिसमें उन्होंने बीजक एवं निलंब पत्र की स्वीकार्यता से इनकार कर दिया था।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2019) कि निलंब स्वीकृति पत्र की जांच ई-मेल और मोबाइल के माध्यम से उस व्यक्ति से की गई जिसने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उधारकर्ता और देनदारों के बीच कोई मौन सहमति थी, जिसका विशेष रूप से तब पता लगाना कठिन था जब उधारकर्ता का आईएफसीआई के साथ छः वर्ष से अधिक तक समय पर भुगतान करने का त्रुटिहीन रिकार्ड रहा था। इस धोखाधड़ी से अनुभव प्राप्त करते हुए, आईएफएल ने अपने देनदारों की जांच प्रणाली को और अधिक मजबूत किया। ग्राहक 2013 से कारोबार कर रहा था और कभी भी उसके खाते में कोई गलत प्रविष्टि नहीं देखी गई। देनदारों से फैक्टर किए गए बीजकों का भुगतान समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया जा रहा था। एफसीएल एक आरआईएल समूह की कंपनी होने के कारण उसकी रेटिंग को महत्पूर्ण माना गया क्योंकि आरआईएल के माध्यम से वह एक सबल मूल कंपनी थी। जुलाई 2019 में, यह निर्णायक रूप से प्रमाणित हो गया था कि ग्राहक ने धोखाधड़ी की थी।

<sup>68</sup> (1) मैसर्स टीवीएस लॉजिस्टिक्स सर्विसेज लिमिटेड (देनदारी ₹3.46 करोड़) ने सूचित किया (02 मई 2019) कि जिस व्यक्ति ने निलंब पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है (2) मैसर्स कैरियर एयर कंडिशनिंग रेफ्रिजरेशन लिमिटेड (देनदारी ₹2.94 करोड़) ने सूचित किया (17 जून 2019) कि उनके कार्यालय से किसी ने निलंब खाते पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं लगाई थी

तदनुसार, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण बकाया मूलधन 4 समान तिमाही किशतों में प्रदान किया जा रहा है, जिसमें से पहली (₹2.25 करोड़) सितम्बर 2019 तिमाही में की गई और शेष दिसम्बर 2019, मार्च 2020 और जून 2020 की तिमाहियों में की जाएगी।

प्रबंधन ने आगे बताया (जनवरी 2020) कि इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, आईएफएल ने क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव किए हैं और ग्राहक के पहले संवितरण से पूर्व अपनी कंपनी के आरएम/ क्रेडिट प्रबंधक द्वारा निलंब पत्र की व्यक्तिगत जांच उस व्यक्ति से किया जाना जिसने अपने कार्यालय/ संयंत्र में इस पर हस्ताक्षर किए हैं आवश्यक बना दिया गया है। प्रचलित क्रेडिट पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, निलंब स्वीकृति पत्र की जांच हमेशा उस व्यक्ति से ई-मेल और मोबाइल के माध्यम से की जाती थी जिसने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि भले ही सत्यापन ई-मेल के माध्यम से किया गया हो, निलंब पत्र को स्वीकार करने से पूर्व ई-मेल आईडी की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए थी। यद्यपि, प्रबंधन ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव करने की बात स्वीकार की है, परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, धोखाधड़ी के मामले में आरबीआई के परिपत्र के अनुसार संपूर्ण राशि को सीधे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

### (iii) मैसर्स कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स

कंपनी ने मैसर्स कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स (केईडब्ल्यू-ग्राहक) को ₹5 करोड़ (फरवरी 2013 में ₹7.50 करोड़ तक बढ़ाया गया) की डीएसबीएफ सुविधा की संस्वीकृति (अगस्त 2012) इस तथ्य के बावजूद दी कि ग्राहक ने क्रेडिट पॉलिसी (2012-13) के अनुसार टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात से संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया था। निर्धारित किए गए अधिकतम 4:1 के विपरीत टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात 4.59:1 था। यह सुविधा हरिद्वार और भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के नाम आहरित बीजकों की फैक्ट्रिंग के लिए थी।

दिनांक 30 अगस्त 2012 के संस्वीकृति पत्र के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्रिंग संव्यवहार को निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाना था।

- प्राप्यों के हस्ताक्षरण हेतु नोटिस (एनटीआर)
- खरीद आदेश की प्रति
- ऋणी द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत बीजक की प्रमाणित मूल प्रति।
- लॉरी प्राप्तियों/ सुपुर्दगी चालान/ गेट पास की प्रति

- बीएचईएल अथवा बीएचईएल द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण एवं प्रेषण प्रमाणपत्र
- ऋणी द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत सामग्री रसीद, बीजक की तिथि से 25 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

ग्राहक और बीएचईएल के बीच संव्यवहार का स्वरूप इस प्रकार था कि एक बार अंतिम उत्पाद खरीदार के विनिर्देशों के अनुसार निर्मित होने के बाद, खरीदार के इंजीनियर या खरीददार द्वारा नियुक्त एक तीसरा पक्ष सुपुर्दगी-पूर्व निरीक्षण (पीडीआई) हेतु दौरा करेगा और सुपुर्दगी के लिए माल की निकासी कर दी जाएगी। एक बार निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, ग्राहक अधिकांशः क्रेता के अनुमोदित परिवहक के माध्यम से सड़क द्वारा संबंधित बीजक के साथ ऋणी के निर्धारित स्थान पर माल भेजता है। इससे पहले कि यह सुविधा की शुरुआत हो, कंपनी ने “बीएचईएल द्वारा तीसरे पक्ष या बीएचईएल द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षण और प्रेषण प्रमाण पत्र” की शर्त को माफ कर दिया, इस कारण का उल्लेख करते हुए कि ग्राहक के लिए बीजक के प्रत्येक सेट के साथ निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना संभव नहीं था और ऋणी द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत सामग्री रसीद के साथ इसे संशोधित कर बीजक तिथि के 45 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना तय कर दिया। (ऑनलाइन बीएचईएल पोर्टल की स्नैपशॉट विधिवत साक्ष्य के रूप में फैक्ट्रिंग के लिए प्रदान किए गए बीजक हेतु भुगतान/ सामग्री रसीद प्राप्ति के लिए सामग्री रसीद के रूप में माना जाएगा)।

कंपनी ने संशोधित फैक्ट्रिंग शर्तों का अनुपालन किए बिना ₹6.73 करोड़ की 32 बीजकों (22 अक्टूबर 2013 से 20 जून 2014 तक बीएचईएल भोपाल पर बनाए गए ₹4.09 करोड़ राशि के 20 बीजकों और 1 नवम्बर 2013 से 9 जनवरी 2014 तक बीएचईएल, हरिद्वार पर बनाए गए ₹2.64 करोड़ राशि के 12 बीजकों) का फैक्टर किया। ग्राहक द्वारा प्रस्तुत 20 बीजकों में से, छः बीजकों के प्रति सामग्री को रद्द कर दिया गया था और 12 बीजक बीएचईएल भोपाल द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। यद्यपि दो बीजकों के प्रति भुगतान बीएचईएल द्वारा किया गया बताया गया, परन्तु यह कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार बीएचईएल, हरिद्वार द्वारा बनाए गए 12 बीजक प्राप्त नहीं हुए थे और तदनुसार इन बीजकों के प्रति भुगतान देय नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्वीकृति पत्र की संशोधित शर्तों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ग्राहक को परिहार्य धोखाधड़ी हुई जिसके कारण सितम्बर 2014 में खातों को एनपीए के रूप में घोषित करने से ₹6.73 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 से 141 के अन्तर्गत एक शिकायत दर्ज की थी (अक्टूबर 2015)। कथित धोखाधड़ी व जालसाजी के लिए कम्पनी ने प्रथम घटना रिपोर्ट

दर्ज करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सम्मुख एक मामला दर्ज किया था (अगस्त 2017)। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रबंधन ने टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात के संबंध में पात्रता मानदंडों के अननुपालन की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2020)। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर बीजक के प्रति संवितरण किया गया था। बीएचईएल से बीजकों की प्राप्ति नहीं होना, बीजकों की सामग्री अस्वीकरण आदि के तथ्य बाद में सामने आये जब आईएफएल ने बीएचईएल को भुगतान प्राप्त न होने से संबंधित मामले से अवगत कराया था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के अन्तर्गत देखा जाना चाहिए कि कंपनी ने बीएचईएल, भोपाल और हरिद्वार पर बनाए गए ग्राहक के बीजकों को फैक्टर और वित्तपोषित किया बिना देनदारों की अभिस्वीकृति या आनलइन पोर्टल के स्नैपशॉट के जिससे कि इस बीजकों के भुगतान हेतु देय या इनके प्रति माल की पावती की पुष्टि हो सके जो कि फैक्टरिंग की परिवर्तित शर्त थी।

#### 5.10.6.5 निगरानी और परिचालन में अंतर एवं छूट (एनपीए/ बड़े खाते में डाले गए मामले)

एनपीए/ बड़े खाते के नमूना मामलों की समीक्षा से पता चला कि मानदण्डों में छूट दी गई थी विचलन किया गया था और निगरानी/ परिचालन पॉलिसी के अनुसार नहीं किया गया था। 25 (नमूने) में से, लेखापरीक्षा में 15 मामलों में अंतर देखा गया, जिसमें से पात्रता मानदंड निगरानी और परिचालन से मुख्य छूट/ अंतरों के नौ मामलों की नीचे चर्चा की गई है और शेष छः मामले *अनुलग्नक XXIV* में शामिल किए गए हैं। इन पन्द्रह मामलों में ₹212.31 करोड़ की वसूली संदिग्ध थी।

##### (i) मैसर्स आर्कान एंगिकन प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने मैसर्स आर्कान एंगिकॉन प्राइवेट लिमिटेड (ईपीएल-ग्राहक) को ₹7.50 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा संस्वीकृत की (अप्रैल 2011), जिसे बढ़ाकर ₹17.50 करोड़ तक कर दिया गया (दिसम्बर 2013)। प्रमोटरों के पीजी के साथ-साथ सुविधा हेतु देनदारों द्वारा विधिवत स्वीकृत एनओए तथा पडीसी द्वारा सुविधा को सुरक्षित किया गया था। ग्राहक का खाता मई 2014 से दबाव में था। देनदारों से भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण, कंपनी ने एक देनदार (मैसर्स डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रचर लिमिटेड) से ₹13.01 करोड़ के बीजकों के शेष भुगतान के विषय में पूछताछ की (मार्च 2015), जिसने बताया कि पूरी खेप को रद्द कर दिया गया था और ग्राहक को काफी समय पहले वापस लौटा दिया गया था और कंपनी को इसकी सूचना दे दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभ में भुगतान देनदार (मैसर्स डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रचर लिमिटेड) से प्राप्त हुए थे, परंतु मई

2014 से सितम्बर 2015 के दौरान अधिकांश भुगतान ग्राहक से प्राप्त किए गए थे। हालांकि, देनदारों से सीधे भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारणों को जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ग्राहक या उक्त देनदार (मैसर्स डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रचर लि.) के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय कंपनी ने सुविधा को संशोधित (जून 2015) किया जिसमें सुविधा को ₹17.50 करोड़ से ₹15 करोड़ तक घटा दिया था और इसमें ₹12.50 करोड़ का एफआर (उपसीमा के रूप में) भी शामिल था। उक्त सुविधा के प्रति प्रतिभूति गिरवी भूमि (₹81.48 लाख) और प्रमोटर्स की पीजी थी।

इसके अलावा, एफआर और डीएसबीएफ के प्रति भुगतान एक अन्य अनुमोदित देनदार अर्थात् जीईटीसीओ से नवम्बर 2015 से प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, सुविधा को मार्च 2016 में एनपीए घोषित किया गया था और कंपनी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा 141 के तहत मामला दर्ज किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी यह निर्धारित करती है कि एफआर सुविधा के मामले में प्रतिभूति कवरेज संस्वीकृत सुविधा का 1.5 गुना होना चाहिए और यह अचल संपत्ति या सूचीबद्ध शेयरों को गिरवी रखने के रूप में होना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने केवल ₹81.48 लाख की भूमि की प्रतिभूति को वसूल किया। यदि कंपनी ने ₹12.50 करोड़ की एफआर प्रतिभूति के प्रति निर्धारित सुरक्षा वसूल कर ली होती तो उस प्रतिभूति की बिक्री/ निपटान के माध्यम से बकाया राशि की वसूली की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जीईटीसीओ के ₹31.72 करोड़ के बीजकों के प्रति भुगतान नवम्बर 2015 से अतिदेय है, जो ग्राहक के द्वारा जीईटीसीओ को जारी किए गए पीएओ (मुखतारनामा) के बावजूद है, जिसमें निर्धारित किया गया कि बीजकों के प्रति 80 प्रतिशत का भुगतान कंपनी को किया जाएगा और बाकी 20 प्रतिशत भुगतान ग्राहक को किया जाएगा यदि कंपनी के माध्यम से कोई अनुरोध नहीं भेजा जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने चार वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद 31 मार्च 2019 तक ₹24.88 करोड़ (मूलधन ₹13.12 करोड़ और ब्याज ₹11.76 करोड़) के बकाया देयों की वसूली के लिए जीईटीसीओ के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि ग्राहक और देनदार के यहां आवधिक दौरें, ग्राहक संयंत्र/ कार्यालय दौरा, देनदार के साथ बीजक खाता जांच, आदि के उद्देश्य से किए गए थे। कंपनी, ग्राहक और देनदार दोनों के साथ कार्रवाई कर रही थी। पीएओ की व्यवस्था जीईटीसीओ से एफआर सुविधा हेतु की गई थी और कंपनी के अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से दौरा करके एवं अन्य सूचना के माध्यम से जीईटीसीओ के साथ मामले को उठाया।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि दौरे एवं देनदार के बीजक खाता जांच से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कंपनी ने कभी भी देनदार से भुगतान न मिलने के कारण के विषय में पूछताछ नहीं की। पीओए को समर्थक प्रतिभूति के रूप में नहीं माना जा सकता चूंकि पॉलिसी के लिए मूर्त प्रतिभूति/ सूचीबद्ध शेयर अपेक्षित होते हैं। लेखापरीक्षा को कोई पत्राचार/ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे पता चलता हो कि जीईटीसीओ से बकाया की वसूली करने के प्रयास किए गए थे।

**(ii) मैसर्स एल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड**

कंपनी ने (अगस्त 2010) मैसर्स एल्डर फार्मास्युटिकल लिमिटेड (ईपीएल-ग्राहक) को संतोषजनक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन ₹15 करोड़ (₹15 करोड़ डीएसबीएफ सुविधा और ₹5 करोड़ पीबीएफ) की फैक्ट्रिंग सुविधा संस्वीकृत की। फैक्ट्रिंग सुविधा को प्रतिभूति चेक, निदेशकों के पीजी, एनओए और संव्यवहार समर्थित पीडीसी से सुरक्षित किया जाना था। प्रारंभ में 10 देनदारों को मंजूरी दी गई थी (चार बिना रेटिंग वाले देनदारों सहित)। सितम्बर 2010 में, सुविधा की शर्तों को संशोधित किया गया, जिसमें डीएसबीएफ सुविधा मूक आधार में बदल गई और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा को भी छूट दी गई थी। कंपनी ने नए देनदार मैसर्स काश मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ₹5 करोड़ की अधिकतम ऋण सीमा का अनुमोदन किया (फरवरी 2011) जिसे फरवरी 2012 से सितम्बर 2012 के दौरान ₹15 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। ग्राहक मार्च 2013 के बाद से भुगतान करने में अनियमित हो गया। अप्रैल 2013 में कुल अतिदेय ₹16.48 करोड़ था। कंपनी ने जुलाई 2013 से अगस्त 2016 के दौरान डेबिट नोट फंडिंग के माध्यम से ग्राहक को ये सुविधा प्रदान की। ग्राहक मूक फैक्ट्रिंग को प्रकट डीएसबीएफ सुविधा में परिवर्तित करने के लिए सहमत हो गया (अप्रैल 2013)। कंपनी ने अगस्त 2013 आगे एक वर्ष के लिए में सुविधा का नवीनीकरण किया। 30 सितम्बर 2016 को खाता एनपीए घोषित किया गया। 31 मार्च 2019 को कुल बकाया ₹25.61 करोड़ (मूलधन ₹15.00 करोड़ और ब्याज ₹10.61 करोड़) था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने क्रेडिट पॉलिसी के उल्लंघन में संपार्श्विक मूर्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना पीबीएफ सुविधा को मंजूरी दी थी। इसके अलावा मैसर्स काश मेडिकेयर प्रा. लिमिटेड जो एक अनरेटेड देनदार था (फार्मास्युटिकल्स का वितरक और व्यापारी) को उस क्रेडिट पॉलिसी के उल्लंघन में देनदार के रूप में शामिल किया गया था जिसमें निर्धारित था कि डीएसबीएफ समझौते (मूल आधार) भली भांति अधिकृत ग्राहकों से संबंधित है जहां सरकारी सत्व/ बड़े कॉर्पोरेट ऋणी होने के नाते समनुदेशन नोटिस या निलंब संपत्ति व्यवस्था को अभिस्वीकृत न करें और ऋण का संग्रहण ग्राहक द्वारा सीधे किया जाता है।



इसके अलावा, कंपनी ने उचित निगरानी के बिना ग्राहक के खाते का नवीनीकरण किया यद्यपि ग्राहक का खाता मार्च 2013 से स्ट्रेस में था। अगस्त 2013 में इस खाते की सावधानीपूर्वक निगरानी करने का निर्णय लिया गया और बेहतर संव्यवहार संरचना के साथ जोखिम को कम करने के लिए प्रयास किए गए। हालांकि, कंपनी ने स्ट्रेसड खाते में लेनदारी को कम करने के बजाय इसे डेबिट नोट फंडिंग के माध्यम से जारी रखा।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि तत्कालीन प्रचलित क्रेडिट पॉलिसी में ग्राहक की वित्तीय क्षमता के आधार पर मूक फैक्टरिंग और अनारक्षित देनदारों को अनुमति दी गई; जो काफी अच्छी थी। यह शुद्ध रूप से पर्याप्त जोखिम कम करने के साथ आईएफएल की शीर्षस्थ में सुधार करने के लिए एक करोबार निर्णय था। हमने तब से अपनी पॉलिसी को और अधिक दृढ़ बनाया है और वर्तमान में, हम बीबीबी+रेटिंग से नीचे के देनदारों को स्वीकार नहीं करते। आरएम एवं क्रेडिट विभाग ने पॉलिसी के अनुसार सभी ग्राहक के खातों और इनके देनदारों की आमतौर पर फोन और ईमेल द्वारा नियमित रूप से एवं बारीकी से निगरानी की। कंपनी ने समग्र एफआईयू और लेनदारी को लगातार कम करने के लिए 2013 और 2016 के बीच ग्राहक से उतनी धनराशि वसूलने का प्रयोग किया, जितना व्यावहारिक रूप से संभव था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार डीएसबीएफ और पीबीएफ के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा आवश्यक है और केवल बीजी समर्थित डीएसबीएफ के मामले में छूट दी जा सकती है। यद्यपि प्रबंधन ने अपनी नीति को और अधिक सख्त बना दिया है परंतु तथ्य यह है कि कंपनी ने मैसर्स काश मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय क्षमता से संबंधित मानदंडों के संबंध में अपनी स्वयं की क्रेडिट पॉलिसी का अनुपालन नहीं किया, जिसके कारण ₹25.61 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

### (iii) मैसर्स एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

कंपनी ने मैसर्स एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (ईआईईएल-ग्राहक) को मौन आधार पर ₹7.5 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा संस्वीकृत की (15 फरवरी 2010), जिसे ₹15 करोड़ तक बढ़ाया गया था (जून 2011)। खाता अनियमित (मई 2013) हो गया और बकाया अतिदेय 40-69 दिनों की समयावधि में थे। खाते का संचालन संतोषजनक नहीं होने के बावजूद कंपनी ने आगे 12 महीनों के लिए सुविधा का नवीनीकरण किया (जुलाई 2013)। इसके अलावा कंपनी ने इस तथ्य के बावजूद इस सुविधा को जारी रखा कि ग्राहक की रेटिंग सीएआरई बीबी+/ ए<sup>4</sup> से कम करके सीएआरई डी (इस रेटिंग वाले उपकरण डिफॉल्ट में है या शीघ्र ही डिफॉल्ट होने की संभावना है) हो गई थी (अक्टूबर 2013)।

सुविधा का नवीनीकरण 30 जून 2014 तक किया गया था और मार्च 2016 में खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक डेबिट नोट के परिचालन के माध्यम से दिसम्बर 2012 से जनवरी 2016 तक वित्तपोषण किया गया था। कंपनी ने ₹1.36 करोड़ (31 दिसम्बर 2014) और ₹0.29 करोड़ (28 सितम्बर 2015) की शास्तिक ब्याज को माफ कर दिया। कंपनी ने फरवरी 2016 में पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धाराओं 138 से 141 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज की।

कंपनी ने ईआईईएल द्वारा निर्मित बीजकों के प्रति देय भुगतान (नों) की स्थिति की पुष्टि के लिए मार्च 2016 में एनटीपीसी (स्वीकृत देनदार) (₹13.15 करोड़ के 8 बीजक) और भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड (स्वीकृत देनदार) (बीआरबीसीएल) (₹12.63 करोड़ के 5 बीजक) को पत्र लिखा। इन पत्रों के उत्तर में, एनटीपीसी मौघा और बीआरबीसीएल ने उत्तर दिया कि उल्लिखित बीजकों का निपटान किया गया है और आगे कोई भुगतान नहीं किया जाना है। ग्राहक 8 मई 2018 से कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत है। मार्च 2019 तक कंपनी के दावे का ₹25.47 करोड़ के देयों के प्रति अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा ₹22.58 करोड़ की राशि को स्वीकार किया गया। दिवालीया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही थी (दिसम्बर 2019)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मामले में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा इस आधार पर नहीं की गई कि ईआईईएल एक मौजूदा ग्राहक है जिसके वित्तीय विवरण संतोषजनक थे और जिसका संचालन संतोषजनक था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण टाल दिया गया था, क्योंकि यह आईएफएल के साथ एक मौजूदा संबंध (क्रय बिल बढ़ाकरण) था, जिसका पिछला ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक था। एक स्ट्रेसड अकाउंट खाते के लिए शास्तिक प्रभारों का उद्ग्रहण मुख्य रूप से किसी भी चूक को हतोत्साहित करने और संस्वीकृत निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु होता है और ब्याज की समय पर सर्विसिंग एवं मूलधन की अदायगी सुनिश्चित करते हुए खाता मानक बनाए रखने हेतु शास्तिक ब्याज माफ कर दिया गया था। अनियमित संचालन एवं स्ट्रेस के बावजूद खाते को उबारने की संभावना से खाते को नियमित रखने के लिए नवीनीकरण किया गया। डेबिट नोट के माध्यम से वित्तपोषण एनपीए के रूप में खाते को रिपोर्टिंग में विलंब के लिए नहीं था, बल्कि इसके कठिन समय में कंपनी/ ग्राहक को सहायता प्रदान करने के लिए था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि मौजूदा संबंध क्षेत्रीय सर्वेक्षण की छूट के लिए आधार नहीं हो सकता, वह भी तब जब नई सुविधा (डीएसबीएफ) मौजूदा सुविधा से अलग है। इसके अलावा, चूंकि खाता पहले से ही स्ट्रेसड था और ग्राहक से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था, शास्तिक ब्याज का माफ करना

न्यायोचित नहीं था और माफी के बाद भी खाते को नियमित नहीं किया जा सका। संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार बकाया देयों के भुगतान पर अथवा नियत तिथियों पर ब्याज के भुगतान पर ग्राहक द्वारा चूक होने की स्थिति में, कंपनी को ग्राहक और उसके निदेशकों के नाम चूककर्ता के रूप में आरबीआई/ सीआईबीआईएल को प्रकट करने और बकाया देयों को वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनर्ह अधिकार होगा। हालांकि, कंपनी ने संस्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया परंतु खाते के अनियमित संचालन और स्ट्रेस के बावजूद सुविधा को नवीनीकृत किया।

**(iv) कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और कॉनकास्ट एक्ज़िम लिमिटेड (सीईएल)**

कंपनी ने सीएसपीएल (कॉनकास्ट समूह की एक सहायक कंपनी) को ₹15 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा संस्वीकृत की थी (अगस्त 2011)। फैक्ट्रिंग सुविधा को पीडीसी, प्रमोटरों के पीजी और देनदारों द्वारा विधिवत स्वीकृत एनओए द्वारा सुरक्षित किया जाना था। कंपनी द्वारा समय समय पर सुविधा का नवीनीकरण किया गया था। भुगतान देनदार/ ग्राहक से अक्टूबर 2014 तक नियमित रूप से प्राप्त किए गए थे उसके बाद देनदार द्वारा भुगतानों में विलंब किया गया।

इसी प्रकार, सीईएल (कॉनकास्ट समूह की एक सहायक कंपनी) को ₹10 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा संस्वीकृत की गई (जनवरी 2012)। ग्राहक का यह खाता दिसम्बर 2014 के बाद अनियमित/ स्ट्रेस हो गया।

कॉनकास्ट समूह की सहायक कंपनियों को दिसम्बर 2015 में समामेलन योजना के तहत कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ समामेलित किया गया था। सितम्बर 2017 के बाद, फैक्टर किए गए बीजकों के प्रति कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दिसम्बर 2017 में ग्राहक खाता एनपीए घोषित किया गया था। 31 मार्च 2019 को कुल बकाया राशि ₹32.23 करोड़<sup>69</sup> थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने सितम्बर 2017 तक इस सुविधा को जारी रखा, जो नियमित/ भुगतान का कुछ हिस्सा प्राप्त करने, मूल कंपनी (आईएफसीआई लिमिटेड) द्वारा घोषित एनपीए (मार्च 2016) और ग्राहक की चूक के विषय में अन्य उधारदाताओं से प्राप्त जानकारी (सितम्बर 2014) के बावजूद था। ग्राहक के खातों की समीक्षा से यह भी पता चला कि ग्राहक के अनुरोध पर (जून 2016) आईएफसीएल वेंचर कैपिटल लिमिटेड को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा दो भुगतान (₹67 लाख और ₹60 लाख) किए गए।

<sup>69</sup> (₹19.34 करोड़ (सीपीएसएल) और ₹12.89 करोड़ (सीईएल))

इसके अलावा, कंपनी ने सीएसपीएल के आग्रह पर ₹4 करोड़ (जुलाई 2015) का कैपिंग जारी किया और ग्राहक द्वारा 2013-14 और 2014-15 के दौरान हानि उठाने के बाद भी यह सुविधा जारी रखी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने सीपीएसएल की ऋण पात्रता भी प्रस्तुत (नवम्बर 2015) की, जहां ग्राहक का समग्र निर्धारण अंकित मूल्य से कम दर्शाया गया। यूबीआई ने यह भी बताया कि ग्राहक ने जुलाई 2015 से ब्याज नहीं दिया और सीबीआई के द्वारा उधारकर्ता कंपनी के प्रमोटर के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

कॉनकास्ट समूह के तहत सहायक कंपनियों के विलय पर, कंपनी का ऋण जोखिम आरबीआई/ कंपनी द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत के ऋण जोखिम मानदंडों के प्रति अपने निवल स्वामित्व फंड (एनओएफ)<sup>70</sup> का 17.83 प्रतिशत से 57.62 प्रतिशत के बीच था। अभिलेखों से पता चला कि ग्राहक फैक्टर किए गए बीजकों के प्रति समय पर मूलधन और ब्याज देने में सक्षम नहीं था, इसलिए कंपनी ने दिसम्बर 2015 से सितम्बर 2017 तक डेबिट नोट के माध्यम से ग्राहक निधि को सुगम बनाया।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि दोनों कंपनियों के विलय के बाद संयुक्त सत्व पर ऋण जोखिम संस्वीकृत/ निर्धारित ऋण जोखिम से अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त उस समय जब कंपनी स्ट्रेसड थी, इस सुविधा को तत्काल बंद करना कठिन था क्योंकि कंपनी को इसके परिचालन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी खाते को तत्काल बंद करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए ऋण जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए। आईएफसीआई लिमिटेड और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड को ग्राहक के अनुरोध पर भुगतान किया गया था। आईएफएल ने खाते के नियमितीकरण हेतु सभी प्रयास किए, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान ग्राहक ने छूट और फैक्टरिंग प्रभारों के लिए ₹3 करोड़ से अधिक का भुगतान किया था। आईएफएल द्वारा संस्वीकृत सुविधा कहीं भी आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा संस्वीकृत सुविधा से संबंधित नहीं है। दोनों कंपनियाँ अलग हैं और इसलिए उनकी सुविधाएं भी अलग हैं। बाद में आईएफएल के हितों की रक्षा के लिए सुविधा आंशिक रूप से सुरक्षित कर दी गई थी। डेबिट नोट के माध्यम से निधिकरण द्वारा ग्राहक को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया। अनेक उदाहरणों में आईएफएल स्ट्रेसड ग्राहकों में ऋण जोखिम को कम करने में सक्षम रहा है और वास्तव में डेबिट नोट संव्यवहारों के माध्यम से कुछ खातों को बंद कर दिया गया।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के तहत देखा जाना चाहिए कि खाता स्ट्रेस में था, कंपनी को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए ऋण जोखिम को कम करने के प्रयास करने चाहिए थे और इस कारण, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड को भुगतान करने के

<sup>70</sup> निवल संपत्ति + बिना अवधि का ऋण - अमूर्त संपत्ति

ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ₹25 करोड़ की सुविधा के प्रति प्राप्त होने वाली प्रतिभूति (भूमि) का मूल्य ₹6.7 करोड़ होने कारण यह पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा आरबीआई/ सीआईबीआईएल के चूककर्ताओं के रूप में कंपनी/ ग्राहक और उसके निदेशकों के नाम का खुलासा करने की कार्रवाई और आगे वित्तपोषण रोकने के बजाय, कंपनी ने वित्तपोषण जारी रखा।

#### (v) मैसर्स आर्क फार्मा लैब्स लिमिटेड

कंपनी ने (मई 2011) आर्क फार्मा लैब्स लिमिटेड (एपीएलएल-ग्राहक) को डीएसबीएफ सुविधा (₹10 करोड़) और पीबीएफ सुविधा (₹6 करोड़) की संस्वीकृति दी। फैक्ट्रिंग सुविधा की पीडीसी, प्रमोटरों के पीजी और प्रस्तावित देनदारों द्वारा विधिवत स्वीकृत एनओए द्वारा सुरक्षित किया जाना था। यह खाता मई 2012 से स्ट्रेस में था। ग्राहक वास्तविक बीजक के प्रति समय पर मूलधन और ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं था, परंतु कंपनी ने दिसम्बर 2012 से डेबिट नोट के माध्यम से इस सुविधा को जारी रखा। ग्राहक ने सूचित किया (जुलाई 2013) के उसने कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) हेतु आवेदन किया। कंपनी ने (सितम्बर 2013) सीडीआर प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीडीआर प्रस्ताव के अनुसार ब्याज सहित कुल बकाया को कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) और निधियन ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) के रूप में परिवर्तित किया जाना था, जिसके प्रति मौजूदा परिसंपत्ति (सीए) पर प्रथम और स्थायी परिसंपत्तियों (एफए) पर द्वितीय प्रभार के रूप प्रतिभूति को प्राप्त किया जाना था। इस बीच, सितम्बर 2013 में खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। दिसम्बर 2013 में प्रमुख पुनर्संरचना करार किया गया था। ग्राहक ने दोबारा भुगतान में चूक की इसलिए कंपनी ने सितम्बर 2015 में खाते को एनपीए घोषित किया। 30 सितम्बर 2016 तक कुल बकाया ₹19.05 करोड़ था जिसके प्रति जेएमएफएआरसी<sup>71</sup> ने कुल ₹3.13 करोड़ को प्रस्ताव दिया, जिसमें ₹0.47 करोड़ का नकदी प्रतिफल और प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में ₹2.66 करोड़ शामिल हैं। जेएमएफएआरसी को एनपीए की बिक्री के प्रस्ताव को दिसम्बर 2016 में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के तहत यथापेक्षित किसी भी प्रकार की मूर्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना पीबीएफ हेतु ₹6 करोड़ की सुविधा को अनुमोदित किया गया था। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी ने ग्राहक खाते की निगरानी की एक व्यापक क्रियाविधि भी परिकल्पित की। हालांकि कंपनी द्वारा इस प्रकार की कोई निगरानी नहीं की गई थी क्योंकि यह इस तथ्य से स्पष्ट हो गया था कि जब कंपनी ने देनदारों (डॉ. डैटसन लैब्स लिमिटेड) से (मई 2014) बीजाकों के शेष भुगतान के विषय में पूछताछ

<sup>71</sup> जेएम फाइनेशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी

की थी, तब यह सूचित किया गया था कि भेजी गई सामग्री के उल्लिखित बीजक गुणवत्ता के मुद्दे के कारण वापस कर दिए गए थे और उसके बाद नई आपूर्तियां उनके पास कभी नहीं पहुँची। आगे यह देखा गया कि जेएमएफएआरसी को खाते की बिक्री से पहले, कंपनी ने अधिकतम बकाया देयों की वसूली के लिए अन्य कानूनी विकल्प का पता नहीं लगाया।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि पीबीएफ की सुविधा स्टैंडअलोन आधार पर नहीं थी, परन्तु डीएसबीएफ के ₹10 करोड़ के अतिरिक्त थी। चूंकि ग्राहक भारत की महत्वपूर्ण फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक थी, जिसे उच्चतम क्रेडिट गुणवत्ता दी गई, प्रतिभूति आवश्यकता को माफ करने का निर्णय लिया गया। समस्या मुख्य रूप से नवीनीकरण के उपरान्त आरम्भ हुई जबकि ग्राहक तथा अनुमोदित देनदार (आंजनेया लाइफ केयर लि.) दोनों तरलता संबंधी मुद्दों से प्रभावित हो गए जिसके परिणामस्वरूप स्ट्रेस और अतिदेय हुआ। नकदी की कमी ने कंपनी/ ग्राहक आर्क फार्मा को सीडीआर के लिए विचार करने के लिए अपने ऋणदाता से संपर्क करने के लिए मजबूर किया। अन्य सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ग्राहक से प्राप्त एलआर देनदारा द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत किए गए, जिसके आधार पर ग्राहक को फंड जारी किया गया था। बाद में, चूंकि सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं पाई गई देनदार 'डैटसन लैब्स लिमिटेड' ने ग्राहक को सामग्री वापस भेज दी थी। घटना के विषय में न तो ग्राहक और न ही देनदार द्वारा जानकारी दी गई थी। देनदार के अतिदेय बीजक के भुगतान की जांच दौरान के मामला सामने आया। तत्काल उसके लिए ग्राहक से सम्पर्क किया गया जिसे ग्राहक द्वारा, देनदार के गुणवत्ता मुद्दे पर लगाए गए दोष को अस्वीकार कर दिया गया। कंपनी पहले से ही अपने अन्य उधारकर्ताओं के माध्यम से अन्य समापन संबंधी मुद्दों का सामना कर रही थी, जिसने वसूलियों की संभावना को बहुत अधिक निराशाजनक बना दिया था, यदि आईएफएल एआरसी मोड में नहीं गया होता।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी (2011-12) निर्धारित करती है कि पीबीएफ केवल शीर्ष मूल्यांकित ग्राहकों के लिए अभिप्रेत है और मूर्त संपार्श्विक द्वारा समर्थित होने चाहिए। बीजक जिनके प्रति गुणवत्ता के मुद्दे थे, अगस्त 2012 से संबंधित थे। हालांकि यह प्रबंधन द्वारा मई 2014 में नोटिस किए गए थे, जो खराब निगरानी को इंगित करता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि जेएमएफएआरसी के खातों की बिक्री के अलावा कोई ओर विकल्प नहीं खोजा गया था।

**(vi) मैसर्स इंड-स्विफ्ट लिमिटेड**

कंपनी ने इंड-स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल - एक ग्राहक) को मौन आधार पर ₹10 करोड़ की डीएसबीएफ की सुविधा संस्वीकृत की (जुलाई 2011) जिसकी दो प्रमोटर निदेशकों के

पीजी और ₹10 करोड़ के पीडीसी के द्वारा प्रतिभूति दी गयी थी। फैक्टर योग्य देनदार में आठ रेटेड देनदार और दस अनरेटेड देनदार शामिल थे जिसकी कुल क्रेडिट सीमा क्रमशः ₹7.75 करोड़ और ₹13 करोड़ थी। ग्राहक ने जुलाई 2011 से जून 2012 तक संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार अपने खाते का हिसाब किताब, जिसके बाद ग्राहक की चूक के कारण खाता अनियमित हो गया। इस खाते को 30 जून 2016 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ₹15.48 करोड़ (मूलधन ₹10.50 करोड़ और वसूल नहीं किया गया ब्याज/अन्य प्रभार-₹4.98 करोड़) की बकाया राशि के प्रति (31 मार्च 2018) जो संपूर्ण रूप से अनरेटेड देनदारों के हिस्से में थी, कंपनी ने ₹6 करोड़ के लिए ग्राहक के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) (13 अप्रैल 2018) किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी (2011-12) के अनुसार मूक फैक्टरिंग का अर्थ है डीएसबीएफ जो उच्च मान्यता प्राप्त ग्राहकों से संबंधित हैं जहां देनदार आमतौर पर सूचीबद्ध कंपनियों, विश्वसनीय निवेश शेयर कंपनियों पीएसयू, केंद्र/राज्य सरकार के सत्व और एमएनसी जो पिछले दो वर्षों से लाभ अर्जन कर रही हैं और न्यूनतम तीन वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए।

हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमोदित 10 अनरेटेड देनदार उपरोक्त सूचीबद्ध मापदंडों में से किसी में भी शामिल नहीं थे क्योंकि वे मुख्य रूप से ग्राहक के सीएंडएफ एजेंट/ वितरक थे जो साझेदारी/ स्वामित्व से संबंधित थे जिनके विवरण/ वित्तीय विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं थे। क्षेत्र लेखापरीक्षा/ जांच, पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकन में महत्वपूर्ण सहायक होने के बावजूद, इसे उस आधार पर नहीं किया गया था कि ग्राहक वित्तीय विवरण संतोषजनक है और जो ग्राहक की एक समूह कंपनी, मौजूदा ग्राहक है जिसका प्रबंधन संतोषजनक था।

पूर्व भुगतान सीमा को प्रारंभ में ₹9 करोड़ तक की अधिकतम सीमा तक रखा गया (8 जून 2012) और बाद में इसे घटाकर ₹8 करोड़ कर दिया गया था (29 जून 2012)। ग्राहक द्वारा सामना किए गए नकदी के मुद्दों के कारण, कंपनी ने धीरे-धीरे प्रत्येक भुगतान से 20 प्रतिशत कटौती के द्वारा ग्राहक के ऋण जोखिम को कम करने का निर्णय लिया (जुलाई 2012) जब तक कि सुविधा पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती, जिसे कि बाद में 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था (नवम्बर 2012)। इसलिए, पूर्वभुगतान सीमा पर अधिकतम सीमा को हटा दिया गया और परिसीमा को ₹8.50 करोड़ (3 जुलाई 2013) और बाद में ₹10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया (27 फरवरी 2015) जिसके बाद ग्राहक के अनुरोध पर ₹1 करोड़ की तदर्थ सीमा भी संस्वीकृत की गई (26 मई 2016)। परिसीमा पर कैपिंग को हटा दिया गया था और इस तथ्य के बावजूद तदर्थ सीमा को संस्वीकृत किया गया कि खाता अत्यधिक अनियमित था (जुलाई 2012) और खाते का परिचालन संतोषजनक नहीं था जिसके कारण कंपनी ने ऋण जोखिम को

कम करने का निर्णय लिया, इसके अलावा, ग्राहक ने पहले ही सीडीआर तंत्र (दिसम्बर 2012) के तहत अपने ऋणों के पुनर्गठन का कार्य शुरू कर दिया था, 2011-12 से 2014-15/ 2015-16 के दौरान निवल हानियों को वहन किया गया और उसे रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत बीआईएफआर को भेजा गया था (अगस्त 2015)। संस्वीकृत सीमा पर कैपिंग हटाने के परिणामस्वरूप एफआईयू जो जून 2012 में ₹8 करोड़ थी, जून 2016 जब खाता एनपीए हो गया था, में ₹11.32 करोड़ तक बढ़ गया।

ग्राहक ने छः देनदारों पर निर्मित बीजकों की फैक्टरिंग का लाभ उठाया, जिसमें पांच अनरेटेड देनदार शामिल थे और केवल एक रेटेड देनदार था हांलाकि आठ स्वीकृत अधिकृत देनदार थे। जुलाई 2011 से नवम्बर 2012 तक (दिसम्बर 2012<sup>72</sup> में डेबिट नोट फंडिंग शुरू होने से पहले) छः देनदारों का बीजक मूल्य ₹53.04 करोड़ था जो फैक्टर किए गए थे जिसमें से रेटेड देनदार के बीजक की राशि ₹1.65 करोड़ थी जो नवंबर 2012 तक फैक्टर किए गए कुल बीजक मूल्य का 3.11 प्रतिशत थी।

कंपनी भुगतानों में देरी के मामले में संस्वीकृत छूट प्रभारों पर चार प्रतिशत की दर से दंडात्मक छूट प्रभार प्रभारित करती है। तदनुसार, कंपनी ने (1 अप्रैल 2013 से 1 मार्च 2015 तक) ₹45.81 लाख की राशि का जुर्माना लगाया जिसमें से ₹34.36 लाख की राशि माफ कर दी गई (मई 2015) जो कि संस्वीकृति की शर्तों के विरुद्ध था।

कंपनी ने आवधिक रूप से एक अनरेटेड देनदार (जस्टिन फार्मास्यूटिकल्स) की क्रेडिट सीमा में उसके लिए निर्धारित मानदंडों/ मापदंडों के अभाव में ₹1.5 करोड़ (4 जुलाई 2011) से ₹4.5 करोड़ (29 अगस्त 2011) और फिर ₹6.5 करोड़ से ₹10 करोड़ (दिसम्बर 2012) तक की वृद्धि की थी। इस देनदार से भुगतान बाद में वसूल नहीं हो पाया।

कंपनी ने बीजक के अतिदेय होने के बावजूद 41 महीनों (13 दिसम्बर 2012 से 27 मई 2016) से अधिक की अवधि के लिए डेबिट नोट फंडिंग का प्रयोग किया और ग्राहक द्वारा समय पर भुगतान का अभाव था जिसके बाद अंत में इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ओटीएस के प्रस्ताव पर विचार करते और अनुमोदन करते समय, कंपनी ने न तो प्रमोटर निदेशकों की पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण करने के लिए प्रमोटर निदेशकों की व्यक्तिगत निवल संपत्ति पर विचार किया और न ही उनको अभिलेखित किया, क्योंकि यह सुविधा की संस्वीकृति के समय प्रस्तुत की गई प्रतिभूति थी। इसके अलावा, ओटीएस को कानूनी कार्रवाई किए बिना प्रारंभ किया गया था तथापि अनुमोदन नोट में बताया

<sup>72</sup> डेबिट नोट फंडिंग के समय जारी किए गए भुगतानों को किसी विशिष्ट बीजकों के नंबर पर समुनदेशित नहीं किए गए हैं परंतु बिक्री खाता बही में मौजूद किसी भी बीजक पर फैक्टर किया जाता है



गया था कि “कंपनी और गारंटीकर्ता के विरुद्ध वसूली का मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना है”। कंपनी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 और 141 के तहत केवल एक मामला दर्ज कराया था (सितम्बर 2016) जिसे ओटीएस के पूरा होने के बाद वापस ले लिया गया (15 अप्रैल 2019)।

कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी में ऐसा कोई खंड/ प्रावधान नहीं था जो ग्राहक की पूर्व भुगतान सीमा और देनदारों को विस्तारित ऋण सीमा के नियतन के लिए मापदंड निर्धारित करता है। कंपनी ने न तो निगरानी मापदंड और प्रचालित क्रेडिट पॉलिसी में उल्लिखित इसकी समय-सीमा का अनुपालन किया और न ही वार्षिक नवीकरण के समय प्रमोटर निदेशकों की अद्यतित निवल संपत्ति के विवरण को लिया।

प्रबंधन ने बताया (7 जनवरी 2020) कि संस्वीकृति के समय इंड स्विफ्ट लिमिटेड प्रतिष्ठित आकार और अच्छे कारोबार वाला निगम था। ग्राहकों की मजबूत प्रोफाइल और संतोषजनक भुगतान ट्रैक रिकार्ड को देखते हुए सुविधा संस्वीकृत की गई थी। समूह की कंपनी के खाते का संतोषजनक संचालन और आईएफसीआई लिमिटेड के साथ उनके खाते का संचालन पर, क्षेत्र सर्वेक्षण की छूट के साथ सुविधा की संस्वीकृति देते समय विचार किया गया था। देनदारों से भुगतानों के विलंब के कारणों पर वर्ष 2012 में ₹8.00 करोड़ पर अधिकतम सीमाएं की गई थी क्योंकि उस समय कंपनी की विनिर्माण सुविधा में आग लगने की घटना हुई थी और संपूर्ण फार्मा उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा था। आईएफएल से पुराने संबंध के आधार पर सहयोग प्रदान किया गया था ताकि कंपनी उस समय के कठिन दौर से बाहर निकल सके और कंपनी के नवीकरण के सहयोग के लिए सीमाओं को अनिर्धारित किया गया था क्योंकि इसमें ब्रांडो और विनिर्माण सुविधाओं के संदर्भ में निहित मजबूती थी। ग्राहक को प्रदान की गई छूट और वित्त पोषण की अनुमति दी गई थी क्योंकि ग्राहक भविष्य में खाते को अनुरक्षित करने और उसको बंद करने के इरादे को दर्शा रहा था। वर्ष 2012 तथा 2016 के बीच के समय के दौरान, डेबिट नोट के माध्यम से वित्त पोषण जारी रखने का निर्णय प्रबंधन का था और आईएफएल के ब्याज और फैक्टरिंग प्रभारों के माध्यम से उस अवधि के दौरान लगभग ₹6.25 करोड़ (लगभग) वसूल किए। यह प्रबंधन का निर्णय था (धन की वसूली के अंतिम उद्देश्य के साथ) जो इंड स्विफ्ट लिमिटेड के मामले में गलत साबित हुई और यह इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड के मामले में सही साबित हो रहा है। ओटीएस को अनुमोदित करने से पूर्व प्रमोटरों के पीजी को लागू किया गया था और न्यायालय में मामले चल रहे थे। सभी बैंकों ने व्यक्तिगत गारंटी विकल्प की संभावना का भी पता लगाया था और अतंत एसीआर को कुल ऋण के 20-35 प्रतिशत पर ऋण प्रदान किया था। वास्तव में आईएफएल द्वारा किया गया ओटीएस अन्य बैंकों के साथ किए गए ग्राहक ओटीएस/ असाइनमेंट की तुलना में अधिक धनराशि पर किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में स्पष्ट रूप से ग्राहक और देनदार हेतु पृथक चयनित मापदंड निर्धारित किया गया है। ग्राहक की क्षमता के आधार पर पूरी तरह से सुविधा की संस्वीकृति क्रेडिट पॉलिसी से भिन्न थी। समूह कंपनी के संतोषजनक संचालन और आईएफसीआई लिमिटेड के साथ उसके संचालन के आधार पर क्षेत्र लेखापरीक्षा की छूट से इसके निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। क्रेडिट सीमा को अनिर्धारित करने और तदर्थ सीमा का अनुमोदन करना कंपनी के हित में नहीं था क्योंकि ग्राहक का खाता निष्क्रिय हो गया था, बीआईएफआर को भेज दिया गया था और ऋण जोखिम को कम करने का निर्णय पहले ही लिया गया था। 41 महीनों से अधिक के लिए डेबिट नोट के माध्यम से वित्तपोषण, बकाया भुगतानों को चुकाने में ग्राहक की अक्षमता को इंगित करता है। डीएनएफ की प्रक्रिया के कारण ओटीएस के समय बड़ी मात्रा में वसूली न गई धनराशि की माफी के कारण ₹6.25 करोड़ की सीमा तक ब्याज और फैक्टरिंग प्रभारों की वसूली हुई। आईएफएल ने कभी स्वयं प्रमोटरों के विरुद्ध उनकी निजी गारंटी के प्रति मुकदमा दायर नहीं किया, जबकि, व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की गई थी।

**(vii) मैसर्स क्रिटिकल मास मल्टीलिंग प्राइवेट लिमिटेड**

कंपनी ने क्रिटिकल मास मल्टीलिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹7.50 करोड़ के भावी प्राप्ति के प्रति अग्रिम (एएफआर) सुविधा संस्वीकृत की (सितम्बर 2015) जिसे कच्छ, गुजरात में स्थित एक औद्योगिक और दो आवासीय संपत्तियों गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) के 69.46 लाख शेयर के बंधक, गुजरात एनआरई खनिज संसाधन लिमिटेड (असूचीबद्ध कंपनी) के 5 करोड़ की इक्विटी के बंधक के समतुल्य बंधक संपत्ति के द्वारा सुरक्षित किया गया था। इस सुविधा में फैक्टर करने योग्य देनदार मैसर्स बजरंग बली कोक लिमिटेड इन्टस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एनआरई मेटकॉक लिमिटेड थे। ग्राहक और दोनों देनदार समान समूह का हिस्सा थे, जिसकी प्रमुख कंपनी गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड (जीएनसीएल) थी। सुविधा का कार्यकाल तीन वर्ष था और 30 जून 2017 से 31 सितम्बर 2018 तक पुनर्भुगतान किया जाना था। मूलधन के पुनर्भुगतान की पहली किस्त के प्रति प्राप्त कम भुगतान के कारण, खाते को सितम्बर 2017 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 30 सितम्बर 2018 तक कुल बकाया राशि ₹4.84 करोड़ (मूलधन और ब्याज सहित) थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने क्रेडिट मूल्यांकन के समय (सितम्बर 2015) वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों के बजाय अंतरिम आंकड़ों को माना था। ₹25 करोड़ की निर्धारित न्यूनतम निवल संपत्ति के प्रति, कंपनी ने समायोजित मूर्त निवल संपत्ति (एटीएनडब्ल्यू<sup>73</sup>) पर विचार किए बिना ₹356.95 करोड़ के रूप में ग्राहक

<sup>73</sup> सहायक/ संबंध कंपनियों को निवेश/ ऋण द्वारा कम की गई कंपनी की निवल संपत्ति

की निवल संपत्ति को माना जो नकारात्मक (₹31.95 करोड़) थी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी, ग्राहक की एटीएनडब्ल्यू क्रमशः ₹0.29 करोड़, ₹0.31 करोड़ और ₹0.17 करोड़ थी। ग्राहकों के निर्धारित ₹50 करोड़ के न्यूनतम कारोबार के प्रति वास्तविक कारोबार ₹0.48 करोड़ (2014-15 के अंतरिम आंकड़े)। इसके अलावा, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कारोबार क्रमशः ₹1.22 करोड़ एवं ₹1.36 करोड़ था और 2013-14 के दौरान परिचालन से कोई राजस्व नहीं मिला। जैसा आवश्यकता थी कि ग्राहक का देनदार के साथ न्यूनतम दो वर्षों का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड है। या उसे भुगतान के नियमित पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड के साथ अन्य ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करनी चाहिए थी, किन्तु यहाँ ग्राहक और देनदार के बीच नया संबंध था और अन्य ग्राहकों को इस प्रकार की सेवा प्रदान करने पर ग्राहक द्वारा प्राप्त भुगतानों का कोई पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड नहीं था। चूंकि शर्त के विपरीत उस देनदार को पिछले दो वर्षों के लिए लाभकारी होना चाहिए जबकि, दोनों देनदार से हानि हो रही थी। आईएफएल 5 की न्यूनतम आंतरिक रेटिंग के विपरीत, प्रस्ताव को संस्वीकृति दी गई यद्यपि आंतरिक रेटिंग आईएफएल 6 थी जिसका तात्पर्य अपर्याप्त सुरक्षा थी। संपार्श्विक संपत्ति की क्षमता के आधार पर दो चिह्न ऊपर देने के बाद यह रेटिंग प्राप्त हुई थी, हालांकि संपत्ति को गिरवी रखना एएफआर सुविधा की संस्वीकृति हेतु मूलभूत एवं आवश्यक मानदंड था।

ग्राहक और देनदारों (संबंधित पक्ष) के मध्य सेवा करार (2010) के आधार पर यह संस्वीकृति (सितम्बर 2015) दी गई जिसके अनुसार ग्राहक को दोनों देनदारों के द्वारा तकनीकी सलाहकार के रूप में नामित किया गया था और इसके प्रतिफल में इसे रॉयल्टी के रूप में प्रति तिमाही ₹1 करोड़ प्राप्त करना था जिसके लिए भुगतान 1 जनवरी 2015 से शुरू होना था। इस तिथि को ग्राहक और देनदारों द्वारा पारस्परिक रूप से 1 अप्रैल 2016 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, कंपनी ने काम की मात्रा अभिनिश्चित नहीं की थी, जो पहले से ही निष्पादित किया जा चुका था और विस्तृत कार्य अनुसूची या कार्य की प्रकृति का ब्यौरा अभिलेख में नहीं था जिसे पाँच वर्ष पूर्व हस्ताक्षरित सामान्य सेवा करारों के तहत ग्राहक द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कोई रॉयल्टी भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था जो यह दर्शाता है कि करार केवल दस्तावेज पर थे, इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों देनदार ग्राहक के हिस्सेदार थे और ग्राहक और देनदार दोनों एक ही समूह का हिस्सा थे।

कंपनी ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि दोनों देनदार एएफआर सुविधा की संस्वीकृति (सितम्बर 2015) से पहले भी प्रमुख कंपनी (जीएनसीएल) के साथ समामेलन (30 मार्च 2015) की प्रक्रिया में थे जिसका अर्थ है कि ग्राहक को अंततः जीएनसीएल से सेवा करारों के तहत नकदी प्रवाह प्राप्त करना था, जो पहले से ही नकदी प्रवाह की स्थिति बिगड़ने के कारण सीडीआर से गुजर चुका था (मार्च 2014) और अंततः

जीएनसीएल की ऋण सुविधाओं को एनपीए में बदल दिया गया था। कंपनी को जीएनसीएल खाते की एनपीए स्थिति के विषय में पता था और उसने अभी भी एक प्रतिभूति के रूप में जीएनसीएल के इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना स्वीकार किया इस तथ्य के बावजूद कि जीएनसीएल के शेयर मूल्य में लगातार कमी हुई थी और 2009 से 2015 की अवधि के दौरान, 2009 में प्रति शेयर ₹79.9 उच्च स्तर से तेजी से गिरकर 2015 में ₹3.04 हो गया।

चूंकि सीएमएमएल पूर्ण रूप से पहली मूल किस्त नहीं चुका सका (30 जून 2017), अतः सीएमएमएल के खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया (30 सितम्बर 2017) जिसके बाद समूह कंपनियों/ निवेशों के विक्रय से अग्रिम के माध्यम से ग्राहक के अनुमानित नकदी प्रवाह (सितम्बर 2017 से सितम्बर 2019) पर विचार करते हुए इस सुविधा को पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित किया गया (नवम्बर 2017)। हालांकि, ये नकदी प्रवाह अभिज्ञेय भविष्य के प्राप्यों से निकाला नहीं गया जिसके आधार पर एएफआर सुविधा को संस्वीकृति दी गई थी। ग्राहक द्वारा किए गए इन नकदी प्रवाह के करार अभिलेख में नहीं थे। पुनर्निर्धारण क्रेडिट पॉलिसी (2017-18) से भिन्न था क्योंकि एएफआर सुविधा का अधिकतम कार्यकाल किसी भी मामले में तीन वर्ष से अधिक नहीं था परंतु कंपनी ने इसे चार वर्ष तक बढ़ा दिया।

वर्तमान एएफआर सुविधा में संवितरण पूर्व शर्तों में से एक कंपनी की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति का सृजन करना था। तथापि ₹7.50 करोड़ का संवितरण गिरवी रखी गई संपत्तियों के निष्पादन के बिना किया गया था क्योंकि संपत्तियों/ प्रतिभूतियों के दस्तावेजों जो इस एएफआर सुविधा के लिए कंपनी के पास बंधक/ गिरवी रखे जाने थे, आईएफसीआई लिमिटेड की निगरानी में थे। इस प्रकार भले ही एएफआर को सीएमएमएल के लिए संस्वीकृति दे दी गई थी जिसके लिए राशि का संवितरण किया जाना चाहिए था, कंपनी ने आईएफसीआई लिमिटेड के साथ जीएनएमआरएल के ऋण खाते में सीधे ₹7.50 करोड़ की संस्वीकृत राशि का संवितरण किया। इस संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2016-17) में बताया कि यह स्पष्ट है कि “यह आईएफसीआई लिमिटेड के बही खाते में उधारकर्ताओं की समूह कंपनियों के एनपीए को समायोजित/ संचय करने के लिए किया गया है”। अतः एएफआर की यह संस्वीकृति आईएफसीआई लिमिटेड के खाते के हमेशा के लिए पुनर्नवीनीकरण करने के लिए थी।

ग्राहक ने पुनर्निर्धारण शर्तों के अनुसार भी पूर्णतया पुनर्भुगतान नहीं किया जिसके अनुसार मूलधन का पुनर्भुगतान 30 जून 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक किया जाना था। प्रत्येक मार्च/ जून/ सितम्बर 2019 में देय ₹1.25 करोड़ की किस्त वर्तमान तिथि तक प्राप्त नहीं हुई। पुनर्भुगतान में चूक के समय गिरवी रखे गए शेयर को विक्रय करने के लिए समय पर कार्रवाई करने का अभाव था (जून 2017)। इसके बजाय पुनर्निर्धारण का

सहारा लिया (नवम्बर 2017) जिसके बाद जीएनसीएल के शेयर को शेयर बाजार में कारोबार करने से निलंबित कर दिया गया था (फरवरी 2018)। कंपनी ने गिरवी रखी संपत्तियों के संबंध में एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की यद्यपि इसे अगस्त 2016<sup>74</sup> से एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कवरेज प्राप्त थी।

प्रबंधन ने बताया (7 जनवरी 2020) कि वित्त वर्ष 2014 से 2015 के अंतिम वित्तीय विवरण माने गये क्योंकि तब लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2015 थी। देनदारों के ब्यौरे क्रेडिट प्रस्ताव में दिए गए थे, पिछले दो वर्षों में से एक में लाभ हुआ इसलिए यह लगातार हानि नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्त वर्ष में उल्लेख किए गए देनदारों का कारोबार प्रस्ताव पिछले वर्ष की तुलना में बहुत बेहतर था, जो तीन गुना से अधिक था। ग्राहक की आंतरिक क्रेडिट जोखिम रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम रेटिंग मॉडल के अनुसार की गई थी। जोखिम विभाग द्वारा प्रस्ताव को आईएफएल 6 के रूप में रेटिड किया गया और प्रस्ताव में उल्लिखित औचित्य के आधार पर सीओडी द्वारा संस्वीकृत किया गया था। मूर्त प्रतिभूत के आधार पर दो ग्रेड बढ़ाया जाना एएफआर संरचना के अनुसार था और यह एक गलत प्रक्रिया नहीं थी। यहां देखा गया कि रॉयल्टी के भुगतान हेतु ग्राहक एवं खरीदारों के मध्य पाँच वर्ष पूर्व करार हुआ था इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो सकता है कि ये करार आईएफएल से सुविधा प्राप्त करने से 5 वर्ष पूर्व ऋण लेने के लिए किए गए थे। एक ही समूह के दोनों खरीदारों का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया था और न्यायालय का अंतिम आदेश प्राप्त होने से पूर्व इसे समझना कठिन होगा, क्योंकि 2016 में समामेलन आदेश प्राप्त हुआ था, हालांकि 2015 में इसे संस्वीकृति दी गई थी। ग्राहक और देनदारों (समूह की कंपनियां और संभावित विलय) के संदर्भ में सभी तथ्य एवं आंकड़े प्रस्ताव में उल्लिखित किए गए थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि अंतिम आंकड़े वहां लिए जा सकते हैं जहां अनुमोदित आंकड़े संस्वीकृति की तिथि पर उपलब्ध नहीं थे। ग्राहक और देनदार के चयन हेतु विभिन्न मापदंड क्रेडिट पॉलिसी में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नहीं थे। मूर्त प्रतिभूति के आधार पर ग्रेड बढ़ाना अनुचित था क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में कहा गया था कि मूर्त प्रतिभूति एएफआर की संस्वीकृति की मूल आवश्यकता थी। आईएफएल 6 की आंतरिक रेटिंग ने अपर्याप्त सुरक्षा को इंगित किया और यह प्रस्ताव की संस्वीकृति के लिए न्यूनतम रेटिंग से कम थी। क्रेडिट पॉलिसी में बताया गया है कि एएफआर में भुगतान नकदी प्रवाह से किए जाते हैं

<sup>74</sup> एसएआरएफईएसआई अधिनियम को आईएफएल सहित विशेष एनबीएफसी, के लिए विस्तारित किया गया था, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 6/ 1/ 2014 - वसूली दिनांक 5 अगस्त 2016 द्वारा

जो पहचान योग्य भविष्य के प्राप्यों से उत्पन्न होता है जिसमें तत्कालिक मामले पहचाने नहीं गए थे और 5 वर्ष बीतने के बाद भी रॉयल्टी भुगतानों की प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए कार्य की मात्रा को अभिलेखित नहीं किया गया था। जीएनसीएल के बोर्ड ने मार्च 2015 में अर्थात् सुविधा की संस्वीकृति से पूर्व स्वयं ही देनदारों के विलय को मंजूरी दे दी थी। प्रमुख कंपनी के साथ देनदारों के संभावित विलय के विषय में वास्तविकता को संस्वीकृत प्रस्ताव में नहीं बताया गया और इस प्रकार इसको अनदेखा किया गया था।

**(viii) मैसर्स जखऊ साल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**

कंपनी ने मैसर्स जखऊ साल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जेएससीपीएल-ग्राहक) को ₹5 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा संस्वीकृत की (अक्टूबर 2009)। सुविधा के तहत अनुमोदित देनदार त्रावणकोर कोचीन केमिकल्स लि. थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ₹5 करोड़ की पीबीएफ सुविधा ₹5 करोड़ की मौजूदा अनुमोदित पूर्व भुगतान सीमा के अंतर्गत 120 दिनों के क्रेडिट अवधि के साथ स्वीकृत किया गया था (23 मार्च 2011)। कंपनी ने डीएसबीएफ सुविधा (मूक आधार) के मामले में पूर्व-भुगतान सीमा को ₹5 करोड़ की पीबीएफ उप सीमा सहित अनुमोदित देनदारों (पूर्व अनुमोदन के अनुसार) पर ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक बढ़ाया था (03 अगस्त 2011)। इसी प्रकार, कंपनी की उस क्रेडिट पॉलिसी के तहत अपेक्षित कोई संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किए बिना डीएसबीएफ और पीबीएफ के बीच पूर्ण अंतर्विनिमेयता के साथ ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया था (फरवरी 2012) जिसमें बताया गया कि पीबीएफ का उद्देश्य केवल शीर्ष मूल्यांकित ग्राहकों के लिए है और इसे मूर्त संपार्श्विक संपत्ति द्वारा समर्थित किया जाना होता है।

ग्राहक द्वारा जून 2013 तक नियमित रूप से खाते में भुगतान किया गया था, इसके बाद मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक हुई। कंपनी ने दिसम्बर 2013 से अगस्त 2017 तक डेबिट नोट फंडिंग का प्रयोग किया और सितम्बर 2017 में खाता एनपीए घोषित किया गया। कंपनी ने ₹7.20 करोड़ (मूलधन ₹7.09 करोड़ और ब्याज ₹0.11 करोड़) की बकाया राशि के प्रति ₹4.25 करोड़ के कुल मूल्य के लिए ओटीएस को अनुमोदित किया (10 जुलाई 2018) जिससे ₹2.95 करोड़ (मूलधन ₹2.84 करोड़ और ब्याज ₹0.11 करोड़) छोड़ दिए गए इस याचिका पर कि जेएससीपीएल को किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना सुविधा संस्वीकृत की गई। ग्राहक ने ओटीएस करार का अनुपालन करने के लिए 29 सितम्बर 2018 को पूर्ण और अंतिम भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि ग्राहक और प्रस्तावित देनदार की संतोषजनक साख/ वित्त-संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इस मामले में क्षेत्र लेखापरीक्षा नहीं की गई। कंपनी ने ग्राहक को उसकी समूह कंपनी (भारत साल्ट रिफाइनरीज लिमिटेड) से की गई अधिप्राप्ति

पर ग्राहक को पीबीएफ (रिवर्स फैक्टरिंग) सुविधा का विस्तार किया, जो कंपनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था और कंपनी के पक्ष में उचित सावधानी का अभाव था।

प्रबंधन ने बताया कि सुविधा को आईएफसीआई लिमिटेड के साथ संतोषजनक क्रेडिट संचालन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को संस्वीकृति दी गई थी। चूंकि आईएफसीआई लि. और कंपनी के साथ खाते का संचालन संतोषजनक था, अतः किसी संपार्श्विक प्रतिभूति को प्राप्त किए बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीबीएफ सुविधा संस्वीकृत की गई थी।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि आईएफसीआई लि. के साथ खाते का संतोषजनक संचालन क्षेत्र लेखापरीक्षा की छूट के लिए आधार नहीं हो सकता बिल फैक्टरिंग सुविधा की अधिप्राप्ति हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करके इस प्रकार की महत्वपूर्ण शर्त को माफ करने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित किया गया है।

#### 5.10.7 निष्कर्ष

चूंकि कंपनी आरबीआई के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी - फैक्टर (एनबीएफसी-फैक्टर) है, अतः यह आवश्यक है कि मूल्यांकन, परिश्रम और निगरानी के कठोर मानकों का अनुपालन किया जाए और फैक्टरिंग/ ऋण सुविधाओं के मूल्यांकन एवं दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान इसके स्वयं के वित्तीय/ वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखा जाए।

अनेक उधारकर्ताओं को कंपनी द्वारा विस्तारित फैक्टरिंग/ ऋण सुविधा की संस्वीकृति, संवितरण और निगरानी की समीक्षा से पता चला कि कंपनी ने खातों को संस्वीकृत करने, संवितरण करने और निगरानी करते समय क्रेडिट मूल्यांकन में यथोचित परिश्रम के उच्चतम मानकों का पालन नहीं किया। इसने अनेक उदाहरणों में अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति का अनुपालन नहीं किया और न्यूनतम सुरक्षा कवर से संबंधित छूट प्राप्त अनेक वित्तीय अनुपातों, निर्धारित क्रेडिट रेटिंग आदि से संबंधित विभिन्न निर्धारित पात्रता मापदंड में छूट प्रदान की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिभूति के प्रवर्तन में विलंब हुआ और प्रतिभूति गैर-प्रवर्तन के उदाहरण भी थे। लेखापरीक्षा में खातों को एनपीए घोषित करने में आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भी देखा गया।

### 5.10.8 सिफारिशें

1. क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए;
2. कंपनी को अपनी क्रेडिट नीति का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए और भिन्नता को सामान्य रूप से नहीं अपनाना चाहिए।
3. कंपनी को उधारकर्ता कंपनी के देनदारों की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर निर्धारण करना चाहिए;
4. कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र/ नीति/ प्रक्रिया को लागू कर सकती है कि फैक्ट्रिंग के मामले में सामग्री की अस्वीकृति या देनदार द्वारा किसी अन्य कारण से देय किसी बीजक को स्वीकार न करने के विषय में कंपनी को सूचना दी जाएं।
5. ग्राहक के पूर्व भुगतान की सीमा और देनदारों की क्रेडिट सीमा के निर्धारण हेतु विचार किए जाने वाले मानदण्ड स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाने चाहिए।
6. कंपनी के हित की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिभूति संग्रहित की जानी चाहिए।
7. कंपनी को धोखाधड़ी या हानि से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक निगरानी की जाएं।
8. कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू आरबीआई दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।
9. पैरा में वर्णित लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनति नमूने पर आधारित हैं, परन्तु मंत्रालय/ प्रबंधन से अनुरोध है कि समस्या के प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु समस्त मामलों की जाँच/ परीक्षा करवाई जाए तथा जिम्मेदारी तय की जाए जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो। वह मामले जहाँ बदनीयती के संकेत हो पेशेवर एजेन्सियों को अधिक जाँच हेतु सौंप दिए जाएं।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।



## अध्याय VI: भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

### भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

#### 6.1 एक संविदा के अन्तर्गत गैर-निष्पादन के कारण हानि

संविदागत प्रावधानों के अनुसार निष्पादन में विफल होने के तथा ग्राहक द्वारा बैंक गारण्टी के परिणामी आहरण के कारण भेल को 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की हानि उठानी पड़ी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 63.86 मिलियन यूरो की कीमत पर 2552 दिनों (लगभग 7 साल) की पूर्णता अवधि के लिए केवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट की आठ ईकाईयों के पुर्नवास तथा उन्नयन के लिए इलेक्ट्रिक यूरेटिम एस जेनल मुदुरलुगु (ईयूएस) तुर्की, के साथ एक संविदा (21 अप्रैल 2015) की थी। काम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोलने की तारीख के समान होनी थी।

उपर्युक्त संविदा के प्रावधानों के अनुसार, भेल ने 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की राशि के लिए ईयूएस के पक्ष में एक निष्पादन बैंक गारण्टी जारी की (21 अप्रैल 2015)। अप्रैल 2015 में संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, भेल ने अनुमोदन के लिए काम शुरू करने की प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि, 30 अगस्त 2015 के साथ ईयूएस को एल2 अनुसूची (अर्थात् विस्तृत समय सीमा तथा परियोजना गतिविधियों का क्रम) प्रस्तुत (10 जुलाई 2015) की। तथापि, विभिन्न तकनीकी खामियों जैसे ईयूएस से भेल द्वारा एकत्र किए गए ड्राइंग/ दस्तावेज की सटीकता, इंटेक गेटों से संबंधित कार्य को आपातकालीन बंदी में सक्षम बनाने से संबंधित, स्टेटर फ्रेम से संबंधित कार्य, शटडाउन से पहले अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के पुर्नवास आदि के कारण कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका। ईयूएस के साथ अनुबंध को अंतिम रूप देते समय, भेल ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अद्यतित ड्राइंग तथा मौजूदा उपकरणों के डिजाइन डेटा प्रदान करने के लिए ईयूएस की जिम्मेवारियों को संविदा में शामिल किया गया था। इसके पश्चात, भेल ने अनुमोदन के लिए 1 नवंबर 2015 को काम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि के साथ संशोधित एल2 अनुसूची (प्रस्तुत) पेश की (23 सितम्बर 2015)।

एलसी को 07 मार्च 2016 को ईयूएस द्वारा खोला गया था तब काम शुरू करने की शून्य तिथि भी प्रभावी हो गई थी। यद्यपि, इसके बाद भी, भेल शटडाउन की अवधि के दौरान ईकाईयो के निरीक्षण तथा भौतिक माप सहित आवश्यक ड्राइंग/ दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू करने में समय नहीं था। नवंबर 2016 में ईयूएस तथा भेल के बीच बैठक के सहमत कार्यवृत्तों (एमओएम) में इसका उल्लेख था। तथापि, इयूएस

ने उसी बैठक में भेल को सूचित किया कि उन्होंने पहले से ही सभी उपलब्ध ड्राइंग/दस्तावेज प्रदान कर दिये थे। इस बैठक में ईयूएस (8 से 10 नवंबर 2016) से यह भी सहमति हुई कि भेल प्रारंभिक योजना गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

ईयूएस ने भेल को अपेक्षित डिजाइन विवरण, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं, गुणवत्ता आश्वासन योजना, उप-संविदा सूची, निर्माताओं की सूची इत्यादि को एलसी के खुलने के एक साल बाद तक भी प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए भेल को नोटिस (13 दिसम्बर 2016 तथा 10 फरवरी 2017) जारी किए तथा भेल को अपेक्षित दस्तावेजों/ योजना को 10 दिन के भीतर ही प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। अन्ततः अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में भेल की असमर्थता का उल्लेख करते हुए ईयूएस ने 7 मार्च 2017 को संविदा रद्द कर दी। 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की निष्पादन गारंटी का अंततः 4 दिसम्बर 2017 को ईयूएस द्वारा नकदीकरण करा लिया गया।

यह ऑर्डर कार्यआदेश भेल के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट की उच्चतम रेटिंग का आरएण्डएम कार्य था तथा भविष्य के संदर्भों के लिए नए क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने का अवसर था। प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण यह अवसर खो दिया जिसके कारण 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की निष्पादन गारंटी को भुना लिया गया।

प्रबंधन ने में कहा (20 सितम्बर 2019) कि:

- साइट के दौरों के दौरान ईयूएस द्वारा प्रदान की गई ड्राइंग बहुत पुरानी थी तथा यह सुनिश्चित नहीं था कि पॉवर हाउस पर समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को ड्राइंग में शामिल किया गया है या नहीं। जैसेकि, डिजाइन व इंजीनियरिंग गतिविधियों की शुरुआत के लिए ईयूएस से अपेक्षित इनपुटों की सूची ईयूएस को भेजी गई थी। एकत्र किए गए इनपुटों तथा ईयूएस के साथ चर्चा के आधार पर संशोधित अनुसूची तैयार की गई थी।
- भेल उपलब्ध डेटा की शुद्धता की जांच के बाद ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था जिसे मौजूदा उपकरणों के भौतिक माप से निर्धारित किया जाना था, जिसके लिए ईयूएस ने 12 जुलाई 2017 से 25 अगस्त 2017 तक तथा दोबारा 11 सितम्बर 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक मशीनों को बंद करने के वचन दिया था। तथापि, शटडाउन होने का इंतजार किए बिना ही, ईयूएस ने आगे बढ़कर 07 मार्च 2017 को ही संविदा रद्द कर दी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

- संविदा पर हस्ताक्षर होने की तिथि के दो वर्ष समाप्त होने के बावजूद, भेल प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने तथा ईयूएस को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। मार्च 2016 में ईयूएस द्वारा एलसी खोलने के बाद भी मार्च 2017 तक भेल द्वारा कोई ठोस कार्यवाई (नवंबर 2016 में एक बैठक के अतिरिक्त) नहीं की गई, जब ईयूएस ने अंततः भेल के गैर-निष्पादन के कारण संविदा रद्द कर दी।
- ईयूएस द्वारा जारी नोटिसो के उत्तर में, भेल ने ईयूएस द्वारा मशीनों को बंद करने के प्रावधान न होने के कारण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की असमर्थता को सूचित नहीं किया। इसके अलावा, जैसा कि कानूनी सलाहकारों का मत था, भेल के पास ईयूएस द्वारा बैंक गारंटी के नकदीकरण को गलत साबित करने के लिए वैध कानूनी मामला नहीं था।

इस प्रकार, भेल ने प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण न केवल 3.83 मिलियन (₹28.35 करोड़) खो दिए बल्कि भविष्य के संदर्भों के लिए नए क्षेत्र के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

#### 6.2 सीवरेज उपकरण का परिहार्य भुगतान

भेल का हैदराबाद का हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड द्वारा दी गई सीवरेज उपकरण में छूट का लाभ उठाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक ₹21.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की एक ईकाई, हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद ने हैदराबाद मेट्रोपोलिटन जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) से उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए टैरिफ के अनुसार अपनी फैक्टरी तथा टाउनशिप के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था की। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने संशोधित जल और सीवरेज टैरिफ को 1 दिसंबर 2011 से प्रभावी किया (नवंबर 2011) जिसमें मासिक जल प्रभारों पर 35 प्रतिशत सीवरेज उपकरण शामिल किया गया। टैरिफ आदेश में थोक उपभोक्ताओं के लिए सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत

(अर्थात्, 17.5 प्रतिशत) की छूट प्रदान की गई, ताकि वे अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो।

तब तक, एचपीईपी औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों के उपचार के लिए अपने कारखाने और टाउनशिप के लिए पहले से ही अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना कर चुका था। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने कंपनी को दोहराया (जनवरी 2012) कि प्रोत्साहन केवल तभी लागू होता है जब बोरवेल के पानी सहित उपयोग किए गए पानी की पूरी मात्रा को अन्य उपयोगों के लिए उपचारित और पुनर्नवीनीकरण किया जाता हो। इसके अलावा, एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने उन उपभोक्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए (31 अक्टूबर 2013), जिन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थापना की थी और छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया था। इसके साथ साथ यह भी निर्धारित किया गया, कि एसटीपी की स्थापना करने वाले सभी उपभोक्ताओं से छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में एक महीने में एक बार एसटीपी की जानकारी के अतिरिक्त छह माह में एक बार पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एचपीईपी ने बताया था कि इसके द्वारा उपयोग किए गए संपूर्ण पानी का उपचार किया गया है तथा एसटीपी और ईटीपी दोनों संयंत्रों के लिए नियमित रूप से ईपीटीआरआई परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, फिर भी इसने छूट प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार यह स्थापित करने के लिए कि बोरवेल के पानी सहित उपयोग किए गए पानी की पूरी मात्रा को अन्य उपयोगों के लिए उपचारित और पुनर्नवीनीकरण किया गया है, एचएमडब्ल्यूएसएसबी को ईपीटीआरआई का छह मासिक प्रमाण पत्र और निर्धारित मासिक प्रोफार्मा (एसटीपी और ईटीपी से संबंधित) में संबंधित आवश्यक डेटा प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, एचपीईपी ने जनवरी 2012 से मार्च 2019 की अवधि में 35 प्रतिशत की दर से सीवरेज उपकरण प्रभागों के लिए ₹42.48 करोड़ (फैक्ट्री के लिए ₹13.82 करोड़ और टाउनशिप के लिए ₹28.66 करोड़) का भुगतान किया। चूंकि कंपनी एचएमडब्ल्यूएसएसबी को अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करने में विफल रही, इसलिए यह जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक की अवधि में एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा स्वीकृत ₹21.24 करोड़ तक सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत छूट की राशि का लाभ नहीं उठा सकी। प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- यूनिट का अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था और वह इन प्लांट्स का रखरखाव स्वयं ही कर रही थी। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने मार्च 2009 से 35 प्रतिशत सीवरेज उपकरण लगाना शुरू किया। सीवरेज उपकरण का

भुगतान मार्च 2009 से दिसंबर 2011 की अवधि के विरोध के तहत किया गया था। यूनिट ने सीवरेज उपकरण के उद्ग्रहण और मांग को चुनौती देने के लिए अगस्त 2012 में एक रिट याचिका इस आधार पर दायर की थी कि वे एसटीपी और ईटीपी स्वयं संचालित कर रहे थे।

- चूँकि, रिट याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी, इस मामले को हल करने के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी के समक्ष मामला उठाया गया था। मई 2019 में नया समझौता करते समय, एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने 50 प्रतिशत छूट की अनुमति देने और भविष्य के पानी के बिल में इसे समायोजित करने की स्वीकृति दी। तदनुसार, फरवरी 2019 के महीने में जुलाई 2009 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए सीवरेज उपकरण की छूट के दावे प्रस्तुत किए गए थे।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेश के अनुसार, सीवरेज उपकरण में छूट जनवरी 2012 से थोक उपभोक्ताओं के लिए लागू थी जो स्वयं एसटीपी और ईटीपी का संचालन करते हैं। इसलिए, 100 प्रतिशत सीवरेज उपकरण की छूट के लिए कंपनी का दावा मान्य नहीं था। अगस्त 2012 में कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है।
- मई 2019 में भेल और एचएमडब्ल्यूएसएसबी के बीच हुए नए समझौते में यह नहीं कहा गया है कि एचएमडब्ल्यूएसएसबी भविष्य के पानी के बिलों में सीवरेज उपकरण में छूट को समायोजित करेगा। इसके अलावा, भविष्य के पानी के बिलों में छूट के समायोजन के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी की सहमति दिखाने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था।
- एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा जारी परिपत्र (अक्टूबर 2013) के अनुसार, अपने स्वयं के एसटीपी वाले थोक उपयोगकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में छह महीने में एक बार ईपीटीआरआई द्वारा यथावत प्रमाणित एसटीपी विवरण मासिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। हालाँकि, फरवरी 2019/ अप्रैल 2019 में दावा प्रस्तुत करते समय, कंपनी ने प्रत्येक महीने के बजाय छह महीने की अवधि के लिए एसटीपी का विवरण प्रस्तुत किया, वह भी यथा अपेक्षित ईपीटीआरआई के प्रतिहस्ताक्षर के बिना।

इस प्रकार, सीवरेज उपकरण में छूट का लाभ उठाने के लिए एसटीपी एवं ईटीपी से संबंधित डेटा एचएमडब्ल्यूएसएसबी को प्रेषित करने में भेल एचपीईपी, हैदराबाद की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹21.24 करोड़ का

अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। उक्त अवधि के दौरान सीवरेज उपकरण पर 50 प्रतिशत की छूट के लाभ का दावा करने के लिए भेल द्वारा छोड़े गए अवसर का यह भी अर्थ था कि एसटीपी के कामकाज की प्रभावशीलता पर तीसरे पक्ष के आश्वासन का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका तथा मानकों के अनुसार एसटीपी के गैर-प्रदर्शन के जोखिम को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया जा सका।

मामले को मंत्रालय को दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2020)।

### हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड (एचईसी)

## 6.3 टाउनशिप एंड लैंड मैनेजमेंट

### 6.3.1 प्रस्तावना

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी या कंपनी) इस्पात, खनन, रेलवे, विद्युत, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु तथा रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में बड़े उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। बिहार सरकार (जीओबी) ने 1958-59 के दौरान एचईसी को 7199 एकड़ भूमि आवंटित की [फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी), हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी) व हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) को स्थापित करने तथा अन्य सहायक व संबंध प्रयोजन के लिए 2312 एकड़ भूमि मुफ्त तथा टाउनशिप व अन्य सहायक प्रयोजनों के लिए ₹2.75 करोड़ की लागत पर 4887 एकड़ भूमि]। एचईसी ने एफएफपी, एचएमबीपी व एचएमटीपी की स्थापना की तथा इसकी टाउनशिप में अन्य इमारतों जैसे हॉस्टल, अस्पताल, स्कूल भवन, दुकान इत्यादि के अलावा 11109 क्वार्टर हैं।

एचईसी में भूमि तथा टाउनशिप प्रबंधन पर एक अध्ययन यह निर्धारण करने के लिए किया गया था कि क्या भूमि तथा टाउनशिप सेवाओं का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया गया था, अन्य पार्टियों को भूमि पट्टे पर देने की नीति की मौजूदगी व अनुपालन, पट्टे का समय पर नवीनीकरण किया गया, सम्पदा बकाया वसूली की गयी तथा भूमि व इमारतों के अतिक्रमण को पहचानने व हटाने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावी प्रणाली थी। अप्रैल व मई 2019 में तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए एचईसी की भूमि तथा टाउनशिप प्रबंधन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई।

### 6.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 6.3.2.1 भूमि प्रबंधन

##### (i) भूमि का उपयोग

31 मार्च 2019 को कंपनी की भूमि की स्थिति नीचे दी गई हैं।

तालिका 6.3.1: 31 मार्च 2019 को एचईसी द्वारा प्राप्त भूमि की स्थिति

विवरण	भूमि एकड़ में	कुल भूमि का प्रतिशत
फैक्टरी, आवासीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र के लिए प्रयुक्त भूमि तथा टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि (फैक्टरी क्षेत्र 729.27, आवासीय क्षेत्र 772.96, अन्यक्षेत्र (ड्रेनेज टाउनशिप) 166.92 टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि 900.00	2569.15	36
जीओजे (2691.44 एकड़) तथा सीआईएसएफ (158 एकड़) को भूमि हस्तांतरित भूमि	2849.44	40
जीओजे [306.86 एकड़ (अतिक्रमण के अधीन भूमि) +19.13 एकड़] को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि	325.99	5
पट्टे पर दी गई भूमि/ विभिन्न ऐजेन्सियों को पट्टे पर दी गई भूमि (सेल/ आरडीसीआईएस, एनआईएफएफटी, शैक्षणिक संस्थाएं, जेएससीए, पेट्रोल पंप, बीएसएनएल, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लिमिटेड)।	313.31	4
ओएनजीसी, एसआईबी, सीबीआई, यूआईएआई-आधार, टीवीएनएल, सीडब्ल्यूसी, ईईएसएल (जनवरी 2020 लंबित) को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित भूमि (फरवरी 2016 - मई 2018 के दौरान प्राप्त हुए निवेदन)	126.37	1
अतिक्रमण के अधीन जमीन	73.05	1
एचईसी की शेष खाली भूमि	942.20	13
<b>जोड़</b>	<b>7,199.51</b>	<b>100</b>

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एचईसी को भूमि अपने संयंत्र, टाउनशिप के निर्माण व स्थापना के विशेष उद्देश्य तथा अन्य सहायक और संबंध प्रयोजन के लिए दी गई थी, कंपनी ने इस प्राथमिक उद्देश्य के लिए केवल 36 प्रतिशत भूमि का उपयोग किया (फैक्टरी के लिए 729.27 एकड़ टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि सहित टाउनशिप के लिए 1,839.88 एकड़)। 44 प्रतिशत भूमि अन्य एजेन्सियों (2,849.44 + 313.31 एकड़) को हस्तांतरित की गई तथा इसके पास खाली भूमि (31 मार्च 2019 तक) 44 प्रतिशत थी।

कंपनी के पास उपलब्ध अधिक मात्रा में अप्रयुक्त भूमि के संबंध में, खाली भूमि के अतिक्रमण के खतरे तथा इसकी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 126.37 एकड़ भूमि सरकार/ अन्य एजेन्सियों को हस्तांतरित करने के लिए चिन्हित की गई थी। ₹1,036.42 करोड़<sup>1</sup> मूल्य वाली शेष 942.20 एकड़ भूमि के लिए कंपनी के पास कोई लाभदायक भूमि उपयोग योजना नहीं थी। कंपनी को सीबीआई, सीआईएसएफ, ऑइल पीएसयू तथा इंडियन आर्मी आदि से 136.645 एकड़ तक भूमि के आवंटन के लिए (फरवरी 2016 से अप्रैल 2018) के दौरान विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए। यद्यपि यह मामला भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) के साथ कंपनी द्वारा उठाया गया (दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2018 तक), परन्तु वे अंतिम रूप देने के लिए लंबित रहे (मार्च 2020)। लेखापरीक्षा ने पाया कि एचईसी बोर्ड में भी अतिक्रमण के अधिक खतरे का उल्लेख किया (जून 2014) यदि सुरक्षा के लिए सीमित श्रमबल के परिप्रेक्ष्य में भूमि अनुपयोगी रही।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि भूमि का 84.14 प्रतिशत उपयोग किया गया था तथा 1,068.57 एकड़ भूमि एचईसी के भविष्य के प्रयोग के लिए उपलब्ध थी। प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि उद्योग, टाउनशिप तथा अन्य सहायक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए एचईसी को भूमि आवंटित की गई थी, जबकि कई वर्षों में इसे कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता व बकाया देयों को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा हस्तांतरित करना पड़ा तथा प्रबंधन अतिक्रमण से भूमि को सुरक्षित करने में भी असमर्थ था। कंपनी के पास शेष उपलब्ध 942.20 एकड़ भूमि के उपयोग के लिए कोई लाभदायक योजना नहीं है।

### 6.3.2.2 भूमि का पट्टे पर देना तथा अतिक्रमण

#### (i) भूमि के अतिक्रमण के कारण जीओजे से ₹75.30 करोड़ की वसूली न होना

भारत सरकार (जीओआई) (सितम्बर 2008) द्वारा अनुमोदित पुनरूत्थान पैकेज के अनुसार, 2,342 एकड़ अतिक्रमण मुक्त भूमि को एचईसी द्वारा झारखंड सरकार (जीओजे)

<sup>1</sup> जीओजे को भूमि अंतरण के लिए ₹1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर मानते हुए



को हस्तांतरित किया जाना था तथा एचईसी को ₹250 करोड़ प्राप्त होने थे। एचईसी ने 2,035.14 एकड़ भूमि जीओजे को हस्तांतरित की तथा शेष 306.86 एकड़ भूमि हस्तांतरित नहीं की गई क्योंकि वह अतिक्रमण के अधीन थी। जीओजे ने कंपनी को ₹75.30 करोड़ का शेष छोड़कर ₹174.70 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शेष भूमि में अतिक्रमण के समयबद्ध निष्कासन को सुनिश्चित करने के लिए जीओजे ने एचईसी को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन (अप्रैल 2009) दिया। तथापि कंपनी ने राज्य सरकार के साथ नियमित अंतराल पर अतिक्रमित भूमि को हटाने का मामला नहीं उठाया। 2009 के बाद, यह मामला 2012 में अर्थात्, तीन साल बाद उठाया गया। एचईसी ने डीएचआई को संपर्क किया (2015), परन्तु मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई पहल नहीं की। 306.86 एकड़ भूमि से अतिक्रमण को हटाने में तथा अतिक्रमण मुक्त भूमि को जीओजे को सौंपने में एचईसी प्रबन्धन की असमर्थता के कारण ₹75.30 करोड़ (₹48.97 करोड़ + ₹26.33 करोड़) प्राप्त नहीं हो सके।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि डीएचआई के आदेश (21 अक्टूबर 2019) के अनुसार, 306.86 एकड़ भूमि में से 107.28 एकड़ भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उपयोग किया जाएगा तथा शेष 199.58 एकड़ को 'जैसे है उसी आधार पर' जीओजे को दिया जाएगा। जीओजे आनुपातिक राशि ₹48.97 करोड़ एचईसी को भुगतान करेगा। संशोधित राशि अभी तक कंपनी द्वारा प्राप्त की जानी थी।

### 6.3.2.3 भूमि को पट्टे पर देना

कंपनी ने भूमि को पट्टे पर देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। अलग-अलग संगठनों को अलग-अलग दरों पर जमीन आवंटित की गई तथा पट्टा नवीकरण प्रभारों में कोई एकरूपता नहीं थी। प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि भूमि को पट्टे पर देने की नई नीति की प्रक्रिया चल रही थी। कंपनी द्वारा भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित कुछ मुद्दों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

#### (i) जीआरएसई से ₹48.92 करोड़ की गैर-प्राप्ति

एचईसी ने 1966 से 30 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए मरीन डीजल इंजन प्लांट (एमडीईपी) स्थापित करने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को 62 एकड़ भूमि आवंटित की। एचईसी ने लाइसेंस शुल्क या पट्टा किराया प्रभारित नहीं किया। एचईसी ने एक नए करार के लिए जीआरएसई (अगस्त 1999) को संपर्क किया जिसके अप्रैल 1996 में उपरोक्त भूमि के लिए मान लिया गया कि 30 वर्षों के लिए मूल करार खत्म हो गया। ₹14.88 करोड़ के (प्रति एकड़ ₹0.24 करोड़ की दर

पर) एक बार पट्टा प्रीमियम (ओटीपी) तथा 10 प्रतिशत के साथ ₹1.48 करोड़ का वार्षिक पट्टा किराया एचईसी के अनुसार देय था। जीआरएसई ने एचईसी से पट्टा करार की प्रति की मांग की तथा यह कहते हुए किसी भी पट्टा डीड को करने से इंकार कर दिया कि विचाराधीन भूमि पर लम्बे समय से उनके कब्जे के द्वारा उन्होंने अधिकार तथा टाइटल हासिल की थी।

एचईसी ने कानूनी राय (2012) प्राप्त की, जिसने सिफारिश की कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन तत्काल कदम उठाए जाएं। एचईसी ने मामले के लिए एक मध्यस्थ नामित करने हेतु डीपीई अनुरोध किया (अप्रैल 2013)। इस मामले को परमानेंट मशीनरी ऑफ आर्बिट्रेशन को संदर्भित किया गया (जून 2015), जिसका निष्कर्ष था कि हस्ताक्षरित औपचारिक पट्टा करार के अनुपलब्धता के कारण, तत्काल मामला आर्बिट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता था तथा दोनों पक्षों द्वारा इसे निपटाने की जरूरत थी। एचईसी ने, कोर्ट ऑफ एस्टेट ऑफिसर से संपर्क किया (अप्रैल 2018) तथा निष्कासन के लिए मामला दायर किया। जीआरएसई ने इसके खिलाफ स्टे प्राप्त किया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एचईसी के पास वर्ष 1999 तक जब कंपनी के सामने मामले आया, पट्टा समझौता नहीं था या यह दर्शाने के लिए पट्टा करार या कोई रिकार्ड नहीं था कि एचईसी द्वारा पट्टा की गई थी। इस प्रकार, कानूनी दस्तावेजों के अभाव में एचईसी को 62 एकड़ भूमि जीआरएसई के अनधिकृत कब्जे में रही तथा विवाद को अभी भी जीआरएसई के साथ आपसी सहमति के सुलझाया जाना बाकी था। कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कंपनी को ₹48.92 करोड़ पट्टा किराया तथा पट्टा नवीनीकरण प्रभार प्राप्त नहीं हो सके। [ओटीपी के रूप में ₹14.88 करोड़ एवं पट्टा किराया ₹34.04 करोड़ (₹1.48 करोड़ x 23 वर्ष)]।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) एचईसी व जीआरएसई के बीच करार पर एचईसी तथा बिहार सरकार के बीच डीड ऑफ कोन्वेयंस के न होने के कारण करार पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे। एचईसी तथा जीआरएसई के सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। उत्तर में प्रबंधन की निष्क्रियता को इस तथ्य के मद्देनजर नहीं बताया गया कि फरवरी 1996 में संपूर्ण भूमि के लिए डीड ऑफ कोन्वेयंस को पंजीकृत किया गया था, परन्तु उसके तुरंत बाद जीआरएसई के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

## (ii) पट्टा का गैर-नवीनीकरण

जैसा कि ऊपर पैरा 2.3 में उल्लेख किया गया है, कंपनी ने भूमि को पट्टे पर देने की कोई नीति नहीं बनाई थी। तीसरे पक्षकार के साथ एचईसी द्वारा किए गए पट्टा करार की

सामान्य पट्टा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पट्टेदार को पट्टी अवधि के लिए ओटीपी का भुगतान करना था तथा प्रीमियम का दस प्रतिशत अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष किराए के रूप में देना था। लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए पट्टा के गैर-नवीनीकरण के मामले नीचे दिए गए हैं:

**(iii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी**

एचईसी ने जून 1968 में हटिया में प्रति वर्ष ₹0.26 लाख की दर से तीस वर्षों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी) को 57.47 एकड़ भूमि पट्टे पर दी थी। पट्टा करार पर 31 मार्च 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। जून 1998 में पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात एचईसी द्वारा वन टाइम प्रीमियम ₹3.45 करोड़ तथा वार्षिक पट्टे किराया ₹0.34 करोड़ तय किया गया था। एनआईएफएफटी ने इस दलील पर संशोधित पट्टा प्रीमियम का भुगतान करने से मना कर दिया कि यह एक गैर-लाभकारी संगठन था तथा 2012-13 तक पुरानी दर पर भुगतान करना जारी रखा। यह भी कहा गया कि इस मामले को उद्योग मंत्रालय के साथ उठाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया था (मार्च 2000)। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी ने अक्टूबर 2012 तक एनआईएफएफटी के साथ इस मामले को फॉलो अप नहीं किया तथा अक्टूबर 2014 व फरवरी 2019 में पत्र भेजे गए। पट्टा की 21 वर्षों की समाप्ति के बाद भी नवीनीकरण नहीं किया गया। एनआईएफएफटी ने 2013-14 के बाद से पट्टा किराया ₹0.51 लाख प्रति वर्ष भुगतान करना शुरू किया। इस प्रकार, पट्टा के नवीनीकरण करने में कंपनी की विफलता के कारण एनआईएफएफटी से ₹10.69 करोड़ (₹7.24 करोड़ पट्टा किराए के साथ ओटीपी के रूप में ₹3.45 करोड़) प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि मामले को एनआईएफएफटी के साथ निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा था। पट्टा करार को अंतिम रूप देने व नवीनीकरण करने में प्रबंधन की निष्क्रियता की ओर उत्तर में संकेत किया गया है जिस के कारण पट्टा प्रभारों की हानि हुई। मंत्रालय के साथ मामला नहीं उठाए जाने वाले लेखापरीक्षा के सवाल पर भी प्रबंधन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

**(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड**

एचईसी ने 21 अप्रैल 1985 को बिना किसी पट्टा करार के 30 वर्षों के लिए ₹0.03 लाख प्रति वर्ष की दर से बीएसएनएल को 1.38 एकड़ भूमि आवंटित की। आवंटन के 30 वर्षों की आरंभिक अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, पक्षकारों द्वारा दर में संशोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा हाल ही में एक स्वतंत्र एजेन्सी<sup>2</sup> द्वारा किए गए

<sup>2</sup> समर्थ इंजीनियर्स

(अक्टूबर 2016) डिजीटल सर्वे के अनुसार बीएसएनएल के कब्जे में कुल भूमि 1.43 एकड़ का पता चला। इस प्रकार, बीएसएनएल का चार वर्षों से संशोधित प्रभारों का भुगतान किए बिना कंपनी की भूमि पर कब्जा था तथा उसने 0.05 एकड़ भूमि का अतिक्रमण भी किया। कंपनी ने बीएसएनएल को 30 वर्षों (अर्थात् 2015 में) की आवंटन की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के दो वर्षों बीतने के बाद पट्टा के नवीनीकरण का अनुरोध किया (जुलाई 2017)। कंपनी ने इसके बाद बीएसएनएल के साथ कोई प्रवाचार नहीं किया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि मामले को निपटाने की प्रक्रिया चल रही थी।

#### 6.3.2.4 टाउनशिप प्रबंधन

एचईसी के पास अपने कर्मचारियों/ पूर्व कर्मचारियों को अपने संयंत्र के पास रहने की सुविधा के लिए एक टाउनशिप है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीददारी स्थानों को भी विकसित किया। बैंक, शिक्षण संस्थान, राज्य सरकार के कार्यालय, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) जैसे अन्य संगठन भी एचईसी टाउनशिप की परिधि में आते हैं।

##### (i) क्वार्टर का अनधिकृत आधिपत्य

एचईसी टाउनशिप में 2 मई 2019 को उपलब्ध क्वार्टर, खाली क्वार्टर तथा अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-6.3.2

क्वार्टर की संख्या	आवंटित क्वार्टर	खाली क्वार्टरों की संख्या	खराब/ अनफिट क्वार्टर	अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर (पूर्व कर्मचारियों द्वारा)	अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर (अन्य द्वारा)
11,109	10,433	395	160	9 <sup>3</sup>	112 <sup>4</sup>

उपरोक्त तालिका से देखा गया है कि 395 क्वार्टर खाली थे, 160 क्षतिग्रस्त थे तथा 121 क्वार्टर (112+9) अनधिकृत आधिपत्य के अधीन थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत आधिपत्य के अधीन 69 क्वार्टर के संबंध में ₹2.81 करोड़ (मार्च 2019 तक) वसूल नहीं कर सकी। यह पाया गया कि उपरोक्त 69 क्वार्टर में से, 46 क्वार्टर 20 से अधिक वर्षों से अनधिकृत आधिपत्य (कब्जे) में हैं तथा शेष 43 क्वार्टर (112-69) के संबंध में प्रबंधन के पास डेटा उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने 2015-19 के दौरान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन केवल 6 क्वार्टर के संबंध में

<sup>3</sup> जुलाई 2014 तक के बाद से

<sup>4</sup> 20 वर्षों से अधिक

मामले दर्ज किए, जिनमें से दो क्वार्टर के संबंध में निष्कासन आदेश पारित किए गए तथा चार मामले प्रक्रिया धीन थे। अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टरों को खाली करने के लिए प्रबंधन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.81 करोड़ (69 क्वार्टर) की गैर-प्राप्ति हुई जो समय के साथ बढ़ती गई।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि ऐसे सभी अनधिकृत आधिपत्य वालों को क्वार्टरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि प्रबंधन ने केवल नौ पूर्व कर्मचारियों को ही नोटिस जारी किया था जिन्होंने अनधिकृत रूप से क्वार्टरों पर कब्जा किया था। इसके अलावा, कंपनी का क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे के कारण लगातार हानि उठाना जारी है।

## (ii) सम्पदा देयों की उगाही न होना

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार घर किराया, बिजली व पानी प्रभार के प्रति विभिन्न एजेन्सियों के खिलाफ बड़ी राशि बकाया थी।

तालिका 6.3.3: 31 मार्च 2019 तक एचईसी की बकाया सम्पदा देयों को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	बकाया राशि (₹करोड़ में)			
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
कर्मचारियों को पट्टे पर दिए गए क्वार्टर (लीव तथा लाइसेंस)	0.06	0.11	0.14	0.07
अनुकंपा आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आवंटित किए गए क्वार्टर	0.19	0.23	0.26	0.28
कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लम्बी अवधि के पट्टे पर दिए गए क्वार्टर	1.37	1.62	1.16	1.03
गैर-आवासीय इमारत	0.40	0.61	1.53	2.79
बाहरी एजेन्सियों अर्थात् कंपनी कर्मचारियों के अलावा को आवंटित इमारत	4.25	4.85	5.53	6.14
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	1.02	2.25	1.18	1.80
कंपनी द्वारा आवंटित दुकाने	1.31	1.48	1.68	5.00
एचईसी की कर्मचारी यूनियन (यूएनआई)	0.00	0.01	--	--
<b>जोड़</b>	<b>8.60</b>	<b>11.16</b>	<b>11.48</b>	<b>17.11</b>

बकाया देय मार्च 2016 में ₹8.60 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में ₹17.11 करोड़ हो गए। उपरोक्त में से, प्रबंधन ने खातों में ₹6.62 करोड़ के लिए संदिग्ध वसूली का प्रावधान किया था।

प्रबंधन ने कहा कि नियमित आबंटिती अपने देय जमा कर रहे थे जबकि चूककर्ताओं को नोटिस दिए गए थे, इसी प्रकार दुकानों के लिए ₹5 करोड़ बकाया देय एक पूर्व-निर्धारित अनुमान था। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी के राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक दुकानों के प्रति कुल देय ₹5 करोड़ थे।

बकाया देयों की वसूली न होने के महत्वपूर्ण मामले नीचे वर्णित किये गए हैं-

- जीओजे से एचईसी को भारी मात्रा में पीने का पानी प्राप्त होता है तथा इसे टाउनशिप में उपभोक्ताओं के दरवाजे तक पहुँचाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओजे ने 31 मई 2006 से जल प्रभार को संशोधित किया तथा 1 अगस्त 2009 से प्रभावी ₹5 प्रति केएल (₹22.75 प्रति किलो गैलन) की दर से एचईसी के साथ बिलिंग शुरू की। जीओजे ने एचईसी को अगस्त 2009 और मई 2013 के बीच की अवधि के लिए जल प्रभार के लिए ₹13.23 करोड़ का भुगतान करने को कहा। तथापि एचईसी द्वारा इस अवधि के लिए लाभार्थियों से वसूली गई राशि केवल ₹4.25 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जीओजे ने पानी की खपत के लिए एक निश्चित दर पर एचईसी से प्रभार लिया, लेकिन कंपनी ने एक समान दर पर ही जल प्रभार की वसूली की। कंपनी ने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए इसके द्वारा किए गए रखरखाव, वितरण व संप्रेषण लागत के लिए भी प्रभार नहीं लिया था जबकि जीओजे द्वारा कंपनी से खुदरा दरों पर प्रभार लगाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अधिप्राप्ति कीमत तथा जलप्रभार की वसूली के बीच व्यापक अंतर आया और एचईसी विभिन्न एजेन्सियों/ आवासीय भवन पर कब्जा करने वालों से (31 मार्च 2019 को) ₹2.68 करोड़ की वसूली नहीं कर सका। इसके अलावा, जीओजे की मांग (अगस्त 2009 से मार्च 2019) के अनुसार एचईसी को जल प्रभारों पर ₹25.17 करोड़ का भुगतान करना था।

प्रबंधन ने कहा कि जल प्रभार संग्रहण में कमी मुख्य रूप से चूककर्ता आवंटियों एवं जीओजे द्वारा सेवन से ज्यादा दावाकृत राशि तथा आपूर्ति के दौरान रिसाव आदि जैसे कारणों की वजह से आपूर्ति के दौरान होने वाले नुकसान की अनदेखी के कारण हुई। प्रबंधन के उत्तर को आवंटितियों से पानी प्रभार के संग्रहण में कमी के कारण होने वाले नुकसान के प्रति देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पानी की आपूर्ति को मापने के लिए आवश्यक फ्लो मीटर स्थापित नहीं किए गए थे तथा लगभग 15 वर्षों की समाप्ति के बाद भी जीओजे द्वारा आपूर्ति की गई पानी की मात्रा का समाधान नहीं किया जा सका।

- 29 क्वार्टर विभिन्न क्लबों, समितियों तथा एचईसी उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवंटित किए गए, जिसके लिए कंपनी ने इन संगठनों से मकान किराया, बिजली व पानी प्रभार लिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी समिति के प्रति

₹1.38 करोड़ और क्लब व समिति के प्रति ₹0.34 करोड़ बकाया थे (31 मार्च 2019)। पर्याप्त निगरानी तथा प्रभावी प्रबंधन के अभाव में एचईसी इन क्लबों, समिति तथा एचईसी सहकारी समिति से बकाया राशि प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि विभिन्न क्लबों, समितियों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के कब्जे में परिसरों के आवंटन की प्रमाणिकता सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम 1971 के अनुसार सत्यापित की जाएगी, उसके बाद देय राशि की वसूली की जाएगी या अनिधिकृत आधिपत्य का निष्कासन किया जाएगा।

- कंपनी द्वारा छह इमारतें डाकघर को चलाने के लिए डाक विभाग को आवंटित की गईं। मई 2009 में एचईसी द्वारा किराए को संशोधित किया गया था तथा उपरोक्त परिसर के लिए संशोधित किराए का दावा किया गया (दिसम्बर 2013)। डाक विभाग ने संशोधित बिलों पर विवाद किया तथा एचईसी से मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया जिसे प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि डाक विभाग संशोधित बिलों का भुगतान करने को तैयार नहीं था, इसलिए बकाया देय राशि ₹1.40 करोड़ (31 मार्च 2019) तक जमा हो गई। एचईसी ने इमारतों का आवंटन रद्द कर दिया (फरवरी 2015)। यद्यपि, डाक विभाग ने न तो परिसर को खाली किया और न ही बढ़े हुए बिलों का भुगतान किया। प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि डाक प्राधिकारियों को नियमित रूप से याद दिलाया गया है।
- बीएसएनएल को चार कार्यालय भवन तथा पांच आवासीय क्वार्टर आवंटित किए गए (जैसा कि उपरोक्त पैरा में चर्चा की गई है)। कंपनी बीएसएनएल से ₹0.32 करोड़ वसूल नहीं सकी। देय राशि मार्च 2008 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए बकाया थे। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी प्रबंधन ने जुलाई 2017 के बाद बीएसएनएल के साथ कोई पत्राचार नहीं किया था।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि देयों का भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद, यदि राशि बकाया है, तो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अनुसार हर्जाने की मांग का नोटिस दिया जाएगा।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा कोई उचित कार्रवाई के अभाव में, ₹17.11 करोड़ प्राप्त नहीं हो सके तथा बकाया रहे (31 मार्च 2019)।

### 6.3.2.5 आरएमसी को पेयजल वितरण प्रणाली सौंपने में देरी

नगरपालिका सेवाएं जैसे पेयजल की आपूर्ति, सीवेज निपटान प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट का एचईसी द्वारा अपनी टाउनशिप में रखरखाव किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टोरेज टैंक सेवा योग्य नहीं थे तथा कई पाइपलाइन लीक हो रही थी जो पेयजलको दूषित कर सकती थी। जलआपूर्ति तथा सीवेज निपटान प्रणाली का रखरखाव करने तथा उपयोगकर्ताओं से सेवाओं की लागत को वसूल करने में असमर्थता, तथा क्योंकि 85 प्रतिशत उपयोगकर्ता कंपनी के कर्मचारी नहीं थे, को देखते हुए एचईसी बोर्ड ने सम्पूर्ण जल आपूर्ति नेटवर्क को रांची नगर निगम (आरएमसी) को सौंपने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)। बोर्ड ने इस पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए मंत्रालय (डीएचआई) को ऐसे अंतरण के निबंधन व शर्तों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तथापि, लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया, कि बोर्ड के निर्देश के छह वर्ष बीतने के पश्चात भी, कंपनी द्वारा डीएचआई को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2020)।

प्रबंधन ने कहा कि मामला जीओजे के साथ उठाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन ने मामले को (सितम्बर 2017) जीओजे के साथ उठाया अर्थात् पूरे जल आपूर्ति नेटवर्क को आरएमसी को सौंपने के बोर्ड के निर्णय के चार वर्ष पश्चात। जनवरी 2019 में ही जीओजे के शहरी विकास तथा आवास विभाग से संपर्क किया गया था। अनुमोदन के लिए मंत्रालय (डीएचआई) को जल आपूर्ति नेटवर्क के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर प्रबंधन के उत्तर में उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, प्रबंधन की कार्रवाई करने में देरी से, इसको प्रदान की गई सेवाओं की लागत की वसूली करने में असमर्थ होने के कारण नुकसान उठाना जारी रहा। इसके अलावा, पुरानी व अनुपयोगी पाइपलाइन के मद्देनजर निवासियों को दूषित पानी की आपूर्ति का जोखिम है। एचईसी बोर्ड छह वर्ष पहले के अपने निर्णय के अनुपालन की मानीटरिंग करने में भी विफल रहा।

### 6.3.2.6 होल्डिंग टैक्स की गणना के लिए राज्य के प्राधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत नहीं करना

आरएमसी के साथ जुलाई 1991 में हुए करार के अनुसार, एचईसी होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹0.08 करोड़/ प्रति वर्ष की एकमुश्त राशि का भुगतान कर रहा था। यह भी सहमति हुई थी कि आरएमसी एचईसी के साथ एक प्रतिनिधित्व तथा विशिष्ट करार के बिना प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत या अनधिकृत निर्माणों पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आरएमसी ने सूचित (नवम्बर 2016) किया कि झारखंड संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली) नियमावली 2013 के अधिनियमन के बाद, संशोधित दरों पर अप्रैल



2016 से देय एचटी का निर्धारण तीन महीने के अन्दर पूरा किया जाना था। एचईसी को उन इमारतों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जिनके संबंध में कंपनी को 14 दिसम्बर 2016 तक एचटी का भुगतान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने आरएमसी को इमारतों व क्वार्टरों की संख्या सूचित की (फरवरी 2017)। आरएमसी ने एचईसी को एक नोटिस भेजा (8 मार्च 2018) और एचटी की संगणना के लिए एचईसी टाउनशिप में स्थित इमारतों के संबंध में विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए कहा। एचईसी ने पूरी जानकारी प्रदान नहीं की तथा इसलिए आरएमसी ने एचईसी फैक्टरी तथा कार्यालय के अधीन पूरे क्षेत्र के लिए एचटी की संगणना की। एचईसी क्षेत्र में कार्यालय भवनों के लिए संशोधित एचटी ₹1.77 करोड़ प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। 2016-17 से 2019-20 के लिए आरएमसी द्वारा कुल मांग ₹10.09 करोड़ थी जिसमें ₹7.06 करोड़ के एचटी तथा ₹3.03 करोड़ ब्याज व शक्ति के रूप में शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इमारतों का विवरण प्रदान करने तथा कंपनी द्वारा एचटी को भुगतान करने के लिए दायी इमारतों को अलग करने की बजाय, कंपनी ने झारखंड उच्च न्यायालय में संशोधित मांग के लिए एक रिट याचिका दायर की। जिसे 8 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अदालत ने मत व्यक्त किया कि चूंकि एचईसी ने आरएमसी के साथ एक करार किया था, इसलिए यह प्रतिवादी द्वाय मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य था।

इस प्रकार, आरएमसी को अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में एचईसी प्रबंधन की विफलता के कारण ₹3.03 करोड़ की शक्ति व ब्याज लगाया गया जो आगे भी बढ़ सकता था। कंपनी को अभी उन इमारतों की पहचान कर (जनवरी 2020) सूचित करना था जिनके लिए वे एचटी का भुगतान करने के लिए दायी थे। इसके अलावा, एचईसी क्षेत्र में आवासीय इमारतों के संबंध में ऐसी मांग हो सकती है जहां क्वार्टर के केवल 15 प्रतिशत ही एचईसी कर्मचारियों के पास थे।

प्रबंधन ने कहा कि जुलाई 1991 में आरएमसी तथा एचईसी के बीच करार अभी भी जारी था तथा मांग नोटिस के खिलाफ झारखंड संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली) नियमावली, 2013 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार्य के समक्ष सितम्बर 2019 में अपील दायर की गई थी। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि प्रबंधन ने एचईसी टाउनशिप में स्थित इमारतों के संबंध में आरएमसी के अनुस्कार के बावजूद अपेक्षित जानकारी नहीं दी थी।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

### 6.4 आयकर का परिहार्य भुगतान

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा लेखा बहियों में भारत सरकार के ऋण एवं अन्य देयताओं में छूट के अनुचित उपचार के परिणामस्वरूप ₹55.38 करोड़ तक का परिहार्य आयकर भुगतान एवं इसके अलावा ₹41.18 करोड़ की कर देयता हुई।

आयकर अधिनियम, 1961 में रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) की धारा 18 के साथ पठित धारा 17(3) के तहत रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पहचाना गया और कुछ राहत/रियायतें प्रदान की गईं जैसे कि पूंजीगत लाभ कर से छूट, कुछ शर्तों की पूर्ति पर संचित हानि के प्रति पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, को समंजन करने की अनुमति आदि। ये राहत/रियायतें केवल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अनुमोदन और उचित आदेश जारी करने के बाद ही स्वीकृत हैं।

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (कंपनी) को एसआईसीए<sup>5</sup> के अंतर्गत 2004 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया था क्योंकि यह लंबे समय से घाटे में चल रही थी। प्रशासनिक विभाग, अर्थात्, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने कंपनी को बंद करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय से अवगत कराया (जनवरी 2016)। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी 9 फरवरी 2017 से कंपनी को बंद करने की अनुमति (फरवरी 2017) दी।

इस बीच, सीसीईए ने देनदारियों के निर्वहन के प्रति ₹35.55 करोड़ की निधियों के आधान को अनुमोदित किया और कंपनी की अचल संपत्तियों पर हस्तांतरण अधिकार के बदले में भारत सरकार (जीओआई) के ₹115.84 करोड़ के ऋण और उस पर ₹315.92 करोड़ के ब्याज को बड़े खाते में डालने की अनुमति दी (दिसम्बर 2015)। बाद में, डीएचआई ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (केएचबी)/कर्नाटक सरकार (जीओके) को ₹66 लाख प्रति एकड़ की दर से कंपनी की पूरी 82 एकड़ 37 सेंट. भूमि की बिक्री के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत करवाया (जनवरी 2018)। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि केएचबी को भूमि का हस्तांतरण धन की प्राप्ति के बाद किया जाना था और फिर कंपनी को इसके समापन के लिए परिसमापक को सौंपना अपेक्षित था।

<sup>5</sup> रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003 द्वारा 1 दिसंबर 2016 से निष्प्रभावी किया गया था। परिणामस्वरूप, सरकार ने बीआईएफआर को भंग कर दिया और सभी लंबित मामलों को शोध अक्षमता तथा दिवालियापन कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को संदर्भित कर दिया

बाद में, जीओके ने अपने केएचबी संचालन के लिए कंपनी से ₹54.20 करोड़ के कुल मूल्य पर 82 एकड़ 12 सेंट<sup>6</sup> की सीमा तक की भूमि की खरीद के लिए एक अधिसूचना (सितंबर 2018) जारी की। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि के 57 एकड़ 8 सेंट (कारखाना क्षेत्र) को पहले चरण में पंजीकृत किया जाएगा और 25 एकड़ 4 सेंट (आवासीय) की शेष भूमि निवासियों से खाली कराने के बाद पंजीकृत की जाएगी।

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार द्वारा ऋण और उस पर ब्याज (₹467.07 करोड़<sup>7</sup>) तथा अन्य (₹5.22 करोड़) के परित्याग सहित कुल ₹472.29 करोड़ को लेखा बहियों में दर्ज कर दिया और वित्त वर्ष 2016-17 के लाभ एवं हानि लेखाओं में परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (असाधारण आय) के रूप में माना। इसने ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ और ₹145.79 करोड़ की चालू वर्ष की स्वीकार्य हानि को समायोजित करने के बाद ₹321.23 करोड़ की कुल आय को घोषित करते हुए निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2017-18 (वित्तीय वर्ष 2016-17) के लिए आयकर (आईटी) रिटर्न ई-फाईल की।

आयकर विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र ने आयकर अधिनियम (आईटी अधिनियम), 1961 की धारा 143(1) के तहत उपर्युक्त रिटर्न को संसाधित किया और ₹93.38 करोड़ (आयकर ₹75.16 करोड़+विलंबित रिटर्न के लिए जुर्माना: ₹3.76 करोड़+ अग्रिम कर के भुगतान में चूक: ₹15.98 करोड़- भुगतान किए गए करों का समायोजन: ₹1.52 करोड़) की शुद्ध कर मांग को उठाया (सितंबर 2018)। इसके बाद, आयकर विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया और आयकर के प्रति ₹55.38 करोड़ की राशि एकत्र की (जनवरी 2019)। बाद में, आयकर विभाग ने ₹41.18 करोड़ की बकाया राशि (बकाया राशि ₹38.00 करोड़ और आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) के तहत: के ब्याज ₹3.18 करोड़) के लिए एक नोटिस दिया (फरवरी 2019)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- जीओके ने 19 सितंबर 2018 को केएचबी को भूमि के हस्तांतरण को अधिसूचित किया था और कंपनी ने बिक्री की औपचारिकताओं को पूरा किया और 5 जनवरी 2019 को भूमि की बिक्री के लिए नकद प्राप्त किया। इसलिए, कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 में पूंजीगत लाभ के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए था जिसके लिए कंपनी को ₹55.23 करोड़<sup>8</sup>, के बिक्री प्रतिफल पर हुए पूंजीगत लाभ पर

<sup>6</sup> 82 एकड़ 37 सेंट में से 25 सेंट को छोड़कर जिस पर अतिक्रमण हाने की बात की गई

<sup>7</sup> ₹467.07 करोड़ में ₹315.92 करोड़ के ब्याज के साथ ₹151.15 करोड़ का भारत सरकार का ऋण शामिल है

<sup>8</sup> सीसीईए को सूचित 82 एकड़ 37 सेंट के साथ सर्वे नंबर 427 पर 1 एकड़ 31 सेंट की बिक्री जो अनजाने में छूट गई। इस प्रकार, केएचबी को बेची गई कुल भूमि 83 एकड़ 68 सेंट है और वसूल की गई राशि ₹55.23 करोड़ है। ₹55.23 करोड़ पर 1 प्रतिशत के टीडीएस की कटौती के बाद, 5 जनवरी 2019 को कंपनी को क्रेडिट की गई शुद्ध राशि ₹54.68 करोड़ थी

20 प्रतिशत की दर से शास्ति/ ब्याज के साथ, यदि कोई हो तो, ₹11.04 करोड़ के पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान घोषित ₹17.21 करोड़ के शुद्ध नुकसान को ध्यान में रखते हुए ₹11.04 करोड़ का पूंजीगत लाभ कर भी ₹7.60 करोड़<sup>9</sup> तक कम हो जाएगा। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भूमि के विक्रय लेनदेन को पूरा किए बिना ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ को गलत तरीके से मान्यता दी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2016-17 में बहियों में किए गए अनियमित समायोजन को देखते हुए, कंपनी को ₹55.38 करोड़ के आयकर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ₹41.18 करोड़ (निर्धारण आदेश के अनुसार) की कर राशि का अतिरिक्त दायित्व उठाना पड़ा।

- यदि कंपनी वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ को मान्यता नहीं देती, तो उसे आयकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ₹96.56 करोड़ की कुल कर देयता के प्रति ₹7.13 करोड़ (आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य कटौती के अधीन, यदि कोई हो) के शुद्ध लाभ पर ₹2.13 करोड़ का निगम कर ही चुकाना पड़ता।
- वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी द्वारा गलत लेखांकन को जून 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। हालांकि, कंपनी ने अपने लेखाओं में सुधार नहीं किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि आयकर रिटर्न को संशोधित करने की अनुमत अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और जो भी संशोधन संभव थे उन पर प्रधान आयुक्त के पास अपील सहित प्रयास किये गये थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने आयकर विभाग के आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने का अवसर खो दिया था क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249(2) के तहत 30 दिनों का निर्धारित समय पहले ही 24 अक्टूबर 2018 तक समाप्त हो गया था। इसके अलावा, यद्यपि कंपनी को पहले ही बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था, लेकिन इसने शोध अक्षमता तथा दिवालियापन कोड, 2016 के तहत उपलब्ध राहत और रियायतों के अनुदान के लिए बीआईएफआर/ एनसीएलटी या सीबीडीटी के पास कोई आवेदन दायर नहीं किया था। इसलिए, पहले से भुगतान किए गए ₹55.38 करोड़ की कर राशि की वसूली की संभावना बेहद कम है।

<sup>9</sup> कुल पूंजीगत लाभ ₹55.23 करोड़ - शुद्ध घाटा ₹17.21 करोड़ = ₹38.02 करोड़, जिस पर शुद्ध पूंजीगत लाभ देय ₹7.60 करोड़ गिना गया जो ₹38.02 करोड़ का 20 प्रतिशत है

इस प्रकार, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के बिना बहियों में भारत सरकार के ऋण और ब्याज को पुंजीगत लाभ के रूप में गलत उपचार के कारण, कंपनी को ₹41.18 करोड़ की कर देनदारी को उठाने के अलावा ₹55.38 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान करना पड़ा।

मामले को मंत्रालय को जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2020)।

## अध्याय VII: आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय

### एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

#### 7.1 कर्मचारियों को अनधिकृत भुगतान

किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना “नवरत्न” दर्जे की उपलब्धि पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए गए जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया गया।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी/ प्रबंधन) को नवंबर 1960 में आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) के तत्वावधान में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। इसे 23 जून 2014 को भारत सरकार द्वारा "नवरत्न" का दर्जा दिया गया।

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 437वीं बैठक (31 जुलाई 2015) में "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर कंपनी के "नवरत्न" की दर्जे में उत्थान के स्वीकरण के टोकन के रूप में 23 जून 2014 को कंपनी के रोल पर नियमित कर्मचारियों को 01 अगस्त 2015 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की। 23 जून 2014 के बाद शामिल/ अलग होने वाले कर्मचारी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के रोल पर नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड़ का अनधिकृत भुगतान हुआ (समूह क और ख कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2017 तक और समूह ग और घ कर्मचारियों के लिए मार्च 2018<sup>1</sup> तक गणना की गई)।

लेखापरीक्षा के बार-बार अनुरोध के बावजूद कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को देय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के अनुदान के कारण बढ़े हुए परिलब्धियां और भत्ते के संबंध में कर्मचारियों के अनधिकृत भुगतान को प्रेषित/ प्रदान नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने अपने प्रतिउत्तर (दिसंबर 2018/ दिसंबर 2019) में बताया कि कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने ताकि उन्हें कंपनी के और अधिक उत्थान के लिए प्रेरित किया जा सके और कर्मचारियों के बीच

<sup>1</sup> एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि तक

एनबीसीसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के वेतनमान के बीच भारी अंतर के कारण अशांति को रोकने के लिए, "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर उन्हें दिए गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ उचित थे और इस तरह के भुगतान ने किसी भी डीपीई दिशानिर्देशों/ नियमों या किसी अन्य लागू नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

प्रबंधन का प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि "नवरत्न" की स्थिति की उपलब्धि पर कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ के भुगतान को, जिसे उस समय के लिए लागू किसी भी कानून/ नियम/ दिशानिर्देशों द्वारा अभीष्ट नहीं किया गया है, इस तरह के भुगतान को अनधिकृत माना जाएगा। इस मुद्दे पर, एमओएचयू ने डीपीई से स्पष्टीकरण की मांग की और डीपीई के पत्र दिनांक 13 दिसंबर 2018 से स्पष्ट किया कि एनबीसीसी द्वारा अपने कर्मचारियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करना डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

इस अतिरिक्त वेतन वृद्धि को प्रदान करने में प्रबंधन की मनमानी कार्रवाई को इस तथ्य से भी जोड़कर देखा जाता है कि इस घटना से ठीक पहले कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी 435वीं बैठक (13 फरवरी 2015) में "नवरत्न" का दर्जा पाने पर कार्यकारी अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 23 जून 2014 से देय परिलब्धियां और भत्ते में 3-5 प्रतिशत की पूर्वव्यापी वृद्धि के लिए स्वीकृति दी थी। 26 नवंबर 2008 के डीपीई के का.जा के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल से भुगतान करने के लिए उनकी देयता के आधार पर वेतन संशोधन पर विचार करना और अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा को कंपनी को इन अतिरिक्त अनुलाभ और भत्तों को देने से पहले इस तरह के किसी भी प्रकार के अभ्यास के संचालन और इसके इसी प्रकार किसी सहायक सांविधिक प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्देश या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

प्रबंधन ने इन अतिरिक्त अनुलाभ और भत्तों को सही ठहराया और बताया कि अन्य नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ असमानता थी। हालांकि, वृद्धि प्रतिशत मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन थी, फिर भी, प्रबंधन ने बार-बार अनुरोधों के बावजूद निर्णय के वित्तीय निहितार्थ के विवरण को लेखापरीक्षा को नहीं दिया।

इस प्रकार, किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए गए उसी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया गया।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय VIII: खनन मंत्रालय

### हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

#### 8.1 गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट के अधिग्रहण में अप्रभावी निवेश व संचालन में हानि

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) ने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना गुजरात कॉपर परियोजना (जीसीपी) (पहले झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात) का अधिग्रहण किया और जो संयंत्र शुरू करने के बाद से ही लगभग पूरी तरह से अनुपयोगी बना रहा जिससे ₹303.18 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ और जीसीपी के परिचालन से ₹102.49 करोड़ की राशि की हानि हुई।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) तांबे के अयस्क के खनन और अंतिम उत्पाद अर्थात् कॉपर कैथोड के उत्पादन के लिए इसको प्रसंस्करण में लगी हुई थी। तांबा अयस्क को मुख्य रूप से सांद्रक में धातु (एमआईसी) के उत्पादन के लिए सांद्रक संयंत्र में संसाधित किया जाता है जिसे आगे कॉपर एनोड के उत्पादन के लिए प्रगालक में संसाधित किया जाता है और अंततः कॉपर कैथोड के उत्पादन के लिए रिफाइनरी प्लांट में परिशोधित किया जाता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई (एआरसीआईएल) ने कंपनी से संपर्क (अगस्त 2014) किया कि कंपनी झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात (जेसीएल) के संयंत्र के अधिग्रहण में अपनी इच्छा दिखाएं। जेसीएल के पास कॉपर कैथोड्स की 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए एक सहायक कॉपर प्रगालक एंड रिफाइनरी (द्वितीयक स्क्रेप तांबे के प्रसंस्करण को दर्शाता है) थी और मई 2006 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। तथापि जेसीएल के परिचालनों को कार्यशील पूंजी के अभाव में सितंबर 2009 से रोक दिया गया था।

प्रस्तावित अधिग्रहण में निवेश के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त (अक्टूबर 2014) सलाहकार ने संकेत दिया कि जेसीएल के सहायक प्रगालक संयंत्र में केवल तांबे के स्क्रेप को संसाधित करने की सुविधा थी और उसमें एमआईसी प्रसंस्करण के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भी संकेत दिया गया कि रिफाइनरी संयंत्र को कहीं से भी सोर्सिंग की गयी कॉपर एनोड से भी संचालित किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार ने जोर देकर कहा कि जेसीएल के इष्टतम उपयोग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और सोर्सिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि यह इस तरह के अधिग्रहण की सफलता के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एक बड़ा जोखिम था। कंपनी ने आखिरकार जेसीएल के अधिग्रहण के लिए निर्णय लिया (नवंबर 2014)। कंपनी ने खुले बाजार (19,200 एमएटीपी) से कॉपर स्क्रेप खरीद कर और अपनी अन्य इकाइयों



(800 एमटीपी) में उत्पन्न कॉपर स्क्रेप के स्रोत के लिए प्रस्ताव रखा। कंपनी ने हिंडाल्को<sup>1</sup> के माध्यम से आयातित एमआईसी (20,000 से 30,000 एमटीपीए) के साथ-साथ अन्य कॉपर उत्पादकों (7,000 एमटीपीए) के माध्यम से अपने स्वयं के एमआईसी के टोलिंग<sup>2</sup> के द्वारा कॉपर एनोड के स्रोत का भी अनुमान लगाया। कंपनी ने आगे आकलन किया कि यह जेसीएल संयंत्र में स्थित स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) गोदाम में पड़े 22,000 मीट्रिक टन कॉपर स्क्रेप का उपयोग कर सकती है।

कंपनी ने एकल बोलीदाता के रूप में ₹200 करोड़ का अवधिक ऋण लेकर एआरसीआईएल से ₹210 करोड़ (पट्टा अवधि भूमि सहित संयंत्र एवं मशीनरी) की कीमत पर जेसीएल प्लांट का अधिग्रहण किया था (फरवरी 2015)। जेसीएल का नाम बदलकर गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट (जीसीपी) कर दिया गया था और अक्टूबर 2016 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया था कि जीसीपी की क्षमता का उपयोग इसके अधिग्रहण के बाद से बहुत कम था और इसमें नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान केवल 24,007 मीट्रिक टन कॉपर केथोड का उत्पादन हो सका था जो संयंत्र की कुल क्षमता का केवल 20 प्रतिशत था। जीसीपी की इतनी कम क्षमता का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे माल यानी तांबे के स्क्रेप के साथ-साथ एनोड की अनुपलब्धता के कारण था। इस बीच, कंपनी ने मार्च 2019 तक जीसीपी (अधिग्रहण लागत सहित) में कुल ₹303.18 करोड़ का निवेश किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:-

- 19200 एमटीपीए की सीमा तक बाजार से तांबा स्क्रेप की उपलब्धता के संबंध में कंपनी का अनुमान बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था, क्योंकि कंपनी नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान बाजार से किसी भी तांबा स्क्रेप का स्रोत नहीं बना पाई थी। प्रबंधन ने यह भी महसूस किया कि असंगठित बाजार के कारण तांबे के स्क्रेप की स्वदेशी सोर्सिंग मुश्किल थी और जिसमें गुणवत्ता की समस्या भी थे। इसके अलावा, प्रबंधन ने एसटीसी गोदाम में पड़े तांबे के स्क्रेप की स्थिति का ठीक से आकलन नहीं किया, क्योंकि यह विचाराधीन था और प्रसंस्करण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था।
- कंपनी ने हिंडाल्को के माध्यम से आयातित एमआईसी को टोलिंग द्वारा एनोड (20,000 एमटीपीए से 30,000 एमटीपीए) के स्रोत का प्रस्ताव दिया। हालांकि, कंपनी ने एनोड की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की टोलिंग हेतु हिंडाल्को के साथ किसी प्रकार का अनुबंध नहीं किया। इसके अलावा,

<sup>1</sup> एक निजी क्षेत्र की तांबा उत्पादन कम्पनी

<sup>2</sup> एक संव्यवहार जिसके द्वारा एमआईसी तांबा उत्पादक द्वारा तांबा एनोड में बदली जाएगी

कंपनी को एमआईसी के आयात और किसी अन्य तांबा उत्पादक के माध्यम से उसकी टोलिंग के लिए कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि हिंडाल्को के पास इस तरह के टोलिंग के लिए कोई अतिरिक्त प्रणालन की क्षमता नहीं थी क्योंकि इसके प्रागलन और रिफाइनरी की क्षमता समान थी। यह इस तथ्य से भी जुड़ा हुआ है कि कंपनी टोलिंग द्वारा हिंडाल्को के माध्यम से किसी भी एनोड का स्रोत नहीं बना पाई थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी द्वारा जीसीपी के प्रागलन और रिफाइनरी संयंत्र के स्थायी संचालन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के प्रति किए गए अनुमान वास्तविक और उचित उद्यम द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, जीसीपी का उपयोग बहुत कम क्षमता के साथ किया गया था और इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर, कंपनी को जीसीपी के संचालन से लगातार हानि हो रही है। इस प्रकार, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए अनुमानित स्रोतों से ठोस प्रतिबद्धताओं को प्राप्त किए बिना जीसीपी के अधिग्रहण के लिए कंपनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था, जिसके कारण ₹303.18 करोड़ का निवेश निष्फल हुआ। इसके अलावा, कंपनी को नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि में जीसीपी के संचालन से ₹102.49 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2019) कि जीसीपी के स्थायी संचालन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर अधिग्रहण के समय किए गए अनुमानों को गलत गणना की गई। यह भी बताया गया कि कंपनी ने एमआईसी को कभी भी एनोड हेतु टोलिंग के लिए आयात नहीं किया था और कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में जीसीपी ने कोई ठोस प्रतिबद्धता के बिना अधिग्रहण कर लिया था और आखिरकार, कंपनी कच्चे माल की सोर्सिंग में कठिनाई के कारण संयंत्र के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थी।

इसलिए, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जीसीपी के अधिग्रहण से ₹303.18 करोड़ का निवेश और जीसीपी के संचालन से ₹102.49 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कंपनी जीसीपी के उपयोग के लिए एक व्यवहार्य भविष्य की योजना विकसित करने तक इस तरह के नुकसान को उठाना जारी रखेगी।

पैरा मंत्रालय को अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय IX: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड

#### 9.1 निष्पादन संबंधित वेतन का अनियमित भुगतान

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गेल के कार्यकारियों को पीआरपी के तौर पर ₹15.54 करोड़ का भुगतान किया जिसके कारण पूंजीगत सब्सिडी के प्रति भारत सरकार का ₹4.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

भारत सरकार (जीओआई) ने असम गैस क्रेकर परियोजना को अनुमोदित (अप्रैल 2006) किया। तदनुसार, उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और असम सरकार (जीओए) के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता (अक्टूबर 2006) किया गया था। गेल 70 प्रतिशत इक्विटी अंशदान के साथ मुख्य प्रवर्तक होगा। शेष प्रवर्तकों में प्रत्येक का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। इसलिए, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड (कंपनी) को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जनवरी 2007 में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा ₹2,138 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ परियोजना की लागत ₹5,461 करोड़ (मई 2006) अनुमानित की गई थी। परियोजना लागत को बाद में ₹5,239.45 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ ₹9,965 करोड़ में संशोधित (जुलाई 2016) किया गया। संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार प्रवर्तक कंपनी में अपने योग्य कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। तदनुसार गेल के प्रमुख प्रवर्तक होने के नाते, परियोजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार 2007-08 से कंपनी के अपने कार्यकारियों को प्रतिनियुक्त कर रहा है।

कंपनी ने गेल के लिए ऐसे प्रतिनियुक्त कार्यकारियों को वेतन एवं भत्तों के प्रतिपूर्ति की जिसमें गेल के लिए लागू ऐसे कार्यकारियों के निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) को भी शामिल किया गया है। परियोजना को जनवरी 2016 में चालू किया गया था। कंपनी ने भारत सरकार से ₹5,088.80 करोड़ (मई 2019 तक) (ऐसी पूंजीगत सब्सिडी पर अर्जित ₹56.15 करोड़ के निवल ब्याज सहित) पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त की जो अनुमोदित परियोजना लागत का 51 प्रतिशत था। परियोजना के चालू होने के बाद कंपनी ने 2017-18 तक कोई लाभ अर्जित नहीं किया और इसका संचित घाटा 31 मार्च 2018 तक ₹919.70 करोड़ था। हालांकि इसने 2018-19 के दौरान ₹68.97 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

डीपीई भारत सरकार ने बोर्ड स्तर के नीचे और बोर्ड स्तर के कार्यकारियों के साथ-साथ सीपीएसई में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतनमान को संशोधित करते हुए 01 जनवरी 2007 से निर्देश<sup>1</sup> जारी किए हैं जिसमें दर्शाया है कि सीपीएसई के कार्यकारियों के पीआरपी को सीपीएसई के लाभ और सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) की रेटिंग के संदर्भ में कार्यकारियों के निष्पादन को सीधा जोड़ना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि कार्यकारी जो अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे, ग्रहण करने वाले सीपीएसई के लिए लागू पीआरपी को लेने के हकदार थे।

उपर्युक्त दृष्टिकोण में, 2007-08 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कंपनी के कार्यकारियों के लिए पीआरपी लागू नहीं था क्योंकि परियोजना (2015-16 तक) कार्यान्वयन के चरण में थी और 2016-17 और 2017-18 की दो वर्षों की अवधि के लिए कोई लाभ उत्पन्न नहीं हुआ था। इसके अलावा, कंपनी ने 2018-19 के लिए पीआरपी नीति नहीं बनाई और इसलिए, अपने कार्यकारियों को कोई पीआरपी का भुगतान नहीं किया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले गेल के कार्यकारियों को पीआरपी के लिए 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान गेल को कुल ₹15.54 करोड़ की राशि प्रतिपूर्ति की जिसमें से ₹9.06 करोड़ (जनवरी 2016 तक) को परियोजना लागत के भाग के रूप में पूंजीकरण किया गया था। प्रतिनियुक्त कार्यकारियों के उपरोक्त पीआरपी को गेल में उनके संबंधित पदों के लाभ/ निष्पादनों के आधार किया गया है।

गेल के कार्यकारियों जोकि प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में कार्यरत थे, डीपीई के दिनांक 26 नवम्बर 2008 के ओएम के निर्देशों के अनुसार ग्रहण कंपनी के कार्यकारियों के लिए लागू पीआरपी यदि हो, के हकदार थे। चूँकि कंपनी के अपने कार्यकारी 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान किसी भी पीआरपी के हकदार नहीं थे, इसलिए उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कार्यकारियों के संबंध में कंपनी द्वारा गेल को पीआरपी के रूप में ₹15.54 करोड़ की प्रतिपूर्ति की, जो डीपीई के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी द्वारा गेल को उपरोक्त पीआरपी का भुगतान नहीं किया गया होता तो, परियोजना लागत ₹9.06 करोड़ तक कम हो जाती और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी भी ₹4.62 करोड़ (₹9.06 करोड़ का 51 प्रतिशत) तक कम हो जाती।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा गेल को पीआरपी के तौर पर ₹15.54 करोड़ का भुगतान किया, गेल के कार्यकारियों के लिए, जो प्रतिनियुक्ति पर काम करते थे, जो डीपीई के दिशानिर्देशों

<sup>1</sup> दिनांक 26 नवम्बर 2008 के ओएम सं.2 (70)/ 08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/ 08 के अनुसार

का उल्लंघन था। इसके अलावा, इससे भारत सरकार से पूंजीगत सब्सिडी के लिए ₹4.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2019) कि गेल के कार्यकारियों को परियोजना के सफलतापूर्ण कमिश्निंग के लिए कंपनी में प्रतिनियुक्त किया गया था और गेल के परिपत्र के अनुसार पीआरपी का भुगतान किया मान्य नहीं है क्योंकि ऐसे परिपत्र डीपीए के दिशानिर्देश को दिशा निर्देशो को उलट नहीं सकते।

इस संबंध में, डीपीई ने (मार्च 2020) स्पष्ट किया कि एक होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनी या इसके विपरीत प्रतिनियुक्त पर कार्यकारियों को ग्रहण करने वाले सीपीएसई के लिए लागू भत्ते और परिवर्तनीय वेतन/ पीआरपी को लेने के हकदार होंगे और सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को 26 नवम्बर 2008 के ओएम से जारी किए गए दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

इसलिए, गेल के कार्यकारियों को ₹15.54 करोड़ की राशि के पीआरपी का भुगतान डीपीई दिशानिर्देश का उल्लंघन था।

पैरा मंत्रालय को अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## 9.2 वित्तीय और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूलों की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा का पालन

### 9.2.1 परिचय

ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसने एक सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के अंतर्गत अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनः शुरू करने के लिए अक्टूबर 2003 में कार्यक्षमता के लिए सूचना समेकन (आईसीई) नामक एक परियोजना शुरू की। परियोजना आईसीई ने एसएपी के सभी 10 मॉड्यूलों<sup>2</sup> के उपयोग की परिकल्पना की थी और इस प्रणाली को अक्टूबर 2003 और जनवरी 2005 के बीच कंपनी में लागू किया गया था। आईसीई परियोजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत सूचना उपलब्धता के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को इष्टतम और मानकीकरण करना तथा स्रोत स्थल पर डेटा कैचर करके दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के

<sup>2</sup> वित्तीय (एफआई), नियंत्रण (सीओ), सामग्री प्रबंधन (एमएम), प्लांट मॉटेनेंस (पीएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), निवेश प्रबंधन (आईएम), परिसंपत्ति प्रबंधन (एएम), कोष (एफएम), बिक्री और वितरण (एसडी), व्यावसायिक सूचना वेयरहाउस (बीडब्ल्यू)

लिए गतिविधियों के दोहराव को समाप्त करना है। कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला वर्तमान संस्करण एसएपी ईसीसी 6.0 ईएचपी 7<sup>3</sup> है।

लेखापरीक्षा ने 2007 में कंपनी के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में वित्तीय और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूल के उप-मॉड्यूल देय लेखाओं, परिसंपत्ति लेखांकन और लागत केन्द्रित लेखांकन की समीक्षा की। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को 2008 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 10 में शामिल किया गया था (अध्याय VII)। पिछले ऑडिट के दौरान दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान आईटी लेखापरीक्षा पिछली प्रतिवेदन की सिफारिशों पर एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा है।

### 9.2.2 विगत लेखापरीक्षा कवरेज

2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 10 (अध्याय VII) ने पारंपरिक प्रणाली से डेटा के अनुकूलन, इनपुट नियंत्रण और स्थानान्तरण में कमियों को बताया। प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि कंपनी को कमियों की समीक्षा और उसमें सुधार करना चाहिए:

- सटीक, आवश्यक और पूर्ण डेटा प्राप्त को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रणों, वैधीकरण नियंत्रणों और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
- संबंधित लागत केंद्र को लागत के आवंटन से संबंधित व्यवसाय नियम का मापन।
- त्रुटियों का सुधार करने के लिए स्थानान्तरित मास्टर डेटा का शोधन जिससे ईआरपी प्रणाली में गड़बड़ी हुई थी और मास्टर डेटा की समय-समय पर समीक्षा के लिए व्यापक प्रक्रियाओं की स्थापना।
- उपयोगकर्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

### 9.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा ने पिछले प्रतिवेदन की सिफारिश के कार्यान्वयन की समीक्षा की क्योंकि लेखापरीक्षा में प्रणाली में गलत और अपूर्ण डेटा के उदाहरण देखे गए थे। एसएपी के एफआईसीओ मॉड्यूल की वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- कंपनी द्वारा सटीक, प्रासंगिक और पूर्ण डेटा प्राप्त करने के लिए इनपुट नियंत्रण, सत्यापन नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं सुदृढ़ की गई थी।
- संबंधित लागत केंद्र को लागत के आवंटन से संबंधित व्यावसायिक नियमों को प्रणाली में पर्याप्त रूप से मापित किया गया था।

<sup>3</sup> ईआरपी केंद्रीय घटक 6.0 वृद्धि पैकेज 7

- स्थानान्तरित मास्टर डेटा की त्रुटियों का सुधार करने के लिए शोधन किया गया था जिससे ईआरपी प्रणाली में गड़बड़ी हुई थी और क्या डेटा की समय-समय पर समीक्षा के लिए व्यापक प्रक्रियाएं स्थापित की गई थीं।
- उपयोगकर्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- एफआईसीओ मॉड्यूल के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा और सीएजी की सिफारिशों का अनुपालन किया गया है।

#### 9.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्तमान लेखापरीक्षा में ओएनजीसी के सभी कंपनी कोडों<sup>4</sup> के लिए 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए वित्तीय और नियंत्रक मॉड्यूल (दस में से दो मॉड्यूल) के छह उप-मॉड्यूलों में से तीन उप-मॉड्यूल अर्थात् देय लेखाओं, परिसंपत्ति लेखांकन और लागत केंद्र लेखांकन शामिल हैं।

ओएनजीसी ने एफआईसीओ मॉड्यूल के लिए उपयोगकर्ता प्राधिकरण प्रबंधन प्रक्रिया और स्वचालित नियंत्रण (अंतर्निहित और विन्यास योग्य) पर कार्यात्मक लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स केपीएमजी को नियुक्त (अगस्त 2017) किया था। लेखापरीक्षा ने मैसर्स केपीएमजी की सिफारिशों पर कंपनी के आश्वासन और सुधारात्मक कार्रवाई को प्राप्त किया और इस प्रकार, कार्यात्मक लेखापरीक्षक द्वारा सामने लाए गए मुद्दों को वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है।

#### 9.2.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

यह आईटी लेखापरीक्षा निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाकर की गई है:

- अगस्त 2018 में प्रबंधन के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।
- कंपनी द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित, एफआईसीओ और अन्य संबंधित मॉड्यूल के तालिका डेटा को सीएएटी<sup>5</sup> का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। डेटा विश्लेषण में मुद्दों की पहचान करने के लिए सामान्य कुंजियों पर कुछ डेटा तालिकाओं का विलय शामिल था। मानक एसएपी रिपोर्ट और अनुकूलित रिपोर्ट का उपयोग करके डेटा को तालिका डेटा के विश्लेषण को पुष्टि करने के

<sup>4</sup> कंपनी कोड बाहरी लेखांकन की सबसे छोटी संगठनात्मक इकाई को संदर्भित करता है जिसके लिए तुलन पत्र और लाभ और हानि विवरण जैसे लेखाओं का एक पूर्ण, स्व-निहित सेट बनाया जा सकता है। यह एक अलग, लेकिन कार्य का स्वतंत्र, व्यावसायिक स्थान नहीं हो सकता है। ओएनजीसी के संगठनात्मक ढांचे (संपत्ति/ बेसिन/ भौगोलिक स्थिति) के आधार पर कई कंपनी कोड हैं

<sup>5</sup> कंप्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीकें

लिए भी डेटा निकाला गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर मांगते समय आउटपुट फ़ाइलों को लेखापरीक्षा विश्लेषण के स्क्रीन शॉट्स के साथ प्रबंधन के साथ साझा किया गया था।

- प्रबंधन को जारी किए गए विचार-विमर्श, पत्राचार और प्रश्नावली और प्राप्त प्रतिक्रिया।

लेखापरीक्षा ने तालिका डेटा को निकालने/ साझा करने में प्रबंधन के प्रयासों को स्वीकार किया। 01 मई 2019 को प्रबंधन के साथ एकजिंट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। 06 मई 2019 को मंत्रालय को रिपोर्ट जारी की गई थी और 29 अगस्त 2019 को प्रतिक्रिया प्राप्त की थी, जिस पर इस रिपोर्ट को तैयार करते समय विचार किया गया है। लेखापरीक्षा सर्वांगी दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा आपत्तियों को देखने के लिए प्रबंधन/ मंत्रालय की सकारात्मक प्रतिक्रिया की और लेखापरीक्षा अभ्यास से निकलने वाले संकेतों के आधार पर विस्तृत समीक्षा करने के लिए सराहना करता है।

#### 9.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

- कंपनी की नियम पुस्तक/ दिशानिर्देश/ परिपत्र
- लेखांकन नीति, वैधानिक आवश्यकताएं
- व्यवसाय ब्लूप्रिंट के अनुसार व्यवसाय के नियम तथा एफआईसीओ मॉड्यूल के लिए आईसीई संदर्भ नियम पुस्तक
- आईटी उद्योग के मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं

#### 9.2.7 लेखापरीक्षा की सीमाएँ

विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया डेटा सजीव वातावरण से नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए तालिका डेटा से है। इसलिए लेखापरीक्षा, व्यापक रूप से इनपुट नियंत्रण/ सत्यापन नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए डमी डेटा का परीक्षण नहीं कर सका। लेखापरीक्षा कंपनी के व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रणाली आवश्यकताओं के डेटा को तुलना में विश्लेषण नहीं कर सका जैसेकि बिजनेस ब्लूप्रिंट<sup>6</sup> में इसकी परिकल्पना की गई थी क्योंकि यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इन्ट्री कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि बिजनेस ब्लूप्रिंट एक कार्यान्वयन चरण का दस्तावेज़ था। प्रबंधन द्वारा बाद में प्रदान किए गए प्रक्रिया दस्तावेज़ एक उपयोगकर्ता संदर्भ मैनुअल नियमपुस्तक थी जो कि उतनी व्यापक नहीं थी जितना कि अद्यतित व्यावसायिक ब्लूप्रिंट

<sup>6</sup> बिजनेस ब्लूप्रिंट कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और सिस्टम आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण है। यह ईआरपी के कार्यान्वयन के समय व्यावसायिक प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण करता है, जिसमें प्रासंगिक व्यावसायिक परिदृश्य, व्यावसायिक प्रक्रियाएँ और प्रक्रिया चरण एक पदानुक्रमित संरचना में शामिल हैं



को व्यावसायिक नियमों, आवश्यकताओं और ईआरपी प्रणाली में मापन को समझने के लिए होना चाहिए।

### 9.2.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कंपनी मुख्य रूप से एफआईसीओ मॉड्यूल के तीन उप-मॉड्यूलों अर्थात् परिसंपत्ति लेखांकन, देय लेखाओं और लागत केंद्र लेखांकन का उपयोग कर रही है। परिसंपत्ति लेखांकन उप-मॉड्यूल का उपयोग एसएपी प्रणाली के साथ अचल संपत्तियों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में, अचल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए यह सामान्य बहीखाते के लिए सहायक बहीखाते के रूप में कार्य करता है। देय लेखाओं का उप-मॉड्यूल सभी विक्रेताओं के लिए लेखांकन डेटा का प्रबंधन और रिकॉर्ड करता है। देय भुगतान कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और भुगतान चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। देय लेखाओं में की गई सभी प्रविष्टियां सामान्य बहीखाते में साथ-साथ अपडेट की जाती हैं और प्रणाली मानक रिपोर्ट का अनुरक्षण/ पूर्वानुमान करती है तथा इसे उत्पन्न करती है जिसे सभी खुली मदों पर नज़र रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी में लागत लेखांकन एसएपी में नियंत्रण (सीओ) मॉड्यूल द्वारा सरल बनाया गया है जो अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास, उत्पादन, सहायता गतिविधियों आदि से संबंधित लागतों के आवंटन को निर्धारित करता है। लागत एकत्र करने के लिए लागत केंद्र सबसे छोटी इकाई है।

उपर्युक्त तीन उप-मॉड्यूल से संबंधित तालिका डेटा का विश्लेषण और इस तरह के विश्लेषण से निकलने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 9.2.8.1 मास्टर डेटा की कमियां

##### i) परिसंपत्ति मास्टर तालिका में परिसंपत्ति स्थान की अप्राप्ति

एसएपी-ईआरपी में परिसंपत्ति मास्टर तालिका में समय-निर्भर संपत्ति आवंटन जानकारी होती है और तालिका में परिसंपत्ति स्थान के फील्ड में उस स्थान का विवरण होता है जहां संपत्ति होती है। वित्तीय लेखांकन, निवारक रखरखाव और चोरी निवारण के उद्देश्यों के लिए अचल परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए प्रणाली में अचल संपत्ति के स्थान का विवरण बनाए रखना आवश्यक है। तालिका में आंकड़ों की समीक्षा से पता चला है कि कुल 11,23,188 अभिलेखों में से 7,48,521 अभिलेखों (66 प्रतिशत) में स्थान का फील्ड रिक्त था और प्लान्ट आईडी और स्थान फील्ड 3,31,493 अभिलेखों (29 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं था। इस जानकारी के अभाव में, अचल संपत्ति की स्थान-वार ट्रैकिंग और कस्टडी हस्तांतरण के मामलों में परिसंपत्तियों को सौंपने/ ग्रहण करने का उचित अनुपालन प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2019) कि 7,48,521 अभिलेखों जिनमें स्थान फील्ड रिक्त था, में से 3,81,393 अभिलेख सही किए गए हैं, प्लांट आईडी और स्थान फील्ड 3,27,947 अभिलेखों में 06 अगस्त 2019 तक भरे गए हैं; शेष अभिलेखों का अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछली लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए अद्यतन के आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई और मंत्रालय के आश्वासन को लेखापरीक्षा ने नोट किया है।

## ii) संपत्ति प्रभारी का गैर कब्जा

एनएलए<sup>7</sup> तालिका में प्रभारी परिसंपत्ति फील्ड, परिसंपत्ति के संरक्षक को दर्शाता है जिसके तहत संपत्ति निहित है। यह देखा गया कि 5,49,298 अभिलेखों में से 3,651 अभिलेखों में, फील्ड या तो रिक्त था या कर्मचारी आईडी नंबर शून्य था। प्रणाली में इस जानकारी के अभाव से परिसंपत्ति की निगरानी के नियंत्रण में कमी आ सकती है। पिछले लेखापरीक्षा के दौरान आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए प्रदान किए गए आश्वासन को इस प्रकार नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि अवैध इंडेंटर/ संरक्षक के साथ संपत्ति की पहचान करने के लिए प्रणाली में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2019) कि 6 अगस्त 2019 तक 3,651 अभिलेखों में से 2,150 अभिलेखों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और बाकी को अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मामलों के लिए, मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली नियंत्रण रखा गया है कि संपत्ति मास्टर में संरक्षक फील्ड रिक्त नहीं रहेगा।

*प्रबंधन परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए प्रणाली की कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए मास्टर डेटा में परिसंपत्ति स्थान और संपत्ति संरक्षक की जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करे।*

---

<sup>7</sup> एनएलए एक मानक एसएपी तालिका है जिसका उपयोग परिसंपत्ति मास्टर अभिलेखों सेगमेंट जानकारी को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है

### iii) संपत्तियों का गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा ने परिसम्पत्ति वर्ग फील्ड का उपयोग करते हुए परिसंपत्ति विवरण तालिका (एएनकेटी<sup>8</sup>) के साथ परिसंपत्ति मास्टर तालिका को जोड़ने पर पाया कि एक ही परिसंपत्ति कई वर्गों के तहत दिखाई दे रही थी। कुछ परिसंपत्तियों की नमूना-जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- 'मोबाइल', 'सोलर परिसंपत्ति,' डीजी सेट्स 'आदि विविध परिसंपत्ति वर्गों में दिखाई दे रहे थे जो उत्पादन, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, तेल और गैस उत्पादन उपकरण आदि से भिन्न थे।
- एक मामले में, केवी स्कूल में सौर ऊर्जा सीपी स्टेशन को परिसंपत्ति वर्ग 10414 - इंजन और कंप्रेसर के तहत प्रदर्शित किया पाया गया था, जो सामान्य रूप से उत्पादन उपकरणों को शासित करेगा।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018/ अप्रैल 2019) कि परिसंपत्ति का वर्गीकरण उपयोग के इसके क्षेत्र पर निर्भर होता है; परिसंपत्ति, 'सोलर सीपी स्टेशन' को अनजाने में उत्पादन उपकरण (परिसंपत्ति वर्ग 10414) के तहत पूंजीकृत किया गया था, जिसे 'नवीकरण ऊर्जा उपकरण' के तहत सही और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पूर्व रिपोर्ट में परिसंपत्ति के गलत वर्गीकरण को इंगित किया गया था। पिछले लेखापरीक्षा में दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई है।

*लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि लेखाओं पर प्रभाव को देखते हुए, प्रबंधन परिसंपत्ति के वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों की एक विस्तृत अवस्थिति-वार समीक्षा कर सकता है।*

मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि सभी इकाइयों/ अवस्थितियों पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की गहन समीक्षा की जा रही है।

### iv) उत्तरदायी लागत केंद्र/ लागत केंद्र का गैर-अधिग्रहण

एसएपी प्रणाली परिसंपत्ति मास्टर अभिलेख में लागत केंद्र असाइनमेंट का उपयोग प्रभावित लागत केंद्र को निर्धारित करने के लिए करती है जब परिसंपत्ति की प्रविष्टियां की जाती हैं जैसे कि स्थायी परिसंपत्ति मूल्यहास परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि। उत्तरदायी लागत केंद्र भौतिक परिसंपत्ति के लिए उत्तरदायी है, लेकिन मूल्यहास लागत को वहन नहीं करेगा। सम्पत्ति मास्टर तालिका आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि

<sup>8</sup> एएनकेटी एक मानक एसएपी तालिका है जिसका उपयोग परिसम्पत्ति वर्ग विवरण जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है

11,23,188 अभिलेखों में से 39,582 अभिलेखों में लागत केंद्र के साथ-साथ उत्तरदायी लागत केंद्र खाली थे।

प्रबंधन ने कहा (नवंबर 2018) कि सभी इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि जहां भी परिसम्पत्ति मास्टर में आंतरिक आदेश का उपयोग किया गया है वहाँ उत्तरदायी लागत केंद्र अद्यतन किया गया है क्योंकि लागत वस्तु और लागत केन्द्र रिक्त नहीं है। इसने आगे कहा कि (मई 2019) उत्तरदायी लागत केंद्र फील्ड को पुरानी और नई परिसंपत्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि 39,582 अभिलेखों में से, 33,031 अभिलेखों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और शेष अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा के कहने पर शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

#### 9.2.8.2 नियंत्रण अंतराल

##### i) भुतपूर्व कर्मचारी परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में जारी रहते हैं

परिसम्पत्ति संरक्षक परिसम्पत्ति मास्टर का वह फील्ड है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उस संरक्षक को दर्शाता है जो परिसम्पत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा, भौतिक सत्यापन और संचालन आदि के लिए उत्तरदायी है। यह देखने के लिए कि क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कोई भी अभी भी संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, लेखापरीक्षा ने डेटा का विश्लेषण किया जहां परिसंपत्ति मुख्य तालिका में संरक्षक के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके लिए, परिसंपत्ति संरक्षक विवरण वाले परिसंपत्ति मास्टर का डेटाबेस फील्ड संरक्षक/भुतपूर्व-कर्मचारी नाम के आधार पर भुतपूर्व कर्मचारियों पर एसएपी रिपोर्ट के साथ शामिल किया गया था। यह देखा गया कि 571 भुतपूर्व-कर्मचारियों (01 अप्रैल 2014 से पहले सेवानिवृत्त) को 11,369 परिसंपत्तियों जिसका मूल्य ₹87.43 करोड़ मूल्य था, के मामले में संरक्षक के रूप में जारी रखा गया।

**लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की निरंतरता की जांच करने के लिए उचित नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है।**

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019/ अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 571 अभिलेखों में से 441 में परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में हटा दिया गया है और कर्मचारी के खाते में पड़ी परिसंपत्ति के स्वतः हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली आधारित नियंत्रण और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने/ कार्यमुक्त करने का आदेश जारी करने की प्रणाली के माध्यम से सलाह दी गई है। मंत्रालय ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संरक्षक के तौर पर निरंतरता की जांच करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण मौजूद हैं और

परिसंपत्ति मास्टर में प्रतिकूल संरक्षकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अवस्थितियों को रिपोर्ट प्रदान की गई है।

लेखापरीक्षा के कहने पर शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

## ii) विक्रेता मास्टर के बैंक विवरण का गैर/ गलत अभिग्रहण

विक्रेता मास्टर डेटाबेस में उन विक्रेता के बारे में जानकारी होती है जो किसी उद्यम की आपूर्ति करते हैं। इस जानकारी में विक्रेता का नाम, विक्रेता का अकाउंट नंबर (विक्रेता आईडी), बैंक अकाउंट नंबर आदि शामिल होते हैं। विक्रेता मास्टर के बैंक विवरण के आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि 1,57,804 अभिलेख में से 2,206 अभिलेख में खाता धारक का नाम अभिगृहीत नहीं किया गया था और 1,176 अभिलेख में बैंक खाता संख्या का अभिग्रहण नहीं किया गया था। दो मामलों में, यह देखा गया कि अद्वितीय विक्रेता आईडी एक से अधिक व्यक्तियों और भिन्न बैंक खाता नंबरों से जुड़ी हुई थी।

डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए, बैंक कुंजी का उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए अलग शाखाओं की पहचान के लिए किया जाता है, जो या तो एमआईसीआर कोड (9 अंक) या आईएफएससी कोड (11 अंक) होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि देश कोड आईएन के तहत सात अभिलेख में, बैंक कुंजी न तो एमआईसीआर कोड प्रारूप में हैं और न ही आईएफएससी कोड प्रारूप में।

457 अभिलेख में, विक्रेता का नाम और पता एक ही था, हालांकि विक्रेताओं की आईडी अलग-अलग थी, जो डुप्लिकेट विक्रेताओं की उपस्थिति का संकेत देती थी। धोखाधड़ी/ गलत भुगतान के जोखिम को विक्रेता मास्टर में नकली विक्रेताओं/ काल्पनिक अभिलेख की उपस्थिति से बल मिलता है। इस प्रकार, डुप्लिकेट विक्रेताओं के शोधन पर पिछले लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किए गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि अवैध बैंक कुंजी (आईएफएससी) या रिक्त बैंक खाता संख्या वाले विक्रेताओं के बैंक विवरणों की समीक्षा की गई है और विक्रेता मास्टर्स से हटा दिया गया है और रिक्त खाता धारक के नाम वाले विक्रेताओं को ब्लॉक कर दिया गया है। उन दो विक्रेताओं की बैंक खाता संख्या को एचआर मास्टर के आधार पर ठीक किया गया, जो कर्मचारी विक्रेता थे। इसके अलावा, विक्रेताओं के सृजन के लिए एक उचित केंद्रीकृत प्रक्रिया रखी गई है। इसमें डुप्लिकेट विक्रेताओं, एक ही पते वाले विभिन्न विक्रेताओं, वैध आईएफएससी के साथ एक ही बैंक विवरण आदि को रोकने के लिए आवश्यक मान्यता हैं।

**लेखापरीक्षा ने उचित नियंत्रण रखकर मास्टर अभिलेख में एक व्यापक समीक्षा करने और गलत/अपूर्ण प्रविष्टियों को संबोधित करने के लिए प्रबंधन को सिफारिश की।**

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2019) कि 457 अभिलेख में, विक्रेता का नाम और पता एक ही था, हालांकि विक्रेता आईडी भिन्न थीं जो नकली विक्रेताओं की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। कार्य केंद्रों को अभिलेखों की समीक्षा करने और उन विक्रेता कोड को बंद करने की सलाह दी गई जो नकली हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि विक्रेता मास्टर्स की व्यापक समीक्षा के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और विक्रेता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विक्रेता मास्टर्स के लिए उचित और पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

### iii) ब्लॉक या औचित्य के बिना अतिदेय भुगतान

भुगतान ब्लॉक कुंजियाँ<sup>9</sup> उन कारणों को दर्शाती हैं, जिनके कारण भुगतान को लंबित/ खुली मद की तरह रखा जाता है। इसी तरह, भुगतान ब्लॉक कुंजी में रिक्त प्रविष्टि का अर्थ उन मदों से है जो भुगतान के लिए स्वतंत्र हैं। वर्ष 2014-16<sup>10</sup> बीएसआई के तालिका में विक्रेताओं से संबंधित खुली मदों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 1,850 अभिलेख (40,91,895 अभिलेख में से) में कोई भुगतान ब्लॉक कुंजी नहीं थी, लेकिन अभी भी ₹165.17 करोड़ के भुगतान के लिए लंबित थे। प्रविष्टि की तारीख से थ्रेसहोल्ड की तारीख (31 मार्च 2017) तक देय भुगतान का समय 90 से 1,096 दिनों तक था। ऐसी लंबी अवधि के लिए भुगतान ब्लॉक के बिना खुली वस्तु के रूप में पड़ी हुई राशियां देय खाता पर अप्रभावी नियंत्रणों को इंगित करती थीं।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि सभी कार्य केंद्रों को सलाह दी गयी है कि वे खुली अतिदेय भुगतान सूची की समीक्षा करें, देयता को प्रतिवर्ती करें यदि भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है और अतिदेय भुगतान रोके रखने के कारण के साथ उपयुक्त भुगतान ब्लॉक सम्मिलित करें यदि भुगतान अभी भी किया जाना है।

**लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उचित स्तर पर खुली मद की स्वतः समीक्षा करने के लिए आवश्यक जांचों को लागू करने पर विचार कर सकता है।**

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि ओएनजीसी द्वारा गम्भीर अवलोकन किया गया है और सभी कार्य केंद्रों को उचित सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि 19 जून 2019 तक ₹15.54 लाख रुपये की राशि वाली केवल 60 मदें लंबित हैं जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक तंत्र विकसित किया गया है जिसमें ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए अतिदेय

<sup>9</sup> उदाहरणार्थ ए- भुगतान के लिए डी - पुराने मामलों के लिए ब्लॉक, आर सीवीपी अस्वीकृति ब्लॉक, पुराना चेक ब्लॉक और एक्स एपीपी भुगतान ब्लॉक

<sup>10</sup> चूंकि डेटा प्रकार की विसंगतियों के कारण 2017 वित्तीय वर्ष से संबंधित डेटा को जोड़ा नहीं जा सका

भुगतान खुली मदों की सूची के साथ मेल/ एसएमएस अलर्ट मासिक आधार पर संबंधित वित्त प्रमुखों को उपलब्ध कराया जाता है।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

#### iv) डाटा प्रविष्टि करने में देरी

कंपनी की वित्त नियमावली के अनुसार दस्तावेजों की प्रविष्टि करने के लिए अनुमत अधिकतम समय अनुवर्ती महीने के 7वें दिन के अन्दर है। वित्तीय वर्ष के अंत में लेखाओं के समापन करने के दौरान दो और लेखांकन अवधि (31 मई तक) के लिए सामान्य रूप से समायोजन प्रविष्टि करने और समापन प्रविष्टियां करने के लिए लेख खुले रखे जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19,703 अभिलेख में से जिस के लिए पोस्ट करने की तारीख और प्रविष्टियों की तारीख के बीच का अंतर 30 दिनों से अधिक था ₹750.38 करोड़ की राशि वाले 3,134 अभिलेख उन दस्तावेज प्रकारों से संबंधित थे जो बैंक भुगतान/ प्राप्ति, विक्रेता बीज़क, जी/ एल लेखा और सीवी भुगतान प्रविष्टियों से संबंधित थे। लेनदेन की प्रविष्टि करने में देरी से पता चला कि वित्तीय भुगतान दस्तावेज की समय पर प्रविष्टियां सुनिश्चित करने पर नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए अनुसार दस्तावेजों की प्रविष्टियां और प्रवेश तिथि में कोई अनुचित समय अंतराल नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा लेखाओं के मासिक समापन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

#### v) एक बार विक्रेताओं के कई उपयोग

एक बार विक्रेता केवल एक बार या बहुत ही कम कंपनी को आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक बार ऐसे विक्रेताओं के लिए मास्टर अभिलेख सृजित नहीं किए जाते और उनके लिए सामूहिक लेखा बनाए जाते हैं। इन लेखाओं को एक समय के लेखा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जिसमें कोई भी विक्रेता-विशिष्ट डेटा नहीं होता है। इसलिए खरीद या बीज़क सत्यापन के समय पता, विक्रेता, बैंक विवरण आदि जैसे डेटा दर्ज किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने बीएसईसी तालिका (2,88,909 अभिलेख) में एक बार में विक्रेताओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया। एक समय के विक्रेताओं वाले अभिलेख विक्रेता मास्टर टेबल के साथ जोड़े गए और नाम और शहर के लिए मिलान किया गया। यह देखा गया कि कुछ एक समय के विक्रेताओं के दो से 86 तक और एक ही कंपनी कोड में कई एक जैसे अभिलेख थे। यह इंगित करता था कि नियमित विक्रेताओं के लिए विक्रेता मास्टर डेटा बनाने के बजाय एक बार विक्रेता विधि का उपयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। एक बार के विक्रेताओं के लिए बार-बार किए गए जाने वाले भुगतान ने

धोखाधड़ी के जोखिम की उपस्थिति का संकेत दिया। प्रबंधन कंपनी कोड्स पर ध्यान केंद्रित करना पसंद कर सकता है -एमएचएन (मेहसाणा), एसबीएस (शिबसागर), एएमडी (अहमदाबाद) जिसमें एक समय के विक्रेताओं के 350 से अधिक अभिलेख और केकेएल (कराईकल), आरजेवाई (राजमुंद्री) और डीएलआई (दिल्ली) के प्रत्येक के 150 से अधिक अभिलेख हैं।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि सभी इकाइयों को नियमित प्रकार के भुगतानों के लिए एक समय के विक्रेता कोड का उपयोग नहीं करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

*लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को अनुकूलित कर सकता है कि नियमित भुगतान के लिए एक समय विक्रेता भुगतान की सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है और एक प्रणाली में एक बार विक्रेता को भुगतान की संख्या पर एक सीमा लगाई जाती है।*

प्रबंधन ने एग्जिट कॉन्फरेंस में सिफारिश को स्वीकार कर लिया। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि एक प्रणाली नियंत्रण रखा गया है, जिसमें एक चेतावनी संदेश दिया जाता है, जब भी एक बार विक्रेता का उपयोग किया जाता है और केवल एक बार पैन/आधार नंबर जैसी विशिष्ट पहचान के आधार पर एक बार के विक्रेता को भुगतान की अनुमति दी जाती है।

#### vi) निरंतर गैर-डिजिटल भुगतान

ओएनजीसी बैंक संचार प्रबंधन (बीसीएम) विधि का उपयोग घरेलू बैंक एसबीआई के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए कर रहा है जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं। ओएनजीसी के आंतरिक दिशानिर्देशों में अनुबद्ध था कि डिजिटल मोड के माध्यम से सभी भुगतान किए जाएँ। बैंक भुगतान, यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष, वित्त की स्वीकृति के साथ किया जाना था। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान बैंक भुगतान से संबंधित डेटाओं के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला था:

- ₹2.50 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य के कुल 1,88,971 अभिलेख (अवैध चेक के अलावा) ने संकेत दिया कि चेक भुगतान अभी भी जारी है। कंपनी कोड मेहसाणा, अहमदाबाद और राजमुंद्री में अधिकतम चेक जारी किए गए थे। 7,399 अभिलेख में भुगतान सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) को किया गया था जिसमें से 1,000 से अधिक चेकों में ₹9,069 करोड़ मूल्य का भुगतान चार उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया था। 6,327 अभिलेख में विक्रेता संख्या रिक्त है जिसमें निजी पार्टियों (सांविधिक प्राधिकरणों/ बैंकों के अलावा) के भुगतान शामिल थे।



- अवैध चेक के संबंध में यह पाया गया कि कुल 14,363 अवैध चेक के 234 अभिलेख में संबंधित फील्ड में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। एक मानकीकृत व्याख्या आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करती है।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2018) कि:

- कुल 1,88,971 मदों में से 1,153 मदों, जिनमें ₹2.025 लाख करोड़ (लगभग) शामिल हैं, दिल्ली और देहरादून इकाइयों से हैं जो विक्रेता भुगतान के अलावा अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं। ये भुगतान निवेश और लाभांश, सांविधिक निकायों/न्यासों के लिए प्रेषण, आंतरिक निधि अंतरण, जेवी भुगतान आदि से संबंधित थे। इसके अलावा दिशानिर्देशों के अनुसार एलसी, प्रेषण, अन्य विदेशी मुद्रा भुगतान आदि के भुगतान के लिए बैंक के पक्ष में भी चेक जारी किया जाता है जो आरटीजीएस मोड के माध्यम से बनाए जाते हैं।
- प्रणाली में अवैध कारण संख्या 11 टेक्स्ट के बिना है। प्रणाली मैपिंग को 'अन्य' के रूप में इसे विशिष्ट बनाने के लिए शुरू किया गया है।

**लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि घरेलू बैंक और व्यवहार्यता से जुड़े लेनदेन के दोहराने वाले स्वरूप पर विचार करते हुए प्रबंधन को विदेशी मुद्रा भुगतान को डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता है।**

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल/ मई 2019) कि विदेशी मुद्रा भुगतान और निवेश को डिजिटाइज़ करने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि सभी इकाइयों और निवेशों में विदेशी मुद्रा भुगतान, ऋण/ ब्याज का पुनर्भुगतान या तो डिजिटल मोड या प्राधिकार पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

#### vii) मद के टैक्सट का गैर अभिग्रहण

व्याख्या (मद का टैक्सट) उन अभिलेखों में अधिक निष्पक्षता और स्पष्टता लाने में सहायता करती है जिन्हें लेखांकन दस्तावेजों में अभिगृहीत किया जाता है। बीएसआईके तालिका में (2014-16 की अवधि के दौरान 40,91,895 अभिलेखों वाली) लेन-देन का व्याख्या फील्ड 8,517 अभिलेखों में रिक्त था।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल/ अगस्त 2019) कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ईकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रणाली में प्रविष्टियों के सृजन के समय उचित व्याख्या का रखरखाव किया जाए।

**viii) भुगतान विवरणों का गैर/ गलत अभिग्रहण**

पीएवाईआर एक भंडार तालिका है जिसमें विक्रेताओं आदि को किए गए चेक भुगतानों का विवरण होता है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा (पीएवाईआर तालिका) की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 17,330 अभिलेख, जहां चेक नकदीकरण की तारीख शून्य है, में से 2,422 अभिलेख उन चेक से संबंधित थे जो ₹5,492 करोड़ के मूल्य वाले अवैध चेक और तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत विश्लेषण किया गया था और यह देखा गया कि 297 अभिलेख एलसी/ विदेशी मुद्रा व्यवस्था के भुगतान से संबंधित थे, 1,344 ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किए गए सांविधिक भुगतान थे और 1,130 अभिलेख ओवीएल/ ओबीवी कंपनी कोड से संबंधित थे।

**लेखापरीक्षा ने उन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रबंधन को सिफारिश की जहां ऑनलाइन भुगतान किए गए हैं लेकिन अभी भी पीएवाईआर तालिका में चेक भुगतान के तहत दिखाई दे रहे हैं।**

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रणाली जांच को प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके तहत चेक नकदीकरण की तारीख रिक्त नहीं होगी। पीएवाईआर तालिका में दिखाई देने वाले ऑनलाइन भुगतान के संबंध में यह कहा गया था कि एलसी, प्रेषण, अन्य विदेशी मुद्रा व्यवस्था भुगतान आदि के लिए बैंकों के पक्ष में भी चेक जारी किया जाता है, जो डुप्लीकेट भुगतान की संभावना को रोकने के लिए आरटीजीएस मोड के माध्यम से किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

### 9.2.8.3 अनुकूलन की त्रुटियां

**i) सांख्यिकीय कुंजी आंकड़ा (एसकेएफ) के उपयोग में असंगति**

एक सांख्यिकीय कुंजी आंकड़ा एक संख्या होती है जो संगठनात्मक इकाइयों से संबंधित गैर मौद्रिक डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये आंकड़े रिपोर्टिंग और आवंटन में हो सकते हैं और आंतरिक आदेशों, लागत केंद्रों और लाभ केंद्रों में सांख्यिकीय आंकड़ों के दायित्व होते हैं जिसे मात्रा या समय इकाइयों में मापा जाता है और लागत के आवंटन के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी कोड और अवधि के दौरान एसकेएफ को अपनाने में स्थिरता की समीक्षा करने के लिए, टेबल सीओकेए, सीओकेपी, सीओबीके, सीओइपीआर, सीएसकेयू और एसकेएफ<sup>11</sup> को सामान्य फील्डों का उपयोग करके शामिल किया गया था और निम्नलिखित देखे गए थे:

- 63 लागत केंद्र समूहों में विवरण रिक्त है और 66 लागत केंद्र समूह थे जिनके डुप्लीकेट होने की संभावना है और एक समीक्षा की आवश्यकता होगी।
- ड्रिलिंग लागतों के लिए एसकेएफ को अपनाने के लिए कंपनी में कोई समान प्रथा नहीं है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने खाली विवरण फील्डों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई और लागत आवंटन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया (अप्रैल 2019/ अगस्त 2019) और बताया कि लागत चक्र 2019-20 के दौरान एसकेएफ में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

#### 9.2.8.4 मान्य जाँच और इनपुट नियंत्रण

##### i) इनपुट नियंत्रण में कमी और डेटा की मान्यता

इनपुट नियंत्रण अनुप्रयोग नियंत्रण हैं जो सूचना की सटीकता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, गोपनीयता और पूर्णता सुनिश्चित करते हैं।

##### क) परिसम्पत्ति लेखांकन

प्रणाली स्वचालित रूप से सर्वर की तारीख को दस्तावेज़ की प्रविष्टि की तारीख के रूप में चुनती है। लेनदेन आम तौर पर दस्तावेजों (उदाहरण के लिए बिल/ बीज़क) की प्राप्ति के बाद प्रविष्टि किए जाते हैं।

यह देखा गया कि:

- 3,06,057 अभिलेखों में दस्तावेज की तारीख प्रविष्टि की तारीख के बाद थी। 8 अभिलेखों में दस्तावेज तिथि लेखापरीक्षा की वर्तमान तिथि यानी सितंबर 2018 के बाद की है। (उदाहरण के लिए 28 नवम्बर 2018, 30 सितम्बर 2019, 30 सितम्बर 2201, 07 नवम्बर 2201)।
- 52,856 अभिलेखों में दस्तावेजों में प्रविष्टि करने में देरी को 61 दिनों से लेकर 10 वर्ष से अधिक दर्शाया गया।

<sup>11</sup> नियंत्रण मॉड्यूल तालिकाएं हैं जिसमें ऑब्जेक्ट संख्या, लागत तत्व और सांख्यिकीय प्रमुख आंकड़े का विवरण दिया गया है

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि दस्तावेजों में समय पर प्रविष्टि करने में देरी मुख्य रूप से आईएनडी-एस के लागू करने और लेखाओं के तिमाही/ वार्षिक समापन के कारण हुई। इसने आगे कहा कि मासिक आधार पर लेखाओं को बंद करके अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रणाली जाँच शुरू की गई है जहाँ दस्तावेज़ की तारीख प्रणाली की तारीख और लेखाओं के मासिक समापन के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नहीं हो सकती है।

#### **ख) लागत केंद्र लेखांकन**

सीओबीके नियंत्रित करने के आब्जेक्ट का दस्तावेज़ हेडर डेटा टेबल है। डेटा अभिलेखों (91,64,158 अभिलेखों) की समीक्षा से पता चला कि 1,73,595 अभिलेखों में दस्तावेज़ की तारीख 31 मार्च 2018 से अधिक है (जैसे 22 मई 2041, 25 अप्रैल 2201, 23 मई 2314, 02 दिसम्बर 2020 आदि)। 12 अभिलेखों में दस्तावेज़ की तारीख सही नहीं है और अन्य 6 अभिलेख; दस्तावेज़ की तारीख 2001-2011 से संबंधित थीं जब प्रविष्टि की तारीख/ पोस्टिंग की तारीख 2014-18 से संबंधित थी।

लेखापरीक्षा ने प्रबंधन को दस्तावेज़ की प्रविष्टि की तारीख को मान्य करने पर विचार करने का सुझाव दिया।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि मान्यकरण इस प्रभाव तक रखा जाएगा कि दस्तावेज़ की तारीख प्रणाली की तारीख 30 अप्रैल 2019 के बाद न हो। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि सिस्टम चेक शुरू किया गया है जहाँ दस्तावेज़ की तिथि सिस्टम तिथि के बाद नहीं हो सकती है।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

#### **9.2.8.5 कर्तव्य का पृथक्करण**

कर्तव्य पृथक्करण सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण बनाए जाएं कि डेटा प्रविष्टि के लिए कर्तव्यों का उचित पृथक्करण हो और जहां कर्तव्यों का पृथक्करण संभव नहीं है, वहां प्रतिकारी नियंत्रण हैं। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एक व्यक्ति की कार्रवाइयों/ निष्क्रियता से संभावित क्षति से बचने/ कम करने के लिए मास्टर रिकॉर्ड के सृजन, परिवर्तन और विलोपन को विभिन्न व्यक्तियों में निहित किया जाए। टेबल की जांच के दौरान यह देखा गया कि 1,30,733 रिकॉर्ड में मास्टर डाटा बनाया गया है और उसी व्यक्ति ने बदल दिया है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (अप्रैल/ अगस्त 2019) कि परिसंपत्ति के सृजन और परिसंपत्ति में बदलाव के लिए दो अलग-अलग भूमिकाएँ सृजित की गई हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि भूमिकाओं के मौजूदा असाइनमेंट को 01 जून 2019 से अपने आप हटा दिया जाएगा।

#### 9.2.8.6 प्रशिक्षण के प्रयास

उपयोगकर्ता की जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता/ रिफ्रेशर प्रशिक्षण विवरण प्रबंधन से मंगवाए गए थे। प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि हर साल रिफ्रेशर प्रशिक्षण अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है। यह भी बताया गया कि ई-लर्निंग उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

*लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रणाली में त्रुटि मुक्त इनपुट की सुविधा के लिए उपयोगकर्ताओं के अद्यतन प्रशिक्षण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।*

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल प्रशिक्षण को वार्षिक कैलेंडर में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

#### 9.2.8.7 निष्कर्ष

नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 10 (अध्याय VII) में विरासती प्रणाली से डेटा के अनुकूलन, इनपुट नियंत्रण और प्रवासन में कमियों को इंगित किया गया है। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कंपनी को समीक्षा करनी चाहिए और लागतों के आवंटन और मास्टर डेटा की आवधिक समीक्षा से संबंधित नियंत्रणों, व्यापार नियम मापन को सुदृढ करके कमियों को दूर करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिवेदन में बताए गए कुछ मुद्दों का प्रबंधन द्वारा सुधार किया गया था और आश्वासन के बावजूद कुछ मुद्दे अभी भी बरकरार हैं (*अनुलग्नक XXV* में विवरण)। पुनः बताए जाने के बाद ही मंत्रालय ने खामियों को परिशोधित किया। इस प्रतिवेदन में बताये गये अधिकांश मुद्दे अंतराल को नियंत्रित करने से संबंधित थे जिनमें नए मुद्दे भी शामिल थे। यद्यपि मास्टर डेटा की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की गई थी, फिर भी एसेट मास्टर टेबल्स में कमियां अभी भी बनी रहीं। इसके अलावा इनपुट नियंत्रण और लागत आवंटन के मानकीकरण पर कुछ मुद्दे अभी भी कायम हैं।

इन मुद्दों को मौजूदा त्रुटियों के सुधार के अलावा उपयुक्त नियंत्रण रखकर संबोधित किया जा सकता है। प्रणाली में त्रुटि मुक्त इनपुट को सक्षम करने के लिए उपयोगकर्ताओं के अद्यतन प्रशिक्षण को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्रियाविधियों में संगठन में संगतता और एकरूपता वांछित है।

प्रबंधन इन निष्कर्षों पर संकेतक के रूप में विचार करना चाहेगा और एक व्यवस्थित और आवधिक समीक्षा करेगा। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखा परीक्षा टिप्पणियों के बाद, ओएनजीसी ने सुधारात्मक उपाय करने और कमियों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

### 9.3 बिक्री करार के अनुसार मानकों के ऊपर तल अवसाद एवं पानी युक्त कच्चे तेल की बिक्री के कारण राजस्व की हानि

कच्चे तेल की आपूर्ति में तल अवसाद एवं पानी की मात्रा को मानकों के अनुसार बनाए रखने की सुविधाओं को अनुमोदित समय-सारणी के अन्दर उन्नत एवं सृजित करने की ओएनजीसी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹27.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने कच्चे तेल की बिक्री के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (अप्रैल 2002)। कच्चे तेल में तल अवसाद एवं पानी (बीएसएंडडब्ल्यू) की मात्रा 0.2 प्रतिशत से अधिक होने पर, बिक्री मूल्य स्लैब दरों में छूट निम्न के अध्यक्षीन थी:

बीएस एंड डब्ल्यू के लिए छूट (प्रतिशत में मात्रा)	छूट (प्रति बैरल यूएस डॉलर)
0.2 प्रतिशत से कम	शून्य
0.2 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक से कम व इसके बराबर	0.10
0.5 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तक से कम व इसके बराबर	0.15
0.5 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि के लिए	0.05

असम में ओएनजीसी के तेल क्षेत्र गेलकी, लकवा, रूद्रसागर और नॉर्थ बैंक में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल को लकवा और गेलकी क्षेत्रों पर सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ) में संगृहीत किया जाता है, जिसे मोरन और जोरहाट में कस्टडी सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीसीटीएफ) को भेजा जाता है। कच्चे तेल की आपूर्ति आखिरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की पाइपलाइन के माध्यम से आईओसीएल की गुवाहाटी व बोंगईगांव रिफाइनरीज और बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को की जाती है। इन क्षेत्रों से उत्पादित तेल में बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा उच्च होती है, जिसके कारण कच्चे तेल के आगे के प्रसंस्करण के लिए रिफाइनरीज को आपूर्ति से पहले बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा का स्तर 0.2 प्रतिशत से नीचे लाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- असम नवीकरण योजना (एआरपी) - “लकवा एवं लखमनी क्षेत्रों और मोरन सीटीएफ के लिए सरफेस इंस्टालेशन व गैस लिफ्ट/ पाइपलाइन नेटवर्क का पुनर्निर्माण और अनुकूलन” योजना ए को ₹2,465.15 करोड़ की अनुमानित लागत

के साथ बहुत पहले ही दिसम्बर 2005 में संकल्पनात्मक रूप दिया गया था। परियोजना के प्रमुख प्रदेय में से एक बीएसएंडडब्ल्यू स्तर को 0.2 प्रतिशत से नीचे नियंत्रित करना था। परियोजना मार्च 2013 में समापन समय सीमा के साथ मार्च 2009 में अवार्ड की गयी थी; परियोजना को अभी भी पूर्ण नहीं किया गया है।

- निर्धारित पांच जीजीएस<sup>12</sup> के लक्ष्य में से चार जीजीएस का योजना-ए के तहत पुनर्निर्माण किया जा चुका है तथापि पुनर्निर्माण सुविधाएं कच्चे तेल की वांछित गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रही हैं, क्योंकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान औसत बीएसएंडडब्ल्यू तत्व की मात्रा (अक्टूबर 2019 तक) लगभग 0.2 से 1.799 प्रतिशत थी।
- ओएनजीसी ने कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू तत्व की मात्रा को कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों अर्थात् टैंकों की सफाई और मरम्मत करने की परिकल्पना की। लेखापरीक्षा ने देखा कि असम एसेट में स्थापित किए गए 168 तेल और बहिःप्रवाह टैंकों में से 49 भंडारण टैंक लकवा और लखमनी फील्ड्स में हैं, जिनकी सफाई और मरम्मत एआरपी परियोजना के पूरा होने के बाद की जाएगी। शेष 119<sup>13</sup> भंडारण टैंकों में से केवल 40 टैंकों की सफाई और मरम्मत नवम्बर 2019 तक की गई थी।
- असम एसेट से आपूर्ति किए गए कच्चे तेल में अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2019 (मार्च 2013 के बाद की अवधि, परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा) की अवधि के दौरान बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा 0.164 से 0.417 प्रतिशत तक थी, जिसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी को ₹27.06 करोड़ की राशि की कीमत में छूट/ राजस्व की हानि हुई थी।

ओएनजीसी/मंत्रालय ने (नवम्बर 2019/मार्च 2020) में कहा कि:

- मई 2019 में एक और संस्थापन (एलकेएच जीजीएस-5) का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है और परिचालन में डाल दिया गया है। एलकेडब्ल्यू जीजीएस-1 को दिसम्बर 2019 में चालू किया गया है और यह ट्रायल रन के तहत है; एलकेडब्ल्यू सीटीएफ प्रगति पर है। हालांकि, कई बार गतिशील प्रक्रिया की स्थिति के कारण वांछित गुणवत्ता को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और सीटीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सीटीएफ में बेहतर स्थायीकरण और पृथक्करण के परिणामस्वरूप क्रूड में बीएसएंडडब्ल्यू कम होता है।

<sup>12</sup> जीजीएस- ग्रुप गैदरिंग सिस्टम- यहां कुओं से उत्पादित गैस के साथ इमल्शन को एकत्रित किया जाता है, जहां सेपरेटर के माध्यम से तरल व गैस को अलग किया जाता है

<sup>13</sup> 119 टैंकों में से, 6 नये टैंक हैं, 7 टैंक उपयोग में नहीं हैं और 5 टैंक मरम्मत के अधीन हैं

- बीएसएंडडब्ल्यू कम करने के लिए भंडारण टैंकों की सफाई/ मरम्मत एक सीधा उपाय नहीं है। हालांकि, टैंकों की सफाई/ मरम्मत अधिक रसाव और पानी को स्थिर करने के लिए अधिक समय प्रदानकरता है जिससे बेहतर जल पृथक्करण और कम बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा 40 टैंकों को 15 नवम्बर 2019 तक साफ किया गया है, पांच टैंकों का कार्य प्रगति पर है और शेष टैंकों के लिए कार्य पूरा होने की अपेक्षित तिथि अप्रैल 2023 है।
- रिफाइनरी डिस्पैच में बीएसएंडडब्ल्यू को कम करने के लिए असम एसेट ने कठिन प्रयास किये थे और लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹4.49 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹1.91 करोड़ तक प्रदत्त छूट की कमी हुई। बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा की सीमा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 0.297 से 0.164 प्रतिशत थी , जो महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।
- निम्न कारणों से हाल के दिनों में वांछित गुणवत्ता प्राप्त नहीं की जा सकी (i) पुनःनिर्मित और अल्प-पुननिर्मित संस्थापनों से क्रूड का मिश्रण (ii) हीटर ट्रीटर उपकरण 35 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इन्हें बदलने की आवश्यकता है (iii) चालू संस्थापनों में टैंकों की मरम्मत और सफाई एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है और केवल रिफाइनरियों के शटडाउन से जोड़कर क्रमिक रूप से की जा सकती हैं (iv) अधिक मात्रा में क्रूड जीजीएस/ सीटीएफ में रसाव बनाने के लिए रिफाइनरियों को भेजा जाना था, जिसके कारण अंतिम पृथक्करण आदि के लिए निपटान समय कम होने की वजह से तेल डिस्पैच में बीएसएंडडब्ल्यू में वृद्धि हुई।

उत्तर को निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है:

- एलकेडब्ल्यू-जीजीएस-1 को दिसम्बर 2019 (मार्च 2013 की समापन समय सीमा के प्रति) में चालू किया गया है और ट्रायल रन पूरा हुआ है (जनवरी 2020)। एलकेडब्ल्यू - सीटीएफ पर कार्य अभी भी जारी है। इस प्रकार एआरपी जिसकी काफी पहले दिसम्बर 2005 में संकल्पना की गयी, 15 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
- बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा का वांछित स्तर सभी चार पूरे हुए जीजीएस में प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसका स्तर जीजीएस के चालू होने के बाद 0.2 से 0.584 प्रतिशत की सीमा में रहा।
- अतिरिक्त उपाय जैसे कि टैंकों की सफाई और मरम्मत, तेल में घुलनशील विपायसक आदि का उपयोग असम क्रूड में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा को वांछित स्तर तक कम नहीं कर सके हैं।



- 2019-20 (अक्टूबर 2019 तक) की अवधि के दौरान, बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा सभी महीनों में 0.2 प्रतिशत के वांछित स्तर से ऊपर रही और इस अवधि के दौरान ओएनजीसी को ₹2.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इस तरह तल अवसाद एवं पानी की मात्रा को वांछित स्तर पर बनाए रखने हेतु पुनर्निर्माण में किया गया व्यय निष्फल रहा।
- ओएनजीसी को समयबद्ध तरीके से मुद्दे को सम्बोधित करना चाहिए ताकि ओएमसी को गुणवत्तापूर्ण कूड की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतः असम नवीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी और निर्धारित मानकों के अंदर बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा को बनाए रखने की विफलता के कारण ओएनजीसी को अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान ₹27.06 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

#### 9.4 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण के अविनियमन का क्रियान्वयन

##### 9.4.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) जुलाई 1975 से प्रशासित कीमत निर्धारण तंत्र (एपीएम) के माध्यम से कीमतों को नियंत्रित करती थी। 1997 में, तेल उद्योग ('आर' समूह) की पुनः संरचना पर नीतिगत योजना समूह की सिफारिशों के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके में एपीएम को विघटित करने का निर्णय किया गया था। 1998 में, ईंधन तेल, लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) और नेफ्था और इसके बाद 2001 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को अविनियमित किया गया था। मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) को क्रमशः 25/ 26 जून 2010 और 18/ 19 अक्टूबर 2014 की मध्यरात्रि से अविनियमित किया गया था।

अविनियमन के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का निर्धारण बाजार करता है और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) कीमतों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। एमएस/ एचएसडी की कीमतों को 16 जून 2017 से देश के सभी खुदरा आऊटलेट्स में दैनिक रूप से संशोधित किया जा रहा है जो पखवाड़े में संशोधित की जा रही थी।

##### 9.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को मौटे तौर पर निम्नलिखित के बारे में रिपोर्ट करना था:

- दैनिक कीमत निर्धारण तंत्र का कार्यान्वयन और ओएमसी द्वारा इसकी निगरानी किया जाना।
- क्या अविनियमन एमएस/ एचएसडी की कीमतों के संबंध में बाजार में प्रतिस्पर्धा लाया है।

लेखापरीक्षा ने मुख्य रूप से 2014-15 से 2017-18 की अवधि को शामिल किया अर्थात पश्य एचएसडी अविनियमन

#### 9.4.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल थे:

- एमएस और एचएसडी की खुदरा बिक्री कीमत (आरएसपी) को अविनियमित करने के लिए भारत सरकार की नीति और जारी किए गए परिपत्र।
- 16 जून 2017 से ओएमसी द्वारा कार्यान्वित दैनिक कीमत निर्धारण के तंत्र की निगरानी।

#### 9.4.4 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

20 जुलाई 2018 को ओएमसीज़ के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अगस्त से नवम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान की गई थी। इसमें ओएमसी के खुदरा मुख्यालय से सांख्यिकीय डेटा का संग्रहण और चयनित खुदरा आउटलेट (आरओ) और आरओ को नियंत्रित करने वाले कार्यालयों पर लेखापरीक्षा दलों के दौरे शामिल किए गए थे। कुल 55,013 आरओ (31 मार्च 2017 तक) में से, 188 आरओ विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रति चयन आधार पर चयनित किए गए थे।

#### 9.4.5 लेखा परीक्षा निष्कर्ष- ओएमसी द्वारा एमएस/ एचएसडी तथा इसकी मॉनीटरिंग पर दैनिक कीमत निर्धारण का क्रियान्वयन

ओएमसीज़ ने 1 मई 2017 से परीक्षण आधार पर पांच शहरों में तथा 16 जून 2017 से सम्पूर्ण देश में एमएस तथा एचएसडी के आरएसपी में दैनिक परिवर्तन को प्रभावित किया जो तब तक पंद्रह दिनों में संशोधन किया जा रहा था । इस निर्णय को स्वचालित तथा गैर-स्वचालित आरओ के माध्यम से लागू किया गया। कीमत परिवर्तन को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से केन्द्रीय सर्वर के माध्यम से स्वचालित आरओ पर कीमत फाइल सृजित कर के लागू किया जाता है जिसे सिस्टम में अद्यतित किया जाता है। अद्यतित करने में विफलता के मामलों में, डीलर एसएमएस, ईमेल, वेबपोर्टल, मोबाईल ऐप आदि के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर कीमतों को मैनुअल अद्यतित करता है। गैर-स्वचालित आरओ

के मामले में, डीलर ओएमसीज़ से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिदिन कीमतों में परिवर्तन करते हैं।

31 मार्च 2017 तक तीन ओएमसीज़<sup>14</sup> के नियंत्रण के अधीन 55,013 खुदरा आउटलेट थे जिनमें से 22,014 स्वचालित<sup>15</sup> तथा 32,999 गैर-स्वचालित<sup>16</sup> खुदरा आउटलेट थे। लेखापरीक्षा ने सांख्यिकीय नमूने के आधार पर नमूना जांच के लिए 188 आरओ (स्वचालित-61 तथा गैर-स्वचालित-127) का चयन किया। चयनित आरओ के संबंध में जनवरी तथा मई 2018 माह के बिलों के साथ दैनिक कीमत परिवर्तन की विस्तृत जांच की गई। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के लिए आरओ की निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट ट्रेल्स, शिकायतों सहित रजिस्टर आदि की भी क्षेत्रीय दौरे के दौरान जांच की गई।

एमओपीएनजी और ओएमसीज़ से प्राप्त प्रासंगिक रिकार्ड्स और सूचनाओं की जांच सहित संबंधित अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप ओएमसी द्वारा तैयारी, क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां सुनिश्चित हुई।

#### 9.4.5.1 तैयारियों की पर्याप्तता

##### आरओ के स्वचालन का अभाव और निरंतर कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति

- निरंतर संपर्क के साथ प्राइसपुश एप्लीकेशन सहित आरओ का स्वचालन कीमत के शीघ्र तथा सही परिवर्तन को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है। ओएमसी ने जून 2017 में 43 प्रतिशत आरओ का स्वचालन किया था जिसने नीति को लागू करते समय तैयारी के अभाव को दर्शाया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों (नवम्बर 2017) के अनुसार, सभी आरओ का स्वचालन दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, दिसम्बर 2018 तक तीन ओएमसी द्वारा ₹1,487 करोड़ की पूंजी के साथ केवल 80 प्रतिशत आरओ का स्वचालन किया गया था।

स्वचालन की धीमी प्रगति की वजह से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए ओएमसी हेतु समझौता ज्ञापन के तहत सभी आरओ के स्वचालन का लक्ष्य निर्धारित किया। मार्च 2019 तक आईओसीएल तथा बीपीसीएल क्रमशः 98 तथा 93 प्रतिशत आरओ का स्वचालन कर सके तथा एचपीसीएल दैनिक कीमत निर्धारण के क्रियान्वयन से लगभग 20 माह के पश्चात् पूर्ण स्वचालन प्राप्त कर सका।

<sup>14</sup> आईओसीएल-25,951, एचपीसीएल-14,992 तथा बीपीसीएल-14,070

<sup>15</sup> आईओसीएल-9,925, एचपीसीएल-5,033 तथा बीपीसीएल-7,056

<sup>16</sup> आईओसीएल-16,026, एचपीसीएल-9,959 तथा बीपीसीएल-7,014

- एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के मामले में, कुछ आरओ जो दैनिक प्राइसपुश के अनुवर्ती थे, मुख्य रूप से निरंतर कनेक्टिविटी के अभाव की वजह से पुशड-प्राइस सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सके। 16 जून 2017 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए एचपीसीएल के डेटा की समीक्षा ने दर्शाया कि दैनिक विफलता दर 9 तथा 88 प्रतिशत के बीच थी तथा बीपीसीएल हेतु (20 जून 2017 से 30 जून 2018 तक) 59 तथा 93 प्रतिशत के बीच थी। आईओसीएल ने सर्वर द्वारा दैनिक कीमतों के प्रसार से संबंधित डेटा प्रदान नहीं किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दौरा किए गए आठ आईओसीएल स्वचालित आरओ में से किसी में भी सतत कनेक्टिविटी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप डीलरों द्वारा हस्त्य रूप से कीमत से परिवर्तन हुआ।
- क्षेत्रीय दौरे के दौरान यह पाया गया कि केन्द्रीय सर्वर द्वारा स्वचालित रूप से बढ़ाए जाने के बजाय स्वचालित आरओ पर हस्त्य रूप से डीलरों द्वारा दैनिक आरएसपी को परिवर्तित किया गया था। जैसा कि नीचे विवरण तालिकाबद्ध दिया गया है:

**तालिका 9.4.1: स्वचालित आरओ पर हस्त्य रूप से परिवर्तित किए जा रहे आरएसपी के मामलों का विवरण**

ओएमसी	नियंत्रक कार्यालय का नाम	स्वचालित आरओ (संख्याएं)	स्वचालित आरओ की संख्या जहां दैनिक कीमतों को हस्त्य रूप से एवं दौरे के दिन परिवर्तित किया गया था	स्वचालित आरओ जहां दैनिक कीमतों को हस्त्य रूप से परिवर्तित किया गया था (प्रतिशत में)	क्रियान्वयन के बाद से हस्त्य रूप से कीमत परिवर्तन के 51 से अधिक मामलों वाले आरओ की संख्या
एचपीसीएल	भोपाल आरओ	177	78 (03 सितम्बर 2018)	44	104
	इन्दौर आरओ	200	32 (08 अक्टूबर 018)	16	37
	मुम्बई आरओ	87	36 (16 अक्टूबर 2018)	41	आंकडे उपलब्ध नहीं
बीपीसीएल	सूरत टीओ	189	111 (27 अगस्त 2018)	59	--वही--
	इन्दौर टीओ	179	102 (29 सितम्बर 2018)	57	--वही--
	ग्वालियर टीओ	106	73 (25 अक्टूबर 2018)	69	--वही--
	मनमाड टीओ	196	72 (31 अक्टूबर 2018)	37	--वही--

उपर दी तालिका में यह देखा जा सकता है कि भोपाल आरआरओ के आउटलेट में अधिक मामलों में कीमतों को हस्त्यरूप से परिवर्तित किया गया था यद्यपि यह एक स्वचालित आरआरओ था। आईओसीएल के मामले में, स्वचालित आरओ में हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की सीमा को सर्वर द्वारा दैनिक कीमत के प्रसार से संबंधित डेटा के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि आईओसीएल के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय के तहत एक आरओ मेंडिलर ने सफल स्वचालित प्राइस-पुश के बावजूद जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान एचएसडी तथा एमएस हेतु प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा इसके पश्चात क्रमशः 131 तथा 132 बार हस्त्य रूप से हस्तक्षेप किया।

ओएमसी ने कनेक्टिविटी के अभाव के लिए स्वचालित आरओ में कीमत के हस्त्य रूप से परिवर्तन को उत्तरदायी ठहराया (अप्रैल 2019)। एचपीसीएल ने कहा कि वीएसएटी के लागू होने से समस्या को संबोधित किया जाएगा। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2020) कि आरओ का स्वचालन दैनिक कीमतों से लिंक नहीं था जोकि जून 2017 से लागू किया गया था। इससे स्वचालित प्राइस-पुश में सहायता मिली तथा अन्य आरओ में दैनिक कीमत हस्त्य रूप से लागू की गई। वर्तमान में व्यवहार्य और ऑपरेटिव आरओ स्वचालित हो गए हैं और उनमें से अधिकांश को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। यद्यपि स्वचालित आरओ में मैनुअल संचालन किया गया, लेकिन सही कीमत वसूल की गई।

उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि आरओ द्वारा कीमतों की त्वरित और सही चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कनेक्टिविटी के साथ आरओ के दैनिक मूल्य निर्धारण के स्वचालन की आवश्यकता है। इसकी अनुपस्थिति में, डीलर द्वारा मूल्य निर्धारण के सही परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा निगरानी की आवश्यकता थी। हालाँकि, दैनिक मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन के समय, ओएमसी के पास दोनों की कमी थी और स्वचालन लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से गलत मूल्य वसूल किया गया, जैसा कि पैरा 9.4.5.2 में बताया गया है।

#### 9.4.5.2 डीलरों द्वारा दैनिक कीमतों में बदलाव

##### i) डीलरों द्वारा कीमतों का परिवर्तन करने में शीघ्रता का अभाव

चयनित आरओ पर डीलरों द्वारा कीमतों के संशोधन (कीमत परिवर्तन रिपोर्ट/ लॉग्स) से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षासंवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- 3,463 मामलों ऐसे थे जहां 188 आरओ में से 91 (आईओसीएल-40, एचपीसीएल-35 तथा बीपीसीएल-16) में डीलर प्रातः 6 बजे निर्धारित समय पर कीमतों को

बदलने में तत्पर नहीं थे। दैनिक कीमतों को प्रातः 6 बजे से पूर्व 587 मिनट में तथा प्रातः 6 बजे के बाद 1,078 मिनट में हस्त्य रूप से संशोधित किया गया। तथापि, अधिकतर आरओ के कार्यकारी घंटों का समय प्रातः 7 बजे से रात 11 बजे तक प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में डीलरों द्वारा ग्राहकों से अधिप्रभार लेने को समाप्त नहीं किया जा सकता।

- 95 मामलें (आईओसीएल-41, एचपीसीएल 54 तथा बीपीसीएल-शून्य) ऐसे थे जहां डीलरों द्वारा कीमतों को उस दिन तक प्रचलित आरएसपी से उच्च पर संशोधित किया गया था जिसके फलस्वरूप अधिक प्रभार हुआ जो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार एक बड़ी अनियमितता है।

आईओसीएल/ एचपीसीएल ने कीमतों के परिवर्तन, कनेक्टिविटी की कमी, शिफ्टों में आरओ के परिचालन, प्रिंटरों की मरम्मत तथा आरओ के स्वचालन आदि में सम्मिलित प्रसार इकाईयों की अधिक संख्या जैसी व्यावहारिक कठिनाईयों के विषय में बताया (फरवरी/ अप्रैल 2019)। बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत एसओपी जारी करना, क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश तथा डीलर नेटवर्क आदि जैसी सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। बीपीसीएल ने आगे बताया कि शेष आरओ में स्थिर कनेक्टिविटी देने के लिए कार्य चल रहा है तथा आरओ निरीक्षण रिपोर्ट (आरओआईआर) को संशोधित करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिक्री अधिकारी कीमत लॉग का प्रिंट ले तथा आरओआईआर के साथ इसे संलग्न करें।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि वर्तमान में वीएसएटी एवं रियल टाइम ट्रांसफर के सहित स्वचालित प्राइस-पुश कुल स्वचालित आरओ के 68 प्रतिशत पर लागू की गई है तथा यह दिसम्बर 2020 तक 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करेगी। यह हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। कनेक्टिविटी विफलता के मामलें में भी जब हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो सिस्टम कनेक्टिविटी के पुनः स्थापित होने के बाद संशोधित कीमत को लागू करता है।

लेखापरीक्षा ने ओएमसी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कीमत परिवर्तन की मॉनीटरिंग के अभाव का अवलोकन किया था जिसके फलस्वरूप कीमत परिवर्तन में विलम्ब तथा डीलर द्वारा गलत कीमत का प्रभार हुआ। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति संभव है क्योंकि नई प्रणाली को अभी तक सभी आरओ पर लागू नहीं किया गया है। केवल बीपीसीएल ने आरओआईआर को संशोधित करने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया कि बिक्री अधिकारी मूल्य लॉग का प्रिंट ले तथा इसे आरओआईआर के साथ संलग्न करें।

## ii) डीलरों द्वारा गलत प्रभार लेना

8 जनवरी 2013 से प्रभावी ओएमसी के लिए लागू एमडीजी के खंड 1.6 (i) के अनुसार, आरओ डीलर को सही कीमत प्रभारित करना सुनिश्चित करना चाहिए। स्वचालित आरओ पर सव्यंवाह रिवोर्टों, डीलरों द्वारा जारी नकद/ क्रेडिट बिलों तथा दैनिक बिक्री रिकॉर्ड की संवीक्षा से कीमतों के गलत प्रभार के मामलों का पता चला। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए आरओ पर उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से 86 आरओ (आईओसीएल) में से 19, 53 आरओ (एचपीसीएल) में से 2 तथा 49 आरओ (बीपीसीएल) में से 2 में अधिक/ कम प्रभार लेने के मामलें थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.4.2: अधिक/ कम प्रभार के मामलें

ओएमसी	नमूना जांच किए गए आरओ की संख्या	उन आरओ की संख्या जहां अधिक/ कम प्रभार देखा गया	उन आरओ की प्रतिशतता जहां अधिक/ कम प्रभार देखा गया	अधिक प्रभार लेने के मामले	कम प्रभार लेने के मामलें
आईओसीएल	86	19	22	109	104
एचपीसीएल	53	2	04	04	शून्य
बीपीसीएल	49	2	04	06	शून्य
<b>कुल</b>	<b>188</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>119</b>	<b>104</b>

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत डेटा

ओएमसी ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कीमतों के गलत प्रभार को स्वीकार किया। आईओसीएल ने कंपनी द्वारा डीलरों को सूचित गलत कीमत, डीलरों द्वारा गलत इरादे की अनुपस्थिति, कीमत को प्रभारित करने में सम्मिलित व्यावहारिक कठिनाईयों को कीमतों के गलत प्रभार के लिए उत्तरदायी ठहराया (अप्रैल 2019) तथा डीलरों को इन त्रुटियों के लिए चेतावनी दी गई थी। एचपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि नई एप्लीकेशन अर्थात् 'रिटेल ऑटोमेशन डैश बोर्ड' को सिस्टम के माध्यम से आरओ पर कीमत परिवर्तन की मॉनीटरिंग/ पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि गलत कीमत परिवर्तन की सीमा काफी कम थी जो डीलरों की ओर से गलत इरादे को असंभव बनाती है। तथापि, इन मामलों में डीलरों को सलाह दी गई थी। एक मामलें में, एमडीजी दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर पर कार्रवाई की गई थी। भविष्य में, स्वचालन तथा कनेक्टिविटी में सुधार होने पर इन चूकों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

कीमतों को गलत प्रभारित करने के मामले केवल संकेत थे तथा इन्हें नमूना चयन के आधार पर निरीक्षण किए गए आरओ में देखा गया था। ये मामले ओएमसी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रणाली के अभाव को दर्शाते हैं।

iii) स्वचालन प्रणाली में त्रुटि की वजह से अधिक प्रभार लेना

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेल तथा सर्वर के माध्यम से दरों के सूचित करने में विसंगति की वजह से आईओसीएल के मुम्बई डीओ के अधीन एक स्वचालित आरओ में अधिक प्रभार लिया गया। डीलर ने ऑटो सृजित मेल के माध्यम से सूचित दर को लागू किया जो सर्वर द्वारा बढ़ाई गई दर से अधिक थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.4.3: प्रणाली में त्रुटि के कारण अधिक प्रभार के ब्यौरे

बिल सं.	तिथि	उत्पाद	ग्राहक से प्रभारित दर (₹/ लीटर)	लागू दर (₹/ लीटर)
64606	1 जून 2018	एमएस	85.85	85.81
64606	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25
64573	1 जून 2018	एमएस	85.85	85.81
64572	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25
64568	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़े

इसके अलावा, मेल द्वारा सूचित दर उन सभी गैर-स्वचालित आरओ और स्वचालित आरओ में लागू की जानी चाहिए जहां डीलरों ने कनेक्टिविटी समस्या के कारण कीमत में हस्त्य रूप से परिवर्तन किया था।

प्रबंधन ने आईओसीएल द्वारा दर की सूचना देने में हुई विसंगति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019); तथापि, उत्तर में सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-स्वचालित तथा स्वचालित आरओ, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, पर इस विसंगति के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एमओपीएनजी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

iv) एचएसडी कीमतों में दिन में कई बार परिवर्तन

आईओसीएल के गोवा डिविजनल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वचालित आरओ में देखा गया कि मई 2018 में एक ही दिन में डीलर द्वारा दो विभिन्न लॉग-इन आईडी का प्रयोग करते हुए कीमतों में कई बार परिवर्तन किया गया था क्योंकि बार-बार प्रणाली में ब्रेकडाउन हो रहा था। अतः उन दिनों के दौरान गलत कीमते प्रभारित होने को खारिज नहीं किया जा सकता जिसके ब्यौरे निम्न हैं:



तालिका 9.4.4: एचएसडी कीमतों में दिन में कई बार परिवर्तन दर्शाते मामले

सं.	तिथि	वास्तविक कीमत (₹ प्रति लीटर)	कीमतों को आगे बढ़ाने का समय	डीलर द्वारा बदली गई कीमते (₹ प्रति लीटर)
1	20 मई 2018	71.00	08.29 बजे	71.00
			20.48 बजे	71.05
2	21 मई 2018	71.25	6.02 बजे	71.25
			21.11 बजे	71.30
3	22 मई 2018	71.52	6.11 बजे	71.52
			23.37 बजे	71.65
4	23 मई 2018	71.79	6.03 बजे	71.79
			21.43 बजे	71.80

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े

तालिका से यह देखा जा सकता है कि डीलर द्वारा परिवर्तित कीमत अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप गलत कीमते प्रभारित हुईं।

आईओसीएल ने बताया (अप्रैल/ मई 2019) कि एक समिति ने मामले की जांच की थी जिसने सूचना दी (मई 2019) कि चूँकि सिस्टम ब्रेकडाउन बार-बार हो रहा था, अतः डीलर ने बिक्री हानि और ग्राहक की असुविधा से बचने के लिए विक्रेता द्वारा साझा की गई एडमिन लॉग-इन का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, मई 2018 के दौरान डीलर ने निवल अधिक/ कम प्रभार के कारण मामूली हानि उठाई थी। एमओपीएनजी ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2020) और कहा कि स्वचालित प्राइस-पुश सुनिश्चित करने के लिए शासनाधीन आरओ पर नई स्वचालित प्रणाली और कनेक्टिविटी संस्थापित कर दी गई है और सिस्टम की खराबी के मामले में सही कीमत बनाए रखने के लिए डीलर से बात की गई है।

हालांकि, डीलर ने विशेष माह के दौरान निवल हानि उठाई थी, फिर भी तथ्य यह है कि इन मामलों में उपभोक्ताओं से गलत कीमते प्रभारित की गई थी। इसके अलावा, ये नमूना जांच किए गए मामलों के परिणामस्वरूप सामने आए और इसलिए उपर्युक्त उल्लिखित मामले सूचक आधार पर हैं।

#### v) स्वचालन प्रणाली में संव्यवहार रिपोर्टों की अनुपलब्धता

आईओसीएल के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय के अंतर्गत एक स्वचालित आरओ और गुरुग्राम डीओ के अंतर्गत दो स्वचालित आरओ से संबंधित कीमत परिवर्तन रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं। अतः लेखापरीक्षा में कीमतों में परिवर्तन की तत्परता और डीलर द्वारा

सही कीमतें प्रभारित करने की जांच नहीं की जा सकी। विपणन मुख्यालयों में भी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि इन तीन आउटलेटों में तकनीकी खराबी के कारण कीमत परिवर्तन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और स्वचालन विक्रेता को बेक-अप रखने के लिए आगाह किया गया है। एमओपीएनजी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

**vi) एचपीसीएल और बीपीसीएल/मोबाइल नंबर पर आरएसपी का गलत प्रदर्शन**

एचपीसीएल और बीपीसीएल ने ग्राहकों की सहायता के लिए क्रमशः "माय एचपीसीएल ऐप" और "स्मार्टड्राइव" नामक मोबाइल ऐप्लिकेशन विकसित किए हैं। ये ऐप डीलरों द्वारा प्रभारित दरों की जांच में ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखापरीक्षा में इन 'ऐप' की कार्यपद्धति की नमूना जांच की गई और यह देखा गया कि:

- एचपीसीएल के पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले एक आरओ पर एमएस और एचएसडी का आरएसपी 31 अगस्त 2018 को ऐप में क्रमशः ₹78.14 प्रति लीटर और ₹74.20 प्रति लीटर के प्रति क्रमशः ₹77.87 प्रति लीटर और ₹73.72 प्रति लीटर दर्शाया गया था जो क्रमशः ₹0.27 प्रति लीटर और ₹0.48 प्रति लीटर तक अधिक था। एचपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि यह त्रुटि तकनीकी खराबी के कारण हुई और सूचना प्रणाली के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- बीपीसीएल ऐप पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले दो आरओ का पता नहीं लगा सका और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को प्रदर्शित नहीं कर सका। इसमें एक संदेश 'कोई आउटलेट नहीं पाया गया' दर्शाया गया। बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि उस स्थान पर कनेक्टिविटी समस्या के कारण यह परेशानी आई थी।

लेखापरीक्षा में भटिंडा और देहरादून में तीन आरओ पर एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर उत्पादों के आरएसपी की सटीकता की जांच के लिए बीपीसीएल द्वारा ग्राहकों को दी गई सुविधा की नमूना जांच की गई थी। हालांकि, 12 एसएमएस<sup>17</sup> में से 7 का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि यह कुछ समेकन मुद्दों के कारण आरंभिक चरण के दौरान हुआ था और इसका समाधान कर दिया गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐप और एसएमएस सुविधा की खराबी पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह चार्ज की गई कीमत के बारे में ग्राहकों के विश्वासस्तर में सुधार करेगा।

<sup>17</sup> 04 सितंबर 2018, 05 सितंबर 2018, 08 सितंबर 2018, 09 सितंबर 2018, 10 सितंबर 2018 और 11 सितंबर 2018 को भेजे गए

### 9.4.5.3 ओएमसी के द्वारा आरओ का निरीक्षण

9 जनवरी 2013 को आयोजित उद्यम की बैठक के कार्यवृत्त ने ओएमसी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आरओ पर निरीक्षण की 'प्रति वर्ष न्यूनतम बारंबारता' निर्धारित की जो स्वचालन की सीमा के आधार पर वर्ष में दो बार से लेकर चार बार तक होता है। बीपीसीएल के मामले में, 14,762 आरओ में से 176 में निरीक्षण में कमी थी जबकि एचपीसीएल में 15,604 आरओ में से 2,454 में निरीक्षण में कमी थी। एचपीसीएल के मामले में 7 प्रतिशत आरओ का निरीक्षण कभी नहीं किया गया था और 9 प्रतिशत आरओ का केवल एक बार निरीक्षण किया गया था। आईओसीएल ने आवश्यक डाटा प्रदान नहीं किया।

इसके बाद, फील्ड अधिकारियों को अनिवार्य निरीक्षण के दौरान डीलरों द्वारा सही कीमतों के चार्जिंग के बारे में निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करना आवश्यक था लेकिन प्रारूपों में कीमतों के परिवर्तन में देरी की सूचना की आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों से अधिक/ कम वसूली की गई। निरीक्षण रिपोर्टों की छानबीन से पता चला कि आईओसीएल के 25 आरओ और बीपीसीएल के 10 आरओ के फील्ड अधिकारियों ने आरएसपी के बदलने में हुई तेजी तथा डीलरों द्वारा लगायी गई कीमतों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया तथा सूचना नहीं दी।

ओएमसी ने आपत्ति को स्वीकार किया। बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत एसओपी जारी करने, दैनिक कीमत निर्धारण के अद्यतन के संबंध में दिशा निर्देश, आरओआईआर का संशोधन करना जैसी सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि क्षेत्रीय अधिकारी के निरीक्षण को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त सलाह जारी की गई है।

#### **निष्कर्ष:**

स्वचालन की कमी और निरंतर कनेक्टिविटी ने आरओ पर दैनिक मूल्य के परिवर्तन को प्रभावित किया।

डीलरों द्वारा दैनिक मूल्य निर्धारण के क्रियान्वयन में ढिलाई और ओएमसी की तरफ से निगरानी न करने के कारण ग्राहकों से गलत कीमत वसूली गई।

## हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

### 9.5 ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी यूनिटी/ निकट यूनिटी पावर फैक्टर प्राप्त करने हेतु कैपसिटर बैंक संस्थापित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2019 तक ₹18.01 करोड़ तक अधिक ऊर्जा प्रभारों का भुगतान हुआ।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाइनरी (वीआर) ने 13<sup>18</sup> मेगा वाल्ट एम्पीयर (एमवीए) की संविदाकृत अधिकतम मांग (सीएमडी) के साथ विद्युत आयात हेतु आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ईपीडीसीएल<sup>19</sup>) के साथ एक करार किया (जून 1986)। ईपीडीसीएल को देय मांग/ ऊर्जा प्रभार आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) द्वारा जारी टैरिफ विनियमों के अनुसार थे।

अप्रैल 2011 से पहले, उपभोक्ताओं का बिल केडब्ल्यूएच (किलोवाट घंटा) में मापी गई एक्टिव ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता था। केडब्ल्यूएच खपत की गई और उपयोगी कार्य में रूपांतरित एक्टिव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि किलो वॉल्ट एम्पीयर घंटा (केवीएएच) अपरेन्ट विद्युत<sup>20</sup> को प्रस्तुत करता है। अपरेन्ट विद्युत में एक्टिव विद्युत के अनुपात को पावर फैक्टर (पीएफ) कहा जाता है। 31 मार्च 2009 तक अधिप्रभार/ जुर्माना तब लगाया जाता था जब पीएफ 0.90 से कम हो, जिसे बाद में 1 अप्रैल 2009 से 0.95 तक बढ़ा दिया गया था।

एपीईआरसी ने टैरिफ आदेश 22 जुलाई 2010 के माध्यम से 2011-12 के बाद से सभी हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच आधारित टैरिफ (केडब्ल्यूएच आधारित टैरिफ के स्थान पर) के कार्यान्वयन की संभावना का पता लगाने के लिए लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया था। निर्देशों के अनुसार ईपीडीसीएल ने प्रणाली से रिएक्टिव विद्युत प्राप्त को कम करने के लिए 2011-12 के बाद से केवीएएच आधारित बिलिंग शुरू की थी जिससे बेहतर प्रणाली प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित बिलिंग कार्यप्रणाली युनिटी पीएफ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को बाध्य करने और उपभोक्ताओं के रिएक्टिव ऊर्जा अनुशासन हीनता के लिए वाणिज्यिक रूप से हतोत्साहित करने के लिए अभिप्रेत है।

<sup>18</sup> सीएमडी को मई 2017 के बाद से 24 एमवीए तक बढ़ाया गया था।

<sup>19</sup> पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

<sup>20</sup> इलेक्टिकल ऊर्जा में दो घटक अर्थात् एक्टिव ऊर्जा (केडब्ल्यूएच) और रिएक्टिव ऊर्जा (केवीएआरएच) हैं। इन घटकों के वेक्टर योग को अपरेन्ट ऊर्जा कहा जाता है और इसका मापन केवीएएच में किया जाता है

उपभोक्ताओं को स्वयं ही विद्युत कैपसिटर<sup>21</sup> संस्थापित करना था जो केवीएच उत्पाद को कम करेगा। यदि कैपसिटर संस्थापित नहीं किए गए या उचित रूप से कार्य नहीं करते तब आहरित अपरेन्ट विद्युत एक्टिव विद्युत से अधिक होगी। इसके परिणामस्वरूप केवीएच में खपत की गई अपरेन्ट विद्युत पर ऊर्जा की बिलिंग के कारण अतिरिक्त व्यय होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने युनिटी या निकट युनिटी पावर फैक्टर नहीं बनाए रखा। इस तथ्य के बावजूद कि रिफाइनरी को ट्रांसमिट की गई अपरेन्ट विद्युत के लिए भुगतान करना था, आहरित एक्टिव पावर अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ईपीडीसीएल द्वारा ट्रांसमिट अपरेन्ट विद्युत के 81 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी। आगे यह देखा गया कि हालांकि एचपीसीएल ने अच्छे पावर फैक्टर और पावर फैक्टर सुधार के लिए 132 केवी स्तर पर कैपसिटर वॉल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) पहले ही संस्थापित और शुरू कर दिया था, इसने अनप्रवाह सब स्टेशनों में खरीदे गए (अप्रैल 2012) चार कैपसिटर बैंको<sup>22</sup> को संस्थापित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, रिफाइनरी ने अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹18.01 करोड़ के अधिक ऊर्जा प्रभारों का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- 2010 से पहले अधिभार का उद्ग्रहण तब किया जाता था जब पावर फैक्टर 0.90 से कम पर दर्ज हो। यह बताता है कि उद्योगों एवं एप्लिकेशन की बड़ी रेंज पर विचार करते हुए 0.90 स्वीकार्य मूल्य था। 0.90 के पावर फैक्टर पर विचार करते हुए, अधिक ऊर्जा प्रभार अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि हेतु केवल ₹4.58 करोड़ होंगे।
- उपलब्ध कैपसिटर बैंकों को परामर्शदाता से प्राप्त अभिचालन सैटिंग के आधार पर अक्टूबर 2019 से ऑनलाइन किया गया था जिससे पावर फैक्टर में 0.90 से अधिक तक सुधार हुआ। परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर मान्य नहीं है।

- पावर फैक्टर के आधार पर शास्त्रि उद्ग्रहण को एपीईआरसी द्वारा अप्रैल 2011 से वापस ले लिया गया था। एपीईआरसी ने अप्रैल 2011 से बिलिंग ऊर्जा प्रभारों की पद्धति को संशोधित करके केडब्ल्यूएच से केवीएच आधारित कर दिया था और

<sup>21</sup> कैपसिटर रिएक्टिव विद्युत के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिकल सुविधा है। कैपसिटर रिएक्टिव विद्युत की आपूर्ति लाइन के भार को कम करके पावर फैक्टर में सुधार करने में सहायता करता है।

<sup>22</sup> कैपसिटर बैंक कई कैपसिटर्स का समूह होता जिसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा संचित करने हेतु एक दूसरे के साथ श्रृंखला में या समानांतर जोड़ा जाता है।

तदनुसार, ऊर्जा प्रयोक्ता (कंपनी) से युनिटी पावर फैक्टर को अनुरक्षित करना अपेक्षित था। अन्यथा, प्रयोक्ता को अतिरिक्त व्यय करना होगा यदि एक्टिव विद्युत अपेरन्ट विद्युत से कम हो।

- हालांकि, कंपनी ने अप्रैल 2012 में 4 कैपसिटर बैंक खरीदे थे और 2013 में ये प्राप्त हुए थे, फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही अक्टूबर 2019 में इन कैपसिटर बैंकों को ऑनलाइन किया गया था। यदि इन्हें खरीद के तुरंत बाद ही उपयोग के लिए रखा जाता तो कंपनी अधिक ऊर्जा प्रभावों के भुगतान को बचा सकती थी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2020) कि:

- विभिन्न कारकों, अर्थात् लोड के प्रकार, एप्लिकेशन और ग्रिड बिहेवियर पर निर्भरता, पर विचार करते हुए युनिटी पावर फैक्टर बनाए रखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। हालांकि, 0.90 और इससे अधिक का पावर फैक्टर उद्योगों के लिए वांछनीय पावर फैक्टर था। हानि की गणना युनिटी पावर फैक्टर की शर्त मानते हुए परिकल्पित रूप से की गई थी।
- रिफाइनरी ने अधिकतर अवधि के लिए 0.90 से अधिक पर पावर फैक्टर को बनाए रखा जब गैस टर्बाइन जेनरेटर (जीटीजी) को आइलैंड मोड<sup>23</sup> पर चलाया जा रहा था। तथापि, डीजल हाइड्रो ट्रेटर (डीएचटी) की और अन्य प्रोसेस इकाइयों की ट्रिपिंग के कारण हुई हानियों से बचने के लिए अप्रैल 2016 से जीटीजी के समानांतर प्रचालन शुरू किए गए थे जिसके कारण पावर फैक्टर 0.90 से कम था।
- डीएचटी परियोजना के भाग के रूप में कैपसिटर बैंकों की खरीद हेतु अप्रैल 2012 में एक खरीद आदेश दिया गया था और ये 2013 में प्राप्त हुए थे। हालांकि, डीएचटी इकाई 2015 से लगातार सेवा में आ गई थी और आइलैंड मोड में ग्रिड द्वारा पोषित की गई। समानांतर परिचालन अप्रैल 2016 में ही शुरू हुए थे। अतः कैपसिटर बैंकों को खरीद के तुरंत बाद उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। कैपसिटर बैंकों की चार्जिंग इकाई के ऑनलाइन होने के समय पर उपयुक्त नहीं थी। अतः इन कैपसिटर बैंकों को डीएचटी इकाइयों की नियोजित बंदी के दौरान लगातार संस्थापन में रखने का निर्णय लिया गया था।

---

<sup>23</sup> विद्युत संयंत्र को 'आइलैंड मोड' में कहा जाता है यदि इसे वितरण प्रणाली या विद्युत ग्रिड से अलग कर दिया गया हो

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर मान्य नहीं है:

- चूँकि, एपीईआरसी ने पावर फैक्टर अधिभार को 1 अप्रैल 2009 से 0.90 से 0.95 पर संशोधित कर दिया था, अतः उद्योगों के लिए वांछित पावर फैक्टर 0.95 और इससे अधिक था तथा 0.90 से अधिक का नहीं, जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया है। इसके अलावा, अप्रैल 2011 से बिलिंग कार्यपद्धति में परिवर्तन करने के बाद उपभोक्ताओं से युनिटी पावर फैक्टर बनाए रखना अपेक्षित था। संगणित हानि परिकल्पित नहीं थी अपितु वास्तविक ऊर्जा के आधिक्य में अपेरन्ट ऊर्जा के आहरण के कारण किया गया वास्तविक अतिरिक्त व्यय था।
- इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि डीएचटी के परिचालन के दौरान कैपसिटर बैंकों की चार्जिंग उपयुक्त नहीं थी, कंपनी ने डीएचटी शुरू करने (2015) के साथ कैपसिटर बैंकों को संस्थापित नहीं किया था और उक्त ने कैपसिटर बैंक खरीदने के उद्देश्य को विफल कर दिया। डीएचटी के साथ खरीदे गए इन चार कैपसिटर बैंको का संस्थापन न करने का कोई औचित्य नहीं था और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार हुआ। प्रबंधन का उत्तर, लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि कैपसिटर बैंकों के संस्थापन के बाद पावर फैक्टर में सुधार हुआ था।
- लेखापरीक्षा टिप्पणी आईलैंड मोड में या समानांतर मोड में जीटीजी के परिचालन पर नहीं है, अपितु डीएचटी के साथ खरीदे गए कैपसिटर बैंकों के संस्थापन न करने पर हैं। यदि कैपसिटर बैंकों को डीएचटी के साथ संस्थापित कर दिया जाता तो इससे आईलैंड में या समानांतर मोड में जीटीजी के परिचालन के दौरान पावर फैक्टर में सुधार हो सकता था।

अतः, समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कैपसिटर बैंकों को संस्थापित करने में विफलता के कारण एक्टिव विद्युत से अधिकता में अपेरन्ट विद्युत का आहरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप अधिक ऊर्जा प्रभारों के प्रति ₹18.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

## अध्याय X: विद्युत मंत्रालय

### दामोदर वैली कार्पोरेशन

#### 10.1 क्षमता प्रभासों की कम वसूली के कारण हुई परिहार्य हानि

आरटीपीएस-1 के संदर्भ में केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ पीपीए की विद्युत की मात्रा को कम करने के प्रति दामोदर वैली कार्पोरेशन के निर्णय के परिणामस्वरूप क्षमता प्रभासों की कम-वसूली के कारण हानि हुई जो मई 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹78.15 करोड़ थी।

दामोदर वैली कार्पोरेशन (कार्पोरेशन) ने 600 मे.वा. प्रत्येक की क्षमता वाली दो ईकाईयों (ईकाई-I एवं II) के साथ रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण-I (आरटीपीएस-I) की स्थापना करने का निर्णय लिया (जून 2006)। ईकाई-I एवं II के परिचालन की वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) क्रमशः नवम्बर 2010 और फरवरी 2011 में निर्धारित की गई थी। कार्पोरेशन ने 25 वर्षों की अवधि हेतु आरटीपीएस-I से क्रमशः 300 मे.वा., 100 मे.वा. और 150 मे.वा. विद्युत आपूर्ति के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी), हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) और केरल राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ विद्युत खरीद करारों (पीपीए) किए थे।

हालांकि, आरटीपीएस-I विलंब से शुरू हुआ था और यह अनुमानित किया गया (फरवरी 2015) कि ईकाई-I और ईकाई-II के लिए सीओडी क्रमशः जुलाई 2015 और अगस्त 2015 में प्राप्त हो जाएगी। कार्पोरेशन ने उपर्युक्त पीपीए में आरटीपीएस-I की विद्युत की मात्रा (150 मे.वा.) को अन्य परिचालित ईकाईओं में हस्तांतरित करने के लिए केएसईबीएल को प्रस्ताव रखा था (मार्च 2015) क्योंकि आरटीपीएस-I के शुरू होने में और अधिक विलंब की प्रत्याशा के साथ-साथ इसकी बढ़ी हुई परियोजना लागत के कारण उक्त हेतु केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिक टैरिफ निर्धारित होगा। केएसईबीएल ने उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया (जुलाई 2015)। हालांकि, विद्युत के अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन के परिचालनात्मक पहलू पर विचार करते हुए उपर्युक्त पीपीए को 150 मे.वा. से 50 मे.वा. के संबंध में आरटीपीएस-I से विद्युत की मात्रा कम करने के लिए परस्पर सहमति बनी थी (जुलाई 2015)। कार्पोरेशन ने आरटीपीएस-I के लिए इस प्रकार कम की गई 50 मे.वा. विद्युत के संबंध में पुरक पीपीए तथा इसकी मौजूदा एमटीपीएस ईकाईयों से 100 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति हेतु नया पीपीए करने के लिए केएसईबीएल को भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि, केएसईबीएल के साथ ऐसा कोई पीपीए नहीं किया गया था।



यह देखा गया कि आरटीपीएस-1 की दोनों ईकाइयां मार्च 2016 में शुरू की गई थी। आरटीपीएस I से विद्युत की परिगणना मई 2016 से शुरू हुई थी तथा कार्पोरेशन ने मई 2016 से 50 मे.वा. की परस्पर सहमत विद्युत मात्रा के अनुरूप आरटीपीएस-1 के क्षमता प्रभारों<sup>1</sup> के लिए केएसईबीएल पर बीजक सृजित करने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार, कार्पोरेशन केएसईबीएल से 100 मे.वा. विद्युत के अनुरूप आरटीपीएस-1 के संदर्भ में क्षमता प्रभारों की वसूली करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि 100 मे.वा. के लिए केएसईबी के साथ किसी पूरक पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

प्रबंधन ने तर्क दिया (नवम्बर 2019) कि:

- पूर्ण लोड परिचालन की एक मुश्त प्राप्ति की तिथि को रेल एंड वाटर कोरिडोर की स्थापना की अनिश्चितता के साथ संभावित सीओडी लक्ष्य से जोड़ना उचित नहीं था। इसके अलावा, पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत के ट्रांसमिशन हेतु देय दीर्घावधि अधिगम<sup>2</sup> (एलटीए) प्रभारों की आरटीपीएस-1 से विद्युत की परिगणना में विलंब होने पर कार्पोरेशन द्वारा वहन किया जाना था।
- अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि हेतु आरटीपीएस के उपलब्धता कारक में लगभग 22 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक अंतर था जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि आरटीपीएस-1 पूर्ण निर्धारित प्रभारों की वसूली हेतु विभिन्न तकनीकी बाधाओं के कारण स्थिर उत्पादन करने की स्थिति में नहीं था।
- जो भी उत्पादन प्राप्त हुआ, 50 मे.वा. के अनुपात में केएसईबीएल को आबंटन के बाद शेष मात्रा को पूल विद्युत के रूप में फर्म उपभोक्ताओं को बेच दिया गया जहां से देय अनुपात में निर्धारित प्रभार घटक की भी वसूली की गई।

निम्नलिखित के मद्देनजर प्रबंधन के उपर्युक्त तर्क मान्य नहीं हैं:

- पूर्ण लोड के साथ परिचालन की प्राप्ति इस बात की सूचक थी कि संबंधित ईकाई शीघ्र ही चालू करने हेतु तैयार थी। रेल कोरिडोर के पूरा न होने का मामला प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह ईकाई के सीओडी के समय तक भी तैयार नहीं थी। इसके अलावा, प्रबंधन ने पीएसईबी और एचपीजीसीएल के साथ पीपीए के संबंध में आरटीपीएस की सीओडी में विलंब के बारे में अपनी चिंता व्यक्त नहीं की। इसके अतिरिक्त, पीपीए के अनुसार, कार्पोरेशन आरटीपीएस से विद्युत की परिगणना में विलंब हेतु किसी एलटीए प्रभार के भुगतान हेतु दायी नहीं था।

<sup>1</sup> क्षमता प्रभार लाभार्थी द्वारा माह के दौरान उपयोग हेतु अनुमानित ऊर्जा की उच्चतम मात्रा पर आधारित होते हैं

<sup>2</sup> 12 वर्षों से अधिक परन्तु 25 वर्षों से कम अवधि हेतु अन्तर राज्यो ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग का अधिकार

- लेखापरीक्षा द्वारा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) अर्थात् घोषित क्षमता (डीसी) पर क्षमता प्रभारों की वसूली न करने के कारण हुई हानि की गणना करते समय पहले ही विचार किया गया है।
- यदि केएसईबीएलक के साथ पीपीए के संबंध में विद्युत की मात्रा कम नहीं की गई, तब कार्पोरेशन ऐसी विद्युत को आरटीपीएस से केएसईबीएल में आपूरित कर सकता था। दूसरी तरफ, कार्पोरेशन अपनी अन्य ईकाईयों, जिनके पास अबाधित विद्युत थी, से फर्म उपभोक्ताओं को विद्युत की समान मात्रा की आपूर्ति कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में, कार्पोरेशन आरटीपीएस के साथ-साथ ऐसी अन्य ईकाईयों से आपूरित विद्युत के अनुसार क्षमता प्रभारों की वसूली कर सकता था।

इस प्रकार, केएसईबीएल के साथ पीपीए हेतु आरटीपीएस-1 के संबंध में विद्युत की मात्रा में कमी के लिए कार्पोरेशन के निर्णय के परिणामस्वरूप मई 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान क्षमता प्रभारों की कम वसूली के कारण ₹78.15 करोड़ की हानि हुई (अनुलग्नक-XXVI)। इसके अलावा कार्पोरेशन को 100 मे.वा. विद्युत की खरीद के लिए नए उपभोक्ता की पुष्टि होने तक ₹3.53 करोड़ प्रति माह की आवृत्त हानि को सहन करना होगा।

मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

#### एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

### 10.2 एनएसपीसीएल द्वारा नामांकन आधार पर संविदाए देने में प्रदत्त अनुचित लाभ

एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा सीवीसी दिशानिर्देशों/ सार्वजनिक खरीद विनियमों पर ध्यान न देते हुए संविदा कीमत के 10 प्रतिशत के लाभ मार्जिन पर नामांकन आधार पर 2013-14 से 2018-19 के दौरान ₹129.76 करोड़ मूल्य का नियमित रख-रखाव कार्य निजी पार्टी को देकर उसे अनुचित लाभ पहुँचाया था।

एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल), एनटीपीसी लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एक विद्युत उत्पाद कंपनी है, वर्तमान में इसके विद्युत स्टेशन भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में है। एनएसपीसीएल बोर्ड ने एनटीपीसी द्वारा किए गए करारों के अनुसार विभिन्न रख-रखाव और विविध कार्यों के निष्पादन हेतु मैसर्स युटिलिटी पावरटेक लिमिटेड<sup>3</sup> (यूपीएल) के साथ विद्युत स्टेशन रख-रखाव करार (पीएसएमए) किया (अगस्त 2007)। यूपीएल के साथ

<sup>3</sup> एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

पीएसएमए को 10 वर्षों के लिए जनवरी 2008 में अंतिम रूप दिया गया था परंतु इसे दोनों पार्टियों की परस्पर समझ के आधार पर 31 मई 2016 को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, कंपनी ने मई 2016 में पांच वर्षों की अवधि के लिए यूपीएल के साथ नया पीएसएमए हस्ताक्षरित किया था। एनएसपीसीएल भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ने 2013-19 के दौरान यूपीएल (इसके उप-ठेकेदारों सहित) द्वारा 346 कार्य निष्पादित कराए थे। जिसके लिए इसने यूपीएल को ₹129.76 करोड़ का भुगतान किया था जिसमें ₹11.53 करोड़ का लाभ मार्जिन शामिल है। उपर्युक्त में से ₹4.58 करोड़<sup>4</sup> मूल्य के 75 कार्य यूपीएल द्वारा स्वयं किए गए थे और ₹125.18 करोड़ मूल्य के शेष 271 कार्य इसके उप-ठेकेदारों के माध्यम से किए गए थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लोक प्रापण विधेयक 2012 के पैरा 5 में अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पना की गई थी कि सार्वजनिक खरीद के संबंध में खरीदकर्ता का यह उत्तरदायित्व और जवाबदेही होगी (i) दक्षता, मित्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, (ii) बोलीदाताओं से उचित तथा निष्पक्ष व्यवहार करना, (iii) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके अलावा, सीवीसी आदेश (जुलाई 2007) के अनुसार, किसी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा देने के लिए निविदाकरण प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी एक मूल आवश्यकता है क्योंकि किसी अन्य पद्धति, विशेषतः नामांकन आधार पर संविदा देना, से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है जिसमें सभी रुचि रखने वाली पार्टियों को समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (2006 की विशेष अनुमति याचिका सिविल सं. 10174) में भी कहा था कि सरकारी संविदा को केवल सार्वजनिक नीलामी/ निविदा के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ भ्रष्ट/ अनियमित प्रथाओं को समाप्त करना है। निर्णय में उपर्युक्त नियम से केवल अपवादात्मक मामलों, जैसे प्राकृतिक आपदा, में ही छूट का प्रावधान किया गया है जब सरकारी संविदा नामांकन आधार पर दी जा सकती है। उपर्युक्त निर्णय को सीवीसी द्वारा सभी सीवीओ को परिपत्रित भी किया गया था (5 जुलाई 2007)। सीवीसी ने सख्ती से कार्यान्वयन के लिए अपने पिछले अनुदेश को दोहराया (दिसम्बर 2012)। भारत सरकार की तरफ से सार्वजनिक खरीद करने के नाते उपर्युक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना एनएसपीसीएल का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने निविदा आमंत्रित किए बिना यूपीएल को नामांकन आधार पर कार्य प्रदान किया था जो लोक प्रापण विधेयक, सीवीसी दिशानिर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2006) के विरुद्ध था और ये कंपनी के हित के भी विरुद्ध

<sup>4</sup> भिलाई- ₹0.73 करोड़ (22 आदेश), राउरकेला- ₹1.33 करोड़ (5 आदेश) और दुर्गापुर- ₹2.52 करोड़ (48 आदेश)

था। इसके अलावा, प्रथा के अनुसार एनएसपीसीएल द्वारा अनुमानित लागत के साथ कार्य हेतु असाइनमेंट पत्र यूपीएल को जारी किया गया था जिस पर 10 प्रतिशत लाभ यूपीएल को देय था। हालांकि, हमने देखा कि अंतिम संविदा कीमत, जिस पर 10 प्रतिशत लाभ का भुगतान यूपीएल को किया गया था, वह कीमत थी जिस पर यूपीएल द्वारा असाइनमेंट पत्र में उल्लिखित संविदा कीमत के बजाय इसके उप संविदाकारों को संविदा दी गई थी। हमने पाया कि चूँकि उप-संविदाकारों ने भी जमा की गई बोली में लाभ अंश भी शामिल किया होगा, अतः संविदा का मूल्य एनएसपीसीएल द्वारा दिए गए अनुमानित मूल्य से अधिक था। हमने आगे देखा कि कार्य के महत्वपूर्ण हिस्से (कुल कार्य का 96 प्रतिशत) को यूपीएल द्वारा निष्पादित करने के बजाय उप-संविदाकारों द्वारा किया गया था। एनएसपीसीएल के प्रबंधन को नामांकन आधार की बजाय निविदाकरण के द्वारा कार्य प्रदान करने पर विचार करना चाहिए था जिससे यूपीएल को संविदा मूल्य से अधिक 10 प्रतिशत लाभ के भुगतान से बचा जा सकता था जो केवल मध्यस्थ का कार्य कर रहा था।

एनएसपीसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि (i) मैसर्स यूपीएल के माध्यम से कार्य सौंपने की प्रणाली को एनएसपीसीएल में अपनाया गया था जो एनटीपीसी प्रणाली के अंगीकरण का परिणाम था, (ii) विद्युत संयंत्र का रख-रखाव कार्य नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए उन एजेंसियों की आवश्यकता है जिनके पास कुशल श्रमबल के साथ उस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो, (iii) सीधे विक्रेताओं से निविदाएं आमंत्रित करना मार्जिन में बचत सुनिश्चित नहीं करता, चूँकि विक्रेता उस कीमत पर उद्धरण दे सकता है जो यूपीएल को दिए गए मार्जिन से अधिक हो और (iv) यूपीएल उचित निविदाकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और प्रमुख नियोक्ता होने के नाते पार्टी प्रदत्त कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (i) एनएसपीसीएल एक पृथक वाणिज्यिक सत्त्व है और इसलिए अपनी प्रमोटर कंपनी (एनटीपीसी) में किसी व्याप्त प्रणाली को अपनाने से पूर्व अपने वित्तीय हितों को सुनिश्चित करना चाहिए था, (ii) संविदाकृत रख-रखाव कार्य नियमित प्रकृति के थे जिसमें मुख्यतः फर्श और दीवारों का रख-रखाव, कचरा हटाना, सड़क की सफाई, उपस्कर की सफाई आदि शामिल थे जो नामांकन आधार पर देने हेतु पात्र अपवादात्मक कार्य नहीं हैं, (iii) सरकारी कंपनी होने के कारण विक्रेताओं से बोलियों का आमंत्रण अनिवार्य है जो पारदर्शिता और उचित परिस्पर्धा भी सुनिश्चित करेगा, और (iv) चूँकि कार्य के महत्वपूर्ण हिस्से (कुल कार्य का 96 प्रतिशत) को यूपीएल द्वारा सीधे किए जाने की बजाय उप-संविदाकारों द्वारा किया गया था, अतः एनएसपीसीएल को नियमित प्रकृति के कार्यों को 10 प्रतिशत लाभ पर यूपीएल को नामित नहीं करना चाहिए था अपितु निविदाकरण के माध्यम से कार्यों को सीधे निष्पादित करना चाहिए था।

अतः एनएसपीसीएल द्वारा सीवीसी दिशानिर्देशों/ सार्वजनिक खरीद नियमों पर ध्यान न देते हुए संविदा कीमत के 10 प्रतिशत के लाभ मार्जिन पर नामांकन आधार पर 2013-19 के दौरान ₹129.76 करोड़ मूल्य का नियमित रख-रखाव कार्य निजी पार्टी को देकर उसे अनुचित लाभ पहुँचाया था।

मंत्रालय को मामला जनवरी 2020 को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय XI: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

#### 11.1 एनएचआई द्वारा अनुचित संविदा प्रबंधन के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि

परिचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण करार की संवीदागत बाध्यताओं को लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹28.92 करोड़ टोल के कम उदग्रहण के कारण अनुचित भुगतान किया। इसके अलावा एनएचआई द्वारा रियायतग्राही से करार के प्रतिबंधित होने के पश्चात राजमार्ग के रख-रखाव में विफलता के परिणामस्वरूप ₹20.38 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने एनएच-7 पर मदुरई से कन्याकुमारी खंड (243.170 कि.मी.) के लिए मैसर्स राइमा टॉल रोड प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ परिचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण (ओएमटी) करार (करार) किया था (अप्रैल 2013)। इसमें 22 सितम्बर 2013 अर्थात् निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से नौ वर्षों की अवधि हेतु परियोजना सुविधाओं का निर्माण और परियोजना राजमार्ग का परिचालन एवं रख-रखाव शामिल था। करार में प्रत्येक आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पहले वर्ष हेतु ₹117 करोड़ के रियायत शुल्क के भुगतान का प्रावधान किया गया था। रियायत करार के संबंध में, निम्नलिखित पाया गया:

#### 11.1.1 अस्वीकार्य दावों को स्वीकार करके रियायतग्राही को अनुचित लाभ देना

करार का अनुच्छेद 22.1.1 रियायतग्राही को 4 टोल प्लाजा नामतः कप्पलुर, नंगुनेरी, सलाइपुदुर और इटुरवट्टम के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं से प्रयोक्ता-शुल्क एकत्र करने के लिए एकमात्र और विशेष अधिकार प्रदान करता था। करार का अनुच्छेद 22.8 रियायतग्राहियों को स्वयं के जोखिम और लागत पर परियोजना राजमार्ग का अनाधिकृत उपयोग करने हेतु निर्णीत हर्जाना उदग्रहित करने हेतु अधिकृत करता है और एनएचआई किसी भी प्रकार से टोल देयताओं का भुगतान किए बिना राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए दायी नहीं होगा।

रियायतग्राही ने परियोजना राजमार्ग को अपने अधिकार में ले लिया था और सितम्बर 2013 से टोल संग्रहण (4 टोल प्लाजा) शुरू कर दिया था। तथापि, रियायतग्राही पहली किस्त से पूर्ण रियायत शुल्क का प्रेषण करने में चूक गया और करार के अनुसार परियोजना राजमार्ग के रख-रखाव और अन्य परियोजना सुविधाओं में विफल रहा।

रियायतग्राही सीओडी से तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) की बसों से टोल एकत्र करने में भी विफल रहा। इन विफलताओं के कारण, एनएचएआई ने संविदा को प्रतिबंधित कर दिया और टोल प्लाजा सहित परियोजना राजमार्ग के परिचालन और रख-रखाव को अपने अधिकार में ले लिया (अगस्त 2016)।

एनएचएआई द्वारा परियोजना राजमार्ग को अपने अधिकार में लेने के बाद, रियायतग्राही ने एनएचएआई के समक्ष चार दावे प्रस्तुत किए जिसमें टीएनएसटीसी से टोल देयताओं के कम-उद्ग्रहण की वसूली के प्रति दावा शामिल है। एनएचएआई ने मामले को विवाद समाधान हेतु 3 मुख्य महाप्रबंधकों (3 सीजीएम) की समिति को भेज दिया जिसने टीएनएसटीसी बसों से टोल के कम उद्ग्रहण के प्रति ₹28.92 करोड़ के दावे को स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2017) और रियायतग्राही से कुल वसुलीयोग्य देयताओं (₹62.52 करोड़) के प्रति उक्त को समायोजित करने की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही सीओडी से टीएनएसटीसी बसों से पूर्ण टोल देयताओं को एकत्र करने और प्रेषित करने में विफल रहा तथा करार के अनुसार परियोजना राजमार्ग का रख-रखाव करने में विफल रहा। यद्यपि टीएनएसटीसी बसों से टोल देयताओं के संग्रहण की जिम्मेदारी रियायतग्राही की थी फिर भी एनएचएआई ने ₹28.92 करोड़ के दावे को स्वीकार किया जो करार के अनुच्छेद 22.8 के अनुसार अनुमति योग्य नहीं था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि करार में सभी पहलुओं पर यथावत विचार करने और रियायतग्राही द्वारा किए गए विभिन्न दावों का विश्लेषण करने के बाद 3 सीजीएम समिति ने मैत्रीपूर्ण समाधान के रूप में ₹28.92 करोड़ के दावे को स्वीकार करने और करार को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की (सितम्बर 2017)। इसके अलावा, 3 सीजीएम समिति की सिफारिशें स्वतंत्र समझौता सलाहकार समिति (जुलाई 2018) और एनएचएआई की कार्यकारी समिति (नवम्बर 2018) द्वारा अनुमोदित की गई थी। एनएचएआई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से कथित ₹28.92 करोड़ (टीएनएसटीसी की बसों से कम उद्ग्रहीत टोल राशि) की वसूली हेतु भी प्रयासरत था।

एनएचएआई के उत्तर ने टोल संग्रहण से संबंधित संविदागत शर्तों को लागू करने में इसकी विफलता की पुष्टि की इसके अलावा एमओआरटीएच से देयताओं की वसूली हेतु कार्यकारी समिति के निर्णय पर मंत्रालय सहमत नहीं था। अतः वसूली की गुंजाइश कम प्रतीत होती है।

### 11.1.2 स्ट्रेच का रख-रखाव न करने के कारण टोल राजस्व की हानि

करार को प्रतिबंधित करने (अगस्त 2016) के पश्चात एनएचएआई ने टोल प्लाजा सहित परियोजना राजमार्ग के परिचालन और रख-रखाव को अपने अधिकार में ले लिया। सितम्बर 2017 में, कप्पलूर टोल प्लाजा के अंतर्गत 50 कि.मी. स्ट्रेच (करार के अंतर्गत समस्त परियोजना राजमार्ग का एक भाग) का रख-रखाव न करने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। दिसम्बर 2017 में एनएचएआई ने कथित स्ट्रेच को बनाने और मरम्मत कार्य के लिए मैसर्स योगा एंड क. को नियुक्त किया था। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय, मदुरई बेंच ने एनएचएआई को सड़क की मरम्मत होने तक परियोजना राजमार्ग के उपर्युक्त स्ट्रेच के लिए टोल की दर को आधे तक कम करने का आदेश दिया (जनवरी 2018)। तदनुसार एनएचएआई ने कप्पलूर टोल प्लाजा पर आधी दर पर टोल एकत्र किया जो ₹20.38 करोड़ था (3 फरवरी 2018 से 15 अक्टूबर 2018)। मरम्मत कार्य सितम्बर 2018 में पूरा हुआ था और एनएचएआई को पूर्ण दरों पर टोल एकत्र करने की अनुमति मिल गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि करार के प्रतिबंधित होने के बाद (अगस्त 2016), एनएचएआई परियोजना राजमार्ग के कथित स्ट्रेच का रख-रखाव करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पीआईएल दायर हुई तथा तत्पश्चात टोल दरों को आधे तक कम करने के लिए मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया जिसके परिणामस्वरूप ₹20.38 करोड़ की हानि हुई (50 प्रतिशत टोल राजस्व हानि)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि एनएचएआई ने प्रभावित स्ट्रेच में ओवरले सहित परियोजना राजमार्ग की मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाए थे और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन (अक्टूबर 2017) के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोलिया आमंत्रित की गई और रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य मैसर्स योगा एंड कं. को दे दिए गए (दिसम्बर 2017)। ओवरले कार्य के पूरा होने पर, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से पूर्ण दर पर टोल एकत्र करने के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त हो गए थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि अगस्त 2016 में करार के प्रतिबंधित होने के बावजूद, एनएचएआई ने कार्य को देने में 15 माह (दिसम्बर 2017) का समय लिया अर्थात् सितम्बर 2017 में पीआईएल दायर होने के बाद ।

अतः एनएचएआई द्वारा संविदागत बाध्यताओं को लागू करने और अस्वीकार्य दावे को स्वीकार करने में विफलता के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹28.92 करोड़ का अनुचित लाभ मिला और परियोजना राजमार्ग का रख-रखाव न करने के कारण ₹20.38 करोड़ की राजस्व हानि हुई।



मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### 11.2 संविदाकारों को अनुचित लाभ

**एनएचएआई ने कम दरों पर अग्रिम देकर संविदाकारों को ₹14.53 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने छः पैकेज में इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) आधार पर छः लेन के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) के विकास हेतु 27/ 28 अगस्त 2015 को विभिन्न संविदाकारों<sup>1</sup> के साथ करार किया था। इन सभी पैकेजों की नियत तिथि 14 सितम्बर 2015 के साथ 11 मार्च 2018 तक पूर्णता की तय की गई थी।

संविदाकारों (पैकेज I से VI) ने नकद प्रवाह में सुधार करने के लिए भुगतान अनुसूची में संशोधन करने हेतु एनएचएआई को अनुरोध किया था। कार्यकारी समिति (ईसी) ने 'ब्याज सहित अग्रिम' के रूप में निष्पादित कार्य हेतु मासिक अंतरिम अग्रिम भुगतान के लिए अनुमोदन दिया था (285<sup>वीं</sup> बैठक दिनांक 28/ 29 जून 2016 और 06 जुलाई 2016) और 'एसबीआई पीएलआर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रभारित करने का निर्णय लिया। परंतु पैकेज I एवं II के संविदाकार अर्थात् मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एनएचएआई को ब्याज दर पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया (जुलाई 2016) क्योंकि एसबीआई पीएलआर' के साथ 2 प्रतिशत काफी अधिक था जो उसकी चल निधि को प्रभावित कर रहा है और जो अतः कार्य की प्रगति को प्रभावित करेगा।

पैकेज I और II के संविदाकार के अनुरोध के आधार पर, एनएचएआई ने कार्यकारी समिति की 292<sup>वीं</sup> बैठक (03 नवम्बर 2016) में मामले पर फिर से विचार किया जिसमें 'मूल दर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो भी अधिक हो, का अनुमोदन इस औचित्य के साथ मांगा गया कि 'एसबीआई पीएलआर' का उल्लेख गलती से हो गया था और 'मूल दर' संविदागत/ व्यावहारिक रूप से उचित ब्याज दर है। ईसी ने मांगे गए अनुमोदन के विपरीत एनएचएआई की एक बार निधि संचार नीति के आधार पर बैंक दर<sup>2</sup> के साथ 2 प्रतिशत के रूप में ब्याज दर को अनुमोदित कर दिया।

<sup>1</sup> मैसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लिमिटेड (पैकेज- I और II), मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. (पैकेज III), मैसर्स अशोका बिल्डकॉन लि. (पैकेज IV), मैसर्स ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड (पैकेज V) और मैसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पैकेज VI)

<sup>2</sup> बैंक दर वह मानक दर है जिस पर रिजर्व बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या रिडिस्काउंट के लिए तैयार होता है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज दर को 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत तक कम करने का कार्यकारी समिति का निर्णय निम्नलिखित के मद्देनजर अविवेकपूर्ण था:

- एनएचएआई ने कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्ताव में 'मूल दर' को संविदागत और व्यावहारिक रूप से उचित माना क्योंकि संविदा करार में प्राधिकरण द्वारा संविदाकार को किए गए विलंबित भुगतान के मामले में 'मूल दर' के साथ 2 प्रतिशत प्रभारित करने का प्रावधान किया गया था (खंड 19.9.2) (अर्थात् उस मामले में जहां एनएचएआई चूककर्ता था)। इसके अलावा, कम ब्याज दर प्रभारित करने हेतु अनुरोध करने वाले संविदाकार (पैकज I और II) ने 'मूल दर' या 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर (जैसा लागू हो) पर ब्याज भुगतान करने का वचन दिया था। तथापि, कार्यकारी समिति ने स्वप्रेरणा से 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत प्रभारित करने का निर्णय लिया था जो उचित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभ मिला।
- इसके अलावा, इसी का बैंक दर के साथ 2 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित करने का निर्णय, जैसा कि एनएचएआई की एक बार निधि संचार नीति में दिया गया है, उचित नहीं था चूंकि निधि संचार नीति (जून 2015) भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित (13 मई 2015) बीओटी परियोजनाओं को पुनर्जीवित और व्यक्तिक रूप से पूरा करने के लिए एक बार किया गया उपाय था।
- केवल एक ठेकेदार, जो पैकेज I और II को निष्पादित कर रहा था, ने ब्याज दर में कमी करने का अनुरोध किया था। तथापि फिर भी, इसी ने अन्य चार परियोजनाओं अर्थात् पैकेज III से VI के नकदी प्रवाह का विश्लेषण किए बिना सभी ठेकेदारों को घटी हुई ब्याज दर का लाभ दिया।
- संविदा की अनुसूची-एच के तहत सहमति के अनुसार भुगतान की शर्तों में संशोधन के संबंध में इसी का निर्णय ठेकेदार की शर्तों में पश्य निविदा छूट के समान था, जो संविदा के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।
- ठेकेदार की नकदी के संबंध में, एनएचएआई ने नवम्बर 2015 से जून 2016 की अवधि के दौरान पैकेज I से VI के ठेकेदारों को ₹441.79 करोड़ का ब्याज मुक्त (जुटाना) लाभबंदी अग्रिम जारी किया।
- इसी द्वारा 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित करने के लिए अनुमोदन के बाद भी, एनएचएआई ने परियोजना के पूरा होने तक 'आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित करना जारी रखा, जिसकी अंतिम बिल जमा करने तक (जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018) ठेकेदारों द्वारा आपत्ति नहीं की गई

और ₹14.53 करोड़<sup>3</sup> का विभेदक ब्याज परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही वापस किया गया था। अतः यह देखा गया कि 'आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत प्रभारित करने से ठेकेदार/ कार्य की प्रगति के नकदी प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनको कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए ₹129 करोड़ का बोनस भी दिया गया।

इस प्रकार, 'एसबीआई आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो की बजाय 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत प्रभारित करने के लिए इसी का निर्णय अविवेकपूर्ण था और इसके परिणामस्वरूप एनएचएआई/ राजकोष को ₹14.53 करोड़ की हानि हुई चूँकि 'बैंक दर' प्रतिवर्ष लगभग 6.5 प्रतिशत बनी रही जबकि एसबीआई आधार दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आस-पास बनी रही।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2019) ब्याज दर से संबंधित संविदा करार के अन्य खंडों को संदर्भित किया और बताया कि 'एसबीआई पीएलआर' संविदा करार में कहीं भी उल्लेखित नहीं थी जबकि, किसी एक पक्ष द्वारा विलंबित भुगतान के लिए 'आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत पर ब्याज देय था और 1 अप्रैल 2016 से एसबीआई 'आधार दर' को बंद कर दिया गया था। प्रबंधन ने आगे बताया कि एनएचएआई की निधि संचार नीति में (एनएचएआई परिपत्र दिनांक 9 जून 2015) ठेकेदार को 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के आधार पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, इसी ने निर्णय लिया कि संविदा करार और एनएचएआई की मौजूदा निधि संचार नीति के अनुसार ब्याज के प्रावधान की जांच करने के बाद ब्याज दर को 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत पर प्रभारित किया जाना है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं है कि संविदा करार में केवल 10 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 'आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत ब्याज दर का प्रावधान किया गया था जबकि 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत की ब्याज दर का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु बाद में इसी द्वारा ठेकेदार से प्रभारित किए जाने की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, 'एसबीआई पीएलआर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो' से बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत तक ब्याज दर प्रभारित करने का इसी का अपना स्वयं का निर्णय इस तथ्य के मद्देनजर ठेकेदार के लिए अनुचित लाभ था कि 'एसबीआई आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो', पर ब्याज प्रभारित करने लिए अनुमोदन मांगने हेतु एजेंडा में प्रस्ताव लाया गया था।

<sup>3</sup> पैकेज I- ₹2.64 करोड़, पैकेज II- ₹2.13 करोड़, पैकेज III- ₹0.39 करोड़, पैकेज IV- ₹3.45 करोड़, पैकेज V- ₹1.99 करोड़ और पैकेज VI- ₹3.93 करोड़। पैकेज-वार राशि अंतिम चालू बिल में एनएचएआई द्वारा किए गए रिफंड के आधार पर प्राप्त की गयी है

एनएचएआई के निधि संचार से संबंधित परिपत्र के संबंध में, बीओटी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और व्यक्तिक रूप से पूरा करने के लिए एक बार/ मुश्त निधि संचार के संबंध में परिपत्र की शर्तों पर विचार किया गया और इसे 13 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और इसलिए, ईपीसी परियोजनाओं अर्थात् ईपीई पैकेज I से VI के लिए लागू नहीं हुआ। एसबीआई द्वारा 'आधार दर' को बंद करने के संबंध में प्रबंधन का उत्तर भी तर्कसंगत नहीं है चूँकि आधार दर अभी भी जारी थी।

इस प्रकार 'एसबीआई आधार दर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर ब्याज प्रभारित करने के प्रस्ताव पर विचार न करके 'एसबीआई पीएलआर' के साथ 2 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से 'बैंक दर' के साथ 2 प्रतिशत तक ब्याज दर को कम करने का इसी का अविवेकपूर्ण/ स्वयं संज्ञान लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप एनएचएआई/ राजकोष पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा और ठेकेदारों को ₹14.53 करोड़ तक का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### **11.3 उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण में विलम्ब के कारण भारत की समेकित निधि की कम प्राप्ति**

**प्राधिकरण ने उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण शुरू करने में बहुत अधिक विलम्ब किया जिस के कारण भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को ₹11.59 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने जोवाई-मेघालय/ असम सीमा में मौजूदा सड़क के पुनर्वास एवं उन्नयन के लिए मैसर्स जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ एक करार (सितम्बर 2015) किया जिसकी ₹468.27 करोड़ की संविदा मूल्य के साथ 16 मई 2018 तक पूर्णता निर्धारित की गई थी। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना होने के नाते कार्य ईपीसी<sup>4</sup> मोड़ में निष्पादित किया गया था। राजमार्ग में दो टोल प्लाजा (टीपी) अर्थात् टोल प्लाजा-I (टीपी I) और टोल प्लाजा-II (टीपी II) शामिल थे। हालांकि, कार्य निर्धारित समापन अवधि से पहले ही पूरा हो गया था और ठेकेदार ने अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी करने का अनुरोध (मार्च 2018) किया था। प्राधिकरण ने 31 मार्च 2018 से प्रभावी पीसीसी जारी किया था (26 जुलाई 2018)।

राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों एवं संग्रहण का निर्धारण) नियमावली 2008 (फीस नियमावली) में निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के मामले

<sup>4</sup> इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण

में राजमार्ग के सेक्शन के पूरा होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर उपयोगकर्ता फीस का संग्रहण शुरू होना चाहिए। इसीलिए, उपरोक्त राजमार्ग के लिए टोल का संग्रहण 10 सितम्बर 2018 (अर्थात् 26 जुलाई 2018 + 45 दिन) से शुरू होना चाहिए था। टोल संग्रहण के रूप में प्राप्ति का प्रेषण, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के मामले में भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है।

यह देखा गया कि प्राधिकरण की संबंधित परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (पीआईयू<sup>5</sup>) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को मसौदा, फीस अधिसूचना प्रस्तुत (28 दिसम्बर 2017) की। उसे 24 अक्टूबर 2018 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। दोनों टोल प्लाजा की फीस अधिसूचना 09 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई थी और अंततः टीपी I एवं टीपी II में टोल संग्रहण क्रमशः 01 मार्च 2019 और 25 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। इस प्रकार टीपी I एवं टीपी II में टोल का संग्रहण अनुमोदन विभिन्न चरणों में लिए गए अधिक समय के कारण निर्धारित तिथियों से क्रमशः 171 दिनों और 167 दिनों के विलम्ब के बाद प्रारंभ किया गया था, जैसा कि नीचे बताया गया है:

तालिका 11.3.1

विवरण	तिथि	लिया गया समय दिनों में
क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) ने मसौदा अधिसूचना एनएचएआई मुख्यालय को अग्रेषित की थी (28 दिसम्बर 2017 को आरओ में प्राप्त हुई)।	15 जनवरी 2018	18
एनएचएआई द्वारा मंत्रालय को मसौदा अधिसूचना	18 जून 2018	154
मंत्रालय का अनुमोदन	24 अक्टूबर 2018	128
हिंदी अनुवाद हेतु एनएचएआई द्वारा फाइल प्राप्त की गई	16 नवम्बर 2018	23
हिंदी अनुवाद के साथ, फाइल मंत्रालय को पुनः प्रस्तुत की गई	26 नवम्बर 2018	10
माननीय जहाजरानी मंत्रालय का अनुमोदन	3 जनवरी 2019	38
दोनों टोल प्लाजा की फीस अधिसूचना का प्रकाशन	09 जनवरी 2019	6
टीपी I और टीपी II में टोल संग्रहण प्रारंभ होना	01 मार्च 2019 और 25 फरवरी 2019	47 और 52

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टोल संग्रहण हेतु अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए मंजूरी के विभिन्न चरणों में असामान्य विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजमार्ग के

<sup>5</sup> पीआईयू शिलोंग

उपयोगकर्ताओं से टोल के संग्रहण में तदनुसूची विलम्ब हुआ जिसके कारण भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को ₹11.59<sup>6</sup> करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

प्रबंधन ने उपयोगकर्ताओं के फीस के संग्रहण के शुरू होने में विलम्ब के तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2019) कि यह किसी व्यक्ति की चूक के कारण नहीं था बल्कि प्रक्रियात्मक विलम्ब का मामला है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रियात्मक विलम्ब प्रबंधन के नियंत्रण में थे और ऐसी हानि को रोकने के लिए इससे बचा जा सकता था।

इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण को प्रारंभ करने में अत्यधिक देरी के कारण भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को ₹11.59 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई है कि अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर अधिकतम समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि राजमार्ग के पूरा होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर टोल का संग्रहण प्रारंभ हो जाए।

मंत्रालय को मामला नवम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

#### 11.4 अतिरिक्त रियायत फीस का कम प्रेषण

रियायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त रियायत फीस के कम प्रेषण के कारण प्राधिकरण को ₹4.37 करोड़ की हानि हुई चूँकि रियायतकर्ता ने संशोधित फीस नियमों के अनुसार ओवरलोड किए गए वाहनों से फीस का संग्रहण नहीं किया था।

भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने एनएचडीपी चरण III के तहत बीओटी मोड पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के किशनगढ़ अजमेर-ब्यावर खंड में मौजूदा सड़क को छः लेन का करने के लिए 18 मई 2009 को सोमा आईसोलक्स किशनगढ़ ब्यावर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (रियायती) के साथ एक रियायत करार (सीए) किया। सीए के अनुसार, परियोजना के निर्माण के पूरा होने की निर्धारित तिथि नियत तिथि<sup>7</sup> से 910<sup>वें</sup> दिन थी और रियायत की अवधि नियत तिथि से शुरू होनी थी अर्थात्, 14 नवम्बर 2009। निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी)<sup>8</sup> 12 मई 2012 थी, तथापि, रियायतकर्ता ने 28 अप्रैल 2015 को 1081 दिनों की देरी के साथ सीओडी प्राप्त किया था।

<sup>6</sup> ₹(171 दिन x ₹2.99 लाख)+ ₹(167 दिन x 3.88 लाख) = ₹11.59 करोड़

टीपी I और टीपी II के वास्तविक टोल संग्रह के आधार पर क्रमशः ₹2.99 लाख प्रतिदिन और ₹3.88 लाख

<sup>7</sup> नियत तिथि परियोजना की रियायत अवधि और निर्माण कार्य की शुरुआत की तिथि है

<sup>8</sup> सीओडी वह तिथि है जब से रियायती को टोल संग्रहण शुरू करने का अधिकार दिया गया है

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि सीए के अनुच्छेद 27.10 के अनुसार रिआयतकर्ता को अगले उच्चतर श्रेणी के वाहनों के लिए लागू दर पर ओवरलोड किए गए वाहनों से फीस वसूलनी थी। हालांकि, भारत सरकार ने ओवरलोड किए गए वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू फीस के दस गुणा के बराबर फीस ओवरलोड किए हुए वाहनों से चार्ज करने का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 द्वारा से राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों एवं संग्रहण का निर्धारण) नियमावली 2008 में संशोधन किया।

हालांकि, रिआयती ने ओवरलोड किए गए वाहनों से 31 मार्च 2016 तक अगले उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू दर पर ओवरलोड किए गए वाहनों से फीस चार्ज की और दिनांक 16 दिसम्बर 2013 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार दस गुणा के बराबर फीस चार्ज करने के बजाय 01 अप्रैल 2016 से उस श्रेणी के लिए लागू दरों के दोगुने पर फीस लगायी जो ओवरलोड किए गए वाहन से संबंधित थी। इससे अतिरिक्त रिआयत फीस (एसीएफ) के प्राधिकरण को प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और तदनुसार एसीएफ का ₹4.37 करोड़ (अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2018) तक कम प्रेषण हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2019) कि सीए के प्रावधानों के अनुसार रिआयती द्वारा फीस का संग्रहण किया जा रहा था। इसके अलावा, रिआयती दस गुणा फीस संग्रहण करने में असमर्थ था और 01 अप्रैल 2016 से ओवरलोड किए गए वाहनों के लिए केवल दो गुणा सीमा तक ही अतिरिक्त उपयोगकर्ता फीस का संग्रहण किया गया था।

प्रबंधन ने प्राधिकरण को रिआयती द्वारा ओवरलोड किए गए वाहन पर कम फीस संग्रहण के कारण ₹4.37 करोड़ के एसीएफ के कम प्रेषण के संबंध में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया है।

इस प्रकार संशोधित फीस नियमावली के अनुसार ओवरलोड किए गए वाहनों पर रिआयती द्वारा फीस के कम संग्रहण के परिणामस्वरूप ₹4.37 करोड़ के प्राधिकरण/ राजकोष को राजस्व की परिणामी हानि के साथ रिआयती द्वारा प्राधिकरण को कम प्रेषण किया गया।

मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

## अध्याय XII: पोत परिवहन मंत्रालय

### ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

#### 12.1 ड्रेजिंग संविदा के तहत वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं होना

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कामराजर पोर्ट लिमिटेड के साथ किए गए एक ड्रेजिंग संविदा के तहत अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹18.73 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) ने कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) से ₹46.35 करोड़ (₹36.45 करोड़ पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए और ₹9.90 करोड़ ड्रेजर के निष्क्रिय समय हेतु प्रभार के लिए) की कुल संविदा फीस पर एन्नोर पोर्ट के चेटिनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल में अपने कोल बर्थ (सीबी 1 और सीबी 2) के गहरीकरण हेतु एक पूंजीगत ड्रेजिंग संविदा प्राप्त की (18 अक्टूबर 2014)। करार के अनुसार, डीसीआईएल को 16.0 मीटर (मी.) की गहराई तक नरम मिट्टी के 3.00 लाख घन मीटर (घ.मी.) और 16.0 मी. से 18.50 मी. गहराई तक गाढ़ी चिकनी मिट्टी/ कठोर मिट्टी के 7.50 लाख घन मीटर को निकालना था जो 20 प्रतिशत अधिक या कम की भिन्नता के साथ 1.05 मिलियन घन मीटर मात्रा बनती थी। संविदा को कार्य प्रदान करने के पत्र (एलओए) जारी करने की तिथि के 30<sup>वें</sup> दिन से 8 महीने के अंदर अर्थात् 18 जुलाई 2015 तक निष्पादित किया जाना था। संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन संविदा के कुल मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर कार्य पूरा होने में विलम्ब हेतु निर्णीत हर्जाने के उदग्रहण के लिए संविदा में प्रावधान था। डीसीआईएल मुलायम मिट्टी हटाने के लिए ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी<sup>1</sup>) और गाढ़ी चिकनी मिट्टी/ कठोर मिट्टी को हटाने के लिए कटर-सक्शन ड्रेजर (सीएसडी<sup>2</sup>) का उपयोग करने का प्रयोजन रखती थी। संविदा के समय, केपीएल ने डीसीआईएल का ड्रेजरों की तैनाती के लिए मोबिलाइजेशन/ डीमोबलाइजेशन प्रभारों का भुगतान करने का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रस्तावित ड्रेजर पहले से ही केपीएल के समुद्री तट पर थे। इसके

<sup>1</sup> एक ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी) कार्य करते समय अपने सक्शन पाइप को पीछे छोड़ देता है। पाइप जिसमें ड्रेज ड्रैग हेड फिट किया जाता है, ड्रेज मिट्टी को वैसल में एक या एक से अधिक हॉपर में लोड करता है। जब हॉपर भर जाते हैं, तो टीएसएचडी एक निस्तारण क्षेत्र की ओर जाता है और या तो खोल में दरवाजों के माध्यम से सामग्री को डंप कर देता है या सामग्री को हॉपरों से बाहर पंप करता है।

<sup>2</sup> एक कटर सक्शन ड्रेजर (सीएसडी) की सक्शन ट्यूब में सक्शन प्रवेश-मार्ग में एक काटने वाला तंत्र होता है। काटने वाला तंत्र तल की सामग्री को ढीला करता है और इसे सक्शन मार्ग तक पहुँचाता है। ड्रेजड सामग्री को आमतौर पर एक घिसाव-प्रतिरोधी अपकेंद्री पंप के द्वारा सोखा जाता है और या तो एक पाइपलाईन के माध्यम से या एक बार्ज तक डिसचार्ज किया जाता है।



अलावा, संविदा में निर्धारित था कि निष्क्रिय समय को कम करने के लिए, डीसीआईएल को केपीएल की पूर्व-स्वीकृति के साथ सीएसडी को तैनात करना चाहिए।

डीसीआईएल ने तीन महीनों से अधिक की देरी से 30 अक्टूबर 2015 तक ड्रेजिंग संविदा को पूरा किया, और 1.05 मिलियन घन मी. की सहमत मात्रा के प्रति 1.04 मिलियन घन मी. मात्रा ड्रेज की, और ₹36.37 करोड़ की राशि का दावा किया। चूंकि केपीएल ने सीएसडी को लगाने की अनुमति नहीं दी थी, डीसीआईएल ने संपूर्ण ड्रेजिंग कार्य को पूरा करने के इरादे से एक टीएसएचडी और एक सीएसडी के बजाय तीन टीएसएचडी को लगाया और संविदात्मक शर्तों के अनुसार ₹36.37 करोड़ के प्रति ₹47.58 करोड़ की राशि खर्च की। डीसीआईएल ने संविदा के निष्पादन हेतु ड्रेजरों की तैनाती के लिए मोबिलाइजेशन/ डीमोबिलाइजेशन प्रभारों के लिए ₹3.81 करोड़ की राशि भी खर्च की। इसके अलावा, संविदा के निष्पादन में विलम्ब के कारण, केपीएल ने निर्णित हर्जाने के प्रति ₹3.71 करोड़ की राशि वसूल की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- एलओए जारी करने से पहले, हालांकि डीसीआईएल ने कठोर मिट्टी को हटाने के लिए सीएसडी का उपयोग करने पर विचार व्यक्त किया था, यह संविदा में एक शर्त को शामिल करने पर सहमत हुआ जिसके तहत सीएसडी की तैनाती के लिए केपीएल की पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित थी। जब डीसीआईएल ने स्वीकृति मांगी तो केपीएल ने सीएसडी की तैनाती की अनुमति देने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप, डीसीआईएल को टीएसएचडी से गाढ़ी चिकनी मिट्टी/ कठोर मिट्टी को निकालना पड़ा, जो नरम मिट्टी को हटाने के लिए थी।
- टीएसएचडी की खराब ड्रेजिंग क्षमता के कारण, डीसीआईएल निर्धारित संविदा अवधि के अंदर संविदा को पूरा नहीं कर सका और उसे ₹3.71 करोड़ का निर्णित हर्जाना वहन करना पड़ा।
- मई 2014 में दोनों पक्षों द्वारा नियम एवं शर्तों को स्वीकार किए जाने के बावजूद, केपीएल ने 18 अक्टूबर 2014 को एलओए जारी किया। इस बीच, डीसीआईएल ने अप्रैल 2014 में अपने टीएसएचडी को हल्दिया में एक और कार्यभार संभालने के लिए डीमोबलाइज किया। इसके बावजूद, डीसीआईएल ने संविदा में मोबिलाइजेशन प्रभारों को शामिल करने पर जोर नहीं दिया।
- इसके अलावा केपीएल द्वारा सीएसडी तैनात करने की अनुमति नहीं देने के कारण, मई 2015 में मौजूदा सीएसडी को सूखे डॉक कार्यों के लिए केपीएल से वापस ले लिया गया था। केपीएल के अनुबंध को निष्पादित करने के लिए, डीसीआईएल ने संविदा की अवधि के दौरान 3 टीएसएचडी तैनात किए। इन ड्रेजरों

के मोबलाइजेशन और डीमोबलाइजेशन के संबंध में, डीसीआईएल ने ₹3.81 करोड़ की राशि खर्च की जिसकी केपीएल द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

अतः, गाढ़ी चिकनी मिट्टी/ कठोर मिट्टी की ड्रेजिंग के लिए टीएसएचडी को तैनात करने के कारण डीसीआईएल ने कार्य के निष्पादन पर ₹11.21 करोड़ (₹47.58 करोड़ का वास्तविक व्यय घटा ₹36.37 करोड़ संविदा की शर्तों के अनुसार वसूली गई राशि) का अतिरिक्त व्यय वहन किया, साथ ही कार्य को देरी से पूरा करने के लिए ₹3.71 करोड़ और मोबलाइजेशन/ डीमोबलाइजेशन प्रभारों के लिए ₹3.81 करोड़ का निर्णित हर्जाना वहन किया।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- केपीएल सीएसडी को तैनात करने के लिए सहमत नहीं था क्योंकि किनारे पर पंपिंग हेतु कोई सुविधा नहीं थी, कोई भूमि-सुधार क्षेत्र नहीं था और शिपिंग के कारण टीएसएचडी द्वारा दोहरी हैंडलिंग के लिए कोई जगह नहीं थी। चूँकि सीएसडी एंकर एवं अन्य सहायक उपकरणों के साथ अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह शिपिंग गतिविधियों और अन्य वाणिज्यिक कार्यों में बाधा बन जाता।
- हालांकि सीएसडी को कठोर मिट्टी की परत को ड्रेज करने के लिए तैनात करने की आवश्यकता थी, डीसीआईएल ने केपीएल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए टीएसएचडी को तैनात किया था। परिणामस्वरूप इसमें अतिरिक्त समय और खर्च हुआ।
- डीसीआईएल मोबलाइजेशन और डीमोबलाइजेशन प्रभारों हेतु आग्रह नहीं कर सकता था क्योंकि संविदा में इस प्रकार का कोई खंड नहीं था।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- केपीएल और डीसीआईएल के बीच हुए समझौते में टीएसएचडी और सीएसडी के दोहरे संचालन को निर्धारित नहीं किया गया था। डीसीआईएल संविदा के प्रारंभिक दो महीनों की अवधि में 16 मीटर तक नरम मिट्टी हटाने के लिए टीएसएचडी के उपयोग का विचार रखता था। इसके बाद, यह सख्त मिट्टी/ गाढ़ी चिकनी मिट्टी को हटाने के लिए सीएसडी के उपयोग का इरादा रखता था। डीसीआईएल को सीएसडी की तैनाती की अनुमति देने के लिए केपीएल पर यह समझौते हुए दबाव डालना चाहिए था कि सीएसडी के बिना अधिक समय लगेगा और अधिक टीएसएचडी की तैनाती की आवश्यकता होगी। भुगतान की शर्तें भी तदनुसार होनी चाहिए थी।
- डीसीआईएल ने केपीएल द्वारा एलओए जारी करने में विलम्ब के कारण केपीएल में उपलब्ध ड्रेजरों की अन्य पोर्ट पर ड्रेज कार्यों को करने के लिए पुनः तैनाती की

थी। तथापि, इसने मोबिलाइजेशन प्रभारों के भुगतान के लिए संविदा में एक खंड को शामिल करने पर जोर नहीं दिया।

- कार्य प्रदान करने से पूर्व चर्चाओं के दौरान (26 मार्च 2014), चूँकि एन्नोर पोर्ट में निश्चित ड्रेजर उपलब्ध थे, इसलिए केपीएल ने मोबिलाइजेशन/ डीमोबिलाइजेशन प्रभार के भुगतान के लिए सहमति नहीं दी थी। हालांकि, केपीएल द्वारा कार्य आदेश (अक्टूबर 2014) जारी करने में काफी विलम्ब हुआ और डीसीआईएल ने पहले ही अन्य बंदरगाहों के लिए ड्रेजरों की पुनः तैनाती कर दी थी, डीसीआईएल को केपीएल के साथ शर्तों पर फिर से बातचीत करनी चाहिए थी और वहन किए गए मोबिलाइजेशन/ डीमोबिलाइजेशन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए मांग करनी चाहिए थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- डीसीआईएल आवश्यकता के अनुसार सीएसडी एवं टीएसएचडी दोनों का उपयोग करना चाहता था और मोबिलाइजेशन एवं डीमोबिलाइजेशन प्रभार संविदा दरों में शामिल थे। टीएसएचडी कठोर मिट्टी को हटाने के लिए भी थे।
- चूँकि ड्रेजर्स को ड्रेजिंग के लिए कुशलता से उपयोग किया गया और राजस्व भी अर्जित हुआ, नहीं तो ड्रेजर निष्क्रिय हो जाते, इसलिए ड्रेजिंग की लागत को अतिरिक्त नहीं माना जा सकता है।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है

- डीसीआईएल नरम मिट्टी को हटाने के लिए टीएसएचडी और कठोर मिट्टी/ गाढ़ी चिकनी मिट्टी को हटाने के लिए सीएसडी का उपयोग करना चाहता था। हालांकि, सीएसडी की तैनाती के लिए केपीएल द्वारा मना करने के कारण, कंपनी को कठोर मिट्टी/ गाढ़ी चिकनी मिट्टी को हटाने के लिए टीएसएचडी की तैनाती करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त समय और लागत लगी।
- अधिक टीएसएचडी की तैनाती के कारण ₹3.71 करोड़ के निर्णित हर्जाना लगाने और ₹3.81 करोड़ के मोबिलाइजेशन/ डीमोबिलाइजेशन की गैर-वसूली के अलावा ₹36.37 करोड़ राशि के राजस्व वसूली के ऊपर कंपनी को ₹11.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। इसके अलावा, 2014-15 के दौरान सीएसडी को केपीएल बंदरगाह पर बिना उपयोग के रखने के लिए, कंपनी द्वारा परिचालन खर्चों और ओवरहेड के लिए ₹7.71 करोड़ वहन किया गया जिससे कोई राजस्व अर्जन भी नहीं हुआ।

अतः केपीएल के साथ ड्रेजिंग करार के तहत अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने में डीसीआईएल की विफलता के परिणामस्वरूप ₹18.73 करोड़ की राशि का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन किया गया।

## अध्याय XIII: इस्पात मंत्रालय

### मेकॉन लिमिटेड

#### 13.1 ग्राहक द्वारा संविदा को समाप्त करने और बैंक गारंटी के भुगतान के कारण हानि

मेकॉन लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब और एनटीपीसी द्वारा प्रदान की गई एक्सटर्नल कोल हैंडलिंग प्लांट परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपने विदेशी सहयोगी से बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत कराने में असमर्थता के परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा संविदा को समाप्त कर दिया गया और बैंक गारंटी को इनकैश किया गया जिससे मेकॉन को ₹42.26 करोड़ की हानि हुई।

एनटीपीसी लिमिटेड ने जनवरी 2015 में नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनकेएसटीपीपी) के लिए एक्सटर्नल कोल हैंडलिंग प्लांट (ईसीएचपी) हेतु बोलियां आमंत्रित कीं। चूंकि मेकॉन लिमिटेड (मेकॉन या कंपनी) उपरोक्त कार्य के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था, इनके द्वारा उक्त कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स नॉर्डन हैवी इन्डस्ट्रीज ग्रुप कं. लिमिटेड, चीन (एनएचए) और मैसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स (भारत) लिमिटेड (जेएमसी) के साथ निविदा-पूर्व करार की व्यवस्था की। कंपनी जून 2015 में अपने विदेशी सहयोगी एनएचआई और भारतीय सहयोगी, जेएमसी के साथ पाइप कन्वेयर कार्य के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में शामिल हुई।

एनटीपीसी ने मेकॉन को एनकेएसटीपीपी के लिए ईसीएचपी का कार्य दिया, जिसे ₹394 करोड़<sup>1</sup> की लागत पर जून 2019 में पूरा किया जाना था। एनटीपीसी और मेकॉन के बीच संविदा पर हस्ताक्षर 7 मार्च 2017 को किए गए। मेकॉन ने पाइप कन्वेयरों के डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति एवं कमीशनिंग का ₹100 करोड़ के मूल्य का कार्य एनएचआई को (अक्टूबर 2017) और जेएमसी को परियोजना के सिविल कार्य (सितम्बर 2017) का आदेश दिया था। मेकॉन डिटेल्ड इंजीनियरिंग मूदा जांच, कार्य स्थल सर्वेक्षण आदि के लिए जिम्मेदार था।

- बोलीदाताओं के लिए निर्देश खंड 34.1 एवं 34.2 के अनुसार मेकॉन को संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक की बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करनी आवश्यक थी और उसके सहयोगियों को ऑर्डर दिए जाने के 28 दिनों के अंदर यथातथ्य कार्य निष्पादन हेतु बीजी (एनएचआई को 2 प्रतिशत एवं जेएमसी को 0.63 प्रतिशत) प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल होने पर एनटीपीसी को निविदा रद्द करने का अधिकार था।

<sup>1</sup> 1 यूएस डॉलर को ₹66.98 के बराबर मानकर

- भारत सरकार का. जा. के अनुसार (अप्रैल 2015), किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेकॉन को एनएचआई, चीन को ऑर्डर देने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी लेने में पांच महीने लगे (11 जुलाई 2017 तक)। इस बीच 18 मई 2017 को हुई एक बैठक में, एक सरकारी निदेशक ने किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-स्वीकृति की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। मेकॉन (17 जुलाई 2017) ने एनएचआई के साथ निविदा-पूर्व समझौते के लिए इस्पात मंत्रालय से छूट मांगी थी, जिसे मंत्रालय ने 20 सितम्बर 2017 (प्रस्ताव प्राप्त होने की तथि से लगभग 2 महीने) के पत्र द्वारा प्रदान किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसमें मई 2017 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी और केवल मेकॉन द्वारा कुछ इंजीनियरिंग कार्य किया गया था, जबकि एनटीपीसी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए पत्र और अनुस्मारक जारी करता रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीपीसी द्वारा समयसीमा का पालन करने के लिए अनेक बार आग्रह करने के बावजूद मेकॉन ने अक्टूबर 2017 (07 महीनों के विलम्ब) में ₹39.12 करोड़ की बीजी प्रस्तुत की। जेएमसी ने जनवरी 2018 (9 महीने के विलम्ब से) में ₹2.48 करोड़ की बीजी जमा की। एनएचआई ने मेकॉन से उसकी ओर से (मेकॉन के लिए एनएचआई द्वारा बैंक टू बैंक बीजी जमा करना था) ₹7.88 करोड़ की बीजी जमा करने का आग्रह किया क्योंकि एनटीपीसी एवं एनएचआई के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध के अभाव में, चीन के बैंक एनटीपीसी को बीजी प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि मेकॉन ने यह स्वीकार नहीं किया। जिससे मेकॉन ने अपने आप को जोखिम में डाल लिया क्योंकि एनएचआई ने न तो अपने हिस्से की बीजी जमा की और न ही किसी भी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा किया।

मेकॉन की निरंतर विफलता को ध्यान में रखते हुए और इसके सहयोगियों को संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए और बीजी जमा नहीं होने के कारण, एनटीपीसी ने फरवरी 2018 में संविदा को समाप्त कर दिया और संविदा के प्रावधानों के अनुसार ₹39.12 करोड़ की मेकॉन की बीजी और ₹2.48 करोड़ के लिए जेएमसी की बीजी को भुनाया। मेकॉन ने झारखंड उच्च न्यायालय से संपर्क किया जहां दोनों ही पक्ष पीएसयू होने के कारण, सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए सहमत (जुलाई 2018) हो गए। कंपनी ने एएमआरसीडी के सामने दलील दी कि एनटीपीसी ने अनुचित रूप से संविदा को समाप्त

किया और इसलिए परियोजना पर इसके द्वारा खर्च किए गए ₹62.26 करोड़<sup>2</sup> वापस कर देना चाहिए एएमआरसीडी का मत था (अक्टूबर 2019) कि एनटीपीसी द्वारा संविदा को समाप्त करना एवं बैंक गारंटी को जब्त करता न्यायोचित था, परंतु एनटीपीसी को मेकॉन द्वारा किए गए कार्यों पर वहन की गई लागत और बीजी को इनवोक करने के कारण हुए नुकसान के लिए ₹20 करोड़ का भुगतान करना चाहिए। तदनुसार पक्षों के सभी दावों और कांउटर दावों का निपटारा हुआ, एनटीपीसी ने 30 नवम्बर 2019 को मेकॉन को ₹20 करोड़ का भुगतान किया।

मेकॉन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि कार्य को शुरू करने की व्यवस्थाएं और परियोजना के समय पर सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने की कार्यवाही तत्काल की गई और फरवरी 2018 में खुदाई का काम शुरू किया गया था। आगे बताया गया कि विदेशी सहयोगियों के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है यह जानने के बाद ही मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर (मार्च 2020) को दोहराया।

प्रबंधन/ मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि:

- i) मेकॉन द्वारा सर्वेक्षण कार्य मई 2017 तक पूरा किया जाना निर्धारित था जबकि मेकॉन द्वारा सर्वेक्षण हेतु आर्डर अक्टूबर 2017 में दिया गया और सर्वेक्षण रिपोर्ट 7 महीनों के विलम्ब से दिसम्बर 2017 में प्रस्तुत की गई। मेकॉन ने फरवरी 2018 (कार्य प्रदान करने के 11 महीनों के बाद) में ग्राहक द्वारा संविदात्मक नोटिस जारी करने के बाद मिट्टी की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया और एनटीपीसी के द्वारा संविदा समाप्त करने तक केवल 10,000 घन मी. (8.45 प्रतिशत) की ही खुदाई कर सका था। एनएचआई द्वारा स्वीकृत निर्धारित समय के अनुसार पाइप कन्वेयरों की आपूर्ति नहीं की गयी और
- ii) भारत सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन से सम्बंधित दिशा-निर्देश अप्रैल 2015 में अर्थात् समझौता ज्ञापन में शामिल होने से पहले जारी किया था। मेकॉन को इस प्रकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था, जबकि इसके द्वारा, एनएचआई के साथ निविदा-पूर्व समझौते हेतु इस्पात मंत्रालय से जुलाई 2017 में अनुमोदन की मांग की गई थी, जिससे कार्य आदेश देने में विलम्ब हुआ, फलस्वरूप संपूर्ण परियोजना में विलम्ब हुआ और अततः इस कारण परियोजना को समाप्त किया गया।

<sup>2</sup> भुनाई गई गारंटी के लिए ₹41.73 करोड़ डिजाइन एवं इंजीनियरिंग की लागत भू-तकनीकी परीक्षण कार्य, सिविल निर्माण कार्य आदि के लिए ₹20 करोड़ और कार्य-स्थल मोबिलाइजेशन पर वहन किए गए ₹0.53 करोड़ को शामिल करते हुए

कार्य प्रदान करने एवं कार्य प्रारंभ होने में विलम्ब और अपने सहयोगियों से समय पर बैंक गारंटी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने में प्रबंधन की अक्षमता के कारण, कंपनी को ₹42.26 करोड़ की क्षति हुई।

## राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

### 13.2 ऊर्जा प्रबंधन

#### 13.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम (आरआईएनएल), जिसे इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निगमित किया गया (फरवरी 1982), ने लौह और इस्पात उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के तरल इस्पात की स्थापित क्षमता के साथ एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की। इसने अगस्त 1992 से चरणों में पूर्ण परिचालन शुरू किया। 31 मार्च 2019, को संयंत्र की क्षमता विस्तार उन्नयन/ आधुनिकीकरण के माध्यम से 3.0 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक और बाद में 7.3 एमटीपीए तक माधराम खान<sup>3</sup> के विकास और सिंटर मशीन 2<sup>4</sup> के पुनः निर्माण को छोड़कर काफी हद तक पूरा कर लिया गया था।

विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (31 मार्च 2014 से पहले), आरआईएनएल ने 388.60<sup>5</sup> मेगावाट (एमडब्ल्यू) की समग्र स्थापित क्षमता के साथ पांच टर्बो जेनरेटर्स (टीजी) और सहायक विद्युत उत्पादन इकाई सहित एक थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) की स्थापना की। क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कैप्टिव विद्युत उत्पादन की क्षमता को भी 31 मार्च 2019 तक 542.48<sup>6</sup> मेगावाट तक चरणबद्ध तरीके में बढ़ाया गया था।

<sup>3</sup> दिसंबर 2019 तक पूरा होने की उम्मीद थी

<sup>4</sup> 2020-21 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है

<sup>5</sup> (क) मार्च 1989 और दिसंबर 1990 के बीच प्रत्येक 60 मेगावाट के 3 टीजी और मई 1996 और नवंबर 2013 में प्रत्येक 67.5 मेगावाट के 2 टीजी को सिंक्रोनाइजिंग करके टीपीपी को 315 मेगावाट किया, (ख) दिसंबर 1990 में 15 मेगावाट (2x7.5 मेगावाट) बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बीपीटीएस)- 1 व 2, (ग) फरवरी और अगस्त 1993 में क्रमशः 24 मेगावाट (2x12 मेगावाट) के गैस विस्तार टर्बाइन स्टेशन (जीईटीएस)- 1 व 2 (घ) अप्रैल 2012 में 14 मेगावाट कोक औवन बैटरी (सीओबी)- 4 संयंत्र: और (ड.) मार्च 2014 में 20.6 मेगावाट का सिंटर हीट रिकवरी पावर प्लांट (एसएचआरपीपी)

<sup>6</sup> 153.88 मेगावाट (i) जून, 2014 में 14.88 मेगावाट टॉप रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) (ii) मार्च 2016 में 120 मेगावाट का गैस आधारित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी)-2 (iii) मई 2018 में 14 मेगावाट सीओबी-5 प्लांट और (iv) दिसंबर 2016 में 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को चालू करके



### 13.2.2 संगठन की स्थापना

आरआईएनएल को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा प्रशासित किया जाता है जिन्हें परिचालन, वाणिज्यिक, परियोजना, वित्त और कार्मिकों की देखरेख करने वाले पांच प्रकार्यात्मक निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। महाप्रबंधक थर्मल पावर प्लांट और वितरण नेटवर्क के प्रभारी हैं और कार्यकारी निदेशक (निर्माण) को रिपोर्ट करते हैं जोकि निदेशक (परिचालन) को रिपोर्ट करते हैं।

### 13.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में मार्च 2019 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और वितरण को शामिल किया गया था।

### 13.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह जांच करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या:

- समग्र विद्युत उत्पादन निष्पादन मानकों और लक्ष्यों के अनुसार था;
- आवश्यक सामग्रियों/ आगतों की खपत किफायती थी;
- कैप्टिव उत्पादक इकाइयां प्रभावी ढंग से संचालित की गई थी, जिससे उनका इष्टतम उपयोग और उन से विद्युत का उत्पादन अधिकतम होना सुनिश्चित हो सके, और
- ऊर्जा संरक्षण और वितरण तंत्र प्रभावी था।

### 13.2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इस्पात मंत्रालय के साथ आरआईएनएल द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचनाओं, अन्य इस्पात संयंत्रों की परिचालन दक्षता, निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आदि से प्राप्त किया गया था।

### 13.2.6 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में विद्युत और भाप के उत्पादन और वितरण पर आवधिक रिपोर्टों से संबंधित रिकॉर्डों की संवीक्षा, जेनरेटिंग इकाइयों की कटौती, प्रबंधन के साथ बातचीत और चर्चा, लेखापरीक्षा मांग जारी करना, रिकॉर्डों/ डेटा/ सूचना की मांग करना और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को आरआईएनएल को जारी करना (दिसम्बर 2019) शामिल किया गया था।

## 13.2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

### 13.2.7.1 आरआईएनएल की कैप्टिव उत्पादन क्षमता

3.0 एमटीपीए पर 228 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता को विस्तार/ उन्नयन पर 7.3 एमटीपीए पर 546 मेगावाट तक संशोधित कर दिया गया था। टीपीपी (315 मेवा), सौर ऊर्जा संयंत्र (5 मेवा) और गैस आधारित सीपीपी-2 (120 मेवा) के माध्यम से कैप्टिव पावर उत्पादन क्षमता 440 मेगावाट पर पहुँच गई। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, आरआईएनएल ने 102.48 मेवा<sup>7</sup> की क्षमता के साथ सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों को भी चालू किया, जिससे 31 मार्च 2019 तक आरआईएनएल की कुल कैप्टिव बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 542.48 मेगावाट हो गई। कैप्टिव उत्पादन के अलावा, आरआईएनएल ने आन्ध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) के साथ 1,85,000 केवीए की अनुबंधित अधिकतम मांग (सीएमडी) सहित विद्युत खरीद के लिए एक संविदा (अगस्त 2014) की, जिसे आगे बढ़ाकर 2,35,000 केवीए कर दिया गया था (अप्रैल 2018)।

#### i) परिचालन दक्षता

2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता, विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य, वास्तविक विद्युत उत्पादन, विद्युत खरीद और उत्पादन और खरीद की लागत का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

<sup>7</sup> (क) 15 मेगावाट बीपीटीएस-1 व 2; (ख) 24 मेगावाट जीईटीएस-1 व 2; (ग) 14 मेगावाट सीओबी-4 व 5 संयंत्र के प्रत्येक; (घ) 20.6 मेगावाट एसएचआरपीपी जिसको नई ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) परियोजना भी कहा जाता है; और (ड.) 14.88 मेगावाट टीआरटी

तालिका-13.2.1: खरीदी गई विद्युत की तुलना में उत्पादित विद्युत की लागत

वर्ष	स्थापित कैप्टिव क्षमता <sup>8</sup> (मेवा प्रति घंटा)	एमओयू <sup>9</sup> लक्ष्य (मेवा प्रति घंटा)	संधारणीयता <sup>10</sup> योजना के अनुसार लक्ष्य (मेवा प्रति घंटा)	वास्तविक कैप्टिव उत्पादन (मेवा प्रति घंटा)	स्थापित क्षमता के संदर्भ में कमी (मेवा प्रति घंटा)	एपीईपीडीसीएल से खरीद (मेवा)
1	2	3	4	5	6 = (2-5)	7
2014-15	342.10	252.50	261.39	206.92	135.18	50.45
2015-16	356.98	269.70	273.60	217.08	139.90	64.91
2016-17	356.98	256.90	249.67	207.75	149.23	78.17
2017-18	476.98	338.54	338.54	294.20	182.78	58.32
2018-19	476.98	366.99	366.99	332.69	144.29	49.49
वर्ष	खपत (मेवा)	वर्ष के दौरान कुल कैप्टिव विद्युत उत्पादन (एमडब्ल्यूएच)	वर्ष के दौरान खरीदी गई कुल विद्युत (एमडब्ल्यूएच)	उत्पादन की परिवर्तनीय लागत का समय वार्षिक औसत (₹ प्रति एमडब्ल्यूएच)	खरीद के लिए ऊर्जा प्रभार और बिजली शुल्क (₹ प्रति एमडब्ल्यूएच)	
1	8	9	10	11	12	
2014-15	277.19	18,12,820	4,41,954	4,592	5,511	
2015-16	304.38	19,06,991	5,70,162	4,623	5,789	
2016-17	326.24	18,20,011	6,84,729	5,358	5,900	
2017-18	374.60	25,76,875	5,10,860	5,290	6,111	
2018-19	407.65	29,14,248	4,33,500	5,286	6,111	
		<b>1,10,30,945</b>	<b>26,41,205</b>			

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी वर्षों में स्थापित क्षमता के साथ-साथ एमओयू लक्ष्यों और आरआईएनएल की संधारणीयता योजना की तुलना में वास्तविक कैप्टिव उत्पादन कम था। कैप्टिव उत्पादन में कमी को एपीईपीडीसीएल से खरीद करके

<sup>8</sup> 2014-15 से 2018-19 के लिए बीपीटीएस -1 और 2 (15 मेगावाट), सीओबी-4 व 5 (28 मेगावाट) को छोड़कर क्योंकि वास्तविक सकल कोक उत्पादन पर विचार किए बिना विद्युत उत्पादन में आ रही कमी को निकालना उचित नहीं है; 2014-15 से 2018-19 के लिए सोलर पावर प्लांट (5 मेगावाट); 2014-15 से 2016-17 के लिए सीपीपी-2 (120 मेगावाट) चूंकि यह सितंबर 2017 से स्थिर होने के लिए बताया गया था; और 2014-15 के लिए टीआरटी चूंकि यह जून 2014 में शुरू किया गया था। प्रबंधन के जवाब के आधार पर टीजी-5 की स्थापित क्षमता 67.50 मेगावाट के बजाय केवल 50 मेगावाट के रूप में ली गई है

<sup>9</sup> इस्पात मंत्रालय के साथ किए गए समझौता जापन के अनुसार विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

<sup>10</sup> संधारणीयता योजना जिसे आरआईएनएल द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है, के अनुसार विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

काफी हद तक पूरा किया गया था और विद्युत की ऐसी खरीद ने 2016-17 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई और बाद के वर्षों में मुख्य रूप से सितम्बर 2017 से 120 मेगावाट गैस आधारित सीपीपी-2 के स्थिरकरण के कारण घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी।

कैप्टिव उत्पादन में कमी विभिन्न कारकों जैसे बॉयलर कोयले की कमी, टीपीपी के बॉयलरों का कम निष्पादन, बॉयलरों/ सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों का रुकना, प्रोसेस स्टीम की उच्च खपत, टीआरटी से विद्युत के उत्पादन में देरी और नए टीजी-5 को जबरन रोकने के कारण हुई थी। इन मुद्दों पर आगामी पैराओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि (क) टर्बो ब्लोअर-4 और प्रोसेस स्टीम की भाप की आवश्यकता को पूरा करने के बाद शेष भाप के साथ 67.50 मेगावाट की स्थापित क्षमता के प्रति टीजी-5 में केवल 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता था और (ख) सहायक विद्युत इकाइयों से विद्युत उत्पादन विभिन्न इकाइयों जैसे कोक ओवन एंड कोल केमिकल प्लांट (सीओएंडसीसीपी), ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ), सिंटर मशीन आदि से निष्पादन/ हीट रिकवरी से जोड़ा गया था, जिसने निम्न प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में योगदान दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। 50 मेगावाट के रूप में टीजी-5 की स्थापित क्षमता पर विचार करने और 2014-19 की संपूर्ण अवधि के लिए बीपीटीएस-1 एवं 2, सीओवी-4 एवं 5 और 2014-16 की अवधि के लिए सीपीपी-2 को छोड़कर, उनकी स्थापित क्षमताओं के संदर्भ में 135.18 मेगावाट (2014-15) और 182.78 मेगावाट (2017-18) के बीच की रेंज में विद्युत के उत्पादन में अभी भी कमी थी। 25 वर्ष पुरानी सिंटर मशीन की पूंजीगत मरम्मत किए बिना एसएचआरपीपी को चालू करना एसएचआरपीपी से सहायक विद्युत के उत्पादन के लिए आवश्यक पर्याप्त हीट नहीं मिलने का मुख्य कारण था।

## ii) थर्मल पावर प्लांट का निम्न प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ)

टीपीपी की दक्षता को मापने के लिए मापदंडों में से एक प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ)<sup>11</sup> हैं। सीईआरसी की अधिसूचना (2014-19) के अनुसार, टीपीपी के परिचालन के लिए पीएलएफ मानक 85 प्रतिशत है। 85 प्रतिशत के मानक के प्रति, 2014-15 से 2018-19 के दौरान आरआईएनएल के 315 मेगावाट के मुख्य टीपीपी द्वारा प्राप्त वास्तविक पीएलएफ कम था और 67.16 प्रतिशत (2016-17) एवं 74.66 प्रतिशत (2018-19) के बीच था जैसे कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

<sup>11</sup> पीएलएफ एक संयंत्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा और स्थापित क्षमता पर वास्तविक परिचालन घंटों के लिए अधिकतम संभव उत्पादन के बीच अनुपात है

तालिका-13.2.2: थर्मल पाँवर प्लांट द्वारा प्राप्त किया गया पीएलएफ

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क	कुल कैप्टिव विद्युत उत्पादन (मे.वा. घंटे)	17,82,716	18,76,396	17,50,120	18,34,687	19,45,763
ख	कुल कैप्टिव विद्युत क्षमता (मेगावाट प्रति घंटा) <sup>12</sup>	297.50	297.50	297.50	297.50	297.50
ग	वर्ष के दौरान कुल केलेण्डर घंटे	8760	8784	8760	8760	8760
घ	औसत प्रति घंटा उत्पादन (मे.वा. प्रति घंटा) (क/ ग)	203.51	213.62	199.79	209.44	222.12
ड.	संयुक्त पीएलएफ प्रतिशतता ((घ/ ख) x 100)	68.41	71.80	67.16	70.40	74.66

निम्न पीएलएफ के कारण उत्पादन के नुकसान को दर्शाने वाला विवरण *अनुलग्नक-XXVII* में है। *अनुलग्नक-XXVII* से यह देखा जा सकता है कि पीएलएफ के 85 प्रतिशत के निर्धारित मानक के प्रति वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मुख्य टीपीपी द्वारा उत्पादन में कुल कमी ₹130.44 करोड़ के मूल्य वाले 18,92,312 मेगावाट घंटों की थी। कैप्टिव प्लांटों से विद्युत के कम उत्पादन के कारणों पर बाद के पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि जब सभी मशीनें टीपीपी और सहायक इकाइयों से विद्युत उत्पादन करने के लिए उपलब्ध थीं तब भी सीएमडी (न्यूनतम 88,800 एमवीएच प्रति वर्ष) के बदले में प्रति माह 7400 एमवीएच के न्यूनतम अनिवार्य आयात का अनुपालन करने के लिए उन इकाइयों में कभी-कभी उत्पादन प्रतिबंधित किया गया था। इस तरह के परिदृश्य के तहत, संयंत्र के पीएलएफ की तुलना अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों से नहीं की जा सकती थी, जिनकी आमतौर पर इस प्रकार की सीमाएं नहीं होती हैं। इसलिए, टीपीपी के लिए पीएलएफ सीईआरसी मानक के साथ तुलनीय नहीं थे। यह भी कहा गया था कि आरआईएनएल का प्लांट लोड<sup>13</sup> पिछले पांच वर्षों के दौरान 76 प्रतिशत से अधिक था।

<sup>12</sup> टीजी-5 की स्थापित क्षमता प्रबंधन के जवाब के आधार पर 67.50 मेवा. के बजाय 50 मेवा. के रूप में ली गई है

<sup>13</sup> आरआईएनएल के प्लांट लोड को एमडब्ल्यू में औसत कैप्टिव उत्पादन को एमडब्ल्यू में औसत प्लांट लोड (अर्थात् औसत कैप्टिव उत्पाद + औसत विद्युत खरीद) से विभाजित करके निकाला गया

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- पीएलएफ मानक सभी टीपीपी इकाइयों के लिए लागू थे और कुशल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए इन्हें बेंचमार्क के रूप में माना जाना था। इसके अलावा, पिछली मसौदा रिपोर्ट का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2017) कि केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने इस्पात उद्योग के पावर प्लांटों के संबंध में पीएलएफ के लिए मानक 80 प्रतिशत रखा था। यहां तक कि पीएलएफ को 80 प्रतिशत मानते हुए, और एपीईपीडीसीएल से विद्युत के न्यूनतम आयात पर भी विचार करते हुए, टीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन में समग्र कमी के साथ-साथ 2014-19 के दौरान एपीईपीडीसीएल से विद्युत की परिहार्य खरीद ₹85.48 करोड़ के मूल्य की 12,40,430 एमडब्ल्यूएच थी।
- आरआईएनएल जैसी इस्पात उद्योग की टीपीपी की परिचालन दक्षता का निर्धारण करने के लिए, पीएलएफ पर विचार किया जाना चाहिए था और न कि कैप्टिव उत्पादन द्वारा प्लांट लोड को पूरा किये जाने पर, जैसा कि प्रबंधन द्वारा कहा गया है।

इस प्रकार, कैप्टिव विद्युत उत्पादन को पीएलएफ में सुधार द्वारा बढ़ाकर कम से कम 80 प्रतिशत करने की आवश्यकता है, जिससे विद्युत की खरीद पर होने वाले व्यय में कमी आएगी।

### iii) बॉयलर कोयले की कमी के कारण टीपीपी द्वारा निम्न विद्युत उत्पादन

आरआईएनएल की संधारणीयता योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार और लक्षित विद्युत उत्पादन पर विचार करते हुए 2014-15 से 2018-19 के दौरान वार्षिक बॉयलर कोयले की आवश्यकता 22.17 लाख टन (2016-17) और 26.47 लाख टन (2015-16) के बीच अनुमानित थी। टीपीपी के लिए अपेक्षित कोयला प्राप्त करने के लिए, आरआईएनएल ने महानादी कोल फील्डस लिमिटेड (एमसीएल) के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) किया (जून 2008) जो 16.80 लाख टन की वार्षिक प्रतिबद्धता मात्रा (एसीक्यू) के साथ जून 2013 तक वैद्य था। एफएसए को इसी मात्रा के साथ अगले पांच वर्षों के लिए नवीकृत (नवम्बर 2013) किया गया था।

चूँकि एमसीएल बॉयलर कोयले के एसीक्यू की आपूर्ति नहीं कर रहा था, इसलिए आरआईएनएल ने 2014-19 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से कुल 7.22 लाख टन बॉयलर कोयले की खरीद की, जिसमें 2017-18 के दौरान ई-नीलामी के तहत खरीदा गया 1.27 लाख टन भी शामिल है और 2015-19 के दौरान 7.94 लाख टन का बॉयलर कोयला आयात किया। इसके अलावा, अप्रैल 2018 से चार वर्षों के लिए 3 लाख टन प्रति वर्ष की आपूर्ति के लिए एफएसए को एससीसीएल के साथ

अन्तिम रूप दिया गया। विभिन्न स्रोतों से 2014-15 से 2018-19 के दौरान खरीदे गए बॉयलर कोयले का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका-13.2.3: 2014-15 से 2018-19 के दौरान खरीदा गया बॉयलर कोयला**

(लाख टन में मात्रा)

वर्ष	संधारणीयता योजना के अनुसार अनुमानित बॉयलर कोयले की आवश्यकता	एमसीएल से जोड़ा बॉयलर कोयला	एमसीएल से खरीदा गया बॉयलर कोयला	एससीसीएल से खरीदा गया बॉयलर कोयला	आयतित बॉयलर कोयला	कुल बॉयलर कोयले की प्राप्ति
2014-15	24.00	16.80	14.35	0.41	0	14.76
2015-16	26.47	16.80	14.20	0.95	0.47	15.62
2016-17	22.17	16.80	14.00	2.94	0.51	17.45
2017-18	25.00	16.80	14.52	1.27	2.56	18.35
2018-19	25.00	16.80	12.08	1.65	4.40	18.13

उपरोक्त तालिका से यह पता लगाया जा सकता है कि संधारणीयता योजना के अनुसार अनुमानित कोयले की आवश्यकता की तुलना में सभी वर्षों में कोयले की प्राप्ति में कमी हुई, यद्यपि कमी घटती हुई प्रवृत्ति में थी। 2014-19 के दौरान बॉयलर कोयले की कमी के कारण, टीपीपी को आंशिक लोड पर 11<sup>14</sup> महीने के दौरान परिचालित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2,78,952 मेगावॉट घंटा विद्युत उत्पादन में कमी आई। हालांकि एकमात्र दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता (अर्थात एमसीएल) से बॉयलर कोयला अनियमित था, आरआईएनएल ने अन्य स्रोतों से बॉयलर कोयला अधिप्राप्त करके आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। फलस्वरूप, आरआईएनएल को उपरोक्त महीनों में एपीईपीडीसीएल से 5,70,737 मेगावॉट घंटा विद्युत खरीदनी पड़ी, जिसमें से 2,64,828<sup>15</sup> मेगावॉट घंटा की खरीद परिहार्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹16.78<sup>16</sup> करोड़ का व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) के विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की पर्याप्त आवश्यकता को बनाए रखने हेतु, सामग्री प्रबंधन विभाग के साथ-साथ कच्ची सामग्री विभाग ने नियमित रूप से विभिन्न संबद्ध एजेंसियों जैसे कोयला आपूर्तिकर्ताओं और रेलवे के साथ मामले को उठाया था। सामग्री प्रबंधन विभाग ने एफएसए की मात्रा को पूरा करने के विषय में खराब आपूर्ति एवं आवश्यकता के बारे में एमसीएल को बताया था।

<sup>14</sup> जून से सितम्बर 2014; और जनवरी, मई, जून, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2017।

<sup>15</sup> खरीदी गई ऊर्जा और विद्युत उत्पादन में कमी जो भी कम हो को ध्यान में रखते हुए

<sup>16</sup> टीपीपी लागत पत्रक के अनुसार वार्षिक औसत परिचालन परिवर्तनीय लागत से अधिक ऊर्जा प्रभारों के साथ विद्युत प्रभारों के लिए टैरिफ की अधिकता को ध्यान में रखते हुए

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जब एमसीएल बॉयलर कोयले की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा, आरआईएनएल ने सीआईएल इकाईयों और एससीसीएल से ई-नीलामी के तहत बॉयलर कोयले की अधिप्राप्ति की संभावना को नहीं तलाशा, ना ही लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 11 महीनों की अवधि के दौरान अतिरिक्त बॉयलर कोयले के लिए अन्य कोयला आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।

**iv) बॉयलर कोयले के साथ महंगे मध्यम कोकिंग कोयले का अनुचित मिश्रण**

स्वदेशी बॉयलर कोयला टीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रमुख सामग्री थी। आरआईएनएल में टीपीपी के बॉयलर 3,680-4,500 किलो कैलोरी (के केल) प्रति किग्रा के सकल ऊष्मीय ऊर्जा मान (सीवी) के साथ स्वदेशी बॉयलर कोयले का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किये गए थे। बॉयलर कोयले की कम प्राप्ति के कारण, आरआईएनएल ने स्वदेशी बॉयलर कोयले में मिश्रित करने के लिए 6,300 किलो कैलोरी/ किग्रा के सीवी के साथ आयातित बॉयलर कोयले (आईबीसी) और 5,400 किलो/ कैलोरी<sup>17</sup> के सीवी के साथ मध्यम कोकिंग कोयला (एमसीसी) का उपयोग किया। यह किया गया था, क्योंकि उच्च सीवी के साथ एमसीसी/ आईबीसी को टीपीपी बॉयलरों में सीधे फायर नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय, उपरोक्त उच्चतर ऊष्मीय मान कोयले के साथ स्वदेशी बॉयलर कोयले को मिश्रित किया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकल ऊष्मीय मान डिजाइन सीमा के अंतर्गत था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एससीसीएल दिसम्बर 2007 से ई-नीलामी के माध्यम से बॉयलर कोयला विक्रय कर रही थी और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियां अगस्त 2009 से ई-नीलामी के तहत बॉयलर कोयले का विक्रय कर रही थी। यद्यपि एमसीसी की अधिप्राप्ति लागत की तुलना में ई-नीलामी के माध्यम से बॉयलर कोयले की अधिप्राप्ति लागत प्रभावी थी, आरआईएनएल, एमसीएल से बॉयलर कोयले की कम आपूर्ति को पूरा करने के लिए इस विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। एमसीसी की औसत अधिप्राप्ति लागत 2014-15 से 2016-17 के दौरान बॉयलर कोयले की ई-नीलामी दर के तहत ₹1,597-₹2,463 प्रति टन की अपेक्षा ₹7,241-₹7,362 प्रति टन के बीच थी। 2014-15 से 2016-17 के दौरान स्वदेशी बॉयलर कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए आरआईएनएल ने 3,87,938<sup>18</sup> टन एमसीसी का उपयोग किया। 2017-18 और 2018-19 के दौरान एमसीसी को बॉयलर कोयले के साथ मिश्रित नहीं किया गया था। उस बॉयलर कोयले की तुलना में एमसीसी के वास्तविक सीवी को देखते हुए, ₹283.58 करोड़ मूल्य के 3,87,938 टन के महंगे एमसीसी के मिश्रण जो विद्युत की

<sup>17</sup> सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से खरीदी गई

<sup>18</sup> वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 हेतु क्रमशः 1,62,884 टन, 1,45,224 टन और 79,830 टन



समान मात्रा उत्पन्न करने के लिए ₹138.37 करोड़ मूल्य के 6,95,792<sup>19</sup> टन के स्वदेशी बॉयलर कोयले के बराबर थी, के परिणामस्वरूप ₹145.21<sup>20</sup> करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि:

- एमसीसी का उपयोग बॉयलर कोयले की कमी के कारण नहीं किया गया था, परन्तु स्वदेशी बॉयलर कोयले की उच्च राख सामग्री को प्राप्त करने के कारण किया गया था, जो आरआईएनएल के बॉयलरों की सकल ऊष्मीय मान की डिजाइन सीमा को पूरा नहीं करता था।
- आईबीसी को कम आपूर्तियों के मामले में बॉयलर कोयले के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता था, परन्तु इसका सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्व-ज्वलन हेतु अतिसंवेदनशील था।
- रसद समस्या के अलावा, आईबीसी लिंकिज हेतु दीर्घकालिक करार के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किये जाने पर आईबीसी की कीमतों के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया था।

निम्नलिखित के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- बॉयलर कोयले की आवश्यकता के प्रति जो वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु 22.17 लाख टन और 26.47 लाख टन के बीच थी, बॉयलर कोयले की वास्तविक अधिप्राप्ति 14.76 लाख टन और 18.35 लाख टन के बीच थी। इसलिए, कोयले के मिश्रण में एमसीसी का उपयोग बॉयलर कोयले की कमी के कारण हुआ।
- बॉयलर कोल बैड में पानी छिड़कने की प्रणाली 16 अगस्त 2014 को कोयला यार्ड में स्व-ज्वलन से बचाने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा, यह भी एक कथित तथ्य है कि आरआईएनएल द्वारा टिप्पलिंग से पहले, वैगनों में रखी हुई सामग्री को पानी के द्वारा ठंडा करके टिप्पलरों पर लॉजिस्टिक समस्या का हल किया गया था और इसलिए आयातित बॉयलर कोयले का सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जा सकता था।
- आयातित बॉयलर कोयले में राख सामग्री का औसत प्रतिशत जब उसकी एमसीसी से तुलना की गई तो यह 2014-15 से 2016-17 के दौरान 9.24 और 11.55 के

<sup>19</sup> स्वदेशी बॉयलर कोले के साथ एमसीसी की वार्षिक औसत सीवी को देखते हुए, समान ताप/ भाप/ ऊर्जा उत्पादन के लिए वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए एमसीसी का 1 टन, स्वदेशी बॉयलर कोयले के 1.60 टन, 1.73 टन और 2.30 टन के बराबर है

<sup>20</sup> आरआईएनएल की एमसीसी की वार्षिक औसत खरीद मूल्य और स्वदेशी बॉयलर कोयले की वार्षिक औसत कीमत के बीच में अंतर को देखते हुए, 2014-15 से 2015-16 के लिए स्पॉट ई-नीलामी के तहत 2016-17 के लिए कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई थी

बीच रही जो इसी अवधि के दौरान 24.51 और 32.93 के बीच था। इसके अलावा, आयातित बॉयलर कोयले का सकल ऊष्मीय ताप भी एमसीसी की तुलना में उच्चतर था और लागत प्रभावी भी था। इसलिए, कोयले की कीमतों के संदर्भ में अंतराष्ट्रीय बाजार में उच्च अस्थिरता के बावजूद, एमसीसी के बजाय स्वदेशी बॉयलर कोयले के साथ आईबीसी का सम्मिश्रण किफायती था। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एमसीसी की पूर्णतया अवहेलना और आईबीसी के साथ स्वदेशी बॉयलर कोयले को सम्मिश्रण किया जा सकता है।

### 13.2.7.2 भाप उत्पादन

#### i) टीपीपी बॉयलर का कम निष्पादन

टीपीपी में कोयला, कोक आवन गैस (सीओ गैस), ब्लॉस्ट फर्नेस गैस (बीएफ गैस) और फर्नेस ऑयल जैसे बहु-ईंधनों की फायरिंग के साथ उच्च दबाव (एचपी) भाप का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक 330 टन प्रति घंटा (टीपीएच) की क्षमता के पाँच बॉयलर थे जिसका उपयोग जब भी आवश्यकता होती थी स्टार्ट-अप के लिए और फ्लेम स्टेबिलिटी के लिए भी किया जाता था। बॉयलर कोयले को बाउल मिलों में पीसा जाता था और फर्नेस में प्रज्वलित किया जाता था। बॉयलर के माध्यम से उत्पादित भाप का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस के लिए चार टर्बो ब्लोअरों और फिर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। विस्तार के बाद संयंत्र की बढ़ी हुई भाप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जून 2013 में 330 टीपीएच के एक और बॉयलर-6 को चालू किया गया, जिससे भाप की कुल क्षमता बढ़कर 1,980 टीपीएच हो गई।

छ: बॉयलरों में से, एक बॉयलर को स्टैंड-बाय के रूप में रखा गया था, और शेष पाँच बॉयलर पूर्ण भार के साथ परिचालन में थे, जो 1,650 टीपीएच भाप का उत्पादन करने में सक्षम थे। ऊर्जा के संरक्षण के लिए अपेक्षित विद्युत उत्पादन करने और संसाधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम सीमा तक भाप का उत्पादन करने के लिए बॉयलरों को परिचालित करने की आवश्यकता थी। 2014-15 से 2018-19 के दौरान टीपीपी बॉयलरों द्वारा उपयोग किए गए घंटों के संबंध में भाप उत्पादन की प्रति घंटा की दर के ब्योरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका-13.2.4: प्रत्येक बॉयलर द्वारा उत्पादित भाप की प्रति घंटा दर

वर्ष	भाप (टी) हेतु एमओयू लक्ष्य	कुल टीपीपी भाप (टी)	भाप उत्पादन की प्रति घंटा दर (टी)					
			बॉयलर 1	बॉयलर 2	बॉयलर 3	बॉयलर 4	बॉयलर 5	बॉयलर 6
2014-15	130,71,480	102,89,785	253.2	252.8	263.3	253.7	273.1	275.1
2015-16	135,78,000	107,71,645	239.8	233.1	223.4	231.4	250.4	303.6
2016-17	135,78,000	104,99,682	225.2	223.5	218.3	243.2	257.5	319.2
2017-18	128,33,400	106,78,349	242.4	<b>213.1</b>	225.5	229.8	240.1	313.1
2018-19	130,61,868	112,14,754	231.5	221.7	237.9	241.6	268.7	<b>324.0</b>

उक्त से यह देखा जा सकता है कि इस्पात मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में समग्र भाप उत्पादन कम था। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान बॉयलर 1 से 5 के संबंध में प्रति घंटा भाप उत्पादन कम हो रहा था और 2017-18 और 2018-19 के दौरान थोड़ा बढ़ा/ घटा था। इसके अलावा, बॉयलर 1 से 5 तक भाप का उत्पादन 330 टीपीएच की मूल्यांकित क्षमता के संबंध में पाँच वर्षों की अवधि में अधिकतम 273.1 टीपीएच तक पहुंच गया। हालांकि, जून 2013 में नए चालू किए गए बॉयलर 6 की घंटावार दर में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सुधार हुआ था।

इसके अतिरिक्त, एचपी भाप उत्पादन हेतु टीपीपी बॉयलरों की दक्षता 74.12 प्रतिशत (2017-18) और 79.09 प्रतिशत (2014-15) के बीच थी जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-13.2.5: 2014-15 से 2018-19 के दौरान बायलरों की दक्षता

वर्ष	उपयोग किए गए घंटों के साथ टीपीपी द्वारा उत्पादित कुल भाप (टी)	उपयोग किए गए घंटों के लिए प्रति बॉयलर प्रति घंटा समग्र औसत भाप उत्पादन (टी)	बॉयलरों की दक्षता (3 / 330 x 100) (प्रतिशत)
1	2	3	4
2014-15	102,89,785	261.0	<b>79.09</b>
2015-16	107,71,645	247.7	75.06
2016-17	104,99,682	248.7	75.36
2017-18	106,78,349	244.6	<b>74.12</b>
2018-19	112,14,754	256.8	77.82

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि उच्च राख सामग्री के साथ कोयले की प्राप्ति और बरसात के मौसम में उच्च नमी के कारण और उपकरणों के पुराने होने के कारण भी भाप में कमी हुई थी यह भी बताया गया कि टीपीपी बॉयलर 1 एवं 2 के निष्पादन में सुधार

के लिए 2018-19 और 2019-20 के दौरान व्यापक पहल की गई थी और उनके इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रिसिपिटेटर (ईएसपी) रिवाइम्पिंग प्रोजेक्ट के दौरान अन्य बॉयलरों में उक्त को बदलने का काम किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमसीएल से उच्च राख सामग्री के निम्न गुणवत्ता के बॉयलर कोयले की प्राप्ति के मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्च स्तर तक ले जाकर और उसका समाधान करने से जुड़े सम्मिलित और परिपूर्ण प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हुए। उत्तर से स्पष्ट है कि कंपनी ने 2018-19 में 30 वर्ष पुराने बॉयलर 1 एवं 2 में सुधार के लिए विलंब से पहल की थी। बॉयलरों के कम निष्पादन के लिए विलंबित कार्रवाई मुख्य कारण था, जैसा कि बॉयलर 6 के बेहतर निष्पादन से स्पष्ट होता है, जो अपेक्षाकृत नया था।

### 13.2.7.3 थर्मल पावर प्लांट और सहायक विद्युत उत्पादन इकाईयों का निष्पादन

#### i) टीपीपी (बॉयलरों और टर्बो जेनेरेटर्स (टीजी)) का निष्पादन

बॉयलरों की पूंजीगत मरम्मत की योजना प्रत्येक वर्ष में एक बार 30-35 दिनों के लिए बनाई जाती थी और टर्बाइन जनरेटर्स (टीजी) की पूंजीगत मरम्मत आवश्यकता आधार पर प्रत्येक वर्ष 40 दिनों के लिए योजनाबद्ध की जाती थी। इसके अलावा, परिचालन समस्याओं के कारण, बॉयलर और टीजी अनियोजित/ अस्वाभाविक कटौती के भी तहत होंगे और मरम्मत तत्काल आधार पर की जानी थी।

#### (क) भाप उत्पादन और विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

2014-15 से 2018-19 के दौरान टर्बाइन जनरेटर (टीजी) से औसत प्रति घंटा विद्युत उत्पादन का ब्यौरा *अनुलग्नक-XXVIII* में देखा जा सकता है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

तालिका-13.2.6: 2014-15 से 2018-19 के दौरान औसत प्रति घंटा विद्युत उत्पादन

वर्ष	टीजी-1 60 मेगावाट	टीजी-2 60 मेगावाट	टीजी-3 60 मेगावाट	टीजी-4 67.5 मेगावाट	टीजी-5 67.5 मेगावाट
2014-15	45.8	49.2	48.6	48.9	59.1
2015-16	45.4	44.1	38.2	44.5	51.1
2016-17	48.9	36.5	41.6	43.9	51.3
2017-18	47.6	36.9	45.9	44.4	53.6
2018-19	48.5	50.8	48.5	55.7	58.6

आगे लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

- टीपीपी बाँयलरों द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप का औसत प्रति घंटा उत्पादन 330 टीपीएच की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति 213 टीपीएच (2017-18 में बायलर 2) और 324 टीपीएच (2018-19 में बाँयलर 6) के बीच था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु टीपीपी बाँयलरों को अस्वभाविक बंद करने के घंटे 73 घंटे (2016-17) और 780 घंटे (2014-15) के बीच थे। इन वर्षों के दौरान बाँयलरों की अस्वभाविक कटौती के कारण, कंपनी 3,17,910 टन भाप उत्पन्न करने में असमर्थ थी।
- टीजी 1,2 एवं 3 द्वारा औसत प्रति घंटा उत्पाद प्रत्येक की 60 मेगावॉट क्षमता के प्रति 36.5 मेगावॉट (2016-17 में टीजी-2) और 50.8 मेगावॉट (2018-19 में टीजी-2) के बीच था और उसी प्रकार टीजी 4 एवं 5 द्वारा प्रत्येक की 67.5 मेगावॉट क्षमता के प्रति 43.9 मेगावॉट (2016-17 में टीजी-4) और 59.1 मेगावॉट (2014-15 में टीजी-5) के बीच थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु टीपीपी के टीजी के अस्वभाविक बंद घंटे, 89 घंटे (2015-16) और 1077 घंटे (2014-15) के बीच थे। इन वर्षों के दौरान टीजी के अस्वाभाविक अनुपयोग के कारण, कंपनी 4,65,485 मेगावॉट/ घंटा विद्युत उत्पन्न करने में असमर्थ थी।
- इसके अलावा, नवम्बर 2013 में टीजी-5 के चालू होने के समय रोटार शाफ्ट के थ्रस्ट कॉलर के नियतन के पर्यवेक्षण के दौरान खराबी की पहचान करने में तकनीकी सलाहकार की लापरवाही के कारण अप्रैल से सितम्बर 2014 के दौरान 160 दिनों के लिए टीजी-5 को मजबूरन बंद किया गया था।

**(ख) अनुपयोग/ बंद करने में लिया गया समय**

वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु बाँयलर और टीजी के नियोजित अनुपयोग/ बंद करने में लिए गए समय के ब्यौरे *अनुलग्नक-XXIX* में है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

तालिका-13.2.7: बॉयलर और टीजी के योजनाबद्ध अनुपयोग/ बंद करने में लिया गया अतिरिक्त समय

(दिनों की संख्या)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
बॉयलर-1	29	22	18	21	246	336
बॉयलर-2	18	34	27	29	-	108
बॉयलर-3	51	25	8	7	-	91
बॉयलर-4	43	38	26	-	37	144
बॉयलर-5	11	31	-	25	-	67
बॉयलर-6	-	30	7	4	-	41
<b>कुल</b>						<b>787</b>
टीजी-1	-	-	-	-	139	139
टीजी-2	-	-	-	-	25	25
टीजी-3	-	-	43	-	-	43
टीजी-4	-	-	-	-	-	-
टीजी-5	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>						<b>207</b>

अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के दौरान पूंजीगत मरम्मत पर लगने वाले समय की समीक्षा करते हुए *अनुलग्नक-XXIX* से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- टीपीपी बॉयलरों के लिए 24 योजनाबद्ध पूंजीगत मरम्मत में से, 23 मामलों में प्रत्येक पूंजीगत मरम्मत के लिए निर्धारित 35 दिनों के प्रति 787 दिनों का कुल अतिरिक्त समय लिया गया था, जिसमें प्रत्येक अवसर पर अतिरिक्त समय 4 (2017-18 में बॉयलर 6) और 246 दिनों (2018-19 में बॉयलर 1) के बीच था; तथा
- टीजी में की गई तीन योजनाबद्ध पूंजीगत मरम्मत में से, सभी मामलों में, आरआईएनएल ने योजनाबद्ध दिनों की तुलना में 207 दिनों का कुल अतिरिक्त समय लिया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि टीजी-1, 2 एवं 3 की पूंजीगत मरम्मत, मशीन के अचानक टूटने और साइट पर अतिरिक्त रोटार और आंतरिक आवरण की अनुपलब्धता के कारण आपातकालीन आधार पर की गई थी क्योंकि वे बीएचईएल में मरम्मत के अधीन थे। इसने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार के विलंब को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि 2018-19 में टीजी-1 एवं 2 और 2016-17 में टीजी-3 की पूंजीगत मरम्मत के पूरा होने के विलंब मुख्य रूप से अधिप्राप्त रोटार के अलावा,

अतिरिक्त रोटर की अनुपलब्धता के कारण थे, जिसे दो साल के परिचालन के लिए 1988 में वापस लिया गया था और मई 2019 में मरम्मत से बाहर घोषित किया गया। प्रबंधन के उत्तर में बॉयलरों के लिए पूंजीगत मरम्मत पर लिये गये अतिरिक्त समय और टीजी-5 के चालू होने के दौरान खराबी की पहचान करने में तकनीकी सलाहकार की विफलता पर उल्लेख नहीं था।

इस प्रकार, वार्षिक पूंजीगत मरम्मत के लिए योजनाबद्ध से अधिक बंद करने में समय लगने से बॉयलर/ टीजी के उपयोग के घंटों में कटौती हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप भाप में कमी हुई और जिससे एपीईपीडीसीएल से परिणामी खरीद के साथ कम विद्युत उत्पादन हुआ। चूंकि बॉयलरों की प्रत्येक वर्ष में एक बार योजनाबद्ध पूंजीगत मरम्मत की जाती थी, इसलिए निर्धारित समय की अपेक्षा अतिरिक्त बंद करने का समय परिहार्य था।

## ii) अनुषंगी विद्युत उत्पादन इकाइयों का निष्पादन

निम्नलिखित तालिका में 2014-15 से 2018-19 के दौरान अनुषंगी विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा कैलेंडर घंटों, प्रयुक्त घंटों और अप्रयुक्त घंटों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

तालिका-13.2.8: उपयुक्त घंटे तथा सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा गंवाए गए घंटे

वर्ष	कैलेंडर घंटे	बीपीटीएस-1 (7.5 मे.वा.)		बीपीटीएस-2 (7.5 मे.वा.)		जीईटीएस-3 (12 मे.वा.)		
		क (प्रतिशत)	ख	क (प्रतिशत)	ख	क (प्रतिशत)	ख	
2014-15	8,760	8,121 (93)	47	7,421 (85)	752	0 (0)	0	
2015-16	8,784	8,657 (99)	64	8,501 (97)	181	0 (0)	0	
2016-17	8,760	8,473 (97)	184	8,348 (95)	361	341 (4)	0	
2017-18	8,760	7,168 (82)	1,592	8,556 (98)	204	6,749 (77)	2,011	
2018-19	8,760	8,691 (99)	69	8,164 (93)	596	597 (7)	8,213	
वर्ष	जीईटीएस-2 (12 मे.वा.)		सीओबी-4 (14 मे.वा.)		एनईडीओ परियोजना (20.6 मे.वा.)		टीआरटी (14.88 मे.वा.)	
	क (प्रतिशत)	ख	क (प्रतिशत)	ख	क (प्रतिशत)	ख	क (प्रतिशत)	ख
2014-15	6,057 (69)	1,550	7,717 (88)	359	1,424 (16)	3,414	--	--
2015-16	2,341 (27)	40	8,152 (93)	551	602 (7)	0	2,106 (24)	130

2016-17	0 (0)	0	8,624 (98)	59	1,591 (18)	0	6,445 (74)	882
2017-18	1,070 (12)	7,690	8,532 (97)	228	942 (11)	7,257	6,313 (72)	2,447
2018-19	5,076 (58)	3,684	8,350 (95)	410	75 (01)	8,685	5,671 (65)	3,089

क - प्रयुक्त घंटे (कैलेंडर घंटो का प्रतिशत); ख - नियोजित/ अनियोजित/ बलात शटडाउन के प्रति अप्रयुक्त घंटे

टिप्पणी: सीओबी-5 को मई 2018 में चालू किया गया था, अतः विश्लेषण में इस पर विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार, टीआरटी को जून 2014 में चालू किया गया था, अतः 2014-15 के लिए विचार नहीं किया गया।

अनुषंगी विद्युत उत्पादन ईकाइयों जैसे जीईटीएस-1, एनईडीओ परियोजना और टीआरटी की उपयोगिता कम थी जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में गिरावट आई और परिणामतः एपीईपीडीसीएल से विद्युत खरीदनी पड़ी। लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा की गई अनुषंगी विद्युत उत्पादन ईकाइयों में पता चला कि:

- **जीईटीएस-1 (12 मे.वा.)** - ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ)-1 से उत्पादित टॉप गैस को विद्युत उत्पादन हेतु गैस एक्सपेंशन टर्बाइन से भेजा जाता है। इस संयंत्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग उद्दीपन और चालन के लिए किया जाता है। जीईटीएस-1 का निष्पादन बीएफ-1 के गैस सफाई संयंत्र के त्रुटिपूर्ण डिजाइन और एकोटिक्स इंडिया लिमिटेड (जीईटीएस-1) द्वारा आपूरित साइलेंसर के ब्रेकडाउन के कारण कम था।
- **एनईडीओ परियोजना (20.60 मे.वा.)** - सिन्टर मशीन में सिन्टर उत्पादन के दौरान, गर्म हवा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत उत्पादन हेतु बॉयलर टर्बाइन जेनेरेटर से गुजारा जाता है। परियोजना 34 माह में निर्धारित पूर्णता (फरवरी 2012) के साथ ₹95.76 करोड़ की अनुमात लागत के साथ मई 2009 में आरंभ की गई। परियोजना को मार्च 2014 में स्थापित किया गया और मार्च 2019 तक ₹174.09 करोड़ का व्यय हुआ था। आरआईएनएल विद्युत उत्पादन हेतु एनईडीओ बॉयलर को चलाने के लिए 25 वर्ष पुरानी सिन्टर मशीन द्वारा अपर्याप्त भाप के उत्पादन के कारण एनईडीओ परियोजना का उपयोग करने में असमर्थ था, उसने सिन्टर मशीन की पूंजीगत मरम्मत किए बिना और अपेक्षित ताप इनपुट को अविवेकपूर्ण सुनिश्चित करते हुए परियोजना को लेने का निर्णय लिया था।
- **टॉप रिकवरी टर्बाइन (14.88 मे.वा.)** - ब्लास्ट फर्नेस-3 से उत्पादित टॉप गैस को विद्युत उत्पादन हेतु टर्बो जेनेरेटर के माध्यम से भेजा जाता है। उत्पादित विद्युत का उपयोग विभिन्न सहयोगी उपकरणों और उद्दीपन प्रणाली द्वारा किया जाता है।



संयंत्र को जून 2014 में शुरू किया और परीक्षण हेतु चलाया गया, तथापि, 15 माह के विलंब के साथ सितम्बर 2015 तक ही उत्पादन शुरू हो सका। संयंत्र को कुशलता से नहीं चलाया जा सका क्योंकि यह बताया गया कि ये बीएफ-3 से अपर्याप्त टॉप गैस प्रेशर (1.6 किलोग्राम/ वर्ग सेंटीमीटर<sup>21</sup>) (कि.ग्रा./ से.मी.<sup>2</sup>) प्राप्त कर रहा था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि अनुषंगी विद्युत उत्पादन ईकाइयों की उपयोगिता उन उत्पादन ईकाइयों की तरफ से विभिन्न समस्याओं के कारण कम थी जिनकी वे सहयोगी थी जैसे कि:

- बीएफ-1 की सहयोगी जीईटीएस-1 सेप्टम वाल्व क्षेत्र के निकट गैस सफाई संयंत्र (जीसीपी) में कंपन और शोर के कारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निष्क्रिय थी और जीसीपी साइड साइलेंसर ब्रेकडाउन और उच्च कंपन के कारण 2018-19 में इसकी उपयोगिता कम थी।
- बीएफ-2 की सहयोगी जीईटीएस-2 की उपयोगिता वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान बीएफ-2 श्रेणी-2 मरम्मतों के कारण कम थी;
- वर्ष 2014 में शुरू की गई एनईडीओ परियोजना हॉट सिंटर से आने वाले ताप इनपुट पर निर्भर थी और एनईडीओ बॉयलर अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण भाप उत्पादित करने में असमर्थ था। एनईडीओ परियोजना से विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा था और इसके पुनः प्रवर्तन की योजना इसके सन्दान पर थी; और
- टीआरटी शुरू करने के तत्काल बाद बीएफ-3 में कुछ उभरती समस्याओं के कारण, बीएफ-3 का टॉप गैस प्रेशर 1.6 किग्रा/ सेमी<sup>2</sup> पर नहीं पहुंच रहा था, जो कि टीआरटी से विद्युत उत्पादन हेतु अपेक्षित न्यूनतम दबाव था। इसके कारण, टीआरटी से विद्युत उत्पादन में लगभग 15 माह का विलंब हुआ और टीआरटी को बीएफ-3 से मंजूरी प्राप्त करने के बाद 25 अगस्त 2015 में दोबारा शुरू किया गया।

यह उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- जीईटीएस-1, के मामले में, यद्यपि बीएफ का टॉप प्रेशर अक्टूबर 2015 से मार्च 2017 के दौरान 18 माह में से 245 दिनों (आठ माह के बराबर) में 1.5 किग्रा/ सेमी<sup>2</sup> से अधिक था, फिर भी इसका उपयोग बीएफ-1 के गैस सफाई संयंत्र के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण विद्युत उत्पादन हेतु नहीं किया जा सका। इसी प्रकार,

<sup>21</sup> भाप का प्रेशर दर्शाने वाला माप

मई 2018 से मार्च 2019 तक 11 माह के दौरान भी 172 दिनों (छः माह के बराबर) के लिए उच्च बीएफ टॉप प्रेशर के बावजूद, आरआईएनएल बीफ-1 के लिए एकोस्टिक इंडिया द्वारा आपूर्ति साइलेंसर की खराबी के कारण विद्युत उत्पादन हेतु उच्च टॉप प्रेशर का उपयोग करने में विफल रहा;

- हालांकि, जीइटीएस-2 की उपयोगिता वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत मरम्मतों के कारण कम थी, वर्ष 2014-15 (69 प्रतिशत) और 2018-19 (58 प्रतिशत) के दौरान भी इसकी उपयोगिता कम थी;
- इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि सिन्टर मशीनें 1 और 2 पच्चीस वर्ष पुरानी थी तथा एनईडीओ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इनकी पूंजीगत मरम्मत काफी आवश्यक थी, परियोजना को 25 वर्ष पुरानी सिन्टर मशीनों की आवश्यक पूंजीगत मरम्मत किए बिना ₹174.09 करोड़ की पूंजीगत लागत पर शुरू कर दिया गया और यह विद्युत उत्पादन हेतु अपेक्षित पर्याप्त ताप प्राप्त न होने का मुख्य कारण था; और
- टीआरटी ने सितम्बर 2015 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान 7,496 मेगावाट घंटा विद्युत उत्पादन किया, जबकि बीएफ-3 में टॉप गैस प्रेशर इस अवधि के दौरान 1.6 किग्रा/सेमी<sup>2</sup> से कम था। इस प्रकार प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि टीआरटी को 1.6 किग्रा/सेमी<sup>2</sup> के टॉप गैस प्रेशर की अपर्याप्तता के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

#### 13.2.7.4 ऊर्जा संरक्षण

##### (i) अनुषंगी विद्युत खपत

अनुषंगी विद्युत खपत (एपीसी) संबंधित विद्युत उत्पादन ईकाइयों द्वारा की गई विद्युत की आंतरिक खपत है। टीपीपी स्टीम बॉयलर और विद्युत जेनरेटरों द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान एपीसी की प्रतिशतता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका-13.2.9: मुख्य टीपीपी के स्टीम बॉयलरों और विद्युत जेनरेटरों द्वारा अनुबंधी विद्युत खपत की प्रतिशतता

वर्ष	टीपीपी बॉयलरों द्वारा उत्पादित कुल भाप (टन)	भाप के उत्पादन हेतु खपत की गई कुल ऊर्जा (मे.वा.घ.)	टीपीपी के टीजी के माध्यम से उत्पादित कुल विद्युत (मे.वा.)	टीपीपी के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु खपत की गई कुल भाप (टन)	टीपीपी में प्रयुक्त भाप हेतु खपत की गई कुल ऊर्जा (मे.वा.)	टीपीपी के माध्यम से उत्पादित विद्युत हेतु एपीसी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6 = (5/ 2x3)	7 = (6/ 4x100)
2014-15	102,89,785	<b>3,52,225</b>	17,82,716	69,74,830	2,38,752	<b>13.39</b>
2015-16	107,71,645	3,85,732	18,76,396	72,63,903	2,60,120	13.86
2016-17	104,99,682	3,85,373	17,50,120	66,84,690	2,45,350	14.02
2017-18	106,78,349	4,00,250	18,34,687	69,16,868	2,59,261	<b>14.13</b>
2018-19	112,14,754	<b>4,07,667</b>	19,45,763	73,14,651	2,65,895	13.67

सीईआरसी की अधिसूचनाओं के अनुसार विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा एपीसी के लिए मानक 9 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान अकेले टीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु एपीसी 13.39 प्रतिशत (2014-15) और 14.13 प्रतिशत (2017-18) के बीच था जो 9 प्रतिशत के निर्धारित मानक से काफी अधिक था। 9 प्रतिशत के मानक से अधिक एपीसी के परिणामस्वरूप ₹230.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि इस्पात संयंत्र की विभिन्न ईकाइयों की विद्युत आवश्यकताओं के पूरा करने के अलावा, टीपीपी एवं बॉयलर गृह प्रक्रिया भाप, डीएम जल, मृदुजल, वीएसपी की विभिन्न ईकाइयों की शीतल जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इनमें से अधिकतर उपयोगिताएं पारंपरिक विद्युत संयंत्र का भाग नहीं थीं। अतः, इसकी जटिल प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उच्च एपीसी हुआ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है। आरआईएनएल के टीपीपी और बॉयलर गृह की जटिल प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, एपीसी की गणना केवल टीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु उत्पादित और प्रयुक्त भाप हेतु खपत की गई ऊर्जा (विद्युत) पर विचार करके की गई थी। लेखापरीक्षा में अन्य प्रक्रिया आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित भाप के उत्पादन के लिए एपीसी पर विचार नहीं किया गया था। अतः, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया एपीसी 9 प्रतिशत के सीईआरसी मानक के साथ काफी तुलनीय था।

## ii) विद्युत उत्पादन की लागत पर भाप की अधिक खपत का प्रभाव

विद्युत उत्पादन हेतु लागत के प्रमुख तत्व ईंधन और उपभोज्य थे। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, टीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन की कुल लागत ₹5,791 प्रति मे.वा.घ. (2015-16) और ₹7,036 प्रति मे.वा.घ. (2018-19) के बीच थी। विद्युत उत्पादन के लिए भाप प्रमुख घटक था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप की लागत (टीपीपी के टीजी द्वारा खपत की गई एचपी भाप के प्रति) कुल विद्युत उत्पादन की लागत के 87.13 प्रतिशत (2014-15) और 91.53 प्रतिशत (2016-17) के बीच थी।

टीपीपी में एक मे.वा.घ. विद्युत के उत्पादन हेतु एचपी भाप की बेंचमार्क खपत को प्रबंधन द्वारा 3.50 टन पर निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप खपत की दर 3.50 टन/ मे.वा.घ की बेंचमार्क भाप खपत दर के प्रति 3.91 टन/ मे.वा.घ (2014-15) और 3.76 टन/ मे.वा.घ. (2018-19) के बीच तक भिन्न थी। बेंचमार्क दर 3.50 टन/ मे.वा.घ पर विचार करते हुए 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप की अधिक खपत 29,91,055 टन भाप थी जो मौद्रिक संदर्भों में रूपांतरित किए जाने पर ₹382.48 करोड़ थी जिसमें टीपीपी बॉयलरों द्वारा एचपी भाप के उत्पादन हेतु व्यय की गई केवल परिवर्तनीय प्रचालन लागत पर विचार किया गया है।

प्रबंधन ने बताया, (जनवरी 2020) कि टीपीपी के टीजी न केवल विद्युत उत्पादन करते थे अपितु प्रोसेस स्टीम की भी आपूर्ति करते थे जिसे विस्तारण के कई चरणों के बाद टरबाईन से 13 एटीए<sup>22</sup> और 4 एटीए के रूप में प्राप्त किया जाता था और प्रोसेस आवश्यकताओं के लिए संयंत्र नेटवर्क को भेजा जाता था।

उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में टीजी से प्राप्त और प्रोसेस आवश्यकताओं के लिए नेटवर्क को भेजी गई 13 एटीए और 4 एटीए भाप को छोड़कर टीजी की अधिक भाप खपत (101 एटीए भाप) के बारे में बताया गया।

## iii) ट्रांसमिशन और वितरण हानियाँ

विद्युत का वितरण अंतिम उपयोक्ता के पास पहुंचने तक बड़े और जटिल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है जिसमें ट्रांसमिशन लाइनें, उप-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, केबल और अन्य उपकरण शामिल हैं। विद्युत संयंत्रों पर उत्पादित विद्युत और अंतिम उपयोक्ता स्थानों तक उप-स्टेशनों पर प्राप्त विद्युत के बीच अंतर को ट्रांसमिशन और वितरण (टीएण्डडी) हानि के रूप में माना गया है। टीएण्डडी हानि को कम करने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

<sup>22</sup> एटीए (एटमोस्फेर एक्सोल्स्यूट) भाप का दबाव मापने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली है।

लेखापरीक्षा में 2001-02 के बाद से वितरण हानि डेटा का विश्लेषण किया गया और यह देखा गया कि 2001-02 और 2002-03 में टीएण्डडी हानि 0.60 प्रतिशत थी और उसके बाद इसमें वृद्धि हो रही थी। 2014-15 से 2018-19 के दौरान टीएण्डडी हानि 3,39,824 मे.वा.घ की कुल हानि के साथ 2.26 प्रतिशत और 2.30 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि ट्रांसमिशन लाइनों और केबल नेटवर्क के रूप में लंबे ट्रांसमिशन सर्किटों को क्षमता वृद्धि के साथ जोड़ा गया था जो टीएण्डडी हानि में वृद्धि के कारणों में से एक था। आरआईएनएल द्वारा टीएण्डडी हानि को कम से कम करने वाले उपकरण के निकट हाइ वॉल्टेज सब स्टेशन उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में निष्पादित इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की समान अवधारणा का पालन करते हुए टीएण्डडी हानियों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। ऊर्जा की निगरानी के लिए पर्यवेक्षण नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली मौजूद है और प्रणाली में सुधार के साथ ऊर्जा खपत की सटीकता की निगरानी की जा सकती है और इससे टीएण्डडी हानियों को कम करने में सहायता मिलेगी।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- विद्युत संवितरण कंपनियों के बड़े नेटवर्क से तुलना करने पर, आरआईएनएल का नेटवर्क संवितरण सीमित है और इसलिए संवितरण हानियाँ 1 प्रतिशत से कम होनी चाहिए जैसा कि 2001-07 के दौरान छः वर्षों हेतु अनुरक्षित किया गया था;
- ऊर्जा खपत को लेखाबद्ध करने और टीएण्डडी हानियों को कम करने हेतु उपाय करने में दोनों एससीएडीए को समर्थ बनाने के लिए इनके एकीकरण के बावजूद वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान हानियों में वृद्धि जारी रही।

इस प्रकार, प्रबंधन को टीएण्डडी हानियों को कम करने के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है।

### 13.2.7.5 ऊर्जा लेखापरीक्षा

ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा ऊर्जा खपत पैटर्न का विश्लेषण करती है और ऊर्जा संरक्षण के सुधार का सुझाव देती है। यह प्रभावी रूप से ऊर्जा का उपयोग करके लागत नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन साधन है। प्रत्येक नामित ऊर्जा उपभोक्ता को एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा करने का निर्देश देते हुए भारत सरकार द्वारा मई 2014 में अधिसूचना जारी करने के बाद ही आरआईएनएल द्वारा पहली बार ऊर्जा लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व नवंबर 2014 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को सौंपा गया था।, तदनुसार, आरआईएनएल ने दिसंबर 2014 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान ऊर्जा लेखापरीक्षा करवाई।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन के लिए समय की पद्धति और अंतराल) विनियमावली, 2010 के अनुसार, ऊर्जा लेखापरीक्षा पिछले ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से हर तीन साल में की जाएगी। हालांकि, आरआईएनएल ने नियत तारीख अर्थात्, सितंबर 2018 तक के अंदर ऊर्जा लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया था, जैसा कि विनियमों के अनुसार निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा का अगला सत्र केवल 2 नवंबर 2019 को सौंपा गया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि इसने 17 जनवरी 2018 को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षा एजेंसी को संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू की और अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए 2 नवंबर 2019 को मैसर्स डवलपमेन्ट एनवायरनर्जी सर्विसेज को अंतिम रूप दिया। ऊर्जा लेखापरीक्षा का कार्य मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा शुरू किया गया था।

प्रबंधन के उत्तर से यह स्पष्ट था कि कंपनी निर्धारित अनुसूची के भीतर (यानी सितंबर 2018 तक) अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा करने में विफल रही। इसके अलावा, चूंकि आगामी लेखापरीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, अतः प्रबंधन द्वारा पिछली ऊर्जा लेखापरीक्षा टिप्पणियों और सुझावों/ सिफारिशों के उत्तर में रिपोर्ट की गई अनुपालन की सीमा की जांच नहीं की जा सकी।

### 13.2.8 निष्कर्ष

- मुख्य टीपीपी द्वारा प्राप्त पीएलएफ सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक से कम था। यहां तक कि 80 प्रतिशत पीएलएफ में टीपीपी के परिचालन को मानते हुए, कंपनी को एपीईपीडीसीएल से आयातित बिजली की लागत के रूप में ₹85.48 करोड़ तक की बचत हो सकती थी।
- आरआईएनएल ने बॉयलर कोयले की अधिप्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत की परिकल्पना के बिना बॉयलर कोयले और बॉयलर कोयले के साथ मिश्रित उच्च लागत वाले मध्यम कोकिंग कोल की कमी के कारण टीपीपी उत्पादन पर अंकुश लगाया जिसके कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। देशी बॉयलर कोल के साथ एमसीसी के अनुचित सम्मिश्रण के कारण कंपनी द्वारा ₹145.21 करोड़ तक की बचत समाप्त हो गई।
- बॉयलर और टरबाइन जेनरेटरों की निर्धारित क्षमताओं के अनुसार कंपनी भाप उत्पन्न नहीं कर सकी, जिसका प्रभाव बिजली उत्पादन और प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने पर पड़ा।

- बॉयलरों के अनियोजित आउटेज के कारण कंपनी ने 3.17 लाख टन की भाप उत्पन्न करने का अवसर खो दिया और टीजी के अनियोजित आउटेज के कारण भी 4.65 लाख मेगावाट की क्षमता तक बिजली उत्पन्न करने में विफल रही। इसके अलावा, इसने संयंत्र के रखरखाव के लिए आवश्यकता से अधिक समय लिया।
- जीईटीएस-1, एनईडीओ प्रोजेक्ट और टीआरटी जैसी सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों का उपयोग चूकपूर्ण डिज़ाइन/ सिंटर मशीन से अपर्याप्त उच्च गैस दबाव/ अपर्याप्त ताप मिलने के कारण खराब था, जिसके परिणामस्वरूप एपीईपीडीसीएल से विद्युत की अनुवर्ती खरीद सहित विद्युत की कमी हुई थी।
- सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक सहायक विद्युत की खपत के परिणामस्वरूप ₹230.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप की अधिक खपत, निर्धारित मानदंडों से अधिक थी, जो 29.91 लाख टन भाप के लिए संगणित थी, जब इसे मौद्रिक संदर्भ में परिवर्तित किया गया तो इसका मूल्य ₹382.48 करोड़ था।

### 13.2.9 सिफारिशें

1. आरईएनएल को सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों/ मानदंडों के अनुसार बॉयलर और टर्बाइन जेनरेटर जैसे संबद्ध संयंत्रों के साथ टीपीपी के संचालन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
2. आरईएनएल को कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते करके या ई-नीलामी के माध्यम से बॉयलर कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
3. आरईएनएल को जीईटीएस-1, एनईडीओ प्रोजेक्ट और टीआरटी जैसे सहायक विद्युत उत्पादन संयंत्रों के इष्टतम उपयोग के लिए उपाय शुरू करने चाहिए ताकि एपीईपीडीसीएल से विद्युत के आयात पर निर्भरता कम से कम हो सके।
4. आरआईएनएल को उत्पादन हानि को रोकने के लिए संयंत्र के रखरखाव के लिए आवश्यक समय को कम से कम करना चाहिए।

मंत्रालय को मामला जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जून 2020)।

## स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

### 13.3 सेल की कैप्टिव खदानों का निष्पादन

#### 13.3.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल अथवा कंपनी), भारत की एक अग्रणी इस्पात निर्माण कंपनी है जो पांच एकीकृत स्टील संयंत्रों<sup>23</sup> और तीन विशेष इस्पात संयंत्रों<sup>24</sup> का परिचालन करती है और जिसने 2018-19 के दौरान 17.51 मिलियन टन (एमटी) हॉट मेटल (एचएम) का उत्पादन किया है। लौह अयस्क, फ्लक्स सामग्री (चूना पत्थर और डोलोमाइट) और कोकिंग कोल, इस्पात निर्माण में प्राथमिक कच्चे माल हैं और उत्पादन की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। इस्पात उद्योग में सफलता के लिए निरंतर आधार पर सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक है। लौह अयस्क की आवश्यकता सेल की आबद्ध खदानों से पूरी की जाती है, जिसने 2018-19 में 28.35 मिलियन टन उत्पादन किया गया है। हालांकि, कंपनी फ्लक्स मटेरियल और कोकिंग कोल में आत्मनिर्भर नहीं थी। सेल ने 2008 में 14.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 23.46 एमटीपीए तक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) बनाई, जो कच्चे माल की आवश्यकता को आनुपातिक रूप से भी बढ़ाएगा।

सेल के पास झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, फ्लक्स और कोयले के लिए 28 आंतरिक खदानें हैं। इस्पात संयंत्रों के साथ खदानों की निकटता के आधार पर, खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए खदानों को प्रतिवर्ष इस्पात संयंत्रों से जोड़ा जाता है।

#### 13.3.2 संगठनात्मक ढांचा

निदेशक (रॉ मैटेरियल एंड लॉजिस्टिक) सेल की खनन गतिविधियों के प्रमुख हैं। कंपनी के लौह अयस्क और फ्लक्स आंतरिक खदानों के विकास, नवीनीकरण और प्रबंधन की जिम्मेदारी रॉ मैटेरियल डिवीजन (आरएमडी)<sup>25</sup> कोलकाता, भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)<sup>26</sup>

<sup>23</sup> छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी), झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल), ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) तथा आई आई एस सीओ स्टील प्लांट (आईएसपी) बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में

<sup>24</sup> दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एलाय स्टील प्लांट, तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट, झुद्रावती, कर्नाटक में वीआईएसपी

<sup>25</sup> लौह अयस्क की खदानें किरीबुरु में (केआईओएम), मेघाहतुबुरु (एमआईओएम), बोलानी (बीओएम), गुआ (जीओएम), मनोहरपुर (एमओएम), बरसुआ (बीआईएम), काल्टा (केआईएम), ताल्दीह (टीआईएम); कुटेश्वर (केटीआर) तथा भावनाथपुर (बीएनपी) चूना पत्थर की खदानें, पूर्णापानी चूना पत्थर और डोलोमाइट क्वेरी (पीएलडीक्यू), और तुलसीदार डोलोमाइट की खदानें (टीडीएमआर)।

<sup>26</sup> लौह अयस्क की खदानें राजहरा डल्लीमैकेनिकल-झरंडल्ली और कोकण पूर्व, डल्ली मैनुअल, महामाया एण्ड दुलकी, रावघाट, कलवल नगर, नंदिनी चूना पत्थर की खदानें तथा हिर्री और बारादुआर डोलोमाइट की खदानें।



और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती के पास है। कोल माइंस कोलियरीज डिवीजन<sup>27</sup> कोलकाता के नियंत्रण में है। नई दिल्ली में कॉर्पोरेट रॉ मटेरियल ग्रुप (सीआरएमजी) खदानों के अधिग्रहण तथा सांविधिक मंजूरीयों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), कोयला मंत्रालय (एमओसी), खान मंत्रालय (एमओएम) और राज्य सरकार प्राधिकरणों से संबंध रखती है। 31 मार्च 2019 (अनुलग्नक-XXX) के अनुसारसेल के पास 28 आंतरिक खदानों<sup>28</sup> के 47 खनन पट्टे हैं।

### 13.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- सेल ने अपनी आंतरिक खदानों के नवीनीकरण और विकास के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय किए,
- खदानों को प्रभावी ढंग से नियोजित उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रबंधित किया गया था;
- एमईपी के पूरा होने के बाद इस्पात संयंत्रों की बढ़ी हुई कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की गई थी; और
- सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे।

उपयोग किए गए लेखापरीक्षा मानदंड खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर 1957), ओडिशा खनिज नियम, 2007 (ओएमआर 2007), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफसीए 1980), खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआरइ 1960) थे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए 1986), वार्षिक उत्पादन योजना (एपीपी), खानों का उत्पादन रिकॉर्ड, भारतीय उपकरण ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा अनुमोदित, खनन योजना (एमपी) उपकरण के उपयोग के लिए मानक थे। लेखापरीक्षा ने 2014-19 के लिए कंपनी की सभी आंतरिक खदानों, आरएमडी एचक्यू और सीआरएमजी के रिकॉर्ड की जांच की।


<sup>27</sup> चासनाला, जीतपुर, रामनागोर और तसरा कोयला खदानें।

<sup>28</sup> आरएमडी-13, बीएसपी-9, वीआईएसपी-2 तथा कोलियरीज-4

### 13.3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 13.3.4.1 खनन पट्टे

किसी क्षेत्र में खनन परिचालन के लिए, पट्टेदार के पास वैध खनन पट्टा होना चाहिए। खनन पट्टे और संचालन प्राप्त करने में शामिल गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:



लेखापरीक्षा के दौरान, दो उदाहरणों पर ध्यान दिया गया, जहां सेल ने तकनीकी उचित परिश्रम को लागू और अलाभकारी कोयला खदानों के अधिग्रहण से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीसीवीएस) का संचालन नहीं किया। बाद में ये छोड़ दिए गए और जिससे व्यय हुई पूरी राशि निष्फल हो गई। लेखापरीक्षा ने दो उदाहरणों का भी अवलोकन किया जहां सेल समय पर अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा कर अपने खनन पट्टों को विकसित करने में विफल रहा। इससे ऐसी खदानों पर अनिवार्य किराया, स्टांप ड्यूटी आदि का भुगतान होता है। बंद खदानों को छोड़ने में भी देरी देखी गई, जिसके कारण इन खदानों के रख-रखाव पर परिहार्य व्यय भी हुआ। खदानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि में देरी, भारी मशीनरी का कम उपयोग, वैधानिक श्रमशक्ति की कम तैनाती और पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। इन पर बाद के पैरों में विस्तार से चर्चा की गई है।

#### 13.3.4.2 अलाभकारी खानों का अधिग्रहण

##### i) पर्वतपुर कोल ब्लॉक पर ₹123.66 करोड़ का निष्फल व्यय

एमईपी के पश्चात, भविष्य की क्षमता विस्तार और आयातित कोयले पर निर्भरता को दूर करने के लिए कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 880 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए, पर्वतपुर कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए एमओसी (सितंबर 2015) आवेदन किया। कोयले के ब्लॉक को सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से आवंटित किया गया था (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोयला ब्लॉक का आवंटन ओएनजीसी को आवंटित निकटवर्ती सीबीएम ब्लॉक के साथ क्षेत्र की ओवरलैपिंग के कारण कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयले के साथ-साथ निष्कर्षण के लिए ओएनजीसी के साथ 'सह विकास करार' (सीडीए) करने की शर्त के साथ किया गया था। सेल ओएनजीसी के साथ सीडीए नहीं कर सका क्योंकि खनन सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) ने सीबीएम और कोयले के एक साथ निष्कर्षण के लिए अनुमति नहीं दी (जनवरी 2017)। सेल के उपलब्ध क्षेत्र का 880 हेक्टेयर से घटाकर 463.72 हेक्टेयर और कोयले के भू-वैज्ञानिक रिज़र्व को 273.86 मिलियन टन से घटाकर 147.3 मिलियन टन कर दिया गया। क्षेत्र और रिज़र्व में कमी के कारण, सेल ने मेकॉन के माध्यम से टीसीवीएस का आयोजन किया जिसने सुझाव दिया (जनवरी 2018) कि परियोजना व्यवहार्य नहीं थी। सेलबोर्ड ने एमओसी को ब्लॉक वापस करने का निर्णय लिया (8 मार्च 2018), निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) सहित होने वाले व्यय को वापिस करने का अनुरोध किया (मार्च 2018) और साथ ही पर्वतपुर ब्लॉक के बदले संभावित कोयला ब्लॉक आवंटित करने का भी अनुरोध किया। इस बीच,

एमओसी ने सेल द्वारा इस उपलब्धि की चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (जून 2018)। एमओसी ने सेलको खादानों की व्यवहार्यता की पुनः जांच तभी करने के लिए निर्देश दिया (सितंबर 2018) यदि सेल को 880 हेक्टेयर का पूरा पट्टा क्षेत्र दिया जाए। मेकॉन ने परियोजना की व्यवहार्यता का फिर से आकलन कर ये सुझाव दिया (मार्च 2019) कि यह व्यावसायिक रूप से अलाभकारी है। सेल ने फिर से एमओसी से खादानों को छोड़ने करने का अनुरोध किया (अप्रैल 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रतिकूल भू खनन स्थिति और अन्तर्निहित उच्च गैस से अवगत था। सेल को इस बात की भी जानकारी थी कि सीबीएम ब्लॉक के साथ कोल ब्लॉक के ओवरलैपिंग के कारण परिचालन का स्तर निचले स्तरों तक सीमित रहेगा। इन प्रतिकूलताओं के बावजूद, सेल ब्लॉक के आवंटन के साथ आगे बढ़ी। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एमओसी ने आवंटन को समाप्त कर दिया (दिसंबर 2019) और कहा कि सेल ने इसे छोड़ने का निर्णय लेने से पहले खान के विकास में बहुत कम प्रगति की थी। इसने बैंक को ₹62.57 करोड़ के बीजी के नकदीकरण करने का भी निर्देश दिया जो कंपनी को अतिरिक्त नुकसान था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि ओएनजीसी के पेट्रोलियम माइनिंग पट्टे के साथ ओवरलैपिंग के कारण अनिश्चितता और आवंटन के समय विशिष्ट कोल माइनिंग पट्टे का न मिलना प्रत्याशित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेल के अनुरोध पर कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था और यह प्रतिकूल भू खनन की स्थिति और अन्तर्निहित उच्च गैस से अवगत था जिसका उल्लेख ब्लॉक आवंटन के आवेदन में था।

इस प्रकार, मार्च 2019 तक पर्वतपुर कोल ब्लॉक पर ₹123.66 करोड़<sup>29</sup> का निष्फल व्यय हुआ।

## ii) सितानाला कोल ब्लॉक पर ₹29.28 करोड़ का निष्फल व्यय

अप्रैल 2011 से परिचालन शुरू करने के लिए उच्च उत्पादकता वाली खदान विकसित करने के लिए सेलको 321 हेक्टेयर वाले सितानाला कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया था (अप्रैल 2007)। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में विलम्ब और बुनियादी ढांचे का निर्माण न होने के कारण उत्पादन शुरू नहीं हुआ। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया (अगस्त 2014)। सेल ने ब्लॉक के पुनः आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 2015) और जिसे मार्च 2015 में फिर से आवंटित

<sup>29</sup> अग्रिम राशि के प्रति ₹93.89 करोड़, पूर्व आवंटी द्वारा बनाई गई संपत्ति, खानों के निर्गमन पर ₹7.25 करोड़ तथा विद्युत, सुरक्षा, परामर्श आदि पर ₹22.52 करोड़।

किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि, झारखंड सरकार (झ.स.) द्वारा 321 हेक्टेयर में से केवल 214 हेक्टेयर की सिफारिश की गई थी (2017) क्योंकि 66 हेक्टेयर दामोदर नदी तल के अन्दर और 41 हेक्टेयर ओएनजीसी-सीआईएल को दी गई सीबीएम पट्टे के साथ ओवरलैप था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, मेकॉन द्वारा आयोजित टीसीवीएस ने दिखाया (जनवरी 2018) के अनुसार परियोजना अलाभाकारी थी। सेल ने कोयला ब्लॉक को छोड़ने का निर्णय किया (मार्च 2018) और एमओसीसे बीजी राशि वापस करने का अनुरोध किया (मार्च 2018)। एमओसी ने आवंटन को समाप्त कर दिया (अक्टूबर 2018) और सेलद्वारा किए गए बीजी एवं अन्य भुगतानों को जम्मा करने के लिए निर्देश दिया। एमओसीने आवंटन को समाप्त करते हुए कहा कि, सेल एक पूर्व आवंटनी होने के कारण कोयला ब्लॉक के बारे में पूरी तरह से अवगत था, जो कि गैस सीमा की उपस्थिति के कारण भौगोलिक रूप से अशान्त है और इसलिए सेलको पुनः आवंटन की प्रक्रिया करने से पहले टीसीवीएस करना चाहिए था। मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया कि खदान को छोड़ने के निर्णय से पहले खदान के विकास में बहुत कम प्रगति हुई थी और सेल की ओर से अनुचित देरी हुई थी। तदनुसार, मंत्रालय ने सेल द्वारा प्रस्तुत सभी भुगतानों और बीजी को विनियोजित किया।

लेखापरीक्षा में बताया गया है कि प्रतिकूल भू खनन स्थिति से अवगत होने के बावजूद अलाभाकारी कोयला ब्लॉक के पुनः आवंटन प्रक्रिया करने और पुनः आवंटन से पहले टीसीवीएस न करने के, परिणामस्वरूप ₹29.28 करोड़<sup>30</sup> का व्यय निष्फल हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, राज्य सरकार द्वारा 321 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन पट्टे न दिए जाने के कारण अनिश्चितताओं को देखते हुए, सेल को एक अनिश्चित स्थिति में लाया गया था जिसका आवंटन के समय अनुमान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेलजानताथा कि कोयला ब्लॉकभूगर्भिक स्थानों की उपस्थितिसे भौगोलिक रूप से अशान्त था और कोयला ब्लॉक को पुनः आवंटन के लिए आवेदन करने से पहले टीसीवीएस करना चाहिए था।

<sup>30</sup> भूवैज्ञानिक रिपोर्ट पर व्यय की राशि (₹10.18 करोड़), अन्य योजना व्यय (₹7.78 करोड़), अग्रिम राशि (₹0.89 करोड़), निष्पादन बीजी (₹10.43 करोड़) सहित

### 13.3.4.3 खनन पट्टों का विकास न होना

(i) **बारादुआर डोलोमाइट खदान से उत्पादन न होना:** 1970 में सेल को आवंटित बारादुआर डोलोमाइट माइन (बीडीएम) को श्रमिक अशांति के कारण 1983 में बंद कर दिया गया था और पट्टे को रद्द कर दिया गया था (जनवरी 1993)। बाद में पट्टे को सेल के लिए बहाल कर दिया गया था (1996) और जो दिसंबर 2020 तक वैध है। सितंबर 2015 में सेल को ईसी प्रदान किया गया था। एफसीदो चरणों में दिया जाता है (स्टेज I और II स्टेज I की शर्तों को पूरा करने पर, एफसीस्टेज-II प्रदान किया जाता है)। तथापि, सेलने सीए और एनपीवीको भुगतान नहीं किया और सीएराशि को अप्रैल 2019 की दरों के आधार पर ₹59.19 करोड़ तक संशोधित दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सेल ने छत्तीसगढ़ सरकार (छ.ग.स) से संशोधित एलओआई की प्राप्ति न होने के आधार पर सीए तथा एनपीवी का भुगतान नहीं किया जोकि वैध नहीं थी, क्योंकि सीए तथा एनपीवी का भुगतान एफसी स्टेज-II के लिए पूर्व अपेक्षित था और जिसका लैटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआई) के साथ कोई संबंध नहीं था। विलंब के परिणामस्वरूप ₹10.27 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई जो अपरिहार्य थी। सेल ने डेड रेंट तथा खादानों के स्टाम्प शुल्क पर ₹1.36 करोड़ भी व्यय किए। एफसी के अभाव में बारादुआर खदान से खनन शुरू नहीं हुआ था तथा बीएसपी को जैसा कि (पैरा 13.3.4.10) में चर्चा की गई है अपनी आंतरिक खदानों के अलावा स्रोत से अपनी डोलोमाइट की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) किसेल द्वारा सीए का भुगतान न करना पट्टे के विस्तार के संबंध में अनिश्चितता और सेल को डोलोमाइट खनन अधिकारों के आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के स्पष्ट इरादे के अभाव के कारण था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीएसपी प्रबंधन ने स्वयं छत्तीसगढ़ सरकार को सीए और एनपीवी की मांग जारी करने का अनुरोध किया था (नवंबर 2017)। संशोधित एलओआई के अभाव में सीए और एनपीवी के भुगतान को रोक देने का बीएसपी का फैसला उचित नहीं था क्योंकि एलओआई की प्राप्ति और सीए और एनपीवी के भुगतान के बीच कोई लिंक नहीं था। इसके अलावा, तथ्य यह है कि, एफसी की अनुपलब्धता के कारण बीडीएम पर खनन शुरू नहीं किया गया था।

### 13.3.4.4 बेगुनिया कोकिंग कोल माईन्स

4.24 मिलियन टन के रिजर्व के साथ बेगुनिया कोकिंग कोल परियोजना को विकसित करने के लिए अनुमानित पूंजी लागत ₹97.37 करोड़ (2009) थी जो जनवरी 2018 में

बढ़कर ₹172.21 करोड़ हो गई। कोयले की बढ़ती आवश्यकता और घरेलू स्रोतों से कोकिंग कोयले की आपूर्ति में लगातार कमी के साथ, उपलब्ध कोयला खानों को विकसित करना कंपनी के लिए महत्वपूर्ण था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेगुनिया कोल सीम से उत्पादन शुरू नहीं हुआ, हालांकि क्रमशः 2006 और 2008 में भू-वैज्ञानिक और कोन्सेप्टुअल रिपोर्ट तैयार की गई थीं। खनन योजना तैयार करने, ईसी प्राप्त करने और माईन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) के अनुबंध में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 15 साल बाद भी खनन कार्य शुरू नहीं हुआ। प्रबंधन ने निविदा दस्तावेज खनन योजना, खदान समापन योजना, एमडीओ के अनुबंध आदि की समीक्षा के लिए फरवरी 2019 में एक समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट (मई 2019) में अन्य बातों के साथ साथ नए तकनीकी आर्थिक अध्ययन की सिफारिश और डीपीआर बनाने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी का अनुबंध शामिल था। डीपीआर बनाने का कार्य मेकॉन को प्रदान किया गया था (दिसंबर 2019)।

उपरोक्त विलंब के परिणामस्वरूप ₹74.84 करोड़ की अधिक लागत हुई। कंपनी ने आयातित कोकिंग काल पर हुई परिहार्य अतिरिक्त लागत के अलावा मार्च 2019 तक फिजिबिलिटी अध्ययन पर भी ₹8.95 करोड़ व्यय किए थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एक बार डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया जाए तो बेगोनिया परियोजना के विकास के लिए अगामी कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी।

उत्तर परियोजना के विकास केमें विलंब के कारण को संबोधित नहीं करता है।

#### 13.3.4.5 खदानों का अभ्यर्पण

##### i) पुर्नापानी खदानों के अभ्यर्पण में विलंब के कारणपरिहार्य व्यय

पुर्नापानी खदानों के पट्टे (पीएलडीक्यू)सेल को 1960 में आवंटित किए गए थे। पीएलडीक्यूमें चूना पत्थर में अन्तर्निहित उच्च सिलिका (6 प्रतिशत) होने के कारण मार्च 2004 से खनन परिचालन को रोक दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹11.98 करोड़ के मूल्य का 3.61 लाख टन चूना पत्थर 2004 से खदान में पड़ा हुआ था। सेल ने पीएलडीक्यू के रिजर्व का उपयोग करने के लिए दो बार सीमेंट प्लांट स्थापित करने का प्रयास किया। इसने आरएसपी से स्लैग तथा पीएलडीक्यू से चूना पत्थर के उपयोग के लिए अक्टूबर 2008 में जेके सिमेंट लि. के साथ एक जेवी किया लेकिन स्लैग की प्रचलित लागत और खदान को सौंपने में असमर्थता के कारण इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया (अगस्त 2010)। मई 2019 में एक अन्य प्रयास किया गया था लेकिन

सीमेंट प्लांट को स्थापित करना आर्थिक रूप से असक्षम पाया गया क्योंकि उपलब्ध रिजर्व 30 एमटी की आवश्यकता से कम था। कंपनी ने मई 2019 में केवल पट्टे के अभ्यर्पण का निर्णय लिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि अंतिम माइन क्लोजर प्लान के अनुमोदन पर पुर्नापानी खदानों के पट्टे का अभ्यर्पण कर दिया जाएगा।

हालांकि तथ्य यह है कि, पट्टे का अभ्यर्पण में अधिक विलंब के परिणामस्वरूप 2014-19 के दौरान रखरखाव, सुरक्षा और बिजली पर ₹7.94 करोड़ तथा वेतन और मजदूरी पर ₹5.22 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

#### 13.3.4.6 भवनाथपुर चूना पत्थर की खदानों के अभ्यर्पण में विलंब

2.9 एमटीपीए की क्षमता के साथ भवनाथपुर चूना पत्थर खदान (बीएनपी) चूना पत्थर में अन्तर्निहित उच्च सिलिका (6 से 8 प्रतिशत) होने के कारण इस्पात संयंत्र के लिए उपयुक्त नहीं थी। बीएनपी खदान के उत्पादन को खराब गुणवत्ता तथा उत्पादन की अधिक लागत के कारण 2004 से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया और अप्रैल 2013 से रोक दिया गया था। एमओईएफ की अधिसूचना के अनुसार (अक्टूबर 2004), पांच हेक्टेयर पट्टे के क्षेत्र से अधिक उन सभी खनन परियोजनाओं के लिए ईसी प्राप्त करना अनिवार्य था जिन्होंने पट्टे के नवीनीकरण के समय ईसी को प्राप्त नहीं किया था। बीएनपी ने जनवरी 2013 में ईसी के लिए आवेदन किया। हालांकि एमओईएफ, ने गंभीर उल्लंघन देखा (अप्रैल 2013) क्योंकि खनन ईसी के बिना जारी था और इसलिए ईसी की स्वीकृति नहीं दी गई थी सेल ने खदान के अभ्यर्पण का निर्णय लिया (मई 2017) तथा प्रति वर्ष एक करोड़ बचाने के लिए सीआईएसएफ कार्मिकों को 85 से 65 तक कम करने की सलाह दी। अंतिम क्लोजर प्लान को मई 2019 में झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हालांकि बीएनपी से अप्रैल 2013 में उत्पादन रूक गया था फिर भी सेल ने खदानों को बंद करने के निर्णय के लिए चार वर्ष लिए जिसके परिणामस्वरूप 2014-19 के दौरान डेड रेंट के रूप में ₹1.14 करोड़ का भुगतान हुआ। इसके अलावा, नवंबर 2014 में ही प्रबंधन ने बीएनपी टाउनशिप में घरेलू विद्युत आपूर्ति प्रदान करने तथा औद्योगिक विद्युत आपूर्ति को बंद करने के लिए जेएसईबी से अनुरोध किया था। बीएनपी ने टाउनशिप में खपत के लिए औद्योगिक दरों पर 2014-19 के दौरान ₹8.43 करोड़ की 119.75 लाख युनिट बिजली की खरीद की थी तथा निवासियों से केवल ₹0.62 करोड़ ही वसूल किए गए। इसके अलावा, बंद पड़ी खदानों की सुरक्षा पर वार्षिक रूप से ₹5 करोड़ व्यय किए गए।



प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि सेल ने चूना पत्थर के पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) तथा वन मंजूरी (एफसी) तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का अध्ययन किया था। बीएनपी की औद्योगिक विद्युत आपूर्ति को घरेलू आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीएनपी खानों से उत्पादन अप्रैल 2013 से रोक दिया गया था, इसलिए, उसके बाद एफसी, ईसी और ईआईए/ ईएमपी अध्ययन प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, बीएनपी ने घरेलू कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए नवंबर 2014 के बाद जेएसईबी के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

#### 13.3.4.7 खनन परिचालन

खनन परिचालन में खदानों से रन ऑफ माइन्स (आरओएम) की खुदाई, क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र (सीएसपी) के माध्यम से लौह अयस्क के लम्प्स (आईओएल) और लोह अयस्क फाइन्स (आईओएफ) के अपेक्षित आकार में आरओएम का पृथक्करण, रेलवे साइडिंग तक अयस्कों का परिवहन और इस्पात संयंत्रों को भेजना शामिल है। सेल खनन परिचालन विभाग द्वारा या ठेकेदार द्वारा यंत्रिकृत, अर्ध-मशीनीकृत या मैनुअल साधनों द्वारा करता है।

#### 13.3.4.8 उत्पादन निष्पादन

कंपनी ने लौह अयस्क, फ्लक्स और कोयले के लिए वार्षिक इस्पात उत्पादन योजना और प्रचलित परिचालन स्थितियों पर विचार करते हुए खदान-वार वार्षिक उत्पादन योजना (एपीपी) निर्धारित की। 2014-19 की अवधि के लिए कच्चे माल की खदानों की वार्षिक निर्धारित क्षमता, एपीपी, वार्षिक उत्पादन (एपी) और वार्षिक खपत (एसी) के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 13.3.1: आंतरिक खदानों से लौह अयस्क, फ्लक्स और कोयले का एपीपी तथा एपी (मिलियन टन में)

वर्ष	लौह अयस्क				फ्लक्स सामग्री				कोयला			
	एआरसी	एपीपी	एपी	एसी	एआरसी	एपीपी	एपी	एसी	एआरसी	एपीपी	एपी	एसी
2014-15	29.72	28.57	23.18	24.26	3.81	2.53	2.10	6.43	1.14	0.92	0.62	15.00
2015-16	29.72	29.50	24.83	24.75	5.23	2.68	2.27	7.00	1.14	0.92	0.71	14.97
2016-17	39.05	28.25	26.16	25.45	5.23	2.65	2.08	7.04	1.14	1.01	0.74	14.87
2017-18	39.05	30.25	26.69	25.92	5.23	2.86	2.04	7.14	1.14	0.73	0.79	14.45
2018-19	37.80	32.98	28.35	28.64	5.24	2.65	1.87	8.04	1.14	1.01	0.74	15.25
योग	175.33	149.55	129.21	129.02	24.75	13.37	10.36	35.65	5.70	4.59	3.61	74.54

उपरोक्त तालिका से, यह देखा गया है कि एपीपी को एआरसी से कम निर्धारित किया गया था और पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे माल का उत्पादन भी एपीपी से कम था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि, यद्यपि लौह अयस्क का उत्पादन इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, फिर भी बीएसपी और आरएसपी दूरस्थ खदानों से जुड़े थे, जिससे माल ढुलाई के अंतर पर ₹295.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, फ्लक्स के उत्पादन में कमी को बाजार से ₹136.33 करोड़ के अतिरिक्त खर्च पर पूरा किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

**iii) बीएसपी द्वारा माल ढुलाई के अंतर पर ₹235.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय**

बीएसपी के एपीपी के अनुसार, 2014-19 के दौरान 39.80 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता थी, जबकि इस अवधि के दौरान राजहरा और दल्ली जो लिंकड खदान थे, से उत्पादन केवल 35.36 मिलियन टन था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि, कम उत्पादन का कारण स्ट्रिपिंग अनुपात<sup>31</sup> में वृद्धि, दल्ली माइंस में अनुबंधों को अंतिम रूप देने में देरी, दोनों खदानों की उम्र अधिक होने के कारण उपकरणों का कम उपयोग आदि थे। बीएसपी को दूरस्थ खदानों से 2.84 मिलियन टन लौह अयस्क की खरीद करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई के अंतर के कारण ₹235.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि लौह अयस्क के उत्पादन में उपरोक्त कमी को दल्ली मैनुअल खदानों और झरणदल्ली की खदानों से 1.73 मिलियन टन तक पूरा किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओईएफसीसी ने परिपत्र जारी किया (मार्च 2017) कि सभी खदानों को सितंबर 2017 तक ईसी प्राप्त करना चाहिए और ईसी की अभाव में खनन गतिविधि बंद कर दी जाएगी। कलेक्टर, बालोद ने बीएसपी को दल्ली माइंस में ईसी की अनुपलब्धता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसंबर 2016)। क्योंकि बीएसपी ने ईसी के लिए आवेदन नहीं किया था, फरवरी 2017 से खनन कार्य बंद कर दिया गया था और 2017-19 के दौरान 0.63 एमटी नियोजित उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि, झरणदल्ली की खदानों में सीएसपी खदानों से कुल लौह अयस्क फीड को संसाधित नहीं कर सका है और इसलिए बीएसपी ने सीएसपी स्थापित करने के लिए एक आदेश दिया (मई 2016) और दो साल (1.20 मिलियन टन) के लिए अगस्त 2016 से लौह अयस्क भेजा। ठेकेदार कार्यक्रम के अनुसार कार्य को निष्पादित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, 2017-19 के दौरान 1.10 मिलियन टन की कमी

<sup>31</sup> स्ट्रिपिंग अनुपात का अभिप्राय कुछ टन अयस्क निकालने के लिए प्रबंधन हेतु अपेक्षित अधिभार (या अपशिष्ट सामग्री) की मात्रा के अनुपात से है।

थी। प्रबंधन ने अयस्क की क्रशिंग और स्क्रीनिंग के लिए नया आदेश जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि आरएमडी से बीएसपी तक आईओएफ का परिवहन इस्पात बनाने के तकनीकी-आर्थिक मापदंडों का ध्यान रखने के लिए तकनीकी आवश्यकता थी और बीएसपी ग्रुप ऑफ माइंस के खराब गुणवत्ता के फाइन्स के सम्मिप्रण द्वारा परिवहन लागत की श्रुतिपूर्ति की गई थी। यह भी बताया गया है कि दल्ली खदान को बंद करना ईसी की अनुपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि खनन योग्य अयस्क के क्षय पर आधारित था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना में 0.628 मिलियन टन अयस्क 2017-18 और 2018-19 के दौरान उत्खनन के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि, एपीपी की तुलना में कम उत्पादन के कारण, लौह अयस्क के परिवहन पर उच्च भाड़ा लगाकर दूरस्थ खदानों से ले जाया जाना था। आरएमडी से कच्चे माल के परिवहन पर माल ढुलाई की लागत पिछले पांच वर्षों के दौरान 2018-19 के अंत में बीएसपी में लौह अयस्क के इन-हाउस उत्पादन की लागत के 74 प्रतिशत और 101 प्रतिशत के बीच थी, इसके अलावा, इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं थे कि आईओएफ का स्थानान्तरण इस्पात बनाने के तकनीकी-आर्थिक मापदंडों का ध्यान रखने के लिए एक तकनीकी आवश्यकता थी।

#### 13.3.4.9 बरसुआ की खदानों में माल भाड़ा के अंतर पर ₹60.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

एफसीए, 1980 की धारा 2 के अनुसार, गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए एमओईएफसीसी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक था।

ओडिशा में बरसुआ लौह अयस्क खदान (बीआईएम) के दो खनन पट्टे हैं। जनवरी 1960 में आवंटित एमएल-130 से खनन नहीं किया जाता था। अप्रैल 1960 में कंपनी को आवंटित एमएल-162 (77.94 हेक्टेयर) में वन भूमि शामिल थी और खनन नहीं किया गया था, उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से एमएल-130 से उत्खनित लौह अयस्क के लाभ एवं परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था (1961 से)। बीआईएम ने खनन अवसंरचना के विकास के लिए 77.940 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए (फरवरी 2014) आवेदन किया था, जिसे चरण I एफसी को फरवरी 2015 में और चरण II एफसी को अक्टूबर 2017 में स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमएल-162 के एफसी के अभाव के कारण, एमएल-130 पर खनन कार्य मई 2014 से मई 2018 तक रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 5.704 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कम हुआ था। इस अवधि के दौरान,

आरएसपी ने ₹60.27 करोड़ के माल दुलाई के परिहार्य अंतर के भुगतान द्वारा सेल की अन्य दूरवर्ती खदानों से 3.40 मिलियन टन लौह अयस्क की खरीद की। एफसी प्राप्त होने के बाद 20 मई 2018से बीआईएम में उत्पादन बहाल किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि तकनीकी रूप से, एफसीए 1980 का कोई उल्लंघन 28 अप्रैल 2000 तक की पहली नवीनीकरण अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमोदन के बिना वन भूमि पर बुनियादी ढांचे का विकास एफसीए का उल्लंघन था। इसके अलावा, जीओओ ने अपने कारण बताओ नोटिस (जून 2013) में यह भी कहा कि, पूर्व अनुमोदन के बिना एमएल-162 का संचालन एफसीए का उल्लंघन था।

#### 13.3.4.10 हिरीं डोलोमाइट खदानों में क्षमता के कम उपयोग के कारण अतिरिक्त व्यय

बीएसपी की डोलोमाइट की वार्षिक आवश्यकता 1.30 मिलियन टन है जो एमईपी के बाद बढ़कर 1.60 मिलियन टन हो जाएगी। हिरीं खदानों की उत्पादन क्षमता एक एमटीपीए है जहां उत्खनन विभागीय रूप से किया जाता है और अन्य खनन गतिविधियाँ जैसे क्रशिंग, परिवहन और लोडिंग को ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। मशीनों की खराब उपलब्धता और डोलोमाइट की भविष्य की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेल ने एक एमटीपीए से दो एमटीपीए के लिए ₹13 करोड़ की क्षमता विस्तार योजना तैयार की। इस उद्देश्य के लिए ईसी को फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन प्रबंधन ने विस्तार योजना को निष्पादित नहीं किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-19 के दौरान डोलोमाइट का उत्पादन 4.40 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के प्रति केवल 3.09 मिलियन टन था, जबकि बीएसपी में डोलोमाइट की वार्षिक आवश्यकता एक मिलियन टन की मौजूदा क्षमता से अधिक थी। हिरीं खदानों के विस्तार की योजना को लागू नहीं करने के कारण, बीएसपी को आंतरिक उत्पादन की लागत की तुलना में ₹136.33 करोड़ की उच्च लागत पर 2014-19 के दौरान 1.33 मिलियन टन डोलोमाइट की खरीद करनी पड़ी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि उत्पादन में कमी ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण थी और यह भी कहा कि बीएसपी द्वारा लो सिलिका डोलोमाइट की आवश्यक मात्रा की खरीद ब्लास्ट फर्नेस के तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार करने के लिए एक तकनीकी आवश्यकता थी।

खदानों के विस्तार का कार्यान्वयन न करने पर प्रबंधन का उत्तर मौन था। विस्तार के लिए अनुमानित लागत ₹13 करोड़ थी जबकि 2014-19 के दौरान बीएसपी ने ₹136.33

करोड़ मूल्य की डोलोमाइट की खरीद की। इसके अलावा, तीसरे पक्ष का प्रबंधन अच्छी परियोजना प्रबंधन के लिए स्वाभाविक है।

#### 13.3.4.11 सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन

##### i) बरसुआ खदानों द्वारा दांडिक एनपीवी और सीए पर ₹14.38 करोड़ का परिहार्य व्यय

एफसी के अभाव में मई 2014 से मई 2018 तक बारसुआ खदानों पर खनन रोकने पर ऊपर पैरा 13.3.4.10 में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया है कि एफसीए 1980 की धारा 2 (ii) यह निर्धारित करती है कि गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए एमओईएफसीसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अननुपालन के मामले में, राज्य सरकार उपयोगकर्ता एजेंसी से दांडित एनपीवी और सीए का शुल्क लेगी।

जीओओ ने उल्लेख किया (जून 2013) कि कंपनी द्वारा कोई खनिज निष्कर्षण नहीं किया गया था और पट्टा क्षेत्र में की गई स्थापना एमएल-130 से किया गया उत्खनन लौह अयस्क के प्रसंस्करण और परिवहन के लिए थी, जो पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों से एक स्पष्ट विचलन तथा एफसीए 1980 की धारा 2 के प्रावधान का उल्लंघन था। उपरोक्त उल्लंघनों के लिए जीओओ द्वारा कारण बताओ नोटिस (जून 2013) जारी किया गया था। बीआईएम ने खनन अवसंरचना के विकास के लिए 77.940 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए आवेदन (फरवरी 2014) किया था, जिसे चरण I एफसी को फरवरी 2015 में और चरण II एफसी को अक्टूबर 2017 में स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बारसुआ के एमएल-162 में बिना मंजूरी के गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग पर एफसीए 1980 के अनुपालन के कारण, दंडनीय एनपीवी और सीए (एनपीवी ₹12.27 करोड़ और सीए ₹2.11 करोड़) के रूप में ₹14.38 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एफसी अधिनियम, 1980 के अधिनियमन के लागू होने से पहले वन भूमि पर स्थापना बनाई गई थी और यदि इनके परिचालन रोक दिए जाते तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित अधिनियमों और नियमों के अनुपालन में खनन गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी।

##### ii) बोलानी खदानों द्वारा उच्चतम दर पर लौह अयस्क पर रॉयल्टी का भुगतान

ओएमआर 2007 का नियम 10(5) यह निर्धारित करता है कि पट्टेदार, उचित ड्रेसिंग, स्टैकिंग, ग्रेडिंग और विश्लेषण के बाद ऐसे खनिजों को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवेदन करेगा। ओएमआर, 2007 के नियम 10 (7) के अनुसार, यदि पट्टेदार

निर्धारित की गई रॉयल्टी की उच्चतम दर का भुगतान करने की घोषणा की जाती है, तो स्टैकिंग और नमूना चयन समाप्त कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओएम प्रबंधन ने ओएमआर 2007 के प्रावधानों का पालन नहीं किया और इसकी गतिशील प्रकृति के आधार पर अयस्क के स्टैकिंग से छूट (18 अगस्त 2012) की मांग की। जीओओ ने बीओएम को इस शर्त के साथ छूट दी (23 अगस्त 2012) कि पट्टेदार खदान से भेजे गए लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी की उच्चतम दर का भुगतान करेगा। बीओएम रॉयल्टी की अधिकतम दर का भुगतान अगस्त 2009<sup>32</sup> से कर रही है। प्रबंधन ने कारणों का हवाला देते हुए कहा कि दैनिक लोड की गई सामग्री की मात्रा को देखते हुए स्टैक तैयार करने के लिए बीओएम में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीओएम प्रबंधन ने पिछले 10 वर्षों से ओएमआर 2007 के प्रावधानों का पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया और उच्चतम दर पर रॉयल्टी का भुगतान करके स्टैकिंग से छूट प्राप्त करने का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, बीओएम के पानपोश खदान में, खनन ठेकेदार के माध्यम से किया गया था जो पट्टा क्षेत्र के अंदर मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से आरओएम को फाईन्स, लम्पस और ओवरसाइज लम्पस में अलग करता है और सीधे रेलवे के संबंधित भंडार में पहुंचाता है। इस तथ्य के बावजूद कि पानपोश खदान के पट्टे क्षेत्र के अंदर फाईन्स आरओएम से अलग किया जाता है, आईओएफ पर रॉयल्टी की कम दर का लाभ उठाने के लिए पट्टे के क्षेत्र के अंदर फाईन्स का अलग से ढेर नहीं लगाया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि 4000 टन के स्टैक को तैयार करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। चूँकि अलग लोडिंग साइडिंग उपलब्ध नहीं है, पानपोश खदान से फाईन्स के अलग-अलग प्रेषण भी व्यवहार्य नहीं थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, चूँकि बीओएम का कुल पट्टा क्षेत्र 1321.45 हेक्टेयर था, प्रबंधन ने स्टैकिंग के स्थान लिए केवल 11.40 हेक्टेयर की आवश्यकता का आकलन किया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने अयस्कों के स्टैकिंग और ग्रेडिंग पर ओएमआर 2007 के प्रावधानों का पालन करने के लिए किसी भी सलाहकार की नियुक्ति या व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था।

---

<sup>32</sup> जीओओ (सितंबर 2010) आईओएलकी आईबीएम दर या प्रसंस्कृत रूप अर्थात आईओएफ और कैलिब्रेटेड लंप अयस्क(सीएलओ) अगस्त 2009 से जो भी उच्चतर हैं पर खदानों से उत्पादन पररॉयल्टी वसूलने के लिए अधिसूचित करती है।

इस प्रकार, बोलानी की खदानों उच्चतम दर पर लोहे के अयस्कों पर रॉयल्टी का भुगतान जारी रख गया, जिसके परिणामस्वरूप 2014-19 के दौरान रॉयल्टी के भुगतान के अंतर पर ₹451.79 करोड़<sup>33</sup> का अतिरिक्त व्यय हुआ है जो समय बीतने के साथ बढ़ जाएगा।

### iii) मनोहरपुर लौह अयस्क खदान (एमओएम) में अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान

झारखंड खनिज पारगमन चालान विनियमावली, 2005 और झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के अनुसार, सभी खनिकों को पट्टे क्षेत्र से लौह अयस्क के प्रेषण के लिए पारगमन/ परिवहन चालान प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए, खदानों को उत्खनित लौह अयस्क की उचित ट्रेसिंग, स्टैकिंग और ग्रेडिंग को बनाए रखना था और जिला/ सहायक खनन अधिकारी (डीएमओ/ एएमओ) को रॉयल्टी भुगतान के प्रमाण के साथ विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करके आवेदन करना था। डीएमओ/ एएमओ ने पारगमन चालान को मंजूरी देने के लिए सात दिनों के भीतर अयस्कों की गुणवत्ता और सत्यापन रिपोर्ट का सत्यापन करता है। हालाँकि, किसी भी विश्लेषण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी यदि खदानों ने आईबीएम द्वारा घोषित रॉयल्टी की उच्चतम दर का भुगतान करता है (65 प्रतिशत या उससे अधिक एफई<sup>34</sup> के अयस्क के लिए)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओएम ने 62-65 प्रतिशत ग्रेड के लौह अयस्क के लम्पस/ फाईन्स भेजे थे और प्रेषित अयस्क की गुणवत्ता के आधार पर रॉयल्टी (अप्रैल 2016 से दिसंबर 2017) का भुगतान किया जा रहा था। हालाँकि, खनन निरीक्षक की अनुपलब्धता की याचिका पर लौह अयस्क में एफई तत्व 65 प्रतिशत या उससे अधिक (जनवरी 2018 और फरवरी 2019 के दौरान) घोषित किया गया था और उच्चतम ग्रेड (65 प्रतिशत या उससे अधिक) पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹7.88 करोड़ की रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि डीएमओ, चाईबासा कार्यालय द्वारा नमूने के अभाव में और इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए, इस अवधि के दौरान रॉयल्टी की उच्चतम दर पर भुगतान किया गया था। चूंकि फरवरी 2019 से, सरकारी लैब में विश्लेषित वास्तविक गुणवत्ता पर सभी रॉयल्टी भुगतान किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता को वास्तविक गुणवत्ता की तुलना में अयस्क की उच्चतम श्रेणी (65 प्रतिशत) पर घोषित किया गया था जिसे खनन निरीक्षक से किसी भी नमूने की आवश्यकता नहीं थी।

<sup>33</sup> लम्पस और फाईन्स के उच्चतम ग्रेड के लिए रॉयल्टी की दर को लिया गया है।

<sup>34</sup> लौह तत्व।

**iv) अस्वीकृत चूना पत्थर के चिप्स पर रॉयल्टी का भुगतान**

दिसंबर 2028 तक वैधता के साथ 526.34 हेक्टेयर के लिए नंदिनी चूना पत्थर की खदानें (1,959) पट्टे पर दी गईं। लेखापरीक्षा में बताया गया है कि नंदिनी से खनन किए गए चूना पत्थर के चिप्स उच्च सिलिका तत्व के थे और इस्पात बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। अस्वीकृत चिप्स का संचित स्टॉक 10.05 मिलियन टन था (मार्च 2019)। लेखापरीक्षा ने आगे उल्लेख किया कि उपरोक्त स्टॉक में से, 2006 से 2019 के दौरान 1.04 मिलियन टन अस्वीकृत चिप्स उत्पादित हुए थे और इस स्टॉक पर रॉयल्टी के रूप में ₹6.58 करोड़ का भुगतान किया गया था।

एमसीआर, 1960 के नियम 64ख (2), में यह प्रावधान है कि, यदि आरओएम खनिज को पट्टा क्षेत्र से हटाकर बाहर स्थित प्रसंस्करण संयंत्र पर भेज दिया जाता है, तो रॉयल्टी केवल अप्रसंस्कृत आरओएम पर प्रभार्य होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएसपी खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित था। चूँकि खनिज की क्रशिंग के लिए खनन पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले जाना आवश्यक था, इसलिए अस्वीकृत चिप्स सहित आरओएम पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेल ने खनन पट्टे के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए ताकि सीएसपी खनन पट्टे के दायरे में आ जाए और अस्वीकृत चिप्स पर रॉयल्टी के भुगतान से बचा जाए। प्रबंधन ने खनन पट्टे के क्षेत्र में सीएसपी और स्टैकिंग क्षेत्र को लाने के लिए अतिरिक्त 22.69 हेक्टेयर के खनन पट्टे के लिए देर से आवेदन किया (मार्च 2015) जो राज्य के अधिकारियों के पास लंबित (फरवरी 2020) है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए रुचि प्रकटन जारी किया जा रहा था, जहां आरओएम से 0-10 मिमी आकार के चिप्स को अलग करने के लिए इन-पिट स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर चिप्स के अनावश्यक परिवहन से बचने के लिए संयंत्र को केवल लम्प्स का परिवहन किया और इस आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया।

हालांकि यह तथ्य यह है कि प्रबंधन द्वारा कदम उठाने में देरी के परिणामस्वरूप अस्वीकृत चिप्स की रॉयल्टी के रूप में ₹6.58 करोड़ परिहार्य व्यय हुआ।

**v) ईसी और संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना खनन**

एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) में प्रावधान है कि ईसी के बिना किसी भी खनिज का निष्कर्षण अवैध/ गैर कानूनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अपने निर्णय में निर्देश दिया (2 अगस्त 2017) कि यदि कोई खनन कार्य एफसी अधिनियम, ईपी अधिनियम या ऐसी किसी अन्य कानूनी



आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, तो खनन कार्य अवैध या गैर कानूनी होगा। वर्ष 1993-94 में उत्पादन को ईसी की क्षमता निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में माना जाना था। खनन योजना या ईसी के अंतर्गत अनुमन्य 2000-01 से अधिक मात्रा में निकाले गए अयस्क को अवैध खनन कहा जाएगा और बरामद खनिज की 100 प्रतिशत लागत के बराबर मुआवजा लिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएमडी के अंतर्गत खदानों में ईसी/ सीटीओ के अंतर्गत अनुमत मात्रा से अधिक 2000-01 से 43.61 मिलियन टन लौह अयस्क और 0.40 मिलियन टन चूना पत्थर का उत्पादन किया गया है। इसे अवैध खनन के रूप में मानते हुए जीओओ, ने बीआईएम, केआईएम और बीओएम में अधिकखनन के लिए, मुआवजे/ जुर्माना के रूप में ₹204.58 करोड़ की मांग की थी (सितंबर/ अक्टूबर 2017)। इसके अलावा, जीओजेने केआईओम, एमआईओएम, जीओएम, एमओएम और बीएनपी में अवैध खनन के लिए सितंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच ₹1,425.60 करोड़ के आठ मांग नोटिस जारी किए। सेल ने जीओओ को ₹66.89 करोड़ का भुगतान किया (दिसंबर 2017) और जीओजे को ₹200 करोड़ का मुआवजा दिया। हालांकि, सेल ने ओडिशा और झारखंड के उच्च न्यायालयों में पूरी मांग के विरुद्ध अपील की है और उसे शेष राशि के भुगतान से रोक दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन आरएमडी के अंतर्गत अपनी आंतरिक खदानों में अतिरिक्त खनन से अवगत था और वित्तीय प्रभावों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों के सामंजस्य की आवश्यकता थी। आवश्यक सांविधिक मंजूरी से अधिक खनन के कारण, सेल ने न केवल ₹266.89 करोड़ का भुगतान किया, बल्कि अवैध खनन के कारण मुआवजे के रूप में भारी राशि के भुगतान करने का जोखिम भी उठा रहा है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सीईसी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार आरएमडी के लौह अयस्क खदानों में ईसी के अंतर्गत निर्धारित और उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त सीमा से अधिक लौह अयस्क खनन केवल 7.77 मिलियन टन (अर्थात् 1993-94 के दौरान वास्तविक उत्पादन प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमत उत्पादन है जब तक कि खनन पट्टे में ईसी नहीं था) था।

यह प्रबंधन के उत्तर से स्पष्ट है कि अधिक खनन हुआ था और इसे राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों का मिलान करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक उत्पादन की मात्रा पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकें। इसके अलावा, चूना पत्थर के खनन पर लगाए गए जुर्माने पर उत्तर मौन था।

### 13.3.4.12 संविदात्मक मुद्दे

#### i) तुलसीदामर खदानों में अयोग्य बोलीकर्ता को कार्य देना

सेल ने 2.5 लाख टन डोलोमाइट बढ़ाने तथा भेजने और प्रति वर्ष 78,000 कुम अपशिष्ट के निपटान के लिए तुलसीदामर खदानों में दो साल के लिए समग्र खनन कार्य के लिए निविदा जारी की (जून 2016)। पांच बोलियाँ प्राप्त हुईं और 60:40 के अनुपात में मेसर्स अशोक कुमार (जनवरी 2017) और मेसर्स आर.एस. ग्रेवाल एंड कंपनी (नवंबर 2016) को क्रमशः ₹28.78 करोड़ और ₹19.19 करोड़ के लिए कार्य आदेश दिए गए।

बोलीदाताओं और सेल द्वारा हस्ताक्षरित अखंडता संधि की धारा 2 (1 बी) के अनुसार, बोलीदाता कोई भी अज्ञातअनुबंध या समझौता, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलिज़ेशन को लागू करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अन्य बोलीदाता के साथ नहीं करेगा। इसके अलावा, अखंडता संधि की धारा 3 यह निर्धारित करती है कि यदि बोलीदाता ने उपरोक्त धारा का उल्लंघन किया है, तो सेलबोली लगाने वाले को अयोग्य ठहरा सकती है या व्यावसायिक व्यवहार के प्रतिबंध पर दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अखंडता संधि के प्रावधानों के उल्लंघन में दो फर्मों (मेसर्स आरएस ग्रेवाल एंड कंपनी और मेसर्स प्रोग्रेसिव कॉन्सर्न कॉर्पन) के दो समान भागीदार (श्री शिवपूजन यादव और श्री अभय प्रसाद) थे, जिन्हें निविदा समिति (टीसी) द्वारा नोट किया गया था (जुलाई 2016)। कंपनी के कानूनी अनुभाग ने एनआईटी की शर्तों के अनुसार पात्रता पर विचार करने की सलाह दी (अगस्त 2016)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टीसी ने अखंडता संधि और कानूनी अनुभाग की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और ठेका मेसर्स आर.एस. ग्रेवाल एंड कंपनीको दे दिया (नवंबर 2016)। प्रबंधन ने अभिसंधि को रोकने के लिए उचित परिश्रम नहीं किया और एक ऐसे बोलीकर्ता को ठेका दिया जिसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2020) कि इंटर-कनेक्टिविटी खंड को अब पात्रता मानदंड का हिस्सा बना दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

#### ii) बोलानी में टेलिंग तालाब परियोजना पर ₹8.86 करोड़ का निष्फल व्यय

टेलिंग तालाब से पानी के उद्धार के लिए कार्य को फरवरी 2013 तक पूरा किए जाने के लिए ₹9.78 करोड़ में किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल) को दिया गया था (सितंबर 2011)। सितंबर 2016 तक उपकरणों की आपूर्ति पूरी हो गई थी, लेकिन अब तक कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। केबीएल ने अनुबंध के वाणिज्यिक समापन के लिए (फरवरी 2017) अनुरोध किया था जिस पर नवंबर 2018 में प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकरणों की आपूर्ति के बाद, कार्य स्थल के पास रहने वाले ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण सिविल और निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके। प्रबंधन ने कार्य स्थल पर अतिक्रमण देखा (सितंबर 2013), लेकिन पांच साल की अवधि के बाद भी ठेकेदार को बाधा रहित कार्यस्थल प्रदान करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, टेलिंग बांध का कार्य पूरा नहीं हुआ और परियोजना पर ₹8.86 करोड़ का निष्फल व्यय हुए।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2020) कि, वे पार्टी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों के फलदायक उपयोग और अनुबंध के वाणिज्यिक समापन के लिए प्रयास कर रहे थे। भूमि विवाद का समाधान होने के बाद शेष कार्य किया जाएगा।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि आपूर्ति की गई सामग्री की गारंटी समाप्त हो गई थी और पार्टी द्वारा प्रस्तुत बीजी भी फरवरी 2019 में वापस कर दिया गया था। प्रबंधन को अनुबंध देने से पहले भूमि अभिगम्यता का निर्धारण करना चाहिए था।

#### 13.3.4.13 उत्पादन क्षमता का विस्तार

सेल ने एमईपी के बाद लौह अयस्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरएमडी के अंतर्गत मौजूदा खदानों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। 2008-09 के दौरान केआईओएम, एमआईओएम और बीओएम के लिए समग्र परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (सीपीएफआर) तैयार की गई थी। जीओएम के लिए विस्तार योजना को मार्च 2010 में मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एमईपी परियोजनाएं पूरा होने के निर्धारित समय से पीछे चल रही थी और 31 मार्च 2019 को पूरा नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 13.3.2: खदानों में किए गए एमईपी परियोजनाओं की स्थिति

खदान का नाम	वर्तमान क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित बढ़ी हुई क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	पैकेजों की संख्या	अनुबंध लागत (₹ करोड में)	पूर्ण पैकेजों की संख्या	पूर्ण कार्य की लागत (₹ करोड में)	शेष लागत को निष्पादित किया जाना है (₹ करोड में)
बीओएम	4.10	10.00	26	377.55	4	291.00	86.55
केआईओएम	4.25	5.50	13	95.41	12	74.14	21.27
एमआईओएम	4.30	6.50	5	105.77	3	75.00	30.77
जीओएम	2.40	10.00	5	1,926.95	शून्य	26.06	1,900.89
<b>योग</b>	<b>15.05</b>	<b>32.00</b>	<b>49</b>	<b>2,505.68</b>	<b>19</b>	<b>466.20</b>	<b>2,039.48</b>

उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर अवलोकन पर नीचे चर्चा की गई है:

**i) बोलानी अयस्क खदान**

- सेल ने ₹123 करोड़ के लिए बीओएम की लोडिंग क्षमता को 4.10 से बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी (जून 2008) और फरवरी 2010 तक पूरा करने के लिए टेकप्रो सिस्टम्स लिमिटेड (टीएसएल) को ₹104.15 करोड़ में दिया गया। (अगस्त 2008) लेखापरीक्षा ने पाया कि बकैट व्हील रिक्लेमेशन जो परियोजना का हिस्सा था, नवंबर 2013 में ढह गया। प्रबंधन की एक समिति ने पाया कि घटना का मूल कारण रिक्लेमेशन संरचना का अनुचित डिजाइन और काउंटर वेट की गणना और काउंटर वेट ब्लूम का जोड़ा जाना था। जोखिम अधिप्राप्ति अधिसूचना (आरपीएन) अगस्त 2014 में जारी किया गया था और शेष कार्य को 24 उप पैकेजों में विभाजित किया गया था, जिसमें से 19 पूर्ण हो चुके थे, दो प्रगति पर थे और तीन पैकेजों की निविदा प्रक्रिया चल रही थी। अब तक सेल ने इस परियोजना पर ₹118 करोड़ खर्च किए थे और इसे पूरा किया जाना बाकी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2017 में टीएसएल दिवालिया हो गया। प्रबंधन ने इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी<sup>35</sup>) के समक्ष ₹18.99 करोड़ का दावा किया (मई 2018), जिसे समयबाधित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि मामला आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी कानून के साथ उठाया गया था।

निर्धारित समय के भीतर आईआरपी के समक्ष दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारणों पर प्रबंधन का उत्तर मौन था।

- बीओएमकी उत्पादन क्षमता को 4.10 से बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की परियोजना को ₹254.55 करोड़ में मंजूरी दी गई (नवंबर 2011)। कन्वेयर और क्रशिंग/ स्क्रीनिंग बिल्डिंग के संस्थापन/ उन्नयन का प्रमुख कार्य टेकनो फैब मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड (जनवरी 2012) को जनवरी 2014 तक पूरा करने के लिए ₹104.24 करोड़ में दिया गया। ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण, बीओएम ने ठेकेदार को आरपीएनजारी किया (फरवरी 2017) और शेष कार्य को चार उप पैकेजों में विभाजित किया गया। इस परियोजना पर अब तक ₹173 करोड़ व्यय किए जा

<sup>35</sup> अधिनिर्णय प्राधिकारी ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधान के तहत इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सिफारिश के लिए इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का संदर्भ दिया

चुके हैं जिसे अभी पूरा किया जाना बाकी था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कामकाजी मोर्चों को प्रदान करने में बीओएमकी अक्षमता, वैधानिक मंजूरी की कमी और लिंकड पैकेजों को पूरा करने में देरी के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता बढ़ाने में देरी हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि परियोजना की अवधारणा और आदेश देते समय वैधानिक मुद्दे नहीं थे। आरपीएन पैकेजों को अंतिम रूप देने और पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ताकि लिंक किए गए पैकेजों के लिए स्पष्ट फ्रंट प्रदान किया जा सके। आईआरपी के समक्ष ब्याज सहित ₹51.86 करोड़ के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया था और अस्वीकृति के प्रति, एनसीएलटी, कोलकाता के समक्ष दावे के प्रवर्तन के लिए आवेदन किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सांविधिक मुद्दों के समाप्त होने से पहले भी बीओएम की ओर से देरी हुई थी। बीओएम ने डी और पानपोष क्षेत्र का एक हिस्सा अप्रैल 2014 में ठेकेदार को निर्धारित समाप्ति की तिथि अर्थात् जनवरी 2014 को समाप्त होने के बाद सौंपा था। परिसमापक ने (जनवरी 2020) इस आधार पर कि, दावे को प्रमाणित नहीं किया गया, विभिन्न मामलों में पक्षकारों के बीच लंबित मामले और दूसरे पक्षों को सेल द्वारा देय पर्याप्त राशि के ₹51.86 करोड़ के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

## ii) मेघाहातुबुरु लौह अयस्क की खदानें

एमआईओएमकी उत्पादन क्षमता को 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष प्राप्त करने के लिए, प्रबंधन ने मई 2012 तक पूरा किए जाने के लिए ₹105.77 करोड़ के पांच पैकेजों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। क्रशिंग, स्क्रीनिंग, डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम के संवर्धन और रीक्लेमर के प्रतिस्थापन के लिए मुख्य पैकेज का कार्य अप्रैल 2012 तक पूरा किए जाने के लिए ₹72.02 करोड़ में मेसर्स टेकप्रो सिस्टम्स लिमिटेड (टीएसएल) को दिया गया (मई 2010)। टीएसएल ने अगस्त 2014 में काम छोड़ दिया और उन्हें ₹57.35 करोड़ का भुगतान किया गया। आरपीएन के अंतर्गत छोड़े गए कार्य को दिसंबर 2015 में हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) और मेसर्स लिप्टन प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड को दिया गया (अक्टूबर 2017) था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरपीएनके अंतर्गत संपूर्ण अनुबंध को देने में प्रबंधन को तीन साल का समय लगा, जिसने कंपनी को अंतिम दावे में देरी के कारण कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया। अगस्त 2017 में टीएसएलदिवालिया हो गया और सेल ने 30 मई 2018 को आईआरपी के समक्ष ₹7.72 करोड़ का दावा किया जिसे समयबाधित नहीं माना गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कार्पोरेट लॉ के साथ उठाया गया है।

### iii) गुआ अयस्क खदान का विस्तार

सेल ने ₹2952 करोड़ के लिए चारमिलियन टन प्रतिवर्ष के पेलेट संयंत्र की स्थापना के साथ जीओएम का विस्तार 2.4 से 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक करने के लिए अनुमोदित (मार्च 2010) किया। यह परियोजना पेलेट उत्पादन के लिए जीओएम में डंप किए गए लौह अयस्क फाईन्स, स्लाइम्स और भविष्य के उत्पादन के अपशिष्टों के लाभदायक उपयोग के लिए एक प्रमुख परियोजना थी। क्रशिंग, बनेफिसीएसन और पेलेट प्लांट की स्थापना का ठेका एलएंडटी को ₹1926.95 करोड़ में 40 महीने के अन्दर पूरा करने के लिए दिया गया था (अप्रैल 2014)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीओएम के लिए स्टेज II एफसी प्राप्त किए बिना कार्य दिया गया था। प्रारंभिक कार्यों के लिए कार्य स्थल एलएंडटी को नहीं सौंपा जा सका था और अनुबंध अक्टूबर 2018 में समाप्त कर दिया गया था। एल एंड टी ने प्रारंभिक ड्राइंग, संयंत्र के डिजाइन और आपूर्ति, उपकरण और भवन संरचना के लिए कुल अनुबंध मूल्य के पांच प्रतिशत के लिए ₹93.08 करोड़ का दावा किया (जनवरी 2016) है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया था। प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एलएंडटी ने 44 महीनों के लिए मोबिलाइजेशन, मिट्टी की जांच, एनएमडीसी की सामग्रियों के परीक्षण और विदेशी प्रयोगशाला, इंजीनियरिंग लागत आदि जैसे कार्यों पर व्यय किया था, जिसके लिए एक उचित राशि का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बनेफिसीएसन और पेलेटाइजेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ₹25.05 करोड़ मेकॉन को भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि वे कंसोर्टियम के साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने की प्रक्रिया में थे। मेकॉन पर व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता है क्योंकि तैयार किए गए आधार दस्तावेजों को संशोधित योजना की तैयारी के लिए सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेल द्वारा संदर्भित किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि एलएंडटी ने उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए ₹250 करोड़ से अधिक का दावा किया है और सेल पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण समझौतों की प्रक्रिया में है।

### 13.3.4.14 कच्चे माल का परिवहन

i) **बोलानी खदानों में अधिक भूमि को अभ्यर्पित करने में देरी के कारण परिहार्य व्यय**  
रेलवे साइडिंग के लिए लाइसेंस के आधार पर रेलवे से बोलानी खदान ने 38.504 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (अप्रैल 2008)। जब रेलवे द्वारा भूमि लाइसेंसिंग शुल्क बढ़ाया गया, तो प्रबंधन ने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नई भूमि लाइसेंसिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए राइट्स (आरआईटीईएस) को शामिल करने का निर्णय किया (मार्च 2011) और क्षेत्र को कम करने की संभावना पर ध्यान दिया। राइट्स ने बताया कि खदानों द्वारा अधिग्रहित 38.504 एकड़ जमीन की बजाय 19.016 एकड़ भूमि की आवश्यकता है (अक्टूबर 2011)। इसने बीओएम को पहले से ही स्थापित बुनियादी ढांचे की कुल भूमि का सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया। बीओएम ने रेलवे भूमि के सर्वेक्षण का कार्य दिया (अक्टूबर 2017) और छह साल के अंतराल के बाद ₹0.07 करोड़ की भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किया। जनवरी 2018 में पूरा होने वाला कार्य मार्च 2019 तक पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रेलवे भूमि पर लौह अयस्कों को लोड करने के लिए बीओएम द्वारा विभिन्न स्थानों पर संरचनाओं का निर्माण किया गया था जिन्हें राइट्स द्वारा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि वे योजना में शामिल नहीं थे। अनियोजित संरचनाओं की उपस्थिति ने भूमि की आवश्यकता के पुनः निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि के गैर अभ्यर्पण को आवश्यक बना दिया। यदि प्रबंधन ने भूमि को उचित उपयोग करने के लिए संरचनाओं का नियोजित निर्माण किया होता तथा अधिशेष भूमि को प्रारंभिक चरण में ही अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया होता तो अधिशेष भूमि के लिए 2014-19 के दौरान ₹27.37 करोड़ के भुगतान को टाला जा सकता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि रेलवे साइडिंग के लिए केवल 19.016 एकड़ भूमि की आवश्यकता को खान में उपलब्ध रिकॉर्ड/ पत्राचार से सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राइट्स ने बताया था (20 अक्टूबर 2011) कि बोलानी खानों में साइडिंग के लिए आवश्यक भूमि 19.016 एकड़ थी।

ii) **एमआईओएम में अतिरिक्त भूमि के अभ्यर्पण में देरी के कारण परिहार्य व्यय**

एमआईओएम ने लौह अयस्क के प्रेषण के लिए करमपदा में निजी साइडिंग के लिए 9.072 एकड़ भूमि के लिए जून 2005 में रेलवे के साथ एक करार किया। करार के अनुसार, सेल को बाजार मूल्य के छह प्रतिशत वार्षिक मूल्य पर लाइसेंस फीस का भुगतान करना था जिसे हर पांच साल में संशोधित किया जाना था। सेल ने पाया कि रैक संचलन के लिए केवल 1.107 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा था तथा 7.965 एकड़

अप्रयुक्त भूमि को अभ्यर्पित करने का निर्णय (जुलाई 2013) लिया गया। रेलवे ने संशोधित योजना प्रस्तुत करने का सुझाव दिया (नवम्बर 2013) तथा सेल ने फरवरी 2017 में एक सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार ने (मई 2017) संशोधित योजना तैयार करने के लिए सेल को भूमि करार योजना, साईडिंग करार, भूमि लाइसेंस करार इत्यादि की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए कहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ था क्योंकि इसके पास भूमि करार की योजना नहीं थी तथा ठेकेदार ने संविदा को रद्द करने का अनुरोध किया था। अप्रयुक्त भूमि के अभ्यर्पण की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है। अप्रयुक्त रेलवे भूमि के अभ्यर्पण की प्रक्रिया को पूरा करने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के रूप में 2014-19 के दौरान ₹14.71 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जो समय के साथ बढ़ जाएगा।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (फरवरी 2020) कि डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक भूमि करार दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका तथा इसी बीच, नियुक्त सलाहकार की वैधता समाप्त हो गई तथा उसने काम छोड़ दिया। एमआईओएम एक वैकल्पिक सलाहकार की नियुक्ति के विकल्प को तलाश रहा है।

### iii) जितपुर कोयला खान में कोयले की ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

जितपुर कोयला खान से कोयले को हवाई रोपवे द्वारा चासनाला कोयला खान के वाशरी प्लांट तक पहुँचाया जाता है, जो नौ किलोमीटर तक बसे हुए इलाकों से गुजरता है, जिससे निवासियों की सुरक्षा को खतरा होता है। सड़क के माध्यम से कोयले की ढुलाई की लागत (₹168 से ₹179 प्रति टन), हवाई रोपवे के माध्यम से 2014-19 की अवधि के दौरान वहन की गई लागत (₹632 से ₹1003 प्रति टन) की तुलना में काफी कम थी। अगस्त 2017 में आई एसपी द्वारा गठित एक समिति ने नई सड़क का निर्माण करके वैकल्पिक मार्ग से ढुलाई करने तथा रोपवे को बंद करने की सिफारिश की। अधिक लागत पर कोयले की ढुलाई को पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था तथा अपने उत्तर में सेल प्रबंधन (अप्रैल 2013) ने वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से सड़क परिवहन के लिए वर्तमान स्थिति में एक नया अध्ययन करने का आश्वासन दिया था। तथापि, यह पाया गया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी और पिछले पाँच वर्षों में ₹25.74 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ रोपवे के माध्यम से कोयले की ढुलाई जारी रही।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि रोपवे द्वारा जितपुर कोयले की चासनाला तक ढुलाई सांविधिक मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा को इस तथ्य के समर्थन के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला कि जितपुर कोयले की चासनाला तक ढुलाई सांविधिक मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक थी।



#### iv) विलंब शुल्क, अतिलदान तथा कम लदान प्रभारों का भुगतान

यदि वैगनों को निर्धारित समय पर लदान नहीं किया जाता है तो रेलवे सेल से विलंब शुल्क तथा वैगनों के अधिभार के लिए दंडात्मक शुल्क वसूल करता है। यदि वैगन वहन क्षमता से कम लोड किए जाते हैं, तब भी रेलवे वहन क्षमता के अनुसार भाड़ा चार्ज करती है। 2014-19 के दौरान सेल ने रेलवे को विलम्ब शुल्क, अतिलदान तथा कम लदान के लिए क्रमशः ₹33.83 करोड़, ₹70.99 करोड़ तथा ₹248.12 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसपी खानों में संविदागत वैगन लोडिंग शुरू करने में देरी, बीओएम पर तेजी से लोडिंग सिस्टम की अनुपस्थिति, केआईओएम में उचित आयाम कन्वेयर बेल्ट की अनुपस्थिति, लोडिंग के लिए अतिरिक्त समय की खपत हुई, जिसके कारण विलम्ब शुल्क का भुगतान हुआ। इसके अलावा वजन प्रणाली के अभाव में अनुमान के आधार पर लोडिंग की गई थी। परिणामस्वरूप, रेक या तो अतिलदान या कम लदान किए गए थे, जिसके कारण अतिलदान तथा कम लदान प्रभार लगे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि केआईओएम, एमआईओएम तथा बीओएम में बेल्ट वेयर को अधिक व कम लदान के प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। गुआ बीएसपी को खानों में विलम्ब शुल्क में वृद्धि रेलवे द्वारा खाली समय में पांच से तीन घंटे की कमी के कारण थी।

तथापि, तथ्य यह है कि प्रबंधन ने विलम्ब शुल्क, अतिलदान तथा कम लदान पर ₹352.94 करोड़ का भुगतान किया।

#### 13.3.4.15 श्रमबल तथा मशीनरी

##### i) कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में ₹94.22 करोड़ का अनियमित भुगतान

खान अधिनियम 1952 की धारा 28 तथा 30 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक खान में एक सप्ताह में छह दिन या 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, धारा 29(1) के अनुसार, वहां तैनात किए गए किसी भी व्यक्ति को यदि साप्ताहिक अवकाश से वंचित किया जाता है, तो उसे प्रतिपूरक अवकाश दिनों की अनुमति दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खदानों में स्टॉक निर्माण करने हेतु, चार<sup>36</sup> लौह अयस्क खदानों में आरएमडी और कोयला खान<sup>37</sup> के अधीन कर्मचारियों को बिना किसी अवकाश के पूरे सप्ताह तैनात किया। कर्मचारियों को सातवें दिन के उनके

<sup>36</sup> एमआईओएम, केआईओएम, जीओएम तथा बीओएम

<sup>37</sup> रमनागोर तथा चासनाला

काम के लिए 'मेक अप' प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वेतन दिया गया था तथा 2014-19 के दौरान ₹94.22 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'मेक अप' प्रोत्साहन योजना सेल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी की एपीपी (सप्ताह में छह कार्यदिवस पर आधारित) उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना से जुड़ी हुई है, जहां प्रोत्साहन के भुगतान के लिए एपीपी के साथ वास्तविक उत्पादन की तुलना की जाती है तथा सप्ताह के सातवें दिन के उत्पादन को भी उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन के भुगतान के लिए लिया जाता है। खानों के प्रमुख के अनुमोदन से ही कर्मचारियों को 'मेक-अप' प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था। इस प्रकार कंपनी ने 2014-19 के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹94.22 करोड़ का अनियमित भुगतान किया, जो आगे और बढ़ेगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि इस्पात संयंत्रों से उत्पादन के उनके वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कभी-कभी छुट्टियों में आरएमडी खानों का संचालन आवश्यक था तथा संबंधित कर्मचारियों को 'मेक-अप' प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया। रविवार को कोयला खानों में श्रमबल की तैनाती को ईडी (कोयला खान) द्वारा सांविधिक अनुपालन की तुलना में सुरक्षा के खतरे के दृष्टिगत अनुमोदित किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडी के पास प्रोत्साहन या पुरस्कार योजनाओं के अनुमोदन की प्रत्यायोजित शक्ति नहीं है। इसके अलावा, किए गए 'मेक-अप' प्रोत्साहन के कुल भुगतान में से केवल दो प्रतिशत ही कोयला खानों में सांविधिक श्रमबल के लिए किया गया था।

#### 13.3.4.16 हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का उपयोग

खानों में एचईएमएम जैसे डोजर, ड्रिल मशीन, डम्पर, एक्सकेवेटर पे लोडर, शोवल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। एचईएमएम के उपयोग के मानदंड 2008 की दो समितियों<sup>38</sup> की सिफारिशों पर आधारित है। 2014-19 के दौरान एचईएमएम के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:

<sup>38</sup> आरएमडी खानों (अगस्त 2007) में बेड़े की ताकत व उपकरणों के आकार को निर्धारित करने के लिए समिति तथा आरएमडी लौह अयस्क खानों के लिए एचईएमएम उपलब्धता व उपयोगिता के लिए मानक तय करने के लिए एक समिति (नवम्बर 2006)

तालिका 13.3.3: आरएमडी तथा बीएसपी खानों में मानदंडों की तुलना में एचईएमएम का उपयोग  
(निर्धारित घंटों के प्रति काम के घंटों के प्रतिशत में)

एचईएमएम	आरएमडी खानें				बीएसपी खानें			
	मानक	2014-19 के दौरान उपयोग			मानक	2014-19 के दौरान उपयोग		
		न्यूनतम	अधिकतम	औसत		न्यूनतम	अधिकतम	औसत
डोजर	49	10	70	20	42	7	57	26
ड्रिल मशीन	49	9	41	23	49	14	67	39
डम्पर	56/ 68	8	34	24	53	20	37	31
एक्सकेवेटर	68	10	51	27	39	4	79	32

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- बीओएम में एक्सकेवेटर का प्रयोग (प्रतिशत में) 22 और 25 प्रतिशत के बीच हुआ। इसी प्रकार, डोजर का उपयोग कम हुआ (23 से 30 प्रतिशत)। प्रबंधन ने कम उपयोग के लिए बीओएम की संवर्धन योजना के अधीन एचईएमएम ऑपरेटर की कमी, डोजर की अधिप्राप्ति (2014), एक्सकेवेटर (2015) व तीन डम्पर (2015) को जिम्मेदार ठहराया जबकि खानों का विस्तार अभी पूरा किया जाना था (मार्च 2019)।
- केआईओएम में, 2014-17 के दौरान 100 टन के तीन डंपर जोड़े गए। तथापि, पुराने 50 टन डंपर के कम उपयोग के कारण निवल उपयोग 59.62 प्रतिशत (2014-15) से घट कर 28.70 प्रतिशत (2018-19) रह गया।
- एमआईओएम में, डंपर का उपयोग 29.95 प्रतिशत (2014-15) से बढ़ कर 36.93 प्रतिशत (2015-16) हो गया परन्तु 2016-17 में दो डंपर के आने के बाद, शोवल के मैचिंग संख्या न होने के कारण नेट उपयोग घटकर 30.50 प्रतिशत (2018-19) रह गया।
- गुआ खानों में, एचईएमएम का उपयोग एचईएमएम के पुराने होने से, वित्तीय बाधाओं के कारण पुर्जो/ उपसंयोजक की अधिप्राप्ति में देरी इत्यादि के कारण 50 प्रतिशत से कम था।
- बीएसपी की नंदिनी खानों में, सीएसपी के कम उपयोग के कारण डंपर तथा डोजर का प्रतिशत उपयोग बहुत कम 22 और 51 प्रतिशत के बीच था।

प्रबंधन ने कहा कि (फरवरी 2020) कि बीओएम में एचईएमएम को संचालित करने के लिए चार सहायक-सह-तकनीशियन को संलग्न करने की कार्रवाई की गई है। केआईओएम में, 50 टन डंपरों ने आर्थिक कार्यकाल पूरा कर लिया था और वे सर्वे ऑफ की प्रक्रिया में थे। एमआईओएम में, डंपरों तथा शोवलो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एक

शोवल केआईओएम से स्थानांतरित किया गया था। जीओएम में, सितम्बर 2019 में डंपर के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक शोवल को चालू किया गया है तथा पुर्जों/ उपसयोजकों की अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। बीएसपी खानों में, बिखरे हुए लौह अयस्कों के कारण विभिन्न स्थानों व बेचों में खनन कार्य किया जाता है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के रूप में देखा जा सकता है कि प्रबंधन, 2014-19 के दौरान एचईएमएम के उपयोग का निर्धारण व सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके अलावा, उपकरणों के प्रयोग के लिए मानदंड सभी परिचालन कारकों व उपकरणों की स्थिति पर आधारित थे तथा इसीलिए खानों द्वारा मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए था।

#### 13.3.4.17 पर्यावरण तथा सुरक्षा मुद्दे

##### i) बीएसपी में हितकसाबंध के अतिप्रवाह के कारण पर्यावरणीय खतरे

क्रशिंग व स्क्रिनिंग प्लांट (सीएसपी), दाली खानों से उत्पन्न टेलिंग<sup>39</sup> स्लरी रूप में हितकसा बांध में जमा होती है। बांध की शुरुआत (1978) के बाद से 15.14 एमटी (गाद) जमा हो गई थी। खनन योजना (2018-23) के अनुसार, सीएसपी प्रतिवर्ष 0.75 एमटी गाद की निकासी जारी रखेगा। 45 प्रतिशत से अधिक औसत एफई सामग्री वाले ये लौह अयस्क गाद लाभकारी होने के बाद ब्लास्ट फरनेस ग्रेड पेलेट्स के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। डी-सिल्टिंग आपरेशन की क्षमता पर्याप्त नहीं थी और इसलिए सेल ने 2008-19 के दौरान हितकसा बांध में गाद की डी-सिल्टिंग के लिए ₹42.03 करोड़ के ठेके दिए।

0.9 एमटीपीए क्षमता का लौह अयस्क बेनिफिकेशन सह पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (2007 व 2013) तथा सलिम बेनिफिकेशन सिस्टम (अक्टूबर 2014) के साथ 1.0 एमटीपीए पेलेट संयंत्र की स्थापना तकनीकी व वाणिज्यिक बोलियों की कमी तथा वित्तीय व्यवहार्यता के कारण नहीं हो सकी। सेल ने एचएससीएल को दो वर्षों के लिए हितकसा बांध को डी-सिल्ट करने के लिए ₹13.65 करोड़ में लगाया (अप्रैल 2015)। एचएससीएल ने ₹6.95 करोड़ के लिए केवल आधा कार्य करके छोड़ दिया। प्रबंधन ने अनिष्पादित कार्य को पूरा करने के लिए ₹8.12 करोड़ का अनुमान लगाया परन्तु एचएससीएल के खिलाफ कोई आरपीएन कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बांध से लाल पानी बह गया तथा आसपास के धान के खेतों को नुकसान पहुँचा और इसलिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने 2009 में एक समापन नोटिस जारी किया। हितकसा बांध के डी-सिल्टिंग कार्य (फेज-V) को मैसर्स

<sup>39</sup> टेलिंग एक अयस्क के अनुपयोगी अंश से मूल्यवान अंश को अलग करने के बाद बची हुई सामग्री है

टेकनोब्लासट को सौंपा गया। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि डी-सिल्ट सामग्री को हितकसा टेलिंग बांध के पास स्लिम डम्प में इकट्ठा किया गया था जिससे कृषि से लाल पानी को निकालने का मुद्दा अभी भी कायम है।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि हितकसा टेलिंग बांध की स्थिति के सर्वेक्षण/ निर्धारण के लिए एक सलाहाकार नियुक्त किया गया है। जनवरी 2020 से कार्य शुरू हो गया है। स्लिम के स्टॉक के तकनीकी अध्ययन के पूरा होने के बाद, बांध की स्थिति व अन्य जोखिम कारकों को जाना जाएगा तथा यह आपेक्षित था कि हितकसा बांध में समस्याओं को नियंत्रित किया जाएगा।

## ii) टेलिंग बांध का गैर-विकास

एमआईओएम तथा केआईओएम एक ही पट्टा पर चल रहे हैं। इसी की शर्तों के अनुसार, खानों को नदियों व दूसरी जल निकायों में सीधे पानी व गाद के प्रवाह को रोकने के लिए कैच ड्रेन व सिलटेशन तलाबों को बनाए रखना पड़ता था। इसके अलावा, सीटीई की विशिष्ट शर्त के खंड 6 के अनुसार, खानों से शून्य निर्वहन होना चाहिए। केआईओएम तथा एमआईओएम दोनों के पास एक टेलिंग बांध है जहां उत्पन्न अपशिष्ट जल (स्लिम) को आसपास के जलनिकायों तथा पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए एकत्र किया जाता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केआईओएम का टेलिंग बांध भरा हुआ था तथा इसमें स्लिम के संग्रहण के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एमआईओएम में, बांध 23 मीटर की अधिकतम ऊँचाई के मुकाबले में 20 मीटर की ऊँचाई तक भर गया था। आरएमडी ने अपने पर्यावरण प्रभाव निर्धारण/ पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट (अप्रैल 2013) में टेलिंग बांध को डी-सिल्ट करने के लिए बेनिफिकेशन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि टेलिंग बांध का निर्माण आसपास के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है, टेलिंग बांध को डी-सिल्ट करने के निर्णय में देरी से आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रवाह अधिक हो सकता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि उन्होंने उप-ग्रेड खनिज (टेलिंग व उप-ग्रेड लौह अयस्क) को बेचने की अनुमति प्रदान करने के लिए जीओजे को आवेदन प्रस्तुत किया है (सितम्बर 2019)। खनन योजना 2020-25 में टेलिंग की खुदाई का प्रावधान शामिल किया गया है तथा केआईओएम व एमआईओएम से टेलिंग की खुदाई के लिए भी इसी में संशोधन विचाराधीन था।

### iii) सांविधिक श्रमबल की तैनाती

खनन गतिविधियों को शासित करने वाले कानून (खान अधिनियम 1952; मैटलिफिरस माइनस रेग्युलेशन्स 1961, एमएमडीआर 1957) खानों में निर्धारित कौशल व योग्यता वाले श्रमबल की तैनाती को निर्धारित करते हैं, जिसे सांविधिक श्रमबील (सर्वेयर, माइन फोरमैन माइनिंगमेट, ब्लास्टर) के रूप में जाना जाता है। 31 मार्च 2019 को सेल की खानों में सांविधिक श्रमबील की तैनाती की स्थिति नीचे दी गई तालिका-6 में दर्शायी गई है।

तालिका-13.3.4

सांविधिक श्रमबल की श्रेणी	आरएमडी खाने			बीएसपी खाने			कोयला खान डिवीजन		
	संविधि के अनुसार स्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता	कमी	संविधि के अनुसार स्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता	कमी	संविधि के अनुसार स्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता	कमी
सरवेयर	12	7	5	9	7	2	3	2	1
माइन फोरमैन	80	61	19	62	53	9	49	36	13
माइनिंग मेट	119	69	50	78	47	31	95	25	70
ब्लास्टर	18	2	16	21	15	6	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>229</b>	<b>139</b>	<b>90</b>	<b>170</b>	<b>122</b>	<b>48</b>	<b>147</b>	<b>63</b>	<b>84</b>

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक खान में आवश्यक सांविधिक श्रमबल की तैनाती में कमी थी। उपरोक्त चार श्रेणियों के अधीन 546 सांविधिक श्रमबल की आवश्यकता के प्रति, वास्तविक तैनाती 324 (41 प्रतिशत की कमी) थी। पर्याप्त सांविधिक श्रमबल के बिना खानों को चलाना न केवल सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि इससे सुरक्षित खनन संचालन को भी खतरा है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि रिक्तियों को भरने तथा मानदंडों को पूरा करने और सांविधिक पदों के प्रतिभावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

### 13.3.5 निष्कर्ष

सेल ने पारबतपुर व सीतानाला कोल ब्लॉक के आवंटन से पहले व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए तकनीकी उचित सतर्कता नहीं बरती और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन किया तथा जिसे बाद में छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इन कोयला खानों के विकास पर खर्च की गई राशि बेकार हुई। दिल्ली, राजहारा और बरसूआ खानों में नियोजित स्तरों की तुलना में कम उत्पादन के कारण विभेदक भाड़ा पर अतिरिक्त व्यय के साथ बीएसपी व आरएसपी के द्वारा दूर स्थित खादानों में से लौह अयस्को को स्थानांतरण करना पड़ा।

बरसुआ खानों में, बिना अनुमति के वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के कारण एफसीए 1980 का अनुपालन नहीं हुआ जिससे शास्तिक एनपीवी तथा सीए का भुगतान करना पड़ा। बोलानी खानों द्वारा ओएमआर-2007 के गैर-अनुपालन के कारण विभेदक रोयल्टी पर अतिरिक्त व्यय हुआ। मनोहरपुर खानों में अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान किया गया था, क्योंकि लौह अयस्क को उच्चतम ग्रेड में ग्रेड किया गया था तथा नंदिनी खान में अस्वीकृत चूना पत्थर के चिप्स पर किया गया क्योंकि वे लौह निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थे। जीओजो व जीओजे ने आरएमडी के अधीन लौह अयस्कों तथा चूना पत्थर खानों द्वारा ईसी/ सीटीओ के अधीन अनुमत मात्रा से अधिक खनन के कारण मुआवजे की मांग की। बोलानी में मेघाहातुबुरु खानों में रेलवे की अतिरिक्त भूमि के अभ्यर्षण में देरी से परिहार्य व्यय हुआ। खानों में आवश्यकता के प्रति सांविधिक श्रमबल में 41 प्रतिशत की कमी थी।

मंत्रालय को मामला जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### 13.4 सेल में सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रबंधन

#### 13.4.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल या कंपनी), भारत की एक प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी ने 2018-19 के दौरान 17.51 मिलियन टन (एमटी) हॉट मेटल का उत्पादन किया। कंपनी के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र<sup>40</sup> तथा तीन विशेष इस्पात संयंत्र<sup>41</sup> हैं।

#### 13.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा मापदंड

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या

- कंपनी की सुरक्षा नीति, क्रियाविधि तथा प्रथाएं मानक संचालन प्रथाओं (एसओपी) तथा अधिनियम/ नियमों/ विनियमों के तहत यथा निर्धारित मानदंडों/ मानकों के अनुरूप हैं;
- विभिन्न समितियों की सिफारिशों तथा सुरक्षा लेखापरीक्षा पर पर्याप्त उपाए किए गए थे;

<sup>40</sup> भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी), बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल), राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) और इस्को स्टील प्लांट/ बर्नपुर (आईएसपी)

<sup>41</sup> एलॉय स्टील प्लांट (एसपी), सलेम स्टील प्लांट (सेलम) और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट/ भद्रावती (वीआईएसपी)

- कंपनी की प्रदूषण नियंत्रण, कचरे का प्रबंधन तथा कानूनों के अनुपालन जैसी पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण नीति, पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा प्रणाली है; तथा
- पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा मानको तथा सर्वोत्तम औद्योगिक प्रयासों के प्रयोग पर सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए।

उपयोग किए गए लेखापरीक्षा मापदंड फैक्टरी अधिनियम 1948, सेल की सुरक्षा नीति व एसओपी, इस्पात उद्योग के लिए इंटर प्लांट स्टैंडर्ड (आईपीएसएस)<sup>42</sup> राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, 2012 में संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 व ईआईए अधिसूचना 2006, 2011 में संशोधित जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 1974, 1987 में संशोधित वायु (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 1981, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानक 2009, 2018 में संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, केन्द्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जारी दिशानिर्देश और निर्देश हैं।

लेखापरीक्षा ने पांच वर्ष (2014-19) की अवधि के लिए सभी इस्पात संयंत्रों, सेल सुरक्षा संगठन में तथा पर्यावरण प्रबंधन डिविजन में निर्णयों, प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा नीति से संबंधित गतिविधियों व पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

### 13.4.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 13.4.3.1 सेल में सुरक्षा प्रबंधन

सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) को रांची में कंपनी की सुरक्षा संबंधित गतिविधियों को समन्वयित, निगरानी तथा सुकर बनाने के लिए स्थापित किया गया। एसएसओ सुरक्षा नीतियों, क्रियाविधियों, प्रणाली, कार्य योजना, दिशानिर्देशों का निर्माण करता है तथा दुर्घटना-मुक्त वातावरण कार्य सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यान्वयन की जांच करता है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग (एसईडी) कंपनी की सुरक्षा नीति को लागू करता है।

#### 13.4.3.2 सुरक्षा नीति तथा सुरक्षा नियमावली का अननुपालन

सेल की कॉपोरेट सुरक्षा नीति सुरक्षा मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने, मीटीगिंग प्लान बनाने, सुधार योजना विकसित करने व समयसीमा व सिफारिशों की पूर्णता व अनुवर्तन के लिए जवाबदेही तय करने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा को निर्धारित करती है।

<sup>42</sup> इस्पात उद्योग में अंतर संयंत्र मानक-विभिन्न इस्पात संयंत्रों की समिति द्वारा जारी किए गए परन्तु मुख्यतया सेल द्वारा अंतिम रूप दिया गया



लेखापरीक्षा ने पाया कि, एसएसओ ने अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा या कोई योजना विकसित नहीं की। 2018 से पहले विभिन्न संयंत्रों को एसएसओ द्वारा की गई 686 सिफारिशों में से 258 सिफारिशों का अनुपालन करना बाकी था।

प्रबंधन ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि सभी सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए वह सुनिश्चित करेगा।

#### 13.4.3.3 ज़ीरो दुर्घटना की प्राप्ति न होना

सुरक्षा नीति तथा सुरक्षा नियमावली में शून्य दुर्घटना की परिकल्पना की गई है। फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 88 के अनुसार, किसी भी फैक्टरी में किसी दुर्घटना के संबंध में नोटिस, जो मौत का कारण बनता है या शारीरिक चोट जिसके कारण व्यक्ति घायल हो जाता है या 48 घंटे या अधिक दुर्घटना के तुरंत बाद काम करने से रोका जाता है, फैक्टरी के प्रबंधक द्वारा ऐसे प्राधिकारियों<sup>43</sup> को निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित समय सीमा में भेजा जाना चाहिए। संयंत्र क्षेत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित संयंत्र शॉप द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा सुरक्षा विभाग को भेजी जाती है। सुरक्षा विभाग केवल उन मामलों की रिपोर्ट फैक्टरी निरीक्षक को करता है जो रिपोर्टिंग मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-19 के दौरान कंपनी में 85 घातक तथा 577 गैर-घातक दुर्घटनाएं हुईं। उपरोक्त 577 गैर-घातक घटनाओं में से 158 को प्राधिकारियों को सूचित किया गया। कंपनी ने 5.34 लाख व्यक्ति दिवस खो दिया तथा ईएसआईसी के माध्यम से सविदागत कामगारों को भुगतान के अलावा कर्मचारियों को ₹9.62 करोड़ का भुगतान किया। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएसएल में सभी गैर-घातक दुर्घटनाएं सूचित नहीं हुईं। 45 मामलों को गैर-घातक दुर्घटनाओं (2014-19) के रूप में रिपोर्ट की गई। जबकि बी एस एल के सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई हादसे की जांच रिपोर्ट के अनुसार 134 गैर-घातक दुर्घटनाएं थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एसओपी का पालन न करने, सूचना, पर्यवेक्षण में कमी तथा इंटर संयंत्र सुरक्षा मानको-इस्पात उद्योग (आईपीएसएस) 1-11-011-01 के गैर-अनुपालन के कारण दुर्घटनाएं हुईं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों व एसओपी का कड़ाई से पालन, जागरूकता कार्यक्रम तथा कामगारों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

<sup>43</sup> राज्य सरकार का फैक्टरी निरीक्षक

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों को फैक्टरी अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक प्राधिकारियों को सूचित किया जाए।

#### 13.4.3.4 गैसीय क्षेत्र में दुर्घटना

(आईपीएसएस) 1-11-002-12 के अनुसार, खतरनाक गैस क्षेत्र में काम करते हुए गैस मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए, कामगारों को पोर्टेबल कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) गैस मॉनीटर को साथ रखना चाहिए, सभी कामगारों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

##### i) सीओ गैस लाइन की डी-बलैकिंग कार्य के दौरान बीएसपी में अग्नि दुर्घटना

बीएसपी में सीओ गैस लाइन को विभिन्न कारखानों में सीओ गैस की आपूर्ति की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। सीओबी (कोक ओवन बैटरी) #11 के कॉलम सी-50 में ब्लैक प्लेट, पूरे गैस के मुख्य हिस्से को अलग करने के लिए लगी ब्लैक प्लेट दबाव में उतार-चढ़ाव कर रही थी। गैस नेटवर्क को स्थिर करने के लिए, कॉलम सी-50 की ब्लैक प्लेट को हटाने की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया के दौरान (9 अक्टूबर 2018), आग की लपटे निकल गई तथा मौके पर मौजूद व्यक्ति आग की चपेट में आ गए/ जल गए तथा 14 व्यक्तियों की मौत हो गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गैस लाइन में सुरक्षित काम करने के लिए, गैस लाइन को डीप्रेशराइजिंग एवं पर्जिंग कर मौजूदा गैस को हटा कर काम किया जाना चाहिए था क्योंकि चार्ज की गई गैस लाइन में की गई बलैकिंग/ डी-बलैकिंग का काम जोखिम भरा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई मौकों पर, शटडाउन के अनुरोध को नहीं माना गया तथा शटडाउन के बिना चार्ज किए गए पाइपलाइनों पर डी-बलैकिंग/ ब्लैकिंग करने की प्रथा थी। इसलिए बीएसपी ने कम गैस नेटवर्क दबाव में ही काम करने का फैसला किया और परिणामस्वरूप आग लगने की घटना हुई। इस्पात उद्योग में गैस लाइन पर काम करने के लिए सुरक्षा मानक पर आईपीएसएस 1-11-030-2017 ने गैस लाइन पर काम करते समय पॉजिटिव आइसोलेशन को निर्दिष्ट किया परन्तु इस संबंध में बीएसपी की एसओपी तथा प्रोटोकॉल आईपीएसएस के अनुरूप नहीं थे। सुरक्षा उपायों तथा असुरक्षित प्रणाली अपनाने में ढिलाई के कारण कार्मिकों की मृत्यु, उत्पादन में कमी, प्रत्येक मामले में ₹30 लाख का मुआवजे का भुगतान तथा प्रत्येक सूचित चोट के लिए ₹15 लाख का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि गैस न होने की स्थितियों में काम करने की संभावना को भी तलाशा गया परन्तु तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह नहीं किया जा सका। पॉजिटिव आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, कार्य को लाइव गैस स्थिति में किया गया। अब सभी लाइव गैस लाइन ब्लैकिंग/ डी-बलैकिंग कार्य को रोक दिया गया है तथा इसे केवल 100 प्रतिशत पॉजिटिव आइसोलेशन में ही किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उन्ही कार्यों के लिए बीएसपी में पहले के सभी प्रोटोकॉलों में, ये केवल कुछ हद तक दबाव कम करने के बाद किए गए। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सेल के दूसरे संयंत्रों में पॉजिटिव आइसोलेशन के बाद डी-ब्लैकिंग का काम किया। प्रबंधन ने उत्तर में तकनीकी कठिनाइयों को विस्तार में नहीं बताया।

## ii) बीएसपी के पम्प हाउस-2 पर गैस की लीकेज

ब्लास्ट फर्नेस गैस (बीएफ) बीएसपी में उत्पन्न होती है, जिसमें अत्याधिक जहरीली, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिसे पानी के माध्यम से साफ करने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस सफाई संयंत्र (जीएसपी) तक ले जाया जाता है। पंप हाउस-2 (पीएच) जीसीपी को पानी की आपूर्ति करता है। 12 जून 2014 को जल प्रबंधन विभाग (डब्ल्यूएमडी) ने पाया कि जीसीपी में पानी की आपूर्ति करने वाले पंप हाउसके हेडर वाल्वों - 47 व 55 पक्ष के बीच टूट जाने के कारण पीएच के हेडर वाटर लाइन-2 में रिसाव हुआ जिसके कारण जल दबाव में गिरावट तथा पीएच में भारी जल संग्रहण हुआ। बीएफ गैस लीक होकर पीएच में फैल गई। छह लोग गैस के प्रभाव से मर गए तथा 30 लोग प्रभावित हुए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ सरकार के उप-नियंत्रक औद्योगिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (जून 2014) के अनुसार पीएच में पाइपलाइनों का रखरखाव व निरीक्षण नहीं किया गया था तथा पानी की पाइपलाइन में गैर-प्रतिवर्ती वाल्वों के अभाव में बीएफजी पानी की पाइपलाइन में आ गया व टूटे हुए हेडर के माध्यम से पीएच में फैल गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह जानने के बावजूद कि पूरा संयंत्र एक गैस उन्मुख क्षेत्र था, प्रबंधन ने पर्याप्त गैस मॉनीटर स्थापित नहीं किए थे तथा इसलिए कामगारों को जहरीली गैस की जानकारी नहीं थी और वे गैस मास्क के उपयोग जैसे एहतियाती उपाय नहीं कर सके। बीएसपी ने मरने वाले प्रत्येक कामगार को ₹25 लाख का मुआवजा दिया।

प्रबंधन ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि बीएफ से गैस रिसाव को रोकने के लिए पहले से डिजाइन प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई थी तथा गैस रिसाव की घटना अभूतपूर्व थी। उपरोक्त घटना के बाद, बीएफ के सभी जीसीपी पर नॉन-रिटर्न वाल्व लगाए गए थे तथा गैस उन्मुख पीएच पर पर्याप्त संख्या में सीओ मॉनिटर्स लगाए गए थे।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि बुल्गारिया के सबसे बड़े लौह व इस्पात संयंत्र, क्रिमीकोब्ज़ी में इसी तरह की घटना (जनवरी 2004) हुई थी जब ब्लास्ट फर्नेस की गैस शुद्धिकरण मशीनरी की आपूर्ति करने वाली पानी की पाइपलाइन में दबाव गिर गया था। जल स्तर में तेजी से कमी के कारण जहरीली गैसों का रिसाव शुरू हो गया तथा हानिकारक गैस से तीन लोगों की मौत हो गई। प्रबंधन को घटना से

जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए थी तथा उनके संयंत्रों में इस तरह की घटना की संभावना की परिकल्पना करनी चाहिए और सिस्टम सुधार के लिए आवश्यक एहतियाति कदम उठाने चाहिए थे।

iii) पोर्टेबल सीओ मॉनीटर के बिना गैसीय क्षेत्र में काम करने के कारण दिसम्बर 2014 व नवम्बर 2017 में डीएसपी में घातक दुर्घटनाएं हुईं। दूसरी घटना आईएसपी में (सितम्बर 2014) हुई जब सीओबी#11 की प्री-हीटर ट्यूबों की सफाई के दौरान सीओ गैस लीक हुई। अपर्याप्त वेंटिलेशन के कारण एक जगह जमा हुई सीओ गैस से आग लग गई, जिसके कारण 24 लोगों को चोट आई, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के मुख्य कारण प्रीहीटर इनलेट वाल्व के माध्यम से सीओ गैस की लीकेज, प्रीहीटर क्षेत्र में खराब वेंटिलेशन तथा प्रीहीटर को सीओ गैस से पूरी तरह फ्री किए बिना इनलेट व आउटलेट वाल्वों को बन्द करना था।

प्रबंधन ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि डीएसपी में, गैसीय क्षेत्रों में काम करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयंत्र के सभी गैस उन्मुख क्षेत्रों को कवर करते हुए 212 से अधिक सीओ मॉनीटर स्थापित किए गए हैं। आईएसपी में, प्रबंधन ने पूर्व-जांच सूची तैयार करना, एसओपी, एसएम्पी, सभी गैस उन्मुख क्षेत्रों के आसपास क्रॉस वेंटिलेशन सुनिश्चित करना इत्यादि कार्यवाई की।

#### iv) ऊंचाई से गिरने के कारण हुई दुर्घटनाएं

आईपीएसएस 1-11-005-14 के पैरा 3.2 में कहा गया है कि दो मीटर की ऊंचाई पर काम शुरू करने से पहले, सभी सुरक्षा आवश्यकताएं (बॉडी हार्नेस, फॉल अरेस्टर, सुरक्षा हेल्मेट, सेफ्टी नेट) लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सुरक्षा उपायों तथा पर्याप्त पर्यवेक्षण न होने के कारण कंपनी की इस्पात संयंत्रों में ऊंचाई से गिरने के कारण दुर्घटनाएं हुईं।

बीएसपी में 2014-17 के दौरान ऊंचाई से फिसलन के कारण ऊंचाई से गिरने से संबंधित पांच दुर्घटनाएं हुईं। एक दुर्घटना एसपी (अक्टूबर 2015) में हुई क्योंकि ट्रेस्सेस का सहारा फूल प्रूफ नहीं था। आरएसपी में, एक कामगार (मार्च 2017) ने काम करते हुए संतुलन खो दिया तथा गिर गया क्योंकि वहां प्लेटफार्म का निचला स्तर खुला था। बीएसएल में एक दुर्घटना हुई (सितम्बर 2017) क्योंकि कोरूगेटेड शीट जिस पर काम किया जाना था, स्थिर नहीं थी। एसएसपी में जिव क्रेन की सीडी का कवर न होने के कारण, जीव-क्रेन के प्लेटफार्म तक पहुँचने के लिए पकड़ने के लिए सहायक की कमी के कारण एक दुर्घटना (फरवरी 2018) हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ये दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि कामगार ऊंचाई पर काम करते समय बॉडी हार्नेस का प्रयोग नहीं कर रहे थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि उपचारात्मक उपाय किए गए थे। प्रशिक्षण दिया गया तथा एएसपी व बीएसएल में कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित किए गए।

#### v) सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता

फैक्टरी अधिनियम, 1948 के खंड 40बी में कहा गया है कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, प्रत्येक फैक्टरी में नियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा अधिकारियों की संख्या निर्देष्ट कर सकती है जहां प्रक्रिया या संचालन में शारीरिक चोट, स्वास्थ्य खतरा आदि का जोखिम शामिल है। सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, योग्यताओं आदि को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुरूप होना चाहिए। बिहार फैक्टरी नियमावली 1950, के अनुसार, सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य फैक्टरी प्रबंधन को उसकी दायित्व निभाने, वैधानिक या अन्यथा, व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम व एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के संबंध में सलाह तथा सहायता प्रदान करना होगा। नियमों के अनुसार, बीएसएल में 26 सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता थी जबकि 2014-19 के दौरान वहां केवल 17 से 19 सुरक्षा अधिकारी ही थे। पश्चिम बंगाल फैक्ट्रीज (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1978 के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों की संख्या छह होनी चाहिए जबकि डीएसपी में केवल तीन सुरक्षा अधिकारी (मार्च 2019) थे। इसी तरह आरएसपी में 26 की आवश्यकता के प्रति सितम्बर 2019 में 20 सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के विचारों को स्वीकार करते हुए उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि बीएसएल, डीएसपी तथा आरएसपी में सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यक संख्या की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी।

#### 13.4.3.5 अग्नि प्रबंधन

फैक्टरी अधिनियम, 1948 ने एकीकृत इस्पात उद्योग को खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया है। अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि प्रत्येक फैक्टरी में, आग के फैलने व इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा आग की स्थिति में बचने के सुरक्षित साधन उपलब्ध कराने तथा आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरणों व सुविधाओं के सभी उपाय किए जाएं। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल संयंत्र में 2014-18 के दौरान 1405 आग लगने की घटनाएं हुईं। इनमें से आईएसपी में 515, एएसपी में 268, वीआईएसपी में 192 तथा बीएसपी में 190 आग लगने की दुर्घटनाएं हुईं। आग लगने का प्रमुख कारण गर्म धातु/ स्लैग/ स्पार्क/ ओवरहीटिंग/ हीट रेडिएशन व इलेक्ट्रिकल फॉल्ट/ शार्ट सर्किट, तेल के रिसाव की सफाई न होना, फायर डिटेक्शन का काम न करना इत्यादि शामिल है।

प्रबंधन ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि आग के प्रकोप को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे थे।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि उपाय करने के बावजूद, आग की घटनाएं होती रही। उदाहरण के लिए, आईएसपी में, 2019-20 के दौरान 60 आग की घटनाएं (2 प्रमुख तथा 58 छोटी) हुईं।

#### 13.4.3.6 फायर हाइड्रेंट और अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता

बीएसएल ने 2008-09 तक 8500 अग्निशामक यंत्रों की अधिप्राप्ति की थी। 2012 में लागू भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (आईएस: 15683-2006) के अनुसार, सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रतिस्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि दिसम्बर 2019 तक केवल 5100 अग्निशामक यंत्रों की अधिप्राप्ति की गई। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं में विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या मार्च 2015 में 97 से घटकर मार्च 2019 में 41 रह गई। डीएसपी में छह ऑपरेशनल अग्नि टैंडर थे। फायर टैंडरो का निर्धारित समय 10 साल है जबकि दो फायर टैंडर 30 साल से अधिक पुराने थे और एक 16 साल पुराना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसपी, आरएसपी तथा आईएसपी में अपेक्षित मानदंड पूरे किए गए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि बीएसएल में, 2019-21 के दौरान शेष अग्निशामक अधिप्राप्त किए और बदले जाएंगे। डीएसपी में, दो फायर टैंडर को बदलने का प्रस्ताव 2020-21 में लाया जाएगा।

#### 13.4.3.7 अपर्याप्त अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली

बीआईएस: आईएस 2189: 2008 यह निर्धारित करता है कि अग्नि पहचान और अलार्म (एफडीए) प्रणाली का उद्देश्य अग्नि की पहचान और अलार्म देना है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसएल में आग की चपेट में आने लायक सभी कारखानों में अग्नि पहचान प्रणाली नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा, दुकानों में स्थापित स्वचालित एफडीए प्रणाली काम नहीं कर रही थी (सितंबर 2019)। एमईपी के तहत स्थापित क्षेत्रों, पावर स्टेशन क्षेत्रों और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को छोड़कर डीएसपी में स्वचालित एफडीए प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। आरएसपी में, संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों/ इकाइयों में 82 एफडीए प्रणालियों में से, 43 काम नहीं कर रहे थे और चार को अभी तक शुरू नहीं किया गया था। आईएसपी में 71 स्वचालित एफडीए प्रणालियों में से, 33 दोषपूर्ण थे और बीएसपी में 18 स्वचालित एफडीए प्रणालियों में से 10 दोषपूर्ण थे। प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, कोल्ड रोलिंग मिल-III को छोड़कर कई कारखानों में, बीएसएल में एफडीए प्रणाली पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण अप्रचलित थी और

इस प्रकार प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। डीएसपी में, अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए आग की चपेट में आने लायक पुरानी परिसंपत्तियों में स्वचालित पता लगाने और दमन तंत्र के साथ ड्राई केमिकल पाउडर मॉड्यूलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा और आरएसपी में एफडीए प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/ प्रतिस्थापन के लिए अधिप्रापण कार्रवाई शुरू की गई थी।

#### 13.4.3.8 सेल में पर्यावरण प्रबंधन

कॉरपोरेट पर्यावरण नीति के अनुसार, सेल पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र में पर्यावरण नियंत्रण विभाग (ईसीडी) होता है, जो पर्यावरणीय मुद्दों की निगरानी करने और एसपीसीबी और सीपीसीबी को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कोलकाता में पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) पर्यावरण और पर्यावरण कानूनों के अधिनियमन से संबंधित कार्य करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने, संवर्धन, समन्वय और देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है।

#### 13.4.3.9 एमईपी के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र का गैर नवीकरण

बीएसएल के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) के लिए दी गई (अक्टूबर 2008) पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पांच साल के लिए मान्य थी, जिसे अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था। आगे की अवधि के लिए ईसी के विस्तार की अनुमति नहीं दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि, बीएसएल में एमईपी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था (अक्टूबर 2018) और बीएसएल ने फरवरी 2018 में नए सिरे से ईसी के लिए आवेदन किया जो एमओईएफसीसी के पास लंबित था। नए सिंटर प्लांट लगाने और एसएमएस-1 पैकेजों के उन्नयन के लिए काम बंद कर दिया गया था (अक्टूबर 2018) जिस पर ईसी की अनुपलब्धता के कारण ₹991 करोड़ खर्च किए गए थे। ईसी के जारी होने में देरी मुख्य रूप से परियोजना क्षेत्र में फ्लाइंग ऐश डंप के निपटान, स्लैग डंप का निपटान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होने आदि जैसी शर्तों को पूरा न करने के कारण हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि नए सिरे से ईसी प्राप्त करने के लिए, प्रक्रिया फरवरी 2018 में शुरू की गई थी और ईसी मार्च 2020 तक जारी होने की उम्मीद थी। प्रबंधन ने आगे सूचित किया (अप्रैल 2020) कि ईसी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बाधित हो गया था और लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया जाएगा।

प्रबंधन के इस उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि ईसी जारी करने के लिए गरगा नदी के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने के पूर्व शर्तों को अभी कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अलावा फ्लाइंग ऐश के निस्तारण के संबंध में उत्तर उल्लेख नहीं था।

आरएसपी ने सितंबर 2015 में यानी ईसी जोकि दिसंबर 2016 में मिली थी, प्राप्त करने से पहले हॉटस्ट्रिपमिल (एचएसएम) लगाने का काम शुरू कर दिया था। ओडिशा एसपीसीबी ने आरएसपी (अप्रैल 2016) को निर्देश दिया कि ईसी की प्राप्ति तक नए एचएसएम की निर्माण गतिविधि को रोक दिया जाए और इसके परिणामस्वरूप मई 2016 और सितंबर 2016 के बीच काम स्थगित कर दिया गया। ठेकेदार ने उस अवधि के दौरान संसाधनों की निष्क्रियता के लिए मुआवजे के लिए ₹20 करोड़ का दावा किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि आरएसपी ने जन सुनवाई जो जून 2016 में आयोजित हो सकी की प्रत्याशा में एनबलिंग कार्यों के लिए निविदा शुरू की।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि एनेबलिंग कार्यों को बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेबलीश की सहमति और ईसी प्राप्त किए बिना करना विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन था।

#### 13.4.3.10 वायु उत्सर्जन प्रबंधन

भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के 6-7 प्रतिशत के लिए इस्पात उद्योग उत्तरदायी है। इस्पात संयंत्र में सीओ<sub>2</sub> ईंधन के रूप में कोक/ चारकोल के जलने से उत्पन्न होता है। ब्लास्ट फर्नेस गैस (बीएफजी), कोक ओवन गैस (सीओजी) और एलडी<sup>44</sup>/ बीओएफ गैसों क्रमशः बीएफ, स्टील मेल्टिंग शॉप और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से उत्पादित होती हैं। इन गैसों में सीओ, सीओ<sub>2</sub> और नाइट्रोजन होती हैं, जिनका उपयोग हीटिंग के लिए ईंधन के रूप में स्टील बनाने की प्रक्रिया, बिजली उत्पादन में किया जाता है या हवा में जला दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान सेल, आरआईएनएल और टाटा स्टील द्वारा सीओ<sub>2</sub> के उत्सर्जन और कमी का विवरण तालिका में नीचे दिया गया है।

<sup>44</sup> कनवर्टर गैस या बीओएफ गैस को एलडी (लिंज़ और डोनविटज़) गैस के रूप में भी जाना जाता है



## तालिका-13.4.1

(इकाई: टन/ कूड स्टील का टन (टन/ टीसीएस)

वर्ष	सेल	आरआईएनएल	टाटा स्टील
2014-15	2.65	2.79	2.47
2015-16	2.60	2.79	2.30
2016-17	2.61	2.78	2.29
2017-18	2.56	2.62	2.30
2018-19	2.57	2.59	2.29
पिछले पांच वर्षों के दौरान कमी (प्रतिशत)	3.01	7.17	7.29

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक 1.8-1.9 टन/ टीसीएस थे। सेल में सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय मानकों और टाटा स्टील की तुलना में अधिक था। सेल सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन के लिए संयंत्रवार मानदंडों को वार्षिक रूप से नियत करता है। यह नोट किया गया कि सेल के इस्पात संयंत्रों में से, बीएसएल, आरएसपी और आईएसपी ने 2014-19 के सभी वर्षों के दौरान लक्ष्य हासिल किया। बीएसपी 2014-15 से 2018-19 के दौरान सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। डीएसपी 2014-15, 2016-17 और 2018-19 में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसपी और डीएसपी क्रमशः एमईपी के निष्पादन में देरी और नई जोड़ी गई इकाइयों में स्थिरता न होने के कारण लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। सेल 2020-21 तक 2.43 टन/ टीसीएस के और 2030-31 तक 2.3 टी/ टीसीएस विशिष्ट सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि इस्पात मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बेंच मार्क प्राप्त करने के लिए पर जोर दिया (जुलाई 2018)।

**13.4.3.11 गैस होल्डर के अभाव अनुपस्थिति में गैसों का प्रवाह**

एक एकीकृत इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन और स्टील मेल्टिंग शॉप या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से कई गैसों उत्पन्न होती हैं। इन गैसों में सीओ गैस की उच्च मात्रा होती है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। गैस होल्डर उपयोगी सीओ गैस के भंडारण में मदद करता है, जो अन्यथा वायुमंडल में फैल जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के पूरा होने में देरी के कारण पर्यावरण के लिए गैसों के फैलने के उदाहरण लेखापरीक्षा द्वारा नोट किए गए।

(i) सेल ने एलडी गैसों (मुख्य रूप से सीओ और सीओ<sub>2</sub> गैस) को फैलने से रोकने के लिए ऊर्जा संरक्षण तंत्र के साथ बीएसएल में उच्च क्षमता के गैस होल्डर और नए आईडी फैन के गैस होल्डर को स्थापित करने का निर्णय (मई 2007) लिया। गैस होल्डर पैकेज

और आईडी फैन कॉम्प्लेक्स के लिए क्रमशः अगस्त 2008 और जनवरी 2013 में ठेका दिया गया था। हालांकि गैस होल्डर 2013 में पूरा हो गया था, लेकिन आईडी फैन कॉम्प्लेक्स अप्रैल 2017 में पूरा हो सका। गैस होल्डर को चालू करने के दौरान प्रबंधन ने पाया कि इस में लगी अधिकांश मर्दें काम नहीं कर रही थी और उन्हें बदलने या सुधार की आवश्यकता थी क्योंकि यह करीब चार साल से बेकार थी। गैस होल्डर इकाई का संचालन अभी बाकी था। इस प्रकार गैस होल्डर और आईडी फैन पूरी होने में देरी के कारण बीएसएल ने अप्रैल 2017 और जून 2019 के बीच एलडी गैस (₹81.35 करोड़<sup>45</sup> रुपये की 6.68 लाख टन सीओ<sub>2</sub>) को बाहर निकाल दिया, जिस से वायु प्रदूषण, ऊर्जा की बचत की हानि और कोयले की अधिक खपत हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि हालांकि एलडी गैस होल्डर परियोजना 2013 से उपयोग के लिए उपलब्ध थी, लेकिन विभिन्न उपकरणों के खराब होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी)<sup>46</sup> ने एलडी गैस की नियमित रिकवरी के लिए आवश्यक एलडी गैस होल्डर का हैज़र्ड एंड ऑपरेशनैबिलिटी (हाजोप) अध्ययन और डिसपरसन मॉडलिंग किया है। सुविधाओं के सुरक्षित संचालन के लिए एनएससी की सिफारिशें 31 अक्टूबर 2020 तक लागू होने की संभावना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना में बेमेल और गैस होल्डर परियोजना की पूर्व कमीशन गतिविधियों में देरी के कारण, परियोजना में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप हवा में सीओ गैस को निकाल दिया गया और कोयले की अधिक खपत हुई।

(ii) बीएसपी ने मेसर्स जीएमबीएच ऑस्ट्रिया को एसएमएस-3 और गैस होल्डर लगाने के लिए ऑर्डर (अक्टूबर 2008) दिया। एसएमएस-3 से उत्पादन मार्च 2018 से शुरू हुआ था लेकिन गैस होल्डर आज तक पूरा नहीं हो पाया है। गैस होल्डर के अभाव में एलडी गैस 2018-19 के दौरान हवा में फैली थी (₹4.91 करोड़ मूल्य की 0.40 लाख टन सीओ<sub>2</sub>)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, गैस होल्डर सितंबर 2020 तक चालू होने की उम्मीद है।

#### 13.4.3.12 धूल उत्सर्जन प्रबंधन

स्टील बनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से सिंटर प्लांट (एसपी) और एसएमएस में भारी मात्रा में धूल पैदा करती है, जिसे सिंटर उत्पादित करने के लिए पुर्नवीनीकरण किया जा सकता

<sup>45</sup> एलडी गैस के कैलोरीफिक मूल्य और समकक्ष टन भार और कोयले के मूल्य पर विचार करते हुए परिकलित

<sup>46</sup> राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद - श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य, घरों और समुदायों में और नेतृत्व, अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के माध्यम से सड़क पर रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करने के मिशन के साथ स्थापित (1966), किया गया था

है। इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेशन (ईएसपी) और बैटरी साइक्लोन<sup>47</sup> द्वारा धूल को पकड़ने के दो तरीके बनाए गए हैं। एमओईएफ (मार्च 2003) द्वारा जारी कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन (सीआरईपी)<sup>48</sup> पर चार्टर में मार्च 2008 तक फ्यूजीटीव उत्सर्जन को 100 प्रतिशत तक कम करने के लिए निर्धारित किया गया। सेल ने न केवल मौजूदा निर्धारित सीमा के अन्दर धूल को कम करने के लिए बल्कि भविष्य में भी लागू होने वाले उच्च मानकों को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का चयन किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित योजनाओं/ परियोजनाओं के अननुपालन के कारण हवा में धूल के उच्च उत्सर्जन का उल्लेख किया।

(i) बीएसएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए सिंट्रिंग प्लांट में बैटरी साइक्लोन (बीसी) को छह ईएसपी के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए परियोजना का ठेका दिया (अगस्त 2007), जिसे अगस्त 2010 तक पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि छह नियोजित ईएसपी में से एक ईएसपी को 2010 में चालू किया गया था और इस ईएसपी से उत्सर्जन परिकल्पित परियोजना मानक (<50 मिलीग्राम/ एनएम<sup>3</sup>) के अन्दर था। पांच ईएसपी के चालू न होने के कारण बीसी में 140 से लेकर 150 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> तक के पीएम का अधिक उत्सर्जन हुआ। इस प्रकार, 3.08 लाख टन की सिंटर धूल को पुनर्नवीनीकरण/ पुनः उपयोग नहीं किया जा सका और पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य स्लज कम्पार्टमेंट में भेजा गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि उत्सर्जन 150 मिलीग्राम/ एनएम<sup>3</sup> के मौजूदा मानक के अन्दर था। मार्च 2020 तक एक और ईएसपी का निर्माण पूरा होने की उम्मीद थी। शेष बीसी को बाद में बदला जाएगा।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि परियोजना को 50 मिलीग्राम/ एनएम<sup>3</sup> से कम धूल उत्सर्जन के परिकल्पित लक्ष्य को, भविष्य में मानकों में संशोधन के साथ-साथ उपकरणों के हैल्थ में गिरावट को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था।

(ii) बीएसएल के रिफ़ैक्टरी मैटेरियल प्लांट (आरएमपी) में उच्च स्टैक उत्सर्जन के कारण सीपीसीबी ने आरएमपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) को 2012 तक अपग्रेड करने का निर्देश दिया (मार्च 2011)। आरएमपी के ईएसपी को नवीनीकृत करने के

<sup>47</sup> ईएसपी ड्राई मोड में काम करता है जहां धूल जमा होती है और एसपी में पुनर्संयोजित किया जाता है और बैटरी साइक्लोन गीले प्रकार का इस्ट कलेक्शन सिस्टम था जिसमें धूल वाले घोल के पानी को टैंक में बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है

<sup>48</sup> एमओईएफ ने कचरे को कम करने, प्लांट प्रक्रिया नियंत्रण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियामक मानकों के पालन के प्रयोजन के साथ सीईपी प्रारम्भ किया (मार्च 2003)

लिए बीएसएल द्वारा प्रस्तुत समय सीमा का पालन न करने के कारण सीपीसीबी ने ₹0.50 करोड़ की बीजी जब्त कर ली। बीएसएल ने ईएसपी को प्रतिस्थापित करने का निर्णय किया (जुलाई 2014) और अप्रैल 2019 की समापन सूची के साथ जनवरी 2017 में एक संविदा की। आज तक केवल तीन ईएसपी (छह में से) को ही नवीनीकृत किया जा सका है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नए ईएसपी (1, 3 और 6) से पीएम उत्सर्जन परिकल्पित परियोजना मानक (<50 मिलीग्राम/ एनएम<sup>3</sup>) के अन्दर था लेकिन शेष ईएसपी में उत्सर्जन 140 से 150 मिलीग्राम/ एनएम<sup>3</sup> की सीमा में था जो निर्धारित मानक से अधिक था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि ईएसपी4 जनवरी 2020 में पूरा हो गया था और शेष दो ईएसपी (2 और 5) के कार्य सितंबर, 2020 तक पूरे हो जाएंगे। हालांकि, इन दोनों ईएसपी से स्टैक उत्सर्जन 150 मिलीग्राम/ एम<sup>3</sup> के मौजूदा मानकों को पूरा कर रहा था, इसलिए कोई गैर-अनुपालन नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि परियोजना के लिए परिकल्पित उत्सर्जन मानक <50 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> था।

(iii) बीएसपी में एसपी-3 की सिंटर मशीन-1 को अधिकतम 75 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> तक अपशिष्ट गैस को साफ करने के लिए शुरू में स्थापित किया गया था। स्टैक उत्सर्जन का मानक 150 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> से घटाकर 50 कर दिया गया था, जो मौजूदा प्रणालियों के माध्यम से पूरा नहीं हो रहा था। बीएसपी ने अक्टूबर 2017 के पूरा होने की अनुसूची तिथि के साथ इसे स्थापित करने के लिए आदेश दिया (सितम्बर 2016)। हालांकि, परियोजना को चालू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 65-80 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> की सीमा में धूल का उत्सर्जन हुआ है, जो निर्धारित मानक से अधिक था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एसपी-III की सिंटर मशीन -1 सीईसीबी द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानक का पालन कर रही है यानी नियमित रखरखाव और प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से 50 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> से नीचे। बताई गई उत्सर्जन सीमा मानक से अधिक उत्सर्जन के छिटपुट उदाहरण हैं जिसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की गई थी। सितंबर, 2020 तक ईएसपीएस के उन्नयन को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि ईएसपी के उन्नयन के लिए ली गयी परियोजना को अभी चालू किया जाना था।

(iv) आरएसपी के ओर बेडिंग एवं ब्लेंडिंग प्लांट (ओबीबीपी) पर धूल निकासी प्रणाली खराब हो गई जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम और पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता थी। ओएसपीसीबी ने पलायक धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और पीएम

उत्सर्जन के लिए 100 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> के मानक का पालन करने के लिए ड्राई फॉग डस्ट सप्रेसन (डीएफडीएस) स्थापित करने के लिए शर्त के साथ काम करने के लिए सहमति प्रदान की (मार्च 2014)। ओएसपीसीबी ने पाया (मई 2017) कि 100 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> के मानक की अपेक्षा पीएम<sub>10</sub> 121-155 एमजी/ एनएम<sup>3</sup> था और मई 2019 तक इस योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएसपीसीबी द्वारा दी गई समय-सीमा समाप्त हो गई थी लेकिन आरएसपी ने प्रणाली को पूरा नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि ओएसपीसीबी ने ओबीबीपी में ड्राई फॉग डस्ट सप्रेसन सिस्टम को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी थी। हालांकि, यह काम अभी तक (मई 2020) कमीशन नहीं हुआ है।

### 13.4.3.13 ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

#### i) विशिष्ट ऊर्जा खपत

विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) एक टन कच्चे इस्पात के उत्पादन में खपत होने वाली ऊर्जा है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल में ऊर्जा की खपत और विश्व औसत नीचे तालिका में दी गयी है:

तालिका 13.4.2

(इकाई: जी केल/ टी-सीएस)

वर्ष	सेल	टाटा स्टील	आरआईएनएल	विश्व औसत
2014-15	6.53	6.01	6.37	4.5 से 5.0
2015-16	6.51	5.77	6.40	
2016-17	6.60	5.67	6.39	
2017-18	6.38	5.67	6.05	
2018-19	6.50	5.69	5.98	
5 वर्षों के दौरान कमी (प्रतिशत)	0.46	5.32	6.12	--

ऊपर से, यह देखा गया है कि सेल में औसत एसईसी पिछले पांच वर्षों के दौरान टाटा स्टील और आरआईएनएल जैसे अपने समकक्षों के साथ-साथ विश्व औसत से अधिक था। सेल ऊर्जा खपत में कमी के संबंध में अपने समकक्षों से भी पिछड़ गया। 2014-19 के दौरान बीएसपी, आईएसपी और आरएसपी एसईसी के स्व-निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप 112.63 लाख जी केल विशिष्ट ऊर्जा की अधिक खपत हुई, जिससे जीएचजी में वृद्धि हुई और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एसईसी के लिए कोई वार्षिक सांविधिक मानक नहीं था, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) तीन साल के चक्र पर एसईसी के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। सेल के समग्र एसईसी में कमी आई है और नई इकाइयों के उत्पादन के स्थिरीकरण वृद्धि के बाद और पुरानी ऊर्जा खपत इकाइयों के चरणबद्ध तरह से हटाये जाने से एसईसी को और कमी करने की उम्मीद थी।

तथ्य यह है कि, एसईसी की अधिक खपत से जीएचजी में वृद्धि होती है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

## ii) कोक की अधिक खपत

कोक लोहा बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक है और कोक की दर को गर्म धातु के उत्पादन में कोक की खपत द्वारा दर्शाया जाता है। कम कोक दर बेहतर प्रदर्शन और सीओ<sub>2</sub> के कम उत्सर्जन को इंगित करता है।

तालिका 13.4.3: 2014-19 के दौरान सेल, टाटा स्टील और आरआईएनएल द्वारा कोक की खपत दर्शाना

(इकाई: किग्रा/ टीएचएम)

वर्ष	सेल	टाटा स्टील	आरआईएनएल	अंतरराष्ट्रीय मानक
2014-15	504	443	543	275-350
2015-16	489	380	543	
2016-17	473	360	490	
2017-18	456	348	459	
2018-19	452	352	465	
5 वर्षों के दौरान कमी (प्रतिशत)	10.32	20.54	14.36	

ऊपर से, यह देखा गया है कि सेल में कोक की खपत अंतरराष्ट्रीय मानक और टाटा स्टील से अधिक थी, लेकिन आरआईएनएल से कम थी। सेल को 2014-19 के दौरान कोक की खपत में केवल 10.32 प्रतिशत की कमी प्राप्त हो सकी। इसके अलावा, सेल के सभी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र 2014-19 की अवधि के दौरान कोक की खपत के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप सीओ<sub>2</sub> गैस का 45.96 लाख टन का अधिक उत्सर्जन हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल की कोक दर में सुधार हुआ था और पुराने बीएफ के प्रगतिशील उन्नयन, पुराने और अक्षम बीएफ को बंद करने और नए स्टोव का उन्नयन/ स्थापना करने के साथ और कमी की आशा है।

### 13.4.3.14 सौर ऊर्जा प्रबंधन

सौर ऊर्जा, एक नवीकरण ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। भारत सरकार ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 2030 तक 40 प्रतिशत तक बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रतिबद्धता की है। जीओआई ने नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना भी जारी की (जनवरी 2016)।

### 13.4.3.15 सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना नहीं होना

सेल ने नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को 2019 तक 200 एमडब्लू के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रतिबद्धता की (फरवरी 2015) और जेवी कंपनी एनएसपीसीएल और बीपीएससीएल<sup>49</sup> द्वारा 162 एमडब्लू के सोलर प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया। हालाँकि, कंपनी ने यह पता लगाया (मार्च 2018) कि सौर ऊर्जा का अनुमानित टैरिफ ₹3.59/ इकाई) अधिक था और जेवी के माध्यम से आगे न बढ़ाने का फैसला किया। सेल के बोर्ड ने टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने वाले एक नए जेवी में कुल 240 एमडब्लू के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी (फरवरी 2019)। ₹972 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ निविदा की प्रक्रिया जारी थी। कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सेल को जेवी में स्वामित्व का 26 प्रतिशत निवेश करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के लिए सेल की कारोबार योजना के अनुसार, कंपनी द्वारा अपेक्षित 10,700 मिलियन यूनिट (एमयू) विद्युत में से केवल 6,700 एमयू के लिए स्वयं के कैप्टिव विद्युत संयंत्र से उत्पादन होने और शेष को ग्रिड से खरीदे जाने की उम्मीद थी। ग्रिड पावर की लागत ₹4.50 से ₹7.60/ केडब्लूएच के बीच थी जो सौर (₹2.50 से ₹3/ केडब्लूएच) की लागत से काफी अधिक थी। इस प्रकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्णय लेने में देरी के कारण, कंपनी ने ऊर्जा की लागत बचाने का अवसर खो दिया और पर्यावरण में सालाना 3.30 लाख टन सीओ<sub>2</sub> गैस भी उत्सर्जित की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि इस संबंध में प्रस्तावित जेवी को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एमओएस को प्रस्तुत किया गया है।

एमएनआरई ने जोर दिया (जुलाई 2018) कि सार्वजनिक और निजी भवनों के परिसर में उपलब्ध छतों, खाली क्षेत्रों का उपयोग करके सौर ऊर्जा पैदा करने और ऊर्जा के बिल को कम करने की रूफ सोलर सेक्टर में जबरदस्त क्षमता थी। एमएनआरई ने सभी सार्वजनिक भवनों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए

<sup>49</sup> एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड और बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एमओएस को सलाह दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएसपी ने 2013 में भिलाई निवास में ₹2.44 करोड़ में एक रूफटाप सोलर फोटोवोल्टिक (0.2 मेगावाट) स्थापित किया था जो मार्च 2018 से निष्क्रिय था। बीएसएल, आरएसपी और आईएसपी ने क्रमशः दो मेगावाट, 10 किलोवाट और 160 किलोवाट की रूफटाप सोलर सिस्टम स्थापित की (2015/ 17)। डीएसपी में कोई रूफ टाप सोलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमएनआरई के 'अवार्ड-कम-इन्सैंटिव स्कीम' के तहत सेल प्लांटों में लगभग 6.195 मेगावाट क्षमता के रूफ टाप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए परियोजना के लिए निविदा निकाली गई थी। भिलाई निवास में रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम जुलाई, 2020 तक चालू होगा। डीएसपी में रूफ टाप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

#### 13.4.3.16 नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करने में कमी

विभिन्न राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों ने आरपीओ को अधिसूचित किया है। इसके तहत, बिजली वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव पावर के उपयोगकर्ताओं और खुले उपयोग के माध्यम से बिजली का उपयोग करने वाले लोगों का दायित्व है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा की निर्दिष्ट प्रतिशतता का उपयोग करें या ऊर्जा विनिमय से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीद लें।

(i) ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) ने ओईआरसी (नवीकरणीय एवं समन्वय क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियमन 2010 प्रकाशित किया। विनियमन के अनुसार, आरएसपी बिजली के कैप्टिव उत्पाद का उपयोगकर्ता होने के नाते, एक बाध्य इकाई थी और इसे नवीकरणीय स्रोतों से आरपीओ के तहत विद्युत ऊर्जा खरीदनी थी। वर्ष 2011-12 से कैप्टिव संयंत्रों से इस्तेमाल की जाने वाली कुल ऊर्जा का 5 प्रतिशत से कम न रहने वाली ऊर्जा की खरीद करनी थी जो 2015-16 तक हर साल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के अधीन था। इसके अलावा, आरपीओ के 5 प्रतिशत में से 0.1 प्रतिशत सौर ऊर्जा संयंत्र से खरीदा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि आरएसपी ने आरपीओ बाध्यताओं की पूर्ति के रूप में स्टील बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न गैस/ भाप के माध्यम से सीपीपी-1 में सह उत्पादन को ट्रीट किया। ओईआरसी ने सह-उत्पादन कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को कोई छूट नहीं दी (अगस्त 2015) और 2010-11 से अगस्त 2015 तक ₹43.23 करोड़ की आरपीओ बाध्यता के रूप में मांग की। आरएसपी ने ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ओईआरसी के आदेश को चुनौती दी (अप्रैल 2016) जो लंबित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि उच्च न्यायालय ने ओईआरसी के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।



(ii) ओईआरसी ने ओईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति और इस का अनुपालन) विनियम, 2015 प्रकाशित किया (सितम्बर 2015) जिस में कहा गया है कि प्रत्येक बाध्य इकाई को अपने स्वयं के नवीकरणीय स्रोतों से या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की खरीद के जरीये अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। यदि बाध्य इकाईयां किसी वर्ष के दौरान आरपीओ बाध्यता को पूरा नहीं करती हैं और आरईसी की खरीद भी नहीं करती हैं, तो आयोग आरपीओ की इकाईयों में कमी के आधार पर शास्ति और केंद्रीय आयोग द्वारा तय की गई फोरबेयर्स प्राइस जमा करने के लिए बाध्य इकाई को निर्देश दे सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएसपी ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान आरपीओ (332.32 एमयू) पूरा नहीं किया है और आरपीओ के खिलाफ देयता ₹64.94 करोड़ थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि 2015-16 से पहले चालू होने वाले बिजली संयंत्रों के लिए आरपीओ से संबंधित विद्युत मंत्रालय के आदेश (1 अक्टूबर 2019) के परिप्रेक्ष्य में, आरपीओ और संबंधित देयता ₹54.21 करोड़ थी। नवीकरणीय ऊर्जा या आरईसी खरीदने का उचित निर्णय अधिनिर्णय के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने हालांकि उल्लेख किया कि संशोधित आदेश के अनुसार देयता ₹64.94 करोड़ होगी और आरएसपी ने अभी तक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं खरीदी है।

#### 13.4.3.17 इस्पात संयंत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन

औद्योगिक ठोस अपशिष्ट जहरीली धातुओं और खतरनाक कचरे के स्रोत हैं, जो भूमि पर फैल सकते हैं और मिट्टी की उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूजल को दूषित करने के लिए विषाक्त पदार्थ निक्षालन या छिद्रित कर सकते हैं। एक अक्षम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली संक्रामक रोगों, भूमि और जल प्रदूषण, बाधा और प्रभाव जैव विविधता जैसे गंभीर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकती है। बीएफ और बीओएफ (या एलडी) से भारी मात्रा में स्लैग अपशिष्ट इस्पात बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। बीएफ स्लैग सिलिका, फेरस, लाइम, एल्यूमिना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में अधिकृत होता है, जो हवा और पानी को प्रदूषित कर सकता है। सीआरईपी 2003 के चार्टर के अनुसार, बीएफ और बीओएफ स्लैग को 2007 तक 100 प्रतिशत उपयोग करने की आवश्यकता थी।

#### 13.4.3.18 बीएसएल और बीएसपी में बीएफ स्लैग का कम उपयोग

सीपीसीबी ने बीएसएल को निर्देश दिया (मार्च 2011) कि वह बीएफ में कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट्स (सीएचएसजीपी) स्थापित करे और अक्टूबर 2012 तक 100 प्रतिशत बीएफ स्लैग का उपयोग करे। सीपीसीबी ने उपरोक्त के अननुपालन के कारण जून, 2013 में बीएसएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चूंकि बीएसएल के पास पहले से ही

बीएफ 4 और 5 में सीएचएसजीपी था, इसलिए उसने एमईपी के तहत शेष बीएफ (1, 2 और 3) में सीएचएसजीपी स्थापित करने की योजना बनाई। लेखापरीक्षा ने पाया कि छह सीएचएसजीपीएस में से केवल चार लगाए गए थे। सीएचएसजीपी परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण, स्लैग का ग्रेनुलेशन 45 से 74 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप बीएफ स्लैग का कम उपयोग हुआ। निरीक्षण के दौरान (नवम्बर 2018) एमओईएफ ने पाया कि स्लैग का एक बड़ा डंप परियोजना क्षेत्र में पड़ा हुआ था जिसे पर्यावरण में अनुकूल तरीके से निपटान करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएफ स्लैग के केवल वर्तमान उत्पादन का उपयोग किया जा रहा था। एमओईएफ एंड सीसी ने बीएसपी के एमईपी के लिए ईसी (मार्च 2008) प्रदान करते हुए सभी बीएफ स्लैग को ग्रेनुलेट करने और इसे सीमेंट विनिर्माताओं को प्रदान करने के लिए शर्त लगाई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-19 के दौरान बीएसपी में बीएफ स्लैग का उपयोग 72 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसएल में, सीएचएसजीपी-4 को हाल ही में बीएफ-2 में चालू किया गया था और सीएचएसजीपी-2 के मार्च 2020 तक चालू होने की उम्मीद थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सीएचएसजीपी की स्थापना में देरी के कारण केवल 45 से 74 प्रतिशत स्लैग, बीएसएल द्वारा ग्रेनुलेट किया जा सका। बीएसपी के मामले में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि, सभी कार्यकारी बीएफ से 100 प्रतिशत स्लैग ग्रेनुलेट किया गया और बाजार की मांग के आधार पर नियमित रूप से बेचा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि स्लैग का स्टॉक मार्च 2018 तक 1.59 लाख टन से बढ़कर मार्च 2019 तक 5.54 लाख टन हो गया।

#### 13.4.3.19 बीएसएल, डीएसपी और आरएसपी में एलडी स्लैग का कम उपयोग

स्टील बनाने के दौरान बुनियादी ऑक्सीजन भट्टी (बीओएफ) में बीओएफ/ एलडी स्लैग उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के पैरा 4.10.4 के अनुसार, सड़क बनाने, रेल गिट्टी इत्यादि के लिए प्रसंस्कृत/ आकार के स्लैग की आपूर्ति करने में सक्षम करने हेतु एसएमएस स्लैग अपक्षय/ स्टीम एजिंग प्लांट स्थापित करने हेतु स्टील प्लांटों को निर्धारित किया गया। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान, सेल ने सड़क बनाने या रेल गिट्टी या किसी अन्य पर्यावरण के अनुकूल उपयोग में एलडी स्लैग के वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रयास नहीं किए। सेल में एलडी स्लैग का उपयोग 2014-15 से 2018-19 के दौरान 56 और 84 प्रतिशत के बीच रहा।

- बीएसएल में, एलडी स्लैग की पायलट स्केल स्टीम एजिंग सुविधा की स्थापना और चालू करने के लिए आदेश मई 2016 में दिया गया था। हालांकि, इसे लागू नहीं किया गया था और लगभग 30-35 प्रतिशत उत्पन्न स्लैग का उपयोग आंतरिक सड़क बनाने में

किया गया था। रेलवे गिट्टी और बाहरी सड़क बनाने की प्रक्रियाओं में एलडी स्लैग का उपयोग 5 प्रतिशत से कम था। इस्पात मंत्रालय ने ग्रामीण सड़क निर्माण में प्रसंस्कृत स्लैग की वाणिज्यिक उपलब्धता और फ्री लाइम की कमी के लिए प्रशाराइज्ड स्टीम एजिंग प्लांट की स्थापना के लिए सेल (दिसंबर 2016) से अनुरोध किया था। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, अगस्त 2019 से सिंटर बनाने में 0-5 मिमी प्रसंस्कृत एलडी स्लैग की खपत में काफी वृद्धि हुई। प्राकृतिक रूप से वेदरड स्लैग की तुलना में स्टीम परिपक्क स्लैग के लागत लाभ विश्लेषण की खोज की जा रही थी।

- बीएसपी, बीओएफ स्लैग के 100 प्रतिशत का उपयोग कर सकता था, लेकिन डीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में, बीओएफ स्लैग का उपयोग 2014-19 के दौरान क्रमशः 65 और 76 प्रतिशत, 15 और 58 प्रतिशत और 22 और 45 प्रतिशत के बीच था। डीएसपी में, खुले यार्ड में 10 लाख टन बीओएफ स्लैग पड़ा था (सितंबर 2018)। डीएसपी ने इस अपशिष्ट के उपयोग के लिए कोई पहल नहीं की थी। स्लैग का लाभकारी उपयोग न केवल इस्पात उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करता है बल्कि पर्यावरणीय खतरों को कम करने में भी मदद करता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसपी में, बीओएफ स्लैग का उपयोग एसएमएस-1 में किया गया था, हालांकि, अन्य संयंत्रों में उपयोग के लिए सीमित अवसर थे। स्लैग की बिक्री बढ़ाने के लिए बीएसएल और आरएसपी द्वारा अन्य अवसर तलाशे जा रहे थे। डीएसपी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने में वेदरड स्लैग का उपयोग करने की पहल की गई है।

#### 13.4.3.20 सेल में इस्पात संयंत्रों में अन्य अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट

##### i) बीओएफ स्लज<sup>50</sup> का कम उपयोग

बीओएफ स्लज, एलडी कन्वर्टर्स से निकलने वाली गैस की सफाई के बाद बरामद किया गया बारीक ठोस कण होता है। बीएसएल में, बीओएफ स्लज में महत्वपूर्ण एफ ई मात्रा थी और इसका उपयोग सिन्टर मेकिंग के लिए किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बीएसएल (सालाना 24,500 टन) में उत्पन्न बीओएफ स्लज मिश्रित स्लज डिब्बे में प्रवाहित हुआ। इस उद्देश्य के लिए समर्पित तालाब की अनुपलब्धता और अपशिष्ट जल/घोल जल उपचार सुविधा की अनुपलब्धता के कारण यह अप्रयुक्त रहा। इसने पानी को प्रदूषित करने में भी योगदान दिया और मिट्टी की स्थिति को प्रभावित किया। बीओएफ स्लज का उपयोग, 2014-15 से 2018-19 के दौरान कंपनी के अन्य इस्पात संयंत्रों में

<sup>50</sup> एसएमएस स्लज या एलडी स्लज भी कहा जाता है

आरएसपी (32 प्रतिशत और 58 प्रतिशत), डीएसपी (शून्य से 20 प्रतिशत), आईएसपी (सात और 15 प्रतिशत) और बीएसपी (2 प्रतिशत) के बीच है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, इस मुद्दे को हल करने के लिए, विशेषज्ञ एजेंसियों को बीएसएल में बीओएफ स्लज के उपयोग का पता लगाने हेतु लगाया गया था। आरएसपी, डीएसपी और आईएसपी, बीओएफ स्लज के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे थे।

## ii) खतरनाक गड्ढे का भरा न जाना

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 (एचडब्ल्यूएमआर) के अनुसार, अपशिष्ट जनक को उचित और सुरक्षित संग्रह, भंडारण, उपचार, परिवहन और खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को सुनिश्चित करना आवश्यक है। बीएसएल में, औसतन 1,700 टन खतरनाक कचरे (एसिड टार स्लज, वैनेडियम पेंटाओक्साइड, सल्फर स्लज और डीकेंटर टार स्लज आदि) प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं। हमने यह पाया कि बीएसएल में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए इस्तेमाल किए गए (2007 से) दो खतरनाक गड्ढे भर गए थे और उन्हें बंद करने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, बीएसएल ने उपरोक्त नियम के उल्लंघन में खुले क्षेत्र में कचरे का निपटान किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, खतरनाक अपशिष्ट गड्ढे बारिश के पानी के संचय के कारण भर गए थे जो धीरे-धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा। नए गड्ढे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी।

## iii) एसपी में खतरनाक ईएएफ धूल का संचय

एसपी का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ), उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, बैग फिल्टर डस्ट या ईएएफ धूल उत्पन्न करता है। खतरनाक स्वरूप की होने के कारण, ईएएफ धूल का निपटान एचडब्ल्यूएमआर, 2016 के प्रावधानों के तहत किया जाना था। नियम के खंड 8 (1) के अनुसार, खतरनाक अपशिष्ट के साईट भंडारण पर 90 दिनों से अधिक की अनुमति नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2014-19 के दौरान, एसपी में 174 टन से 270 टन प्रति वर्ष ईएएफ धूल उत्पन्न हुई थी। डब्ल्यूबीपीसीबी ने खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के मानक के उल्लंघन के लिए एसपी को एक नोटिस भी दिया (फरवरी 2018)। ईएएफ धूल का गैर-निपटान/ उपयोग के परिणामस्वरूप खतरनाक अपशिष्ट का संचय हुआ और जिसमें वातावरण प्रदूषित हुआ एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, एसपी ने 2014-19 के दौरान स्टॉक में 1,100 टन की कमी की है और सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार, ईएएफ धूल का उपयोग करने के लिए नए अवसर विकसित किए जा रहे थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2,000 टन से अधिक ईएएफ धूल (31 मार्च 2019) का 90 दिनों से अधिक समय तक साइट पर संचयन और भंडारण हुआ था जो नियमों के उल्लंघन था।

#### iv) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) में घरेलू घरों, आवासीय कॉलोनियों और बाजार क्षेत्रों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट/ कचरा शामिल हैं। एमओईएफ एंड सीसी ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स 2000 (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016-एसडब्ल्यूएमआर, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित) एमएसडब्ल्यू के वैज्ञानिक रूप से संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान हेतु अधिसूचित किए (सितंबर 2000)। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संयंत्र प्रबंधन ने पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में कानूनी और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उचित कदम नहीं उठाए, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

#### v) एमएसडब्ल्यू के प्रसंस्करण/ निपटान

बीएसपी, एमएसडब्ल्यू नियमों के कार्यान्वयन के 16 वर्ष बाद भी एमएसडब्ल्यू के निपटान और प्रसंस्करण के लिए जगह की पहचान नहीं कर सका। एमएसडब्ल्यू को विभिन्न स्थानों पर डंप किया गया था, जिसे निवासियों द्वारा विरोध के बाद रोक दिया गया था। बीएसपी ने ठोस अपशिष्ट, खाद, प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण आदि के पृथक्करण द्वारा एमएसडब्ल्यू के प्रसंस्करण हेतु, जवाहर उद्यान (भिलाई) में एक ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव की पहल की (दिसम्बर 2018)। इसने सीमेंट संयंत्रों में उपयोग हेतु, प्लास्टिक की गैदें बनाने के लिए बैलिंग मशीन की स्थापना के लिए एक करार किया, जिसे अभी स्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि, आरएसपी में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए कोई अपशिष्ट निपटान केंद्र नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, आरएसपी की योजना आने वाले वर्ष में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अपशिष्ट निस्तारण केंद्रों की स्थापना की है।

#### vi) 'वेस्ट टू एनर्जी' प्लांट और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का लागू नहीं किया जाना

एस डब्ल्यूएमआर, 2016 के नियम 21 में यह निर्धारित किया गया था कि 1500के/ कैलोरी कि ग्राम या इससे अधिक का कैलोरी मान वाले गैर-पुनरावर्तनीय अपशिष्ट का

लैंडफिल पर निपटान नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रिफ्यूज्ड व्युत्पन्न इंजन के माध्यम से या इन व्युत्पन्न ईंधन के लिए फ़ीड स्टॉक के रूप में दे कर किया जाएगा। नियम 22 में कहा गया है कि स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित प्राधिकरण सीधे या एजेंसियां लगाकर इस नियम की अधिसूचना (8 अप्रैल 2016) से दो साल के अन्दर एक लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बीएसएल, आरएसपी, आईएसपी और बीएसपी ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसएल में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और सेनेटरी लैंडफिल सुविधा को स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक प्रौद्योगिकी चयन समिति का गठन किया गया है। बीएसपी में, अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र की स्थापना हेतु निविदा प्रक्रियाधीन थी। आरएसपी भी सूक्ष्म-खाद सुविधा स्थापित करने के लिए विकल्प तलाश रहा था।

#### vii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

एमओईअफसीसी ने अस्पतालों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998 जारी किया (जुलाई 1998), जिसे जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (बीएमडब्ल्यू 2016) के रूप में संशोधित किया गया था (मार्च 2016)।

#### viii) अस्पताल में अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होना

बीएमडब्ल्यू, 2016 अनुसूची-I, नियम-एफ, अस्पतालों में अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित करने के लिए प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बीएसपी, बीएसएल और आईएसपी ने अपने अस्पतालों में ईटीपी स्थापित नहीं किया है। इन अस्पतालों के अपशिष्ट को ऑक्सीडेशन तालाब में डाला जाता है और खुले नाले/ नदी में छोड़ दिया जाता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसपी के मुख्य अस्पताल में ईटीपी, दिसंबर 2021 से पहले स्थापित किया जाएगा। बीएसएल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण करने की योजना बना रहा था, जिसके पूरा होने के बाद बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) से गरगा नदी में कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाएगा। आईएसपी पर ईटीपी मार्च, 2020 तक चालू होने की उम्मीद थी।

## ix) जल संरक्षण प्रणाली

सीपीसीबी और एसपीसीबी ने स्टील प्लांट्स को निर्देश दिए, कि वे पानी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के साथ ईटीपी/ एसटीपी लगाकर फिर से उपयोग/ पुनर्चक्रण करें, जिसे नदी में बहा दिया जाता है। सीपीसीबी ने जल प्रदूषण उद्योगों के लिए जेडएलडी के कार्यान्वयन पर अपशिष्ट जल से साफ पानी की वसूली के लिए दिशानिर्देश जारी किए (जनवरी 2015)।

## 13.4.3.21 कारखानों में ईटीपी और जेडएलडी की स्थापना न करना

बीएसपी और डीएसपी ने ईटीपी/ एसटीपी को स्थापित किया है, हालांकि, सभी स्टील प्लांटों में जेडएलडी को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। एसटीपी/ ईटीपी और जेडएलडी की स्थापना न होने के मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

i) बीएसएल में, प्लांट और टाउनशिप के लिए कुल पानी की आवश्यकता लगभग 30 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) है। लगभग 10 एमजीडी सीवेज पानी को ऑक्सीडेशन तालाबों में और 10 एमजीडी को गरगा नदी में छोड़ा गया था। सीपीसीबी ने दिसंबर 2012 तक जेडएलडी के साथ एसटीपी की स्थापना के लिए (सितंबर 2011) निर्देश जारी किया। चूंकि, बीएसएल द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए एसटीपी को पूरा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (जून 2013)। झारखंड पीसीबी ने भी बीएसएल को सलाह दी, कि वह बिना उपचार के नदी में जाने वाले सीवेज और अपशिष्ट जल का निर्वहन बंद करे। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन ने बीएसएल टाउनशिप के सीवेज और अपशिष्ट जल के उपचार और पुनर्चक्रण के लिए परियोजना शुरू की (2015), लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसटीपी की स्थापना न होने के कारण, बीएसएल को सालाना 547.5 मिलियन गैलन (लगभग) पानी की कमी हो रही थी और गरगा नदी में बिना ट्रीटमेंट के पानी को प्रवाहित करने से - पानी प्रदूषित हो रहा था। संयंत्र क्षेत्र में, पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था पूरी तरह से हासिल नहीं की गई थी, क्योंकि दो में से एक मुहाना पूरा नहीं हुआ था और गरगा नदी में पानी का निर्वहन किया गया था, जिससे सालाना 3471 मिलियन गैलन पानी की बचत होती थी। इस प्रकार, पानी के पुनर्चक्रण न होने के कारण बीएसएल ने ₹11.05 करोड़<sup>51</sup> की वार्षिक बचत का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, बीएसएल टाउनशिप में एसटीपी को स्थापित करना डीपीआर चरण में था।

<sup>51</sup> 547.5 मिलियन गैलन + 3,471 मिलियन गैलन x 27.50 वाटर ट्रीटमेंट के 1,000 गैलन के लिए चालू लागत होने के नाते

ii) बीएसपी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सात मिलियन टन विस्तार योजना के साथ अपने आउटलेट से शून्य निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध था। संयंत्र से औद्योगिक अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए तीन आउटलेटों में से, अपशिष्ट जल को एक आउटलेट से पुनर्चक्रण किया गया था, लेकिन अन्य दो आउटलेटों से नदी में बहा दिया गया था। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीजीईसीबी) ने जल नवीनीकृत सहमति पर बीएसपी को आउटलेट-बी और सी के लिए जल पुनर्चक्रण प्रणाली को पूरा करने का निर्देश दिया (अगस्त 2018)। बीएसपी ने अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए आउटलेट-बी को 15 महीनों में पूरा करने का कार्यादेश (अक्टूबर 2014) दिया, जो अभी भी पूरा किया जाना था। इसके अलावा, बीएसपी ने आउटलेट-सी हेतु जून 2020 तक पूरा होने के लिए आदेश दिया (मई 2019)। इस प्रकार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) की स्थापना में देरी के कारण, बीएसपी अनुमानित 16.43 एमएम<sup>3</sup> पानी और पानी की बचत के कारण प्रतिवर्ष ₹12.22 करोड़ के सकल मार्जिन की वसूली नहीं कर सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, दोनों परियोजनाओं के पूरा होने की लक्षित तिथि सीजीईसीबी द्वारा जारी संशोधित समय सीमा (अक्टूबर 2021) के अन्दर थी। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि कुछ पर्यावरण योजनाओं के लिए एक्सटेंशन देने के लिए, बीएसपी को सीजीईसीबी को ₹27.25 करोड़ की बीजी प्रस्तुत करनी पडी।

iii) डीएसपी के पास अपशिष्ट जल के उपचार के लिए प्लांटों और टाउनशिप में एसटीपी है और उपचारित पानी को नदी में बहा दिया जाता है। एमओईएफ ने 1996 में डीएसपी के एमईपी के लिए सशर्त मंजूरी दी है कि आधुनिकीकरण के बाद, डीएसपी डाउनस्ट्रीम (जेडएलडी) में किसी भी अपशिष्ट का प्रवाह नहीं करेगा। डीएसपी ने पानी की आपूर्ति के लिए डीवीसी (2016) के साथ एक करार किया, जिसमें शून्य अपशिष्ट निकासी के लिए उपाय करने पर पानी के बिल पर 20 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि। डीएसपी ने अभी तक जेडएलडी को लागू नहीं किया है और उपचारित पानी को नदी में बहा दिया जाता था। डीएसपी को भी सालाना ₹3.81 करोड़ की लाभांश छूट की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, जेडएलडी प्राप्ति हेतु कार्रवाई, प्रस्ताव स्तर पर थी।

iv) आरएसपी में, टाउनशिप और स्टॉर्म वाटर से उत्पन्न घरेलू सीवेज के औसत 6.5 एमजीडी को उपचार के लिए तीन ऑक्सीडेशन तालाबों में भेजा जाता है, जिसे एक नदी में छोड़ दिया जाता है। हालांकि, उपचारित सीवेज पानी के 6.5 एमजीडी का पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण जीरो डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। घरेलू सीवेज को पुनर्चक्रण करने के लिए शुरू किया गया प्रस्ताव (जनवरी 2015), अभी पूरा किया जाना



था। एसटीपी लागू नहीं होने के कारण, कंपनी को प्रति वर्ष ₹10.51 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि, आरएसपी घरेलू सीवेज की रीसाइक्लिंग की योजना को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना को लागू करने हेतु उठाए गए कदमों पर उत्तर में उल्लेख नहीं था।

#### 13.4.3.22 आईएसपी में जेडएलडी का अननुपालन

आईएसपी में जेडएलडी शुरू नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पानी की आपूर्ति के लिए डीवीसी के साथ करार में पश्चिम बंगाल पीसीबी से जेडएलडी प्रमाणन पर 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। एफआईसीसीआई की वाटर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फरवरी 2019) के अनुसार, कुल विघटित ठोस, क्लोराइड, कठोरता आदि के संबंध में डिस्चार्ज (डिहिका) पॉइंट पर मापे जाने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता, इन्टेक पॉइंट की तुलना में बहुत अधिक थी। इस प्रकार, आईएसपी पर जेडएलडी सुनिश्चित करने में देरी के कारण, कम्पनी को जल प्रदूषण के अलावा सालाना ₹0.47 करोड़ (2018-19) के पानी पर छूट की भी हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि आईएसपी में जेडएलडी के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और निविदा विनिर्देशों की तैयारी, प्रगति पर थी।

#### 13.4.4 निष्कर्ष

सेल सुरक्षा संगठन ने अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना विकसित नहीं की या समय सीमा निर्धारित नहीं की है। 686 सिफारिशों में से, 258 का अभी अनुपालन किया जाना था। बीएसपी के पंप हाउस में पाइपलाइनों में टूटने से पानी का दबाव कम हो गया और बीएफ गैस पीएच में फैल गई जिसके कारण छह लोग की मृत्यु हो गई। सुरक्षा उपायों को अपनाने में लापरवाही और चार्ज की गई पाइप लाइनों पर सीओ गैस लाइन के डी-ब्लैंकिंग कार्य करने की असुरक्षित प्रथा के कारण वीएसपी में दुर्घटना हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। संयंत्रों में तैनात किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या सांविधिक आवश्यकताओं से कम थी। फलाई ऐश और स्लैग डंप का निपटान नहीं करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं करने के कारण ईसी को जारी करने में देरी हुई जिसकी अनुपस्थिति में बीएसएल में सिंटर प्लांट और एसएमएस-1 पैकेज के लिए काम रोक दिया गया था। सेल में कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ टाटा स्टील से भी अधिक था। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के पूरा होने में देरी के कारण पर्यावरण में गैसों का प्रवाह बढ़ गया। सेल में विशिष्ट ऊर्जा खपत का औसत टाटा स्टील और आरआईएनएल के साथ-साथ विश्व औसत से अधिक था।

मंत्रालय को मामला मार्च 2020 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

### 13.5 सेल/ आरएसपी द्वारा परिहार्य व्ययन

सेल/ राउरकेला स्टील प्लांट के कैप्टिव पावर जनरेशन पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ लेने के संबंध में उड़ीसा सरकार के इंडस्ट्रियल पोलिसी रेजोल्यूशन का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹16.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान।

उड़ीसा सरकार (जीओओ) ने विभिन्न इन्डस्ट्रीज को विविध प्रोत्साहन देने के लिए एक इंडस्ट्रियल sपोलिसी रेजोल्यूशन (आईपीआर) 2007 (2 मार्च 2007 से लागू) को प्रारंभ किया। आईपीआर 2007 के पैरा 20.2 में प्रावधान किया गया है कि कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) स्थापित करने वाली नई औद्योगिक इकाइयां इनके चालू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वयं उपभोग हेतु 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क (ईडी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने उक्त छूट का लाभ लेने योग्य औद्योगिक इकाइयों के लिए परिचालन सम्बंधी दिशानिर्देश जारी किए (8 अगस्त 2008)। दिशानिर्देशों का खंड 6 निर्धारित करता है कि दावा की गई छूट को सीपीपी के चालू होने की तिथि से छः महीनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया जाना था और आवेदन दाखिल करने में देरी को स्वीकार नहीं किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश के खंड-7 में प्रावधान किया गया है कि योग्य छूट का दावा करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उड़ीसा सरकार के संबंधित महाप्रबंधक (जीएम)/ परियोजना प्रबंधक (पीएम), जिला औद्योगिक केंद्रों (डीआईसी) को आवेदन जमा करना होगा। संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित रूप में अभिस्वीकृत किया जाएगा।

उड़ीसा सरकार ने इसके बाद आईपीआर 2015 प्रारंभ किया (24 अगस्त 2015 से लागू) जिसके पैरा 5.4.4 (सी) में प्रावधान किया गया है कि गैर-पारंपरिक स्रोतों और जैव-ईंधन के साथ सीपीपी की स्थापना करने वाली नई एवं मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को ग्रीन एनर्जी सब्सिडी के रूप में चालू होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए ईडी के भुगतान से छूट दी जाएगी। ईडी के भुगतान से छूट का लाभ लेने की प्रक्रिया आईपीआर 2007 के तहत परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित के समान थी सिवाय इसके कि आवेदक को इकाई के चालू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक था।

विभिन्न क्षमताओं वाली तीन ऊर्जा उत्पादक ईकाईयां<sup>52</sup> इसके कैप्टिव उपयोग के लिए क्रमशः मार्च 2014, दिसम्बर 2014 और मार्च 2015 में सेल/ राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में चालू किए गए थे। और एक मेगा वॉट सोलर पावर प्लांट (एसपीपी) आरएसपी में फरवरी 2016 में चालू किया गया था। परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, ईडी की छूट हेतु आवेदन क्रमशः सितम्बर 2014, जून 2015, सितम्बर 2015 और फरवरी 2017 में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरएसपी ने 2x18 मेगा वॉट स्टीम टरबाइन जेनरेटरों (एसटीजी) पावर प्लान्ट के संबंध में, आईपीआर 2007 के तहत ईडी की छूट हेतु आवेदन (जुलाई 2014) जमा किया। उड़ीसा सरकार के उद्योग विभाग से आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति हालांकि अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। उड़ीसा सरकार के ऊर्जा विभाग ने आरएसपी के साथ पत्राचार के उत्तर में ईडी की छूट हेतु आरएसपी से किसी भी संप्रेषण की प्राप्ति से (अप्रैल 2015) इंकार किया। एसटीजी के संबंध में (जुलाई 2014) ईडी से छूट हेतु आवेदन करते समय, प्रबंधन ने अग्रोधन पत्र में उड़ीसा सरकार को सूचित किया था कि एक और 14 मेगा वॉट टीआरटीजी और 6.5 मेगा वॉट बीपीटीजी शीघ्र ही चालू होने वाले थे। आरएसपी द्वारा परिचालन दिशानिर्देशों के द्वारा अनुबंधित निर्धारित प्रारूप में टीआरटीजी, बीपीटीजी और एसपीपी के संबंध में ईडी में छूट हेतु आवेदन जमा नहीं किया गया था (जुलाई 2019)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एसटीजी से ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया और आरएसपी ने नवम्बर 2013 से ईडी का भुगतान प्रारंभ किया। टीआरटीजी और बीपीटीजी के संबंध में आरएसपी द्वारा स्थापना से ही ईडी का पूरा भुगतान किया जा रहा है, जबकि एसपीपी के संबंध में, ईडी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एसपीपी से ईडी के भुगतान के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा (16 नवम्बर 2018) दावा किया गया था और इसके उत्तर में आरएसपी ने ईडी के भुगतान में छूट हेतु (28 नवम्बर 2018) आग्रह किया था।

हालांकि, उड़ीसा सरकार ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2018) कि इस प्रकार की छूट का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब आईपीआर 2015 के अनुसार निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत ऐसे मामलों में आवेदन किया गया हो।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि आरएसपी ने आईपीआर 2007 के अनुसार 21 जुलाई 2014 को पांच वर्षों के लिए सभी ईकाईयों (एसटीजी, टीआरटीजी और बीपीटीजी) के लिए ईडी में छूट हेतु आवेदन किया था। आगे बताया गया कि ईडी के दायरे

<sup>52</sup> पावर एवं ब्लॉइंग स्टेशन पर 2x18 मे.वा. स्टीम टर्बाइन जेनरेटर्स (एसटीजी), बीएफ-4 कॉम्प्लेक्स में 1x14 मे.वा. टॉप रिकवरी टर्बो जेनरेटर (टीआरटीजी) और 21/ 03/ 2014, 08/ 12/ 2014 और 15/ 03/ 2015 में शुरू सीओ कॉम्प्लेक्स में 1x6.5 मे.वा. बैंक प्रेशर टर्बो जेनरेटर (बीपीटीजी)

से पीबीएस की सभी उत्पादक इकाईयों को छूट के लिए उड़ीसा सरकार के साथ आरएसपी के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा यह मामला उठाया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि:

- एसटीजी के लिए दायर ईडी के भुगतान से छूट हेतु आवेदन से संबंधित अभिलेखों में अभिस्वीकृति उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एसटीजी के संबंध में ईडी की छूट हेतु आवेदन के लिए अग्रगण्य पत्र में केवल दो अन्य विद्युत संयंत्रों का संदर्भ दिया गया था और निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यद्यपि, पहले तीन पावर प्लांट (एसटीजी, बीपीटीजी और टीआरटीजी) के लिए ईडी के भुगतान से छूट की मांग करने के लिए, उड़ीसा सरकार के ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव के साथ आरएसपी के सीईओ द्वारा पत्राचार (जून 2015) किया गया, मामले पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। अगस्त 2015 के बाद, इस मामले को केवल मौखिक रूप से उठाया गया और आरएसपी ने ईडी का भुगतान जारी रखा।
- उड़ीसा सरकार ने एसपीपी हेतु ईडी के भुगतान से छूट के संबंध में आरएसपी का आग्रह स्वीकार नहीं किया और ब्याज सहित ₹3.47 करोड़ का दावा करते समय यह बताया (दिसम्बर 2018) कि छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता जब तक निर्धारित समय के अंतर्गत इसका आवेदन नहीं किया गया हो और प्राप्त नहीं किया गया हो।

इस प्रकार, कैप्टिव पावर जेनरेशन पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ लेने के संबंध में उड़ीसा सरकार के इंडस्ट्रीयल पोलिसी रेजोल्युसन का अनुपालन करने में आरएसपी की विफलता के परिणामस्वरूप तीन पावर प्लांट के संबंध में नवम्बर 2013 और मार्च 2019 के बीच ₹16.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ, जो बीपीटीजी<sup>53</sup> के चालू होने के समय से पाँच वर्षों के पूरा होने तक बढ़ता रहेगा। इसके अलावा, उड़ीसा सरकार ने एसपीपी के संबंध में ईडी के संदर्भ में (ब्याज सहित) ₹3.47 करोड़ के लिए मांग की जिसका भुगतान (जनवरी 2020) अभी किया जाना है।

मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

---

<sup>53</sup> बीपीटीजी (मार्च 2020)

## अध्याय XIV- लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज़ द्वारा वसूलियां और सुधार/ संसोधन

एयर इंडिया लिमिटेड, नॉर्दन कोलफील्डस लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फटीलाइर्जस लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

### 14.1 लेखापरीक्षा द्वारा पर वसूलियां

9 सीपीएसई से संबंधित 10 मामलों में, लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट ₹80.60 करोड़ की राशि वसूली के कारण थी। सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा 2018-19 के दौरान ₹51.43 करोड़ की राशि वसूल की गई जिसके ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कैमीकल एंड फटीलाइर्जस लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

### 14.2 लेखापरीक्षा द्वारा बताए मामलों में सुधार/ संसोधन

नमूना जांच के दौरान, नियमों/ विनियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामले देखे गए और प्रबंधन के ध्यान में लाए गए। उन मामलों का विवरण जहां लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट करने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी या उनके नियमों/ विनियमों आदि में प्रबंधन द्वारा परिवर्तन किए गए थे जो परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

## अध्याय XV

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (वाणिज्यिक)

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित लेखों एवं अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया के समापन को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारिणी से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/ मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/ संशोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध (जुलाई 1985) किया। ऐसी टिप्पणियों को उन पैराग्राफों/ मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनका चयन विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) द्वारा नहीं किया गया था। उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए सीओपीयू ने अपनी रिपोर्ट (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में सिफारिश की:


- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों (एटीएन) की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना।
- विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई पीएसयू के पैरा वाली रिपोर्ट के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना; तथा
- संसद में प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तिथि से छः माह के अन्दर समिति को प्रस्तुत करना।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में (1999-2000 तेहरवी लोकसभा) अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को भिन्न-भिन्न उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल टिप्पणियों पर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए डीपीई में ही एक पृथक मॉनीटरिंग सेल स्थापित करना चाहिए। तदनुसार, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुत करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मॉनीटरिंग

सेल कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अंदर निगरानी सेल भी स्थापित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू से संबंधित पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल 54 संव्यवहार लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/ समीक्षाओं और छः निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारात्मक/ सुधारात्मक एटीएन, जांच हेतु लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे जिनका परिशिष्ट III में ब्यौरा दिया गया है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 15 दिसम्बर 2020



(शुभा कुमार)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)  
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 दिसम्बर 2020



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक





**परिशिष्ट एवं अनुलग्नक**



## परिशिष्ट-I

(पैरा 14.1 में संदर्भित)

## 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त में लेखा परीक्षा अवलोकन	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
रसायन और उर्वरक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मूल्यवर्धित कर की छूट के संबंध में तमिलनाडु सरकार से आश्वासन प्राप्त किए बिना नेफथा की खरीद।	439.00	439.00
नागर विमानन	एयर इंडिया लिमिटेड	शास्ति खण्डों के अननुपालन के परिणामस्वरूप कैटरर्स से शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।	8.81	8.81
कोयला	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड	पारगमन शुल्क के कारण वन विभाग को अतिरिक्त भुगतान।	1,874.29	218.81
कोयला	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	सीएसआर काम के लिए दिए गए अग्रिमों के संबंध में एनबीसीसी से मार्च 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ब्याज की वसूली न करना।	218.00	218.00
वित्त	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईआरडीए विनियमों के उल्लंघन में बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को कमीशन का अत्यधिक भुगतान।	9.51	4.99
वित्त	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	दो जहाजों के ढहने के दौरान यूरिया की क्षति के प्रति राज्य व्यापार निगम के पक्ष में समुद्री कार्गो दावे की वसूली। इस दावे का निपटान पोत मालिकों से वसूल करने के लिए अधीनता पत्र प्राप्त करने के अधीन किया गया था।	1,582.00	333.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

वित्त	द न्यू इंडिया एशयोरेंस कंपनी लिमिटेड	कमीशन का अत्यधिक भुगतान।	16.46	8.56
वित्त	द न्यू इंडिया एशयोरेंस कंपनी लिमिटेड	सर्वेक्षण शुल्क का अत्यधिक भुगतान।	2.21	2.21
सड़क परिवहन और राजमार्ग	एनएचएआई	ठेकेदार से मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली न करना।	1,076.00	1,076.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग	एनएचएआई	ठेकेदारों से नुकसान की कम वसूली।	3.00	3.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ओएनजीसी लिमिटेड	परियोजना के अन्य भागीदारों से ईस्ट कोस्ट के वेसेल और एयर ट्रैफिक सिस्टम की स्थापना और चालू करने के लिए खर्च को साझा न करना।	2,831.00	2,831.00
		<b>कुल</b>	<b>8,060.28</b>	<b>5,143.38</b>

## परिशिष्ट-II

(पैरा 14.2 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/ संशोधन में की गई वसूलियां

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त में लेखापरीक्षा अवलोकन/परमर्श	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
रासायनिक और उर्वरक	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 के तहत क्रेच सुविधा का प्रावधान न होना।	क्रेच सुविधा को 14.12.2018 से चालू कर दिया गया था।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल ने स्व-प्रमाणन के आधार पर प्रति वर्ष निर्धारित वार्षिक अधिकतम सीमा तक स्वयं और/ या परिवार के पात्र सदस्यों के संबंध में कर्मचारियों को चश्मा/ कॉन्टैक्ट लेंस की लागत की प्रतिपूर्ति की, जो डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।	कंपनी ने तत्काल प्रभाव से चश्मे / कॉन्टैक्ट लेंस की लागत की प्रतिपूर्ति के मौजूदा प्रावधान को बंद करने का फैसला किया
इस्पात	सेल	दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल, डीवीसी को बिजली बिल का अग्रिम भुगतान कर रहा था, जो डीवीसी के लिए अनुचित लाभ और सेल को ब्याज का नुकसान था	डीवीसी को बिल का अग्रिम भुगतान रोक दिया गया है।

**परिशिष्ट-III**

(अध्याय-XV में संदर्भित)

**2019 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) का विवरण दिखाते हुए  
जिसके लिए की गई कार्रवाई के नोटस लंबित थे**

रिपोर्ट का वर्ष एवं संख्या	रिपोर्ट का नाम	पैरा संख्या
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
<b>नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>		
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.3
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1 से 1.9
<b>कोयला मंत्रालय</b>		
2019 की 12	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1 से 2.3
<b>वित्त मंत्रालय</b>		
2015 की 21	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.3
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.3
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1
2017 की 16	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1 से 3.4
<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		
2017 की 29	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.2
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1
<b>खान मंत्रालय</b>		
2016 की 6	निष्पादन लेखापरीक्षा	
<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
2019 की 7	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.9 और 6.12
<b>ऊर्जा मंत्रालय</b>		
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 और 7.9

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.3, 11.5 और 11.6
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1 से 8.3
इस्पात मंत्रालय		
2019 की 5	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1 से 10.8
वस्त्र मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.1

**अनुलग्नक-I**  
**(पैरा 3.1 में संदर्भित)**

**बिजली लागत घटक के लिए खनन अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा प्राप्त वर्षवार लाभ दर्शाने  
वाला विवरण**

वर्ष	कोयला निका ला गया (लाख टन में)	खनन शुल्क (₹ प्रति टन)	खनन शुल्क में शामिल विद्युत घटक की लागत (₹ प्रति टन)	खनन शुल्क के हिस्से के रूप में बिजली के घटक के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई कुल लागत (₹ करोड़ में)	ठेकेदार से वास्तव में वसूल किए गए विद्युत शुल्क (₹ करोड़ में)	ठेकेदार को उपार्जित लाभ (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड) = [(ख) x (घ)]	(च)	(छ) = [(ड) - (च)]
2012-13 (1/2013 से)	44.51	155.55	2.84	1.26	0.15	1.11
2013-14	167.80	165.77	3.40	5.71	0.76	4.95
2014-15	197.44	178.10	4.07	8.04	1.29	6.75
2015-16	235.62	178.27	3.71	8.74	1.48	7.26
2016-17	250.00	171.87	4.08	10.20	1.70	8.50
2017-18	262.50	191.07	4.08	10.71	1.55	9.16
2018-19 (12/2018 तक)	200.62	198.77	4.35	8.73	1.29	7.44
<b>कुल</b>				<b>53.39</b>	<b>8.22</b>	<b>45.17</b>



**अनुलग्नक-II**  
(पैरा 5.1.1 में संदर्भित)

क्रम सं	परियोजना का नाम	अग्रणी बैंक	परियोजना की लम्बाई (कि. मी. में)	लागत अधिकता के बिना ऋण की मूल मंजूरी की राशि		लागत अधिकता के लिए ऋण की स्वीकृति		सीए की वर्तमान स्थिति	31.12.2019 तक बकाया राशि		ऋण की गुणवत्ता
				तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	तारीख	राशि (₹ करोड़ में)		मूल राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज राशि (₹ करोड़ में)	
1	आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवेज लिमिटेड	बैंक ऑफ इंडिया	155.15	08/03/2010	208	(24/3/2015, मार्च-2016, अक्टू-2016, मई-2014)	108.64	समाप्त नहीं हुआ	299.71	130.79	एनपीए
2	बारासात-कृष्णनगर एक्सप्रेसवे लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	84.317	06/07/2011	152	9/15/2015	8.6	सीए समाप्त हो गया	121.18	54.29	बढ़े - खाते में डाला गया
3	बरेली हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	151	01/12/2011	200	3/1/2016	58.69	सीए समाप्त हो गया	253.46	99.90	बढ़े - खाते में डाला गया

4	सिद्धी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	102.6	08/01/2013	150		0	समाप्त नहीं हुआ	142.91	23.91	एनपीए
5	एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवे लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	206	30/04/2011	240		0	सीए रद्द हो गया	89.06	54.77	बट्टे - खाते में डाला गया
6	साई मर्तिनी टोलवेज लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक	166.173	03/08/2012	280		0	सीए रद्द हो गया	278.66	130.83	एनपीए
7	हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	78.76	01/06/2010	105	24/03/2015, 29/03/2017	51.96	सीए रद्द हो गया	156.96	53.36	बट्टे - खाते में डाला गया
8	कॉनकॉस्ट पाथ बेमेठा सतना रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	97	11/03/2013	45.72		0	सीए रद्द हो गया	43.20	19.06	बट्टे - खाते में डाला गया
9	सायन-पनवेल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ओवरसीज बैंक	23.09	31/03/2011	160		0	सीए रद्द हो गया	160.00	84.01	बट्टे - खाते में डाला गया
10	बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	122.88	31/11/2011	400		0	समाप्त नहीं हुआ	350.36	44.19	एनपीए

11	बंसल पाथवे मनगवां चाकघाट प्राइवेट लिमिटेड	इलाहाबाद बैंक	52.071	08/12/2017	80		0	समाप्त नहीं हुआ	71.61	0.00	सामान्य
12	बायोरा देवास हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	141.259	09/06/2016	300		0	समाप्त नहीं हुआ	295.30	0.00	सामान्य
13	नवयुग जान्हवी टोल ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड	एसबीएच	50.943	31/03/2011	80		0	समाप्त नहीं हुआ	39.15	1.27	पुनर्निर्मित मानक
14	पुणे सतारा टोलरोड प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक (बाद में एक्सिस बैंक)	140.35	11/04/2014	200		0	समाप्त नहीं हुआ	187.60	0.00	पुनर्निर्मित मानक
15	डीए टोल रोड लिमिटेड	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	179.5	26/03/2014	400		0	समाप्त नहीं हुआ	398	21.16	पुनर्निर्मित मानक
16	यादेशी औरंगाबाद टोलवेज लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक	189.09	11/11/2014	400		0	समाप्त नहीं हुआ	395.48	0.00	सामान्य
17	रायलसीमा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक	188.75	01/06/2010	240	17/12/2014, 29/12/2015, 30/12/2016	137.59	समाप्त नहीं हुआ	305.87	0.00	सामान्य

18	कैथल टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीबीआई	165.756	16/12/2014	200		0	समाप्त नहीं हुआ	120.98	0.00	सामान्य
19	ई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	आईडीबीआई	123.87	29/03/2016	330		0	समाप्त नहीं हुआ	300.29	0.00	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
20	नवयुग क्वाजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	15.25	27/10/2010	375		0	समाप्त नहीं हुआ	0.00	0.00	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
21	डीबीएल पाटन रेहली टोलवेज लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	86.6	01/03/2016	52		0	समाप्त नहीं हुआ	49.66	0.00	सामान्य
22	बीएससीपीएल औरंगाबाद टोलवेज लिमिटेड	आईसीआईसी आई बैंक	150.4	03/08/2012	168		0	समाप्त नहीं हुआ	164.64	1.24	सामान्य
23	एसीपी टोलवेज लिमिटेड	पीएनबी	115	24/04/2012	240		0	समाप्त नहीं हुआ	228.60	0.05	सामान्य
24	एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर ई-प्रोजेक्ट लिमिटेड	यह लागू नहीं है क्योंकि यह वित्त का आहरण है	लागू नहीं (वित्त का आहरण)	03/02/2016	269.9		0	समाप्त नहीं हुआ	501.38	15.64	सामान्य

25	डीबीएल मंगलवेधा सोलापुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	आईआईएफ सीएल	56.5	21/08/2018	179.53		0	समाप्त नहीं हुआ	58.24	0.00	सामान्य
26	गवर खाजुवाला बीएपी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	इंडसइंड बैंक	212.107	16/03/2019	80		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
27	ऐपको अरसवेल्ली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	54.19	21/08/2018	250		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
28	पटेल सेठियाहोपू चोलोपुरम हाइवे प्राइवेट लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	50.48	28/09/2018	250		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
29	हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड	बैंक ऑफ इंडिया	71.16	08/02/2010	260	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण

30	आईआरबी तुमकुरचिट्टु रादुर्गा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी	114	05/10/2010	136	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
31	अशोक बेलगाम धवद टोलवेज प्रा. लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक	79.36	23/03/2011	82.02	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
32	ओरिएंटल नागपुर बैतूल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	176.7	09/05/2011	380	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण

**अनुलग्नक-III**  
**(पैरा 5.3.4 में संदर्भित)**

**चयनित शाखाओं में नमूने के चयन का विवरण**

राज्य	शाखा	उत्पाद	एनपीए की राशि (बकाया) (₹)	मामलों की सं
कर्नाटक	सिरसी	डीएल-एसएचजी	4,324	1
		एसएचजी को ऋण	2,03,10,692	272
	विजयपुरा	डीएल-एसएचजी	3,015	1
		जेएलजी (संयुक्त देयता समूह) को ऋण	16,362	1
		एसएचजी को ऋण	1,41,72,284	155
	तुमकुर	डीएल-एसएचजी	5,001	1
		जेएलजी को ऋण	1,15,23,684	146
		एसएचजी को ऋण	20,36,845	7
तमिलनाडु	कुड्डालोर	एसएचजी को ऋण	23,24,855	87
	डिंडिगुल	एसएचजी को ऋण	65,60,486	80
	मदुरै	एसएचजी को ऋण	63,43,683	74
	इरोड	एसएलआई को ऋण	29,95,942	1
महाराष्ट्र	गोंदिया	एसएचजी को ऋण	3,06,76,987	194
	यवतमाल	एसएचजी को ऋण	98,98,916	142
	नांदेड़	एसएचजी को ऋण	77,23,595	162
	अमरावती	एसएलआई को ऋण	6,81,027	1
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	एसएलआई को ऋण	44,66,779	6
		एसएचजी को ऋण	56,39,966	76
तेलंगाना	वारंगल	एसएलआई को ऋण	1,05,39,489	6
		<b>कुल</b>	<b>13,59,23,932</b>	<b>1,413</b>

**डीएल: डायरेक्ट लेंडिंग**

**एसएचजी: स्वयं सहायता समूह**

**जेएलजी: संयुक्त देयता समूह**

**अनुलग्नक-IV**  
(पैरा 5.3.6.1 में संदर्भित)

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों  
का विवरण

(क) वित्तीय लक्ष्य (ऋण संवितरित):

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	बीडीसी	सीधा उधार	एसएलआई- एनबीएफसी/ ऍमएफआई	कौशल ऋण	जोड़
2015-16	लक्ष्य	1000	-	20	-	1020
	उपलब्धि	807.56	-	16.86	0.12	824.54
	उपलब्धि का प्रतिशत	<b>80.76</b>	-	<b>84.30</b>	-	<b>80.84</b>
2016-17	लक्ष्य	950	-	50	-	1000
	उपलब्धि	736.25	10.53	84.16	2.21	833.15
	उपलब्धि का प्रतिशत	<b>77.50</b>	-	<b>168.32</b>	-	<b>83.32</b>
2017-18	लक्ष्य	1,070.00	100	100	-	1,270.00
	उपलब्धि	1,046.08	88.38	81.13	2.09	1,217.68
	उपलब्धि का प्रतिशत	<b>97.76</b>	<b>88.38</b>	<b>81.13</b>	-	<b>95.88</b>
2018-19	लक्ष्य	1,101.56	200	112	0	1,413.56
	उपलब्धि	962.43	193.35	112.53	0	1,286.31
	उपलब्धि का प्रतिशत	<b>87.36</b>	<b>96.66</b>	<b>100.47</b>	-	<b>89.72</b>



## (ख) भौतिक लक्ष्य

वर्ष	विवरण	कवर किए जाने वाली एसएचजी की सं	कवर किए जाने वाले राज्यों की सं	कवर किए जाने वाले जिलों की सं	कवर किए जाने वाली बीडीसी की सं
2015-16	लक्ष्य	25,000	5	85	255
	उपलब्धि	20,868	8	96	256
	उपलब्धि का प्रतिशत	83.47	160.00	112.94	100.39
2016-17	लक्ष्य	23,000	10	100	290
	उपलब्धि	22,192	10	109	406
	उपलब्धि का प्रतिशत	96.49	100.00	109.00	140.00
2017-18	लक्ष्य	26,750	12	110	400
	उपलब्धि	31,237	13	125	471
	उपलब्धि का प्रतिशत	116.77	108.33	113.64	117.75
2018-19	लक्ष्य	25,000	15	135	485
	उपलब्धि	31,250	16	131	479
	उपलब्धि का प्रतिशत	125	106.66	96.32%	98.76

**अनुलग्नक-V**  
(पैरा 5.3.6.2 में संदर्भित)

**वर्ष 2015-16 से 2018-19 के वर्षों के दौरान वर्ष वार और क्षेत्र-वार गैर-निष्पादन  
परिसंपत्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण**

(₹ लाख में)

वर्ष	विवरण	कार्यक्षेत्र का नाम				
		बीडीसी	सीधे उधार	दूसरे स्तर के संस्थान	अन्य#	जोड़
2015-16	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	1,811.72	0.00	80.32	0.00	1,892.04
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,052.56	0.00	80.10	0.00	2,132.66
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	321.71	0.00	50.36	0.00	372.07
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	3,542.56	0.00	110.06	0.00	3,652.62
2016-17	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	3,542.56	0.00	110.06	0.00	3,652.62
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	1,695.17	0.00	325.44	0.00	2,020.61
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	260.31	0.00	28.06	0.00	288.37
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	430.23	0.00	0.00	0.00	430.23
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	4,547.19	0.00	407.44	0.00	4,954.63
2017-18	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	4,547.19	0.00	407.44	0.00	4,954.63
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,398.02	0.00	(-)24.31*	0.00	2,398.02
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	552.33	0.00	0.00	0.00	552.33

	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	2,786.83	0.00	0.00	0.00	2,786.83
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	3,621.75	8.61	383.13	0.00	4,013.49
2018-19	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	3,509.80	8.61	383.13	111.94	4,013.49
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,476.65	134.19	(-)75.47*	100.45	2,711.29
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	1,241.45	56.70	6.86	50.11	1,355.12
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	0	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	4,745.01	86.10	300.80	162.28	5,294.19

\* मानक खातों के रूप में एनपीए खातों के उन्नयन के कारण

# 2018-19 से सेगमेंट 'पोस्ट सुनामी सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम' को अन्य के रूप में अलग से दिखाया गया है

## अनुलग्नक-VI

(पैरा 5.3.6.2 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का समय-वार विश्लेषण

समय		बकाया राशि (₹ लाख में)
निम्नलिखित से	निम्नलिखित तक	
90 दिन	180 दिन	737.54
181 दिन	एक वर्ष	1,017.80
एक वर्ष से अधिक	दो वर्ष	1,584.54
दो वर्ष से अधिक	तीन वर्ष	1,523.18
तीन वर्ष से ऊपर		431.13
कुल		5,294.19

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल बकाया पोर्टफोलियो और संचित एनपीए राशियों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	31 मार्च को बकाया पोर्टफोलियो	चार वर्ष के दौरान प्रतिशत में वृद्धि	31 मार्च को संचित एनपीए	चार वर्षों के दौरान प्रतिशत में वृद्धि	बकाया पोर्टफोलियो के लिए एनपीए का प्रतिशत
2015-16	86,095.74	67.72	3,652.62	133.02	4.24
2016-17	87,194.03		5,384.86		6.17
2017-18	1,18,007.35		7,230.55		6.12
2018-19	1,44,397.57		8,511.25		5.89

## अनुलग्नक-VII

(पैरा 5.3.6.3(i) (ख) में संदर्भित)

दूसरे स्तर के संस्थानों के प्रति बकाया राशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	जिले का नाम	एसएलआई का नाम	स्वीकृत ऋण	31.03.2019	31.03.2019	टिपणी
				तक वसूली गई राशि	को बकाया राशि	
				₹ लाख में		
1.	चित्तूर - आंध्र प्रदेश	श्री सौंदर्या महिला म्यूचुअली एडेड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी	25.00	10.18	14.82	<p>कंपनी ने अपने सदस्यों को आगे उधार देने के लिए एसएलआई को ₹25 लाख का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 2015)। अगस्त 2015 में, उधारकर्ता ने ₹35 लाख के टॉप-अप ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी के कर्मचारियों ने उधारकर्ता का एक फील्ड सर्वेक्षण किया, जिसमें यह बताया गया कि बचत, ऋण राशि की आवश्यकता और ऋण के उद्देश्यों का मिलान नहीं हुआ, जब क्षेत्र पर सत्यापन किया गया। शेयर पूंजी का विवरण उधारकर्ता के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसएलआई को ऋण की राशि का भुगतान करने से पहले उसे उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत/ तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि, इस तरह की कोई गारंटी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी। कंपनी ने ऋण लेने/ चुकौती संग्रह प्रक्रिया के किसी भी चरण में</p>

				<p>उधारकर्ता के लाभार्थी सदस्यों की वास्तविकता और पुस्तक ऋण सूची की वास्तविकता को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया। पुस्तक ऋण की सूची कंपनी के ऋण स्वीकृति पत्र द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं थी।</p> <p>उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशियों के उपयोग को कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित नहीं किया गया था कि वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किए बिना स्वीकृत राशि का कोई विचलन नहीं हुआ है। उधारकर्ता ने मंजूर की गई ऋण राशि में से अपने बैंक खाते से स्थानान्तरण/ निकासी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>भले ही अक्टूबर 2016 के बाद से मूलधन और ब्याज की पुनर्भुगतान संतोषजनक नहीं थी, लेकिन कंपनी ने बकाया राशि की जल्द वसूली के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई। एक चेक के अस्वीकार होने के कारण भुगतान की वसूली के लिए एक पत्र (मार्च 2018) को संबोधित करने के अलावा सितंबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक उधारकर्ता के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।</p> <p>कंपनी ने कहा (मई 2019) कि वे अपने मूल्यांकन तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों के संपर्क से बचा जा रहा है। ऋणों के गैर-प्रमाणन के संबंध में, इसने आगे कहा कि इसने कुछ उधारकर्ताओं का विवरण नमूना आधार पर प्राप्त किया और संवितरण किए गए।</p>
--	--	--	--	--

						<p>मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी ने चेक बाउंस केस दायर किया था और कोर्ट के आदेश से समन स्थानीय पुलिस के माध्यम से दिया गया था। अधिवक्ता के माध्यम से ही इसका पालन किया जा रहा था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचित एनपीए की वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में संगठन का उचित मूल्यांकन किया होता और पोस्ट डिस्बर्समेंट विज़िट का आयोजन किया होता, तो यह ऋण को एनपीए बनने से रोक सकता था।</p>
2.	इरोड - तमिलनाडु	कोंगुनाडु विवासिगल संगम	98.00	66.83	31.17	<p>कंपनी ने शेयर पूंजी (₹32.10 लाख की पूंजी निधि) के आधार पर एसएलआई को ₹98 लाख का ऋण स्वीकृत किया। एक वर्ष में शेयर पूंजी में वृद्धि (₹1.20 लाख से ₹33.02 लाख तक) कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। कंपनी ने मूल पुस्तकों, बैंक विवरणों आदि से इसकी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई उचित देखभाल नहीं की।</p> <p>वर्ष 2013-14 के लिए अपनी अनंतिम बैलेंस शीट के अनुसार, उधारकर्ता का बैंक ओवरड्राफ्ट (चालू खाता) ₹30.32 लाख था, जिसे कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। कंपनी ने उधारकर्ताओं के सदस्यों के लिए ऋण की आवश्यकता और उधारकर्ता की शीघ्र चुकौती क्षमता के लिए ऋण आवश्यकता की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता की मौजूदा वित्तीय स्थिति को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं</p>

				<p>उठाए। उधारकर्ता ने अनुसूची के अनुसार मासिक किस्तों (मूल और ब्याज घटकों) का भुगतान करना बंद कर दिया और केवल आंशिक रूप से भुगतान करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2017 में ₹1.21 लाख (केवल मासिक ब्याज घटक) की अंतिम चुकोती उधारकर्ता से प्राप्त की गई थी। मई 2017 के बाद से, उधारकर्ता से कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा किए गए पोस्ट संवितरण सत्यापन का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।</p> <p>कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसएलआई को ऋण की राशि का भुगतान करने से पहले उसे उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत/ तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि, इस तरह की कोई गारंटी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी।</p> <p>कंपनी ने ऋण लेने/ चुकोती संग्रह प्रक्रिया के किसी भी चरण में उधारकर्ता के लाभार्थी सदस्यों की वास्तविकता और पुस्तक ऋण सूची की वास्तविकता को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया। पुस्तक ऋण की सूची, कंपनी के ऋण स्वीकृति पत्र द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी।</p> <p>उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशियों के उपयोग को कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित नहीं किया गया था कि, वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किए बिना स्वीकृत राशि का कोई विचलन नहीं हुआ है। उधारकर्ता ने मंजूर की गई</p>
--	--	--	--	---



						<p>ऋण राशि में से अपने बैंक खाते से स्थानान्तरण/ निकासी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>कंपनी ने बकाया ऋण राशि के शीघ्र भुगतान के लिए उधारकर्ता को राजी करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए। केवल जनवरी 2018 में, कंपनी ने बकाया राशि के तत्काल भुगतान के लिए उधारकर्ता को एक नोटिस जारी किया। नोटिस के खिलाफ उधारकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फरवरी 2018 से सितंबर 2019 तक उधारकर्ता के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।</p> <p>कंपनी ने कहा (मई 2019) कि वे अपने मूल्यांकन तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों के संपर्क से बचा जा रहा है। ऋणों के गैर-प्रमाणन के संबंध में यह आगे कहा गया है कि इसने नमूना आधार पर कुछ उधारकर्ताओं का विवरण प्राप्त किया और संवितरण किए गए।</p> <p>मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी इस संस्था के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में थी।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संचित एनपीए की वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई। यदि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में संगठन का उचित मूल्यांकन किया होता और पोस्ट डिस्बर्समेंट विज़िट का आयोजन किया होता, तो यह ऋण को एनपीए बनने से रोका जा सकता था।</p>
--	--	--	--	--	--	--

## अनुलग्नक-VIII

(पैरा 5.3.6.5 (क) में संदर्भित)

कंपनी द्वारा संपर्क किए गए खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य	जिले का नाम	पीएआर* < 30 दिन			पीएआर 30-60 दिन			पीएआर 60-90 दिन		
		लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)	लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)	लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)
कर्नाटक	सिरसी	83	81	3.39	53	53	6.16	28	28	8.26
	विजयपुरा	87	87	3.07	99	99	11.55	25	25	5.7
	तुमकुर	622	601	6.63	80	80	13.44	20	20	9.27
महाराष्ट्र	गोंडिअ	75	75	3.86	18	18	3.33	14	14	5.11
	यवतमाल	145	145	3.84	37	37	4.5	25	25	4.68
	नांदेड़	1,024	986	18.42	81	81	7.75	15	15	4.47
तमिलनाडु	कुड्डालोर	225	215	6.72	50	50	7.58	9	9	3.05
	डिंडिगुल	66	66	1.97	11	11	1.61	5	5	1.08
	मदुरै	3	3	0.01	4	4	0.92	1	1	0.67
तेलंगाना	वारंगल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	120	115	2.16	22	22	3.88	4	4	0.73
कुल योग		2,450	2,374	50.07	455	455	60.72	146	146	43.02

\* पीएआर: पोर्टफोलियो जोखिम पर

## अनुलग्नक-IX

(पैरा 5.3.6.5 (ख) में संदर्भित)

एनपीए खाताधारकों के साथ पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों द्वारा किए गए पत्राचार के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

राज्य	जिले का नाम	31.03.2018 को एनपीए श्रेणी के अधीन ऋण खातों की संख्या		उन मामलों की संख्या जिनमें प्रथम अनुस्मारक जिला कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे		अनुस्मारक जारी करने का प्रतिशत		उन मामलों की संख्या जिनमें मुख्यालय द्वारा दूसरा रिमाइंडर जारी किया गया था		जिन मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
कर्नाटक	सिरसी	306	390.53	203	330.89	66.34	84.73	306	390.53	27	69.51
	विजयापुरा	173	190.84	76	123.50	43.93	64.71	173	190.84	38	78.76
	तुमकुर	320	267.08	320	267.08	100	100.00	320	267.08	56	64.90
महाराष्ट्र	गोंदिया	212	422.73	212	422.73	100	100.00	212	422.73	57	157.57
	यवतमाल	147	128.34	147	128.34	100	100.00	147	128.34	22	26.61
	नांदेड़	198	121.73	12	7.46	6.06	6.13	198	121.73	-	-
तमिलनाडु	कुड्डालोर	156	68.96	13	8.54	8.33	12.38	156	68.96	17	6.09
	डिंडीगुल	132	131.49	179	194.94	135.61	148.25	132	131.49	10	10.58
	मदुरै	180	169.18	40	37.10	22.22	21.93	180	169.18	-	-
तेलंगाना	वारंगल	6	105.39	6	105.39	100	100.00	6	105.39	6	105.39
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	530	1335.93	460	1294.63	86.79	96.91	530	1335.93	450	1289.80
कुल		<b>2,360</b>	<b>3,332.20</b>	<b>1,668</b>	<b>2,920.60</b>	<b>70.68</b>	<b>87.65</b>	<b>2,360</b>	<b>3,332.20</b>	<b>683</b>	<b>1,809.21</b> या कह सकते हैं ₹42.35 करोड़

## अनुलग्नक-X

(पैरा 5.4.3.2(ii) में संदर्भित)

01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत प्रीमियम का लघु संग्रह का विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र सं	पॉलिसी सं और वर्ष	बीमाधारक का नाम	मुख्यालय द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रीमियम	ऑपरेटिंग कार्यालय द्वारा वास्तव में एकत्र किया गया प्रीमियम	प्रीमियम का लघु संग्रह
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (iv) - (v)
1	100100/50/16/10001158 (2016-17)	जीई पावर इंडिया लिमिटेड	65,00,000.00	56,52,174.00	8,47,826.00
2	100100/50/17/10000116 (2017-18)	जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25,00,000.00	20,00,000.00	5,00,000.00
3	100100/50/18/10000087 (2018-19)	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,28,41,149.00	1,83,14,049.00	45,27,100.00
4	100300/50/18/10007565 (2018-19)	दुर्गापुर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	62,14,031.00	47,94,944.00	14,19,087.00
5	100600/50/16/10009585 (2016-17)	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,75,00,000.00	1,72,74,439.00	2,25,561.00
6	100600/50/16/10009595 (2016-17)	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,88,00,000.00	1,25,24,857.00	62,75,143.00
7	100600/50/17/10000191 (2017-18)	भारतीय एक्सप्लोसिव निजी लिमिटेड	32,80,000.00	21,60,000.00	11,20,000.00

8	100600/50/17/10001244 (2017-18)	लिनक पेन प्लास्टिक प्राइवेट लि.	12,35,766.00	11,00,000.00	1,35,766.00
9	100600/50/17/10005492 (2017-18)	बंधनबैंक लि.	6,98,88,000.00	6,76,00,000.00	22,88,000.00
10	100600/50/17/10008711 (2017-18)	ऐम्बर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लि.	16,67,915.00	16,00,000.00	67,915.00
11	101101/50/16/10003627 (2016-17)	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	1,45,79,599.41	1,43,39,460.00	2,40,139.41
12	150403/50/18/10003668 (2018-19)	दी यूनिवर्सिटी बर्दवान	62,29,188.00	57,24,022.00	5,05,166.00
13	154300/50/18/10000453 (2018-19)	मैग्मा फिनकोर्पोलिमिटेड	3,56,72,000.00	2,20,99,818.00	1,35,72,182.00
14	251100/46/16/85000000650 (2016-17)	मै., आईसीआईसीआई लोमबार्ड	10,90,00,000.00	9,75,00,000.00	1,15,00,000.00
15	251100/50/18/10000076, 77 एवं 78 (2018-19)	ग्रुप ऑफ इंटेलेनेट	8,00,75,812.00	7,43,39,200.00	57,36,612.00
16	251100/50/18/10000118 (2018-19)	ईसीजीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनिशिएटिव	78,56,945.00	73,00,000.00	5,56,945.00
17	260501/50/18/10000494 (2018-19)	इनिशिएटिव मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	38,67,505.00	36,97,826.00	1,69,679.00
18	260501/50/18/10000554 (2018-19)	इंटरएक्टिव अवेनुएस प्राइवेट लिमिटेड	50,15,498.69	43,01,282.00	7,14,216.69

19	260600/50/18/10000116 (2018-19)	फ्यूचर जेनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस काँ. लि.	2,98,61,765.00	2,34,00,000.00	64,61,765.00
20	260600/50/18/10000120 (2018-19)	फ्यूचर जेनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस काँ. लि.	3,22,59,088.00	3,00,00,000.00	22,59,088.00
21	261000/50/18/10000650 (2018-19)	राउंडग्लास स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	3,16,825.00	3,00,000.00	16,825.00
22	351500/50/18/10000425 (2018-19)	इंटीग्रल बायो विज्ञान प्रा. लि	27,51,877.00	26,50,000.00	1,01,877.00
23	351500/50/18/10001372 (2018-19)	वेलोसिससिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	36,06,491.84	35,16,949.00	89,542.84
24	351600/50/18/10001021 (2018-19)	इंडियन स्पाइनल इंजरिज सेंटर	61,50,000.00	61,00,000.00	50,000.00
25	354301/50/18/10000697 (2018-19)	मै. प्लास्सेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	54,02,231.00	45,45,000.00	8,57,231.00
26	354500/50/18/10000664, 665, 666, 667, 668, 669 एवं 671 (2018-19)	एरिकसन इंडिया ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	33,91,41,416.00	32,83,80,562.00	1,07,60,854.00
27	355000/50/18/10000591 एवं 568 (2018-19)	मेटलाइफ़ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,43,30,225.00	2,39,12,180.00	4,18,045.00
28	355000/50/18/10001794 (2018-19)	हेडडॉन्ग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,44,49,345.00	1,08,63,410.00	35,85,935.00

29	360700/50/18/10004016 (2018-19)	मै. सिलेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	22,63,467.00	22,32,288.00	31,179.00
30	360800/50/18/10001926 (2018-19)	मै. सबरोज लिमिटेड	1,23,39,180.00	1,15,00,000.00	8,39,180.00
31	361300/46/16/850000039 (2016-17)	ताजस्टैट्स एयरकैटरिंग लिमिटेड	41,85,193.00	30,00,000.00	11,85,193.00
32	361300/50/17/10002979 (2017-18)	मै. अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड	1,92,93,965.00	1,76,83,488.00	16,10,477.00
33	366010/50/17/10000637 (2017-18)	भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान	39,09,824.00	37,30,678.00	1,79,146.00
34	500400/50/18/10001375 (2018-19)	कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	54,46,072.00	52,13,172.00	2,32,900.00
35	501700/50/18/10000981 (2018-19)	मै. बेअर्दसेल्ल लिमिटेड	26,00,000.00	22,14,296.00	3,85,704.00
36	501800/50/18/10000145 (2018-19)	इंडिया गेराज	62,36,756.00	52,50,000.00	9,86,756.00
37	602000/50/16/10001206 (2016-17)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि	4,13,91,304.00	2,49,50,000.00	1,64,41,304.00
38	602000/50/17/10000344 (2017-18)	एक्साईड जीवन बीमा कंपनी लि	2,44,03,000.00	2,27,33,089.00	16,69,911.00
39	602000/50/17/10001221 (2017-18)	मै. स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि	3,45,28,987.00	3,10,00,000.00	35,28,987.00

40	602000/50/17/10001388 (2017-18)	मै. ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड	82,73,885.00	75,00,000.00	7,73,885.00
41	602000/50/17/10001942 (2017-18)	अशोक लीलैंड	7,06,69,290.00	6,01,64,195.00	1,05,05,095.00
42	602000/50/17/10002418 (2017-18)	यूईआइ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	44,38,957.00	40,00,000.00	4,38,957.00
43	602000/50/18/10000155 (2018-19)	माइक्रोमेटिक मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	35,47,653.00	31,35,593.00	4,12,060.00
44	602000/50/18/10000345 (2018-19)	एक्साईड लाइफ इंश्योरेंस लि.	2,74,27,135.00	2,23,82,755.00	50,44,380.00
45	602000/50/18/10000565 (2018-19)	एक्साईड लाइफ इंश्योरेंस लि.	1,12,17,428.00	98,51,865.00	13,65,563.00
46	602000/50/18/10001190 (2018-19)	मै. स्टार स्वास्थ्य और संबद्ध बीमा लि.	5,68,14,524.00	4,70,00,000.00	98,14,524.00
47	602000/50/18/10001191 (2018-19)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि.	6,98,88,645.00	3,69,08,658.00	3,29,79,987.00
48	602000/50/18/10001382 (2018-19)	मै. ओरिएंट सीमेंट लि.	1,05,40,378.00	95,50,000.00	9,90,378.00
49	602000/50/18/10001395 (2018-19)	मै. स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,06,92,122.00	4,89,00,000.00	17,92,122.00
50	602000/50/18/10001423 (2018-19)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि.	2,95,58,260.00	2,36,31,356.00	59,26,904.00



51	602000/50/18/1001907 (2018-19)	कैपिटल वन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	39,56,522.00	39,20,320.00	36,202.00
52	602100/50/15/10000614 (2015-16)	टीयूवी राइनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64,98,348.00	63,00,000.00	1,98,348.00
53	602100/50/18/10000447 (2018-19)	येस बैंक	13,00,00,000.00	10,55,66,935.00	2,44,33,065.00
54	602100/50/18/10000450 (2018-19)	मै. ऑडियंस कम्युनिकेशंस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	59,39,158.00	54,29,777.00	5,09,381.00
55	602100/50/18/10000625 (2018-19)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	3,40,13,928.00	2,80,00,000.00	60,13,928.00
56	602100/50/18/10000897 (2018-19)	लोगिक्स हेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	64,25,586.00	62,65,782.00	1,59,804.00
57	602100/50/18/10000914 (2018-19)	लोगिक्सहेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	27,76,093.00	22,51,587.00	5,24,506.00
58	602100/50/18/10001405 (2018-19)	यस बैंक लिमिटेड	11,43,20,874.00	8,59,84,100.00	2,83,36,774.00
59	602200/46/15/8500000207 (2015-16)	इन्तुइत भारतीय उत्पाद विकास केंद्र इकाई-II	1,22,85,709.00	1,13,20,000.00	9,65,709.00
60	602200/46/15/8500000350 (2015-16)	बाटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	80,35,346.00	70,00,000.00	10,35,346.00

61	602200/46/17/8500000272 (2017-18)	टेकनीप इंडिया लिमिटेड	6,59,89,173.00	5,17,26,187.00	1,42,62,986.00
62	602200/46/18/8500000044 (2018-19)	एएनजेड स्पोर्टस सर्विसेज	7,28,89,551.00	5,81,11,534.00	1,47,78,017.00
63	602200/50/18/10000218 (2018-19)	टेकनीप इंडिया लिमिटेड	8,72,38,027.00	7,18,98,221.00	1,53,39,806.00
64	602200/50/18/10000220 (2018-19)	टेकनीप ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	74,35,227.00	62,68,925.00	11,66,302.00
65	60220046/18/85/10000157 (2018-19)	सॉफ्टवेयर एजी बेंगलोर टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड	1,42,50,375.00	1,31,22,444.00	11,27,931.00
66	602400/50/18/10000008 (2018-19)	बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड	1,95,54,644.00	1,75,50,000.00	20,04,644.00
67	602400/50/18/10000088 (2018-19)	मै. ग्राउंड फॉस पंप लिमिटेड	92,17,373.00	69,51,225.00	22,66,148.00
68	602400/50/18/10000104 (2018-19)	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	48,76,077.00	40,06,168.00	8,69,909.00
69	603805/50/18/10000503 (2018-19)	मनिपाल ऑफ हायर एजुकेशन अकादमी	8,68,39,436.00	6,87,70,100.00	1,80,69,336.00
70	603900/50/15/10001762 (2015-16)	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	2,30,00,787.00	1,93,00,000.00	37,00,787.00

71	603900/50/18/10000397 (2018-19)	रेडिएंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20,27,551.05	18,22,500.00	2,05,051.05
72	603900/50/18/10000697 (2018-19)	बिसलेरीइंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	55,62,388.00	42,50,000.00	13,12,388.00
73	603900/50/18/10000758 (2018-19)	ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,71,54,454.00	1,37,50,711.00	34,03,743.00
74	603900/50/18/10000829 (2018-19)	सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,35,40,854.00	2,11,50,000.00	23,90,854.00
75	603900/50/18/10000852 (2018-19)	माइक्रो लैब लिमिटेड	2,32,36,198.00	1,91,00,000.00	41,36,198.00
76	603900/50/18/10000951 (2018-19)	वैलटेक इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	89,51,130.00	70,50,000.00	19,01,130.00
77	603900/50/18/10001398 (2018-19)	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	3,15,35,844.00	2,90,00,000.00	25,35,844.00
78	603901/50/17/10001778 (2017-18)	गुड रिच एयरोस्पेस सर्विसेज	4,47,60,250.00	3,88,00,000.00	59,60,250.00
79	603901/50/17/10004897 (2017-18)	क्वेस कॉर्प लिमिटेड	2,82,81,171.00	2,73,00,000.00	9,81,171.00
80	603901/50/18/10001541 (2018-19)	जेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,69,83,859.00	1,42,80,495.00	27,03,364.00
81	603901/50/18/10003391 (2018-19)	टाटा एडवांस मटिरियल लिमिटेड	1,10,36,532.00	1,06,50,332.00	3,86,200.00

82	604100/50/16/10001303 (2016-17)	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,77,38,412.00	1,46,00,000.00	31,38,412.00
83	604100/50/17/10000638 (2017-18)	प्राइसवाटर हाउस कूपर्स सर्विस डिलीवरी सेंटर बेंगलोर प्रा. लि.	4,68,49,352.00	4,39,30,875.00	29,18,477.00
84	604100/50/18/10001397 (2018-19)	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,79,05,086.00	1,72,42,657.00	6,62,429.00
85	604100/50/18/10001494 (2018-19)	मै. बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि	3,48,33,312.00	3,32,50,000.00	15,83,312.00
86	604100/50/18/10001583 (2018-19)	अल्टिमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,88,89,318.00	2,22,59,566.00	66,29,752.00
87	604100/50/18/10002398 (2018-19)	सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड	3,71,22,014.00	3,36,56,000.00	34,66,014.00
88	604200/50/16/10000170 (2016-17)	योडली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	1,71,05,960.00	1,02,43,009.00	68,62,951.00
89	604200/50/16/10000358 (2016-17)	मेक माय ट्रिपइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,59,97,373.00	1,62,01,345.00	97,96,028.00
90	604200/50/17/10000190 (2017-18)	योडली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2,35,89,100.00	1,91,30,435.00	44,58,665.00
91	604200/50/17/10001136 (2017-18)	रेयदेल ऑटोमोटिव इंडिया	36,56,620.00	32,75,000.00	3,81,620.00
92	604200/50/17/10001140 (2017-18)	सीमेंस गेमसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,16,80,972.00	1,09,58,500.00	7,22,472.00

93	604200/50/18/10000432 (2018-19)	मै. वीयर मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,02,97,711.00	95,40,000.00	7,57,711.00
94	604200/50/18/10000481 (2018-19)	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड	5,06,54,890.00	4,69,00,000.00	37,54,890.00
95	604200/50/18/10001204 (2018-19)	सीमेंस गेम रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,90,22,271.00	1,33,36,700.00	56,85,571.00
96	604400/50/16/10002000 (2016-17)	चर्च ऑफ साउथ इंडिया कर्नाटक सेन्ट्रल डियोसेजे	1,15,53,571.00	1,06,50,000.00	9,03,571.00
97	604400/50/18/10000497 (2018-19)	वीटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	15,26,258.04	13,49,972.00	1,76,286.04
98	604400/50/18/10000665 (2018-19)	मान एंड हम्मेल फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड	84,45,314.00	80,50,000.00	3,95,314.00
99	604400/50/18/10000913 (2018-19)	ओएसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	63,49,965.00	58,65,000.00	4,84,965.00
100	604500/50/15/10002106 (2015-16)	एडविनस थैरप्यूटिक्स लि	1,01,10,165.00	51,57,998.00	49,52,167.00
101	604500/50/18/10002397 (2018-19)	यूरोफिस एडविनस लिमिटेड	79,46,858.00	73,85,000.00	5,61,858.00
102	604600/50/15/10000150 (2015-16)	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड	3,04,99,581.00	2,75,00,000.00	29,99,581.00
103	604600/50/15/10000213 (2015-16)	मेनहड्डन एसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,49,37,837.00	1,90,00,618.00	59,37,219.00

104	604600/50/18/10000271 (2018-19)	सोसाइटी जेनरल ग्लोबल सोल्यूशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	12,10,96,770.00	11,72,37,401.00	38,59,369.00
105	604600/50/18/10000625 (2018-19)	टाटा एल्वस्सी लिमिटेड	2,75,45,767.00	2,29,69,020.00	45,76,747.00
106	604600/50/18/10000626 (2018-19)	टाटा एल्वस्सी लिमिटेड	2,28,91,862.00	2,17,01,824.00	11,90,038.00
107	604600/50/18/10000755 (2018-19)	सोनी इंडिया सॉफ्टवेअर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,06,98,020.00	1,98,00,088.00	8,97,932.00
108	604600/50/18/10000773 (2018-19)	अकमई प्रौद्योगिकियों भारत प्राइवेट लिमिटेड	4,63,26,609.00	4,35,00,160.00	28,26,449.00
109	604600/50/18/10000895 (2018-19)	मेनहट्टनएसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,91,10,921.00	2,57,47,934.00	33,62,987.00
110	604800/50/18/10000539 (2018-19)	बेहालसॉफ्टवेयर लिमिटेड	30,89,743.00	27,00,000.00	3,89,743.00
111	605400/50/18/10000050 (2018-19)	वीएम वेयरसॉफ्टवेयर इंडिया लि.	12,82,64,274.00	12,29,25,000.00	53,39,274.00
<b>कुल</b>			<b>3145007069.03</b>	<b>2721483050.00</b>	<b>42,35,24,019.03</b> या कह सकते हैं <b>₹42.35 करोड़</b>

**अनुलग्नक-XI**  
(पैरा 5.4.3.2(iii) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, एनआईसीएल की समूह मेडिकलेम नीतियों के संबंध में वांछित लोडिंग न होने के कारण प्रीमियम के कम प्रभार को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्रं सं.	पालिसी सं.	बीमाधारक का नाम	वार्षिक # आईबीएननआर @ सहित दावा आउटगो	दलाली	टीपीए प्रभार	चिकित्सा मुद्रास्फीति	कुल प्रीमियम	समायोजित प्रीमियम #	वास्तव में प्रभारित प्रीमियम	प्रीमियम का कम प्रभार
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii) = (iv) से (vii) का जोड़	(ix)	(x)	(xi) = (ix) - (x)
1	100600/50/16/10001748	बंधनबैंक लिमिटेड	4,21,79,667.00	0.00	22,77,702.00	21,08,983.35	4,65,66,352.35	4,65,66,352.03	3,89,95,000.00	75,71,352.03
2	100600/50/17/10005492	बंधनबैंक लिमिटेड	7,22,12,977.00	0.00	28,88,519.00	36,10,648.85	7,87,12,144.85	8,14,62,264.71	6,76,00,000.00	1,38,62,264.71
3	100100/50/18/10000258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 to 268	अटोसग्रुप	19,25,74,612.00	1,44,43,096.00	77,02,984.00	96,28,730.60	22,43,49,422.60	22,44,49,217.12	19,28,74,772.00	3,15,74,445.12
4	100300/50/18/10018299	सूचना और सांस्कृतिक मामला विभाग	3,03,14,171.00	0.00	6,06,283.00	15,15,708.55	3,24,36,162.55	3,24,36,162.97	3,09,64,842.00	14,71,320.97
5	103000/50/18/10003975	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	2,09,37,796.00	6,28,134.00	11,30,641.00	10,46,889.80	2,37,43,460.80	2,17,39,237.26	1,94,09,678.00	23,29,559.26
6	103000/50/17/10004257	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	1,03,42,643.00	7,75,698.00	5,58,503.00	5,17,132.15	1,21,93,976.15	2,17,66,817.15	1,66,25,871.00	51,40,946.15
7	100100/50/17/10000355, 357, 370, 371 & 372	अटोसग्रुप	16,74,70,274.00	58,61,460.00	75,36,162.00	83,73,513.70	18,92,41,409.70	18,92,41,409.62	11,30,55,297.00	7,61,86,112.62

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

8	100100/50/16/10000425, 426, 427, 429 & 430	अटोसग्रुप	12,27,31,657.00	61,36,583.00	36,81,950.00	61,36,582.85	13,86,86,772.85	18,30,71,552.79	8,38,50,000.00	9,92,21,552.79
9	101101/50/17/10003595	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	1,79,38,478.00	0.00	5,38,154.00	8,96,923.90	1,93,73,555.90	1,88,14,469.92	1,70,00,000.00	18,14,469.92
10	100100/50/17/10000368	इंडिया मेडट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	2,05,85,613.00	15,43,921.00	11,11,623.00	10,29,280.65	2,42,70,437.65	2,51,57,279.51	1,98,00,071.00	53,57,208.51
11	100100/50/17/10000201	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	3,10,80,093.00	11,65,503.00	6,21,602.00	15,54,004.65	3,44,21,202.65	3,44,21,202.73	3,07,53,247.00	36,67,955.73
12	100600/50/16/10009585	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,74,98,556.00	0.00	9,44,922.00	8,74,927.80	1,93,18,405.80	1,93,18,406.12	1,72,74,439.00	20,43,967.12
13	100600/50/16/10009595	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,87,63,975.00	0.00	10,13,255.00	9,38,198.75	2,07,15,428.75	2,07,15,428.58	1,25,24,857.00	81,90,571.58
14	100700/46/14/8500000077	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरलऑफ पुलिस, पश्चिम बंगाल	19,80,43,385.00	0.00	1,06,94,343.00	99,02,169.25	21,86,39,897.25	21,86,39,896.90	17,66,97,223.00	4,19,42,673.90
15	100700/46/15/8500000072	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	28,19,23,345.00	0.00	1,52,23,861.00	1,40,96,167.25	31,12,43,373.25	31,12,43,372.56	17,28,94,101.00	13,83,49,271.56
16	100700/50/16/10003874	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	34,29,34,743.00	0.00	1,85,18,476.00	1,71,46,737.15	37,85,99,956.15	37,85,99,956.01	20,43,54,913.00	17,42,45,043.01
17	100700/50/17/10006715	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरलऑफ पुलिस	40,57,60,994.00	0.00	1,62,30,440.00	2,02,88,049.70	44,22,79,483.70	44,22,79,483.46	15,02,55,084.00	29,20,24,399.46
18	153501/46/15/8500000809	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,12,16,241.50	0.00	6,05,677.04	5,60,812.08	1,23,82,730.62	1,23,82,730.62	1,04,75,608.00	19,07,122.62
19	153501/46/15/8500000810	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	74,96,830.00	0.00	4,04,828.82	3,74,841.50	82,76,500.32	82,76,500.32	76,24,392.00	6,52,108.32



20	154400/46/16/8500000017	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	64,98,691.00	11,37,270.93	3,50,929.31	3,24,934.55	83,11,825.79	83,11,825.79	82,08,000.00	1,03,825.79
21	154400/46/16/8500000019	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	1,27,31,353.00	22,27,986.78	6,87,493.06	6,36,567.65	1,62,83,400.49	1,62,83,400.49	1,60,80,000.00	2,03,400.49
22	154400/46/16/8500000020	तैसिलिकाप्रौद्योगिकी	32,68,347.00	5,71,960.73	1,76,490.74	1,63,417.35	41,80,215.82	41,80,215.82	41,28,000.00	52,215.82
23	153501/50/16/10000924	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,17,94,832.00	0.00	6,36,920.93	5,89,741.60	1,30,21,494.53	1,30,21,494.53	1,00,00,000.00	30,21,494.53
24	153501/50/16/10000925	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	81,32,397.00	0.00	4,39,149.44	4,06,619.85	89,78,166.29	89,78,166.29	68,16,957.00	21,61,209.29
25	154400/46/16/8500000005	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	80,29,717.00	14,05,200.48	4,33,604.72	4,01,485.85	1,02,70,008.05	1,02,70,008.05	82,08,000.00	20,62,008.05
26	154400/46/16/8500000007	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,11,77,792.00	37,06,113.60	11,43,600.77	10,58,889.60	2,70,86,395.97	2,70,86,395.97	2,16,48,000.00	54,38,395.97
27	154400/46/16/8500000008	तैसिलिकाप्रौद्योगिकी	41,32,252.00	7,23,144.10	2,23,141.61	2,06,612.60	52,85,150.31	52,85,150.31	42,22,553.00	10,62,597.31
28	154400/46/16/8500000009	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	4,70,04,368.00	82,25,764.40	25,38,235.87	23,50,218.40	6,01,18,586.67	6,01,18,586.67	4,80,48,000.00	1,20,70,586.67
29	153501/50/17/10004002	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	86,40,358.00	0.00	4,66,579.33	4,32,017.90	95,38,955.23	95,38,955.23	90,00,000.00	5,38,955.23
30	153501/50/17/10004003	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,25,31,560.00	0.00	6,76,704.24	6,26,578.00	1,38,34,842.24	1,38,34,842.24	1,10,00,000.00	28,34,842.24
31	154400/50/17/10000168	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	4,40,05,666.00	77,00,992.00	23,76,305.96	22,00,283.30	5,62,83,247.26	5,62,83,247.26	5,04,96,000.00	57,87,247.26
32	154400/50/17/10000169	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,75,24,456.00	48,16,780.00	14,86,320.62	13,76,222.80	3,52,03,779.42	3,52,03,779.42	3,15,84,000.00	36,19,779.42
33	154400/50/17/10000170	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	41,83,048.00	7,32,033.00	2,25,884.59	2,09,152.40	53,50,117.99	53,50,117.99	48,00,000.00	5,50,117.99

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

34	153800/50/17/1000 087	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर	1,71,66,281.00	0.00	9,26,979.17	8,58,314.05	1,89,51,574.22	1,89,51,574.22	1,74,20,101.00	15,31,473.22
35	153501/50/18/10003994	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	95,65,984.00	0.00	5,16,563.14	4,78,299.20	1,05,60,846.34	1,05,60,846.34	98,00,000.00	7,60,846.34
36	154400/50/18/10000624	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	10,22,888.00	76,716.60	55,235.95	51,144.40	12,05,984.95	12,05,984.95	11,75,000.00	30,984.95
37	154400/50/18/10000625	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,88,45,429.00	21,63,407.18	15,57,653.17	14,42,271.45	3,40,08,760.80	3,40,08,760.80	3,31,35,000.00	8,73,760.80
38	154400/50/18/10000626	कोडेन्स न डिजाइन सिस्टम	4,25,93,038.00	31,94,477.85	23,00,024.05	21,29,651.90	5,02,17,191.80	5,02,17,191.80	4,89,27,000.00	12,90,191.80
39	154400/50/18/10000635	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	44,18,874.00	3,31,415.55	2,38,619.20	2,20,943.70	52,09,852.45	52,09,852.45	50,76,000.00	1,33,852.45
40	602200/46/16/8500000221	एनालॉगडिवाइसिसइं डिया' प्राइवेटलिमिटेड	44,59,189.00	3,34,439.00	2,45,255.00	2,22,959.45	52,61,842.45	54,71,120.00	43,43,040.00	11,28,080.00
41	602200/46/15/8500000195	ईएमसी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज	24,39,34,939.00	84,15,755.00	73,18,048.00	1,21,96,746.95	27,18,65,488.95	14,58,88,382.00	10,13,61,474.00	4,45,26,908.00
42	602200/46/17/8500000007	एएनजेड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेटलिमिटेड	5,86,58,398.00	14,66,460.00	24,92,982.00	29,32,919.90	6,55,50,759.90	6,40,99,289.00	5,81,47,600.00	59,51,689.00
43	602200/46/18/8500000044	एएनजेड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेटलिमिटेड	5,42,82,920.00	16,28,488.00	23,07,024.00	27,14,146.00	6,09,32,578.00	6,09,52,765.00	5,81,11,534.00	28,41,231.00
44	602200/46/18/8500000136	साइंटिफिक गेम्स इंडिया प्राइवेट लि.	3,16,39,886.00	23,72,991.00	9,49,197.00	15,81,994.30	3,65,44,068.30	3,51,50,289.00	3,40,50,000.00	11,00,289.00
45	602200/46/15/8500000350	वाटर्स इंडिया प्राइवेट लि.	76,16,442.00	5,71,233.00	3,61,781.00	3,80,822.10	89,30,278.10	89,30,278.00	70,00,000.00	19,30,278.00

46	602200/46/15/8500000207	इन्ट्यूट इंडिया प्रोडक्ट - इकाई II	1,26,43,384.00	9,48,254.00	6,95,386.00	6,32,169.20	1,49,19,193.20	1,34,96,778.00	1,13,20,000.00	21,76,778.00
47	602200/46/16/8500000030	टेरेक्स इंडिया प्राइवेट लि.	77,34,180.00	5,80,064.00	4,25,380.00	3,86,709.00	91,26,333.00	85,24,884.00	67,81,414.00	17,43,470.00
48	602200/46/17/8500000272	टेचिप इंडिया लिमिटेड	6,04,61,188.00	24,18,448.00	18,13,836.00	30,23,059.40	6,77,16,531.40	6,64,28,922.00	5,07,74,200.00	1,56,54,722.00
49	602200/50/18/10000218	टेचिप इंडिया लिमिटेड	6,66,85,875.00	23,34,006.00	13,33,718.00	33,34,293.75	7,36,87,892.75	8,38,18,502.00	7,18,98,221.00	1,19,20,281.00
50	602200/46/15/8500000018	वेरिसिगन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लि.	12,44,296.00	93,322.00	68,436.00	62,214.80	14,68,268.80	12,01,311.00	11,71,800.00	29,511.00
51	604200/50/16/10001240	ऐवरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फोरमेरली स्पैन इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड)	1,45,21,190.00	10,89,089.00	7,98,665.00	7,26,059.50	1,71,35,003.50	1,70,24,588.00	1,30,40,000.00	39,84,588.00
52	604200/50/17/10000512	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीनालिमिटेड	3,45,22,425.00	13,80,897.00	12,08,285.00	17,26,121.25	3,88,37,728.25	3,98,56,391.00	3,60,00,000.00	38,56,391.00
53	604200/50/18/10000481	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीनालिमिटेड	4,59,81,737.00	16,09,361.00	16,09,361.00	22,99,086.85	5,14,99,545.85	5,11,45,216.00	4,69,00,000.00	42,45,216.00
54	604200/50/18/10000264	रेमंड लिमिटेड	3,59,32,003.00	21,55,920.00	14,37,280.00	17,96,600.15	4,13,21,803.15	4,18,99,962.00	3,72,32,749.00	46,67,213.00
55	604200/50/17/10000300	रेमंड लिमिटेड	3,12,08,286.00	23,40,621.00	17,16,456.00	15,60,414.30	3,68,25,777.30	3,24,50,583.00	3,02,81,294.00	21,69,289.00
56	604200/50/17/10001136	रेयडेल ऑटोमेटिव इंडिया प्रा. लि.	34,22,733.00	0.00	1,88,250.00	1,71,136.65	37,82,119.65	37,82,120.00	32,75,000.00	5,07,120.00
57	604200/50/16/10000170	योदली इन्फोतेची प्रा. लि.	1,62,14,180.00	12,16,064.00	8,91,780.00	8,10,709.00	1,91,32,733.00	1,96,35,780.00	1,02,43,009.00	93,92,771.00
58	604200/50/17/10000190	योदली इन्फोतेची प्रा. लि.	2,23,59,337.00	13,41,560.00	12,29,764.00	11,17,966.85	2,60,48,627.85	2,56,59,012.00	1,91,30,435.00	65,28,577.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

59	603805/50/17/10000483	मनिपाल विश्वविद्यालय (क्लस्टर्स)	5,95,86,160.00	0.00	17,87,585.00	29,79,308.00	6,43,53,053.00	6,43,53,053.00	5,61,06,366.00	82,46,687.00
60	603805/50/18/10000503	मनिपालअकादमी (क्लस्टर्स)	6,84,25,973.00	0.00	20,52,779.00	34,21,298.65	7,39,00,050.65	7,90,01,068.00	6,87,70,100.00	1,02,30,968.00
61	603901/50/18/10002125	गुडरिक एयरोस्पेस	4,71,47,481.00	28,28,849.00	25,93,111.00	23,57,374.05	5,49,26,815.05	5,57,38,308.00	4,90,00,000.00	67,38,308.00
62	603901/50/17/10001778	गुडरिक एयरोस्पेस	4,02,90,513.00	30,21,788.00	22,15,978.00	20,14,525.65	4,75,42,804.65	4,74,48,909.00	3,88,00,000.00	86,48,909.00
63	604500/50/15/10002106	एडवीनस थैरप्यूटिक्स लि	95,83,094.00	7,18,732.00	5,27,070.00	4,79,154.70	1,13,08,050.70	1,15,60,420.00	51,57,998.00	64,02,422.00
64	603900/50/15/10001602	मै. जेडीए सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,90,61,762.00	21,79,632.00	15,98,397.00	14,53,088.10	3,42,92,879.10	3,24,84,330.00	2,25,89,884.00	98,94,446.00
65	603900/46/14/8500000057	रेडिएन्ट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5,20,045.00	39,003.00	28,602.00	26,002.25	6,13,652.25	7,44,774.00	6,14,097.00	1,30,677.00
66	603900/50/15/10001762	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	2,18,01,694.00	16,35,127.00	11,99,093.00	10,90,084.70	2,57,25,998.70	2,85,72,098.00	1,93,00,000.00	92,72,098.00
67	603900/50/17/10001469	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	3,55,00,146.00	26,62,511.00	19,52,508.00	17,75,007.30	4,18,90,172.30	4,03,93,320.00	3,45,00,000.00	58,93,320.00
68	6039005/01/61/0000830 &831	तवांत टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,24,55,330.00	9,34,150.00	6,85,043.00	6,22,766.50	1,46,97,289.50	1,59,18,161.00	1,32,00,000.00	27,18,161.00
69	604400/50/16/10002000	चर्च ऑफ साउथ इंडिया कर्नाटक सेन्ट्रल डियोसेसे	1,09,51,253.00	8,21,344.00	6,02,319.00	5,47,562.65	1,29,22,478.65	1,29,08,881.00	1,06,50,000.00	22,58,881.00
70	604400/50/15/10001754	आरबीएल बैंक लिमिटेड	4,43,04,001.00	33,22,800.00	24,36,720.00	22,15,200.05	5,22,78,721.05	5,64,88,158.00	4,35,00,000.00	1,29,88,158.00

71	604100/50/15/10002185	हिलेक्सइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	38,77,486.00	1,93,874.00	2,13,262.00	1,93,874.30	44,78,496.30	44,78,496.00	34,00,000.00	10,78,496.00
72	604100/50/16/10002626	बॉयोकोनलिमिटेड	2,97,37,906.00	22,30,343.00	16,35,585.00	14,86,895.30	3,50,90,729.30	3,60,44,368.00	2,69,00,560.00	91,43,808.00
73	604100/50/16/10001303	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,57,21,913.00	11,79,143.00	8,64,705.00	7,86,095.65	1,85,51,856.65	1,85,51,857.00	1,46,00,000.00	39,51,857.00
74	604100/50/15/10001097	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	4,24,41,855.00	31,83,139.00	23,34,302.00	21,22,092.75	5,00,81,388.75	4,96,99,023.00	4,01,34,526.00	95,64,497.00
75	604100/50/16/10001025	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	5,25,12,679.00	39,38,451.00	28,88,197.00	26,25,633.95	6,19,64,960.95	6,61,12,294.00	4,75,46,300.00	1,85,65,994.00
76	604100/50/17/10001044	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	5,67,16,473.00	42,53,735.00	31,19,406.00	28,35,823.65	6,69,25,437.65	6,73,22,261.00	5,93,96,071.00	79,26,190.00
77	604100/50/18/10001034	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	6,80,96,773.00	37,45,323.00	23,83,387.00	34,04,838.65	7,76,30,321.65	8,17,56,117.00	7,70,77,985.00	46,78,132.00
78	604100/50/17/10000638	प्राइसवाटर हाउस कोर्पर्स सर्विस डिलीवरी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	3,97,44,327.00	29,80,825.00	21,85,938.00	19,87,216.35	4,68,98,306.35	4,68,98,306.00	4,39,30,875.00	29,67,431.00
79	604600/50/15/10000150	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,95,75,351.00	22,18,151.00	13,30,891.00	14,78,767.55	3,46,03,160.55	3,72,99,222.00	2,75,00,000.00	97,99,222.00
80	604600/50/16/10000636	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,96,04,032.00	22,20,302.00	16,28,222.00	14,80,201.60	3,49,32,757.60	3,70,69,675.00	3,20,76,000.00	49,93,675.00
81	604600/50/17/10000766	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,80,34,536.00	28,52,590.00	20,91,899.00	19,01,726.80	4,48,80,751.80	4,93,48,901.00	4,07,86,200.00	85,62,701.00
82	604600/50/18/10000773	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,10,15,179.00	28,71,063.00	18,45,683.00	20,50,758.95	4,77,82,683.95	4,92,12,666.00	4,35,00,160.00	57,12,506.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

83	604600/50/15/10000213	मेनहट्टन एसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,36,37,760.00	17,72,832.00	13,00,077.00	11,81,888.00	2,78,92,557.00	2,86,42,801.00	1,90,00,618.00	96,42,183.00
84	604600/50/17/10000045	एप्लाइड मेटिरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,90,84,788.00	14,31,359.00	8,58,815.00	9,54,239.40	2,23,29,201.40	2,23,29,201.00	1,81,58,328.00	41,70,873.00
85	604600/50/17/10000223	सोनुसनेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	95,79,980.00	0.00	5,26,899.00	4,78,999.00	1,05,85,878.00	1,07,54,545.00	88,50,127.00	19,04,418.00
86	604600/50/18/10000271	सोसाइटी जेनरल ग्लोबल सोल्यूशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	11,02,02,512.00	0.00	52,34,619.00	55,10,125.60	12,09,47,256.60	12,31,33,874.00	11,72,37,401.00	58,96,473.00
87	604600/46/15/8500000079	टाटा एलेक्सीलिमिटेड	1,57,92,784.00	0.00	6,31,711.00	7,89,639.20	1,72,14,134.20	1,73,55,233.00	1,01,96,782.00	71,58,451.00
88	604600/50/16/10000491	टाटा एलेक्सीलिमिटेड	1,88,64,903.00	0.00	7,54,596.00	9,43,245.15	2,05,62,744.15	2,05,62,744.00	1,58,01,302.00	47,61,442.00
89	604600/46/16/10000736	एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	13,77,85,963.00	0.00	65,44,833.00	68,89,298.15	15,12,20,094.15	15,12,20,094.00	14,86,73,250.00	25,46,844.00
90	604600/50/17/10000768	एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	15,83,07,993.00	0.00	75,19,630.00	79,15,399.65	17,37,43,022.65	17,37,43,023.00	16,25,73,856.00	1,11,69,167.00
91	604600/50/18/10000869	एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,02,44,978.00	0.00	21,07,349.00	35,12,248.90	7,58,64,575.90	7,54,78,871.00	6,39,02,061.00	1,15,76,810.00
92	604600/50/17/10000293	अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17,68,82,612.00	1,32,66,196.00	79,59,718.00	88,44,130.60	20,69,52,656.60	21,86,92,290.00	15,67,34,247.00	6,19,58,043.00
93	604600/50/18/10000318	अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	24,56,32,576.00	1,22,81,629.00	85,97,140.00	1,22,81,628.80	27,87,92,973.80	31,23,64,581.00	23,61,69,421.00	7,61,95,160.00

94	604600/50/16/10001939	अशोक लीलैंड लि	6,19,84,163.00	30,99,208.00	34,09,129.00	30,99,208.15	7,15,91,708.15	6,75,02,847.00	5,22,34,696.00	1,52,68,151.00
95	604600/50/17/10001942	अशोक लीलैंड लि	6,69,85,109.00	33,49,255.00	23,44,479.00	33,49,255.45	7,60,28,098.45	7,60,28,098.00	6,01,64,195.00	1,58,63,903.00
96	602000/50/17/10000344	इक्साइड लाइफ इंश्योरेंस	2,31,31,343.00	0.00	8,09,597.00	11,56,567.15	2,50,97,507.15	2,72,51,932.00	2,27,33,089.00	45,18,843.00
97	602000/50/16/10001206	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड	3,92,33,463.00	19,61,673.00	21,57,840.00	19,61,673.15	4,53,14,649.15	4,53,14,649.00	2,49,50,000.00	2,03,64,649.00
98	602000/50/18/10001191	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड	3,62,19,775.00	12,67,692.00	10,86,593.00	18,10,988.75	4,03,85,048.75	4,34,46,083.00	3,69,08,658.00	65,37,425.00
99	602000/50/17/10001388	मै. ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड	77,48,903.00	3,87,445.00	2,71,212.00	3,87,445.15	87,95,005.15	87,95,005.00	75,00,000.00	12,95,005.00
100	602000/50/16/10001358	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,67,23,204.00	23,36,160.00	25,69,776.00	23,36,160.20	5,39,65,300.20	5,09,38,876.00	3,12,84,071.00	1,96,54,805.00
101	602000/50/16/10001201	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,83,47,975.00	14,17,399.00	15,59,139.00	14,17,398.75	3,27,41,911.75	3,08,92,673.00	2,70,00,000.00	38,92,673.00
102	602000/50/17/10001221	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,25,83,889.00	16,29,194.00	11,40,436.00	16,29,194.45	3,69,82,713.45	3,41,41,657.00	3,10,00,000.00	31,41,657.00
103	602000/50/17/10001414	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,95,64,212.00	24,78,211.00	17,34,747.00	24,78,210.60	5,62,55,380.60	4,41,88,556.00	4,27,50,000.00	14,38,556.00
104	602000/50/18/10001190	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,38,67,807.00	17,54,712.00	10,96,695.00	21,93,390.35	4,89,12,604.35	5,02,38,005.00	4,70,00,000.00	32,38,005.00
105	602000/50/15/10001288	इन्फिनेओन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	61,97,418.00	4,64,806.00	3,40,858.00	3,09,870.90	73,12,952.90	74,98,304.00	66,69,382.00	8,28,922.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

106	602100/50/15/10000614	लोगिक्सहेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	33,08,684.00	1,98,521.00	1,81,978.00	1,65,434.20	38,54,617.20	1,00,22,004.00	25,50,000.00	74,72,004.00
107	602100/50/15/10001445	होसपेट स्टील्स लिमिटेड	64,73,427.00	4,11,063.00	3,56,038.00	3,23,671.35	75,64,199.35	75,36,657.00	55,00,000.00	20,36,657.00
108	602100/50/17/10001960	टीयूवीराइनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	61,59,572.00	4,61,968.00	2,15,585.00	3,07,978.60	71,45,103.60	69,66,476.00	63,00,000.00	6,66,476.00
109	602100/50/18/10001405	यस बैंक लिमिटेड	8,58,52,735.00	42,92,637.00	40,78,005.00	42,92,636.75	9,85,16,013.75	10,20,64,815.00	8,59,84,100.00	1,60,80,715.00
110	604600/50/16/10000309, 312 & 368	अमेज़नइंडिया ग्रुप	31,07,00,000.00	2,33,02,500.00	1,39,81,500.00	1,55,35,000.00	36,35,19,000.00	36,35,19,000.00	25,65,00,000.00	10,70,19,000.00
111	501800/46/148500000002	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	7,96,45,978.00	15,00,000.00	30,00,000.00	39,82,298.90	8,81,28,276.90	8,81,28,277.00	7,05,00,000.00	1,76,28,277.00
112	501600/46/16/8500000015	मै. फ्लेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8,43,57,635.00	42,17,882.00	25,30,729.00	42,17,881.75	9,53,24,127.75	9,71,62,309.00	6,41,61,646.00	3,30,00,663.00
113	501800/50/16/10000021	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	10,04,45,554.00	22,00,000.00	37,00,000.00	50,22,277.70	11,13,67,831.70	11,19,33,396.00	8,40,00,000.00	2,79,33,396.00
114	501800/50/17/10000009	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	11,18,99,577.00	25,00,000.00	37,00,000.00	55,94,978.85	12,36,94,555.85	12,23,12,087.00	10,90,00,000.00	1,33,12,087.00
115	501800/50/18/10000023	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	11,75,45,901.00	21,74,599.00	29,38,648.00	58,77,295.05	12,85,36,443.05	12,87,40,145.00	11,70,19,516.00	1,17,20,629.00
116	500100/50/18/10000044	एसआरएफ लिमिटेड	29,78,403.00	0.00	89,352.00	1,48,920.15	32,16,675.15	29,89,372.00	27,68,313.00	2,21,059.00
117	500400/50/15/10001563	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,44,42,904.00	89,33,148.00	29,77,716.00	37,22,145.20	9,00,75,913.20	9,00,75,913.00	8,29,39,302.00	71,36,611.00
118	500400/50/16/10001644	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,97,49,895.00	95,69,987.00	31,89,996.00	39,87,494.75	9,64,97,372.75	10,27,49,316.00	8,76,92,830.00	1,50,56,486.00



119	501800/50/16/10000069	हुंडई मोटर इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	1,01,01,357.00	7,57,602.00	5,55,575.00	5,05,067.85	1,19,19,601.85	1,19,19,601.00	85,00,000.00	34,19,601.00
120	500102/50/18/10000511	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,37,75,105.00	21,88,755.00	13,13,253.00	21,88,755.25	4,94,65,868.25	4,56,49,165.00	4,45,00,000.00	11,49,165.00
121	500401/50/17/10002877	टीपीएफ सॉफ्टवेयर इंडिया (पी) लि।	29,90,297.00	59,806.00	1,64,466.00	1,49,514.85	33,64,083.85	33,64,085.00	24,00,256.00	9,63,829.00
122	500102/50/16/10000612	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,78,18,842.00	18,90,942.00	11,34,565.00	18,90,942.10	4,27,35,291.10	4,51,33,524.00	3,43,75,190.00	1,07,58,334.00
123	500102/50/17/10000533	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,41,74,139.00	22,08,707.00	13,25,224.00	22,08,706.95	4,99,16,776.95	5,07,75,728.00	4,16,40,197.00	91,35,531.00
124	500400/46/13/8500000248	अप्पोलो टायर्सलिमिटेड	30,88,191.00	4,63,229.00	1,46,689.00	1,54,409.55	38,52,518.55	44,38,849.00	38,32,892.00	6,05,957.00
125	500400/50/17/10000608	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेडथिरुवल्लूर	78,09,691.00	5,85,727.00	56,239.00	3,90,484.55	88,42,141.55	80,01,341.00	73,68,000.00	6,33,341.00
126	501800/50/17/10000122	मॉबिसइंडिया लिमिटेड	38,72,329.00	2,90,425.00	2,12,978.00	1,93,616.45	45,69,348.45	50,83,636.00	40,25,000.00	10,58,636.00
127	500400/50/17/10000330	दि मद्रास चिकित्सा मिशन	70,35,579.00	5,27,668.00	3,86,957.00	3,51,778.95	83,01,982.95	67,24,100.00	47,82,609.00	19,41,491.00
128	500400/50/15/10001403	विलियम्स ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,02,88,983.00	15,21,674.00	11,15,894.00	10,14,449.15	2,39,41,000.15	2,37,78,457.00	1,31,25,000.00	1,06,53,457.00
129	500600/46/14/8500000219	वालमेट टेक्नोलोजीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	7,12,389.00	53,429.00	39,181.00	35,619.45	8,40,618.45	7,48,008.00	7,37,985.00	10,023.00
130	350200/46/14/850000376	आईआईएलएएम उच्च शिक्षा संस्थान	6,42,896.00	55,272.00	40,533.00	32,144.80	7,70,845.80	7,70,845.80	7,36,965.00	33,880.80

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

131	351200/46/14/8500000207	मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	29,81,52,196.00	0.00	60,45,719.00	1,49,07,609.80	31,91,05,524.80	31,91,05,524.80	18,60,22,120.00	13,30,83,404.80
132	351500/50/18/10000924	मै. कारगिल इंडिया एसोसिएट्स	3,29,32,119.00	4,93,982.00	13,17,285.00	16,46,605.95	3,63,89,991.95	3,63,89,991.95	3,53,85,525.00	10,04,466.95
133	351500/46/15/8500000065	एओएन सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	4,85,98,356.00	26,72,910.00	26,72,910.00	24,29,917.80	5,63,74,093.80	5,63,74,093.80	5,39,44,176.00	24,29,917.80
134	351500/46/16/8500000047	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	3,19,45,062.00	17,56,978.00	17,56,978.00	15,97,253.10	3,70,56,271.10	3,70,56,271.10	3,51,39,568.00	19,16,703.10
135	351500/46/15/8500000063	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	3,63,38,390.00	19,98,611.00	19,98,611.00	18,16,919.50	4,21,52,531.50	4,21,52,531.50	4,03,35,612.00	18,16,919.50
136	351500/46/16/8500000043	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	5,33,54,939.00	29,34,521.00	29,34,522.00	26,67,746.95	6,18,91,728.95	6,18,91,728.95	5,92,23,982.00	26,67,746.95
137	351500/46/16/8500000373	जागृतीक्लब लिमिटेड	2,91,85,747.00	14,59,287.00	16,05,215.00	14,59,287.35	3,37,09,536.35	3,37,09,536.35	3,22,50,251.00	14,59,285.35
138	351500/46/15/8500000352	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	5,98,25,328.00	39,70,708.00	29,11,852.00	29,91,266.40	6,96,99,154.40	6,96,99,154.40	5,98,25,328.00	98,73,826.40
139	351500/46/16/8500000345	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	7,01,26,572.00	20,75,746.00	38,56,961.00	35,06,328.60	7,95,65,607.60	7,95,65,607.60	7,60,59,280.00	35,06,327.60
140	351500/50/18/10002924	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	6,63,50,711.00	25,00,000.00	36,49,289.00	33,17,535.55	7,58,17,535.55	7,58,17,535.55	7,25,00,000.00	33,17,535.55

141	351600/50/17/10000061	ग्लोबल लॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,54,95,988.00	25,57,500.00	18,76,000.00	17,74,799.40	4,17,04,287.40	4,17,04,287.40	3,41,00,000.00	76,04,287.40
142	351600/50/16/10000292	टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टीटीएमएल, एमएमपीएल	19,13,51,815.70	0.00	80,80,000.00	95,67,590.79	20,89,99,406.49	20,89,99,406.49	14,69,00,000.00	6,20,99,406.49
143	351600/46/15/8500000038	केपीएमजी	5,70,64,201.84	11,76,000.00	15,68,000.00	28,53,210.09	6,26,61,411.93	6,26,61,411.93	3,92,00,000.00	2,34,61,411.93
144	351600/50/18/10000058	ग्लोबल लॉजिक इंडिया लिमिटेड	4,57,71,496.36	33,80,000.00	23,40,000.00	22,88,574.82	5,37,80,071.18	5,37,80,071.18	5,20,00,000.00	17,80,071.18
145	351600/46/14/8500000256	मै. मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड	3,51,18,147.69	15,45,000.00	11,33,000.00	17,55,907.38	3,95,52,055.07	3,95,52,055.07	2,06,00,000.00	1,89,52,055.07
146	351600/46/14/8500000243	जय भारतमारुतीलिमिटेड	69,69,531.40	4,28,000.00	3,14,000.00	3,48,476.57	80,60,007.96	80,60,007.96	57,00,000.00	23,60,007.96
147	351600/46/15/8500000039	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,88,79,000.87	2,95,000.00	3,94,000.00	9,43,950.04	2,05,11,950.91	2,05,11,950.91	98,44,000.00	1,06,67,950.91
148	351600/46/14/8500000122	जगतजीतइंडस्ट्रीज लिमिटेड	61,56,407.97	1,97,000.00	1,44,000.00	3,07,820.40	68,05,228.37	68,05,228.37	26,20,000.00	41,85,228.37
149	351600/46/14/8500000300	नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	81,93,956.74	3,75,000.00	2,75,000.00	4,09,697.84	92,53,654.58	92,53,654.58	50,00,000.00	42,53,654.58
150	351600/50/16/10000323	प्यूमास्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	57,92,291.44	4,13,000.00	3,03,000.00	2,89,614.57	67,97,906.01	67,97,906.01	55,00,000.00	12,97,906.01
151	351600/50/17/10000506	ऍमएसजेऍमसीप्रोजे क्ट्स इंडिया लिमिटेड	1,53,10,422.00	6,05,000.00	6,66,000.00	7,65,521.10	1,73,46,943.10	1,73,46,943.10	1,21,00,000.00	52,46,943.10
152	351600/46/15/8500000039	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,88,79,000.87	1,16,000.00	1,55,000.00	9,43,950.04	2,00,93,950.91	2,00,93,950.91	38,77,000.00	1,62,16,950.91

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

153	351600/46/15/8500000171	एआईडीईएम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	19,71,525.36	1,24,000.00	91,000.00	98,576.27	22,85,101.63	22,85,101.63	16,50,000.00	6,35,101.63
154	351600/46/14/8500000128	आईअफएससॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	11,09,915.53	77,000.00	57,000.00	55,495.78	12,99,411.30	12,99,411.30	10,30,000.00	2,69,411.30
155	351600/50/16/10000557	नील ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	8,61,608.14	56,000.00	41,000.00	43,080.41	10,01,688.55	10,01,688.55	7,40,000.00	2,61,688.55
156	351600/46/15/8500000094	प्युमास्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	47,73,133.64	2,66,000.00	1,95,000.00	2,38,656.68	54,72,790.32	54,72,790.32	35,50,000.00	19,22,790.32
157	351700/50/17/10000037	फिडेलिटी इंफॉर्मेशन एसईआरइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,39,16,063.00	20,58,000.00	22,63,800.00	31,95,803.15	7,14,33,666.15	7,14,33,666.15	4,11,60,000.00	3,02,73,666.15
158	351700/50/17/10000765	एफआईएस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,76,93,723.00	14,21,580.00	15,63,738.00	13,84,686.15	3,20,63,727.15	3,20,63,727.15	2,84,31,600.00	36,32,127.15
159	351700/50/17/10000030	एफआईएसग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,11,67,280.00	31,09,225.00	34,20,148.00	30,58,364.00	7,07,55,017.00	7,07,55,017.00	6,21,84,500.00	85,70,517.00
160	351700/50/18/10000032	फिडेलिटी इंफॉर्मेशन एसईआरइंडिया प्रा. लि.	6,73,14,821.00	31,32,235.00	28,19,011.00	33,65,741.05	7,66,31,808.05	7,66,31,808.05	6,26,44,690.00	1,39,87,118.05
161	351700/46/14/8500000238	एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- आईओएमसी डिवीजन	22,45,13,786.00	54,76,772.00	40,16,299.00	1,12,25,689.30	24,52,32,546.30	24,52,32,546.30	7,30,23,625.00	17,22,08,921.30

162	351700/50/18/10000031	एफआईएस ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,87,56,787.00	38,21,490.00	34,39,341.00	34,37,839.35	7,94,55,457.35	7,94,55,457.35	7,64,29,790.00	30,25,667.35
163	351700/50/18/10000684	एफआईएस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,65,94,796.00	18,53,380.00	15,31,053.00	18,29,739.80	4,18,08,968.80	4,18,08,968.80	4,02,90,864.00	15,18,104.80
164	351700/50/17/10000151	होटल लीला वेंचर्स लिमिटेड	1,00,74,378.00	6,00,000.00	4,40,000.00	5,03,718.90	1,16,18,096.90	1,16,18,096.90	80,00,000.00	36,18,096.90
165	351700/50/16/10001613	सिक्वोरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	1,40,10,340.00	10,54,015.00	7,72,944.00	7,00,517.00	1,65,37,816.00	1,65,37,816.00	1,40,53,533.00	24,84,283.00
166	351700/50/17/10000038	एफआईएस पेमेंटसॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,49,59,439.00	9,26,363.00	6,79,333.00	7,47,971.95	1,73,13,106.95	1,73,13,106.95	1,23,51,500.00	49,61,606.95
167	351700/46/15/8500000281	मै. ओसीएललि	1,10,00,000.00	6,00,000.00	4,40,000.00	5,50,000.00	1,25,90,000.00	1,25,90,000.00	80,00,000.00	45,90,000.00
168	351800/50/17/10002368	मै. बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,98,42,577.00	17,25,000.00	10,35,000.00	19,92,128.85	4,45,94,705.85	4,45,94,705.85	3,45,00,000.00	1,00,94,705.85
169	351800/50/18/10001965	मै. बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,06,94,946.00	13,12,000.00	9,84,000.00	15,34,747.30	3,45,25,693.30	3,45,25,693.30	3,28,00,000.00	17,25,693.30
170	351800/46/14/8500003612	मै.टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट को. लि. और सब्सिडिरीस कंपनियां	1,77,07,550.00	4,83,750.00	3,54,750.00	8,85,377.50	1,94,31,427.50	1,94,31,427.50	64,50,000.00	1,29,81,427.50
171	351800/50/15/10000215	मेट्रोसोभारत प्रा. लि	1,46,39,090.00	9,80,687.00	7,19,170.00	7,31,954.50	1,70,70,901.50	1,70,70,901.50	1,30,75,824.00	39,95,077.50

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

172	351800/50/16/10001000	एमएस बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,29,00,000.00	10,80,000.00	9,72,000.00	16,45,000.00	3,65,97,000.00	3,65,97,000.00	2,16,00,000.00	1,49,97,000.00
173	351800/46/15/8500001668	मै. कुशमैन वेकफील्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया लि	2,07,54,486.00	1,98,351.00	1,09,092.78	10,37,724.30	2,20,99,654.08	2,20,99,654.08	19,83,505.00	2,01,16,149.08
174	351800/46/14/8500006593	आरतीइंडस्ट्रीज लिमिटेड	23,07,429.00	92,130.68	67,562.50	1,15,371.45	25,82,493.62	25,82,493.62	12,28,409.00	13,54,084.62
175	351800/46/14/8500005388	मै. मेस्टेक स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	15,63,431.00	1,17,731.63	86,336.53	78,171.55	18,45,670.70	18,45,670.70	15,69,755.00	2,75,915.70
176	351800/50/18/10000539	अशोक कथुरिया	1,74,220.00	1,701.53	1,247.79	8,711.00	1,85,880.31	1,85,880.31	22,687.00	1,63,193.31
177	351800/50/16/10002597	मिंडा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस लि	10,46,402.00	51,000.00	56,100.00	52,320.10	12,05,822.10	12,05,822.10	10,20,000.00	1,85,822.10
178	351800/50/17/10004202	मंजीत सिंह	1,93,522.00	1,475.10	1,081.74	9,676.10	2,05,754.94	2,05,754.94	19,668.00	1,86,086.94
179	351800/50/16/10000842	अमित खोसला	9,48,594.00	4,217.15	1,325.39	47,429.70	10,01,566.24	10,01,566.24	24,098.00	9,77,468.24
180	354302/46/16/8500000057	हिल्डीइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,42,82,404.00	9,79,112.00	7,18,016.00	7,14,120.20	1,66,93,652.20	1,66,93,652.20	1,23,50,000.00	43,43,652.20
181	354501/46/15/8500000067	ईवाईएमई टेक्नोलॉजीज	1,61,78,398.00	27,46,066.13	20,13,781.83	8,08,919.90	2,17,47,165.86	2,17,47,165.86	49,47,202.00	1,67,99,963.86
182	354501/46/15/8500000186	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	6,32,49,628.00	34,66,387.50	25,42,017.50	31,62,481.40	7,24,20,514.40	7,24,20,514.40	3,01,40,858.00	4,22,79,656.40
183	354501/46/15/8500000234	अर्नस्ट और यंग एलएलपी	9,78,70,331.00	4,80,000.00	3,52,000.00	48,93,516.55	10,35,95,847.55	10,35,95,847.55	7,44,01,710.00	2,91,94,137.55
184	354501/46/16/8500000159	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	6,16,46,989.00	3,75,000.00	2,75,000.00	30,82,349.45	6,53,79,338.45	6,53,79,338.45	4,86,62,250.00	1,67,17,088.45

185	354501/50/17/10001309	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	5,65,87,627.00	1,65,000.00	1,21,000.00	28,29,381.35	5,97,03,008.35	5,97,03,008.35	3,66,94,550.00	2,30,08,458.35
186	354501/46/16/8500000097	मै. जीआई स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	4,59,459.00	2,03,752.35	1,49,418.39	22,972.95	8,35,602.69	8,35,602.69	4,60,000.00	3,75,602.69
187	354501/50/17/10000114	बीएल कपूरमेमोरियल अस्पताल	79,64,198.00	2,56,164.08	1,87,853.66	3,98,209.90	88,06,425.63	88,06,425.63	80,10,000.00	7,96,425.63
188	354501/46/16/8500000084	मोतीलाल ओसवालफाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और सब्सिडिरीस कंपनियाँ	63,41,231.00	33,750.00	24,750.00	3,17,061.55	67,16,792.55	67,16,792.55	50,00,000.00	17,16,792.55
189	354501/50/16/10000299	अर्नस्ट और यंग एलएलपी	13,25,34,271.00	1,42,500.00	1,04,500.00	66,26,713.55	13,94,07,984.55	13,94,07,984.55	5,06,42,578.00	8,87,65,406.55
190	354800/46/15/8500000041	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	16,29,78,327.00	64,06,556.00	46,98,141.20	81,48,916.35	18,22,31,940.55	18,22,31,940.55	8,54,20,749.00	9,68,11,191.55
191	354800/46/16/8500000037	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	16,33,80,938.00	33,46,365.00	24,54,001.00	81,69,046.90	17,73,50,350.90	17,73,50,350.90	4,46,18,200.00	13,27,32,150.90
192	354800/46/14/8500000122	मै. फोर्टिस हेल्थ केयर लि.	5,03,12,368.00	31,20,115.00	22,88,084.00	25,15,618.40	5,82,36,185.40	5,82,36,185.40	4,16,01,528.00	1,66,34,657.40
193	354800/50/18/10000239	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	10,87,38,267.00	14,75,624.00	19,67,498.00	54,36,913.35	11,76,18,302.35	11,76,18,302.35	4,91,87,462.00	6,84,30,840.35
194	354800/46/14/8500000094	इन्द्रोमा सिंथेसिस इंडियालि.	87,40,876.00	2,09,506.00	1,53,638.00	4,37,043.80	95,41,063.80	95,41,063.80	27,93,417.00	67,47,646.80
195	354800/46/14/8500000065	रेलिंगेयरहेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,47,89,868.00	4,86,207.00	5,34,828.00	7,39,493.40	1,65,50,396.40	1,65,50,396.40	97,24,141.00	68,26,255.40

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

196	354800/46/14/8500000090	ओमेक्सलि.	1,69,54,832.00	3,72,932.00	4,10,225.00	8,47,741.60	1,85,85,730.60	1,85,85,730.60	74,58,640.00	1,11,27,090.60
197	354800/46/15/8500000083	इन्द्रोमा सिंथेसिस इंडियालि.	85,39,485.00	1,32,331.00	97,043.00	4,26,974.25	91,95,833.25	91,95,833.25	17,64,418.00	74,31,415.25
198	354800/46/14/8500000064	रेकोर इंडिया सर्विसेज	21,200.00	843.00	618.00	1,060.00	23,721.00	23,721.00	11,242.00	12,479.00
199	355000/46/14/8500000286	विप्रो लिमिटेड	6,90,00,000.00	0.00	0.00	34,50,000.00	7,24,50,000.00	7,24,50,000.00	5,06,50,222.00	2,17,99,778.00
200	355000/46/15/8500000173	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड	6,51,00,000.00	48,00,000.00	32,00,000.00	32,55,000.00	7,63,55,000.00	7,63,55,000.00	6,60,00,000.00	1,03,55,000.00
201	355000/46/15/8500000098	जेनपैक्ट इंडिया	16,00,00,000.00	1,60,00,000.00	88,00,000.00	80,00,000.00	19,28,00,000.00	19,28,00,000.00	16,36,00,000.00	2,92,00,000.00
202	355000/46/17/8500000053	जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18,48,71,366.00	1,38,65,352.00	1,01,67,925.00	92,43,568.30	21,81,48,211.30	21,81,48,211.30	20,82,58,564.00	98,89,647.30
203	354801/46/14/8500000040	एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉन आईसीएस प्राइवेट लिमिटेड	3,74,00,000.00	28,00,000.00	20,00,000.00	18,70,000.00	4,40,70,000.00	4,40,70,000.00	2,57,08,824.00	1,83,61,176.00
204	355000/50/18/10000033	गुप सी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड	2,36,00,000.00	9,44,000.00	37,760.00	11,80,000.00	2,57,61,760.00	2,57,61,760.00	1,09,47,434.00	1,48,14,326.00
205	251100/46/14/850000171	मै. एस्सार गुप कंपनियों	8,14,04,680.00	56,16,923.00	37,44,615.00	40,70,234.00	9,48,36,452.00	9,48,36,452.00	5,99,24,604.00	3,49,11,848.00
206	251100/46/14/8500000605	आईएल एंड एफएस	6,40,80,501.00	14,73,852.00	12,17,530.00	32,04,025.05	6,99,75,908.05	7,89,01,063.86	6,57,67,546.00	1,31,33,517.86
207	251100/46/15/850000132	मै. एस्सार गुप कंपनियों	9,52,16,022.00	49,07,970.00	32,71,980.00	47,60,801.10	10,81,56,773.10	10,81,56,773.10	7,36,19,553.00	3,45,37,220.10
208	251100/46/15/8500000548	आईएल एंड एफएस	9,26,40,291.00	13,83,365.00	11,66,366.00	46,32,014.55	9,98,22,036.55	10,77,14,897.85	9,54,58,154.00	1,22,56,743.85
209	251100/46/16/8500000094	मै. एस्सार कंपनियों का समूह	8,16,13,496.00	49,97,484.00	33,31,656.00	40,80,674.80	9,40,23,310.80	9,29,18,907.86	6,71,02,656.00	2,58,16,251.86
210	251100/46/16/8500000081	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	9,84,94,002.00	38,56,818.00	19,28,409.00	49,24,700.10	10,92,03,929.10	10,92,03,929.10	8,15,00,000.00	2,77,03,929.10



211	251100/46/16/8500000650	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	11,86,51,348.00	40,91,426.00	1,02,28,564.00	59,32,567.40	13,89,03,905.40	13,89,03,905.40	9,75,00,000.00	4,14,03,905.40
212	251100/46/16/8500000380	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	20,71,32,203.00	0.00	62,00,000.00	1,03,56,610.15	22,36,88,813.15	22,36,88,813.15	13,00,00,000.00	9,36,88,813.15
213	251100/46/16/8500000636	जेडीएसॉफ्टवेयर लिमिटेड	3,31,45,697.00	8,11,197.00	14,60,155.00	16,57,284.85	3,70,74,333.85	3,70,74,333.85	3,02,30,555.00	68,43,778.85
214	251100/46/17/850000059	मै. एस्सार ग्रुप कंपनियों	7,65,43,431.00	47,76,914.00	31,84,609.00	38,27,171.55	8,83,32,125.55	8,04,67,642.15	6,82,83,028.00	1,21,84,614.15
215	251100/46/17/8500000201	आईएल एंड एफएस	9,01,77,489.00	15,00,738.00	15,89,017.00	45,08,874.45	9,77,76,118.45	10,15,86,578.26	8,80,85,870.00	1,35,00,708.26
216	251100/46/17/8500000278	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	19,46,67,015.00	0.00	77,86,681.00	97,33,350.75	21,21,87,046.75	21,97,43,334.60	21,17,76,823.00	79,66,511.60
217	251100/50/17/10000002 & 3	जेडीएसॉफ्टवेयर लिमिटेड	3,64,85,186.00	14,28,683.00	14,28,683.00	18,24,259.30	4,11,66,811.30	6,07,06,937.81	4,09,14,407.00	1,97,92,530.81
218	251100/50/18/10000094	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	24,82,34,953.00	0.00	50,66,019.00	1,24,11,747.65	26,57,12,719.65	25,61,48,489.09	25,30,00,000.00	31,48,489.09
219	251100/50/18/10000077	मै. इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट. लि., ऑफशोर	3,80,98,477.00	0.00	20,95,416.00	19,04,923.85	4,20,98,816.85	4,61,65,668.14	3,91,06,600.00	70,59,068.14
220	251100/50/18/10000076	एम / एस इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लि., ऑनशोर	2,77,75,551.00	0.00	15,27,655.00	13,88,777.55	3,06,91,983.55	3,41,32,663.44	3,12,57,200.00	28,75,463.44
221	251100/50/18/10000078	मै. इंटेलिनेट बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड	56,20,715.00	0.00	3,09,139.00	2,81,035.75	62,10,889.75	62,10,889.75	39,75,400.00	22,35,489.75
222	260200/50/16/10000321 & 322	मै. मक्लेओद फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9,35,41,556.63	0.00	0.00	46,77,077.83	9,82,18,634.46	9,82,18,634.46	3,44,00,000.00	6,38,18,634.46

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

223	260200/50/17/10000283 & 284	मै. मक्लेओद फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	10,06,85,928.72	0.00	0.00	50,34,296.44	10,57,20,225.16	10,57,20,225.16	8,16,00,000.00	2,41,20,225.16
224	260200/50/15/10000065, 192, 203 & 205	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	2,61,19,120.93	0.00	0.00	13,05,956.05	2,74,25,076.98	2,74,25,076.98	1,66,90,472.00	1,07,34,604.98
225	260200/50/16/10000969, 970, 1015 & 1081	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	3,31,71,661.70	0.00	0.00	16,58,583.08	3,48,30,244.78	3,48,30,244.78	2,80,65,381.00	67,64,863.78
226	260200/50/17/10000811, 812, 813 & 814	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	3,56,41,626.00	11,94,691.00	29,86,728.00	17,82,081.30	4,16,05,126.30	4,16,05,126.30	3,50,00,000.00	66,05,126.30
227	260100/50/16/10000064	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	4,41,01,637.10	0.00	0.00	22,05,081.85	4,63,06,718.95	4,63,06,718.95	3,52,06,540.00	1,11,00,178.95
228	260100/50/17/10000112	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	4,53,82,901.32	0.00	0.00	22,69,145.07	4,76,52,046.38	4,76,52,046.38	27,52,400.00	4,48,99,646.38
229	260100/50/18/10000093	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	2,90,36,725.53	0.00	0.00	14,51,836.28	3,04,88,561.81	3,04,88,561.81	2,83,64,132.00	21,24,429.81
230	260501/46/16/8500000004	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	4,09,91,253.64	0.00	11,10,000.00	20,49,562.68	4,41,50,816.33	4,25,18,079.26	3,90,00,000.00	35,18,079.26
231	260501/46/17/8500000016	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	3,88,20,183.35	0.00	18,42,528.00	19,41,009.17	4,26,03,720.52	4,01,02,746.68	3,80,00,000.00	21,02,746.68
232	260501/46/18/8500000031	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	3,77,47,787.44	0.00	18,38,405.00	18,87,389.37	4,14,73,581.81	3,89,35,656.56	3,70,00,000.00	19,35,656.56
233	260501/46/15/85000000169	मै. मांडकेफाउंडेशन	3,01,09,253.80	0.00	0.00	15,05,462.69	3,16,14,716.49	3,16,14,716.49	1,51,59,889.00	1,64,54,827.49
234	260501/50/16/10000515	मै. मांडकेफाउंडेशन	2,64,20,795.12	7,64,521.00	7,64,521.00	13,21,039.76	2,92,70,876.88	2,67,86,049.01	2,17,12,977.00	50,73,072.01
235	260201/50/16/10001511	मै. इंडोको लिमिटेड	1,03,88,379.62	0.00	0.00	5,19,418.98	1,09,07,798.60	1,09,07,798.60	86,00,000.00	23,07,798.60

236	260201/50/17/10001750	मै. इंडोको लिमिटेड	1,07,68,826.25	3,02,208.00	5,03,681.00	5,38,441.31	1,21,13,156.56	1,16,11,748.93	1,08,79,500.00	7,32,248.93
237	260201/50/1610002573	मै. ट्रांसओसियन ग्रुप कंपनियों	99,76,848.99	0.00	4,79,151.00	7,18,727.00	1,11,74,726.99	1,43,98,976.17	95,14,795.00	48,84,181.17
238	260201/50/17/10002856	मै. ट्रांसओसियन कंपनियों का समूह	99,76,848.99	0.00	0.00	4,98,842.45	1,04,75,691.44	1,34,98,247.57	95,00,000.00	39,98,247.57
कुल										3,72,26,89,863.58
										या कर्हे ₹372.27 करोड़

# (कुल प्रीमियम/ निस्तारण पॉलिसी में कवर किए गए जीवनदान की संख्या) x नवीकरण के समय कवर किए जाने वाले जीवन की संख्या प्रीमियम का कम प्रभार।

## अनुलग्नक-XII

(पैरा 5.4.3.2(v) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एनआईसीएल की समूह मेडिकलेम पॉलिसियों के संबंध में परिहार्य छूट दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं.	बीमाधारक का नाम	छूट की अनुमति	छूट की वास्तव में अनुमति	परिहार्य छूट
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (v) - (iv)
1	100600/46/15/8500000254	बंधनबैंक लिमिटेड	66,09,827.10	1,54,22,929.90	88,13,102.80
2	104400/50/17/10001570	हाऊडेन इंशोरेंस ब्रोकर्सइंडिया	0.00	4,23,122.17	4,23,122.17
3	104400/50/17/10001571	प्राइवेट लिमिटेड	0.00	1,42,548.23	1,42,548.23
4	100100/50/17/10000368	इंडिया मेडट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड	0.00	15,37,822.00	15,37,822.00
5	100600/50/17/10002963	अकोनेक्सइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3,81,796.87	3,81,796.87
6	355100/50/18/10000075	मै. हीरो मोटर कॉर्प लि	0.00	36,64,438.00	36,64,438.00
7	154400/50/17/10000168	कोडेंस डिजाइन सिस्टम	0.00	23,76,305.00	23,76,305.00
8	154400/50/17/10000169		0.00	14,86,320.00	14,86,320.00
9	154400/50/17/10000170		0.00	2,25,884.00	2,25,884.00
10	361200/46/14/850000013	मै. ओ पी जिंदलकैसरऔर अनुसंधान संस्थान	0.00	50,304.00	50,304.00

11	361300/46/14/8500000259	मै. जेविएंटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स इंडिया प्रा.लि.	0.00	5,92,000.00	5,92,000.00
12	361500/50/17/10003917	मै. सीबीआरईसाउथ एशिया प्राइवेट लि.	0.00	24,00,000.00	24,00,000.00
13	251100/46/15/850000132	मै. एस्सार कंपनियों का समूह	0.00	2,10,06,522.00	2,10,06,522.00
14	251100/46/16/850000094		0.00	1,17,58,787.00	1,17,58,787.00
15	251100/46/16/8500000081	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	0.00	2,12,12,498.00	2,12,12,498.00
कुल परिहार्य छूट			66,09,827.10	826,81,277.17	7,60,71,450.07
					या कहे ₹7.61 करोड़

## अनुलग्नक-XIII

(पैरा 5.4.3.2(v) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एनआईसीएल की ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसियों के संबंध में टीपीए द्वारा प्रस्तुत डेटा के सामंजस्य न होने के कारण प्रीमियम की हानि को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं.	बीमाधारक का नाम	समाप्त होने वाली पॉलिसी के वास्तविक दावा भुगतान और बकाया	नवीकरण के समय विचार किए गए आईबीएनआर सहित दावे	प्रीमियम की गणना के लिए विचार न किए गए दावे का अंतर
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (iv) - (v)
1	101101/50/17/10003595	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	2,05,52,506.00	1,79,38,478.00	26,14,028.00
2	100600/50/17/10013588	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,76,44,637.00	1,65,97,478.00	10,47,159.00
3	100600/50/17/10013587		2,59,37,516.00	2,46,26,179.00	13,11,337.00
4	100600/50/18/10012705		1,81,78,206.00	1,69,98,650.00	11,79,556.00
5	100600/50/18/10012702		2,53,49,281.00	2,23,29,215.00	30,20,066.00
6	100700/46/14/8500000077		डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ	24,19,51,212.00	19,80,43,384.87
7	100700/46/15/8500000072	पोलिस, पश्चिम बंगाल	32,73,45,885.00	28,19,23,344.71	4,54,22,540.29
8	100700/50/16/10003874	डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस, (पुलिस सहायक)	44,58,30,429.00	34,29,34,742.76	10,28,95,686.24
9	100700/50/17/10006715		41,92,53,726.00	40,57,60,994.00	1,34,92,732.00
10	100700/50/16/10005015		2,27,25,023.00	1,80,83,643.00	46,41,380.00
<b>कुल</b>			<b>1564768421.00</b>	<b>1345236109.34</b>	<b>21,95,32,311.66</b>
					या करें ₹21.95 करोड़

## अनुलग्नक-XIV

(पैरा 5.4.3.2(vi) में संदर्भित)

01.04.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत परिहार्य कमीशन के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं. और वर्ष	बीमाधारक का नाम	परिहार्य कमीशन भुगतान
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	103000/50/17/10004257 (2017-18)	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	12,35,360.70
2	103000/50/18/10003975 (2018-19)		6,31,731.17
3	100300/50/17/10003340 (2017-18)	वेस्ट बंगाल स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,34,717.10
4	100300/50/19/10000972 (2018-19)		82,258.33
5	100300/50/17/10018034 (2017-18)	हल्दिया विकास प्राधिकरण	33,210.56
6	100300/50/19/10003529 (2018-19)		66,501.90
7	104400/50/17/10003019 (2017-18)	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	1,51,875.00
8	104400/50/18/10003055 (2018-19)		1,36,652.55
9	100300/50/17/10007165 (2017-18)	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	1,03,499.93
10	100300/50/18/10009931 (2018-19)		1,12,347.38
कुल			26,88,154.61
			या कर्हे ₹0.27 करोड़

## अनुलग्नक-XV

(पैरा 5.4.3.2(vi) में संदर्भित)

01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत कमीशन/ पारिश्रमिक का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण  
(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं. और वर्ष	बीमाधारक का नाम	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कमीशन/ पारिश्रमिक	कमीशन/ पारिश्रमिक का वास्तविक भुगतान	अतिरिक्त भुगतान
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(v)-(iv)
1	104400/50/18/10009370 (2018-19)	मै. खेड़म इंडिया लिमिटेड	6,18,054.40	9,27,081.60	3,09,027.20
2	101800/50/17/10003536 (2017-18)	मै. एसवी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	37,769.22	62,948.70	25,179.48
3	100900/50/17/10013697 (2017-18)	मै. महेशताला नगरपालिका	56,546.45	84,819.68	28,273.23
4	100900/50/17/10014217 (2017-18)	डायमंड बेवरेजेज लिमिटेड	1,09,823.65	3,29,470.95	2,19,647.30
5	603900/50/15/10000996 (2015-16)	जीएस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डेल्ही प्राइवेट लिमिटेड (डीओ-04)	9,70,088.00	16,16,812.00	6,46,724.00
6	604600/50/15/10000213 (2015-16)	मेनहट्टनएसोसिएट्स इंडिया देव सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	14,25,046.00	14,25,046.00
7	351800/46/14/5000005371 (2014-15)	सिएनाइंडिया	21,04,789.00	49,11,175.00	28,06,386.00
8	351800/50/16/100005590 (2016-17)		28,58,422.00	66,69,651.00	38,11,229.00
9	355000/46/15/8500000098 (2015-16)	जेनपैक्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	1,20,00,000.00	1,60,00,000.00	40,00,000.00
10	355000/46/16/8500000070 (2016-17)		1,24,24,943.00	1,65,66,591.00	41,41,648.00



11	355000/46/16/850000026 एवं 355000/46/16/8500000261 (2016-17)	डेल इंटरनेशनल	1,41,02,393.00	1,78,63,032.00	37,60,639.00
12	500400/50/15/10000444 (2015-16)	सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड	4,68,197.00	10,92,459.00	6,24,262.00
13	500400/50/16/10000422 (2016-17)		13,88,925.00	32,40,826.00	18,51,901.00
14	361300/50/18/10001584 (2018-19)	जेनेसिस कलर लिमिटेड	79,900.24	1,49,812.95	69,912.71
<b>कुल</b>			<b>47219850.96</b>	<b>70939725.88</b>	<b>2,37,19,874.92</b>  या कहे ₹2.37 करोड़

**अनुबंध-XVI**  
(पैरा 5.9 में संदर्भित)

**आईसीआर की गणना दर्शाता विवरण**

क्र. सं.	बीमाकृत	पालिसी सं.	दावा किया गया अनुपात (आईसीआर) (प्रतिशत में)	पिछले वर्ष का दावा	पिछले वर्ष का प्रीमियम
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-I					
वर्ष-2016-17					
1	डीएसआईडीएस	0405002816P1056563473	127	2,29,86,249	1,81,07,064
2	सनलाइफ इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	0406002816P108510822	115	1,31,00,000	1,14,00,000
3	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002816P116603496	123	1,64,07,901	1,33,19,484
4	जेक्वार एंड कंपनी	0408002816P111490902	161	3,09,04,055	19135699
5	ओटीआईएस एलवेटर (दो पालिसी)	0411002816P104241423	276	6,18,00,000	2,24,03,781
6	वीडियोकॉन इंड्स	412022816P102822921	152	1,92,00,000	1,26,72,062
7	फिलिप्स	426002816P100143739	127	2,91,20870	2,30,00,000
8	बीइसीएचटीइएल	426002816P105595399	102	1,56,23,486	1,53,24,847
9	ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट	426002816P110864299	129	96,24,507	74,68,466
10	कंपास इंडिया सपोर्ट	042301286P105540076	135	1,49,77,785	1,10,98,636
वर्ष-2017-18					
11	जीकेएनड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड	0406002817P112179436	114	1,45,84,926	1,28,00,000

12	दि इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया	0406022817P103274737	134	66,77,469	49,89,825
13	डॉ लाल पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P107818684	227	2,39,43,649	1,05,46,777
14	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P118897052	143	1,71,06,856	1,20,00,000
15	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002817P103305667	133	1,25,16,00,000	94,33,99,810
16	ओटीआईएस एलवेटरकंपनी (इंडिया) लिमिटेड	0411002817P104956212	116	4,70,00,000	4,03,67,484
17	वीडियोकॉनइंडस्ट्रीज लि.	0412022817P104012253	172	2,58,16,000	1,50,50,000
18	क्लू नेटवर्क प्रा. लि.	0412022817P109998919	129	49,08,000	38,00,000
19	गुजरात फ्लुओरोकेमिकलस लि. (दाहेज काम्प्लेक्स)	0413002817P104936313	115	80,00,000	69,32,643
20	कंपास इंडिया सपोर्टसर्विसेज प्रा. लि.	0423012817P106227727	120	1,42,21,038	1,18,99,942
21	होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रा. लि.	0426002817P104545081	180	1,11,01,502	61,63,802
22	बीइसीएचटीइएलइंडियाप्रा. लि.	0426002817P105858492 एंड 0426002817P106075761	104	2,20,42,320	2,12,40,166
23	फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड	0426002817P101353611	137	3,01,49,068	2,20,00,000
24	प्रॉपटाइगर रियल्टी प्रा.लि.	0426002817P110868273	195	1,79,73,416	92,19,515
वर्ष-2018-19					
25	पिरामिड आईटी कंसल्टिंग प्रा. लि.	0407032818P110823574	164	62,21,618	40,00,000
26	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002818P102461147	121	1,60,32,49,252	1,32,13,93,646
27	अप्चेर फार्मा इंडिया	0425002818P109799691	121	47,93,169	39,45,285

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ) -II					
वर्ष-2016-17					
28	पाइन लैब प्रा. लि.	2214002816P101660101	185	71,98,000	39,00,000
29	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2220042816P109236923	114	56,13,000	49,31,000
30	मैक्स लाइफ इन्सुरंस कंपनी लि.	2222002816P112742412 एंड 2222002816P112866598	124	(3,54,00,000+2,91,00,000) = 6,45,00,000	(3,42,00,000+1,78,00,000) = 5,20,00,000
31	वेरिंट सिस्टम इंडिया प्रा.लि.	2222002816P108363624	265	70,34,000	26,56,000
32	मुंजल शोवा लि.	2218002816P110202938	110	82,63,882	75,00,000
वर्ष-2017-18					
33	जेड इ-सर्विस प्रा. लि.	2210002817P103590654	118	64,28,542	54,49,067
34	सीडबी इंडिया प्रा. लि.	2218002817P103488165	149	1,07,42,167	71,98,000
35	एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	2219032817P104118695	160	1,22,00,000	76,23,000
36	विशाल मेगामार्ट प्रा.लि.	2219032817P103559984	101	60,86,000	60,50,000
37	आईएमटी गाज़ियाबाद	2220002817P104958231	122	50,00,000	41,00,000
38	आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002817P107551085	128	1,98,45,000	1,54,47,000
39	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2229002817P112161753	106	60,03,000	56,78,000
वर्ष-2018-19					
40	मै. साक्सो ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	2220002818P109983923	120	95,15,089	79,52,508
41	मै. सेंटीस फार्मा प्रा.लि.	2222002818P109499654	124	61,41,105	49,50,000
42	मै. आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002818P106549230	103	2,22,00,000	2,15,00,000
लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस (एलसीबीओ)					
वर्ष-2016-17					
43	अविवा लाइफ ग्रुप	5003002816P101374250 (कुल 2 पालिसी)	127	2,53,00,000	2,00,00,000
44	हियर सोलूंस इंडिया प्रा.	5003002816P103401691	129	3,23,00,000	2,50,00,000

45	मै. एडोब सिस्टम	5003002816P116395317	141	1,66,83,095	1,17,98,529
46	मै. एबीपी न्यूज़	5003002816P105741935	125	2,62,00,000	2,10,00,000
47	मै. लूमिनिअस पावर लि.	5003002816P117771664	124	1,46,74,629	1,18,13,762
48	मै. रामबोल इंडिया प्रा. लि.	5003002816P116162647	115	1,16,00,000	1,01,00,000
49	सचनऐडर ग्रुप	कुल 14 पालिसी	100	18,25,00,000	18,17,00,000
50	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002816P110641364 (कुल 2 पालिसी)	110	83,25,000	76,00,000
51	मै. डेनसॉ इंडिया प्रा. लि.	5003002816P100545750	121	52,56,156	43,54,426
52	नोकिया ग्रुप	कुल 03 पालिसी	124	24,41,00,000	19,73,00,000
53	मै. क्लास एग्रीकल्चर	5003002816P105543112 (2 पालिसी)	167	1,17,00,000	70,00,000
54	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	128	1,50,52,901	1,17,97,834
55	मैराथन इलेक्ट्रिक इंडिया लि.	5003002816P106141987	125	97,00,000	77,31,000
56	यामाहा ग्रुप	(6 पालिसी)	187	5,71,98,300	3,05,06,473
<b>वर्ष-2017-18</b>					
57	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	143	1,99,64,117	1,39,88,836
58	मै. श्वेता इस्टेट्स	कुल 03 पालिसी	112	50,75,000	45,46,273
<b>वर्ष-2018-19</b>					
59	सचनऐडर ग्रुप	कुल 13 पालिसी	118	21,62,27,926	18,36,19,027
60	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002818P109818239 (कुल 2 पालिसी)	126	1,16,74,547	92,87,075
61	मैराथन ग्रुप	कुल 11 पालिसी	101	2,19,95,084	2,18,26,844

**अनुलग्नक-XVII**  
**(पैरा 5.9 में संदर्भित)**

**2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए यूआईआईसीएल की स्टैंडअलोन ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी (जीएमपीएस) के संबंध में प्रीमियम का कम प्रभार दर्शाता विवरण**

क्र.सं.	बीमाकृत	पॉलिसी सं.	पिछले वर्ष दावा किया गया अनुपात (आईसीआर) (प्रतिशत में)	प्रस्तावित जीवन संख्या के साथ समायोजित वार्षिक दावा व्यय	ब्रोकरेज	टीपीए प्रभार	एमओएस पीआई द्वारा घोषित मेडिकल इन्फ्लेशन (एमआई) दर पर औसत मासिक प्रचलित एमआई दर	(इ) से (एच) का योग	सीआर @ 95% बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रीमियम लिया जाएगा	वास्तव में प्रभारित प्रीमियम	प्रीमियम का कम प्रभार
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(जे)	(ट)	(ठ)
	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-I										
	वर्ष-2016-17										
1	डीएसआईडीएस	0405002816P1056563473	127	2,30,00,000	9,20,000	12,65,000	10,51,100	2,58,43,080	2,72,03,242	2,06,34,505	65,68,737
2	सनलाइफ इंडिया सर्विस सेंटर प्रा. लि.	0406002816P108510822	115	1,44,00,000	14,40,000	7,92,000	6,58,080	1,73,43,048	1,82,55,840	1,29,11,739	53,44,101
3	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002816P116603496	123	1,55,59,031	11,66,927	8,55,747	7,11,048	1,86,88,417	1,96,72,018	1,69,38,990	27,33,028

4	जेक्वार एंड कंपनी	0408002816P111490902	161	2,42,16,887	18,76,809	13,31,929	11,06,712	3,02,49,885	3,18,41,984	2,57,99,951	60,42,033
5	ओटीआईएस एलवेटर (दो पालिसी)	0411002816P104241423	276	6,18,00,000	37,08,000	33,99,000	28,24,260	6,97,84,440	7,34,57,305	3,95,00,000	3,39,57,305
6	वीडियोकॉन इंड्स	412022816P102822921	152	1,92,00,000	9,60,000	10,56,000	8,77,440	2,25,46,824	2,37,33,499	1,50,50,001	86,83,498
7	फिलिप्स	426002816P100143739	127	2,91,20,870	14,56,044	16,01,648	13,30,824	3,28,92,555	3,46,23,742	2,20,00,000	1,26,23,742
8	बीइसीएचटीइएल	426002816P105595399	102	1,56,23,486	11,71,761	8,59,292	7,13,993	1,81,26,720	1,90,80,758	1,36,93,806	53,86,952
9	ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट	426002816P110864299	129	1,03,32,191	4,13,288	5,68,271	4,72,181	1,20,07,588	1,26,39,567	95,00,000	31,39,567
10	कंपास इंडिया सपोर्ट वर्ष-2017-18	042301286P105540076	135	1,51,82,478	11,38,686	8,35,036	6,93,839	1,71,56,200	1,80,59,158	53,69,208	1,26,89,950
11	जीकेएनड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड	0406002817P112179436	114	1,41,29,147	1,41,291	5,65,166	6,17,444	1,54,53,048	1,62,66,366	1,56,00,000	6,66,366
12	दि इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया	0406022817P103274737	134	65,17,079	0	3,58,439	2,84,796	71,60,315	75,37,173	61,57,412	13,79,761
13	डॉ लाल पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P107818684	227	2,04,08,290	15,30,622	11,22,456	8,91,842	2,39,53,210	2,52,13,905	2,48,69,000	3,44,905
14	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P118897052	143	1,71,06,856	12,83,014	9,40,877	7,47,570	2,00,78,317	2,11,35,070	1,62,30,301	49,04,769
15	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002817P103305667	133	1,25,16,00,000	0	4,38,06,000	5,46,94,920	1,35,01,00,920	1,42,11,58,863	1,26,50,00,000	15,61,58,863
16	ओटीआईएस एलवेटरकंपनी (इंडिया) लिमिटेड	0411002817P104956212	116	4,70,00,000	35,25,000	25,85,000	20,53,900	5,51,63,900	5,80,67,263	4,90,00,000	90,67,263

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

17	वीडियोकॉनइंडस्ट्री ज लि.	0412022817P104012253	172	1,66,59,000	6,66,360	9,16,245	7,27,998	1,89,69,603	1,99,68,003	1,54,50,000	45,18,003
18	क्लू नेटवर्क प्रा. लि.	0412022817P109998919	129	47,09,000	94,180	2,58,995	2,05,783	52,67,958	55,45,219	51,00,000	4,45,219
19	गुजरात फ्लुओरोकेमिकलस लि. (दाहेज काम्प्लेक्स)	0413002817P104936313	115	80,00,000	6,00,000	4,40,000	3,49,600	93,89,600	98,83,789	7,702,524	21,81,265
20	कंपास इंडिया सपोर्टसर्विसेज प्रा. लि.	0423012817P106227727	120	1,42,21,038	10,66,578	7,82,157	6,21,459	1,66,91,232	1,75,69,718	1,39,27,029	36,42,689
21	होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रा. लि.	0426002817P104545081	180	1,11,01,502	8,32,613	6,10,583	4,85,136	1,30,29,833	1,37,15,614	79,51,823	57,63,791
22	बीइसीएचटीइएलइं डियाप्रा. लि.	0426002817P105858492 एवं 0426002817P106075761	104	2,20,42,320	11,02,116	12,12,328	9,63,249	2,53,20,013	2,66,52,645	2,19,99,909	46,52,736
23	फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड	0426002817P101353611	137	2,98,78,942	22,40,921	16,43,342	13,05,710	35,068,914	3,69,14,647	2,65,43,585	1,03,71,062
24	प्रॉपटाइगर रियल्टी प्रा.लि.	0426002817P110868273	195	1,79,73,416	8,98,671	9,88,538	7,85,438	2,06,46,063	2,17,32,698	1,68,00,000	49,32,698
	वर्ष-2018-19										
25	पिरामिड आईटी कंसल्टिंग प्रा. लि.	0407032818P110823574	156	58,04,878	4,35,366	3,19,268	4,14,468	69,73,980	73,41,032	71,30,004	2,11,028
26	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002818P102461147	121	1,60,32,49,252	0	5,61,13,724	11,44,71,997	1,77,38,34,972	1,86,71,94,708	1,31,09,18,592	55,62,76,116



27	अप्चेर फार्मा इंडिया	0425002818P109799691	121	47,93,169	0	1,91,727	3,42,232	53,27,128	56,07,503	54,21,128	1,86,375
	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-II										
	वर्ष-2016-17										
28	पाइन लैब प्रा. लि.	2214002816P101660101	185	77,27,000	3,86,350	4,24,985	3,53,124	88,91,459	93,59,430	50,00,000	43,59,430
29	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2220042816P109236923	114	56,13,000	2,80,650	3,08,715	2,56,514	64,58,879	67,98,820	54,90,000	13,08,820
30	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2222002816P112742412 & 2222002816P112866598	124	6,45,00,000	41,92,500	35,47,500	29,47,650	7,51,87,650	7,91,44,895	6,89,62,774	1,01,82,121
31	वेरिंट सिस्टम इंडिया प्रा.लि.	2222002816P108363624	265	72,24,000	72,240	3,97,320	3,30,137	80,23,697	84,45,997	60,00,000	24,45,997
32	मुंजल शोवा लि. वर्ष-2017-18	2218002816P110202938	110	82,63,000	4,13,150	4,54,465	3,77,619	95,08,234	1,00,08,667	93,00,000	7,08,667
33	जेड इ-सर्विस प्रा. लि.	2210002817P103590654	118	76,00,000	2,28,000	4,18,000	3,32,120	85,78,120	90,29,600	72,08,226	18,21,374
34	सीइबी इंडिया प्रा. लि.	2218002817P103488165	149	1,07,42,167	80,56,62,525	5,90,819	4,69,433	1,26,08,081	1,32,71,665	96,40,431	36,31,234
35	एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	2219032817P104118695	160	1,22,00,000	9,15,000	6,71,000	5,33,140	1,43,19,140	1,50,72,779	1,14,99,999	35,72,780
36	विशाल मेगामार्ट प्रा.लि.	2219032817P103559984	101	60,86,000	4,56,450	3,34,730	2,65,958	71,43,138	75,19,093	58,00,000	17,19,093
37	आईएमटी गाज़ियाबाद	2220002817P104958231	122	53,95,103	2,42,780	2,96,731	2,35,766	61,70,379	64,95,136	51,00,000	13,95,136
38	आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002817P107551085	128	2,05,20,000	10,26,000	11,28,600	8,96,724	2,35,71,324	2,48,11,920	1,96,00,000	52,11,920

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

39	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2229002817P112161753	106	62,78,000	3,13,900	3,45,290	2,74,349	72,11,539	75,91,093	62,00,000	13,91,093
	वर्ष-2018-19										
40	मै. साक्सो ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	2220002818P109983923	120	88,92,224	6,66,917	4,89,072	47,618	1,00,95,831	1,06,27,191	93,22,034	13,05,157
41	मै. सेंटिस फार्मा प्रा.लि.	2222002818P109499654	124	61,41,105	4,16,981	2,95,387	29,772	68,83,246	72,45,522	72,54,602	-9,080
42	मै. आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002818P106549230	103	2,22,00,000	14,43,000	7,57,020	1,03,030	2,45,03,050	2,57,92,684	2,44,00,000	13,92,684
	लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस (एलसीबीओ)										
	वर्ष-2016-17										
43	अविवा लाइफ ग्रुप (कुल 2 पालिसी)	5003002816P101374250	127	2,92,43,350	8,77,301	16,08,384	13,36,421	3,30,65,456	3,48,05,743	1,71,03,166	1,77,02,577
44	हियर सोलूंस इंडिया प्रा.	5003002816P103401691	129	3,64,95,770	61,23,990	20,07,267	16,67,857	4,62,94,884	4,87,31,457	3,74,73,937	1,12,57,520
45	मै. एडोब सिस्टम	5003002816P116395317	141	1,60,79,340	0	8,84,364	7,34,826	1,76,98,530	1,86,30,031	92,40,695	93,89,336
46	मै. एबीपी न्यूज़	5003002816P105741935	125	2,89,92,920	16,23,604	15,94,611	13,24,976	3,35,36,111	3,53,01,169	2,38,40,000	1,14,61,169
47	मै. लूमिनिअस पॉवर लि.	5003002816P117771664	124	1,46,73,162	10,27,121	8,07,024	6,70,564	1,71,77,871	1,80,81,969	1,45,00,000	35,81,969
48	मै. रामबोल इंडिया प्रा. लि.	5003002816P116162647	115	1,15,21,120	6,91,267	6,33,662	5,26,515	1,33,72,564	1,40,76,383	1,20,00,000	20,76,383
49	सचनऐडर ग्रुप	कुल 14 पालिसी	100	18,31,93,500	1,09,91,610	1,00,75,643	83,71,943	21,26,32,695	22,38,23,890	17,49,05,033	4,89,18,857
50	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002816P110641367 (कुल 2 पालिसी)	110	92,15,594	3,01,988	5,06,858	4,21,153	1,04,45,592	1,09,95,360	91,27,942	18,67,418

51	मै. डेनसो इंडिया प्रा. लि.	5003002816P100545750	121	56,78,229	4,25,867	3,12,303	2,59,495	66,75,894	7,027,257	59,98,839	10,28,418
52	नोकिया ग्रुप	कुल 03 पालिसी	124	24,89,82,000	1,86,73,650	13,6,94,010	1,13,78,477	29,27,28,137	3,081,34,881	25,66,05,776	5,15,29,105
53	मै. क्लास एग्रीकल्चर	5003002816P105543112 (2 पालिसी)	167	1,15,72,470	5,85,000	32,175	5,28,862	1,27,18,507	1,33,87,902	1,10,15,907	23,71,995
54	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	128	1,43,92,079	10,79,406	7,91,564	6,57,718	1,69,20,767	1,78,11,334	1,38,00,000	40,11,334
55	मैराथन इलेक्ट्रिक इंडिया लि.	5003002816P106141987	125	96,44,710	5,01,525	5,30,459	4,40,763	1,11,17,457	1,17,02,587	94,94,000	22,08,587
56	यामाहा ग्रुप	(6 पालिसी)	187	6,17,74,164	30,88,708	33,97,579	28,23,079	7,10,83,531	7,48,24,769	5,00,00,000	2,48,24,769
	वर्ष-2017-18										
57	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	143	1,96,02,766	9,80,138	10,78,152	8,56,641	2,25,17,697	2,37,02,839	1,94,64,308	42,38,531
58	मै. श्वेता इस्टेट्स	कुल 03 पालिसी	112	55,85,038	4,18,878	3,07,177	2,44,066	65,55,159	69,00,167	59,75,000	9,25,167
	वर्ष-2018-19										
59	सचनएडर ग्रुप	कुल 13 पालिसी	118	21,68,33,364	1,08,41,668	86,73,335	1,54,81,902	25,18,30,269	26,50,84,494	24,56,34,472	1,94,50,022
60	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002818P109818239 (कुल 2 पालिसी)	126	1,24,96,435	4,99,857	5,87,332	8,92,245	1,44,75,870	1,52,37,758	1,38,00,000	14,37,758
61	मैराथन ग्रुप	कुल 11 पालिसी	101	2,27,61,655	13,65,699	12,51,891	16,25,182	2,70,04,427	2,84,25,713	2,72,54,613	11,71,100
	कुल								5,27,79,71,525	4,15,52,11,261	1,12,27,60,264

**अनुलग्नक-XVIII**  
**(पैरा 5.10.6.1 में संदर्भित)**

**ऋण के अनुमोदन और संवितरण के संबंध में विचलन दर्शाता विवरण**

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	स्वीकृत सुविधा का प्रकार, तारीख और राशि (₹ में)	अंतर की संख्या	आवश्यक मापदंड	अंतर	निगरानी
1	मै. पीएएस एंटरप्राइज एलएलपी	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितम्बर 15)	7	(i) न्यूनतम रेटिंग बीबीबी/पी2 होनी चाहिए (ii) तीन साल के लिए परिचालन में होनी चाहिए और पिछले दो वर्षों के लिए लाभ कमाया जाना चाहिए (iii) न्यूनतम निवल मूल्य ₹25 करोड़ होना चाहिए (iv) निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए (v) ऋण राशि का कम से कम 2 गुना प्रतिभूति कवर (vi) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्लू का अनुपात 3.5:1 होना चाहिए (vii) 1.1:1 का न्यूनतम वर्तमान हिस्सा	(i) रेटिंग उपलब्ध नहीं थी (ii) नया सत्त्व (iii) नया सत्त्व (iv) यह एलएलपी था (v) बैंक गारंटी के रूप में एक बार (vi) नया सत्त्व (vii) नया सत्त्व	लागू नहीं
2	डीसीएस लिमिटेड	₹5.0 करोड़ का पीबीएफ (मई 17)	5	(i) न्यूनतम निवल सम्पत्ति (ग्राहक) - ₹50 करोड़ (ii) न्यूनतम कारोबार (ग्राहक) - ₹100 करोड़ (iii) ग्राहक अल्पकालिक बाह्य ऋण मुल्यांकन ए <sup>2</sup> से नीचे नहीं होना चाहिए (iv) आईएफएल द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों का कार्यकाल सामान्य रूप से 45 दिनों से लेकर 180 दिनों तक होगा, उच्च क्रेडिट रेटिंग की पार्टियों, माल की पूंजी प्रकृति, सुविधा का कार्यकाल के संबंध में असाधारण मामले में 365 दिनों तक बढ़ सकता है	(i) वास्तविक निवल सम्पत्ति - ₹27.42 करोड़ (ii) वास्तविक कारोबार - ₹90.47 करोड़ (iii) ग्राहक अल्पकालिक बाह्य ऋण मुल्यांकन को अभिलेख में नहीं रखा गया था। (iv) 360 दिनों की ऋण अवधि हालांकि ऋण मुल्यांकन सीएआरड बीबी+ थी	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए निगरानी करना, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/ अनुसूचित दौरे, देनदारों की वार्षिक समीक्षा आदि नहीं किया गया था

				(v) पीबीएफ सुविधा आम तौर पर एक स्वसंपूर्ण आधार पर विस्तारित नहीं की जाती है अर्थात आम तौर पर डीएसबीएफ सुविधा के साथ।	(v) एकल आधार पर विस्तारित।	
3	ट्रेड फ्लोरिंग प्रा. लि.	₹1 करोड़ का डीएसबीएफ (दिसंबर-17)	4	(i) न्यूनतम निवल सम्पत्ति (देनदार) - 02 करोड़ रुपये, (ii) देनदार का न्यूनतम राजस्व- ₹25 करोड़ (iii) देनदार को न्यूनतम सीआरआईएसआईएल बीबीबी/ ए <sup>2</sup> का मूल्यांकन किया जाना चाहिए (iv) मूर्त प्रतिभूति/ ग्राहक के लिए कोई अन्य अपेक्षित प्रतिभूति जिसका बाहरी मूल्यांकन ए <sup>2</sup> से नीचे है	(i) वास्तविक निवल सम्पत्ति - 1.82 करोड़ रुपये (ii) वास्तविक राजस्व-₹6 करोड़ (iii) अनारक्षित ऋणी (iv) कोई मूर्त प्रतिभूति नहीं दी गई/अन्य अपेक्षित प्रतिभूति प्राप्त नहीं हुई।	उपर्युक्त
4	मै. इंड्र प्रा. लिमिटेड	₹6.5 करोड़ का पीबीएफ (सितंबर-17)	4	(i) पीबीएफ को डीएसबीएफ के साथ सामान्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए न कि एकल आधार पर (ii) अल्पकालिक बाहरी मूल्यांकन ए <sup>2</sup> से नीचे नहीं होनी चाहिए (iii) प्रतिभूति क्षेत्र सुविधा का 2.00 गुना होना चाहिए (iv) नए ग्राहकों को संतोषजनक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की लंबित प्राप्ति के संबंध में संवितरण किया जाएगा	(i) एकल (ii) मूल्यांकन ए <sup>4</sup> है (iii) प्रतिभूति केवल एक गुना थी (iv) संवितरण क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना किए गए	उपर्युक्त
5	मै. रित्विक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	₹21.00 करोड़ का पीबीएफ (अप्रैल-17)	4	(i) उच्च ऋण मूल्यांकन की पार्टियों के संबंध में, माल की पूंजी प्रकृति, सुविधा का कार्यकाल असाधारण मामलों में 365 दिनों तक बढ़ सकता है। (ii) आम तौर पर डीएसबीएफ के साथ मंजूरी दी जानी चाहिए न कि एकल आधार पर (iii) पीबीएफ की सुविधा उन ग्राहकों को दी जानी है, जिनकी अल्पकालिक बाह्य ऋण मूल्यांकन "ए <sup>2</sup> " से	(i) बाहरी मूल्यांकन बीबी, कम मूल्यांकन के बावजूद 360 दिनों का कार्यकाल स्वीकृत किया गया था (ii) एकल (iii) ग्राहक के अल्पकालिक मूल्यांकन पर विचार नहीं किया	उपर्युक्त

				कम नहीं है (उन्हें पिछले एक वर्ष के भीतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए) (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.00 गुना होगा	गया था। हालांकि, दीर्घकालिक बाहरी मूल्यांकन बीबी था (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.0 गुना (केवल ₹10 करोड़) से कम था	
6	मै. जीजेएस इन्फ्राटेक प्रा.लि.	₹6.50 करोड़ का पीबीएफ (नवम्बर-18)	4	(i) आम तौर पर विक्रय बिल लेनदारी लेखा क्रय के साथ होना चाहिए न कि एकल आधार पर (ii) उधारकर्ता की न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹50 करोड़ होनी चाहिए (iii) अल्पकालिक बाहरी मूल्यांकन ए <sup>2</sup> से नीचे नहीं होनी चाहिए (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.00 गुना होना चाहिए	(i) एकल सुविधा (ii) निवल सम्पत्ति ₹30.11 करोड़ थी (iii) बीबीबी (iv) बीजी के रूप में एक बार	उपर्युक्त
7	मै. टीसी हेल्थकेयर प्रा. लि. (अधिकता)	डीएसबीएफ (नवम्बर -17) 4 से ₹5 करोड़ तक की सुविधा में वृद्धि	3	(i) निवल सम्पत्ति ₹1 करोड़ से अधिक (ii) वर्तमान अनुपात 1:1.1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) टीएनडब्लू/टीओएल 4:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	(i) (₹1.60 करोड़) (ii) 0.87 (iii) (-)28.44 गुना	उपर्युक्त
8	मै. नित्या इलेक्ट्रोक्ट्रोलस लि.	₹5.0 करोड़ का डीएसबीएफ (अक्टूबर-18)	3	(i) न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1.1:1 (ii) टीओएल/टीएनडब्लू 3.5:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। (iii) ऋणदाता (जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड) पिछले 2 साल से लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए	(i) वर्तमान अनुपात 1.08 (ii) टीओएल/ टीएनडब्लू 3.67 (iii) अनुपालन नहीं किया गया	उपर्युक्त
9	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि.	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितम्बर-15)	3	(i) सीआरआईएसआईएल के बराबर निवेश ऋण मुल्यांकन न्यूनतम बीबीबी <sup>+</sup> होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल के बराबर अल्पावधि साधन का मुल्यांकन न्यूनतम पी <sup>2</sup> होना चाहिए	(i) जीएचसीएल का बाहरी मूल्यांकन बीबीबी था (ii) वर्तमान अनुपात 0.63:1 था	लागू नहीं

				(ii) कंपनी का वर्तमान अनुपात 1.1: 1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) ग्राहक मूल्यांकन आईएफएल 5 था	(iii) ग्राहक मूल्यांकन आईएफएल 7 था	
10	मै. ओमैक्स बिल्डवेल लि.	₹10.00 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	3	(i) सीआरआईएसआईएल समकक्ष निवेश ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी <sup>+</sup> होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल बराबर अल्पावधि साधन का मूल्यांकन न्यूनतम ए <sup>2</sup> होना चाहिए (ii) अचल संपत्ति उद्योग के लिए सुविधा के मामले में प्रतिभूति न्यूनतम 2.50 गुना है (मूर्त संपार्श्विक के संयोजन और शेयरों में कम से कम 1.50 गुना मूर्त संपार्श्विक के रूप में) (iii) रियल एस्टेट उद्योग के लिए न्यूनतम निवल सम्पत्ति- ₹50 करोड़	(i)ओमैक्स बिल्डवेल का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं था और प्रबंधन ने ओमेक्स लिमिटेड (प्रमोटर कंपनी) के मूल्यांकन पर विचार किया जो बीबीबी-/ ए <sup>3</sup> था (ii) मूर्त जमानत 1.50 गुना की निर्धारित सीमा के प्रति केवल 1 गुणा थी (iii) ₹30.63 करोड़	लागू नहीं
11	मै. वाटिका लिमिटेड	₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	3	(i) ग्राहक का न्यूनतम बाह्य ऋण मूल्यांकन - सीआरआईएसआईएल बीबीबी <sup>+</sup> (ii) ग्राहक का अधिकतम टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात -5:1 (iii) ग्राहक को पिछले 2 वर्ष के लिए लाभ कमाने वाला होना चाहिए	(i) वास्तविक ऋण मूल्यांकन सीएआरई बीबी था (ii) वास्तविक टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात 13.52 था (iii) ग्राहक पिछले 02 वर्षों से लाभ कमाने वाला नहीं था	लागू नहीं
12	मै. जीटीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-16)	3	(i) उधार लेने वाली कंपनी का न्यूनतम ऋण मूल्यांकन- सीआरआईएसआईएल बीबीबी और सीआरआईएसआईएल ए <sup>2</sup> होना चाहिए (ii) ग्राहक की न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹50 करोड़ (iii) न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1.1	(i) वास्तविक ऋण मूल्यांकन बीडब्लूआर बी <sup>+</sup> / ए <sup>4</sup> थी (ii) निवल सम्पत्ति-₹14.70 करोड़ (iii) वर्तमान अनुपात 1.02 था	लागू नहीं

13	मै. नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड	₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	2	<p>(i) एएफआर सुविधा का क्रम दो वर्ष तक होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी भी समय, किसी भी ग्राहक का बकाया आईएफएल की कुल संपत्ति के 15% से अधिक नहीं होगा (एनओएफ)</p>	<p>(i) ऋण पॉलिसी के उल्लंघन/ विचलन में एएफआर सुविधा का क्रम 5 वर्ष था</p> <p>(ii) आईएफएल के एनओएफ ₹44.03 करोड़ (31.03.2018) होने पर कंपनी ने ₹15 करोड़ का ऋण दिया जबकि ऋण जोखिम के प्रति ₹6.6 करोड़, एनओएफ का 15% एक ग्राहक को दिया जा सकता था</p>	लागू नहीं
14	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितंबर -15)	2	<p>(i) सीआरआईएसआईएल बराबर निवेश ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी+ होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल बराबर अल्पकालिक साधन मूल्यांकन न्यूनतम ए<sup>2</sup> होना चाहिए</p> <p>(ii) आईएफएल मूल्यांकन 5 होना चाहिए</p>	<p>(i) जीएचसीएल का बाहरी मूल्यांकन बीबीबी था</p> <p>(ii) रेटिंग आईएफएल7 था</p>	लागू नहीं
15	मै. अर्फिन लिमिटेड (अधिकता)	₹10.0 करोड़ का डीएसबीएफ (जून -16)	3	<p>(i) ग्राहक टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात 3.5: 1 से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) ऋणदाता को पिछले 02 वर्षों के लिए लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए</p> <p>(iii) ऋण जोखिम मानदंड: किसी भी समय, किसी भी ग्राहक के लिए बकाया आईएफएल की कुल संपत्ति (एनओएफ) के 15% से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>(i) टीओएल/ टीएनडब्लू अनुपात 4.07 (2014-15), 3.90 (2015-16) था</p> <p>(ii) पिछले 02 वर्षों से ऋणदाता लाभ कमाने वाला नहीं था।</p> <p>(iii) ग्राहक से बकाया (वित्त वर्ष 2018-19) ₹6.6 करोड़ की जोखिम सीमा से अधिक (एनओएफ का 15% होने के कारण)</p>	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए निगरानी करना, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित दौरे, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा नहीं की गई



16	मै. नवरंग रोडलाइन्स प्रा. लि. .	₹9 करोड़ का डीएसबीएफ (नवम्बर-17)	1	मूल्यांकन आईएफएल 4 होना चाहिए	मूल्यांकन आईएफएल7 है	उपर्युक्त
17	मै. जीएचवी इंडिया प्रा. लि.	₹21 करोड़ का डीएसबीएफ (फरवरी-17)	1	उच्च ऋण मूल्यांकन, माल की प्रकृति, पार्टियों के संबंध में सुविधा का कार्यकाल असाधारण मामलों में 365 दिनों तक बढ़ सकता है	न तो एक उच्च श्रेणी की कंपनी और न ही माल की पूंजी प्रकृति के व्यवसाय में	उपर्युक्त है
18	मै. बीपीटीपी लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन (मार्च-19)	1	सीआरआईएसआईएल ए <sup>2</sup>	सीआरआईएसआईएल ए <sup>3</sup>	लागू नहीं
19	मै. पेन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि.	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (अक्टूबर-15)	1	वर्तमान अनुपात 1.1: 1 से अधिक होना चाहिए	वर्तमान अनुपात 0.25 था	लागू नहीं
20	मै. वीएनआर इन्फ्रा लि.	₹18 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (जनवरी-15)	1	ग्राहक की न्यूनतम अल्पावधि ऋण ग्राहक का बाहरी मूल्यांकन - सीआरआईएसआईएल पी <sup>2</sup>	वास्तविक ऋण मूल्यांकन सीएआरइ ए <sup>3</sup> था	लागू नहीं

**अनुलग्नक-XIX**  
(पैरा 5.10.6.2 में संदर्भित)

**आंतरिक ऋण मूल्यांकन में स्तर प्रदान कर अपात्र ग्राहक को कॉर्पोरेट ऋण**

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	कॉर्पोरेट ऋण राशि	स्वीकृत दिनांक	अंतर ₹
1.	मै. बीपीटीपी लि. (बीपीटीपी)	₹5.00 करोड़	मार्च-19	आईएफएल 7 से आईएफएल 5 तक अपग्रेड किया गया
2.	मै. एस गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि. (जीएचसीएल)	₹5.00 करोड़	सितम्बर-15	उपर्युक्त
3.	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि. (जीएचसीएल)	₹14.50 करोड़	मार्च-18	उपर्युक्त
4.	मै. पैन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. (पीआईएफपीपीएल)	₹14.50 करोड़	अक्तूबर-15	उपर्युक्त
5.	मै. पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (पीसी एंड आईएल)	₹14.70 करोड़	जुलाई-15	उपर्युक्त
6.	मै. वाटिका लिमिटेड (वीएल)	₹15.00 करोड़	दिसम्बर-17	उपर्युक्त
7.	मै. वीएनआर इन्फ्रा लि. (वीएनआरआईएल)	₹18.00 करोड़	जनवरी-15	उपर्युक्त
8.	मै. जीटीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. (जीटीएमबी एंड डीपीएल)	₹5.00 करोड़	दिसम्बर-16	आईएफएल 8 से आईएफएल 6 तक अपग्रेड किया गया

## अनुलग्नक-XX

(पैरा 5.10.6.3 में संदर्भित)

सुविधा की संस्वीकृति तथा उसकी मानीटरिंग के संदर्भ में ऋण नीति के अनुपालन को दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	सुविधा का प्रकार और स्वीकृत राशि	स्वीकृति की दिनांक	अंतर की सं.	आवश्यक मानदंड	अंतर	निगरानी
1	मै. परपैक्चुअल इंटर ट्रेड (पीआईटी)	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	जून-16	4	(i) निवल सम्पत्ति - ₹1 करोड़ (ii) वर्तमान अनुपात 1.1:1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) संचालन की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए (iv) निर्धारित न्यूनतम संयुक्त मूल्यांकन - आईएफएल5	(i) निवल सम्पत्ति- ₹0.02 करोड़ (वित्त वर्ष 2015), (ii) वर्तमान अनुपात - 1 (iii) न्यूनतम 3 वर्ष से संचालन में नहीं (iv) वास्तविक आईएफएल6	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित दौरे, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा ऋण पॉलिसी <sup>1</sup> के अनुसार नहीं किया गया था
2	मै. लीवे लोजिस्टिक्स लि.	₹18 करोड़ का डीएसबीएफ	जनवरी-11	3	(i) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्लू अनुपात 6: 1 होना चाहिए (ii) न्यूनतम तीन वर्ष के लिए अस्तित्व (iii) पिछले 2 वर्ष से लाभ कमा रहा है	(i) टीओएल/टीएनडब्लू 9.33:1 था तथा (ii & iii) कंपनी सिर्फ एक वर्ष पुरानी थी	उपर्युक्त

<sup>1</sup> लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस तथ्य पर आधारित है कि फाइलों की समीक्षा के दौरान क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निगरानी से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा इस प्रस्तुत करने हेतु लेखापरीक्षा मांग पत्र और अनुस्मारक भी जारी किए गए परंतु प्रबंधन ने इसे प्रस्तुत नहीं किया।

3	मै. एन्नोरे कोक	₹4 करोड़ का डीएसबीएफ	मार्च-11	3	(i) न्यूनतम वर्तमान अनुपात - 1.1:1 (ii) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्ल्यू - 6:1 ऋणदाता (मै. बटरफ्लाई सैल्स प्रा. लि.) (iii) 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना चाहिए	(i) वास्तविक वर्तमान अनुपात 0.87: 1 था - (ii) वास्तविक टीओएल/टीएनडब्ल्यू 6.85: 1 था (iii) इसका अनुपालन नहीं किया गया	उपर्युक्त
4	एक्यूरेट ट्रांसफार्मर लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-11	3	ऋणदाता आम तौर पर राज्यसरकार/केंद्र सरकार के सत्त्व होते हैं, ब्लू चिप कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियों और एमएनसी होती हैं जो  (i) पिछले दो वर्षों में लाभ अर्जित करने वाली होनी चाहिए, (ii) न्यूनतम 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना चाहिए (iii) कोई संचित हानि नहीं होनी चाहिए	(i) एमएसइडीसीएलघाटे में चल रही थी और इसकी बैलेंस शीट (2009-10) में संचित घाटा हुआ था। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (देनदार) को 29 जून 2012 को शामिल किया गया था और इसके अलावा न्यूनतम तीन साल के लिए अस्तित्व में नहीं थी (13 जून 2014)। इसके अलावा डीवीवीएनएल एक घाटे में चलने वाली इकाई थी और इसकी बैलेंस शीट में बड़े संचित घाटे थे।	उपर्युक्त
5	मै. एल्डर फार्मासुटिकल लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और डीपीबीएफ	अगस्त-10	2	(i) पीबीएफ सुविधा मूर्त संपार्श्विक द्वारा समर्थित होनी चाहिए (ii) निष्क्रिय लेनदारी लेखा क्रय में ग्राहक को अच्छी तरह से पहचाना जाना चाहिए जहां देनदार आम तौर पर सूचीबद्ध कंपनी, ब्लू चिप कंपनियां, पीएसयू, राज्य/ केंद्र सरकार के सत्त्व और एमएनसी हैं।	(i) ऐसी कोई प्रतिभूति एकत्र नहीं की गई थी (ii) मै. काश मेडिकेयर अनारक्षित ऋणी थे	उपर्युक्त

6	इंड-स्विफ्ट लिमिटेड	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	जुलाई-11	2	(i) निष्क्रियलेनदारी लेखा क्रय में देनदार आम तौर पर सूचीबद्ध कंपनियों, ब्लू चिप कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र/राज्य सरकार के सत्त्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों होंगी। (ii) क्षेत्रीय लेखापरीक्षा	(i) 10 अनारक्षित देनदार मुख्य रूप से ग्राहक के सी एंड एफ एजेंट/ वितरक थे और साझेदारी/ स्वामित्व प्रतिष्ठान थीं जिनकी वित्तीय स्थिति आसानी से उपलब्ध नहीं थी। (ii) फील्ड लेखापरीक्षा माफ किया गया	उपर्युक्त
7	मै. अर्च फार्मालैब लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और पीबीएफ	मई-11	1	पीबीएफ मूर्त संपाशिवक द्वारा समर्थित किया जाना है	कोई प्रतिभूति एकत्र नहीं की गई थी	उपर्युक्त
8	मै. भारतसाल्ट रिफाइनरीज लिमिटेड	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	जून-09	1	पूर्व अनुमोदन क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं हुआ	उपर्युक्त
9	मै. आर्कॉन एंजिकोन प्रा.लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और एएफआर	अप्रैल-11	1	एएफआर सुविधा के लिए प्रतिभूति कवरेज, स्वीकृत संपत्ति के 1.50 गुना अचल संपत्ति या सूचीबद्ध शेयरों की प्रतिज्ञा के रूप में होनी चाहिए।	₹12.50 करोड़ की एएफआर सुविधा के प्रति केवल ₹69.20 लाख की प्रतिभूति	उपर्युक्त
10	मै. कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-12	1	अधिकतम टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात - 4:1	टीओएल/टीएनडब्ल्यू का अनुपात 4.59:1 था	उपर्युक्त
11	एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि.	₹7.5 करोड़ का डीएसबीएफ	फरवरी-10	1	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं किया गया	उपर्युक्त
12	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लि. (सीइएल)	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	जनवरी-12	1	कम से कम तीन वर्ष के लिए अस्तित्व	02 वर्ष और 10 महीने के लिए अस्तित्व	उपर्युक्त

13	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि.(जेएससीपी एल)	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	अक्टूबर-09	1	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं किया गया	उपर्युक्त
14	मै.शिवम् मिनरल्स लिमिटेड	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	मार्च-11	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	उपर्युक्त
15	मै. अपैक्स बिल्डसिस लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	नवम्बर-09	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	उपर्युक्त
16	मै. कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-11	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
17	मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	मई-11	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
18	मै.कोर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी लि.	₹15.00 करोड़ का डीपीबीएफ	जनवरी-11	कुछ नहीं	-	-	उपर्युक्त
19	एमपी डिस्टिलरीज	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	अक्टूबर-10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
20	क्रिटिकल मास मल्टीलिंग लि.	₹7.5 करोड़ का एएफआर	सितम्बर-15	5	(i) ग्राहक की निर्धारित न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹25 करोड़ है, (ii) ग्राहकों का न्यूनतम कारोबार ₹50 करोड़ का तय किया	(i) कंपनी ने ग्राहक की निवल संपत्ति को ₹356.95 करोड़ माना,हालांकि समायोजित मूर्त निवल मूल्य नकारात्मक (-₹31.95	लागू नहीं

					(iii) ऋणदाता के साथ न्यूनतम 2वर्ष के पिछले रिकार्ड वाले ग्राहक की आवश्यकता या भुगतान के नियमित पिछले रिकार्ड के साथ अन्य ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करनी चाहिए, (iv) ऋणदाता को पिछले दो वर्षों के लिए लाभ अर्जित करना चाहिए, (v) आईएफएल5 का न्यूनतम आंतरिक मूल्यांकन	करोड़) था। (ii) वास्तविक कारोबार ₹0.48 करोड़ था (iii) नया संबंध, अन्य ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करने पर ग्राहक द्वारा प्राप्त भुगतान का कोई पिछले रिकार्ड नहीं। (iv) दोनों देनदार घाटे में चल रहे थे (v) ग्राहक का मूल्यांकन आईएफएल6 थी	
21	मै. एमवीएल लिमिटेड	₹16 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण	मई-14	2	(i) एसटीएल के लिए उधारकर्ता कंपनी का ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी की सीआरआईएसआईएल के बराबर निवेश ऋण मूल्यांकन और न्यूनतम पी 2 की सीआरआईएसआईएल के बराबर अल्पकालिक साधन मूल्यांकन होना चाहिए (ii) प्रतिभूति कवर कम से कम 2.0 गुना होना चाहिए	(i) मूल्यांकन पर विचार नहीं किया गया (ii) केवल एक बार	लागु नहीं

**अनुलग्नक-XXI**  
**{पैरा 5.10.6.3(i) में संदर्भित}**

**डेबिट नोट वित्त पोषण**

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	डेबिट नोट वित्त पोषण	घोषित एनपीए
1.	मै. भारत साल्ट लिमिटेड (बीएसएल)	अगस्त 2014 से मार्च 2017	सितम्बर-17
2.	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लिमिटेड (सीइएल)	जून 2015 से मार्च 2017	दिसम्बर-17
3.	मै. कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल)	फरवरी 2015 से सितम्बर 2017	दिसम्बर-17
4.	मै. अर्च फार्मा लैब लिमिटेड (एपीएल)	दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013	सितम्बर-15
5.	मै. एल्डर फार्मासुटिकल्स लि. (इपीएल)	जुलाई 2013 से अगस्त 2016	सितम्बर-16
6.	मै. मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड (एमएमसीएल)	अगस्त 2012 से जून 2013	सितम्बर-15
7.	मै. इंड-स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल)	दिसम्बर 2012 से मई 2016	जून-16
8.	मै. एन्नोरे कोक लि.(इसीएल)	अगस्त 2012 से मार्च 2016	जून-17
9.	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि. (जेएससीपीएल)	दिसम्बर 2013 से अगस्त 2017	सितम्बर-17
10.	मै. कोर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी लि. (सीपीटीएल)	नवम्बर 2012 से मार्च 2014	दिसम्बर-14
11.	मै. एक्यूरेट ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड (एटीएल)	फरवरी 2013 से दिसम्बर 2015	मार्च-16
12.	मै. शिवोम मिनरल्स लिमिटेड (एसएमएल)	जून और जुलाई 2016	सितम्बर-17
13.	मै. एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि. (इआईइएल)	दिसम्बर 2012 से जनवरी 2016	मार्च-16



**अनुलग्नक-XXII**  
**{पैरा 5.10.6.3(ii) में संदर्भित}**

**आरबीआई के दिशानिर्देशों का अननुपालन**

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	एनपीए की घोषणा में देरी	प्राप्ति दिनांक के अनुसार एनपीए की दिनांक	एनपीए की घोषणा की दिनांक
1	मै. रित्विक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरपीपीएल)	हां	28 जनवरी 2019	एनपीए की घोषणा नहीं की
2	मै. नवरंग रोडलाइन्स प्रा. लि.(एनआरपीएल)	हां	2 जुलाई 2019	31 जुलाई 2019
3	मै. जीएचवी इंडिया प्रा. लि. (जीएचवीआईपीएल)	हां	3 अगस्त 2019	31 अगस्त 2019
4	मै. डीसीएस लि.( डीसीएसएल)	हां	7 अगस्त 2018	एनपीए की घोषणा नहीं की
5	मै. शिवम् मिनरल्स लि.(एसएमएल)	हां	27 मार्च 2017	30 सितम्बर 2017
6	मै. अपैक्स बिल्डसिस लि.(एबीएल)	हां	20 मार्च 2014	31 मार्च 2016
7	मै.अर्च फार्मासूट लिमिटेड (एपीएल)	हां	5 जुलाई 2013	30 सितम्बर 2015
8	मै. अर्चो एन्जिको प्रा.लि.(एडपीएल)	हां	28 सितम्बर 2015	31 मार्च 2016
9	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लिमिटेड (सीइएल)	हां	09 दिसम्बर 2017	31 दिसम्बर 2017
10	मै. एन्नोरे कोक लि.(इसीएल)	हां	03 मार्च 2016	30 जून 2017
11	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि.(जेएससीपीएल)	हां	07 अक्टूबर 2014	30 सितम्बर 2017
12	मै. कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी लि.(सीपीटीएल)	हां	02 सितम्बर 2013	31 दिसम्बर 2014
13	मै. इंड-स्विफ्ट लि.(आईएसएल)	हां	12 मार्च 2014	30 जून 2016
14	मै. एक्यूरेट ट्रांसफार्मर्स लि.(एटीएल)	हां	23 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
15	मै. एमपी डिस्टिलरीज (इडी)	हां	16 अप्रैल 2014	31 दिसम्बर 2017
16	मै. ट्रेड फ्लोरिंग प्रा. लि.(टीएफपीएल)	हां	3 दिसम्बर 2018	30 जून 2019

**अनुलग्नक-XXIII**  
**(पैरा 5.10.6.4 में संदर्भित)**

ग्राहक का नाम	स्वीकृति की तारीख और राशि	31.03. 2019 तक कुल बकाया	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रबंधन का उत्तर और खंडन
मैसर्स एक्न्यूरेट ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड	अगस्त 2011, ₹15 करोड़ (निष्क्रिय आधार)	₹19.85 करोड़	अयोग्य देनदारों को शुरू में अनुमोदित किया गया था (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) और बाद में कंपनी द्वारा ऋण नीति के उल्लंघन में जोड़ा गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि देनदार के निष्क्रिय तथ्य में आमतौर पर राज्य/ केंद्र सरकार की संस्थाएं, ब्लू चिप कंपनियां एमएनसी हैं जो लाभ कमा रही हैं। पिछले दो वर्षों में और कोई संचित हानि नहीं होनी चाहिए। एमएसडिडीसीएल को इसके बैलेंस शीट (2009-10) में घाटा होने और जमा होने के बावजूद कर्जदार के रूप में अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने (दिसंबर 2013से फरवरी 2015 तक) 4 अन्य देनदारों (राज्य सरकार बिजली संस्थाओं) को निष्क्रिय आधार पर जोड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी (ऋणी) को 1 नवंबर 2012 को शामिल किया गया था और इस प्रकार (13 जून 2014) के समय न्यूनतम तीन वर्षों तक अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा दक्षिण विद्युत निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) एक घाटे में चलने वाली इकाई थी और इसकी बैलेंस शीट में बड़ी संचित हानि थी। कंपनी ने 6 फरवरी 2013 से 29 दिसंबर 2015 के बीच ऋण नोट निधिकरण का सहारा लिया, इसके बावजूद कि बिल अतिदेय/अविलंब किया जा रहा है और ग्राहक द्वारा समय पर भुगतान की कमी के कारण। कंपनी ने	प्रबंधन ने कहा कि देनदार ज्यादातर राज्य सरकार के बिजली बोर्ड थे, जिनके पास समान प्रोफाइल, जोखिम और ऋण था और ग्राहक की साख और देनदार प्रोफाइल के आधार पर प्रस्ताव को विचलन के साथ या बिना मंजूरी दी गई थी। बिल का पुनर्मूल्यांकन खाता आचरण को उबारने के प्रयास के साथ किया जाता है और अतिदेय स्थिति को अवरोधक करने की संभावना को देखते हुए। इस अभ्यास का उपयोग लेनदारी लेखा क्रयउद्योग में किया जाता है, और यह कई कारकों पर निर्भर करता है। खाता जुलाई 2014 तक नियमित था और ऋणनोट निधिकरण 2014 से दिसंबर 2015 तक शुरू हुई थी। ग्राहक द्वारा सूचना न देने के कारण मूल्यांकन निलंबित कर दी गई थी, जो कि ग्राहक की साख में कुछ कमी के कारण जरूरी नहीं है। लेकिन, यह सही है कि खाता पर दवाब था। पूर्वभुगतान प्रतिशत और सीमा को तय किया जा रहा है, देनदारों के पुनर्भुगतान पिछले अभिलेख पर प्रस्तावित किया जा रहा है, समान उद्योगों आदि में व्यापार चक्र देखे जा रहे हैं। खाते को नियमित करने के प्रयासों के अनुसार, यह 13.50 करोड़ पर केप किया गया था, जो एक का आकलन करने के लिए किया गया था या दो चुकौती चक्रों को अनियंत्रित करने से पहले। वह फरवरी 2015 में डीवीवीएनएलके समावेश के साथ अनकैण्ड हो गया

25 जुलाई 2015 को भुगतान के लिए देय दो हिसाब में लिए गए बीजकों के साथ 28 जनवरी 2016 को भुगतान के लिए दो नए चालानों को (24 दिसंबर 2015) पुनः भेजा (डीवीवीएनएल को प्रस्तुत किया) जिससे भुगतान की देय दिनांक में बदलाव हुआ। यह पुनर्मूल्यांकन न्यायसंगत नहीं था क्योंकि इस पुनर्मूल्यांकन का एकमात्र कारण यह था कि चालान का भुगतान उसी के लिए कोई कारण बताए बिना ग्राहक के खाते में नहीं आएगा। कंपनी ने (13 जून 2014) पूर्व भुगतान सीमा ₹13.5 करोड़ रखी थी, जो ₹15 करोड़ की मंजूरी सीमा के प्रति थी। बकाया राशि का निपटान करने की मांग के नोटिस की अतिदेय/सहारा लेने और बकाया देयों का निपटान करने के लिए मांग के नोटिस का मुद्दा (दिसंबर 2014 और जून 2015) होने के बावजूद सीमा पर इस केपिंग को हटा दिया गया (फरवरी 2015)। डीवीवीएनएल पर ग्राहक द्वारा उठाए गए चालानों के खिलाफ कंपनी ने (मई से सितंबर 2015) ₹14.73 करोड़ की राशि दी।

खाता (जुलाई 2016) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी और जालसाजी के आधार पर धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया गया था क्योंकि डीवीवीएनएल पर ग्राहक द्वारा उठाए गए चालान कभी भी देनदार द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। सीबीआई में भी एक शिकायत दर्ज की गई (नवम्बर 2016)। कम्पनी ने ग्राहक के साथ एक ओटीएस किया (फरवरी 2017) जिसके अनुसार ग्राहक को ₹17.48 करोड़ (मूल ₹14.73 करोड़ तथा ब्याज ₹2.75 करोड़) के अतिदेय की जगह ₹14.73 करोड़ की रकम का भुगतान करना था (22 फरवरी 2017 से 25 मार्च 2018)। ओटीएस की शर्तों का

जो उस समय ग्राहक के साथ महत्वपूर्ण व्यवसाय था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण पॉलिसी स्पष्ट रूप से नुकसान उठाने वाले कर्जदार के साथ व्यापार की गैर शुरुआत को निर्धारित करती है। भुगतान की देय दिनांक से लगभग 6 महीने बाद चालान का पुनः निर्धारण अनुचित था क्योंकि विशिष्ट कारण दिए बिना ही किया गया था। ऋण नोट निधिकरण की प्रथा वित्त पोषण की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि निधिग्राहक और फैक्टर ट्रांजिट के बीच रोटेशन में रहता है और मूल रूप से बिक्री बहीखाता करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कानूनी कार्रवाई और मान्यता की शुरुआत में देरी होती है। खाते के एनपीए के रूप में ग्राहक के बयान के अनुसार ऋण नोट निधिकरण 6 फरवरी 2013 से 29 दिसंबर 2013 तक हुई थी। पूर्वभुगतान सीमानिर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उद्धृत मापदंड आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए ऋण पॉलिसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। पूर्वभुगतान सीमाका खुलना सबसे अच्छे हित में नहीं था क्योंकि प्रबंधन द्वारा बताए गए खाते में पहले से ही तनाव था।

		<p>ग्राहक ने पालन नहीं किया क्योंकि पूरी ओटीएस की राशि जो कि 25 मार्च 2018 तक भुगतान की जानी थी की जगह केवल ₹4.6 करोड़ का भुगतान किया गया था। अतः ₹12.88 करोड़ की वसूली संदिग्ध थी। ग्राहक कम्पनी बन्द हो गई थी तथा ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया था (अप्रैल 2018)</p>	
--	--	---	--

**अनुलग्नक-XXIV**  
**(पैरा 5.10.6.5 में संदर्भित)**

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	स्वीकृत की तारीख और राशि	31.03.2019 तक कुल बकाया/हानि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रबंधन का उत्तर और खंडन
1.	मैसर्स अपैक्स बिल्डसिस लि.	₹10 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा नवम्बर 2009	₹27.25 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राहक एक ब्लू चिप / सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी, तब भी ऋण पॉलिसी (2009-2010) के विचलन में ग्राहक की वित्तीय और बिक्री खाता बही के आधार पर फील्ड लेखापरीक्षा की छूट को मंजूरी दी गई थी।</li> <li>25 मार्च 2014 को कुल ₹19.08 करोड़ के बकाया चालान में से 180 दिनों से अधिक के लिए ₹14.30 करोड़ बकाया थे। हालाँकि, आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ग्राहक सुविधाको एनपीए घोषित नहीं किया गया था।</li> <li>कंपनी ने एक और देनदार एम/एस पश्चिम हरियाणा राजमार्ग परियोजनाओं प्राइवेट लि. (डब्ल्यूएचएचपीपीएल) को मंजूरी दी जिन्होंने (23 दिसंबर 2014 को) ऋणों की एनओए प्रस्तुत की जिसमें एम/एस</li> </ul>	<p>प्रबंधन ने कहा (7 जनवरी 2020) कि कंपनी ब्लू चिप/सूचीबद्ध कंपनी नहीं होने के बावजूद स्वीकृत की गई ईरा समूह की सूचीबद्ध कंपनियां थीं। एक निष्क्रिय लेनदारी लेखा क्रय प्रस्ताव होने के नाते, देनदार के दौरे और सत्यापन की संभावना संभव नहीं थी। ऐसा फील्ड सर्वेक्षण के साथ मामला था क्योंकि तीसरे पक्ष को संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इन-हाउस देनदार विश्लेषण के रूप में फील्ड लेखापरीक्षा की प्रमुख गतिविधि घर में की गई थी। ग्राहक संचार/पत्राचार वह है जो निष्क्रिय तथ्य के मामले में किया जाता है और जिसे आरएम द्वारा नियमित आधार पर बनाए रखा जा रहा है और ऋण फ़ाइल के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है। प्रबंधन उत्तर देने योग्य नहीं है क्योंकि ऋणी (डब्ल्यूएचएचपीपीएल) जिनके चालान पिछले तक अवैतनिक थे, वे मूक कर्जदार नहीं थे, बल्कि यह एनओएसे लैस थे।</p>

डब्ल्यूएचपीपीएल केवल कंपनी को सभी बिक्री चालान के खिलाफ सभी भुगतान करने के लिए सहमत हुए। इसके बाद नवंबर 2014 से एम/एस डब्ल्यूएचपीपीएल एकमात्र कर्जदार रहा, जिसके खिलाफ कंपनी ने कई बिक्री बिल चालान किए। हालांकि, यह देखा गया कि ऋणी से एक भी भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था, बल्कि निर्धारित दिनांक से पहले भी ग्राहक द्वारा फैक्टर किए गए सभी चालानों का भुगतान किया गया था। मैसर्स डब्ल्यूएचपीपीएल से संबंधित सभी प्राप्य चालानों की वसूली नहीं हुई थी। भुगतान की रसीद ग्राहक से (ऋणीके बजाय) कंपनी को एक रेड फ्लैग संकेत था कि ग्राहक द्वारा उचित व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा था। तब भी कंपनी ने ऋणी नीति के अनुसार आवश्यक देखभाल के साथ ऋणी को सावधानी पूर्वक सत्यापित नहीं किया, जिसके कारण 27.25 करोड़ का नुकसान हुआ।

2.	मैसर्स एमवीएल लिमिटेड	₹16 करोड़ का एसटीएल मई 2014	₹21.91 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसटीएलके लिए उधारकर्ता कंपनी की ऋणमूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी के सीआरआईएसआईएल समकक्ष निवेश ऋण मूल्यांकन और न्यूनतम पी2 के सीआरआईएसआईएल समकक्ष लघु अवधि के साधन की मूल्यांकन होनी चाहिए और सुरक्षा क्षेत्र ऋण राशि का कम से कम 2.0 गुना होना चाहिए। हालाँकि, उक्त मामले में ग्राहक की मूल्यांकन पर विचार नहीं किया गया था और सुरक्षा क्षेत्र का मूल्य केवल 1.00 गुना था। इसके अलावा सुरक्षा का प्रमुख हिस्सा दूसरे प्रभार के रूप में था जो कुल सुरक्षा का लगभग 0.63 गुना था। यह देखा गया कि ग्राहक द्वारा न तो दूसरा चार्ज बनाया गया और न ही कोई अन्य टॉप अप दिया गया। इस प्रकार वास्तविक सुरक्षा क्षेत्र कुल ऋण का 0.37 गुना था।</li> <li>ऋण का कार्यकाल 3 वर्ष था। भुगतान अक्टूबर 2014 से सितंबर 2017 तक निर्धारितजारी था। एसटीएल सुविधा का लाभ उठाने के बाद एमवीएल लिमिटेड ने 10 लाख (नवंबर 2014) की केवल एक</li> </ul>	<p>प्रबंधन ने कहा (07 जनवरी 2020) कि उस समय आईएफएल के पास उपलब्ध विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारियों का निर्णय उचित है। और निर्णय के पक्ष में सबसे प्रशंसनीय तथ्य यह है कि आईएफएल का प्रदर्शन आंशिक रूप से सुरक्षित हो गया (एमवीएल लिमिटेड को कॉर्पोरेट ऋण) यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि वसूली सूट के माध्यम से मुकदमेबाजी के मामले परिणाम के माध्यम से प्रकृति में बहुत लंबे समय तक चलने वाले और अनिश्चित हैं, और आईएफएल के लिए पर्याप्त लागत की आवश्यकता है। ₹2 करोड़ के अग्रिम भुगतान के साथ ओटीएस प्रस्ताव बड़े पैमाने पर आपराधिक कार्यवाहियों के कारण है, जिन्हें आईएफएल ने ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस की सहायता से शुरू किया था। ₹2.5 करोड़ के लिए भुगतान किया गया था जो एमवीसी लिमिटेड को कॉर्पोरेट ऋण की मंजूरी के समय नोइसेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते में हुआ था। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि नोविस की लेनदारी लेखा क्रय सुविधा जारी रखने के बजाय एमवीएल को कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना, मौजूदा परिस्थितियों में एकविवेक पूर्ण कदम था, आईएफएल के अपने बकाया की वसूली की संभावनाओं में सुधार। प्रबंधन का उत्तर (7 जनवरी 2020) योग्य नहीं है क्योंकि एमवीएल पहले से ही लेनदारी लेखा क्रय</p>
----	-----------------------	-----------------------------	--------------	---	---

				<p>किस्त का भुगतान किया और उसके बाद चूक हो गई और तदनुसार जून 2015 में खाता एनपीए घोषित कर दिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (दिसंबर 2018) ने ₹24.91 करोड़ के लिए विधान किया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर वास्तविक लागत फाइल करने की अनुमति दी। हालाँकि, कंपनी ने ₹8 करोड़ के ओटीएसप्रस्ताव (मार्च 2019) के कारण, ₹2 करोड़ के अग्रिम भुगतान के साथ फाइल नहीं की। कंपनी (अगस्त 2019) ने मार्च 2019 को कुल के खिलाफ ओटीएस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो ए ₹29.91 करोड़ था जिसे अभी मूर्त रूप दिया जाना है। यदि कंपनी दो बार सुरक्षा प्राप्त/एकत्र कर लेती, तो बकाया राशि वसूल की जा सकती थी। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कुल सुरक्षा राशि ₹29.91 करोड़ (₹15.86 करोड़ मूलधन और ₹14.05 करोड़ ब्याज) है, तो सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ₹ आठ करोड़ के ओटीएस से बच सकती है।</li> </ul>	<p>सुविधा के खिलाफ दोषी था इसलिए पर्याप्त सुरक्षा के बिना कॉर्पोरेट ऋण का विस्तार उचित नहीं था।</p>
--	--	--	--	--	---



3.	मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड(एमएमसीएल)	(मई 2011) ₹15 करोड़ की डीएसबी एफ सुविधा ₹14 करोड़ के एसटीएल में परिवर्तित (अप्रैल 2014)	₹13.54 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी ने मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड (एमएमसीएल) को डीएसबीएफकी मंजूरी दी। यह सुविधा इसके डीलर एम/एस बालाजी मोबिटेक प्रा. लिमिटेड (ऋणी) जो एक अनरेटेड ऋणी था और फील्ड लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार पिछले वर्ष में ऋणी और ग्राहक के बीच दो तरफा (खरीद) व्यापार लेनदेन थे।</li> <li>एमएमसीएल पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (17.08.2012) में राजस्व और लाभ पर प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, सुविधा को सितंबर 2012 में नवीनीकृत किया गया था। इसके अलावा, खाता नवीनीकरण दिनांक पर स्ट्रेस में था। कंपनी ने बकाया राशि और बकाया भुगतान में देरी के बावजूद अगस्त 2012 से जून 2013 के बीच डेबिट नोट फंडिंग का सहारा लिया। फील्ड लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित यात्राओं, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा कंपनी की ऋण नीति के उल्लंघन में कंपनी द्वारा नहीं की गयी थी।</li> </ul>	<p>प्रबंधन ने कहा कि यह स्वीकृत नोट में अच्छी तरह से शामिल कर लिया गया था कि प्रस्तावित देनदार एमएमसीएल का एक अनन्य वितरक है, जिसके पास 5 वर्ष से अधिक के लिए संतोषजनक व्यापारिक संबंध हैं। दो तरफा से व्यापार लेनदेन को देनदार से क्रय के रूप में लेखांकन किया गया था और उसी के लिए भुगतान एमएमसीएल द्वारा किया गया था। इसके अलावा, एनओएकी सामग्री को व्यापार-नापसंद के उदाहरणों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए, दो तरह से व्यापार होना चाहिए। आमतौर पर खाते को नियमित करने के लिए खाते को नियमित करने के लिए डेबिट नोट फंडिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जोखिम का पूरी तरह से उपयोग किया गया था और शायद ही कोई वृद्धिशील निधिकरण हुई थी। पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से तनावग्रस्त (उस समय) खाते में जोखिम को कम करने के लिए की गई थी और बिना किसी गलत इरादे के वसूली को अधिकतम किया गया था। प्रबंधन ने कहा कि मौजूदा ग्राहकों पर निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से, आईएफएल ने पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 से सभी खातों की समीक्षा/नवीनीकरण करना शुरू कर दिया है और इसे ऋण पॉलिसी 2014-15 में शामिल किया गया है। यह उत्तर इस तरह से मान्य नहीं है कि ग्राहक का ऋणी के साथ संतोषजनक संबंध होना,</p>
----	--	---	---------------------	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• अप्रैल 2014 में सीओडीने मैक्स मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (एमएमपीएल) की सहायक कंपनी को ₹14.00 करोड़ का एसटीएल मंजूर किया (एमएमसीएल की सहायक) ₹15.00 करोड़ के डीएसबीएफ को परिवर्तित करके एमएमसीएल को ₹14.00 करोड़ के एसटीएल में एमएमपीएल के रूप में स्वीकृत किया। इस ऋण की आय का उपयोग एमएमसीएल के डीएसबीएफ खाते को बंद करने के लिए किया जाना था।</li> <li>• एमएमपीएल को ऋण की सुविधा संपार्श्विक सुरक्षा (अचल संपत्ति) द्वारा ₹8.00 करोड़ के संकट मूल्य के साथ समर्थित थी। एमएमपीएल से किशतों के भुगतान में चूक हो गई और इसीलिए सितंबर 2015 में लोन को एनपीए कर दिया गया। मार्च 2018 में कंपनी ने संपत्ति को ₹5.13 करोड़ में बेच दिया। अगस्त 2018 में बीओडी ने ₹13.54 करोड़ की छूट के साथ ₹2.25 करोड़ के ओटीएस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ग्राहक द्वारा ओटीएस योजना को पूरी तरह से सम्मानित किया जाना बाकी है।</li> </ul>	<p>कर्जदार पर सुविधा को फैक्टर करने से जुड़े जोखिम को कम नहीं करता है, जो ग्राहक का अनन्य वितरक है और जिसके साथ दो तरह से व्यापार लेनदेन होता था। इसके अलावा, यदि ग्राहक और देनदार की लेन-देन संरचना और वित्तीय स्थिति मजबूत होती तो सुविधा पहले नवीकरण पर ही तनाव में नहीं जाती। खाते के समग्र संतोषजनक संचालन को देखते हुए प्रबंधन के जवाब को नवीनीकृत किया गया था क्योंकि भुगतान समय पर आ रहे थे, यह सही नहीं है क्योंकि एमएमसीएल के लेखापरीक्षकों द्वारा राजस्व और लाभ पर प्रतिकूल अवलोकन किए गए थे और खाता नवीनीकरण की तारीख पर जोर दिया गया था। इसके अलावा, आईएफएलसुविधा के नवीनीकरण की शर्त के अनुसार सुविधा पर अधिकतम पूर्व भुगतान सीमा को घटाकर ₹10.00 करोड़ की सीमा को कम नहीं कर सकता है। ऋण नोट को कंपनी द्वारा अपने खाते को सदाबहार बनाए रखने के उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था।</p>
--	--	--	--	---

4.	मैसर्ज एन्नोरे कोक लि.	₹4 करोड़ की डीएसबीएफ की सुविधा मार्च 2011	₹4.09 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> <li>सुविधा के लिए फैक्टर ऋणी मैसर्ज बटरफ्लाई सेल्स प्रा. लि. था। कंपनी ने (अगस्त 2012) मैसर्ज वेलमैन कोक इंडिया लि. (डब्ल्यूसीआईएल) को ₹4.50 करोड़ की ऋण लाइन के साथ ऋणी के रूप में शामिल किया। डब्ल्यूसीआईएल और ग्राहक मैसर्ज हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लि. की सहायक कंपनियां थीं। कर्जदार के रूप में डब्ल्यूसीआईएल के अलावा मैसर्ज बटरफ्लाई सेल्स प्रा. लि. के स्थान पर) खाते में अतिदेयके बावजूद नहीं रहा है। खाता पहले ही चक्र में तनावपूर्ण और अनियमित हो गया चालान की देय दिनांक से 114 दिनों तक भुगतान की अधिकता के साथ। अगस्त 2012, दिसंबर 2012 और दिसंबर 2013 में सुविधा की समीक्षा की गई और भुगतान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण देरी देखी गई। हालांकि, खाते में अतिदेय के बावजूद ऋण नोट निधिकरण (अगस्त 2012 से मार्च 2016 तक) के उपयोग से निधिकरण की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए (जून 2017) और कानूनी कार्रवाई की शुरुआत के रूप में दिसंबर के खाते में देरी हुई। एनसीएलटी, चेन्नई ने 23 मार्च 2018 को एन्नोरे कोक</li> </ul>	<p>प्रबंधन का जवाब है कि विस्तृत वित्तीय और विचलन (वित्तीय अनुपात) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और बटरफ्लाई सेल्स को उस समय स्वीकृत ऋणी माना गया था, क्योंकि एनोरे कोक का कोई अन्य ऋणी खुले खाते की बिक्री के तहत नहीं था, विचलन के रूप में स्वीकार्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित को एक अपवाद के रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए था और खुले खाते की बिक्री के तहत पात्र देनदार की अनुपलब्धता अपात्र देनदार को जोड़े जाना सही नहीं ठहरता। प्रबंधन ने आगे कहा है कि वेलमैन कोक को बेहतर रिकवरी संभावना की उम्मीद पर ग्राहक के अनुरोध पर जोड़ा गया था और चूंकि बार-बार जाँच करने के बावजूद बटरफ्लाई बिक्री से भुगतान में देरी हुई थी, वेलमैन कोक को एक अन्य ऋणी के रूप में जोड़ा गया था। यह जवाबदेह नहीं है क्योंकि खाते में सभी बकाया राशि ₹4.09 करोड़ में मैसर्ज डब्ल्यूसीआईएल पर लगाए गए चालान के खिलाफ थी और भुगतानमैसर्ज वेलमैन कोक के विलंब से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, एक देनदार से भुगतान की गैर प्राप्ति दूसरे देनदार की वृद्धि का आधार नहीं हो सकती। प्रबंधन द्वारा यह भी कहा गया है कि ग्राहक को ऋणनोट निधिकरण के माध्यम से समय की अनुमति दी गई थी क्योंकि ग्राहक ने कोक निर्माण प्रक्रिया के</p>
----	------------------------	---	-------------	--	--

				<p>लिमिटेड की परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यह देखा गया कि ग्राहक और ऋणी ने मंजूरी के लिए 3 पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया जैसा कि ऋण नीति द्वारा निर्धारित है।</li> <li>• डब्ल्यूसीआईएल को ऋणी के रूप में शामिल किया गया था जो ग्राहक और देनदार दोनों के लिए न्यायोचित नहीं था क्योंकि इस तरह के निहित जोखिम (बिक्री में हेरफेर) के कारण एक ही होल्डिंग कंपनी (मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) की सहायक कंपनियां थीं। लेन-देन खाते में बकाया ₹4.09 करोड़ है जो डब्ल्यूसीआईएल पर उठाए गए चालानों के विरुद्ध था</li> <li>• फील्ड लेखापरीक्षाका उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित यात्राओं, देनदारों की वार्षिक समीक्षा आदि कंपनी की ऋण नीति के उल्लंघन में कंपनी द्वारा नहीं की जा रही है।</li> </ul>	<p>पुनर्गठन में पूंजी निवेश किया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति की शर्तें यह तय करती हैं कि बकाया तारीखों के भुगतान या निर्धारित दिनांक पर ब्याज के भुगतान पर ग्राहक द्वारा चूक करने की स्थिति में, कंपनी के पास नाम का खुलासा करने का पूरा अधिकार होगा ग्राहक का नाम और उसके निदेशकों को दिवालिया के रूप में आरबीआई/सीआईबीआईएल को सूचित करने और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि, कंपनी ने स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया, लेकिन खाते में अनियमित आचरण और तनाव के बावजूद सुविधा को नवीनीकृत किया और ऋण नोट के संचालन के माध्यम से वित्त पोषित किया। हालांकि, कंपनी, ऋण नोट के संचालन से कुछ ब्याज कमा सकती थी, लेकिन एक संदिग्ध वसूली का सामना करना पड़ा और खाते के विलंब को एनपीए के रूप में विलंबित किया और ग्राहक का पक्ष लिया।</p>
--	--	--	--	---	--

5.	मैसर्स भारत साल्ट रिफायनरी ज लिमिटेड( बीएसआर एल)	जून 2009 ₹5.00 करोड़ (डीएसबीए)	₹2.31 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी ने आईएफसीआई लिमिटेड और देनदार की ताकत के साथ एक अन्य समूह की कंपनी में मौजूदा संबंधों की जमीन पर फील्ड लेखापरीक्षा नहीं की। चूंकि ग्राहक लेनदारी लेखा क्रय सुविधा के लिए नया था, इसलिए फील्ड लेखापरीक्षा को किया जाना चाहिए था।</li> <li>हालांकि खाता का संचालन 2012-13 के बाद से संतोषजनक नहीं था और नवंबर 2012 के बाद से तनाव में था लेकिन कंपनी ने समय-समय पर ग्राहक की सुविधा का नवीनीकरण किया। अगस्त 2014 से मार्च 2017 के दौरान ऋण नोट के माध्यम से धन जारी रखा गया था, जिसने कानूनी कार्रवाई शुरू करने और खाते को एनपीए घोषित करने में देरी की।</li> <li>इनवॉयस के खिलाफ भुगतान ऋणी के बजाय सीधे बीएसआरएल से प्राप्त किए जा रहे थे। यदि कंपनी ने आक्रमक फील्ड लेखापरीक्षा को किया होता, तो देनदारों के साथ समय-समय पर बातचीत के माध्यम से इनवॉइस और / या ऋणी के अकाउंट बैलेंस का रैंडम वेरिफिकेशन होता, कर्जदार से भुगतान नहीं मिलने के कारणों पर</li> </ul>	<p>प्रबंधन ने कहा कि आईएफसीआई लिमिटेड के साथ खाते के संतोषजनक आचरण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा फील्ड सर्वेक्षण को छोड़ दिया गया था। वर्ष 2012 तक खाते का संचालन संतोषजनक था। कंपनी का आईएफसीआई लिमिटेड के साथ एक लंबा संतोषजनक संबंध था, यही कारण है कि आईएफएल ने अपने कठिन समय में कंपनी का समर्थन किया। प्रस्तुत किए गए नए चालानों के निधिकरण की अनुमति दी गई क्योंकि कंपनी ब्याज दे रही थी और प्रबंधन ने ऋण जोखिम में कमी की संभावनाओं को देखा। वास्तव में कंपनी ने 3.5 करोड़ रु (लगभग) का भुगतान ब्याज के रूप में किया, जो कि 2012 के बाद से शुरू हुआ जब तक कि खाता आईएफएल के साथ एनपीए नहीं बन गया। बार-बार ग्राहक का दौरा और अनुवर्ती कार्रवाई ग्राहक के साथ की गई और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक के साथ एक ओटीएस दर्ज किया गया था। प्रबंधनका उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों कंपनियां अलग-अलग हैं और दोनों संस्थाओं का व्यवसाय भी अलग है और ऋण नीति विशेष रूप से यह भी निर्धारित करती है कि नए ग्राहकों के लिए विश्लेषण पैकेज के हिस्से के रूप में फील्ड लेखापरीक्षा की आवश्यकता है। अनुमोदन पत्र के अनुसार, बकाया राशि के भुगतान पर बकाया या ब्याज पर भुगतान की स्थिति में, आईएफसीआई</p>
----	---	---	--------------------------	--	--

				<p>ध्यान दिया जाता और सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कंपनी ने सितंबर 2017 में बकाया राशि की निकासी के लिए देनदारों (मैसर्स जाखू साल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) को पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद बकाया राशि की निकासी के लिए देनदारों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।</li> <li>• कंपनी ने (जुलाई 2018) ₹5.50 करोड़ के कुल बकाया के लिए ₹3.50 करोड़ के बकाया का निपटान किया।</li> </ul>	<p>कारक, कंपनी/ ग्राहक का नाम और उसके निदेशकों को दिवालिये के रूप में प्रकट करने का अयोग्य अधिकार होगा। आरबीआई/ सीआईबीआईएल और बकाया वसूलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। हालाँकि, कंपनी ने ग्राहक के लिए नवम्बर 2012 में तनाव/ अनियमित होने के बाद भी धन जारी रखा, उसके बाद ऋण नोट के माध्यम से धन जारी रखा और इस सुविधा को एनपीए घोषित करने से बचा लिया। प्रबंधन ने खुद कहा (12 दिसंबर 2019) कि वर्ष 2012-13 में भारी बारिश के कारण कंपनी ने सुविधा को नवीनीकृत किया और देनदार द्वारा कोई निर्यात गतिविधि नहीं की गई, लेखापरीक्षा विवाद का समर्थन करता है कि आक्रामक निगरानी नहीं की गई थी और उसके बाद भी बीजक फैक्टर किए गए थे। चूंकि अधिकांश भुगतान मैसर्स जखाउ साल्ट से बकाया थे, लेकिन सितंबर 2017 में ऋणी को केवल एक पत्र लिखा गया था, उसके बाद कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए बकाया और बाद में ओटीएस की पेशकश को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार ऋण नीति को स्वीकृति/ निगरानी और गैर-पालन करने में उचित सतर्कता की कमी के कारण कंपनी को ₹2.31 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।</p>
--	--	--	--	---	--

6.	मैसर्स शिवोम मिनरल्स लिमिटेड (एसएमएल).	मार्च 2011 ₹10 करोड़ (डीएसबीएफ)	₹1.83 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मार्च 2016 से खाता का संचालन तनावपूर्ण और संतोषजनक नहीं था, इसके बावजूद कंपनी ने ग्राहक को सुविधा जारी रखी।</li> <li>• बिल के खिलाफ भुगतान ऋणी के बजाय जून 2016 से सीधे ग्राहक से प्राप्त किए जा रहे थे। यदि कंपनी द्वारा बिल और / या देनदारों खाता शेष का भी वेरिफिकेशन किया गया होता जो देनदार के साथ आवधिक अंतर्क्रिया के माध्यम से होता है, देनदारों के बजाय ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने के कारणों पर कंपनी द्वारा ध्यान दिया गया होता और सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई होती।</li> <li>• ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक और देनदार से सर्वोत्तम संभावित वसूली का आकलन किए बिना ग्राहक द्वारा पेश किए गए ओटीएस के लिए सहमत हुईं। इसके अलावा कंपनी ओटीएस को मंजूरी देने से पहले प्रमोटर्स के निवल मूल्य का आकलन करने में विफल रही।</li> <li>• कंपनी में कोई ओटीएस नीति नहीं थी।</li> </ul>	<p>प्रबंधन ने कहा कि निर्धारित दौरे सुविधा के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। कंपनी चालान सत्यापन के लिए देनदार से मेल की पुष्टि लेती थी। 12 मई, 2016 को कंपनी के दल ने ग्राहक के कार्यालय का दौरा किया और उसे पता चला कि उसके खरीदार से उद्योग के तनाव के कारण भुगतान में देरी हुई है जिसके लिए ग्राहक ने उसके देय को चुकाने की पेशकश की और कार्रवाई में कंपनी ने इस देनदार के चालान की छूट को आगे के लिए रोक दिया। हालाँकि अन्य देनदारों ने स्वयं का भुगतान किया है। खाते की निगरानी लागू थी क्योंकि कंपनी के अधिकारी वर्ष में कम से कम एक बार ग्राहक के कार्यालय और कारखाने का दौरा करते थे। जैसे ही खाता तनाव में चला गया, कंपनी के अधिकारी ने ग्राहक के साथ मामले को उठाया और उनके देनदारों से भी मुलाकात की। हालाँकि, बैठक के बाद ग्राहक ने अपने नियत शुल्क का भुगतान दिया और उनके देनदारों ने अतिदेय चालान को भुगतान कर दिया इसलिए सुविधा का संचालन जारी रहा। अन्य बैंकों और एक अन्य लेनदारी लेखाक्रय कंपनी ने बकाया 75% पर तय किया, हम एक असुरक्षित ऋणदाता हैं, 86% पर अंतिम बकाया राशि का निपटान किया। सुविधा के ओटीएस के समय, कोई ओटीएस नीति नहीं थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, हालाँकि ग्राहक का दौरा किया गया था और कंपनी द्वारा चालान भी सत्यापित किए गए थे, लेकिन फील्ड लेखापरीक्षा, ग्राहक दौरा (प्रत्येक वर्ष) और</p>
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--	--

					<p>देनदारों के साथ आवधिक बातचीत के माध्यम से देनदारों के खाते का सत्यापन ऋण नीति में परिकल्पित नहीं किया गया था अर्धवार्षिक ग्राहक यात्रा, देनदार सत्यापन आदि के बारे में सहायक दस्तावेज (2011 से 2016 की अवधि के लिए) उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त किसी निपटान से पहले कंपनी को पूरी राशि वसूलने के लिए अन्य सभी साधनों का पता लगाना चाहिए क्योंकि कंपनी को बैंकों को ऋण सीमा पर ब्याज का भुगतान करना था।</p>
--	--	--	--	--	--



**अनुलग्नक-XXV**  
**(पैरा 9.2.8.7 में संदर्भित)**

2008 प्रतिवेदन का पैरा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान स्थिति
<b>अनुकूलन में कमी</b>	
‘चाचर फॉरवर्ड बेस में रखरखाव लागत केंद्र के लिए लॉजिस्टिक लागत आवंटित नहीं की गई थी, हालांकि इसे रसद सेवाएं भी प्राप्त हुई थी’।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस नहीं किया गया।
समान लागतों के आवंटन के आधार में एकरूपता का अभाव था। उदाहरण के लिए, ड्रिलिंग करते समय, असम संपत्ति में ड्रिलिंग लागत के आवंटन में रिग घंटे का उपयोग किया गया था, असम और असम अराकान बेसिन में लागत को आवंटित करने के लिए रिग संचालन घंटे का उपयोग किया गया था।	समस्या अभी भी बनी हुई है और एसकेएफ उपयोग में असंगतता पर पैरा 9.2.8.3 (i) टिप्पणी की गई। मंत्रालय/ प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सिविल इंजीनियरिंग और सी एंड एम इंजीनियरिंग की पूंजी और राजस्व लागत के बीच अनुपात ईआरपी प्रणाली के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान तय की गई लागत 2004 में असम संपत्ति और असम और असम अराकान बेसिन में अद्यतन किए बिना जारी रखा गया था।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस नहीं किया गया।
असम में कैप्टिव पावर प्लांट की लागत को आवंटित करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े जो कि अक्टूबर 2004 में ईआरपी प्रणाली के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान तय किए गए थे, को अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित आवंटन अनुपात नहीं था। प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कंपनी में आवंटन रखरखाव कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनकी समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करने के लिए प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसकेएफ मुद्दों पर पैरा 9.2.8.3 (i) में टिप्पणी की गई
<b>इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच</b>	
11.74 लाख रुपये से जुड़े आठ वित्तीय लेखांकन दस्तावेजों को गलत लागत केंद्रों पर मैप किया गया था।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं।

<p>मुख्य अभिलेख में दर्ज परिसंपत्ति वर्ग की जानकारी, जो सामान्य लेज़र खाते को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपडेट किए जाने के लिए निर्धारित करती है, जब लेनदेन एसेट अकाउंटिंग मॉड्यूल में किए गए थे, गलत था जिसके परिणामस्वरूप ₹13.69 करोड़ मूल्य वाली 43 परिसंपत्तियों के संबंध में स्थायी परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण और लेखांकन हुआ।</p>	<p>परिसम्पत्ति वर्गों में कमियाँ वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 9.2.8.3 (iii) (परिसम्पत्तियों का गलत वर्गीकरण) में बनी रही और उन पर चर्चा की गई।</p>
<p>भौतिक स्थान पर नज़र रखने के लिए आवश्यक परिसंपत्ति के स्थान और संरक्षक की जानकारी और परिसंपत्ति की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मुख्य अभिलेख में ठीक से पाप्युलेट नहीं किया था क्योंकि ये फ़िल्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा अद्यतन नहीं किए जा रहे थे। स्थान पर आंकड़ा और परिसंपत्ति का संरक्षक 19,655 परिसंपत्ति अभिलेख में प्रणाली में उपलब्ध नहीं था, जिसका मूल्य ₹276.54 करोड़ था। इस जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, इन्वेंट्री की स्थान-वार और कस्टोडियन-वार ट्रेकिंग और कस्टडी ट्रांसफर के मामलों में परिसंपत्तियों को सौंपने और संभालने का उचित अनुपालन प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।</p>	<p>परिसंपत्ति के स्थान और संरक्षण की कमी अभी भी बनी हुई है और पैरा 9.2.8.1 (i) (परिसम्पत्ति मुख्यतालिका में परिसम्पत्ति स्थान का अभिग्रहण न करना), पैरा 9.2.8.1 (ii) और पैरा 9.2.8.1 (i) में (पूर्व कर्मचारी सम्पत्ति के संरक्षक के रूप में जारी हैं) शामिल हैं।</p>
<p>मुख्य अभिलेख बनाने और उसमें वित्तीय पदस्थापना से पहले एक माल प्राप्ति दस्तावेज़ की प्रणाली आवश्यकता का पालन किए बिना एक हेलीकाप्टर का मुख्य अभिलेख प्रणाली में बनाया गया था। इसके अलावा, जो हेलीकॉप्टर नई दिल्ली में परिचालन में था, वह मुंबई परिसंपत्ति की पुस्तकों में पूंजीकृत रहा। यह स्पष्ट था कि कंपनी के अनुवादित व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्रणाली में निर्मित सत्यापन जांचों को मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा बाईपास किया गया था।</p>	<p>वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं।</p>
<p><b>विरासत प्रणाली से डेटा का प्रवासन</b></p>	
<p>गलत सम्पत्ति वर्ग विवरण के साथ मुख्य अभिलेख का प्रवासन ₹7.45 करोड़ के मूल्य वाली 123 परिसंपत्तियों के संबंध में गलत परिसंपत्ति वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ।</p>	<p>वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए। हालांकि, प्रविष्टी की दिनांक और दस्तावेज़ की दिनांक के बीच अंतर देखा गया और पैरा 9.2.8.4 (i) में टिप्पणी की गई। मंत्रालय ने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिस्टम चेक लगाया गया है।</p>

जबकि प्रत्येक विक्रेता के लिए एक अद्वितीय मुख्य अभिलेख बनाए रखना आवश्यक था, सामग्री और सेवाओं के लिए विक्रेताओं के संबंध में कई मुख्य अभिलेख मौजूद थे। यह देखा गया कि 235 बाहरी विक्रेताओं के संबंध में प्रणाली में 476 विक्रेता अभिलेख मौजूद थे और 40 विक्रेताओं के संबंध में लेनदेन 2005-07 के दौरान 81 विक्रेता अभिलेख में प्रविष्ट किए गए थे। एकाधिक विक्रेता अभिलेख ने प्रणाली को जटिल बना दिया और हेरफेर और त्रुटियों के लिए जोखिम पैदा किया।

एक ही विक्रेता के लिए कई व्यापारिक खाते देखे गए और पैरा 9.2.8.2 (ii) की मसौदा रिपोर्ट में चर्चा की गई (व्यापारिक मुख्य के बैंक विवरणों का गैर/ गलत अभिग्रहण)

उचित विक्रेता प्रबंधन के लिए, विक्रेताओं के मुख्य अभिलेख प्रणाली में अलग-अलग विक्रेता खाता समूहों में वर्गीकृत किए जाते हैं; यह पाया गया कि आठ विदेशी विक्रेताओं को गलत तरीके से स्वदेशी विक्रेता खाते समूह में बांटा गया और 17 विदेशी विक्रेताओं को विदेशी विक्रेता खाता समूहों में शामिल किया गया।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह समस्या नहीं देखी गई थी।

मुख्य अभिलेख में विक्रेताओं के शहर और पते का विवरण ठीक से प्रविष्ट नहीं किया गया था। यह देखा गया कि विक्रेता के शहर का विवरण अभिलेख 'अज्ञात' के रूप में 2246 विक्रेता अभिलेख में दर्ज किया गया था, 463 विक्रेता अभिलेख में पता फील्ड खाली पाया गया था

पैरा 9.2.8.2 (ii) में विक्रेता के नाम, पते, खाता संख्या, बैंक विवरण के गलत या गलत विवरण शामिल थे। प्रबंधन केंद्रीकृत विक्रेता सेल की शुरुआत के साथ कहा गया था कि अब नए विक्रेता कृतियों में ऐसे मुद्दों का ध्यान रखा गया है।

2004-05 से संबंधित ₹14.55 करोड़ के 259 लेन-देन के संबंध में शेष और 2005-06 से संबंधित ₹2.5 लाख के लिए 34 लेनदेन, क्रमशः 43 विक्रेताओं के खिलाफ विरासत यूएफएसओ प्रणाली से प्रविष्ट किए गए और पूर्ण विवरण के लिए मई 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के साथ सामंजस्य बना रहा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं मिले। हालांकि, ऐसे मामले जहां भुगतान ब्लॉक के बिना भुगतान लंबित थे, को ड्राफ्ट रिपोर्ट (पैरा 9.2.8.3 (iii) में शामिल किया गया है।

134 व्यापारिक मुख्य अभिलेख\*\*, 'अज्ञात' और 'ए' जैसे अतिरिक्त विक्रेता नामों के साथ मौजूद थे

पैरा 9.2.8.2 (ii) में वेंडर का नाम, खाता संख्या, बैंक विवरण का गलत विवरण शामिल किया गया था।

**अनुलग्नक-XXVI**  
**(पैरा 10.1 में संदर्भित)**

**क्षमता शुल्क की वसूली के कारण हानि दर्शाने वाला विवरण**

(₹ लाख में)

अवधि	घोषित क्षमता (एमडब्लूएच)	निर्धारित शक्ति (एमडब्लूएच)	वास्तविक निर्धारित शक्ति का प्रतिशत	उक्त माह के लिए आरटीपीएस के लिए कुल शुल्क	केएसईबीएल से क्षमता शुल्क का दावा किया गया	पीपीए के अनुसार क्षमता में 12.5% की दर से वसूली	निर्धारित शुल्क की कम वसूली के कारण क्षमता शुल्क की हानि	@ 2% की छूट के बाद क्षमता प्रभार की कुल हानि
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच (जी-एफ)	आई
मई-16	2,12,870	19,748.82	9.28	3,906.015	362.478	488.252	125.774	123.258
जून-16	2,57,410	29,772.75	11.57	4,770.725	551.795	596.341	44.546	43.655
जुलाई-16	1,27,413	14,504.63	11.38	(-)322.625	(-)36.727	(-)40.328	(-)3.601	(-)3.529
अगस्त-16	1,72,040	19,523.73	11.35	2,369.47	268.935	296.184	27.249	26.704
सितम्बर-16	2,35,410	27,012.74	11.47	3,325.73	381.461	415.716	34.255	33.570
अक्टूबर-16	2,20,750	26,892.19	12.18	3,045.95	370.997	380.744	9.747	9.552
नवम्बर-16	2,61,736	30,773.24	11.76	3,698.58	434.953	462.323	27.370	26.822
दिसम्बर-16	57,056	6,459.81	11.32	757.56	85.756	94.695	8.939	8.760
जनवरी-17	1,43,130	15,738.05	11.00	1,963.01	215.931	245.376	29.445	28.856

फरवरी-17	2,42,025	20,398.06	8.43	3,581.198	301.895	447.650	145.755	142.840
मार्च-17	2,49,685	20,713.22	8.30	3,452.999	286.599	431.625	145.026	142.125
अप्रैल-17	73,392	6,104.94	8.32	1,021.88	85.021	127.735	42.714	41.860
मई-17	3,82,756	34,175.19	8.93	5,225.23	466.56	653.154	186.594	182.862
जून-17	1,71,872	14,576	8.48	2,401.34	203.66	300.168	96.508	94.577
जुलाई-17	2,81,437	11,774.38	4.167	3,807.02	158.64	475.878	317.238	310.893
अगस्त-17	2,44,813	10,283.48	4.167	3,301.376	137.568	412.672	275.104	269.602
सितम्बर-17	2,14,337	8,960.13	4.167	2,987.23	124.478	373.404	248.926	243.947
अक्तूबर-17	41,590	1,733.26	4.167	4,430.935	184.637	553.867	369.230	361.845
नवम्बर-17	2,31,400	9,676.94	4.167	3,865.679	161.083	483.210	322.127	315.684
दिसम्बर-17	2,51,220	10,479.47	4.167	4,080.918	170.015	510.115	340.100	333.298
जनवरी-18	1,97,160	8,228.75	4.167	3,191.992	133.010	398.999	265.989	260.669
फरवरी-18	2,06,195	8,591.46	4.167	3,678.680	153.290	459.835	306.545	300.414
मार्च-18	2,10,352	8,765.43	4.167	3,409.425	142.071	426.178	284.107	278.425
अप्रैल-18	3,73,250	15,568.76	4.167	6,238.100	259.941	779.763	519.822	509.425
मई-18	2,75,397	11,463.91	4.167	4,424.982	184.389	553.123	368.734	361.359
जून-18	1,41,631	5,901.935	4.167	2,399.658	99.993	299.957	199.964	195.965
जुलाई-18	2,57,180	10,716.08	4.167	4,156.134	173.186	519.517	346.331	339.404
अगस्त-18	1,70,463.75	7,104.38	4.167	2,736.779	114.041	342.097	228.056	223.495

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

सितम्बर-18	186,615	7,775.63	4.167	3,133.279	130.563	391.660	261.097	255.875
अक्तूबर-18	165,191	6,882.97	4.167	2,655.782	110.666	331.973	221.307	216.881
नवम्बर-18	1,86,285	7,765.31	4.167	3,121.786	130.084	390.223	260.139	254.936
दिसम्बर-18	2,46,255	10,260.62	4.167	3,988.805	166.213	498.601	332.388	325.740
जनवरी-19	2,69,050	11,148.19	4.167	4,360.677	181.709	545.085	363.376	356.108
फरवरी-19	3,83,983	15,992.315	4.167	6,630.769	276.304	828.846	552.542	541.491
मार्च-19	4,93,042	20,546.21	4.137	8,051.218	335.494	1,006.402	670.908	657.490
कुल				1,23,848.286	7,506.689	15,481.036	7,974.347	7,814.860
क्षमता शुल्क की वसूली के कारण कुल हानि = ₹7,814.86 लाख ₹78.15 करोड़								
पुनर्प्राप्ति क्षमता शुल्क न लगने के कारण प्रति माह औसत आवर्ती हानि = छुट/ 12 के बाद 2018-19 के दौरान कुल क्षमता शुल्क = ₹3.53 करोड़ (लगभग)								

**अनुलग्नक-XXVII**  
**(पैरा 13.2.7.1(ii) में संदर्भित)**

**कम पीएलएफ के कारण उत्पादन की हानि को दर्शाने वाला विवरण**

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1.	कुल कैप्टिव विद्युत उत्पन्न (एमडब्ल्यूएच)	17,82,716	18,76,396	17,50,120	18,34,687	19,45,763	<b>91,89,682</b>
2.	कुल कैप्टिव विद्युत उत्पन्न (एमडब्ल्यूप्रतिघंटा) <sup>2</sup>	297.50	297.50	297.50	297.50	297.50	
3.	वर्ष के दौरान कुल कैलेंडर घंटे	8760	8784	8760	8760	8760	
4.	औसत प्रति घंटा उत्पादन (प्रति घंटे मेगावाट) (1 / 3)	203.51	213.62	199.79	209.44	222.12	
5.	संयुक्त पीएलएफ प्रतिशत ((4 / 2) x100)	68.41	71.80	67.16	70.40	74.66	
6.	कुल कैप्टिव बिजली उत्पादन 85% पीएलएफ पर विचार करते हुए (एमडब्ल्यूएच) (2 x 8760 x 85%)	22,15,185	22,21,254	22,15,185	22,15,185	22,15,185	
7.	कुल कैप्टिव बिजली उत्पादन 80% पीएलएफ पर विचार करते हुए (एमडब्ल्यूएच) (1 / 5 x 80)	20,84,880	20,90,592	20,84,880	20,84,880	20,84,880	
8.	85% एमडब्ल्यूएच पर पीएलएफ के संदर्भ में कुल कैप्टिव उत्पादन में कमी (6-1)	4,32,469	3,44,858	4,65,065	3,80,498	2,69,422	<b>18,92,312</b>
9.	80% एमडब्ल्यूएच पर पीएलएफ के संदर्भ में कुल कैप्टिव उत्पादन में कमी (7-1)	3,02,164	2,14,196	3,34,760	2,50,193	1,39,117	<b>12,40,430</b>

<sup>2</sup> टीजी-5 की स्थापित क्षमता प्रबंधन उत्तर के आधार पर 67.50 मेगावाट के बजाय केवल 50 मेगावाट ली गई है

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

10.	टीपीपी के अनुसार कैप्टिव बिजली उत्पादन की वार्षिक औसत परिवर्तनीय परिचालन लागत (प्रति मेगावाट घंटे)	4,562	4,535	5,557	5,577	5,744	
11.	एपीइपीडीसीएल द्वारा लिया जाने वाला ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क (प्रति एमडब्लूएच)	5,511	5,789	5,900	6,111	6,111	
12.	कैप्टिव उत्पादन की परिवर्तनीय परिचालन लागत पर एपीइपीडीसीएल शुल्कों की अधिकता (11-10)	949	1,254	343	534	367	
13.	85% पीएलएफ के संदर्भ में कैप्टिव बिजली उत्पादन में कमी का मूल्य (₹ करोड़ में) (8 x 12)	41.04	43.25	15.95	20.31	9.89	<b>130.44</b>
14.	80% पीएलएफ के संदर्भ में कैप्टिव बिजली उत्पादन में कमी का मूल्य (₹ करोड़ में) (9 x 12)	28.68	26.86	11.48	13.36	5.10	<b>85.48</b>
15.	एपीइपीडीसीएल से खरीदी गई कुल बिजली (एमडब्लूएच)	4,41,954	5,70,162	6,84,729	5,10,860	4,33,500	-
16.	अपरिहार्य खरीद या न्यूनतम बिलिंग ऊर्जा इकाइयाँ एमडब्लूएच (50 x सीएमडी अर्थात 135 x 50 = 6750 प्रति माह जुलाई 2014 तक और अगस्त 2014 से मार्च 2018 तक = 185 x 50 = 9250 प्रति माह और अप्रैल 2018 से = 235 x 50 = 11750 प्रति माह)	1,01,000	1,11,000	1,11,000	1,11,000	1,41,000	-
17.	क्रं सं 9 में उल्लिखित बिजली उत्पादन की कमी के अधीन परिहार्य खरीद (एमडब्लूएच) (15-16)	3,02,164	2,14,196	3,34,760	2,50,193	1,39,117	<b>12,40,430</b>
18.	परिहार्य खरीद (₹ करोड़ में) (17 x 12)	28.68	26.86	11.48	13.36	5.10	<b>85.48</b>



## अनुलग्नक-XXVIII

(पैरा 13.2.7.3(i) (क) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 के दौरान औसत प्रति घंटा बिजली उत्पादन दर्शाता विवरण

वर्ष	टीजी-1 - 60 एमडब्लू			टीजी -2 - 60 एमडब्लू			टीजी -3 - 60 एमडब्लू			टीजी -4 - 67.5 एमडब्लू			टीजी -5 - 67.5 एमडब्लू		
	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी
2014-15	8049	368,255	45.8	8448	415,276	49.2	8574	416,378	48.6	7268	355,484	48.9	3848	227,323	59.1
2015-16	8636	392,308	45.4	8729	384,992	44.1	7755	296,071	38.2	8149	362,451	44.5	8626	440,574	51.1
2016-17	7954	388,855	48.9	8700	317,494	36.5	6247	259,956	41.6	7801	342,406	43.9	8608	441,409	51.3
2017-18	8736	415,567	47.6	7157	264,036	36.9	8725	400,173	45.9	7853	348,617	44.4	7580	406,294	53.6
2018-19	3772	182,892	48.5	6880	349,706	50.8	8678	420,979	48.5	8751	487,216	55.7	8611	504,970	58.6

ए - उपयोग किए गए घंटे (घंटे); बी- कुल बिजली उत्पन्न (एमडब्लू); सी - औसत प्रति घंटा उत्पादन (एमडब्ल्यूएच) (बी / ए)

2014-15 से 2018-19 के दौरान कैलेंडर घंटों में उपयोग किए गए घंटों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	बायलर 1	बायलर 2	बायलर 3	बायलर 4	बायलर 5	बायलर 6	टीजी 1	टीजी 2	टीजी 3	टीजी 4	टीजी 5
2014-15	80	75	75	87	83	50	92	96	98	83	44
2015-16	82	79	85	79	82	88	98	99	88	93	98
2016-17	79	71	75	77	98	80	91	99	71	89	98
2017-18	82	80	90	88	77	87	100	82	100	90	87
2018-19	37	94	96	86	93	94	43	79	99	100	98

**अनुलग्नक-XXIX**  
**(पैरा 13.2.7.3(i) (ख) में संदर्भित)**

**सारणी-7: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए बायलर और टीजी के नियोजित आउटेज/ शटडाउन के लिए लिया गया समय**

वस्तु	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			अतिरिक्त दिनों की कुल संख्या
	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	
बायलर 1	35	64	29	35	57	22	35	53	18	35	56	21	35	281	246	336
बायलर 2	35	53	18	35	69	34	35	62	27	35	64	29	-	-	-	108
बायलर 3	35	86	51	35	60	25	35	43	8	35	42	7	-	-	-	91
बायलर 4	35	78	43	35	73	38	35	61	26	-	-	-	35	72	37	144
बायलर 5	35	46	11	35	66	31	-	-	-	35	60	25	35	23	-	67
बायलर 6	-	-	-	35	65	30	35	42	7	35	39	4	-	-	-	41
<b>कुल</b>																<b>787</b>
टीजी-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	179	139	139
टीजी -2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	65	25	25
टीजी -3	-	-	-	-	-	-	40	83	43	-	-	-	-	-	-	43
टीजी -4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टीजी-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>																<b>207</b>

ए - निर्धारित दिनों की सं.; बी- ली गयी वास्तविक दिनों की सं.; सी - ली गयी अतिरिक्त दिनों की सं.

**अनुलग्नक-XXX**  
(पैरा 13.3.2 में संदर्भित)

कैप्टिव खानों, खनन पट्टे, खनिज के प्रकार, क्षेत्र, आरक्षित, दी गई पट्टे की ताऽरीख, पट्टे की वैधता, एफसी और ईसी के अनुदान और संचालन की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	खान का नाम	खनन पट्टे की सं./नाम	खनिज के प्रकार	क्षेत्र (एचए में.)	आरक्षित (एमटी)	स्वीकृत पट्टे की दिनांक	पट्टे की वैधता	स्वीकृत नवीनतम एफसी स्तर II	स्वीकृत नवीनतम इसी	स्थिति (कार्यरत/ नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>लोह अयस्क</b>										
1	बारसुन्द	एमएल -130	लोह अयस्क	2486.38	359.58	01.06.1960	05.01.1930	06.03.2013	30.03.2016	कार्यरत
2	तलीदी माइंस	एमएल - 162	गैर खनिज	77.94	अवसरचना	29.04.1960	28.04.2030	23.10.2017	30.03.2016	कार्यरत
3	कलता आयरन माइंस	एमएल -139	लोह अयस्क	25.98	0.219	17.01.1975	16.01.2025	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
4		एमएल-227	लोह अयस्क	3.34		18.01.1984	17.01.2004 (समय सीमा समाप्त)	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
5	गुआ ओर माइंस	दुआर्गउड़बुरु	लोह अयस्क	1443.76	183.12	21.02.1949	21.02.2039	22.08.2014	25.03.2013	कार्यरत
6		झिल्लिंगबुरु-I	एफइ एंड एमएन ओर	210.56	1.74	25.03.1953	24/04/2033	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	नहीं
7		झिल्लिंगबुरु -II	एफइ एंड एमएन ओर	30.54	0.95	12.05.1950	05.05.2029	प्रतीक्षित	10.12.2018	नहीं
8		तोपैलोरे	लोह अयस्क	14.16	6.58	09.03.1970	05.05.2029	प्रतीक्षित	17.08.2015	नहीं
9	मनोहरपुर	अजिताबुरु	लोह अयस्क	323.89	381.54	07.12.1947	04.12.2026	लागु नहीं	31.03.2011	नहीं
10		1 धोबिल	लोह अयस्क	513.04	217.03	08.03.1948	07.03.2038	21.10.98	24.01.2012	कार्यरत
11		सुक्रिलुतुरबुरु	लोह अयस्क	609.55	54.02	25.03.1949	11.03.2028	लागु नहीं	10.06.2013	नहीं
12		मक्लेल्लन-बुधाबुरु	लोह अयस्क	823.62	930.07	08.12.1945	08.11.2024	लागु नहीं	23.03.2011	नहीं

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

13		अंकुआ	लोह अयष्क	67.18	लागु नहीं	14.06.1982	08.06.2031	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
14		ताती बुरु	लोह अयष्क	38.85	लागु नहीं	01.09.1949	23.08.2028	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
15	केआईओएम/एम	पट्टा -1	लोह अयष्क	1936.04	39.34	28.03.1960	27.03.2030	26.11.2014	23.09.2014	कार्यरत
16	आईओएम	पट्टा -2	लोह अयष्क	879.44	अवसरचना	06.02.1973	27.03.2030	11.04.2005	23.09.2014	कार्यरत
17		पट्टा-3	लोह अयष्क	82.00	अवसरचना	01.10.1973	27.03.2030	11.04.2005	23.09.2014	कार्यरत
18		होरोमोत्तो	लोह अयष्क	1052.00		01.01.1970	10.02.1988 (समय सीमा समाप्त)	एफसी नहीं	इसी नहीं	नहीं
19	बीओएम	5.10 वर्ग मील	लोह	1321.45	241.35	11.04.1960	09.04.2030	12.11.2014	21.12.2012	कार्यरत
20		6.60 वर्ग मील	एफड एंड एमएन ओर	1786.74	1.352	14.11.1962	13.11.2022	लागु नहीं	21.12.2012	कार्यरत
21	दल्ली मंनुअल	दल्ली फारेस्ट रेंज	लोह अयष्क	100.00	1.26	27.08.1963	26.08.2023	06.04.2004	विचाराधीन	कार्यरत
22	रोवघट	रोवघट	लोह अयष्क	2028.78	511	15.09.2009	22.09.2029	03.08.2009	04.06.2009	नहीं
23	कलवार	कलवार नागुर	लोह अयष्क	938.06	7.22	01.04.1975	31.03.2025	07.01.2008	विचाराधीन	नहीं
24	राजहरा	पन्दिदल्ली	लोह अयष्क	220.42	39.11	01.06.1958	27.04.2023	06.04.2004	विचाराधीन	कार्यरत
25	दल्लिमच	राजहरा	लोह अयष्क	29.25	719.6	01.06.1958	31.05.2023	06.04.2004	30.09.2013	कार्यरत
26	महमा	महमा	लोह अयष्क	1522.67	16.46	04.11.1971	03.11.2021	07.08.2015	26.03.2015	नहीं
<b>फलक्स</b>										
27	बीआईएम	एमएल - 232	बॉक्साइट	117.44	0.43	18.08.1969	07.04.2016 (1985 से समय सीमा समाप्त)	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
28	पीएलडीक्यू	पीएलडीक्यू	लाइमस्टोन डोलोमाइट	230.53	24.62	06.01.1960	05.01.2020	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	लागु नहीं	नहीं
29	भादिगुंड	एमएल सं. :2660	लाइमस्टोन	40.12	10.167	01/04/1963	31.03.2023	स्वीकृत नहीं	13.04.2011	नहीं

30	कैचापुरा	एमएल सं. :2307	डूनाइट	4.45	0.12	19.05.2001	18/05/2021	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	01.08.2011	नहीं
31	कुटेश्वर	राईट बैंक	लाइमस्टोन डोलोमाइट	944.89	88.161	10.06.1971	11.03.2033	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	02.09.2015	कार्यरत
32		लेफ्ट बैंक		91.14	0.488	15.05.1982	17.01.2033	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	17.08.2015	कार्यरत
33	तुल्लिसद्वार	तुल्लिसद्वार	डोलोमाइट	118.72	118.72	30.10.1969	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	24.03.2015	कार्यरत
34	भवनाथपुर	घगरा	लाइमस्टोन	675.46	3.74	23.10.1972	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
35		गोर्गाव	लाइमस्टोन	228.46	2.16	23.10.1972	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
36		सरैया	लाइमस्टोन	275.00	1.51	31.03.1966	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
37	बरदुअर	बरदुअर	डोलोमाइट	407.41	121.27	26.12.1970	विचार करना	स्वीकृत नहीं	02.09.2015	नहीं
38	नंदिनी	नंदिनी	लाइमस्टोन	526.34	101.43	01.01.1959	31.12.2028	आवश्यकता नहीं	विचाराधीन	कार्यरत
39	हीनी	पेंदीदिह	डोलोमाइट	128.77	12.7	06.05.1959	05.05.2019	आवश्यकता नहीं	05.02.2009	कार्यरत
<b>कोयला</b>										
40	चासनाला	चासनाला 165	कोयला	348.18	10.2	27.04.1938	27.04.2688	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
41		हेत कन्दरा 167	कोयला	81.38						
42	जीतपुर	जीतपुर (108)	कोयला	163.69	19.33	28.05.1902	28.05.2893	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
43		नूनउदिह (109)								
44	तसरा	तसरा	कोयला	450.00	251.9	10.06.2002	समय सीमा समाप्त	लागु नहीं	13/10/2009	नहीं

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

45	राम्नागोरे	एमएल -1035	कोयला	212.87	27.998	17.03.2008	16.03.2907	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
46		एमएल -2586	कोयला	731.27		17.04.1890	16.04.2889	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
47		एमएल-9094	कोयला	204.38		12.04.1984	11.04.2024	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)